उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्याल

AECHD
हिंदी में आधार पाठ्यक्रम

खंड

1

भाषा तत्त्व और बोधन

इकाई 1
हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय 7

इकाई 2
हिंदी की ध्वनियाँ 19

इकाई 3
विज्ञान के विषय का बोधन 27

इकाई 4
संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग 39

इकाई 5
समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय 51

इकाई 6
भाषण शैली 63

NIL-002

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

डॉक्टर बख्शीश सिंह (संयोजक)
निदेशक
मानविकी विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ डीपी पटनायक
निदेशक
भारतीय भाषा संस्थान
मैसूर

डॉ एस के वर्मा
निदेशक
केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान
हैदराबाद

डॉ विश्वनाथ रेड्डी
आंध्र प्रदेश सार्वत्रिक विश्व विद्यालय

डॉक्टर नित्यानंद शर्मा
जोधपुर

प्रो.महेंद्र कुमार
हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा
रीडर
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

डॉ रमानाथ सहाय(संपादक)
आगरा
डॉक्टर नित्यानंद शर्मा (संपादक)
जोधपुर
डॉ लक्ष्मीनारायण शर्मा (संयोजक)
डॉ.डॉक्टर सुधीर माथुर
रीडर्स सी आई आई एल
मैसूर
डॉ.(श्रीमती) वाशिनी शर्मा
केंद्रीय हिंदी संस्थान
आगरा

कला संकाय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
डॉ. वी. रा. जगन्नाथ
डॉ.सीता रानी पालीवाल
डॉ. जवरीमल पारख
श्री शत्रुघ्न कुमार
श्री मोहनलाल

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कॉपी एडिटर
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मई 1998, पुनः मुद्रित

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1988

ISBN-81 -7091- 119- 2

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के लिए बिना मिमियों ग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुमत से पुनः मुद्रित। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय **प्रयागराज** की ओर डॉ. अरुण कुमार गुप्त रजिस्ट्रार, द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित **2020**

मुद्रक : चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरु रोड, **प्रयागराज 211002**

पाठ्यक्रम का परिचय

हिंदी के आधार पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए कुल 24 इकाइयाँ हैं। हमारा अनुमान है कि आप इनका अध्ययन लगभग 120 घंटे में कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम के लिए 4 क्रेडिट नियत हैं।

यह भाषा का पाठ्यक्रम है। भाषा में चार आधारभूत कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है। ये कौशल हैं : सुनकर समझना, पढ़ना, बोलना और लिखना। हमारी कोशिश है कि इस पाठ्यक्रम की मदद से इन चारों कौशलों का विकास किया जाए।

इस पाठ्यक्रम में कुल चार खंड हैं और प्रत्येक खंड में छह इकाइयाँ हैं। पहले खंड में हम पढ़ने और समझने के कौशल पर बल दे रहे हैं। चौथे खंड में भाषा की अभिव्यक्ति पर अर्थात् रचना पर बल दे रहे हैं।

लिखित माध्यम से पाठ्य सामग्री देने में भाषा के उच्चरित पक्ष अर्थात् सुनने और बोलने का विकास करना कठिन होता है। लेकिन दूर शिक्षण की पद्धति का अनुसरण करते हुए हम इस पाठ्यक्रम के साथ रेडियो तथा वीडियो पाठ भी देंगे जिससे उच्चरित पक्ष पर बल दिया जा सके।

भाषा के चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें भाषा के आधारभूत तत्त्वों पर (शब्दावली, शब्द-रचना, वाक्य-रचना, वर्तनी, उच्चारण आदि पर) अधिकार प्राप्त करना होगा। इस पाठ्यक्रम में हम सभी इकाइयों में भाषिक तत्त्वों का विवेचन करेंगे और अभ्यास द्वारा उन्हें अर्जित करेंगे।

भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य है कि हम भाषा के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें, विविध विषयों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकें और साहित्य पढ़कर उसका रसास्वादन कर सकें। इसी उद्देश्य से हमने दूसरे खंड में विविध विषयों से संबंधित लेख प्रस्तुत किये हैं।

पूरे पाठ्यक्रम में हमने निम्नलिखित ढंग से सामग्री प्रस्तुत की है :

साहित्यिक रचनाएँ—	6 इकाइयाँ
ज्ञान-विज्ञान विषयक रचनाएँ (मानविकी, समाज-विज्ञान तथा विज्ञान)	10 इकाइयाँ
भाषा विषयक पाठ —	4 इकाइयाँ
लेखन-दक्षता विषयक पाठ — (पत्र लेखन, अनुवाद, पत्रकारिता संबंधी लेखन, प्रशासनिक लेखन आदि)	4 इकाइयाँ
	कुल 24 इकाइयाँ

आभार

जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि, नयी दिल्ली
(इकाई 3 का पाठ 'मानव की उत्पत्ति और विकास')
प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
(इकाई 6 का पाठ 'भारत की ज़िम्मेदारी हम सब पर है।')

खंड 1 का परिचय

इस खंड में हमारा लक्ष्य पढ़ने और समझने के कौशलों का विकास करना है। इसके लिए हमने चार प्रकार के पाठ्यांश चुने हैं। इकाई तीन में विज्ञान से संबंधित एक पाठ है, जो पत्र की शैली में लिखा गया है। इकाई चार और पाँच में सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर दो पाठ हैं। ये दोनों पाठ निबंध की शैली में हैं। इकाई छह में स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के 1966 में लाल किले से दिये गये भाषण के अंश हैं। यह पाठ भाषण शैली का नमूना है। हम इन पाठों के साथ-साथ इन शैलियों की विशेषताओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। पाठ में जो कठिन या पारिभाषिक शब्द आये हैं, उनके अर्थ भी दिये गये हैं।

भाषा सीखने के लिए भाषा के आधारभूत तत्त्वों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। पहली दोनों इकाइयों में क्रमशः लिपि और ध्वनि का परिचय दिया गया है। इनके साथ अभ्यास दिये गये हैं, ताकि आप पाठों को अच्छी तरह समझ सकें। लिपि और ध्वनि से संबंधित अभ्यास आगे की इकाइयों में भी आएँगे। उच्चारण के पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए अलग से रेडियो-वीडियो पाठ दिये जा रहे हैं।

इन सब इकाइयों में पाठों से संबंधित व्याकरणिक बिंदुओं को भी समझाया गया है। इनके साथ दिये गये अभ्यास भाषा की दक्षता बढ़ाने में उपयोगी होंगे।

इकाइयों के बाद आगे के अध्ययन के लिए कहीं-कहीं कुछ पुस्तकों के नाम दिये जा रहे हैं। आप उनका भी अध्ययन करें।

इकाई 1 हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 भाषा और लिपि

  1.2.1 लिपि से फायदे

  1.2.2 लेखन की विधि

1.3 देवनागरी लिपि

  1.3.1 वर्णों का मानक रूप

  1.3.2 लेखन की कठिनाइए

  1.3.3 वर्तनी

1.4 वर्तनी के कुछ नियम

1.5 सारांश

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.7 अभ्यासों के उत्तर

अनुकार्य

1.0 उद्देश्य

आप हिंदी के आधार पाठ्यक्रम की पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई में हम आपको हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय दे रहे हैं।

इस इकाई को पढ़कर आप :

- भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को बता सकेंगे।
- भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को समझ सकेंगे।
- लिपि का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे।
- देवनागरी लिपि को समझ कर मानक वर्णों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- संयुक्त वर्णों को सही लिख सकेंगे।
- मानक हिंदी वर्तनी के नियमों को अपना सकेंगे और वर्तनी संबंधी दोषों को दूर कर सकेंगे।
- लेखन की कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

हम सब हिंदी भाषा बोलते और लिखते हैं और इन दोनों माध्यमों से एक दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। जो बातें हम मौखिक या उच्चरित रूप से करते हैं, उन्हें हम लेखन द्वारा भी प्रकट करते हैं। यह कैसे संभव होता है? उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बिठाते हैं? लिपि से हम उच्चरित भाषा को कागज पर मूर्त रूप देते हैं। लिपि और उच्चारण भाषा के मूल तत्त्व हैं। इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए आवश्यक है। इकाई 1 में हम लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे और इकाई 2 में उच्चारण संबंधी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

आपने देखा होगा कि लोग एक ही वर्ण को भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखते हैं। कोई ''भ'' लिखता है, कोई ''भ''। लिखें? कौन-सा सही है? वर्णों के लेखन की विविधता को समाप्त करने के लिए, जिससे टंकण, मुद्रण आदि में एकरूपता ला सकें, भारत सरकार ने मानक देवनागरी लिपि का सुझाव दिया है। साथ ही वर्तनी के कुछ नियम बताए हैं। इ का पालन करने पर लिपि में एकरूपता आएगी और सीखना-सिखाना सहज होगा।

HIL-002

शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग वर्तनी की गलतियाँ करते हैं। "परीचय", "लिपी", "समापत", "उचचारण", "हिन्दी", "वर्ण", "मूद्रण" आदि गलत रूप हैं। इन शब्दों के सही रूप ऊपर के अंश में देखिए। आप भी ऐसी गलतियाँ करते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि इन दोषों से बचा कैसे जाए। कुछ नियम हैं जिनसे हम वर्तनी के दोषों को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नियम है कि हम सही उच्चारण को पहचानें, सही उच्चारण करें। इस इकाई में तथा आगे की ईकाइयों में आपको वर्तनी के बारे में और जानकारी दी जाएगी।

कुछ शब्द दो तरह से लिखे जाते हैं और दोनों रूप सही माने जाते हैं। जैसे "गरम", "गर्म"। इन शब्दों के बारे में भी हमें जानना होगा। आइए, अब हम पाठ प्रारंभ करें, जिसमें ऊपर की बातों के संदर्भ में लिपि, मानक देवनागरी लिपि, वर्तनी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

1.2 भाषा और लिपि

आप यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं हूं, फिर भी लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, जैसे सामने बैठे सुन रहे हों। यह कैसे संभव हुआ है? आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं। आपके सामने छपे हुए ये अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों से आप भाषा के उच्चरित रूप को पहचान रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह हम लिपि के माध्यम से भी एक दूसरे से "बातचीत" कर सकते हैं, जैसे बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। यों कह सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है।

1.2.1 लिपि से फायदे

लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, वह लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ लिखना प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखता था। कुछ लोग गीली मिट्टी पर या पत्थरों पर लिखते थे। कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है। लिखना बहुत कठिन काम था। इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ था, संसार में कम भाषाएँ लिखी जाती थीं। मध्य युग में कागज़ का उत्पादन आरंभ हुआ और छपाई का प्रचलन हुआ। तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना-पढ़ना सीखें। जिसे लिखना-पढ़ना नहीं आता उसे हम अशिक्षित कहते हैं। ऐसा क्यों? लिखने-पढ़ने से ही ज्ञान का विस्तार हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएँ लिखी जाती हैं, वे ही प्रगति प्राप्त करती हैं, उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। आप जानना चाहेंगे कि लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है?

1) लिपि का सबसे बड़ा गुण है विचार को समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है। लिखने पर उसे स्थायित्व मिल जाता है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते। आप अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं। इस कारण हम अधिक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का यत्न करते हैं। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है। इसके बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। यह कह सकते हैं कि लिखने से भाषा का विकास होता है। लिखित भाषा से ही चिंतन का विकास होता है।

2) लिपि से भाषा याने भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने ज़माने की कृतियाँ सुरक्षित हैं, उस समय का ज्ञान-विज्ञान सुरक्षित है। ये विचार पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे जाते हैं। इसी कारण मानव विकास करता जाता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी ही हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं।

3) लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। आप बोलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार लोग आपको सुन सकेंगे। लेकिन अख़बार में लिखें तो? शायद लाखों लोग आपको "सुन" सकेंगे। भारत के ही नहीं दुनिया के कोने-कोने में बैठे हुए लोग आपके विचार जान सकेंगे। लेखन से आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके विचार जान सकेंगी।

1.2.2 लेखन की विधि

लेखन क्या है? लिपि क्या है? हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसी क्रम में उन्हें आकारों के माध्यम से दिखाना लिपि है। अर्थात् लिपि में उच्चरित ध्वनियों के लिए चिह्न निश्चित करते हैं। इन चिह्नों को वर्ण कह सकते हैं। जैसे वर्ण "प" एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह "ब" किसी दूसरी ध्वनि का। शब्द "काल" में तीन ध्वनियाँ हैं—क्, आ, ल्। लेखन में भी हम तीन वर्णों से इस क्रम को दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों की व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

ऐसा नहीं कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि-व्यवस्था हो। देवनागरी लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। अरबी भाषा की लिपि में लेखन दायें से बायें चलता है। जापानी भाषा में वर्ण ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते, बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है। इन भिन्नताओं के बावजूद हम कह सकता है कि लिपि रेखाओं और आकारों के माध्यम से उच्चरित भाषा का संकेत करती है।

आपने अभी लिपि की उत्पत्ति और उसके महत्व के बारे में जाना। **अब नीचे दिए गए अभ्यासों का उतर देने की कोशिश कीजिए।**

अभ्यास

1 नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए, कौन से वाक्य सही हैं कौन से गलत?

1 आदमी ने बोलना पहले सीखा, लिखना बाद में। ☐ सही ☐ गलत
2 भोजपत्रों का उपयोग छपाई के लिए होता था। ☐ सही ☐ गलत
3 लिपि से विचारों को स्थायित्व मिलता है। ☐ सही ☐ गलत
4 बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। ☐ सही ☐ गलत
5 विचार को समय से आगे बढ़ाना लिपि का सबसे बड़ा गुण है। ☐ सही ☐ गलत
6 मानव के सांस्कृतिक विकास में लिपि का कोई योगदान नहीं है। ☐ सही ☐ गलत
7 लिपि के माध्यम से संप्रेषण का विस्तार होता है। ☐ सही ☐ गलत
8 अरबी लिपि बायीं से दायीं ओर लिखी जाती है। ☐ सही ☐ गलत

2 नीचे लिखे वाक्यों के साथ कोष्ठक में दिये गये उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है। जो सही उत्तर हो उसे रिक्त स्थान पे लिखिए।

1 भाषा में उच्चरित ध्वनियों के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग करते हैं उन्हें .... कहते हैं। (शब्द/वर्ण/वर्तनी)
2 हिंदी की लिपि .... कहलाती है। (हिंदी/देवनागरी)
3 जापानी भाषा में वर्ण .... लिखे जाते हैं। (ऊपर से नीचे की ओर/दायें से बायें/बायें से दायें)
4 मानक लिपि से भाषा में .... आती है। (एकता/एकरूपता)
5 किसी भी भाषा की वर्णमाला उस भाषा .... के प्रतीक होते हैं। (के शब्दों/की ध्वनियों)

1.3 देवनागरी लिपि

1.3.1 वर्णों का मानक रूप

आप हिंदी के कुछ छपे हुए शब्दों को देखिए :

आना धोना भागना खाना छूना
आना धोना भागना रवाना छूना

आपने देखा कि कई वर्ण दो प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। इस कारण कुछ वर्णों के लेखन में विविधता का होना स्वाभाविक है। लेकिन इससे मुद्रण में कठिनाई होती है। लोगों को सीखने-सिखाने में भी कठिनाई होती है। टंकण-यंत्र (टाइप मशीन) का निर्माण असंभव हो जाता है। टंकण-यंत्र की सीमित कुंजियों में आप सारे दुहरे वर्णों को दिखा नहीं सकते। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य यह था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन-कौन से वर्ण मानक होंगे और कौन-कौन से अमानक। इस कार्य के पीछे यह उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों का ही प्रयोग करें, जिससे भाषा में एकरूपता आये। निदेशालय ने 1966 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। आगे हम इस मानक लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे।

निदेशालय के निर्धारित मानक वर्ण :

अ ऋ ख छ झ ण ध भ ल श क्ष

मानक वर्णों के साथ प्रयुक्त अन्य अमानक वर्ण

अ ऋ रव छ झ रा ध भ ल श क्ष

यहाँ हम मानक देवनागरी वर्णमाला दे रहे हैं।

मानक देवनागरी वर्णमाला

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ : ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अनुस्वार : ं (अं)

विसर्ग : : (अः)

व्यंजन	क	ख	ग	घ	ङ
	च	छ	ज	झ	ञ
	ट	ठ	ड	ढ	ण
	त	थ	द	ध	न
	प	फ	ब	भ	म
	य	र	ल	व	
	श	ष	स	ह	

संयुक्त व्यंजन : क्ष त्र ज्ञ श्र

1.3.2 लेखन की कठिनाइयाँ

अब हम लेखन की कुछ कठिनाइयों की बात करेंगे। आप निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए।

पद्म, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, उद्गार।

क्या आपने सारे शब्द पढ़ लिये? न पढ़ सके हों, तो चिंता नहीं। क्योंकि ये वर्ण छपाई में कम होते जा रहे हैं। पहले क· पुस्तकों में ऐसे शब्द ज़्यादा छपते थे। लेकिन आधुनिक छपाई की मशीनों में इनके छपने की गुंजाइश कम है।

"द्म" दो वर्णों का योग है। द् + म। इन दोनों के मिलने से एक तीसरा ही रूप बन जाता है। इसी सिलसिले में हम एक और प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। यह है सरलीकरण। आगे के शब्दों को देखिए :

पद्‌मा, उद्‌यान, द्‌वारा, उद्‌देश्य, उद्‌धार, उद्‌गार। हमने यहाँ हलंत (्) चिह्न का प्रयोग किया, जिससे छह तरह के संयुक्त वर्णों के लेखन से बच गये। 'द्म' (या द्‌म) संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। निदेशालय ने संयुक्त वर्ण बनाने के संबंध में भी अपने कुछ सुझाव दिये हैं। इससे लेखन-विधि, मुद्रण आदि सरल हो जाते हैं।

संयुक्त वर्ण बनाने की विधि : सबसे पहले हम यह कहेंगे कि पुराने वर्णों अर्थात् अमानक वर्णों से संयुक्त वर्ण नहीं बनेंगे। इसलिए मुख्य, पुण्य, सभ्य, विश्व, मल्ल आदि शब्दों का रूप अमानक होगा।

नये (मानक) वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनाने के संदर्भ में तीन बातें हैं :

क) र, ऋ के रूप पूर्ववत् होंगे। अर्थात् इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे—क्रम, श्रम, तर्क, ड्रामा, बर्र, रुपया, रूप, हृदय, शृंगार। एक अपवाद है "द्" जो पूर्व रूप "द्र" के स्थान पर आता है।

ख) आप निम्नलिखित वर्णों को देखिए और उसमें समान तत्त्व पहचानिए।

क्ष स श ब ल य

पहचान लिया? सबके अंत में एक खड़ी पाई है। उसे निकाल दीजिए और उसके स्थान पर दूसरा वर्ण रख दीजिए। संयुक्त वर्ण बन गया। उदाहरण देखिए—मुख्य, ग्यारह, विघ्न, प्राच्य, राज्य, पुण्य, पत्ता, तथ्य, ध्यान, न्याय, प्यार, ब्याह, अभ्यास, म्यान, मल्ल, द्रव्य, श्याम, शिष्य, स्याही, लक्ष्य।

ग) **अब वर्ण क और फ से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए इनकी आखिरी रेखा थोड़ी काट दें, तो संयुक्त वर्ण बन जाएँगे। जैसे क्, फ् — मुक्त, हफ्ता।**

घ) **अब कुछ वर्ण और बचे हैं।**

छ ट ठ ड ढ द ह

आप सुझा सकते हैं कि इनका रूप कैसे बनेगा? ऊपर हमने "पद्म" के लिए विकल्प दिया था। वह फिर से देखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि हलंत चिह्न लगाकर आप इनके संयुक्त वर्ण बना सकते हैं। जैसे, उच्छ्वास, नाट्यशास्त्र, पाठ्यक्रम, धनाढ्य, पद्म, चिह्न।

1.3.3 वर्तनी

अब हम सरलीकरण की ही प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तनी की चर्चा करेंगे।
निम्नलिखित शब्द के चार वर्तनी के रूप हैं—संबंध, सम्बन्ध, संबन्ध, सम्बंध।

आपको मुद्रण में ये चारों ही रूप मिलेंगे। इससे सीखने वालों को कठिनाई भी होती है। यहाँ एकरूपता लाने की आवश्यकता है।

निदेशालय ने सलाह दी है कि पंचम वर्ण को उस वर्ग के पहले चार वर्णों से पहले अनुस्वार से दिखाया जाए। जैसे न को त, थ, द, ध से पहले यों लिखा जाए :

मानक रूप	अंत	पंथ	बंद	अंधा
पूर्व रूप	अन्त	पन्थ	बन्द	अन्धा

इस तरह के अन्य कुछ उदाहरण भी देखे जा सकते हैं जो अन्य नासिक्य व्यंजनों के साथ आते हैं :

संबंध	हिंदी	शंकर	चंचल	गंगा	मंत्री
झंडा	झंझा	संभव	पंछी	संघ	कंठी

इस पद्धति से भाषा में एकरूपता आएगी, लिखने में सरलता आएगी।

लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि नासिक्य व्यंजनों के बाद उस वर्ग के पहले चार वर्णों के अलावा और कोई वर्ण आएगा तो नासिक्य व्यंजन का आधा रूप लिखा जाएगा, अनुस्वार नहीं। इस नियम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के सही रूप और गलत रूपों को देखिए :

सही रूप		गलत रूप
पुण्य	ण + य	पुंय
गन्ना	न + न	गंना
साम्य	म + य	सांय
निम्न	म + न	निंन
सम्राट	म + र	संराट

अभ्यास

3 नीचे देवनागरी के कुछ वर्ण दिये गये हैं, इनके मानक रूप लिखिए।

1) अ
2) छ
3) श
4) भ
5) झ
6) ण
7) क्ष
8) ध

4 नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं इनमें वर्ण अमानक या पुराने ढंग से लिखे गये हैं। मानक वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्दों को दुबारा लिखिए।

1) दृश्य
2) शाश्वत
3) झण्डा
4) दिव्य
5) चिह्न
6) शक्ति
7) भक्त
8) गड्ढा
9) निबन्ध
10) लक्ष्य

5 आगे के शब्दों को सही वर्तनी में लिखिए।

1 पण्डित
2 संमार्ग
3 कन्चन
4 सम्बंध
5 संमान
6 अंनदाता

1.4 वर्तनी के कुछ नियम

शब्द का लिखित रूप उसकी "वर्तनी" कहलाता है। इसी को हम "हिज्जे" भी कहते हैं। जैसे "किताब" सही वर्तनी है, 'कीताब" गलत वर्तनी। हमें शब्दों को सही वर्तनी में लिखना चाहिए, तभी वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। जैसे "मैं फल खा रहा हूँ" में "पल" लिखेंगे, तो वाक्य निरर्थक होगा। यहाँ हम वर्तनी की कुछ विशेष बातें देखेंगे, आगे की इकाइयों में वर्तनी के और अभ्यास करेंगे।

आपने देखा कि मानक वर्णमाला में हमने चंद्रबिंदु (ँ) को नहीं दिखाया। निम्नलिखित दोनों शब्दों में वर्तनी में अंतर है, उच्चारण में अंतर है और अर्थ में अंतर है :

हंस — एक पक्षी, हँसना — एक क्रिया व्यापार

हमें दोनों के प्रयोगों को समझना होगा।

चंद्रबिंदु (अनुनासिकता) : इसे हम चिह्न (ँ) से दिखाते हैं। जैसे

हँसना, आँख, पूँछ, दाँत, ऊँट, पाँ, दायाँ, बायाँ, लड़कियाँ। लेकिन जब अनुनासिकता को हम ऊपर मात्रा वाले वर्णों के साथ लिखेंगे, तो उसे अनुस्वार (ं) से लिखते हैं जैसे

गेंद, ईंट, औंधा, गोंद, पैंसठ, कहीं, दोनों

ऐसे स्थलों पर हमें वर्तनी और उच्चारण दोनों बातों को साथ लेकर चलना होगा। अगली इकाई में हम उच्चारण के बारे में और विचार करेंगे।

वर्णमाला में हमने "ड़" और "ढ़" को भी नहीं दिखाया है, जबकि किसी मुद्रित पुस्तक में आप देखेंगे कि हर जगह इनसे बनने वाले शब्दों को इसी रूप में दिखाया जाता है। इसे हम वर्तनी के स्तर पर कैसे दिखाएँ?

आगे के विवरण देखिए :

ड — शब्द के आरंभ में — डालना, डोली, डूबना
व्यंजन गुच्छ में — खड्ग, कार्ड, गुड्डी
अनुस्वार के बाद — पंडित, कांड
उपसर्ग के बाद — नि + डर = निडर, बे + डौल = बेडौल

ड़ — और सभी जगहों में, जैसे
लड़का, पेड़, बड़बड़, लड़की, साँड़, जड़ता

इस नियम की जानकारी होने पर वर्तनी के दोष दूर किये जा सकते हैं। इसी नियम से ढ और ढ़ के लेखन को भी पहचान सकते हैं।

आप यह सवाल कर सकते हैं कि वर्तनी के सभी दोषों को दूर करने का क्या उपाय है? जैसे ह्रस्व-दीर्घ स्वरों के दोषों को कैसे दूर करें। हम अगली इकाई में विस्तार से देखेंगे कि वर्तनी के बहुत-से दोषों का कारण उच्चारण है। उच्चारण सही हो, तो वर्तनी भी ठीक होगी। यह हिंदी भाषा की विशेषता है कि अधिकतर हम वही लिखते हैं, जो हम बोलते हैं। इसलिए ह्रस्व-दीर्घ स्वरों का उच्चारण सही करें, तो वर्तनी सही लिख सकते हैं। दिन-दीन में उच्चारण का अंतर है, जाति-जाती में उच्चारण का अंतर है। इन शब्दों के लिए कोई नियम देना संभव नहीं है। हाँ, शब्द-रचना में कुछ नियम ढूँढ़ सकते हैं। जैसे,

लड़की — लड़कियाँ
आदमी — आदमियों
लेकिन ऐसे नियम कम ही हैं। उच्चारण से ही वर्तनी सुधर सकती है।

यहाँ हम लिपि के आधार पर कुछ वर्णों की वर्तनी की चर्चा करेंगे। भाषा में शब्द कई स्रोतों से आते हैं, वे अपने उच्चारण के साथ आते हैं। अगर आप शब्द के स्रोत को पहचान सकें, तो वर्तनी को निश्चित कर सकेंगे। जैसे हिंदी में संस्कृत से आये शब्द हैं—कार्य, रक्षा, अध्ययन, वास्तविक, उद्योग आदि। अरबी-फ़ारसी स्रोत से आये (उर्दू के) शब्द हैं—मालूम, फ़ायदा, नक़ल, उम्र, मदरसा आदि। अंग्रेजी से आये शब्द हैं—साइकिल, रेल, डॉक्टर, टेलीफ़ोन आदि। शब्दों के स्रोत के बारे में हम आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे। यहाँ इन शब्दों की वर्तनी को कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

1) केवल संस्कृत शब्दों में ऋ, ष, क्ष, ज्ञ, ण, विसर्ग (:) आदि वर्ण मिलते हैं। इसलिए उर्दू या अंग्रेज़ी शब्दों में क्ष नहीं आएगा, बल्कि "क्श" आएगा। जैसे रिक्शा, डिक्शनरी, नक्शा आदि। संस्कृत शब्दों में (जैसे रक्षा, शिक्षित आदि में) "क्श" नहीं आ सकता।

2) केवल संस्कृत शब्दों में शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर इ, उ आते हैं। जैसे, जाति, गति, तिथि, अस्थि, वायु, आयु आदि। किसी उर्दू या अंग्रेजी शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर इ, उ नहीं आते।

3) क़, ख़, ज़, फ़, ग़ अरबी-फारसी शब्दों में आते हैं। इसलिए बाक़ी, राज़ी, बाग़ी, गुफ़्तगू आदि दीर्घ अंतिम स्वर से ही लिखे जाएँगे। अंग्रेजी से आये शब्दों में ऑ, ज़, फ़, को देख सकते हैं, जैसे—डॉक्टर, ज़ू, फ़ोन आदि।

4) संस्कृत के कुछ शब्दों में अंतिम स्थान पर "म" के उच्चारण के लिए अनुस्वार लिखा जा सकता है। जैसे, एवं, स्वयं, अहं, परं। अन्य शब्दों में हम "म" के लिए अनुस्वार नहीं लिख सकते। जैसे 'मालूम' को 'मालूं' नहीं लिख सकते।

5) कुछ शब्दों के सही और गलत हिज्जे को देखिए।

   सही — उद्धार, प्रत्येक, निर्जन, अस्वस्थ, सम्राट, नागरिक, जागरण, नरक
   गलत — उदधार, प्रतयेक, निरजन, असवस्थ, समराट, नागिरक, जागण, नर्क

ये शब्द संस्कृत के हैं। आम तौर पर संस्कृत शब्दों में शब्दों के दो रूप नहीं मिलते। इनमें सही रूप को हम कुछ नियमों से स्पष्ट कर सकते हैं। इन नियमों को आगे की इकाइयों में अभ्यासों द्वारा सीखेंगे।

इसके विपरीत उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में कई जगह वर्तनी के दो रूप मिलते हैं और दोनों सही माने जा सकते हैं। जैसे, शर्म/शरम, बिलकुल/बिल्कुल, बरतन/बर्तन, उमर/उम्र, खयाल/ख़्याल, इनकार/इन्कार, सरकस/सर्कस, कालेज/कालिज, पाउडर/पावडर आदि। यहाँ हमारे पास उच्चारण या शब्द रचना का कोई आधार नहीं है। इसलिए हमें दोनों ही शब्दों को सही मानना होगा।

यहाँ तक हमने अन्य स्रोतों से आये शब्दों की चर्चा की। हिंदी के अपने शब्दों में भी शब्द-निर्माण के आधार पर कुछ नियम बनाये जा सकते हैं। जैसे उलट (ना) से ''उलटा'' बना, यहाँ ''उल्टा'' लिखना गलत है। इसी तरह भर (ना) से ''भरती'', इसलिए ''भर्ती'' उचित नहीं है। हिंदी में ''चिठ्ठी'' ''पथ्थर'' जैसे शब्द गलत हैं, क्योंकि हिंदी में ठ्ठ, थ्थ जैसे संयुक्त वर्ण नहीं आते। ऐसे कुछ नियमों के अध्ययन से हम सही भाषा लिखने की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। लेकिन जहाँ नियम नहीं बन सकते, हमें अपने उच्चारण की शुद्धता पर बल देना होगा।

अभ्यास

6 निम्नलिखित शब्दों को सही वर्तनी में लिखिए।

1) पेड	6) रिक्षा
2) भट्ठी	7) सुरक्शा
3) मछ्छर	8) उददेश्य
4) ढ़िठाई	9) निरमल
5) लडाई	10) बुध्ध

7 नीचे शब्दों के दो-दो रूप दिये जा रहे हैं। इनमें से कुछ के दोनों रूप सही हैं और कुछ में एक सही है। सही शब्द/शब्दों पर (√) चिह्न लगाइए।

1) तीवर/तीव्र	5) अक्ल/अकल
2) इन्सान/इनसान	6) शिक्षण/शिक्शण
3) पथ्थर/पत्थर	7) घड़ीयाँ/घड़ियाँ
4) मुर्गियाँ/मुर्गीयाँ	8) गरम/गर्म

1.5 सारांश

- हमने इस इकाई में पढ़ा कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं में लिपि भाषा के उच्चरित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हम ध्वनियों को अलग-अलग चिह्नों से दिखाते हैं। ये चिह्न वर्ण कहलाते हैं। हमने हिंदी की वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया।
- हिंदी लिपि में कई वर्ण अलग-अलग ढंग से लिखे जाते हैं। भारत सरकार की संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि को मानक रूप प्रदान किया। मानक रूप से सीखने-सिखाने में आसानी होगी, टंकण-मुद्रण का कार्य सरल होगा और भाषा में एकरूपता आएगी। अब आप हिंदी लिखते हुए मानक वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं।
- भाषा के शब्दों को हम वर्णों के क्रम में लिखते है, तो वह वर्तनी कहलाती है। जिस भाषा में उच्चारण तथा वर्तनी में तालमेल हो तो उसे वैज्ञानिक भाषा और उसकी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। हिंदी को इस दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, क्योंकि अधिकतर हम उच्चारण और वर्तनी में तालमेल देखते हैं। इसलिए सही वर्तनी लिखने के लिए सही उच्चारण करना आवश्यक है। वर्तनी-दोषों को पहचानने और दूर करने के लिए कुछ शब्दों के संदर्भ में वर्तनी के नियम भी देखे जा सकते हैं। इस इकाई में ऐसे कुछ नियमों की चर्चा की गयी है।

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में ''देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण'' पुस्तिका प्रकाशित की थी। उक्त पुस्तिका में वर्तनी तथा विराम चिह्नों के मानक लेखन के बारे में कुछ नियम दिये गये हैं जिन्हें आगे दे रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए।

वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

1) **संयुक्त वर्ण**

ख) **खड़ी पाई वाले व्यंजन :**

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न	व्यास
कच्चा, छज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति

प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य — यक्ष्मा

शय्या — त्र्यंबक

उल्लेख

ख) **अन्य व्यंजन**

अ) **'क' और 'फ़' के संयुक्ताक्षर :**

संयुक्त, पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का, दफ्तर की तरह।

आ) **ङ, छ, ट, ठ, ड, द** और **ह** के संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ, यथा :
वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

(वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं)।

इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

ई) **'श्र'** का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे **'श्र'** के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए **त्र** और **त्र** दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी। किंतु **'क्र'** को **'क्र'** के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा : **कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित** आदि

(कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)

ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, उदाहरणार्थ :
संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, **विद्वान, वृद्ध,** अङ्क, **द्वितीय, बुद्धि** आदि।

2) विभक्ति-चिह्न

क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—**राम ने, राम को, राम से** आदि तथा **स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से** आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ जैसे—**उसने, उसको, उससे, उसपर** आदि।

ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे—**उसके लिए, इसमें से।**

ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच **'ही', 'तक'** आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे—**आप ही के लिए, मुझ तक को।**

3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे—**पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता है, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं** आदि।

4) हाइफ़न

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे—
राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

ख) **सा, जैसा** आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे—
तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे—**भू-तत्त्व।** सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे—**रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या** आदि।

इसी तरह यदि 'अ-नख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्त्व (पृथ्वी-तत्त्व) : भूतत्त्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।

ध) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे **द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक** आदि।

5) अव्यय

'**तक**', '**साथ**' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—**आपके साथ, यहाँ तक**।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में **आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और** आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं, जैसे—**अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से** आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए, जैसे—**आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर** कर दे, मुझे जाने **तो** दो, काम **भी** नहीं बना, पचास रुपए **मात्र** आदि। सम्मानार्थक '**श्री**' और '**जी**' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—**श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी** आदि।

समस्त पदों में **प्रति, मात्र, यथा** आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे—**प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित** आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है।

6) श्रुतिमूलक 'य', 'व'

क) जहाँ श्रुतिमूलक **य, व** का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् **किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा** आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे—**दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली** आदि।

ख) जहाँ '**य**' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे—**स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व** आदि। यहाँ **स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व** नहीं लिखा जाएगा।

7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता-चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे—**गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक** आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (**गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक** का नहीं)। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे—**वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख** आदि। अतः **वांमय, अंय, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख**, आदि रूप ग्राह्य नहीं है।

ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे—**हंस : हँस, अंगना : अँगना** आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, जैसे—**नहीं, में मैं**। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे—**कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, मैँ , मेँ नहीँ** आदि।

8) विदेशी ध्वनियाँ

क) अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे—**कलम, किला, दाग** आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जैसे—खाना : ख़ाना, राज : राज़, हाइफन : हाइफ़न। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी-फ़ारसी एवं अंग्रेज़ी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ (क़, ग़, ख़, ज़ और फ़) हिंदी में आई हैं जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोने/बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।

ख) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत '**ओ**' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर '**आ**' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॉ)। जहाँ तक अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा

ख) तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत-चिह्न लगाने पड़ें। अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े-बहुत परिवर्तन किये जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए।

ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण हैं—**गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान, बीमारी/बिमारी** आदि।

9) हल् चिह्न

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे—'**महान**', '**विद्वान**' आदि के '**न**' में।

10) स्वन-परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न '**ऊऋण**' को '**उरिण**' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार **प्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार** आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः **गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार** ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है, जैसे—अर्द्ध/अर्ध, उज्ज्वल/उज्वल, तत्त्व/तत्व आदि।

11) विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे—'**दुःखानुभूति**' में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे—'**दुख-सुख के साथी**'।

12) 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिंदी में ऐ (ै), **औ** (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ '**है**', '**और**' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की '**गवैया**', '**कौवा**' आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। '**गवय्या**', '**कव्वा**' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

13) पूर्वकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय '**कर**' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे— मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।

14) अन्य नियम

क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

ख) फ़ुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं, यथा—(- —, ; ? ! : =)
(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

1.7 अभ्यासों के उत्तर

अभ्यास

1

1) सही	2) गलत	3) सही	4) गलत
5) सही	6) गलत	7) सही	8) गलत

2

1) वर्ण	2) देवनागरी	3) ऊपर से नीचे की ओर
4) एकरूपता	5) की ध्वनियों	

3

1) ऐ	2) ढ	3) श	4) ः
5) झ	6) ण	7) अ	8) घ

4

1) दृश्य	2) शाश्वत	3) झंडा	4) दिव्य
5) चिह्न	6) शक्ति	7) भक्त	8) गल्ला
9) निबंध	10) लक्ष्य		

5

1 पंडित	2) सन्मार्ग	3) कंचन	4) संबंध
5) सम्मान	6) अन्नदाता		

6

1) पेड़	2) भट्टी	3) मच्छर	4) ढिठाई
5) लड़ाई	6) रिक्शा	7) सुरक्षा	8) उद्देश्य
9) निर्मल	10) बुद्ध		

7

1) तीव्र	2) दोनों सही हैं	3) पत्थर	4) मुर्गियाँ
5) दोनों सही हैं	6) शिक्षण	7) घड़ियाँ	8) दोनों सही हैं

अनुकार्य

1) क्या आप बता सकते है कि करता/कर्ता, बसता/बस्ता जैसे युग्मों में दोनों शब्द क्यों सही हैं? इसका उत्तर आप इन शब्दों की रचना में ढूंढ सकते हैं।

2) नीचे दिये गये शब्दों में पुराने वर्णों का प्रयोग किया गया है। मानक वर्णों का प्रयोग करते हुए उन्हें फिर से लिखिए।

पुराने वर्ण	मानक वर्ण	पुराने वर्ण	मानक वर्ण
पक्का		धान	
भक्त		ध्यान	
पद्य		भाषा	
विद्या		सभ्य	
विद्वान		छाला	
उद्देश्य		अच्छा	
दृष्टि		उच्चारण	
उद्धार		लज्जा	
विह्वल		झंडा	
चिह्न		झरना	
ब्रह्मा		झाल	
असह्य		विश्वास	
नाट्य		प्रश्न	
ड्योढ़ी		श्याम	
पट्टा		निश्चय	
इकट्ठा		निःशब्द	
अड्डा		क्षत्रिय	
गड्ढा/गड्ढा		लक्ष्य	
बिल्व		अङ्क	
गौण		गङ्गा	
पुण्य		चञ्चल	
राष्ट्र		सञ्चय	
कुष्ठ		पण्डित	
पत्ता		घण्टा	
खान		अत्र	
मुख्य			

इकाई 2 हिंदी की ध्वनियाँ

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 ध्वनियाँ और शब्द

2.3 ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएँ

2.4 लहजा या अनुतान

2.5 ध्वनि और लेखन के विविध संबंध

2.6 उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएँ

2.7 उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर

2.8 ध्वनि और लिपि में असामंजस्य

2.9 सारांश

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.11 अभ्यासों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी की ध्वनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और ध्वनियों में अंतर पहचान सकेंगे।
- ध्वनियों से शब्द बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता सकेंगे।
- हिंदी में अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को पहचान सकेंगे और इनके कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकेंगे।
- हिंदी में किसी बात को कहने के ढंग, जिसे लहजा या अनुतान कहते हैं, के आधार पर उसका अर्थ निश्चित कर सकेंगे।
- ध्वनि और लेखन के बीच के संबंध को बता सकेंगे।
- वर्ण के उच्चारण की भिन्नता के कारण उसे लिखने में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण कर सकेंगे।
- उच्चारण-भेद के कारण लिपि में हुए अंतर को पहचान सकेंगे।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस इकाई के अध्ययन के बाद आप हिंदी भाषा का सही उच्चारण कर सकेंगे और सही लेखन के बारे में जान सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने हिंदी की लिपि का परिचय प्राप्त किया और हिंदी के वर्णों के बारे में और वर्णों से शब्द लिखने की व्यवस्था अर्थात् वर्तनी के बारे में चर्चा की। इस इकाई में हम हिंदी की ध्वनियों के बारे में चर्चा करेंगे।

ध्वनियाँ बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्व हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तो वास्तव में क्रमशः विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और ध्वनियों से निर्मित शब्द बोलने वाले के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम ठीक ढंग से ध्वनियों का उच्चारण न करें तो संभवतः बोलने वाला अपना आशय प्रकट नहीं कर पाएगा, सुनने वाला उसका तात्पर्य नहीं समझ पाएगा और इस तरह दोनों के बीच विचारों के आदान-प्रदान में व्यवधान पैदा हो जाएगा। हमने यह भी देखा है कि लिपियाँ वास्तव में उच्चरित ध्वनियों के प्रतिरूप होती हैं। इस कारण यदि सही उच्चारण न किया गया, तो सही लेखन भी नहीं होगा। इस तरह स्पष्ट बोलने और लिखने के लिए सही ध्वनियों के उच्चारण पर बल देना अति आवश्यक है।

हम सामान्यतः भाषा में लगभग 50 ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। कुछ भाषाओं में सिर्फ़ 30 ध्वनियाँ होती हैं और कुछ भाषाओं में 65 ध्वनियाँ तक होती हैं। लेकिन अधिकतर भाषाओं के शब्द करीब 50 ध्वनियों से निर्मित होते हैं। हिंदी में भी लगभग 50 ध्वनियाँ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन 50 ध्वनियों से लाखों शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं? और सभी शब्दों के बीच अर्थ में अंतर कैसे होता है? कुछ उच्चरित ध्वनियों से शब्द निर्माण करने और शब्दों में अंतर करने की व्यवस्था मानव की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। इस इकाई में हम ध्वनियों से शब्द-निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे।

ध्वनि के उच्चारण के अलावा भाषा में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है—लहजा या वाक्य बोलने का तरीका। इसी को वैज्ञानिक भाषा में अनुतान कहते हैं। एक शब्द लीजिए ''अच्छा''। इस एक शब्द से हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, कभी दूसरे व्यक्ति के कथन के साथ सहमति प्रकट करते हैं या बोलने वाले के कथन के संदर्भ में व्यंग्य करते हैं। एक शब्द के उच्चारण से यह सब कैसे संभव होता है, कभी आपने सोचा है? यह अनुतान या लहजे के कारण संभव होत है। हम एक शब्द या एक वाक्य के उच्चारण में स्वर के उतार-चढ़ाव के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। इस इकाई में हम अनुतान के बारे में भी चर्चा करेंगे।

हमने पिछली ईकाई में देखा था कि हिन्दी की लिपि वैज्ञानिक है क्योंकि हिन्दी में प्रायः जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। लेकिन इस संदर्भ में भी कुछ अपवाद हैं। हिन्दी में कहीं एक वर्ण दो ध्वनियों का संकेत करता है जैसे ''क्ष'' में क तथा ष है, या कहीं दो वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे श और ष का उच्चारण एक ही है। उच्चारण और लेखन में असामंजस्य के इन स्थलों के कारण ही वर्तनी के दोष पैदा होते हैं। हम इस इकाई में ऐसे स्थलों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे, जिससे हिन्दी का प्रयोग करने वाला उच्चारण और लेखन दोनों के बारे में सजग रह सके और सही भाषा का इस्तेमाल कर सके।

2.2 ध्वनियाँ और शब्द

आप जानते हैं कि हिन्दी की वर्णमाला में कुल 47 वर्ण हैं, इस कारण हम कह सकते हैं कि हिन्दी में लगभग 47 ध्वनियाँ हैं। कहा जाता है कि हिन्दी में 3-4 लाख शब्द हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मात्र 40-50 ध्वनियों से 3 या 4 लाख शब्द कैसे बना पाते हैं। इसे जानने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम यह देखें कि ध्वनियों से शब्द का निर्माण कैसे होता है। भाषा के शब्द ध्वनियों से निर्मित होते हैं। एक शब्द में एक ध्वनि हो सकती है, जैसे—आ, ए (संबोधन के लिए जैसे ए लड़के)। या एक शब्द में कई ध्वनियाँ हो सकती हैं। दो शब्दों में हम अन्तर कैसे करते हैं? जैसे हम ''बोलना'' शब्द का प्रयोग करते है तो दूसरा व्यक्ति उसे ''खोलना'' या ''डोलना'' क्यों नहीं समझता? कारण तो स्पष्ट है ही। आप जानते हैं कि ब, ख, ड ये तीन अलग ध्वनियाँ हैं और हम इन तीनों के उच्चारण में अंतर पहचान सकते हैं और इसी कारण हम इन तीनों शब्दों को अलग-अलग पहचानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों के निर्माण में हम इन्हीं ध्वनियों के अंतर का उपयोग करते हैं। किसी शब्द में कम से कम एक ध्वनि को बदलकर उस के स्थान पर दूसरी ध्वनि रखते हैं, तो अर्थ में अंतर आ जाता है और भिन्न शब्द बन जाता है। आगे के शब्दों के जोड़ों को देखिए, हर जोड़े के दो शब्दों में एक ध्वनि बदलती है और उस कारण भिन्न शब्द दिखाई पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों शब्दों में अर्थ-भेद पैदा करने वाली ध्वनि कौन-सी है?

कमल	जाग	लदान
कमर	झाग	लगान
कूल	खोलना	जाति
कुल	खौलना	जाती

आपने खुद अनुभव किया होगा कि इन शब्द-युग्मों में (दो-दो शब्दों में) एक ध्वनि के बदलने के कारण शब्द का रूप बदल जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला खंड है और इन खंडों का निर्माण एक या अधिक ध्वनियों से होता है। इस कारण हर दो शब्दों के बीच में कम से कम एक ध्वनि में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम दोनों शब्दों को अलग कर सकेंगे। ध्वनियों की शब्द-रचना में इस विशेषता को अर्थभेदकता कहते हैं, यानी अर्थ में परिवर्तन करने का गुण। यहाँ हम ऐसे शब्दों की चर्चा नहीं करेंगे जिनके दो या तीन अर्थ होते हैं, जैसे—मगर एक प्राणी है, और ''मगर'' का दूसरा अर्थ है ''लेकिन''। ऐसे शब्दों को बहुअर्थी या कई अर्थों वाला शब्द कहते हैं। यहाँ ''मगर'' के दोनों उच्चारणों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि एक ही शब्द दो अलग अर्थ देता है। हम ऐसे शब्दों की चर्चा और उनके उपयोग का अ[illegible]ास बाद में करेंगे।

2.3 ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताए

हमने ऊपर देखा कि ध्वनियाँ शब्द में अर्थ-भेद पैदा करती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम दो ध्वनियों में उच्चारण के स्तर पर भी अंतर करें और सुनने वाला दो ध्वनियों के उच्चारण में अंतर को पहचाने। अगर ''क'' और ''ख'' दोनों का उच्चारण एक जैसा हो और सुनने वाला उन्हें एक ही तरह से सुनता हो, तो हम ''काना'' और ''खाना'', ''कोना'' और ''खोना'', ''सका'' और ''सखा'' आदि शब्दों में अंतर नहीं कर पाएँगे। फिर यह सवाल उठता है कि हम ''क'' और ''ख'' में उच्चारण में क्या अंतर करते हैं, हम उच्चारण के इस अंतर को कैसे पहचानते हैं, इस चर्चा से हम हिंदी की वर्णमाला पर फिर से प्रकाश डालना चाहेंगे। आगे हिंदी की वर्णमाला को हमने उच्चारण की विशेषताओं के हिसाब से प्रस्तुत किया है, उसका अध्ययन कीजिए।

हिंदी की ध्वनियों का उच्चारण

स्वर	जिह्वा के अगले भाग से ←			→ जिह्वा के पिछले भाग से	
मुँह कम खुला ↑	इ	ई		उ	ऊ
		ए		ओ	
↓		ऐ	अ	औ	
मुँह अधिक खुला				(ऑ)	
				आ	

यहाँ हमने ऋ को नहीं दिखाया है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। यह ''रि'' के समान उच्चरित होता है।

व्यंजन

	अघोष अल्पप्राण	अघोष महाप्राण	घोष अल्पप्राण	घोष महाप्राण	नासिक्य
स्पर्श					
कंठ्य	क	ख	ग	घ	ङ
तालव्य	च	छ	ज	झ	ञ
मूर्धन्य	ट	ठ	ड	ढ	ण
दंत्य	त	थ	द	ध	न
ओष्ठ्य	प	फ	ब	भ	म

व्याकरण के अनुसार अंतस्थ	य	र	ल	व

प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण —

अर्ध स्वर	य, व	
लुंठित	र	
पार्श्विक	ल	
उत्क्षिप्त	ड़ (अल्पप्राण)	ढ़ (महाप्राण)

व्याकरणिक शब्द-ऊष्म

प्रयत्न के आधार पर-संघर्षी	श	ष	स	ह
अन्य संघर्षी	ख़	ग़	ज़	फ़

नोट : हम जब ''क'' की बात करते हैं, तो वह वर्ण भी है और ध्वनि भी। दोनों में अंतर करने के लिए आगे से हम ध्वनियों को / / के द्वारा दिखाएँगे। वर्ण या वर्तनी को '' '' से। जैसे :

ध्वनि—/क/ /च/ उच्चरित शब्द /जाना/

वर्ण—''क'' ''च'' वर्तनी ''कमल'' ''जाना''

इस वर्णमाला में हमने अरबी-फ़ारसी और अंग्रेज़ी से आये हुए कुछ उच्चारणों को भी दिखाया है। इन वर्णों को हमने ऊपर कोष्ठक में दिखाया है।

आपने देखा कि कवर्ग में 4 वर्ण है क, ख, ग, घ। इन चारों में अंतर का आधार क्या है? हमने लिखा है कि /क/ अघोष है, अल्पप्राण है। /ग/ घोष, अल्पप्राण है। अर्थात् इन दोनों में प्राणत्व नहीं है। प्राणत्व की हम आगे चर्चा करेंगे। इन दोनो में अंतर का कारण है घोषत्व। घोषत्व क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? इन दोनों का उच्चारण करते समय गले में हाथ रखिए, /क/ बोलते समय गले में में किसी प्रकार की हरकत नहीं होगी, /ग/ बोलते समय आप अनुभव करेंगे कि गले में कुछ कंपन हो रहा है। यही कंपन घोषत्व है और हम घोषत्व के आधार पर /क/ और /ग/ और इसी तरह /प/ /ब/, /त/

/द/ आदि में अंतर करते हैं। हम इस अंतर को सुनते समय पहचान पाते हैं। इसी कारण हम /काना/, /गाना/, /ताना/, /दाना/ आदि शब्दों के अर्थ में अंतर करते हैं। अब प्राणत्व की चर्चा करेंगे। आपने देखा कि /ख/ और /घ/ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ये दोनों क्रमशः अघोष और घोष ध्वनियाँ हैं, जिस गुण की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। प्राणत्व क्या है? अगर आप प्राणत्व को अपनी आँखों से देखना चाहें तो एक मोमबत्ती जला लीजिए। मुँह मोमबत्ती के पास ले जाकर पहले /ग/ बोलिए बाद में /घ/। आप देखेंगे कि /घ/ का उच्चारण करते समय मोमबत्ती बुझ जाती है या उसकी लौ हिलने लगती है। इसका कारण? मुँह से निकलने वाली हवा ही इसका कारण है। जब हम /ग/ बोलते हैं तो ज्यादा ज़ोर से हवा नहीं निकलती। /ख/ या /घ/ बोलते हैं तो हवा का एक झोंका निकलता है, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। इसी विशेषता को हम प्राणत्व कहते हैं।

कवर्ग से लेकर पवर्ग के सारे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। इसका एक उप-वर्ग भी है जिसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अर्थात् नाक से बोले जाने वाले व्यंजन। जब हम /प/ या /ब/ का उच्चारण करते हैं, तो हवा नाक से नहीं निकलती। लेकिन जब /म/ बोलते हैं तो हवा मुँह और नाक दोनों विवरों से निकलती है। नासिक्य व्यंजन भी स्पर्श हैं, अर्थात् पवर्ग के सारे व्यंजन एक ही जगह से बोले जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि /प/ /ब/ अथवा /म/ बोलते समय हम पहले दोनो होंठ बंद करते हैं और जब मुँह खुलता है, तब ध्वनि का उच्चारण होता है। इसलिए पवर्ग को ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से तवर्ग को दंत्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दाँत से जीभ लगती है और हवा बंद हो जाती है। इसी तरह से पाँचों वर्गों के उच्चारण के स्थान के आधार पर इनका अलग-अलग नाम है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो भाषा विज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ें।

स्पर्श व्यंजन में जीभ के ऊपर तालु से स्पर्श के कारण हवा का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप स्पर्श व्यंजन ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते। या तो मुँह बंद रखेंगे और उच्चारण नहीं होगा या मुँह खोलेंगे तो उच्चारण खत्म हो जाएगा। स्पर्श की तुलना में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण आप बहुत देर तक कर सकते हैं। जैसे आप साँप की तरह स् स् स् स् करने की कोशिश कीजिए। जब तक साँस है, आप उच्चारण कर सकते हैं। ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में हवा का मार्ग बहुत छोटा होता है। इसलिए हवा संघर्ष करते हुए जाती है। इसीलिए इन ध्वनियों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन ध्वनियों को व्याकरण में ऊष्म ध्वनियाँ कहा गया है। हिंदी में ऊष्म ध्वनियाँ हैं : स, श, ष, ह। स्पर्श, नासिक्य या संघर्षी व्यंजन उच्चारण के विभिन्न प्रयत्नों या तरीकों से अलग किये जाते हैं। हमने ऊपर ध्वनियों की तालिका में अर्ध स्वर, लुंठित, उत्क्षिप्त आदि अन्य प्रयत्नों के नाम गिनाये हैं। इनके बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए चाहें तो भाषा विज्ञान से संबंधित कोई ग्रंथ देखें।

व्यंजनों की तुलना में ध्वनियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके बोलने में मुँह ज्यादा खुलता है। आप /आ/ बोलकर देखिए। स्वरों में भी हम बोलने के तरीके से उच्चारण में अंतर करते हैं। /आ/ के उच्चारण में मुँह ज्यादा खुलता है, /ऊ/ के उच्चारण में मुँह कम खुलता है। इसी तरह से /ऊ/ स्वर का उच्चारण हम मुँह में आगे से करते हैं, /ई/ स्वर का उच्चारण हम मुँह मे पीछे से करते हैं। उच्चारण की इस प्रक्रिया से ही हम विभिन्न स्वरों में अंतर करते हैं और इन स्वरों से विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं। हम यहाँ स्वर संबंधी एक प्रमुख बात की चर्चा करेंगे जिसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। /इ/ और /ई/, /उ/ और /ऊ/, /अ/ और /आ/ क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर हम कम समय में बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा समय लगता है।

आप यह जानना चाहेंगे कि हमने जिन विदेशी ध्वनियों का जिक्र किया है उनकी क्या स्थिति है, उनका उच्चारण कैसे किया जाए। /क़/ स्पर्श ध्वनि है, हिंदी /क/ से भी पीछे के स्थान से बोली जाती है। /ख़, ग़, ज़, फ़/ चारों संघर्षी व्यंजन हैं। इनमें दो संघर्षी व्यंजन /ज़, फ़/ अंग्रेज़ी भाषा से भी लिये गये हैं। अंग्रेज़ी से आये हुए एक विशिष्ट स्वर /ऑ/ को निम्नलिखित शब्दों में लिपि-संकेत के साथ देख सकते हैं। जैसे : डॉक्टर, कॉलेज, लॉ।

2.4 लहजा या अनुतान

ऊपर हमने अनुतानों की चर्चा की। अनुतान से हमारा तात्पर्य वाक्य बोलने के ढंग से है। आम तौर पर लिखित भाषा में अनुतान को हम विराम चिह्नों से देखते हैं, जैसे, प्रश्न चिह्न प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आता है। जिस वाक्य से हम आश्चर्य या विस्मय प्रकट करते हैं, उसके अंत में विस्मयादि बोधक चिह्न लगता है। सामान्य रूप से सूचनाएँ देने के लिए हम निश्चयार्थक वाक्य बोलते हैं, जिनके आगे पूर्ण विराम का चिह्न (यानी खड़ी पाई) लगता है। एक ही वाक्य में ये तीनों चिह्न इस प्रकार तीन अनुतानों का बोध कराते हैं, जैसे :

यह बहुत अच्छी तस्वीर है?
यह बहुत अच्छी तस्वीर है!
यह बहुत अच्छी तस्वीर है।

अनुतान अपने में विस्तृत विषय है। इसके बहुत से भेद हैं। जैसे विस्मयादि बोधक चिह्न से ही हम आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि अर्थ प्रकट कर सकते हैं। इस कारण अनुतान के संदर्भ में हम यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको अनुतान के के बारे में एक वीडियो पाठ देंगे, जिसमें आप विभिन्न अनुतानों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1 नीचे लिखे वाक्यों में से कुछ सही हैं और कुछ गलत। उचित उत्तर पर (√) चिह्न लगाइए।

1 जिन ध्वनियों के उच्चारण में गले में कंपन उत्पन्न हो उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं ☐ सही ☐ गलत
2 जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा संघर्ष करते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं ☐ सही ☐ गलत
3 तवर्ग के व्यंजनों को दंत्य व्यंजन कहा जाता है। ☐ सही ☐ गलत
4 जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ़ मुँह से बाहर निकले उन्हें नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। ☐ सही ☐ गलत
5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ☐ सही ☐ गलत

2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1 ....बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्व हैं।
2 वाक्य बोलने के ढंग को वैज्ञानिक भाषा में............या............कहते हैं।
3 किसी शब्द में एक ध्वनि बदल लेने से उसके ....में..............आ जाता है।
4 दो शब्दों के बीच ध्वनि से अर्थ बदलने की विशेषता को ....कहते हैं।
5 एक शब्द में एक..........हो सकती है या एक शब्द में अनेक..............हो सकती हैं।

3 नीचे लिखे शब्दों में कुछ ध्वनियों के बदल जान क कारण अर्थ-भेद है। बताइए इनमें कौन-कौन सी ध्वनियाँ भिन्न हैं? भिन्न ध्वनियों को अलग करके लिखिए।

1 काल/खाल
2 दिन/दीन
3 खेल/खोल
4 मूँछ/पूँछ
5 चटपट/खटपट
6 काका/खाका
7 बच्चा/कच्चा
8 खाना/खोना
9 कला/काला
10 घट/घटा
11 लाभ/लोभी
12 ग्रह/गृह
13 आम/अमा
14 निर्माण/निर्वाण

2.5 ध्वनि और लेखन के विविध संबंध

भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, लेखन इसका प्रतिरूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को नहीं दिखा पाती। लेकिन लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम भाषा का सही उच्चारण कर सकें। लिपि की सहायता से हम ऐसे स्थलों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

हिन्दी में "ऐ" और "औ" मूल स्वर हैं। लेकिन, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में हम इसका भिन्न उच्चारण देखते हैं। वहाँ उच्चारण क्रमशः अइ (या अय्) और अउ (या अव्) के समान होता है। हिंदी लिपि में दिखाया जाए, तो तमिल भाषी "औरत" को /अउरत/ और "पैसा" को /पइसा/ बोलता है। हिंदी में भी यह उच्चारण है, लेकिन सीमित संदर्भों में।

उदाहरण देखिए :

वर्ण "ऐ", उच्चारण /अइ/ — मैया, सैयद, तैयार, रैयत, ऐयाशी, भैयत
वर्ण "औ" उच्चारण /अउ/ — कौवा, यौवन, चौवन, मनौवल

क्या आप पहचान पाये हैं कि यह विशिष्ट उच्चारण क्यों और कहाँ होता है? "य" से पहले "ऐ" तथा "व" से पहले "औ" का उच्चारण बदल जाता है। लिपि स्वर /ऐ/ तथा /अइ/ के दोनों उच्चारणों में अंतर नहीं दिखाती। लेकिन हम ऊपर बताये नियम से उच्चारण के अंतर को समझ सकते हैं।

इसी तरह अ का उच्चारण निम्नलिखित शब्दों में कुछ ऊपर का उच्चारण हो जाता है, कुछ-कुछ ह्रस्व /ए/ के समान। आप गौर करेंगे तो खुद नियम जान सकेंगे।

कहना	पहला	रहमान	अहमद	पहचान	शहरी	पहलू
शहर	नहर	ठहरो	ठहरना	लहर	चहकना	चहल-पहल

आपने नियम जान लिया? हाँ, तो आप बहुत सतर्क व्यक्ति हैं। ''ह'' से पहले /अ/ का उच्चारण कुछ अलग हो जाता है। आप आगे से रेडियो सुनें या टी.वी. देखें तो ऐसे शब्दों की विस्तृत सूची बनाइए। आप यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में शुरू में कौन-सा उच्चारण है :

महा	कहावत	सहारा	नहाना	पहाड़	कहानी
महिमा	अहीर	सहूलियत	सहोदर	बहू	बहुत

फिर इन शब्दों के उच्चारण के लिए अपना नियम दीजिए।

2.6 उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएँ

क्या हम उच्चारण की इस विशेषता को वर्तनी में भी देखते हैं? हाँ। ''तैयार'' को कुछ लोग (तय्यार) लिखते हैं, कुछ तैय्यार। ''अय्याशी'' और ''ऐयाशी'' दोनों रूप प्रचलित हैं। आप हमेशा ''तैयार'', ''ऐयाशी'', लिखें तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह ''व'' से पहले हमेशा ''औ'' लिखें।

''कहना'' जैसे शब्दों के संदर्भ में हमें वर्तनी के विविध रूप मिलते हैं। जैसे सिर्फ ''अ''—कहना, लहर, शहर, रहन-सहन, पहलू, ठहरना, लहँगा।

सिर्फ ''ए''—मेहमान, रेहन, सेहत, चेहरा, बेहतर, तेहरान
''अ'' या ''ए''—अहसान/एहसान, रहन/रेहन, ज़हन/ज़ेहन

इनके अलावा ''बहन'', ''पहला'', ''पहचान'' आदि मानक शब्दों के लिए हिंदी के कुछ क्षेत्रों में ''बहिन'', ''पहिला'', ''पहिचान'' आदि रूप भी मिलते हैं।

ध्वनि और लिपि के इस सूक्ष्म संबंध को जानना भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है।

2.7 उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर

हम यह कहते आये हैं कि लिपि उच्चारण की विशेषताओं को प्रकट करती है। शब्दों का उच्चारण सब जगह एक जैसा नहीं होता। शब्द-निर्माण की प्रक्रिया में कभी-कभी आस-पास की ध्वनियों के कारण उच्चारण बदल जाता है और लिपि इन्हें प्रस्तुत करती है। हम आगे हिन्दी के दो उपसर्गों से बने कुछ शब्दों को देखेंगे जिनमें उच्चारण-परिवर्तन को आप देख सकते हैं और साथ-साथ लिपि के माध्यम से इन्हें प्रकट करने के तरीके को भी देख सकते हैं।

उपसर्ग उत् (ऊपर)

उत् + पात — उत्पात
उत् + माद — उन्माद
उत् + भव — उद्भव
उत् + चरण — उच्चारण
उत् + नत — उन्नत

उपसर्ग सत् (अच्छा)

सत् + पुरुष — सत्पुरुष
सत् + मार्ग — सन्मार्ग
सत् + भाव — सद्भाव
सत् + चरित्र — सच्चरित्र

शब्द-रचना की इस विशेषता को संधि का नाम दिया जाता है। भाषा विज्ञान में इसे समीकरण कहते हैं, अर्थात् कुछ दृष्टियों से दोनों ध्वनियों का समान हो जाना। ऐसे स्थलों को पहचानने से हम शब्द रचना से परिचित हो सकेंगे और शब्द के सही अर्थ को पहचान सकेंगे। रचना के नियम जानने पर हमें वर्तनी और उच्चारण का भी सही ज्ञान होगा।

2.8 ध्वनि और लिपि में असामंजस्य

हमने ऊपर कहा था कि हिन्दी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि उसमें प्रायः जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। हमने 'प्रायः' कहा है। इसका मतलब यह है कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों के कई कारण हैं, जैसे संस्कृत भाषा से /ष/ ध्वनि हिन्दी में आई थी, लेकिन उच्चारण-परिवर्तन के कारण यह ध्वनि अब समाप्त-सी हो गई है। इसलिए आज हम हिन्दी में ''श'', ''ष'' दोनों का एक जैसा उच्चारण करते हैं। उच्चारण में अंतर न कर सकने के कारण ज्यादातर सीखने वाले छात्र इन दोनों वर्णों के सही प्रयोग को समझ नहीं सकते और इस कारण गलतियाँ करते हैं। इस तरह संस्कृत से आये दो और वर्ण हैं—''ऋ'', ''ज्ञ'', जिनके मूल उच्चारण को हम आज नहीं जानते। हम क्रमशः इन्हें /रि/, /ग्य/ के रूप में उच्चरित करते हैं। इसीलिए बहुत से छात्र विज्ञान को ''विग्यान'' लिखते हैं। इसी तरह संस्कृत से आया हुआ

एक और वर्ण है "क्ष" जिसके उच्चारण की एक विशेषता है। यह एक वर्ण है, लेकिन उच्चारण के स्तर पर दो ध्वनियाँ हैं—/क/+/ष/। हमें ऐसे स्थानों पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ उच्चारण और लेखन में सामंजस्य नहीं है और इन स्थलों के कारण होने वाले वर्तनी-दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

उच्चारण के संदर्भ में एक और कठिनाई है। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए इस क्षेत्र में भी उच्चारण के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुछ जगहों में लोग "श" "ष" को /स/ बोलते हैं और कुछ जगहों में लोग /व/ के स्थान पर /ब/ बोलते हैं। उच्चारण की इस क्षेत्रीय विशेषता के कारण उनकी भाषा में अर्थ भेदकता हो जाती है। ऐसे लोग /साम/, /शाम/ या /साल, /शाल/ में अंतर नहीं करते। ऐसी क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भी छात्रों में वर्तनी-दोष दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की कल्पना की गयी और उसे मानक रूप देने का यत्न किया गया उसी तरह यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी के मानक उच्चारण का स्वरूप निर्धारित करें। अंग्रेजी में इस प्रकार का प्रयत्न हो चुका है। रिसीव्ह प्रोननसिएशन (Received Pronunciation) नामक मानक उच्चारण स्वीकृत है। शायद वह दिन दूर नहीं जब हम हिंदी के उच्चारण को मानक रूप दे दें और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षार्थियों को भाषा के मानक उच्चरित रूप से परिचित करा दें।

अभ्यास

4 नीचे लिखे प्रश्नों का "हाँ" या "नहीं" में उत्तर दीजिए।

1 भाषा का लिखित रूप उसका मूल या वास्तविक रूप है [हाँ/नहीं]

2 भाषा के उच्चारण तत्वों को लिपि के माध्यम से पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। [हाँ/नहीं]

3 दो ध्वनियों के साथ में आने पर कुछ हद तक समरूप हो जाने को भाषा विज्ञान में समीकरण कहते हैं। [हाँ/नहीं]

4 समस्त हिन्दी-भाषी क्षेत्र में उच्चारण की एकरूपता है। [हाँ/नहीं]

5 नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द लिखिए।

1 उत + वेग
2 उत् + घाटन
3 उत् + कर्ष
4 उत् + ज्वल
5 उत् + शिष्ट
6 उत् + श्वास
7 उत् + लास
8 सत् + गति
9 सत् + मान
10 सत् + धर्म
11 सत् + आनंद
12 सत् + कार
13 जगत् + नाथ
14 जगत् + ईश
15 भगवत् + गीता
16 दिक् + गज

2.9 सारांश

इस इकाई में आपने हिंदी की ध्वनियों के विषय में पढ़ा। आपने जाना कि भाषा में ध्वनियों का महत्व कितना अधिक है। हम जब बोलते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें शब्द-निर्माण में सबसे ज्यादा ज़रूरत ध्वनियों की ही पड़ती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत इकाई में आपने ध्वनि के संबंध सूत्रों में निम्न जानकारी हासिल की।

- हिंदी भाषा में कुल 47 वर्ण हैं और लगभग इतनी ही ध्वनियाँ हैं। इनसे तीन-चार लाख शब्द बने हैं।
- हिंदी प्रायः जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। उच्चारण और लेखन की अनुरूपता के कारण हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है।
- यदि किसी भी शब्द में एक ध्वनि भी बदल दी जाए तो उसका अर्थ भी बदल जाता है।
- ध्वनियों का महत्व उनके उच्चारण के कारण है। कहने वाला जो बात कहता है, सुनने वाला वही बात सुनता है। ऐसा न होने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है और संप्रेषण नहीं होता। इससे हम उच्चारण के अंतर को पहचानने में समर्थ होते हैं।
- हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसलिए अलग-अलग स्थानों पर कुछ ध्वनियों के उच्चारण में अन्तर आ जाता है।

आपने विभिन्न स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण संबंधी नियमों का अध्ययन किया और ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण के अंतर और घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण, नासिक्य, कंठ्य, तालव्य आदि व्यंजनों के उच्चारण संबंधी विशिष्टताओं को पहचाना। आपने उच्चारण के आधार पर वर्तनी की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त आपने हिंदी में अन्य भाषाओं से आई ध्वनियों का परिचय भी प्राप्त किया। अनुतान या लहजा अर्थात् बोलने के ढंग पर संक्षेप में विचार किया तथा ध्वनि और लेखन के संबंधों तथा शब्द-रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त की।

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. भोलानाथ तिवारी (सं) : **हिंदी की ध्वनि-संरचना**, साहित्य सहकार, ई-10/4, कृष्णनगर, दिल्ली।

2.11 अभ्यासों के उत्तर

अभ्यास

1

1) गलत	2) सही	3) सही	4) गलत
5) गलत			

2

1) ध्वनियाँ	2) अनुतान/लहजा	3) अर्थ/अंतर	4) अर्थभेदकता
5) ध्वनि/ध्वनियाँ			

3

1) क्/ख्	2) इ/ई	3) ए/ओ	4) म्/प्
5) च्/ख्	6) क्/ख्	7) ब्, च्/क्, छ	8) आ/ओ
9) क्, अ/त्, आ	10) अ/आ	11) आ, अ/ओ, ई	12) र्, अ/ऋ
13) आ, अ/अ, आ	14) म्/व्		

4

1) नहीं	2) नहीं	3) हाँ	4) नहीं

5

1) उद्वेग	2) उद्घाटन	3) उत्कर्ष	4) उज्ज्वल
5) उच्छिष्ट	6) उच्छ्वास	7) उल्लास	8) सद्गति
9) सम्मान	10) सद्धर्म	11) सदानंद	12) सत्कार
13) जगन्नाथ	14) जगदीश	15) भगवद्गीता	16) दिग्गज

इकाई 3 विज्ञान के विषय का बोधन

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य
3.1 प्रस्तावना
3.2 मानव की उत्पत्ति और विकास
   3.2.1 जानवर कब पैदा हुए
   3.2.2 आदमी कब पैदा हुआ
   3.2.3 शुरू के आदमी
3.3 भाषा की सरल अभिव्यक्ति
3.4 उर्दू के शब्द
3.5 व्याकरणिक विवेचन
   3.5.1 संभावनार्थक वाक्य
   3.5.2 संदेहार्थक वाक्य
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
3.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर
   अनुकार्य

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी में विज्ञान संबंधी विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे।
- विज्ञान संबंधी विषय को पढ़कर उसकी शब्दावली का उचित प्रयोग सीख सकेंगे।
- जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकेंगे।
- कुछ उर्दू शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनको सही लिखना और बोलना सीखेंगे।
- संभावनार्थक और संदेहार्थक वाक्यों में भेद कर सकेंगे और ऐसे वाक्यों की रचना कर सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

अब तक आपने हिंदी भाषा की लिपि और ध्वनियों के बारे में जानकारी हासिल की है। इस इकाई से हम आपको ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में ले जा रहे हैं। यह इकाई विज्ञान विषय से संबंधित है। इसमें हम आपको मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में बताएँगे। आप यह तो जानते ही होंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति एक ही दिन में नहीं हुई थी। जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तब वह आग का गोला थी। धीरे-धीरे वह ठंडी होने लगी। उस पर बड़े-बड़े समुद्र बने। शुरू में ज़मीन का लगभग सारा भाग पानी से ढका हुआ था। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि शुरू में पानी में रह सकने वाले जीव पैदा हुए होंगे। ऐसे जीवों में नर-मादा का भेद नहीं था। उनमें हड्डियाँ भी नहीं रही होंगी। वह नर्म मुरब्बे की-सी चीज़ रही होगी। इन्हीं के बाद में मछली का विकास हुआ होगा जिसमें हड्डियाँ भी थीं। मुरब्बे की-सी चीज़ से मानव जाति की उत्पत्ति के

विकास-क्रम का इतिहास लाखों वर्षों का है। इसका अध्ययन रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी। इस इकाई में आपको इसी की जानकारी देंगे और यह भी बताएँगे कि मानव जाति ने सभ्यता के आरंभिक चरण कैसे तय किये।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इन्दिरा (स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी) को मानव-सभ्यता के विकास से परिचित कराने के लिए 1928-29 के दौरान कई पत्र लिखे थे। उन पत्रों को 1931 में हिंदी में प्रकाशित किया गया था। ये पत्र 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए थे। इन्हीं में से तीन पत्र यहाँ पाठ के रूप में दिये जा रहे हैं। जिस समय ये पत्र लिखे गये थे उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी की उम्र कम थी। इसलिए नेहरू जी ने इन पत्रों में प्रत्येक विषय को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि विज्ञान के जटिल विषय से संबंधित होते हुए भी उन्हें आसानी से समझा जा सके। लगता है जैसे नेहरू जी ने दूर शिक्षण के लिए ये अंश लिखे हों। इस दृष्टि से हमारे लिये इन पत्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

इस इकाई में यह भी बताया गया है कि जटिल विषयों को सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदी में इस्तेमाल किये जाने वाले उर्दू शब्दों तथा संदेहार्थक और संभावनार्थक वाक्यों के बारे में भी बताया गया है।

3.2 मानव की उत्पत्ति और विकास

3.2.1 जानवर कब पैदा हुए

1 हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे-छोटे जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की **जानदार** चीज़ों में थे। वे सिर्फ़ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो ज़रूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियाँ और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल ज़रा **चिमड़ी** थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे। क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियाँ और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे-धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी ज़मीन पर ज़िन्दा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। सोचो, कितनी अजीब बात है! इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे-धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायबघर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ कसरत से बर्फ़ गिरती है चिड़ियाँ और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गरम देशों में जहाँ हरियाली और **दरख्त** बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई न देंगे। सर्द **मुल्कों** में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह, जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है।

2 इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग-ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों; लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका ज़िंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत-सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दरजे के जानवर धीरे-धीरे ऊँचे दरजों में पहुँचते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरसों के बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये **तब्दीलियाँ**, जो हमारे चारों तरफ़ होती रहती हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे-धीरे होती हैं और हमारी ज़िन्दगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती है और न आराम करती है।

3 तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब यह ज्यादा ठंडी हो गई तो **जलवायु** बदल गया और उसके साथ ही बहुत-सी बातें बदल गईं। ज्यों-ज्यों दुनिया बदलती गई जानवर भी बदलते गए और नये-नये किस्म के जानवर पैदा होते गये। पहले नीचे दरजे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज्यादा ऊँचे दरजे के। इसके बाद जब सूखी ज़मीन ज्यादा हो गयी तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और ज़मीन दोनों ही पर रह सकते हैं जैसे, मगर या मेंढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ़ ज़मीन पर रह सकते हैं और तब हवा में उड़नेवाली चिड़ियाँ आयीं।

4 मैंने मेंढक का ज़िक्र किया है। इस अजीब जानवर की ज़िंदगी से बड़ी मज़े की बातें मालूम होती हैं। साफ़ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते-बदलते क्योंकर ज़मीन के जानवर बन गये। मेंढक पहले मछली होता है लेकिन बाद में वह **खुश्की** का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से साँस लेता है। उस पुराने ज़माने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े-बड़े जंगल थे। ज़मीन सारी की सारी झाबर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गये कि वे धीरे-धीरे कोयला बन गये। तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकलता है, ये खानें असल में पुराने ज़माने के जंगल हैं।

5 शुरू-शुरू में ज़मीन के जानवरों में बड़े-बड़े साँप, छिपकलियाँ और घड़ियाल थे। इनमें से बाज़ 100 फ़ीट लम्बे थे। 100 फ़ीट लम्बे साँप या छिपकली का ज़रा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियाँ लन्दन के अजायबघर में देखी थीं।

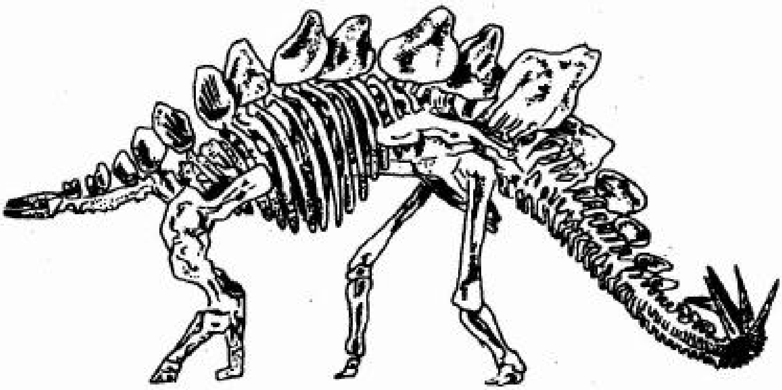

विलुप्त प्राणी स्टेगोसाओरस का कंकाल

6 इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ-कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता-जुलता है वह बन्दर या बनमानुस है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी बनमानुस की नस्ल है। इसका यह मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और तरक़्क़ी करते गए इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊँचे क़िस्म का बनमानुस था। यह सही है कि यह तरक़्क़ी करता गया या यों कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही। पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। यह ख़्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुक़ाबिला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बन्दरों और बनमानुसों के भाईबन्द हैं और आज भी शायद हममें से बहुतेरों का स्वभाव बन्दरों जैसा है।

(ऊपर का अंश आपने ध्यान से पढ़ा होगा। नीचे कुछ प्रश्न दिये गये हैं। बिना पाठ को देखे, उनका उत्तर दीजिए।)

बोध प्रश्न

1 नीचे दिये गये प्रश्नों का सही उत्तर छाँटकर उसे कोष्ठक में लिखिए।

क) सबसे पहले पृथ्वी पर कौन से जीव पैदा हुए?
   i) सिर्फ़ जल में रहने वाले
   ii) सिर्फ़ सूखी ज़मीन पर रहने वाले
   iii) सूखी ज़मीन और जल दोनों पर रहने वाले [ ]
   iv) उड़ने वाले

ख) मछली और मेंढक में मूल अंतर क्या है?
   i) मछली अंडे देती है, मेंढक नहीं
   ii) मेंढक में हड्डियाँ होती हैं, मछली में नहीं
   iii) मछली पानी में ही जी सकती है, जबकि मेंढक पानी और सूखी ज़मीन दोनों पर जी लेता है। [ ]

2 नीचे दिये गये वाक्य कथ्य की दृष्टि से या तो सही है या गलत। बताइए कौन से सही है, कौन से गलत।

i) पृथ्वी पर सबसे पहले सिर्फ़ पानी में रह सकने वाले जीव पैदा हुए। ☐ सही ☐ गलत

ii) दुनिया का जलवायु धीरे-धीरे गर्म होता गया और इसका पानी सूखता गया। ☐ सही ☐ गलत

iii) जानवर धीरे-धीरे अपने को जलवायु के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं। ☐ सही ☐ गलत

iv) जीवों का विकास बताता है कि मछली से पूर्व मेंढक रहा होगा। ☐ सही ☐ गलत

v) अंडे देने वाले जानवरों के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर पैदा हुए। ☐ सही ☐ गलत

3 नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए।

i) मेंढक और मगरमच्छ में क्या समानता है?

....

ii) चीते का रंग पीला और धारीदार क्यों होता है?

....

iii) कोयला कैसे बनता है?

....

iv) मेंढक कैसे साँस लेता है।

....

3.2.2 आदमी कब पैदा हुआ

7 मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दरजे के जानवर पैदा हुए और धीरे-धीरे तरक़्क़ी करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानदार हमेशा अपने को आसपास की चीज़ों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में उनमें नयी-नयी आदतें पैदा होती गईं और वे ज्यादा ऊँचे दरजे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक़्क़ी कई तरह दिखाई देती है। इसकी मिसाल यह है कि शुरू-शुरू के जानवरों में हड्डियाँ न थीं लेकिन हड्डियों के बग़ैर वे बहुत दिनों तक जीते न रह सकते थे। इसलिए उनमें हड्डियाँ पैदा हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए—हड्डी वाले और बेहड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखते हो वे सब हड्डी वाले हैं!

8 एक और मिसाल लो। नीचे दरजे के जानवरों में मछलियाँ अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हज़ारों अंडे देती हैं लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करतीं। माँ बच्चों की बिल्कुल ख़बर नहीं लेती। वह अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। इन अंडों की हिफ़ाज़त तो कोई करता नहीं, इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियाँ निकलती है। कितनी जानें बरबाद जाती है! लेकिन ऊँचे दरजे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं लेकिन वे उनकी खूब हिफ़ाज़त करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है लेकिन वह उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते है तो वह कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फ़िक्र छोड़ देती है।

9 इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, बड़ा फ़र्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडे को अपने अन्दर लिये रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है। जैसे कुत्ते, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बरबाद हो जाते हैं। खरगोश के कई-कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं लेकिन ऊँचे दरजे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह पालते-पोसते हैं जैसे हाथी।

10 अब तुमको यह भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक़्क़ी करते हैं वे अंडे नहीं देते बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ़ कुछ छोटे होते हैं। ऊँचे दरजे के जानवर आम तौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको यह भी मालूम होगा कि ऊँचे दरजे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा-बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊँचे दरजे का जानवर है इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते है और उनकी हिफ़ाज़त करते हैं।

11 इससे यह मालूम होता है कि आदमी ज़रूर नीचे दरजे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के से आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बन्दरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफ़ेसर से मिलने गई थी? उन्होंने एक **अजायबखाना** दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियाँ भरी हुई थीं, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वह सन्दूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि यह शुरू-शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। यह तो तुम जानती ही हो कि उस ज़माने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का।

12 उस पुराने ज़माने में, जब कि आदमी इधर-उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सरदी पड़ती थी इसीलिए उसे बर्फ़ का ज़माना कहते हैं। बर्फ़ के बड़े-बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास है, इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा, और उन्हें बड़ी तकलीफ़ के दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहाँ बर्फ़ के पहाड़ न हों। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस ज़माने में भूमध्य सागर न था बल्कि वहाँ एक या दो झीलें थीं। लाल सागर भी न था। यह सब ज़मीन थी। शायद हिन्दुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था। और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख़्याल करो कि सारा दक्षिणी हिन्दुस्तान और मध्य हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब शायद तुम्हें जहाज़ में बैठकर मसूरी जाना पड़ता।

13 शुरू-शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ़ बड़े-बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। बाज़ों को वह पाल लेता है जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। बाज़ों को वह खाता है और बाज़ों का वह दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस ज़माने में वह मालिक न था, बल्कि बड़े-बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वह उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे-धीरे उसने तरक़्क़ी की और दिन-दिन ज्यादा ताकतवर होता गया यहाँ तक कि वह सब जानवरों से मजबूत हो गया। यह बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें यह बात पैदा हुई।

14 आदमी की अक्ल कैसे धीरे-धीरे बढ़ती गई इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो यह है कि बुद्धि ही आदमियों को और जानवरों से अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है।

15 पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया वह शायद आग थी। आजकल हम दियासलाई से आग जलाते हैं। लेकिन दियासलाइयाँ तो अभी हाल में बनी हैं। पुराने ज़माने में आग बनाने का यह तरीक़ा था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे यहाँ तक कि चिनगारी निकल आती थी और इस चिनगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज़ में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी-कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी चीज़ की रगड़ से आप ही आग लग जाती है। जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते। लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था उसने आग के फ़ायदे देखे। यह जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े-बड़े जानवरों को, जो उनके दुश्मन थे, भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और औरत उसमें सूखी पत्तियाँ फेंक-फेंककर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। धीरे-धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़ कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उनके लिए यह बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताक़तवर बना दिया। आदमी को दुनिया के मालिक बनने का रास्ता मिल गया।

(इस अंश को पढ़ने के बाद आप आगे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देते समय पाठ को न देखिए।)

बोध प्रश्न

4 नीचे कुछ जानवरों के नाम दिये गये हैं। इनको जीवों के विकास-क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए।

i) बनमानुस
ii) मगरमच्छ
iii) शेर
iv) मछली
v) पक्षी

5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) सबसे पहले .... की हड्डी पैदा हुई।
ii) बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर .... नहीं देते।
iii) आरंभिक अवस्था में मनुष्य .... की तरह रहते होंगे।
iv) आदमी ने पहला आविष्कार .... का किया होगा।
v) शेर, हाथी आदि ऊँचे दरजे के जानवर आम तौर पर एक बार में .... बच्चा देते हैं।

6 आपने यह पाठ पढ़ते हुए अनुभव किया होगा कि जानवरों के विकास की कहानी काफ़ी रोचक और मनोरंजक है। जैसे उड़ने वाले पक्षी अंडे देते हैं किंतु चमगादड़ अंडे नहीं देते; वे स्तनपायी हैं। इसी तरह मछली जाति के प्राणी प्रायः अंडे देते हैं लेकिन मादा ह्वेल बच्चा देती है और स्तनपायी है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्राणियों को जलचर, उभयचर (जल और थल दोनों में रहने वाले), सरीसृप (रेंगनेवाले), स्तनपायी तथा अंडज की श्रेणियों में बाँटिए।

छिपकली, शेर, चूहा, चमगादड़, मछली, गोह, ह्वेल, कछुआ, आदमी, शुतुरमुर्ग, आक्टोपस, गिद्ध, नाग, घड़ियाल, कंगारू, मोर, शार्क।

जलचर	उभयचर	सरीसृप	स्तनपायी	अंडज
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

3.2.3 शुरू के आदमी

16 मैंने अपने पिछले ख़त में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ़ अक्ल का फ़र्क़ है। अक्ल ने आदमी को उन बड़-बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक और मज़बूत बना दिया है जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते। ज्यों-ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई वह ज़्यादा बलवान होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुक़ाबिला करने के लिए कोई ख़ास हथियार न थे। वह उन पर सिर्फ़ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और भाले और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई जिसमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थरों के हथियारों को साउथ कैंसिंगटन और जनेवा के अजायबघरों में देखा था।

17 धीरे-धीरे बर्फ़ का ज़माना ख़त्म हो गया जिसका मैंने अपने पिछले ख़त में ज़िक्र किया है। बर्फ़ के पहाड़ मध्य-एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों-ज्यों गरमी बढ़ती गई आदमी फैलते गए।

18 उस ज़माने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफ़ाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल खाते थे, या जानवरों का शिकार करके माँस खाकर रहते थे। रोटी और भात उन्हें कहाँ मयस्सर होता, क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही न थी। वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद माँस को आग में गर्म कर लेते हों। उनके पास पकाने के बर्तन, जैसे कढ़ाई और पतीली भी न थी।

19 एक बात बड़ी अजीब है। इन जंगली आदमियों को तस्वीर खींचना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, क़लम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास सिर्फ़ पत्थर की सुइयाँ और नोकदार औज़ार थे। इन्हीं से वे गुफ़ाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके बाज़-बाज़ खाके खासे अच्छे हैं मगर ये सब इकरुखे हैं। तुम्हें मालूम है कि इकरुखी तस्वीर खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं। गुफ़ाओं में अँधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों।

एक गुफा चित्र

20 जिन आदमियों का हमने ऊपर ज़िक्र किया है वे पाषाण या पत्थर-युग के आदमी कहलाते हैं। उस ज़माने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औज़ार पत्थर के बनाते थे। धातुओं को काम में लाना वे न जानते थे। आजकल हमारी चीज़ें अक्सर धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से। लेकिन उस ज़माने में किसी को लोहे या काँसे का पता न था। इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था, हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था।

21 पाषाण-युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबोहवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ़ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे और मध्य-एशिया और यूरोप में बड़े-बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर-युग के आदमियों से ज़्यादा होशियार थे। लेकिन वे भी पत्थर के ही औज़ार बनाते थे। ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे; मगर वह पिछला पत्थर का युग था, इसलिए वे नए पत्थर युग के आदमी कहलाते थे।

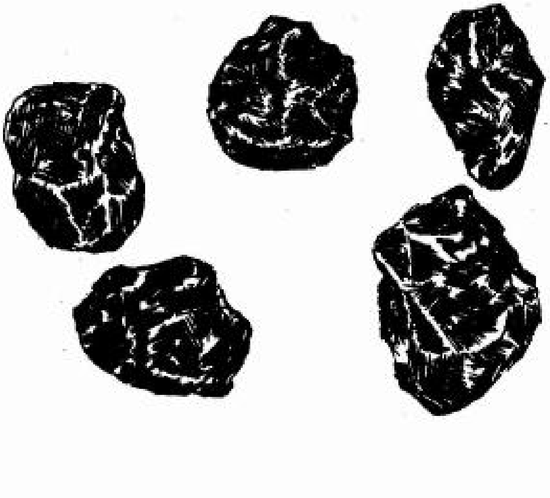

RIL-002

पाषाण युग के औज़ार

22 गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर-युग के आदमियों ने बड़ी तरक़्क़ी कर ली थी। आदमी की अक्ल और जानवरों के मुकाबले में उसे तेज़ी से बढ़ाए लिये जा रही है। इन्हीं नए पाषाण-युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज़ निकाली। यह खेती करने का तरीका था। उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करनी शुरू कीं। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था, इसकी ज़रूरत न थी कि वे रात दिन जानवरों का शिकार करते रहें। अब उन्हें सोचने और आराम करने की ज्यादा फ़ुर्सत मिलने लगी। और उन्हें जितनी ही ज़्यादा फ़ुर्सत मिलती थी, नई चीज़ें और तरीके निकालने में वे उतनी ही ज्यादा तरक़्क़ी करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किये और उनकी मदद से खाना पकाने लगे। पत्थर के औज़ार भी अब ज्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पालिश भी अच्छी होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह जानवरों को पालना सीख लिया और वे कपड़े भी बुनने लगे।

23 वे छोटे-छोटे घरों या झोंपड़ों में रहते थे। ये झोंपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि जंगली जानवरों या दूसरे आदमी वहाँ उन पर आसानी से हमला न कर सकते थे। इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे।

24 तुम्हें अचम्भा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गईं। उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं। लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वह संसार की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है। उसके लिए बड़े अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत से आदमियों ने इस किताब को पढ़ने में अपनी सारी उम्र खत्म कर दी है। उन्होंने बहुत-सी हड्डियाँ और पुराने जमाने की बहुत सी निशानियाँ जमा कर दी हैं। ये चीज़ें बड़े-बड़े अजायबघरों में जमा हैं, और वहाँ हम उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ और बर्तन, पत्थर के तीर और सुइयाँ, बहुत सी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, जो पिछले पत्थर-युग के आदमी बनाते थे। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीज़ें देखी हैं लेकिन शायद तुम्हें याद न हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी।

25 मुझे याद आता है कि जनेवा के अजायबघर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रक्खा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बाँधकर उन पर झोंपड़ियाँ बनाई गई थीं। इस घर और ज़मीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था। ये पिछले पत्थर युग वाले आदमी जानवरों की खालें पहनते थे और कभी-कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे। सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल सन से महीन कपड़े बनाये जाते हैं। लेकिन उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे।

26 ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले गए; यहाँ तक कि उन्होंने ताँबे और काँसे के औज़ार बनाने शुरू किए। तुम्हें मालूम है कि काँसा, ताँबे और राँगे के मेल से बनता है और इन दोनों से ज़्यादा सख्त होता है। वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके ज़ेवर बनाकर इतराते थे।

27 हमें यह ठीक तो मालूम नहीं कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुज़रे.लेकिन अन्दाज़ से मालूम होता है कि दस हज़ार साल से कम न हुए होंगे। अभी तक तो हम लाखों बरसों की बात कर रहे थे. लेकिन धीरे-धीरे हम आजकल के जमाने के करीब आते जाते हैं। नए पाषाण-युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में यकायक कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिर भी हम उनके-से नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियाँ हुईं बहुत धीरे-धीरे हुईं और यही प्रकृति का नियम है। तरह-तरह की कौमें पैदा हुईं और हर कौम के रहन-सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की आबोहवा में बहुत फ़र्क़ था और आदमियों को अपना रहन-सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों में तब्दीलियाँ होती जाती थीं। लेकिन इस बात का ज़िक्र हम आगे चलकर करेंगे।

28 आज मैं तुम से सिर्फ़ एक बात का ज़िक्र और करूँगा। जब नया पत्थर का युग खत्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफ़त आई। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं। वहाँ चन्द झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। यकायक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास ज़मीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी उस नीचे खड्डे में भर आया। इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे। भाग कर जाते कहाँ? सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नज़र ही न आता था। अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि भूमध्य सागर बन गया।

29 तुमने शायद पढ़ा होगा, कम से कम सुना तो है ही, कि किसी जमाने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। बाइबिल में इसका ज़िक्र है और बाज़ संस्कृत की किताबों में भी उसकी चर्चा आई है। हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही वह बाढ़ होगी। यह इतनी बड़ी आफ़त थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे। और उन्होंने अपने बच्चों से यह हाल कहा होगा। इसी तरह यह कहानी हम तक पहुँची।

बोध प्रश्न

7 क) वह कौन-सी विशेषता है जो "पत्थर-युग" पर लागू नहीं होती?

i) लोग गुफ़ाओं में रहते थे।

ii) मांस और जंगली फल खाते थे।

iii) पत्थर के औज़ार और हथियार काम में लाते थे।

iv) पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन रखते थे।

ख) वह कौन-सी विशेषता है जो नवपत्थर-युग पर लागू नहीं होती?

i) लोग झोंपड़ियों में रहते थे।

ii) उन्होंने कपड़े बुनना सीखा।

iii) पत्थर की कुल्हाड़ी बनाना सीखा।
iv) कुछ जानवरों को पालना सीखा।

8 सही वाक्यांशों को मिलाइए

i आदमी सभी औज़ार पत्थर के बनाते थे	क गुफ़ाओं में रहते थे।
ii आदमी ने खेती करना सीखा था	ख नव पत्थर युग के बाद सीखा।
iii नव-पत्थर युग में आदमी	ग इसलिए उसे पत्थर-युग कहते हैं।
iv पत्थर युग में लोग	घ इसलिए उसे नव पत्थर-युग कहते हैं।
v आदमी ने काँसा बनाना	ङ मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे।

9 औज़ारों के निर्माण के आधार पर मानव सभ्यता का सही विकास क्रम दीजिए।

i) पत्थर-युग
iii) कांस्य-युग
ii) लौह-युग
iv) नव पत्थर-युग

10 केवल एक पंक्ति में उत्तर दीजिए।

i) पत्थर-युग की मुख्य विशेषता क्या है?

....

ii) पत्थर-युग और नये पत्थर-युग को अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है?

....

iii) पत्थर-युग से नये पत्थर-युग में आदमी के पहनावे में क्या फ़र्क आया?

....

3.3 भाषा की सरल अभिव्यक्ति

ज्ञान-विज्ञान के जटिल विषयों को सरल और सुबोध भाषा में कैसे पेश किया जाता है, यह इस पाठ को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

1 पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से बचना और उनके स्थान पर उनके निहित भावों या विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना

जैसे :	पारिभाषिक शब्द
जल और जमीन दोनों में रह सकने वाले जानवर	(उभयचर)
आकाश में उड़ सकने वाले प्राणी	(नभचर)
जल में रहने वाले प्राणी	(जलचर)

नीचे कुछ और जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिये गये हैं। आप सरल लेखन में विस्तृत व्याख्या वाले शब्द लिख सकते हैं, विज्ञान में पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

i) रेंगने वाले जानवर	(सरीसृप)
ii) बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर	(स्तनपायी)
iii) अंडे देने वाले प्राणी	(अंडज)
iv) जिस युग में मानव ने पहली बार पत्थर के औज़ार बनाये	(पाषाण-युग)
v) जमीन पर रहने वाले जानवर	(थलचर)

2 वैज्ञानिक अवधारणाओं की सूत्रबद्ध परिभाषाओं से बचना और उनके स्थान पर उन्हें सोदाहरण व्याख्यायित करना :

उदाहरण : जो जानवर अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका जिंदा रहना ज़्यादा आसान होता है।

उक्त व्याख्या विकासवाद के एक नियम "अनुकूलन के सिद्धांत" पर आधारित है किंतु नेहरूजी ने इस अवधारणा का अपने पत्र में कहीं नाम नहीं दिया है।

3 सरलता का मतलब विचारों में परिवर्तन करना नहीं है सिर्फ़ उन्हें सब की समझ में आ सकने वाली भाषा में, तार्किक क्रमबद्धता और व्यवस्था के साथ पेश करना चाहिए ताकि वैज्ञानिक अवधारणाओं के मूल भाव की रक्षा हो सके।

उदाहरण : नेहरू जी ने जीवों के विकास को विकास के वैज्ञानिक क्रम में ही रखा है। इसके लिए उन्होंने जानवरों के उदाहरण दिए हैं जिनसे बच्चे आम तौर पर परिचित होते हैं। जैसे चीता, मगर, छिपकली आदि।

4 सरल और सुबोध भाषा के लिए जहाँ तक संभव हो छोटे और सरल वाक्य बनाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आम चलन में हों तथा वैज्ञानिक नामों की बजाय लोक में प्रचलित नामों का उपयोग करना।

उदाहरण : पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया वह शायद आग था। आजकल हम दियासलाई से आग जलाती हैं। लेकिन दियासलाइयाँ तो अभी हाल में बनी हैं।

उपर्युक्त तीनों वाक्य एक वाक्य में : मनुष्य ने सबसे पहले आग का पता लगाया यद्यपि दियासलाई का आविष्कार अभी हाल ही की घटना है।

दूसरा उदाहरण : इन्हीं नए पाषाण-युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज़ निकाली। यह खेती करने का तरीका था। उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करनी शुरू कीं। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी।

उपरोक्त चार वाक्यों का एक वाक्य : नव पाषाण-युग के लोगों ने कृषि करना सीखा जो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

3.4 उर्दू के शब्द

हिंदी और उर्दू एक ही क्षेत्र की भाषाएँ हैं। दोनों खड़ी बोली से विकसित हुई हैं। इसलिए दोनों में कई समानताएँ हैं। उर्दू में अरबी और फ़ारसी भाषाओं के शब्द ज़्यादा हैं। ऐसे हज़ारों शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल किये जाते हैं। इन अरबी और फ़ारसी के शब्दों को उर्दू शब्द के रूप में पहचाना जाता है।

इस पाठ में आपने देखा होगा कि ऐसे शब्द काफी संख्या में प्रयुक्त हुए हैं। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं?

इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उर्दू शब्द देखिए :

शुरू, जानवर, चीज़, जानदार, दुनिया, सिर्फ़, अगर, वजह, जरूर, ज़माना, ज़मीन, ज़िन्दा, मुश्किल, सख़्त, अजीब, आसान, कसरत, बर्फ़, सफ़ेद, दरख़्त, दुश्मन, मुल्क, कोशिश, तादाद, दरजा, मालूम, मुमकिन, आदमी, तब्दीली, तरफ़, क़िस्म, पैदा, दरिया, खुश्की, बाज़, तरक़्क़ी, ताक़तवर, मिसाल, हिफ़ाजत, मालिक, फ़ायदा, औज़ार, मुकाबिला, तरीका, नमूना गुज़रना, मयस्सर।

सवाल यह है कि उर्दू के शब्दों को कैसे पहचाना जाये। उर्दू शब्द हिंदी में इतने घुलमिल गये हैं कि उनकी पहचान मुश्किल से होती है। शब्दकोश से हम पहचान सकते हैं कि शब्द कौन-सी भाषा से आया है। इसके अलावा जिन शब्दों के नीचे नुक्ता (बिंदी) लगा हो वे आम तौर पर उर्दू के शब्द होते हैं। जैसे बर्फ़, तरक़्क़ी, तरफ़ आदि। हिंदी के अपने शब्दों में नुक्ते नहीं लगते।

हमने इकाई दो में बताया है कि क़, ख़, ग़, ज़, फ़, सिर्फ़ अरबी-फ़ारसी शब्दों में आते हैं। ये संस्कृत या हिंदी के शब्दों में नहीं आते। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में भी नुक्ता लगता है जैसे ज़ेबरा, ज़िप, फ़ैक्टरी, फ़ेल आदि। अरबी-फ़ारसी में /क़, ग़, ज़/ के साथ-साथ /क, ग, ज/ की ध्वनियाँ भी हैं। किंतु /ख, फ/ की ध्वनियाँ नहीं हैं। "फ" "ख" का प्रयोग हिंदी के अपने शब्दों के साथ ही होता है। जैसे "फल, सफल, फूल"। यहां "फ़ल, सफ़ल, फ़ूल" नहीं लिखना चाहिए। इस तरह की गलती, लिखने से अधिक बोलने में होती है। अरबी-फ़ारसी में "फ़" का ही प्रयोग होगा। जैसे—फ़ख़्र, फ़रियाद, फ़साद, फ़तह, सिर्फ़ आदि। अरबी-फ़ारसी के कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढल गये हैं उनको आम प्रचलित रूप में भी लिखा जाता है। जैसे फ़स्ल-फसल। हिंदी के कुछ शब्द देखिए जिनमें /फ/ का प्रयोग होगा न कि /फ़/ का।

फाटक, फोड़ना, फूटना, सफल, फल, फूल, फाँसी, फाँक, फेफड़े, फहराना।

अभ्यास

1 पाठ में से उर्दू के ऐसे दस शब्द चुनिए जिनमें नुक्ते लगे हों और उनके हिंदी में प्रचलित एक-एक पर्यायवाची शब्द भी बताइए।

उदाहरण : चीज़—वस्तु, सिर्फ़—केवल

....

....

3.5 व्याकरणिक विवेचन

3.5.1 संभावनार्थक वाक्य

i) उस जमाने में आजकल से ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे।
ii) इस समय गावस्कर बल्लेबाजी कर रहा होगा।
iii) तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आदमी को गुफाओं में रहना होगा।

आप तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में अतीत में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे वाक्य में वर्तमान में घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तीसरे वाक्य में भविष्य में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस पाठ में पहले प्रकार के वाक्य कई हैं। इस पाठ में लाखों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में लेखक विश्वास से कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वह सिर्फ़ संभावना व्यक्त करता है। वाक्य में जहाँ भी क्रिया की संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ होगा/होगी का प्रयोग होगा।

अन्य उदाहरण

i) आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा, और उन्हें बड़ी तकलीफ़ के दिन काटने पड़ते होंगे। (पैरा 12)

ii) शुरू-शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ बड़े-बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। (पैरा 13)

अभ्यास

2 नीचे दिये गये वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य में बदलिए।

i) उस जमाने में पानी में रहने वाले जानवर जमीन पर आते ही मर जाते थे।

....

ii) उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।

....

iii) सबसे पहले आदमी ने आग का पता लगाया।

....

3.5.2 संदेहार्थक वाक्य

i) गुफ़ाओं में अंधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों।
ii) वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों।
iii) वह कमरे में नहीं है, शायद रसोई में हो।

तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में अतीत या वर्तमान में किसी घटना के होने के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। यानी ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये संदेहार्थक वाक्य हैं। संभावनार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य में मूल अंतर यह है कि दोनों में क्रिया के होने की संभावना का स्तर अलग-अलग होता है। पहली तरह के वाक्य में वक्ता/लेखक को क्रिया के होने में कुछ-कुछ विश्वास होता है किंतु उसे निश्चित जानकारी नहीं है। जबकि दूसरे तरह के वाक्य में क्रिया के होने में उसे संदेह है। वहाँ विश्वास नहीं है केवल अनुमान है।

3 नीचे के वाक्यों में दूसरे को 'शायद' के साथ संदेहार्थक वाक्य में बदलिए।

i) मैंने उन्हें मांस खाते नहीं देखा। वे शाकाहारी हैं।

....

ii) घर का पीछे का दरवाजा खुला था। चोर उधर से ही आया।

....

iii) और लोग तो आ गये। राम कल आने वाला है।

....

3.6 सारांश

इस इकाई में आपने जल में रहने वाले जीवों से मानव जाति तक की उत्पत्ति और मानव सभ्यता के विकास के बारे में पढ़ा। हमें आशा है कि इससे आपको मानव जाति के अब तक के विकास को समझने में सहायता मिली होगी।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- जल में रहने वाले जीवों से मानव जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत और विकास-क्रम की व्याख्या कर सकते हैं।
- मानव जाति की सभ्यता के दो आरंभिक चरण—पाषाण युग और नव पाषाण-युग में भेद कर सकते हैं।
- यह जान सके हैं कि जटिल विषयों को सरल भाषा में निम्नलिखित तरीकों से बदला जा सकता है।

  i) वैज्ञानिक शब्दावली की सरल व्याख्या

  ii) वैज्ञानिक अवधारणाओं की सरल व्याख्या

iii) लोक-परिचित उदाहरण
iv) सरल और सहज वाक्य-रचना
v) आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग

उपर्युक्त नियमों के आधार पर जटिल विषयों को सरल भाषा में बदल सकते हैं।

- पाठ में प्रयुक्त उर्दू शब्दों के सही अर्थ कर सकते हैं और उनको सही उच्चारण में बोल सकते हैं।
- संभावनार्थक और संदेहार्थक वाक्यों में भेद कर सकते हैं और ऐसे वाक्यों की रचना कर सकते हैं।

3.7 शब्दावली*

1 **जानदार :** फ़ारसी शब्द—जान + दार = जिसमें जान हो — पर्याय—सजीव, जीवधारी

चिमड़ी : चीमड़ (चर्म) से बना शब्द (देशज) —जो न जल्दी फ़टे और न टूटे। चमड़े की तरह सख़्त और मोटी खाल वाला।

दरख़्त : फ़ारसी शब्द—पर्याय—पेड़, तरू, वृक्ष

मुल्क : अरबी शब्द—राष्ट्र, सल्तनत, जन्मभूमि — पर्याय—वतन (अरबी)

2 **तब्दील :** अरबी शब्द—बदलना

3 **जलवायु :** किसी स्थान के मौसम (सर्दी, गर्मी आदि) को सूचित करने वाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव वहाँ की आबादी तथा वनस्पति आदि पर पड़ता है। पर्याय—आबोहवा।

4 **खुश्की :** फ़ारसी शब्द—सूखापन—पर्याय—शुष्कता। यहाँ पानी ख़त्म होने पर ज़मीन सूखने से तात्पर्य है।

11 **अजायबख़ाना :** (अरबी-फ़ारसी शब्द) —अजायब + खाना
अजीब का बहुवचन—अजायब
अन्य शब्द—अजायबघर (घर—हिंदी शब्द)

13 **बाज़ :** अरबी शब्द—विशेषण—अर्थ—कतिपय, चंद, कोई-कोई।

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- जवाहरलाल नेहरू : **पिता के पत्र पुत्री के नाम** : चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, दिल्ली।
- हैकल : **विश्व प्रपंच** : अनुवाद — पं. रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी।

3.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1

क i) ख ii)

2

i) सही ii) गलत iii) सही iv) गलत
v) सही

3

i) मेंढक और मगरमच्छ दोनों पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते है।
ii) जिससे कि वह जंगल में आसानी से छुप सके और अपने को बचा सके।
iii) घने जंगल चट्टान और मिट्टी के बोझ से दब जाने के कारण धीरे-धीरे कोयले में बदल गये।
iv) मेंढक फेफड़े से साँस लेता है।

4

i) मछली iv) पक्षी
ii) मगरमच्छ v) बनमानुस
iii) शेर

* शब्दों के आरंभ में दी गई संख्या पाठ के पैरा की है।

5

i) रीढ़ iv) आग
ii) अंडे v) एक
iii) बंदरों

6

जलचर	उभयचर	सरीसृप	स्तनपायी	अंडज
मछली	कछुआ	छिपकली	शेर	शुतुरमुर्ग
ह्वेल	घड़ियाल	नाग	चूहा	गिद्ध
आक्टोपस		घड़ियाल	चमगादड़	मोर
शार्क		गोह	ह्वेल	
			आदमी	
			कंगारू	

7

क iv) ख iii)

8

i) ग ii) घ iii) ङ iv) क v) ख

9

i) iv) iii) ii)

10

i) पत्थर-युग की मुख्य विशेषता पत्थरों से औज़ार बनाना है।
ii) खेती करना सीखना दोनों युगों में अंतर करने वाली मुख्य विशेषता है।
iii) वह खाल के कपड़ों की बजाय सन से बने कपड़े पहनने लगा।

अभ्यास

1

i) ज़मीन — धरती
ii) सफ़ेद — श्वेत
iii) बर्फ़ — हिम
iv) दरख़्त — पेड़
v) ज़िंदगी — जीवन
vi) तरक्की — प्रगति
vii) हिफ़ाज़त — सुरक्षा
viii) तकलीफ़ — कष्ट
ix) दिमाग — बुद्धि
x) ज़िक्र — चर्चा

2

i) उस ज़माने में पानी में रहने वाले जानवर जमीन पर आते ही मर जाते होंगे।
ii) उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे।
iii) पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया होगा वह आग थी।

3

i) मैंने उन्हें माँस खाते नहीं देखा, शायद वे शाकाहारी हों।
ii) घर का पीछे का दरवाज़ा खुला था, शायद चोर उधर से आया हो।
iii) और लोग तो आ गये, शायद राम कल आए।

अनुकार्य

उर्दू-हिंदी के किसी शब्दकोश की सहायता से पाठ में आए अरबी और फ़ारसी के 20-20 शब्द छाँटिए।

इकाई 4 संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 भारत के त्योहार

4.3 शब्दकोश का उपयोग

4.3.1 शब्द ढूंढना

4.3.2 शब्दार्थ ढूंढना

4.3.3 शब्दकोश से अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना

4.4 सारांश

4.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

अनुकार्य

4.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी में संस्कृति संबंधी विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे।
- संस्कृति संबंधी विषय को पढ़कर उसकी शब्दावली का उचित प्रयोग सीख सकेंगे।
- शब्दकोश का सही प्रयोग कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई विज्ञान विषय से संबंधित थी। यह इकाई संस्कृति विषय से संबंधित है। उक्त इकाई में हमने पढ़ा था कि कैसे मानव ने सभ्यता का विकास किया। किस तरह उसने अपने सामने आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। मानव सभ्यता का आज तक का विकास मानव की जय यात्रा की ही कहानी है। लेकिन मानव की उपलब्धियाँ किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा या श्रम का परिणाम नहीं है। मानव जाति का सामूहिक श्रम और क्षमता ही इनमें अभिव्यक्त हुई है। जब-जब मानव ने सामूहिक रूप से कुछ अर्जित किया, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, अपने को सांस्कृतिक रूप में उन्नत किया, तो ऐसे अवसरों को उसने त्योहारों की शक्ल दी। अपने जीवन को आनंद और उल्लास से भरने के लिए उन त्योहारों को अपने सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बना लिया।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास जितना पुराना है उतना ही गौरवमय भी। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता त्योहारों में जीवंत रूप से व्यक्त होती है। हमारी इस इकाई का पाठ भारत के त्योहारों पर ही लिखा है।

इस इकाई में हम शब्दावली नहीं दे रहे हैं बल्कि शब्दकोश का प्रयोग कैसे किया जाय यह सिखा रहे हैं। शब्दकोश से हम केवल शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते, उनके बारे में अन्य कई जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे शब्द किस भाषा का है। उसका लिंग क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, मानक रूप क्या है, आदि। एक अच्छे शब्दकोश में हमें उक्त सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का क्रम। इस के लिए कौन-से नियमों का पालन किया जाता है, इसकी जानकारी भी पाठ में दी जाएगी।

जब आप शब्दकोश का सही प्रयोग करना सीख लें तो उसके बाद पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आप स्वयं ढूंढ सकते हैं।

4.2 भारत के त्योहार

1 भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उन्नति में नाना जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों का हाथ रहा है। संस्कृति की अभी तक कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा नहीं बन पायी है। इसका कारण यह हो सकता है कि इसके संपूर्ण एवं व्यापक रूप का अवलोकन

मनुष्य ने अभी तक नहीं किया है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के द्वारा विकसित परम्पराएँ, रीति-रिवाज, आचार-विचार, साहित्य, धर्म, कला सभी कुछ का समावेश हो जाता है। त्योहार संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। त्योहार का मानव जीवन के साथ गहरा संबंध है। यह मानव के सम्मिलित उल्लास व उमंग का रूप है। प्रत्येक देश का जन समुदाय आनंद मनाने के लिए त्योहार मनाता है। जिस प्रकार समय के साथ-साथ सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार त्योहार के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है।

2 इस पाठ में हम भारत के त्योहारों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार त्योहार भारतवासियों में सांस्कृतिक एकता एवं भाईचारे की भावना बढ़ाते हैं। हमारा देश गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एवं कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत भू-खंड में फैला हुआ है। एक ओर हिमाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर घने जंगलों से भरा प्रदेश। एक ओर मरुभूमि है तो दूसरी ओर विशाल उपजाऊ मैदान। भाषा, पहनावा, खान-पान, रीति-रिवाज, साहित्य, कला सभी क्षेत्रों में अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त है हमारा देश। इस देश में त्योहार भी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों का संबंध प्रायः प्रकृति और धर्म से जोड़ा जाता है। कुछ त्योहार राष्ट्र या समाज में घटी महान् घटना अथवा किसी महान् व्यक्ति की याद में भी मनाये जाते हैं। ऐसे त्योहारों की चर्चा भी हम पाठ के अंतर्गत करेंगे जो हर वर्ष हमें देश की आज़ादी एवं महापुरुषों के बलिदान की कहानी याद दिला कर हममें देशभक्ति की भावना बढ़ाते हैं। आइए, अब हम देखें कि ये त्योहार किस रूप में मनाये जाते हैं, किस प्रकार ये विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों के बीच सेतु का काम करते हैं। किस प्रकार ये हममें सद्गुणों का विकास करते हैं।

क) शरद ऋतु के प्रमुख त्योहार

3 हमारा देश कृषिप्रधान है। कृषि जीवन का आधार है। इसलिए हमारे कई त्योहार कृषि से जुड़े हैं। भारत में मुख्य रूप से दो फसलें होती हैं — रबी और खरीफ़। इन दोनों फ़सलों की कटाई के अवसर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई त्योहार मनाए जाते हैं।

4 वर्ष में मुख्य दो नवरात्रियाँ आती हैं। एक है शारदीय नवरात्र जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक और दूसरी वासंतीय चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। इन दोनों नवरात्रियों का संबंध दोनों मुख्य फ़सलों से है।

5 शरद के त्योहार दुर्गा पूजा से आरंभ होकर दीपावली तक चलते रहते हैं। ''दशहरा'' या ''नवरात्रि'' या ''विजयादशमी'' का त्योहार संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों के मूल में प्रकृति-परिवर्तन, फसल की कटाई एवं धार्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। ये धार्मिक मान्यताएँ मानव के सद्विचारों को ऊपर उठाने में सहायता पहुँचाती हैं। शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की आराधना पूरे देश में भिन्न-भिन्न रूपों में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल प्रांत में माँ दुर्गा की दशभुजी, आकर्षक एवं विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में देवी की पूजा के साथ ही रामलीलाओं का विशेष आयोजन होता है। इसकी समाप्ति रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जलाने के साथ होता है। गुजरात राज्य में रात्रि जागरण एवं ''अंबा'' की पूजा के साथ उस राज्य का मनोहारी नृत्य ''गरबा'' का आयोजन होता है। दक्षिण भारत में यह त्योहार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्रथम तीन दिन शक्ति की प्रतीक दुर्गा की आराधना की जाती है। उसके बाद तीन दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है और बाकी तीन दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा के साथ इसका समापन होता है। इस त्योहार के आगमन से संपूर्ण भारत में उल्लास-उमंग का वातावरण बन जाता है। मेलों में सभी संप्रदायों के लोग इकट्ठे होकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार आपसी सौहार्द का वातावरण बनता है।

6 दीपावली हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनायी जाती है। दीप मालिकाओं से अमावस्या की रात्रि में सारा वातावरण जगमगा उठता है। वर्षा ऋतु के तत्काल बाद मनाये जाने वाले इस त्योहार के अवसर पर लोग अपने घरों की रँगाई-पुताई कराकर नया रूप प्रदान करते हैं। दुकानों को भी सजाया-सँवारा जाता है। लोक मान्यता है कि अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र इसी दिन रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्यावासियों ने घरों को दीपमालिकाओं से सजा कर खुशी मनायी थी। उत्तर भारत में इस दिन धन की देवी लक्ष्मी तथा विघ्नहारी गणेश की पूजा होती है।

7 पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल प्रांत में इसे ''काली पूजा'' के नाम से भी मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार माँ काली ने अत्याचारी चंड-मुंड नाम के दैत्य का वध किया था।

8 दक्षिण भारत में इस त्योहार को सात्विकता की आसुरी शक्ति पर विजय की याद में ''नरक चतुर्दशी'' के रूप में मनाया जाता है। लोक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था।

9 वास्तव में इन त्योहारों के पीछे यही भावना निहित है कि हमारे अंदर दुर्गुणों का नाश हो एवं सद्गुणों का विकास हो। देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ और उनसे जुड़ी हुई कथाएँ प्रतीक रूप में हैं। जनसामान्य केवल कोरे उपदेश द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। यही कारण रहे होंगे जिनसे मूर्ति रूप में सात्विक एवं आसुरी शक्तियों का प्रदर्शन आरंभ हुआ होगा। दुर्गा की प्रतिमा देवताओं की सम्मिलित शक्ति का ही प्रतीक है। ''महिषासुर'' राक्षस की प्रतिमा आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। विघ्न-बाधा के दूर होने पर ही किसी भी कार्य में प्रगति हो सकती है। इसी भावना से ''विघ्न हरण'' गणेश की प्रतिमा की पूजा होती है। गणपति को बुद्धिदाता एवं उनकी सवारी चूहे को विघ्न के रूप में समझा जाता है। यह प्रतीक है कि ज्ञान रूपी गणेश विघ्न रूपी चूहे को वश में रखते हैं। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार रावण, मेघनाद, एवं कुंभकर्ण रूपी आसुरी या बुराई की शक्तियों का विनाश सात्विकता या अच्छाई के प्रतीक ''राम'' द्वारा ही संभव है। वास्तव में मानव के अंदर मानवीय गुणों का विकास एवं आसुरी दुर्गुणों का नाश ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर उठा सकता है।

ख) वासंतीय त्योहार

10 मकर संक्रांति हमारे देश का ऐसा त्योहार है, जिसके साथ ऋतु परिवर्तन, धार्मिक मान्यताएँ एवं फ़सल की कटाई का आनंद सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यह त्योहार सारे देश में भिन्न-भिन्न नामों एवं धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ, क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त होकर मनाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत में इस दिन लाखों की संख्या में लोग पवित्र नदियों एवं कुंडों में स्नान करते हैं। तिल एवं गुड़ का अर्पण कर सूर्य की पूजा करते हैं।

11 पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में इसे "लोहड़ी" के नाम से मनाया जाता है। इसके आठ दिन पूर्व से ही लोग घर-घर जाकर लोक गीत गाते हैं। आठवें दिन "लोहड़ी" पर लोग इकट्ठे होकर आग जलाते हैं एवं इसमें नए अन्न एवं तिल की आहुति देते हैं। महाराष्ट्र में इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। विवाहित महिलाएँ घर-घर जाकर गुड़ और तिल से बने पकवान तथा नए अन्न बाँटती हैं।

12 तमिलनाडु में इस त्योहार को तीन दिन मनाते हैं। पहले दिन को भोगी कहते हैं। दूसरे दिन पोंगल के रूप में मनाते हैं, नये बर्तन में मीठे भात पकाकर सूर्य को अर्पित करते हैं। तीसरे दिन खेती में सहायक बैलों एवं गायों का श्रृंगार करते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में इसे संक्रांति के नाम से ही मनाते हैं। तिल और गुड़ तथा नए धान्य से सूर्य की पूजा करते हैं।

13 मकर संक्रांति के बाद का महत्वपूर्ण त्योहार है बसंत पंचमी। यह त्योहार ऋतु परिवर्तन का सूचक है। इसका संबंध विद्या की देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए इस दिन स्कूलों में कक्षाओं को सजाया जाता है। पूर्वी भारत के राज्यों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। कई जगह छात्र-छात्राएँ पीले परिधान धारण करके आते हैं। चारों ओर का वातावरण ही जैसे बसंती हो जाता है। इसी दिन हिंदी के विख्यात कवि महाप्राण निराला की जयंती भी मनायी जाती है।

14 वासंतीय त्योहारों का चरम उत्कर्ष होली में व्यक्त होता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार उल्लास और उमंग लेकर आता है। शायद ही कोई त्योहार ऐसा हो, जो इतने राग-रंग के साथ मनाया जाता हो। हिंदी प्रदेशों में माघ माह से ही "फाग" गाया जाने लगता है। होली के पहले दिन यानी फाल्गुन मास की समाप्ति पर होलिका-दहन होता है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रंग-अबीर डालते हैं, गाते बजाते हैं।

ग) धर्म और त्योहार

15 हमारे देश में विश्व भर से कितनी ही जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग आये और भारत के निर्माण में अपना योगदान देते चले गये। इस देश ने सभी संस्कृतियों को अपने में पचाकर एकाकार कर लिया।

16 विश्व की अनेक संस्कृतियों के समन्वय का सबसे उपयुक्त उदाहरण भारत ही है। विविधताओं के बीच एकता कायम करने की क्षमता हमारे देश में है। इसलिए कहा गया है कि "भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आ-आकर विलीन होती रही हैं। विश्वबंधुत्व की भावना इस देश में आज से नहीं प्राचीन काल से ही रही है। "वसुधैव-कुटुम्बकम्" (सारी पृथ्वी एक परिवार है) की गूँज प्राचीन काल से आज तक इस देश में गूँज रही है।"

17 विश्व में ऐसी महान् विभूतियाँ हुई हैं, जिनके विचार एवं उपदेश सारी मानव जाति के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जैसे-जैसे विभिन्न जातियाँ इस देश में आती गयीं, वैसे-वैसे उनके साथ उनके धर्म के महापुरुषों की अमर वाणियाँ भी यहाँ आती गयीं। भारतीय जनमानस ने उन सबको अपनाया। यही नहीं, सभी धर्म प्रवर्तकों एवं महापुरुषों के उपदेशों को स्थायित्व देने एवं उनके स्मरण के लिए उनकी जयंती भी हर वर्ष हम त्योहारों के रूप में मनाने लगे। इस प्रकार इसी देश के जैन धर्म प्रवर्तक महावीर हों या इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद हों, गीता के उपदेशक श्री कृष्ण हों या ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह हों, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम हों या सिक्ख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हों, सभी की जयंतियाँ इस देश के त्योहार बन गयी हैं।

18 ईद इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ईद का त्योहार साल में दो बार मनाया जाता है—ईदुल फ़ितर और ईदुल जुहा। ईदुल फ़ितर रमज़ान के महीने के बाद आता है। रमज़ान के पूरे महीने मुसलमान रोज़ा रखते हैं। एक माह के रोज़े की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष में ईद मनायी जाती है। आखिरी रोज़े के अगले दिन ईद होती है। ईद चाहे कश्मीर हो या तमिलनाडु, राजस्थान हो या बंगाल, सभी जगह बड़े उत्साह-उमंग के साथ मनायी जाती है। "ईदगाह" में नए कपड़े पहने लोग नमाज अदा करने इकट्ठे होते हैं। ईदगाह के मेले में लोग आनंद मनाते हैं। मीठी सेवइयाँ बाँटी जाती हैं। हिंदू एवं अन्य धर्म संप्रदायों के लोग अपने मुसलमान भाइयों के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईदुल जुहा त्याग और बलिदान की स्मृति का त्योहार है। पैगंबर इब्राहीम ईश्वर के आदेश पर अपने प्रिय पुत्र की बलि देने को भी तत्पर हो गये थे। इसी तरह मुहर्रम भी भारत में सभी जगह मनाया जाता है। यह त्योहार हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे और हज़रत अली के पुत्र हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़िये भी निकाले जाते हैं।

19 सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती भी हर्षोल्लास के साथ मनायी जाती है। गुरु नानक देव ने धर्म के सच्चे स्वरूप का और हिंदू-मुसलमानों में भाईचारे का उपदेश दिया था। इस दिन प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं एवं गुरुद्वारे में गुरुग्रंथ साहब का पाठ होता है। क्रिसमस के अवसर पर ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह की जयंती मनाते हैं। इस दिन गिरजाघरों में प्रार्थनाएँ होती हैं।

घ) राष्ट्रीय पर्व

20 प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिन्हें राष्ट्र कभी नहीं भुलाता। इसी तरह कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, जो उस राष्ट्र को नयी दिशा देकर नये युग का प्रवर्तन कर जाते हैं।

21 ऊपर हमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों, धर्मों एवं जातियों के महापुरुषों की जयंतियाँ मनाकर हम अपनी राष्ट्रीय एकता एवं विश्वबंधुत्व की भावना को मजबूत करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान भारत के निर्माण में कौन-कौन से विशेष दिन हैं एवं किन-किन महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। ऐसे दिवस एवं जन्मदिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।

22 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश ने विदेशी शासन से मुक्ति पायी। इस स्वाधीनता दिवस को हम भारतवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। देश के सभी हिस्सों से लोगों ने विदेशी सत्ता के खिलाफ़ आवाज उठाई और अपनी कुर्बानी दी। बहुत दिनों के संघर्ष एवं अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। ऐसे स्मरणीय दिन को हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसी प्रकार 26 जनवरी, 1950 को हमारा देश ''गणतंत्र'' बना। इसी दिन सारे भारतवासियों को समानता का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत के संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर न कोई छोटा है न बड़ा। गणतंत्र दिवस भी बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। मुख्य समारोह दिल्ली के विजय चौक पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण से होता है। सेना के सभी अंगों द्वारा विशेष परेड एवं देश की प्रगति की झाँकियाँ निकाली जाती हैं। इसी तरह के कार्यक्रम राज्य की राजधानियों एवं अन्य शहरों में भी होते हैं।

23 2 अक्तूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते है। गांधी जी ने जहाँ देश की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया, वहीं अहिंसा की शक्ति द्वारा अंग्रेज़ी शासन से इस देश को मुक्ति दिलायी। गांधी जी के विचारों एवं कार्यों ने इस देश पर अमिट छाप छोड़ी है। अछूतोद्धार, सांप्रदायिक एकता, एवं अहिंसा उनकी महान् देन है। 30 जनवरी, 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति की गोली से इस अहिंसा के पुजारी का निधन हो गया। सारे विश्व में इस दुखद घटना से शोक छा गया था। हम हर वर्ष इस दिन को ''शहीद दिवस'' के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार 14 नवंबर को हम अपने प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की जयंती ''बाल दिवस'' के रूप में मनाते हैं। आधुनिक भारत के नवनिर्माण में नेहरू जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

24 इस प्रकार हमारे देश के त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाये जा रहे हों या नये वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हों या महापुरुषों की याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त होने के साथ ही, देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मज़बूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ-साथ विश्वबंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार-बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है। केवल उस लक्ष्य तक पहुँचने के तरीके अलग-अलग हैं। अतः त्योहार हमारी संस्कृति की रक्षा, देश की एकता एवं विश्वबंधुत्व की भावना बढ़ाने में सहायक हैं।

बोध प्रश्न

1 नीचे दिये गये कथनों में से कुछ सही हैं, कुछ गलत। अपना उत्तर चुनकर उसे ''ठीक'' चिह्न द्वारा दिखाइए।

क) दीपावली का संबंध धर्म से भी है और प्रकृति से भी। ☐ सही ☐ गलत

ख) त्योहारों का वर्तमान रूप प्राचीन काल से चला आ रहा है। ☐ सही ☐ गलत

ग) उत्तर भारत में दशहरा और बंगाल में काली पूजा का त्योहार एक साथ मनाया जाता है। ☐ सही ☐ गलत

घ) इदुल ज़ुहा त्याग और बलिदान की स्मृति का त्योहार है। ☐ सही ☐ गलत

2 नीचे दिये गये पर्वों को सही प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़िए।

1) लोहड़ी	क) आसुरी शक्ति पर विजय
2) काली पूजा	ख) राष्ट्रीय भावना का विकास
3) लक्ष्मी पूजा	ग) नयी फ़सल की खुशी
4) गणतंत्र दिवस	घ) समृद्धि की आकांक्षा

3 पाठ के कुछ वाक्य नीचे दिये गये हैं। इन वाक्यों के तात्पर्य को दिये गये तीन कथनों में से एक सबसे सही रूप में व्यक्त करता है। उस कथन को बताइए।

i) त्योहार, भारतवासियों में सांस्कृतिक एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाते हैं।
क) हमारी सांस्कृतिक एकता तथा भाईचारे की भावना को मजबूत करने में विभिन्न त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
ख) त्योहार ही एकमात्र उपाय है, जिससे सांस्कृतिक एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जा सकता है।
ग) धार्मिक त्योहारों से सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय त्योहारों से भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है।

[ ]

ii) मानव के अंदर मानवीय गुणों का विकास एवं आसुरी दुर्गुणों का नाश ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर उठा सकता है।

क) ईश्वरीय शक्ति के प्रकाश से मनुष्य अच्छा और आसुरी शक्ति से बुरा बनता है।

ख) केवल आसुरी दुर्गुण के नाश होने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है।

ग) मनुष्य में मानवीय गुण भी होते हैं और आसुरी दुर्गुण भी। अगर वह मानवीय गुणों का विकास करे और आसुरी दुर्गुणों का दमन, तो उसका व्यक्तित्व महान् बन सकता है। [ ]

iii) सभी धर्मों ने अपने-अपने तरीकों से एक ही निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचने की बात कही है।

क) ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों में एकता लाना सभी धर्मों का लक्ष्य है।

ख) सभी धर्म एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं।

ग) धर्मों के तरीके अलग हैं, इसलिए उनके लक्ष्य अलग हैं। [ ]

4 इस पाठ में हमने एक मूल विचार लिया—**भारत के त्योहारों का वर्णन**। जैसा कि आप जानते है इस विशाल देश में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के लोग रहते हैं। वे अपने-अपने त्योहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में भी एक ही त्योहार अलग-अलग जगहों में अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है। इस पाठ का हमारा उद्देश्य सिर्फ त्योहारों का वर्णन करना नहीं है। हम अपने मूल विचार को इस रूप में प्रकट करना चाहते है कि त्योहार सांस्कृतिक पर्व है और राष्ट्र के जीवन के द्योतक है। इसी विचार बिंदु को हम पाठ के रूप में विकसित कर रहे है और त्योहार मनाने के उद्देश्य, त्योहार एवं संस्कृति का संबंध और राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व आदि बातों की चर्चा कर रहे हैं।

आगे पाठ के इन्हीं विचार बिंदुओं को अभिव्यक्त करने वाले कुछ वाक्य दिये गये है। आप कोष्ठक में दिये शब्दों में से सही शब्द को रखें और गलत को काट दें जिससे वाक्य सार्थक बन जाए।

1 त्योहार मानव की (संस्कृति/सभ्यता) का महत्वपूर्ण अंग है।
2 त्योहार काल और (क्षेत्र/प्रकृति) के अनुसार बदलते हैं।
3 (मकर संक्रांति/नवरात्र) के अवसर पर दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहार मनाए जाते हैं।
4 सरस्वती (विद्या/धन-धान्य) की देवी मानी जाती है।
5 आसुरी शक्ति का तात्पर्य है हमारे (उच्च/निम्न) विचार और हमारा (सत्/विकृत) व्यवहार।
6 ऋतुओं से संबंधित त्योहारों को (प्राकृतिक/सामाजिक) त्योहार कहते हैं।
7 ऋतु परिवर्तन के त्योहारों में कुछ हद तक (धार्मिक/प्राकृतिक) मान्यताएँ भी जुड़ गई हैं।
8 लोहड़ी (पंजाब/गुजरात) राज्य और पोंगल (तमिलनाडु/महाराष्ट्र) राज्य का त्योहार है।
9 महापुरुषों के उद्देश्य और विचार (देश/मानव मात्र) के लिए कल्याणकारी होते हैं।
10 सर्वधर्म सद्भाव से राष्ट्रीय (एकता/प्रगति) को बल मिलता है।
11 देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों का जन्म दिवस (राष्ट्रीय/सांस्कृतिक) त्योहार कहलाता है।
12 26 जनवरी, 1950 को भारत (स्वतंत्र/गणतंत्र) हुआ।

5 क) पैरा 8 एवं 9 में दो प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है।
दोनों के अर्थ में आये हुए अन्य शब्दों को साथ में लिखिए।

i) सात्विक शक्तियाँ	ii) आसुरी शक्तियाँ
....	....
....	....
....	....

ख) पैरा 2 में हमने बलिदान शब्द का इस्तेमाल किया है इसी भाव को स्पष्ट करने वाले अन्य शब्दों को लिखिए।

....

....

....

....

6 i) पैरा 5 से 9 तक में आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में जिनका उल्लेख किया गया है, उनके नाम लिखिए।

....

....

....

....

ii) त्योहार मनाने के संबंध में हमने उल्लास शब्द का प्रयोग किया है। पूरे पाठ में इस तात्पर्य को व्यक्त करने वाले अन्य शब्दों को खोज कर लिखें।

....

....

....

7 निम्न प्रश्नों के उत्तर दो-तीन पंक्तियों में दीजिए।

i) त्योहारों की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

ii) किन त्योहारों में प्रकृति और धर्म दोनों का संबंध है?

....

....

iii) राष्ट्रीय पर्वों के मनाने के तीन कारण बताइए।

....

....

....

iv) मुहर्रम क्यों मनाया जाता है?

....

....

....

4.3 शब्दकोश का उपयोग

आपने अभी भारतीय त्योहारों के बारे में पाठ पढ़ा। आपने देखा होगा कि यह पाठ पिछले पाठ से कुछ कठिन है। इसमें कई नये शब्द आये हैं और हमने पाठ के अंत में शब्दावली भी नहीं दी है। यह तो आप जानते ही हैं कि पुस्तकें, अखबार आदि पढ़ते समय आपको शब्दावली तो मिलती नहीं। हमने और पाठों में जो शब्दावली दी है, वह भी शायद सबके लिए काफी न हो। ऐसी स्थिति में शब्दों का अर्थ जानने का क्या तरीका है? कैसे नये शब्दों का अर्थ जान सकते हैं? इसके लिए आपको शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ेगी।

पहले आप जानना चाहेंगे कि शब्दकोश में शब्द कैसे देखें, फिर उस शब्द का अर्थ कैसे ढूंढें। शब्दकोश से आपको न केवल शब्द का अर्थ मिल सकता है, बल्कि और भी कई सूचनाएँ मिलती हैं। आगे हम इन तीनों बातों की चर्चा करेंगे।

4.3.1 शब्द ढूंढना

आपने इकाई 1 में हिंदी की वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया। अपने उस ज्ञान को दुहराने के लिए आगे दी गयी जगह में वर्णमाला को लिख लीजिए और उसके क्रम को ठीक से देखें।

अ क च ट त प य श क्ष

1. वर्णमाला में वर्णों के इस क्रम को अकारादि क्रम कहते हैं (अकार+आदि)।अकार का अर्थ है वर्ण (अ) अन्य वर्णों को भी हम ''ईकार'' ''चकार'' ''तकार'' आदि शब्दों से बता सकते हैं। शब्दकोश में सारे शब्द अकारादि क्रम से दिये जाते हैं, अर्थात् पहले ''अकार'' के शब्द, फिर ''आकार'' के शब्द, फिर ''इकार'' के शब्द। अगर आपको ''गमला'' शब्द ढूँढना हो तो (ख) के शब्दों और (घ) के शब्दों के बीच में देखिए। शब्द देने के इस क्रम को शब्दकोशीय क्रम (alphabetical order) भी कहते हैं।

2 हिंदी में अकार में कई हजार शब्द आते हैं। अकार के हजारों शब्दों में से एक को कैसे ढूँढा जाए। अकार के भीतर शब्दों को ढूँढने के लिए शब्द के दूसरे वर्ण में अकारादि क्रम को देखना होगा। अगर दूसरा वर्ण समान हो, तो तीसरा वर्ण देखना होगा। अगर तीसरा वर्ण भी समान हो, तो चौथा वर्ण देखना होगा। इस तरह क्रम से सभी वर्णों को देखते चलें, तो आप सही शब्द तक पहुँच जाएँगे। शब्दकोश के क्रम से आगे कुछ शब्दों को दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए।

दो वर्ण	**तीन वर्ण**	**चार वर्ण**	**पांच वर्ण**
कब	समझ	प्रदर्शक	राजनीतिक
कम	समन	प्रदर्शन	राजनीतिज्ञ
कर	समय		
कल	समर		
कश			

लेकिन शब्दकोश में छोटे-बड़े सभी तरह के शब्द साथ होते हैं। उस स्थिति में भी हर वर्ण क्रम के अनुसार, शब्दकोशीय क्रम देख सकते हैं। ऊपर के शब्दों के अलावा कुछ अन्य शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखा गया है, आप इनके क्रम को आगे के शब्दों में देख सकते हैं।

कंपन कब कबीला कम कमर कमरा कर करना कराना कल कला कलि कलिंग कली कश कशमकश कशिश कंस कहना पंजा पल पलंग पर प्रकाश प्रदर्शक प्रदर्शन प्रदर्शित प्रदूषण राज राजनीति राजनीतिक राजनीतिज्ञ राजा संकट सखा संभव समझ समन समय समर समरस सम्मान सम्मोह

आपने देखा होगा कि हिंदी में कुछ वर्ण हैं, जिन्हें वर्णमाला में दिखाया नहीं गया है। ये हैं :
(अँ) (कं) : (तः)

ड़ ढ़

क़ ख़ ग़ ज़ फ़

इनसे बनने वाले शब्दों को शब्दकोश में कैसे और कहाँ ढूँढा जाए? शब्दकोश में अनुनासिक (ँ) और (ं) अनुस्वार को एक माना जाता है। इनका स्थान वर्ण से पहले है। कुछ शब्दों का क्रम देखिए :

अंक	कंकड़	संबद्ध
अकड़	कंटक	संबल
अकल	कँपकँपी	सब
अंग	कंपन	सबल
अगर	कपट	संबाध

इसी तरह बिंदी, विसर्ग और वर्ण का क्रम है :

अतंत्र अतः अतएव अनत

शेष वर्ण (ड़, ढ़, क़, ख़, ग़, ज़, फ़) सामान्य वर्ण की तरह क्रम में आते हैं और वर्ण के नीचे की बिंदी (नुक्ता) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्दकोश का क्रम देखिए :

ताक	जल	फ़ाका
ताक़त	जलज	फाटक
ताकना	ज़लज़ला	फ़ारिग़
ताज	जलद	फ़ासला
ताज़ा	ज़लील	फाहा

4 सवाल यह उठता है कि स्वर की मात्राओं और आधे व्यंजनों (संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण) को कैसे ढूँढा जाए? दोनों का उत्तर एक ही है। व्यंजन और स्वर के योग का शब्दकोश क्रम निम्न प्रकार है, जहाँ हम हलंत को भी एक मात्रा के रूप में रखते हैं और उसे मात्राओं के अंत में रखते हैं। क्रम देखिए :

कं क का कि की कु कू कृ कें कै को कौ क्

इस प्रकार कुछ शब्दों का क्रम देखिये :

कंपन	बाला	स्तंभ
कल	बालू	स्तन
काम	बाल्टी	स्तर
कृति	बाल्टू	स्तुति
कौन	बाल्य	स्तूप

5 तीन और अक्षर हैं जिनकी चर्चा करनी है। ये हैं : क्ष, त्र, ज्ञ।

इन तीनों को कहाँ ढूँढे? ये तीनों मुख्यतः व्यंजन हैं।

क+ष—क्ष   ज+ञ—ज्ञ   त+र—त्र

जैसे ऊपर संयुक्त वर्णों को ढूँढने के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह इन्हें भी ढूँढ सकते हैं। कुछ शब्दकोशीय क्रम देखिए :

अक्ल	नक्श	जौ	सत्य
अक्ष	नक्शा	ज्ञात	सत्र
अक्षर	नक्षत्र	ज्ञान	सत्रांत
अक्षुण्ण		ज्ञेय	सत्रीय
अक्स		ज्यमिति	सत्व

अभ्यास

1 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में रखिए। उत्तर इकाई के अंत में देख सकते हैं।

भक्ति, अंग, महानता, त्योहार, संस्कृति, पूर्वी, पढ़ना, बड़ा, मानव, प्रकृति, ऋतु, मुख्य, फसल, पंक्तियाँ, महापुरुष, पूजा, भावना, ब्याज, जिक्र, तरक्की।

....

....

....

....

....

4.3.2 शब्दार्थ ढूँढना

शब्द को ढूँढने के बाद आप शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे। पाठ में कई शब्द नये हैं, जैसे, सम्मिलित, हिमाच्छादित, प्रतिभा, सद्गुण, दहन, एकाकार, प्रवर्तक आदि। पाठ पढ़ने के साथ आपको चाहिए कि आप इन शब्दों का अर्थ देख लें, हाशिये में शब्दार्थ लिख लें और पुनः पाठ पढ़ें।

जब आप पाठ पढ़ते हैं, तो आपको कुछ-कुछ उसके अर्थ का आभास हो जाता है। शब्दकोश में शब्दों के कई अर्थ दिये हुए होते हैं। आप सही अर्थ चुन लें, तो वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ के पैरा 1 में "समावेश" आया है। "संस्कृति के अंतर्गत (....) धर्म, कला आदि का समावेश हो जाता है।" शब्दकोश में इसके कई अर्थ दिए हुए हैं।

... अध्ययन समाप्त कर ...
...चारी, स्नातक।

समावृत्ति—स्त्री० [सं०] दे० 'समावर्तन'; समाप्ति।

समावेश—पु० [सं०] प्रवेश; साथ रहना; मिलना, एकत्र होना; अंतर्भाव, शामिल होना; प्रेतावेश; व्याप्त होना; साथ-साथ होना या घटित होना; भावावेश; मतैक्य; मनोनिवेश।

समावेशन—पु० [सं०] प्रवेश; अधिकारमें करना; विवाह का संपन्न होना।

...—वि० [सं०] जिसका प्रवेश ...

इसके कई अर्थों में "शामिल होना" सबसे उपयुक्त अर्थ है। "संस्कृति के अंतर्गत (....) धर्म, कला आदि शामिल है।"

इन विभिन्न अर्थों में से उचित अर्थ ढूंढकर आप पाठ को समझ सकते हैं।
कभी-कभी आपको कोश में शब्द नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे "सद्गुण" शब्दकोश में शायद नहीं मिलेगा। तब क्या करें? आप सत् शब्द में इसे ढूंढ सकते है। आपको यह ज्ञान हो कि व्यंजन संधि में सत् का रूप सद् भी है, तो आप इसे सद् में देखेंगे। सद्गुण याने अच्छा गुण।

संस्कृत विषय के बोधन उसका उपयोग

...रात्रियुक्त।
सदोषक–वि० [सं०] दोषयुक्त, ऐबदार।
सद्–'सत्'का समासगत रूप। **–गति**–स्त्री० अच्छी दशा; मोक्ष प्राप्ति; अच्छे आदमियोंका तौरतरीका। **–गव**–पु० अच्छा साँड। **–गुण**–वि० अच्छे गुणोंसे युक्त। पु० अच्छा गुण; सज्जनता। **–गुरु**–पु० अच्छा गुरु, धर्मगुरु। **–ग्रंथ**–पु० उत्तम ग्रंथ; सन्मार्गकी ओर प्रवृत्त करनेवाला ग्रंथ। **–ग्रह**–पु० शुभ ...
... और ईमानदारीकी ओर ...

शब्दार्थ ढूंढते हुए कई शब्दकोश आपको पर्याय (समान अर्थ वाले अन्य शब्द) विलोम (विपरीत अर्थ वाले शब्द) आदि के विवरण भी देते हैं

उदाहरण के लिए

खुशबू...................................पर्याय सुगंध।
बदबू...................................विलोम खुशबू।

कुछ शब्द बताये गये अर्थ के संदर्भ में वाक्य में अर्थ नहीं देते। जैसे "बत्तीसी" बत्तीस दाँतों का अर्थ देता है। लेकिन "बत्तीसी दिखाना" (याने 32 दाँत दिखाना) क्या अर्थ देता है? ये मुहावरेदार प्रयोग हैं। शब्दकोश मुहावरों का अर्थ अलग से बताते हैं, जैसे — बत्तीसी दिखाना याने हँसना।

कभी-कभी एक शब्द के दो बिल्कुल विपरीत अर्थ होते हैं। जैसे पर (लेकिन), पर (पंख)। ऐसे शब्दों को हम बहुअर्थी शब्द (homonym) कहते हैं। कुछ कोश उन्हें दो अलग जगह, दो प्रविष्टियों के रूप में देते हैं। जैसे,

पर[1] (संज्ञा) — पंख
पर[2] (क्रि॰ वि॰) — लेकिन, मगर

कुछ कोश इन्हें एक ही जगह रखते हैं और अर्थ दिखाने का भिन्न तरीका अपनाते हैं। "बटोरना" के तीन अलग अर्थ हैं।

1 समेटना, जैसे काम समेटना।
2 जमा करना, जैसे, पैसा बटोरना।
3 फर्श पर पड़ी चीज़ों को इकट्ठा करना आदि।

इन तीनों अर्थों को सेमीकोलन (;) से अलग करते हैं। इकट्ठा करना, जमा करना, समान अर्थ वाले हैं, इन्हें कॉमा (,) से अलग करते हैं।

अर्थ सूचित करने के लिए कई और तरीके हैं। कुछ शब्दकोश प्रमुख अर्थ के साथ तारा चिह्न (*) देते हैं। ऐसे तरीकों के बारे में शब्दकोश के शुरू में स्पष्ट जानकारी दी जाती है। आप अपने कोश का उपयोग करने से पहले उसके शुरू के पन्नों को ठीक से देखिए।

अभ्यास

2 निम्नलिखित तीन शब्दों का अर्थ शब्दकोश में देखकर लिखिए। शब्द पूरे वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे हैं।

क) एक ओर **मरुभूमि** है तो दूसरी ओर विशाल उपजाऊ मैदान।

....

ख) इन त्योहारों के मूल में धार्मिक **मान्यताएँ** जुड़ी हैं।

....

ग) नदियाँ आ-आकर **विलीन** होती रही हैं।

....

4.3.3 शब्दकोश से अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना

हमने इकाई 3 में उर्दू के शब्दों या स्पष्ट शब्दों में कहें तो फ़ारसी, अरबी शब्दों की चर्चा की थी। हमेशा आप ऐसे शब्दों को अपने ज्ञान से पहचान नहीं सकते। शब्दकोश हमें इस तरह की कई सूचनाएँ देता है। इन्हें उदाहरणों के साथ देखिए।

1 शब्दों का स्रोत : (फ़ा॰) — फ़ारसी
(अ॰) — अरबी
(सं॰) — संस्कृत

2. शब्द का लिंग : पु॰ — पुल्लिंग
स्त्री॰ — स्त्रीलिंग

3 शब्द की व्युत्पत्ति : जैसे

> [हिं॰ √ खा] खाने या खिलाने का काम।
> संज्ञा स्त्री॰ वह दाई या मजदूरनी जो बच्चों को खिलाती हो।
> **खिलाड़, खिलाड़ी**—संज्ञा पुं॰ [हिं॰ खेल + आड़, आड़ी (प्रत्य॰)] [स्त्री॰ खिलाड़िन] १. खेल करनेवाला। खेलनेवाला। २. कुश्ती लड़ने, पटा बनेठी खेलने या ऐसे ही और काम करनेवाला। ३. जादूगर।
> **खिलाना**—क्रि॰ स॰ [हिं॰ खेलना का स॰ रूप] किसी को खेल लगाना। खेल करना।

4 शब्द का व्याकरणिक वर्ग : वि॰ — विशेषण
स॰ क्रि॰ — सकर्मक क्रिया
(संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है। अ॰ क्रि॰ — अकर्मक क्रिया
इसे लिंग के रूप में देते हैं) अ॰ — अव्यय

5 एक शब्द से बनने वाले व्युत्पन्न शब्द : जैसे

> —स्त्री॰ दे॰ 'कार्मण'।
> **कार्मुक**—पु॰ [सं॰] धनुष; धनुराशि; चाप। वि॰ कर्मदक्ष।
> **कार्य**—पु॰ [सं॰] जो कुछ किया जाय या करना है, कर्तव्य; काम; धंधा, व्यवसाय; धार्मिक कृत्य; कारणका विकार, परिणाम; हेतु; नाटकका अंतिम फल। **—कर**—वि॰ काम करनेवाला; प्रभावकर। **—कर्ता(र्तृ)**—पु॰ काम करनेवाला, कर्मचारी। **—कारण-भाव**—पु॰ कार्य और कारणका संबंध। **—कारी(रिन्)**—वि॰ किसीके स्थानपर अस्थायी रूपसे काम करनेवाला, कार्यवाहक (ऐक्टिंग)। **—काल**—पु॰ कार्य करनेका समय; किसी पदपर रहनेका काल। **—कुशल**—वि॰ काममें होशियार, दक्ष। **—क्रम**—पु॰ होने या किये जानेवाले कार्योंका क्रम या उनकी सूची। **—ग्रहणकाल**—पु॰ (जाइनिंग टाइम) किसी संस्था आदिमें या किसी पदपर नियुक्त होनेके बाद काम शुरू करनेका समय। **—परिषद्**—स्त्री॰ (कौंसिल

6 उच्चारण : अंग्रेजी के कोशों में उच्चारण देना अत्यावश्यक है। हिंदी कोशों में यह आवश्यक नहीं है।

7 भिन्न वर्तनी के रूप : हिंदी शब्द दो वर्तनी रूपों में आ सकते हैं। जैसे, बरतन, बर्तन। शब्दकोश इनमें एक को मूल मानता है और दूसरे के सामने "देखिए" की सूचना देता है।

इतने कम स्थान में शब्दकोश के सभी गुणों, उपयोगिता और प्रकारों की हम चर्चा नहीं कर सकते। हमारा इतना ही उद्देश्य है कि आप शब्दकोश के सही उपयोग करने का मार्ग देख लें और पढ़ते-पढ़ते कोश का अधिक अच्छा उपयोग करना सीख जाएँ।

3 नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं, शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के स्रोत, व्युत्पत्ति, लिंग, बताइए।

शब्द	शब्द का स्रोत या मूल शब्द	लिंग या व्याकरणिक वर्ग	व्युत्पत्ति
उपगाऊ	....	....	....
आगमन	....	....	....
सौहार्द	....	....	....
शिकाहारी	....	....	....
सात्विकता	....	....	....
आसुरी	....	....	....
स्थायित्व	....	....	....
धर्मावलंबी	....	....	....
सांस्कृतिक	....	....	....
एकता	....	....	....

4.4 सारांश

इस इकाई को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अब आप समझ गये होंगे कि त्योहारों का हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन में कितना महत्व है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- संस्कृति संबंधी विषय में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं को पहचान सकते हैं।
- संस्कृति संबंधी विषय में प्रयुक्त शब्दावली का सही प्रयोग कर सकते हैं।
- शब्दकोश का सही उपयोग कर सकते हैं।

4.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बृहत् हिंदी कोश : कालिका प्रसाद, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, राजवल्लभ सहाय संपादक प्रकाशक, ज्ञानमंडल, वाराणसी-1

4.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1

क) सही	ख) गलत	ग) गलत	घ) सही

2

1) ग	2) क	3) घ	4) ख

3

i) क	ii) ग	iii) ख

4

1 संस्कृति	2 क्षेत्र	3 नवरात्र	4 विद्या
5 निम्न, विकृत	6 प्राकृतिक	7 धार्मिक	8 पंजाब, तमिलनाडु
9 मानव मात्र	10 एकता	11 राष्ट्रीय	12 गणतंत्र

5

क) i) सद्गुण, मानवीय गुण; अच्छाई

ii) दुर्गुण, आसुरी, बुराई

ख) क़ुर्बानी, प्राणोत्सर्ग, न्योछावर

6 i) महिषासुर, रावण, चंड-मुंड, चूहा, नरकासुर, मेघनाद, कुंभकर्ण

ii) उमंग, आनंद, खुशी

7 i) जन सामान्य को प्रेरित करने के लिए सद्गुण एवं दुर्गुण को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करना तथा दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय बताना, कई त्योहारों का उद्देश्य होता है।

ii) मकर संक्रांति, होली, लोहड़ी, पोंगल, दीपावली आदि त्योहारों में प्रकृति एवं धर्म का समन्वय है।

iii) क) राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना
ख) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना
ग) राष्ट्रीय गौरव का स्मरण करना।

iv) मुहर्रम का त्योहार हजरत मोहम्मद साहब के नवासे (दोहित्र) और हजरत अली के पुत्र हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है।

अभ्यास

1

अंग, ऋतु, जिक्र, तरक्की, त्योहार, पंक्तियाँ, पढ़ना, पूजा, पूर्वी, प्रकृति फसल, बड़ा, ब्याज, भक्ति, भावना, महानता, महापुरुष, मानव, मुख्य संस्कृति।

2

मरुभूमि—रेगिस्तान, जलरहित रेतीला मैदान।

मान्यताएँ—किसी सिद्धांत आदि का मान्य होना, किसी संस्था को स्वीकृति देना या प्रामाणिक मान लेना।

विलीन : जो अदृश्य हो गया हो, जो किसी दूसरे में मिल गया हो।

3

शब्द	शब्द का स्रोत या मूल शब्द	लिंग या व्याकरणिक वर्ग	व्युत्पत्ति
उपजाऊ	हिंदी (उपज+आऊ प्रत्यय)	विशेषण	संस्कृत—उद्+पद् प्राकृत—उप्पज्ज
आगमन	आ (उपसर्ग)	संज्ञा, पुल्लिंग	गम् (संस्कृत)
सौहार्द	संस्कृत	संज्ञा, पुल्लिंग	सु + हृद् (संस्कृत)
विघ्नहारी	संस्कृत	संज्ञा, पुल्लिंग	विघ्न + हर + ई
सात्विकता	संस्कृत—सत्व	विशेषण	सत्व + इक + ता
आसुरी	असुर—संस्कृत	विशेषण	असुर + ई
स्थायित्व	स्थायी—संस्कृत	संज्ञा, पुल्लिंग	स्थायी + त्व

अनुकार्य

शब्दकोश का सही ढंग से प्रयोग करना सीखने के लिए इस इकाई में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ हिंदी शब्दकोश में देखिए।

इकाई 5 समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 परिवार

5.3 निबंध रचना

5.4 व्याकरणिक विवेचन
- 5.4.1 प्रत्यय "त्व"/"ता"
- 5.4.2 प्रत्यय "य"
- 5.4.3 प्रत्यय "इक"
- 5.4.4 प्रत्यय "करण"

5.5 सारांश

5.6 शब्दावली

5.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.8 बोध प्रश्नों/अभ्यास के उत्तर
अनुकार्य

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी में सामाजिक विज्ञान संबंधी विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे।
- सामाजिक विज्ञान संबंधी विषय को पढ़कर उसकी शब्दावली का उचित प्रयोग कर सकेंगे।
- निबंध रचना के दौरान कथ्य को विस्तार और क्रमबद्धता दे सकेंगे।
- प्रत्यय को परिभाषित कर सकेंगे।
- "इक", "त्व", "ता" "याँ" और "करण" प्रत्ययों के सही प्रयोग कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

आपने इकाई चार में भारत के विभिन्न त्योहारों के बारे में पढ़ा। आपने यह देखा कि त्योहार न केवल राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में हर्ष और उल्लास लाते हैं बल्कि वे सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में भावात्मक एकता के स्तर पर राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधते हैं। समाज त्योहारों के माध्यम से एकता का अनुभव करता है। हम सांस्कृतिक कारणों से त्योहार मनाते हैं और त्योहारों के माध्यम से संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार त्योहारों के माध्यम से हमने संस्कृति विषय का अध्ययन किया। इस इकाई में हम "सामाजिक विज्ञान" विषय का अध्ययन करेंगे।

व्यक्ति संस्कृति की शिक्षा कैसे ग्रहण करता है? वह सामाजिक कार्यकलापों में किस रूप में भाग लेता है? उसका समाज से किस रूप में संबंध है? व्यक्तियों का समूह समाज है लेकिन व्यक्ति और समाज के बीच समाज के गठन में कुछ अन्य इकाइयाँ भी हैं, जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि। इन इकाइयों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। व्यक्ति परिवार में रहते हुए ही सामाजिक प्राणी बनता है। परिवार ही वह पाठशाला है जो व्यक्तियों को संस्कृति की शिक्षा देती है, व्यक्तियों को सामाजिक आचरण सिखाती है और व्यक्तियों में सामाजिक दायित्व की चेतना पैदा करती है।

इस इकाई में हम परिवार के संबंध में अध्ययन करेंगे और परिवार के गठन के आधार को देखेंगे। परिवार पहले किस रूप में थे और अब परिवार की रचना में क्या परिवर्तन आए हैं तथा इन परिवर्तनों के कारण क्या समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे।

इस इकाई में हम निबंध रचना पर विचार करते हुए अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे जिससे कि आप स्वयं विभिन्न विषयों का लेखन करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें। इसके लिए हमने पूरे पाठ को विभिन्न खंडों में बाँटा है ताकि आप उतने भाग को पढ़कर इस खंड में जिस केंद्र बिंदु पर विचार किया गया है उसको पहचान कर उसके अनुसार उसका उचित शीर्षक दे सकेंगे। साथ ही, प्रत्ययों के अध्ययन द्वारा नये शब्द बनाना सीखेंगे क्योंकि प्रत्यय से एक ही शब्द को कई रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

5.2 परिवार

1 हम आप सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। हममें से कोई किसी का पिता है, कोई माँ, कोई किसी का भाई है या बहन, कोई पुत्र है या पुत्री। माँ पूरे घर के लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। पिता सुबह ही काम पर चले जाते हैं और हर माह जो कमा कर लाते हैं, उससे घर चलता है। हममें से कई के घरों में माँ भी काम पर जाती होंगी। कई घरों में बूढ़े दादा-दादी होंगे, जिनका सभी आदर करते हैं और जो सभी से गहरा स्नेह रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों माता-पिता अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट उठाते हैं? क्यों माँ की डाँट खाकर भी बच्चे अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हैं। आखिर यह परिवार क्या है, जो अपने सभी सदस्यों को गहरे प्रेम-सूत्र में बाँधे रखता है। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहाँ परिवार न हो।

2 निश्चय ही नहीं। संसार में कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें परिवार न हो। परिवार समाज की **आधारभूत** और अत्यंत व्यापक **इकाई** है। यह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके कारण ही मानव समाज प्रगति कर सका है।

खंड अ ....

3 अब प्रश्न यह उठता है कि परिवार का इतना महत्व क्यों है? क्यों हम इसे समाज की आधारभूत और व्यापक इकाई कह रहे हैं। हम अपने परिवारों में अक्सर देखते हैं कि माता-पिता खुद तो कष्ट उठाते हैं, लेकिन बच्चों के सुख-दुःख का पूरा ख्याल रखते हैं और ऐसा ही व्यवहार बच्चे भी बड़े होने पर अपने माता-पिता के साथ करते हैं। सच्चाई यह है कि परिवार ही वह पाठशाला है जहाँ व्यक्ति त्याग और दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा ग्रहण करता है और इस तरह समाज का अच्छा **नागरिक** होने के लिए अपने को तैयार करता है।

4 हम देखते हैं कि कैसे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने **संकीर्ण** स्वार्थों को त्याग कर पूरे परिवार के हित के लिए प्रयत्नशील रहता है, किस तरह सभी ऐसे भावनात्मक सूत्र में अपने को बँधा पाते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है कि वे सिर्फ़ अपने लिए नहीं वरन् सभी के लिए जियें, सभी के सुख-दुःख में सहभागी बनें। इसी भावनात्मक सूत्र के कारण वह अपने **व्यक्तित्व** का विस्तार करता है। वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरे के लिए भी जीना सीखता है। परिवार में सदस्यों के पारस्परिक स्नेह, **सौहार्द** और त्याग-भावना उसे यह सीख देती है कि वह समाज नामक **बृहत्तर** इकाई के प्रत्येक सदस्य के प्रति भी इन्हीं भावनाओं से संचालित हो।

5 इस बात को हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा होता है। जैसे कोई अध्यापक है तो कोई व्यापारी है, कोई किसान है तो कोई मज़दूर है, कोई सैनिक है तो कोई पुलिस की नौकरी में है। तात्पर्य यह है कि किसी-न-किसी व्यवसाय से जुड़कर वह प्रतिमाह कुछ रुपये कमाकर लाता है और उसी आय से उसका घर चलता है। भोजन, वस्त्र और **आवास** का प्रबंध होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलता है, बीमार की चिकित्सा होती है। ज़ाहिर है जीवनयापन के लिए यह आवश्यक है कि परिवार का कम-से-कम एक सदस्य अवश्य कमाये।

6 क्या कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति इस तरह कोई नौकरी या व्यवसाय कर सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के जीवन-निर्वाह का ही प्रबंध करता है या उसका यह कार्य पूरे समाज के लिए भी ज़रूरी है? एक उदाहरण से इस बात को समझें। एक किसान अपने खेत में जो पैदा करता है उसे मंडी में बेचकर रुपये घर लाता है। इससे वह अपने परिवार के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबंध करता है। जबकि उसी का बेचा हुआ अनाज दूसरे वे लोग जो किसान नहीं हैं, मंडी से खरीदकर घर लाते हैं ताकि उनके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार हम सभी किसी-न-किसी ऐसे काम से जुड़े हैं, जिनसे हमें आय होती है और उस आय से हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे काम से दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। किसान अनाज उगाता है, मज़दूर कारखानों में कई तरह की चीज़ें बनाता है, अध्यापक शिक्षा देता है, डॉक्टर लोगों के रोगों का इलाज करता है, सैनिक व पुलिस देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। इस तरह परिवार के लिए जीवनयापन की व्यवस्था करते हुए हम सभी **सामाजिक उत्पादन** की प्रक्रिया से अपने को जोड़ते हैं और इसी से सामाजिक प्रगति में हमारी भागीदारी निश्चित होती है।

7 हम जब यह देखते हैं कि हमारे अपने परिवार के लिए समाज के दूसरे लोगों द्वारा किये गये कार्यों का कितना महत्व है, तो हममें समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। यह **बोध** हमें समाज के प्रति और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है और हम उसकी उन्नति के लिए अधिक सक्रिय होते हैं। हमारी इस भावना का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। वे भी अपने माता-पिता की तरह समाज और राष्ट्र से प्रेम करना सीखते हैं, उनकी रक्षा और उन्नति में अपना योग देना चाहते हैं। इस तरह व्यक्ति राष्ट्र के बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है।

खंड आ ....

8 हमने ऊपर परिवार नामक इकाई के महत्व की चर्चा की और देखा कि परिवार और समाज का परस्पर संबंध क्या है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि परिवार की रचना या उसका गठन क्या है? परिवार के सदस्य कौन-कौन होते हैं? परिवार चलाने का दायित्व किस पर होता है आदि।

9 आज जब हम परिवार की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ होता है माता, पिता और उनके अविवाहित पुत्र-पुत्रियाँ। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने ससुराल चली जाती है और लड़के भी अपना काम शुरू करने के बाद विवाह होते ही अपना अलग घर बसा लेते हैं। लेकिन आज जिन छोटे परिवारों को हम देखते हैं, हमेशा से ऐसे ही परिवार नहीं थे। आज से केवल कुछ दशक पहले ही, हमारे देश में, संयुक्त परिवार का आम प्रचलन था। इस तरह के परिवारों में दादा, दादी थे और थे दादा के भाई, इन सभी के विवाहित पुत्र और उनकी संतान और इनमें भी जिन लड़कों का विवाह हो गया हो उनकी संतान। लड़कियाँ अवश्य विवाह कर अपनी ससुराल चली जाती थीं और अपनी ससुराल की सदस्य मानी जाती थीं। पूरे घर में एक ही चूल्हा जलता था। परिवार की कुल संपत्ति, परिवार के सभी सदस्यों की साझा संपत्ति मानी जाती थी। परिवार का मुखिया, सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति (पुरुष) होता था, जिसका पूरे परिवार पर नियंत्रण होता था। संयुक्त परिवार और आज के परिवार के अंतर को नीचे के आरेखों से समझा जा सकता है :

आरेख 1

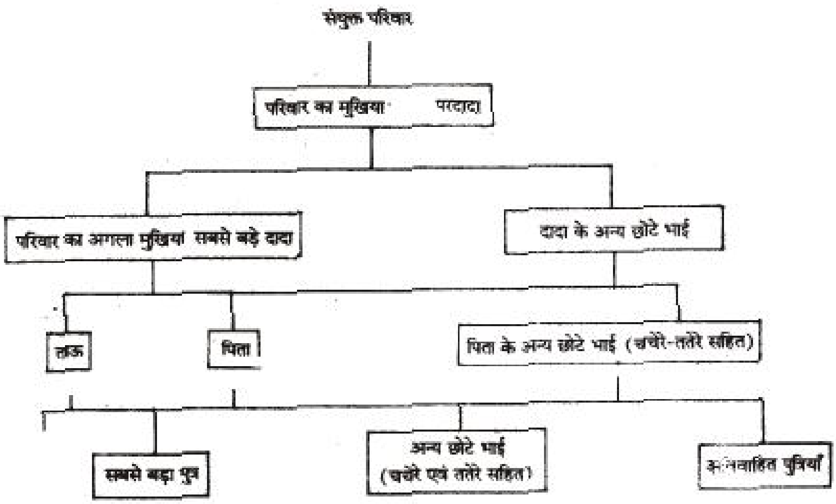

10 संयुक्त परिवार के आरेख से स्पष्ट है कि इसमें परदादा का परिवार, दादा एवं उनके भाई और उन सबका परिवार, ताऊ, पिता एवं चाचाओं का परिवार एवं अविवाहित पुत्रियाँ सम्मिलित हैं। परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा पुरुष होता था। परदादा के जीवित रहने तक वे परिवार के मुखिया होते थे और उनके बाद सबसे बड़े दादा मुखिया होते थे। इस तरह परिवार का मुखिया सबसे बड़ी पीढ़ी के सबसे बड़े पुरुष को माना जाता था। इसके विपरीत आज के छोटे परिवार का आरेख देखें :

आरेख 2

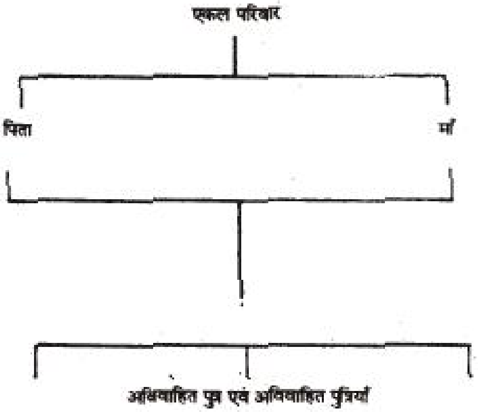

11 ऊपर के दोनों आरेखों से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार आज के एकल परिवारों का संयुक्त रूप था, जबकि आज का एकल परिवार दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते ही नये परिवारों को जन्म दे देता है। प्रश्न यह है कि संयुक्त परिवार क्यों बिखर गया? ऐसे कौन से कारण थे, जिनसे संयुक्त परिवार का रूप बदलने लगा?

12 अगर हम मानव-सभ्यता के विकास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि परिवार नामक संस्था सदैव एक-सी नहीं रही है। यद्यपि, यह भी सही है कि सभी मानव समाजों में और सामाजिक विकास के सभी स्तरों में इसे किसी-न-किसी रूप में अवश्य देखा जा सकता है। वस्तुतः परिवार का विकास समाज के विकास से जुड़ा है। जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं वह जिस सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की देन था, वह व्यवस्था आज नहीं है। आज हम एक नयी तरह की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसी नयी व्यवस्था ने उस नये परिवार को जन्म दिया है जिसे 'एकल परिवार' कहते हैं और जिसमें माता-पिता और अविवाहित संतान आते हैं।

13 संयुक्त परिवार का संबंध जिस समाज व्यवस्था से था, उसमें सामाजिक विकास मुख्यतया कृषि पर आधारित था और कृषि उत्पादन का ढाँचा **सामंती** था। आज जिन आधुनिक मशीनों को हर कहीं देखते हैं, वे उस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थीं। खेती के भी आधुनिक उपकरण नहीं थे। लोग हाथ से बने औज़ारों का इस्तेमाल करके अपने लिए ज़रूरी चीज़ों का निर्माण करते थे। किसान का पूरा परिवार एक ही ज़मीन पर खेती करता था और उससे होने वाली आय पर सभी का सम्मिलित अधिकार होता था। लोग नौकरी-पेशे में बहुत कम थे, ज़्यादातर लोग परिवारिक काम-धंधों में लगे हुए थे जो उन्हें परिवार की परंपरा से प्राप्त होता था। उदाहरण के लिए, लुहार लोहे का औज़ार बनाता था। उसे यह काम अपने दादा और पिता से विरासत में मिला होता था और यही व्यवसाय वह अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। पूरा परिवार **पुश्तैनी** धंधे में लगता था, चाहे वे ज़मींदार हों, चाहे किसान; चाहे वे पुरोहित का काम करते हों, चाहे व्यापार करते हों। इसलिए लोगों को नौकरी या व्यवसाय के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, न ही एक परिवार के विभिन्न सदस्यों की आय अलग-अलग होती थी। उनका **सामूहिक श्रम** ही सामूहिक संपत्ति को पैदा करता था इसलिए उस पर उन सबका अधिकार होता था।

14 संयुक्त परिवार की एक विशिष्टता यह भी थी कि वह **पितृसत्तात्मक** समाज की देन था। परिवार की सामूहिक संपत्ति पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं माना जाता था, उनका अधिकार उनकी ससुराल में माना जाता था। संयुक्त परिवारों में घर से बाहर के कार्यों में स्त्रियों की किसी तरह की भागीदारी नहीं होती थी। उन्हें जीवन-निर्वाह के लि ए पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था।

15 निश्चय ही संयुक्त परिवार में कई गुण थे तो कुछ अवगुण भी थे। कम-से-कम स्त्रियों के मामले में तो वह न्यायशील नहीं था। हाँ, यह अवश्य था कि संयुक्त परिवार में सभी को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसके बीबी-बच्चों को भूखों नहीं मरना पड़ता था। लेकिन लोगों के वैयक्तिक गुणों के विकास के अवसर ऐसे परिवारों में बहुत सीमित थे। लोगों को अपनी ऐसी इच्छाएँ त्यागनी पड़ती थीं जो परिवार की परंपरा और रिवाज़ों के अनुकूल नहीं मानी जाती थीं। वहाँ परिवार का ढाँचा **सर्वोपरि** था, व्यक्ति का स्थान नहीं।

16 समय की करवट के साथ संयुक्त परिवार धीरे-धीरे टूटने लगा। क्योंकि एक नयी समाज व्यवस्था ने इस संस्था के चले आ रहे रूप पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। मशीनों के आविष्कार ने पुरानी उत्पादन पद्धति को खारिज कर नयी पद्धति विकसित की और इसके कारण पुरानी उत्पादन पद्धति धीरे-धीरे कम हो गयी। जब आधुनिक संयंत्रों पर कम समय में और कम लागत पर कपड़ा बनने लगा तो हाथ करघा उद्योग समाप्त होने लगा। इस प्रक्रिया में हाथ करघे पर आश्रित संयुक्त परिवार बिखरने लगे। इन नयी मशीनों ने **पुंजोत्पादन** (mass production) को जन्म दिया और इसके लिए बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किये गये और इस तरह औद्योगीकरण की शुरुआत हुई। एक-एक कारखाने में एक साथ हज़ारों मज़दूर काम करने लगे और इस तरह **शहरीकरण** की प्रक्रिया शुरू हुई। **औद्योगीकरण** के कारण पुराने उद्योग-धंधे से अलग हुए लोग नये काम-धंधे की तलाश करने लगे। परिणाम यह हुआ कि लोग निजी धंधों की बजाय नौकरी और मज़दूरी में जाने लगे और इस तरह निजी आय का जन्म हुआ।

17 एक ही परिवार के तीन भाई तीन अलग-अलग कार्यों में लगे हो सकते हैं और नौकरी के लिए अलग-अलग शहरों में रह सकते हैं। अगर सभी भाई एक ही शहर में रहते हों तो भी उनका एक साथ रहना संभव नहीं था, क्योंकि काम के अनुसार आय होने के कारण उनकी आय भी अलग-अलग होने लगी थी। ऐसे में उन तीन भाइयों को केवल भावनात्मक स्तर पर एक ही परिवार बनाए रखना असंभव हो गया था। मान लीजिए, एक भाई की आय प्रति माह एक हज़ार रुपये, दूसरे की दो हज़ार रुपये और तीसरे की तीन हज़ार रुपये है तो उनकी यह इच्छा स्वाभाविक है कि वे अपनी आय के अनुसार अपने बीबी-बच्चों का पालन-पोषण करें। यह एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने संयुक्त परिवार में टूटन पैदा की और जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता चला गया और पुराना सामाजिक ढाँचा टूटता चला गया, वैसे-वैसे संयुक्त परिवार भी एकल परिवार में बिखरता चला गया। यह सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए।

18 औद्योगीकरण के साथ आरंभ हुई शहरीकरण की प्रक्रिया ने कई ऐसे काम किये जो इससे पूर्व की किसी व्यवस्था ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किये थे। जैसे-जैसे तकनीकी विकास बढ़ता गया, उसे लोगों तक पहुँचाने और उसमें प्रशिक्षित करने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत भी बढ़ती गई और इस तरह स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों का जाल फैलता चला गया। इस नई शिक्षा ने लोगों की चेतना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि यह नयी शिक्षा उन नये विचारों पर आधारित थी जो नयी समाज व्यवस्था के साथ उत्पन्न हुए थे।

19 अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष चाहे जिस धर्म को मानता हो, किसी **जाति**, संप्रदाय या **नस्ल** का हो, कोई भी भाषा बोलता हो— सभी समान हैं। उनमें धर्म, जाति, नस्ल, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। चाहे आर्थिक समता की बात हो, चाहे न्याय पाने का हक हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, समता की भावना ही लोकतंत्र का आधार है। यह भी माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूरे अवसर मिलने चाहिए। सामाजिक प्रगति में बाधक न हो वहाँ तक उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि संपूर्ण **मानवता** एक है, इसलिए प्रत्येक इंसान को दूसरे के प्रति **बंधुत्व** का भाव रखना चाहिए। किसी को हीन या छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों ने एक नयी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे **लोकतंत्र** कहते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की अवधारणा ने परिवार पर किस तरह का असर डाला।

20 लोगों में यह धारणा विकसित हुई कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच स्वतंत्रता और समानता का संबंध हो। दूसरा असर यह हुआ कि अब स्त्रियाँ भी परिवार के जीवन-निर्वाह में अपना योग देने के लिए सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुईं और इस तरह पति-पत्नी ने घर और बाहर के कार्यों में समान भागीदारी की शुरुआत की। यह पति-पत्नी के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन था क्योंकि अब वे दोनों सही अर्थों में **सहचर** और मित्र बने।

21 इन नये विचारों ने ऐसे सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण स्त्रियाँ कई कुप्रथाओं जैसे बालविवाह, वैधव्य, सती-प्रथा, बहुविवाह आदि से मुक्त हो सकीं। पहले विवाह एक अटूट बंधन था और स्त्री को जीवन भर एक पुरुष से बंधा रहना पड़ता था चाहे उसका पति कितना ही नाकारा और निर्दयी क्यों न हो। लेकिन नयी समाज व्यवस्था ने स्त्रियों को भी **संबंध विच्छेद** का अधिकार देकर उन्हें पराधीनता से मुक्त किया।

22 आप लोगों के मन में कई शंकाएँ उठ रही होंगी। जिन बड़े परिवर्तनों की चर्चा हमने ऊपर की है उसके बावजूद आपको ऐसी कई समस्याएँ नज़र आती होंगी जो हमारे घर-परिवारों में मौजूद हैं या जो गैर भारतीय समाजों में मौजूद हैं और जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। हम में से कोई कह सकता है कि तलाक़ के अधिकार ने परिवार नामक संस्था को खतरे में डाल दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति सिर्फ़ अपने बीबी-बच्चों का ही दायित्व मानता है इस कारण बूढ़े और अक्षम माता-पिता को अकेलेपन और कटुता से भरा जीवन जीने को विवश होना पड़ता है। इनके अलावा और भी समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परिवर्तन से गुज़रते हुए समाज को बाधाओं से जूझना ही पड़ता है। जब नयी मान्यताएँ जन्म लेती हैं तो उनके साथ नयी समस्याओं का भी जन्म होता है। हाँ, अगर हम मानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व महान् गुण हैं तो हमें परिवार में आए बदलाव को स्वीकार करना होगा और इस नये बदलाव से उत्पन्न समस्याओं के **निराकरण** का रास्ता इन्हीं में से ढूँढ़ना होगा।

बोध प्रश्न

1 नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से कुछ तथ्य की दृष्टि से सही हैं कुछ गलत है। बताइए कि कौन से वाक्य सही हैं कौन से गलत।

i) परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। ☐ सही ☐ गलत

ii) परिवार ही वह पाठशाला है जहाँ व्यक्ति स्वार्थ और लोभ की शिक्षा ग्रहण करता है ☐ सही ☐ गलत

iii) सामंती समाज में बड़े-बड़े उद्योग थे। ☐ सही ☐ गलत

iv) संयुक्त परिवार में सभी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। ☐ सही ☐ गलत

v) शहरीकरण ने औद्योगीकरण की शुरुआत की। ☐ सही ☐ गलत

2 नीचे दिये गये शब्दों में से जो सही शब्द लगे उन्हें रिक्त स्थानों में लिखिए।

(संपत्ति, पितृसत्तात्मक, व्यक्तित्व, श्रम, शिक्षा, समानता)

i) परिवार में .... का विस्तार होता है।

ii) सामूहिक .... ही सामूहिक .... को पैदा करता है।

iii) .... समाज में पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ माने जाते थे।

iv) स्वतंत्रता और .... के विचारों ने परिवार पर भी अपना प्रभाव डाला।

v) नये विचारों को फैलाने में .... ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3 नीचे कुछ शब्दों के समूह दिये गये हैं जिनमें कोई एक शब्द ऐसा है जिसकी उस शब्द समूह के अन्य शब्दों से संगति नहीं बैठती । बताइए।

i) ताऊ, मामा, चाचा, दादा ( )
ii) स्नेह, प्रेम, त्याग, लगाव ( )
iii) स्वतंत्रता, समानता, जनता, बंधुत्व ( )
iv) सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तात्कालिक ( )

4 नीचे दिये गये वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठकों में दिए गये शब्दों में से कीजिए।

i) संयुक्त परिवार में घर का मुखिया .... होता है। (पिता, दादा, सबसे बड़ी उम्र का पुरुष)

ii) संयुक्त परिवार का संबंध .... व्यवस्था से था। (सामंती, प्राचीन, धार्मिक)

iii) पुंजोत्पादन का संबंध .... से है। (एकल परिवार, शहरीकरण, औद्योगीकरण)

iv) एकल परिवार में लोगों के .... गुणों के विकास के बेहतर अवसर हैं। (जैविक, भौतिक, वैयक्तिक)

v) संपूर्ण मानवता एक .... अवधारणा है। (वैयक्तिक, लोकतांत्रिक, धार्मिक)

5 i) श्यामलाल के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं साथ में उनके माता-पिता भी रहते हैं जबकि श्यामलाल के भाई रामलाल के साथ उनकी पत्नी और छोटे बच्चों के अतिरिक्त एक अविवाहित बहिन भी रहती है। बताइये, ये दोनों परिवार किस श्रेणी में आयेंगे।

क) दोनों संयुक्त परिवार
ख) पहला संयुक्त, दूसरा एकल
ग) दोनों एकल परिवार
घ) पहला एकल दूसरा संयुक्त [ ]

ii) संयुक्त परिवार में टूटन का कारण था

क) लोग स्वार्थी हो गए थे।
ख) लोगों में धर्म-भावना नहीं रही।
ग) देश आज़ाद हो गया था।
घ) सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत बदलाव आया। [ ]

6 नीचे कुछ प्रश्न दिये गये हैं। इनके उत्तर दो-तीन पंक्तियों में दीजिए।

i) परिवार में व्यक्तित्व का विस्तार कैसे होता है?
....
....

ii) सामाजिक प्रगति में परिवार की क्या भूमिका है?
....
....

iii) एकल परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
....
....

iv) एकल परिवार से उत्पन्न दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
....
....

v) संयुक्त परिवार में स्त्रियों की क्या स्थिति थी?
....
....

अब तक आपने जो बोध प्रश्न किये हैं उनसे आपको पता लग गया होगा कि आपने पाठ को कितना ध्यान से पढ़ा है। अब जो अभ्यास दिये जा रहे हैं उनसे यह मालूम होगा कि आपने पाठ को विषय और भाषा दोनों दृष्टियों से कितना समझा है।

अभ्यास

1) पाठ के कुछ वाक्य नीचे दिये गये हैं। इन वाक्यों के तात्पर्य दिये गये तीन कथनों में से एक सबसे सही रूप में व्यक्त करता है। उस वाक्य को बताइए।

i) सच्चाई यह है कि परिवार ही वह पाठशाला है जहाँ व्यक्ति त्याग और दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा ग्रहण करता है और इस तरह समाज का अच्छा नागरिक होने के लिए अपने को तैयार करता है।
   क) अच्छे नागरिकों को ही त्याग और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा परिवार में मिलती है।
   ख) अच्छे नागरिक होने की शिक्षा वस्तुतः परिवार में ही मिलती है।
   ग) जहाँ व्यक्ति त्याग और दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा ग्रहण करता है और समाज का अच्छा नागरिक बनता है वही उसका परिवार है। [ ]

ii) यह अवश्य था कि संयुक्त परिवार में सभी को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी।
   क) समाज संयुक्त परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।
   ख) संयुक्त परिवार के सदस्य चोरी, डकैती, आगजनी, बीमारी आदि से सुरक्षित रहते हैं।
   ग) जिस व्यक्ति की आय पर एकल परिवार टिका होता है, उसकी मृत्यु से पूरा परिवार असुरक्षित हो जाता है। [ ]

iii) लोकतंत्र की अवधारणा ने परिवार पर भी अपना असर डाला।
   क) लोगों में स्वतंत्रता और समता की भावनाएँ जागी।
   ख) लोकतंत्र ने परिवार के वयस्क सदस्यों को मताधिकार दिया। [ ]
   ग) लोकतंत्र के कारण ही संयुक्त परिवार टूटे।

iv परिवर्तन से गुज़रते हुए समाज को बाधाओं से जूझना ही पड़ता है।
   क) बाधारहित और शांतिपूर्ण समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन अनावश्यक है।
   ख) हर सामाजिक परिवर्तन के साथ कुछ नई समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। [ ]
   ग) हमें बिना बाधाओं के समाज में परिवर्तन लाना चाहिए।

2 कोष्ठक में दिये गये दो शब्दों में से सही शब्द को रखें एवं गलत शब्द को काटें जिससे वाक्य सार्थक बन जाए।

i) परिवार (आर्थिक/सामाजिक) संस्था है।
ii) परिवार के सदस्य (भावनात्मक/विचारात्मक) सूत्र में बँधे होते हैं।
iii) खेती करने वाला किसान (जीवनयापन/सामाजिक दायित्व) के लिए काम करता है लेकिन वह साथ-साथ समाज को (धन/योगदान) भी देता है।
iv) संयुक्त परिवार में समस्त संपत्ति (मुखिया/समस्त परिवार) की समझी जाती थी।
v) (कृषि/उद्योग) प्रधान अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार का आधार होती है।
vi) सामंती व्यवस्था में आमतौर पर लोग (अपनी इच्छा से/पुश्तैनी) धंधा करते हैं।
vii) संयुक्त परिवार में परिवार के (ढाँचे/सदस्यों) का अधिक महत्व था।
viii) औद्योगीकरण की शुरुआत ने एकल परिवार को (जन्म दिया/तोड़ा)।
ix) (समता/प्रगति) की भावना ही लोकतंत्र का आधार है।
x) एकल परिवार का अच्छा परिणाम था (नारी स्वातंत्र्य/नयी सामाजिक व्यवस्था)।

5.3 निबंध-रचना

हम आशा करते हैं कि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। आप यह भी पहचान गये होंगे कि इस पाठ की संरचना निबंध के रूप में हुई है। प्रत्येक निबंध का कोई मूल कथ्य होता है। जिसे पूरे निबंध में लेखक विस्तार देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पाठ का मूल कथ्य क्या है? आइए, हम आपकी सहायता के लिए मूल कथ्य को पहचानने के कुछ आधार-बिंदु प्रस्तुत करते हैं :

1) परिवार : एक सामाजिक इकाई
2) सामाजिक उन्नति में परिवार की भूमिका
3) भारतीय परिवारों के स्वरूप में आए विभिन्न परिवर्तन
4) संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के कारण
5) एकल परिवार से उत्पन्न समस्याएँ

क्या इस पाठ में उपर्युक्त आधार बिंदुओं का विकास हुआ है? इसकी परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं।

किसी भी निबंध (या पाठ) के मूल कथ्य के आधार पर ही निबंध का शीर्षक दिया जाता है। जैसे इस पाठ का शीर्षक **परिवार** दिया गया है। क्या आप इसके अलावा भी कोई शीर्षक सुझा सकते हैं। विचार कीजिए और बताइए।

निबंध के विचारों में तार्किक क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि पाठक निबंध पढ़ते समय लेखक के कथ्य को सही रूप में और स्पष्टता के साथ ग्रहण कर सकें, साथ ही लेखक की विचार प्रणाली को भी समझ सकें। उदाहरण के लिए आप इस पाठ के पैरा 1 और 2 को पढ़िए। इनको पढ़ने से क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि प्रस्तुत निबंध किस विषय पर है। अर्थात् किसी भी निबंध का आरंभ विषय के परिचय से होता है। इसे **प्रस्तावना** या **विषय प्रवेश** कहते हैं।

इसके बाद तीसरे, चौथे पैरा को पढ़िए। तीसरे पैरा का मूल कथ्य क्या है? यहाँ उस पैरे की दो पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं।

सच्चाई यह है कि.................. अपने को तैयार करता है। इसी तरह पैरा 4 की निम्न पंक्तियाँ देखिए।

परिवार के सदस्यों के.................. भावनाओं से संचालित थे।

इन दोनों पैराओं को पढ़ने और उपर्युक्त पंक्तियों पर गौर करने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि लेखक इनमें क्या कहना चाहता है। हाँ, आपका अनुमान सही है, लेखक कहना चाहता है कि "परिवार में ही व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध करता है।"

क्या आप इस कथ्य पर इन दोनों पैराओं का कोई उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं?

आइए हम आपको एक उपयुक्त शीर्षक सुझाते हैं—परिवार में सामाजिकता की शिक्षा।

इस तरह प्रत्येक निबंध में लेखक (1) अपने विचारों को धीरे-धीरे क्रमबद्ध रूप में विकसित करता है। (2) उसके विभिन्न पक्षों को समझाता है (3) उनमें अंतःसंबंध बताता है और अंत में (4) अपने कथ्य को सार रूप में सूत्रबद्ध करता है।

आप इस पाठ को उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में ध्यान से पढ़िए और खंड अ, आ, इ, ई के उचित शीर्षक दीजिए।

निबंध के मूल कथ्य की विस्तृत विवेचना के बाद लेखक अंत में अपने पाठ को समेटता है। इसके लिए (1) वह पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करता है या (2) किसी ऐसे विचार बिंदु पर वह पाठ का अंत करता है जिससे विषय को पूर्णता प्राप्त हो या (3) मूल कथ्य से उत्पन्न किसी नये विचार बिंदु का संकेत करता है जिसके आधार पर उस निबंध के नये पक्षों का संकेत मिलता हो।

आप इस पाठ के पैरा 22 को पढ़िए और बताइए कि इसमें पाठ का सार किस रूप में दिया गया है।

विचारों का विस्तार

आइए, अब हम एक नये बिंदु पर विचार करते हैं। पैरा 16 को ध्यान से पढ़िए। इस पैरे में संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों को बताया गया है। देखें कि लेखक ने अपने विचारों को किस तरह विस्तार दिया है। पैरा 15 में संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

पैरा 16-पंक्तियाँ

- समस्या का उल्लेख (संयुक्त परिवार का टूटना)
- समस्या का कारण (नयी सामाजिक व्यवस्था का दबाव)
- नयी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का उल्लेख (पुरानी उत्पादन पद्धति की जगह नयी उत्पादन पद्धति का आगमन)
- नयी उत्पादन पद्धति की प्रमुख विशेषता (कम समय और कम लागत में उत्पादन)
- नयी उत्पादन पद्धति का संयुक्त परिवार पर प्रभाव (पुरानी उत्पादन पद्धति पर आश्रित संयुक्त परिवारों का बिखरना)
- नयी उत्पादन पद्धति से सामाजिक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन (औद्योगीकरण)
- औद्योगीकरण के प्रमुख प्रभाव (शहरीकरण और नये काम की तलाश)
- इससे सामाजिक जीवन में आई नयी विशिष्टता (निजी आय का जन्म)

पैरा 17 में लेखक ने निजी आय के जन्म से संयुक्त परिवार पर क्या असर पड़ा इसका विस्तृत उल्लेख किया है।

इस तरह हम उपर्युक्त पैरा 16 में पाते हैं कि :

- यह पैरा पिछले पैरा में व्यक्त विचारों को नया मोड़ देता है।
- इस पैरा में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- प्रत्येक पंक्ति में व्यक्त किया गया विचार पूर्व की पंक्ति में व्यक्त विचारों में कुछ नया जोड़ता है।
- प्रत्येक पंक्ति में व्यक्त विचार तार्किक क्रमबद्धता से आगे बढ़ते हैं।
- पूरे पैरा में एक पूर्ण विचार श्रृंखला दिखाई देती है, जिसके अंत में एक नये वैचारिक बिंदु का संकेत किया गया है।
- इसी नये विचार बिंदु का अगले (17 वें) पैरा में विस्तार है।

आप पैरा 16 के उपर्युक्त विवेचन से समझ गए होंगे कि किसी भी निबंध में किस तरह विचारों को विस्तार दिया जा सकता है। आप अन्य पैरों की उक्त बिंदुओं के आधार पर विवेचन कीजिए और बताइए कि क्या उनमें उपर्युक्त नियमों का पालन किया गया है।

5.4 व्याकरणिक विवेचन

पाठ को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि सामाजिक, आर्थिक, नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी तरह व्यक्तित्व, बंधुत्व, मानव्रता जैसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द 'इक', 'त्व', या 'ता' प्रत्यय जुड़कर बने हैं। इनके बारे में हम यहाँ कुछ जानकारी हासिल करेंगे।

5.4.1 प्रत्यय 'त्व'/'ता'

i) 'त्व' या 'ता' प्रत्यय जातिवाचक संज्ञा या विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे

कवि — कवित्व मानव — मानवता
बंधु — बंधुत्व महत् — महत्ता
सुंदर — सुंदरता

ii) 'ता' प्रत्यय लगने से शब्द स्त्रीलिंग और 'त्व' प्रत्यय लगने से पुल्लिंग बनते हैं।
जैसे—गांधीजी की मानवता हमारा आदर्श है।
गांधीजी का व्यक्तित्व महान् था।

iii) कुछ शब्दों में 'त्व' 'ता' दोनों प्रत्यय लग सकते हैं और अर्थ में अंतर नहीं आता।
जैसे—बंधुत्व और बंधुता
महत्व और महत्ता

iv) लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है।
जैसे—'कवित्व' का अर्थ है—कवि में काव्य करने की शक्ति।
'कविता' साहित्य की एक विधा है। इस विधा की एक रचना भी है।

ध्यान दीजिए कि भाववाचक संज्ञा में यह प्रत्यय नहीं लगता। हिंदी में लोग 'अज्ञानता' लिखते हैं, यह गलत है। अज्ञान भाववाचक संज्ञा है।

अभ्यास

3 नीचे कुछ शब्द दिये गये है उन्हें 'त्व' या 'ता' या दोनों प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए।

i) गुरु
ii) मधुर
iii) शिव
iv) मनुष्य
v) निज
vi) सम

5.4.2 प्रत्यय 'य'

जैसे विशेषण शब्द 'स्वतंत्र' से 'स्वतंत्रता' बनता है, वैसे ही स्वातंत्र्य भी बनता है। इसकी रचना को देखिए

मधुर → माधुर् → माधुर्य

शब्द का पहला स्वर बदलता है। इसे निम्न प्रकार भी देख सकते हैं।

अ, आ → आ   इ, ई, ए → ऐ   उ, ऊ, ओ → औ

दरिद्र — दारिद्र्य   दीन — दैन्य   उदार — औदार्य
एक — ऐक्य   शूर — शौर्य

ध्यान दीजिए कि विशेषण शब्द में केवल एक प्रत्यय लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐक्यता, दारिद्र्यता जैसे गलत शब्द लिखते हैं। या तो 'ऐक्य' लिखें या 'एकता'।

जिस तरह मानव होने की स्थिति को मानवता कहते हैं, वैसे ही 'विधवा' की स्थिति वैधव्य है। यह प्रत्यय संज्ञा में लगा है। आप बता सकते हैं कि 'पातिव्रत्य' का मूल शब्द क्या है? 'आधिपत्य' किससे बना है?

अभ्यास

4) क) नीचे दिये गये शब्दों में 'ता' और 'य' प्रत्यय लगाकर दो-दो शब्द बनाइए।

i) सम ....
ii) निरंतर ....
iii) धीर ....
iv) स्वस्थ ....
v) निकट ....

ख) नीचे लिखे शब्दों में 'ता' या 'य' का उचित प्रयोग कर शब्द लिखिए।

i) करुण ....
ii) महान ....
iii) सामाजिक ....
iv) सहित ....

5.4.3 प्रत्यय 'इक'

संज्ञावाचक शब्दों से विशेषण बनाने के लिए 'इक' का प्रयोग होता है। जैसे,

समाज — सामाजिक
नगर — नागरिक

यहाँ भी 'य' प्रत्यय की रचना के समान शब्द का पहला स्वर बदलता है। जैसे,

अ, आ → ई ; इ, ई, ए → ऐ ; उ, ऊ, ओ → औ

समाज — सामाजिक	दिन — दैनिक	उद्योग — औद्योगिक
धर्म — धार्मिक	नीति — नैतिक	मूल — मौलिक
मास — मासिक	सेना — सैनिक	लोक — लौकिक

आपके सामने एक समस्या रखते हैं। 'राजनीतिक' सही है या 'राजनैतिक'? आप मूल शब्द और रचना की विधि को पहचानिए। शब्द 'राजनीति+इक' है या 'राज + नैतिक' है? 'राजनीति' से शब्द बना हो तो 'राजनीतिक' सही है। इस तरह से 'अ+सामाजिक' रचना का आधार है 'असमाज + इक' नहीं। क्या आप 'अनैतिक', 'समसामयिक', 'औपनिवेशिक', 'कारुणिक' आदि शब्दों की रचना की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं?

अभ्यास

5 क) नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं, इन्हें 'इक' प्रत्यय लगाकर नये शब्द बनाइए। यह भी बताइए कि इनमें शब्द के पहले वर्ण की मात्रा में क्या अंतर आया है।

i) दिन ii) भूगोल iii) समूह iv) व्यक्ति
v) विज्ञान vi) मुख vii) जीव viii) निसर्ग

ख) मूल शब्द पहचानिए।

i) कार्मिक ii) न्यायिक iii) अप्राकृतिक
iv) पौराणिक v) प्रशासनिक

5.4.4. प्रत्यय 'करण'

करना के अर्थ में यह प्रत्यय संज्ञा, विशेषण दोनों के साथ आता है। इसकी रचना देखिए।

नगर + ई + करण — नगरीकरण
सामान्य + ई + करण — सामान्यीकरण

अभ्यास

आगे शब्दों में 'करण' प्रत्यय लगाकर रचना कीजिए।

6 i) समाज ii) दृढ़ iii) मानव iv) स्थायी

नोट करें कि इसका विशेषण शब्द फिर 'कृत' से बनता है। जैसे,

नौकरी में उस आदमी का स्थायीकरण नहीं हुआ है।
नौकरी में वह आदमी स्थायीकृत नहीं हुआ है।

इस पाठ में 'औद्योगीकरण' आया है। यह अपवाद है। इसके मूल में 'उद्योग' है।

5.5 सारांश

इस इकाई में आपने 'परिवार' पाठ के माध्यम से परिवार नामक सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन किया है। इससे आप :

- परिवार नामक सामाजिक इकाई को परिभाषित कर सकते हैं।
- परिवार के महत्व और उसके रूप में आए परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं।
- निबंध रचना के दौरान किसी विचार या भाव को विस्तार दे सकते हैं। और उन्हें सही क्रम दे सकते हैं।
- प्रत्यय को परिभाषित कर सकते हैं।
- "त्व", "ता", "इक", "य" और "करण" प्रत्यय के सही प्रयोग कर सकते हैं तथा इन प्रत्ययों के प्रयोगों से शब्द के अर्थ में आए परिवर्तन को बता सकते हैं।

5.6 शब्दावली *

2 **आधारभूत** : मूलभूत, बुनियादी, जो आधार में हो (आधार + भूत)
इकाई : यौगिक पदार्थ या ढाँचे के मूल अवयव जैसे परिवार समाज की इकाई है, दुकान व्यापार की इकाई है।

3 **नागरिक** : नगर का या जो नगर में रहे (किंतु नागरिक राष्ट्र के रहने वाले के अर्थ में भी व्यक्त होता है)
(पर्याय) शहरी, शहर का रहने वाला

4 **संकीर्ण** : तंग, संकुचित, छोटा। (विचारों के संकुचित होने के अर्थ में)
व्यक्तित्व : व्यक्ति की अपनी विशेषता जिससे उसकी अलग पहचान बने।
सौहार्द : हृदय की सरलता, सद्भाव, मैत्री
बृहत्तर : और अधिक बड़ा (बृहत् + तर) समान रचना—अधिक/अधिकता

5 **आवास** : रहने का स्थान, घर (निवास—रहने का स्थान)

6 **मंडी** : किसी खास चीज की थोक बिक्री का बाज़ार (बाज़ार—जहाँ विभिन्न वस्तुओं की खरीद-फ़रोख्त होती है। हाट-गाँवों और कस्बों में सप्ताह में एक बार लगने वाला बाज़ार)
सामाजिक उत्पादन : समाज-संबंधी उत्पादन

7 **बोध** : ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानना

9 **दशक** : दस वर्षों का जोड़ (शतक—सौ का जोड़)
शती (सदी, शताब्दी)—सौ वर्षों का जोड़

13 **सामंती** : किसी राज्य की वह शासन-व्यवस्था जिसमें राज्य की भूमि बड़े-बड़े सामंतों, सरदारों या ज़मींदारों के जिम्मे रहती थी और वे उसके बदले राजा को आर्थिक और सैनिक सहायता देते थे।
पुश्तैनी : पीढ़ी-दर-पीढ़ी (पुश्त-दर-पुश्त) घर में चला आने वाला
सामूहिक श्रम : मिल-जुल कर किया गया कार्य

14 **पितृसत्तात्मक** : समाज की रचना की वह प्रथा या पद्धति जिसमें पिता या गृह-स्वामी की ही सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है।
(**मातृसत्तात्मक** : जिसमें माता की सत्ता सर्वोच्च हो)

15 **सर्वोपरि** : सबसे ऊपर, सबसे पहले

16 **पुंजोत्पादन** : कारखाने आदि में किसी वस्तु का बड़ी संख्या में या बड़े पैमाने पर किया गया उत्पादन। (पुंज = समूह)
औद्योगीकरण : अनेक कारखानों, उद्योगों आदि की स्थापना, विस्तार आदि द्वारा देश को उद्योग-प्रधान बनाना
शहरीकरण : शहरों की स्थापना और विस्तार की प्रवृत्ति

19 **जाति** : वर्ण या वंश का भेद सूचित करने वाला वर्ग
नस्ल : जैविक (वर्ण, हड्डी आदि) और क्षेत्रीय आधार पर किसी जाति या जातियों का वर्गीकरण जैसे नीग्रो, मंगोली आदि नस्ल। इसी को 'संजाति' भी कहते हैं।
मानवता : मनुष्य के लिए उचित गुण या भाव
बंधुत्व : भाईचारा (पर्याय—भ्रातृत्व)

20 **सहचर** : साथ चलने वाला, साथी (इसी तरह आपने 'जलचर' आदि शब्द देखे) (सह = साथ)

21 **संबंध-विच्छेद** : संबंध का टूटना (तलाक़ के अर्थ में)

22 **निराकरण** : दूर हटाना, दूर करना

* शब्दों के आरंभ में दी गई संख्या पाठ के पैरा की है।

5.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कामता प्रसाद गुरु: **संक्षिप्त हिंदी व्याकरण**, *नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।*

5.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) सही ii) गलत iii) गलत iv) सही v) गलत
2 i) व्यक्तित्व ii) श्रम, संपत्ति iii) पितृसत्तात्मक iv) समानता v) शिक्षा
3 i) भाषा ii) त्याग iii) जनता iv) तात्कालिक
4 i) सबसे बड़ी उम्र का पुरुष ii) सामंती iii) औद्योगीकरण iv) वैयक्तित्व
v) लोकतांत्रिक
5 i) ग ii) घ
6 i) परिवार से व्यक्ति को यह प्रेरणा मिलती है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं वरन् सभी के लिए जिये, सभी के सुख-दुःख में सहभागी बने।
ii) परिवार के लिए जीवनयापन की व्यवस्था करते हुए जब हम सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया से अपने को जोड़ते हैं तो इससे समाज की प्रगति में सहायता मिलती है।
iii) एकल परिवार का अर्थ है वह परिवार जिसमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हों।
iv) क) बूढ़े और अक्षम माता-पिता के प्रति उपेक्षा का भाव।
ख) परिवार के स्थायित्व में कमी।
v क) स्त्रियाँ पुरुषों के अधीन मानी जाती थीं, उन्हें कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी।
ख) पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं माना जाता था।

अभ्यास

1 i) ख ii) ग iii) क iv) ख
2 i) सामाजिक ii) भावनात्मक iii) जीवनयापन, योगदान iv) समस्त परिवार v) कृषि vi) पुश्तैनी
vii) रुचि viii) जन्म दिया ix) समता x) नारी स्वातंत्र्य
3 i) गुरुत्व, गुरुता ii) मधुरता iii) शिवत्व iv) मनुष्यत्व, मनुष्यता v) निजता, निजत्व
vi) समता
4 क)
i) समता, साम्य ii) निरंतरता, नैरंतर्य iii) धीरता, धैर्य iv) स्वस्थता, स्वास्थ्य
v) निकटता, नैकट्य
ख)
i) कारुण्य ii) महानता iii) सामाजिकता iv) साहित्य

5 क)

i) दैनिक	इ—ऐ	v) वैज्ञानिक	इ—ऐ
ii) भौगोलिक	ऊ—औ	vi) मौखिक	उ—औ
iii) सामूहिक	अ—आ	vii) जैविक	ई—ऐ
iv) वैयक्तिक	इ—ऐ	viii) नैसर्गिक	इ—ऐ

ख)
i) कर्म ii) न्याय iii) प्रकृति iv) पुराण v) शासन

6 i) समाजीकरण ii) दृढ़ीकरण
iii) मानवीकरण v) स्थायीकरण

अनुकार्य

अपने परिवार के संबंध में 2-3 पृष्ठों में छोटा निबंध लिखिए और उपर्युक्त पाठ के संदर्भ में उसकी विशेषताओं को पहचानिए।

आप द्वारा लिखे गये पाठ में कौन-कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं, यह भी पहचानिए।

इकाई 6 भाषण शैली

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 भारत की ज़िम्मेदारी हम सब पर है

6.3 भाषण की शैलीगत विशेषताएँ

- 6.3.1 पुनरावृत्ति
- 6.3.2 वाक्यक्रम
- 6.3.3 उपवाक्य
- 6.3.4 संबोधित करना

6.4 संबोधनकारक

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.8 अभ्यासों के उत्तर

अनुकार्य

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राष्ट्र की एकता और उन्नति के विषय पर केंद्रित भाषण के अध्ययन द्वारा इस विषय को स्वयं अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे।
- विषय से संबंधित शब्दावली का उचित प्रयोग सीख सकेंगे।
- भाषण की शैलीगत विशेषताएँ बता सकेंगे।
- भाषण की भाषा और लिखित भाषा के अंतर को पहचान सकेंगे।
- संबोधनकारक को परिभाषित कर सकेंगे और उसका सही प्रयोग कर सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

आपने इससे पहले की इकाई में परिवार के बारे में पढ़ा है। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई कहा गया था और राष्ट्र समाज का ही एक बृहद् रूप है। हम सभी भारत नाम के राष्ट्र के नागरिक होने के कारण एक-सी राष्ट्रीय भावना में बँधे हैं। अपने राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम ही हमारी कर्तव्य और दायित्व की भावना को निर्धारित करता है। 15 अगस्त, 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो इसकी स्वतंत्रता की रक्षा और प्रगति का दायित्व सभी नागरिकों पर आ गया। निश्चय ही प्रगति का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ है। ये चुनौतियाँ क्या हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं तथा आजादी के संघर्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही आप इस इकाई में जानेंगे।

इस इकाई में आप स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण पढ़ेंगे जो उन्होंने 15 अगस्त, 1966 को दिया था। यह प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिया गया उनका पहला भाषण था। इसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्र की एकता और उन्नति की ज़िम्मेदारी सभी भारतवासियों पर है।

चूँकि यह पाठ मूल रूप में "भाषण" था इसलिए इसे अविकल रूप में दिया जा रहा है ताकि आप भाषण के प्रवाह को उसकी पूर्णता में ग्रहण कर सकें। इस भाषण के द्वारा आप भाषण की शैलीगत विशेषताओं और उनसे जुड़े व्याकरण संबंधी विशिष्ट प्रयोगों का अध्ययन भी करेंगे।

साथ ही, आप संबोधन कारक के नियम जानेंगे और उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे।

6.2 भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है

1 इस ऐतिहासिक दिन पर, इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं अपने देशवासियों का अभिवादन करती हूँ। 19 साल हुए भारतवर्ष ने एक नया जीवन लिया। इतिहास के कुछ ऐसे क्षण होते है, जब इसका हर एक देशवासी के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। वैसे आज का दिन, यह 15 अगस्त का दिन, भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा, एक नये जीवन का आरंभ हुआ। 19 साल हुए इसी जगह पर हमारे पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने इस तिरंगे को फहराया, आजादी की ज्योति जलायी, आजाद भारत की बुनियाद डाली।

2 यहाँ पर खड़े होकर हमें याद आती है उन नेताओं की और उन बेशुमार लोगों की, जो आजादी के आंदोलन में, हिन्दुस्तान के कोने-कोने से, सब कुछ भुला कर कूद पड़े, जान त्यागी, परिवार त्यागा, सब कुछ दे दिया। कितने बड़े इंसान थे और कितना बड़ा था उनका त्याग। आज उनकी याद आती है। उनके त्याग, उनके साहस और हिम्मत के कारण आज हम आजाद हैं और हमारे ऊपर यह भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चलें।

3 यहाँ खड़े-खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है। पुराना इतिहास याद आता है। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे **दर्शन** हो, चाहे किसी भी दिशा में, भारत बहुत आगे था, भारत बहुत महान था। आज यह सब बातें हमारे सामने हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई काम ऐसा न करें कि लंबे इतिहास की इस शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े।

4 आज सबसे ज्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक दफा जादूगर कहा था और जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को मानते थे, नयी दुनिया को मानते थे। तब भी वह महसूस करते थे कि गांधी जी के संदेश में कितना बल है और हमारे समय के लिए वह संदेश वह रास्ता आज कितना उपयोगी है वह संदेश क्या था। तीन छोटे-से शब्द अहिंसा सत्य और स्वदेशी। मैं चाहती हूँ कि इसको हम आज का भी संदेश मानें।

5 अहिंसा मायने क्या। शांति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की विचारधारा को आदर देना, बाहर के देश जो दूसरी **विचारधारा** के भी हैं, उनका भी आदर करना, उनसे भी दोस्ती करना, अपने **विधान** के अनुसार रहना, यह सब बातें इसी छोटे से शब्द में आती हैं।

6 दूसरा सत्य कि हम जीवन कैसे साफ रखें। कैसे हम हर एक काम रीति से करें कि देश को उसका लाभ हो। हमारे जीवन में झूठ न आये, दम्भ न आये। कोई ऐसी बात न हो जिससे भारत माता को धब्बा लगे। सत्य में एक बात और है—सत्य में निडरता भी शामिल है। आजादी के आंदोलन के समय यह जितना आवश्यक था, आज भी यह उतना ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर निडरता आये। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। हम हमेशा नया रास्ता लेने को तैयार रहें, नये विचार लेने को तैयार रहें। देश की समस्याओं को समझें, क्योंकि उनको समझ कर ही हम सही रास्ता ढूँढ़ सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। यह एक ऐसा **उसूल** है जो हमें एक सही रास्ता दिखाता है।

7 तीसरा स्वदेशी—आप सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। आपको मालूम है कि उसको हम तभी सुधार सकते हैं, अगर हम स्वदेशी का उपयोग करें। स्वदेशी का मतलब यह नहीं कि हम बाहर का माल न खरीदें, बल्कि उसके यह भी मायने है कि हम बचत करें, जो भी साधन है, जो भी तरीके है, और अगर कोई ऐसा तरीका है जिसके इस्तेमाल करने से विदेशी माल की जरूरत है तो हमारे नौजवानों को उसके लिए नया तरीका ढूँढ़ना चाहिए, नया रास्ता ढूँढ़ना चाहिए। यह ठीक है कि जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतनी ही जनता की भी है। अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी दुकान में, किस तरह से स्वदेशी को बढ़ाएँ, अपनी भावना में कैसे स्वदेशी लाएँ यह चीज है, ये बड़े उसूल हैं जिन पर हमको चलना है।

8 हमने **समाजवाद** का रास्ता लिया, इसलिए कि इस देश की गरीबी को और किसी तरह से दूर नहीं किया जा सकता और हमारे समाजवाद में प्रजातंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि वह उसकी बुनियाद है। **प्रजातंत्र** हर एक व्यक्ति को एक हक देता है, एक बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार और उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है। हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन जो एक भारी प्रश्न है, वह आज गरीबी का प्रश्न है। हम दृढ़ता से चलकर उसका सामना कर सकते हैं और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसमें हमारा साथ दें।

9 हमारे किसान भाई आप हैं देश की बुनियाद, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है। आप हैं हमारे अन्नदाता। हमारा कार्यक्रम चले या न चले, यह आप पर निर्भर है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नये तरीकों को, नये रास्तों को अपनाएँ और चाहे उत्पादन बढ़ाने का काम हो चाहे गाँव के **ग्रामीण** जीवन को सुधारने का सवाल हो उसमें सहयोग दें।

10 मजदूर भाइयों, आप का काम कुछ कम नहीं है और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। चाहे देश की उन्नति का काम हो, आपके कारखानों की पैदावार पर वह निर्भर है। आप पैदावार बढ़ाएँगे, उत्पादन बढ़ाएँगे तो आपकी स्थिति भी सुधरेगी और देश की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे कार्यक्रम और आगे बढ़ सकेंगे।

11 इस समय हमारे बहादुर सिपाही, हमारी बहादुर सेना हमारी सीमा पर डटी खड़ी है। हमारे दिल उनके साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि देश की सीमा खाली हिमालय पर नहीं है। देश की सीमा, सीमा पर ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा की सीमा, देश को बचाने की सीमा हर गाँव में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है। इसलिए जैसे किसान भाइयों की मदद चाहिए, जैसे हमें अपने मजदूर भाइयों की मदद चाहिए, उसी तरह से जो और हैं, चाहे वह कारखानेदार हों, व्यापारी हों, चाहे अध्यापक

हों, या जो भी काम करते हों, उनकी भी भारी जिम्मेदारी देश के लिए है। वह अपने फर्ज को अदा करें, राष्ट्र-जीवन में सच्चाई लाएँ सत्यता लाएँ एकता लाएँ। इस तरह से हमारे दूसरे भाई भी हैं। हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरे तरह की है और वह जिम्मेदारी है कि नयी पीढ़ी को, सारे देश को मार्गदर्शन दें, सीधे रास्ते पर चलना सिखाएँ, अपना मन ऐसा खुला रखें कि बाहर के विचार आ सकें और बाहर भी हमारे जा सकें यह भारी जिम्मेदारी उनकी आज है।

12 आज समय नहीं है कि हम रुक जाएँ, बल्कि आज हमें आगे बढ़ना है। हमारे देश के कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से पिछड़े रहे हैं, हमारे हरिजन भाई और बहन, हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारे पहाड़ के लोग, हमारे अल्पसंख्यक लोग, उनकी तरफ हमारा विशेष ध्यान है। उनके लिए कार्यक्रम बने हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कितना ज्यादा और करना है। कितनी उनकी तकलीफें हैं, कितनी उनकी परेशानी है, खास तौर पर इस सूखे के साल में उनको जो तकलीफें हुई वह जरूर हुई। हम यह जानते हैं कि जब तक हम इनको ऊपर नहीं उठाएँगे, तब तक हम नहीं उठ सकते। जब तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनको उठाना जरूरी है। आपसे भी हमारी विनती है कि हम आपकी सहायता करें और हमारी आप सहायता कीजिए।

13 फिर हमारी प्यारी बहनें हैं, जो हरेक तबके की हैं, हरेक काम में हैं और जिनके ऊपर काम का बोझ है और उसके ऊपर है घर चलाने का बोझ, नई पीढ़ी को बढ़ाने का बोझ, महंगाई का सामना करने का बोझ, कमी का सामना करने का बोझ, देश की आधी जनता वे हैं। सदियों से उन्होंने इस देश को शक्ति दी, सदियों से उन्होंने इस देश की सभ्यता को ऊँचा रखा। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमारी सभ्यता, परंपरा की ओर वे ध्यान दें, उसको ऊँचा रखें। आज भी उनकी तरफ हम देखते हैं—वे हमको शक्ति दें, अपनी सहनशक्ति से हमें मजबूत करें। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, बहुत से गुणों के लिए जिसके लिए भारतीय महिला प्रसिद्ध रही हैं।

14 हमारी आजादी के आन्दोलन में बहुत से लोग थे उनमें से बहुत से आज हमारे बीच नहीं हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बहुत से हैं, जो बूढ़े हो गये हैं और जिनका तजुर्बा है, जो हमारी सहायता कर सकते हैं। अब एक नई पीढ़ी हमारे सामने है। उसने आजादी का आंदोलन नहीं देखा, उसने नहीं पहचाना कि हमारे दिलों में क्या आग थी, हमारे मन में क्या प्यास थी, हमारी आत्मा की क्या माँग थी। लेकिन चाहे हम बूढ़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे हमें आजादी के पहले दिन याद हों, चाहे न मालूम हों, आज के भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है। आज हम चाहें, न चाहें आज के भारत को चलाने का काम हरेक नागरिक पर है—छोटे बच्चों पर भी है और बड़ों पर भी है और अगर हम इस काम को मिलकर एकतापूर्वक अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें, तो हम निश्चय ही इस काम को पूरा कर सकते हैं।

15 हमारे जो प्रश्न हैं, वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सकें उन पर। वह हिम्मत भारत में है और आज उसका हमें उपयोग करना है। अगर सब लोग इस बड़े काम को मिलकर उठायेंगे तो मैं मानती हूँ कि हमारे ऊपर जो दबाव हैं, वे खत्म हो जाएँगे। ये दबाव हैं बाहर के, दबाव है देश की गरीबी का, दबाव है आपस में फूट का और बहुत से ऐसे दबाव और कठिनाइयाँ हैं। लेकिन हमारे बच्चे उन सब दबावों को हटा सकते हैं, अपने रास्ते से और आगे बढ़ सकते हैं, समाजवाद के रास्ते पर।

16 एक लड़ाई हमारी सीमा पर है लेकिन दूसरी लड़ाई इतने ही महत्व की हमारे देश में है। वह गरीबी से लड़ाई और पिछड़ेपन से लड़ाई है। वह लड़ाई हम कैसे लड़ें, जब तक नये विचारों को न अपनाएँ, जब तक हम अपने बीच से अंधविश्वासों को मिटा न दें और जब तक हम निश्चय न कर लें कि जो हमें करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कितने त्याग की जरूरत हो, कितनी कठिनाई हो, उसको करने के लिए हम तैयार हैं और हम में से हरेक उसकी जिम्मेदारी लेगा। यह जिम्मेदारी हरेक व्यक्ति की है, और अब ऐसा समय आ गया है कि उस जिम्मेदारी को हम छोड़ नहीं सकते। हम देश के जीवन में दर्शक बनकर नहीं रह सकते, हम उसके सिपाही हैं।

17 हमारे नौजवान हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो लड़ाई के समय अपना जीवन देने को तैयार हो गये थे, खून से सबक लिखने को तैयार थे। मैं कैसे मानूँ कि आज वह भारतमाता की दुःख भरी पुकार नहीं सुनेंगे। आज जो भारतमाता की कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर करने को हम तैयार नहीं होंगे। आज बनाने का दिन है भारतमाता के नये जीवन को, न कि तोड़ने का दिन।

18 यहाँ हम भारत की राजधानी में एक ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे साथ आज बहुत से लोग हैं, खाली दिल्ली शहर के नहीं, बल्कि भारत के शहरों और गाँवों के, हमारी तरफ सबका ध्यान जा रहा है। भारत का बड़ा इतिहास है और आगे भी भारत का उज्ज्वल भविष्य है। हम उस भविष्य को कैसे ऊँचा बनाएँ, हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने आदर्शों को सफल रख सकेंगे या नहीं, इसका जवाब हर नागरिक अपने दिल से पूछे। अगर उसका दिल कहता है कि वह यह काम कर सकता है, तो निश्चित ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके दिल में शंका है, कोई झिझक है, तो यह काम हमारे लिए मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मेरी आज आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, हम यह दृढ़ निश्चय करें कि इन चीजों का हम सामना एकता से, अपनी पूरी शक्ति से करेंगे और जिस रास्ते पर हमको भारत को लाना है, देश की सुरक्षा दूसरे देशों से, बाहरी शक्तियों से, अंदर की कमजोरियों से जो करनी है उसका हम जोरों से सामना करें। यह कोई आसान काम नहीं है और न यह हम कभी समझते थे कि यह आसान काम है। हमारी जो कमियाँ हैं वह हो सकता है कि कुछ गलतियों से हुई हों, हो सकता है काम और तेजी से हो सके और अच्छा हो सके लेकिन साथ-साथ हमको यह भी मानना है कि हमारी बहुत से कठिनाइयाँ हैं वह हमारी कामयाबी के कारण हैं, हम आगे बढ़े ही इसलिए हैं। अगर हम रुके रहते, खड़े रहते तो शायद ये कठिनाइयाँ नहीं बढ़तीं। लेकिन दोनों रास्तों को देखकर, आँखें खोलकर हमने यह आगे बढ़ने का रास्ता चुना, हमने कठिनाइयों का रास्ता चुना।

19 आज हम प्रण लेंगे कि हमारी आजादी के जो सिपाही थे और जो इस नयी लड़ाई में हैं वे सब सिपाही हैं और तब हमारे अन्दर जो एक दीवानापन था, उस दीवानेपन को आज हम फिर अपने अंदर लाएँ। आज वह क्रांति पैदा करें, जो हमें बैठने

न दे, जो सदा हमारे कान, दिल और मन में कहे कि उठ चलो भारतमाता इंतजार कर रही है, भारतमाता तुम्हारी माँग कर रही है। इस क्रांति की आज जरूरत है। मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है, अगर इसको दबाया नहीं गया, अगर इसको उल्टे रास्ते पर न जाने दिया गया। आज हम उस क्रांति को उलटे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे देश नष्ट होगा, उसके साथ हम नष्ट होंगे और हमारे वे वीर सपूत, जिनको हम याद कर रहे थे, जिन्होंने त्याग किया था, वे सोचेंगे कि उनका त्याग बेकार गया। आज हम फिर से उनकी तरफ देखें और इसे प्यारे तिरंगे की आन और मान को सदा ऊँचा रखें।

20 बाहर जो हमारे मित्र देश हैं, उनकी तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और खास तौर से वह जो साम्राज्यवाद में फँसे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारा साथ उनके संग रहेगा। जहाँ भी अन्याय और लड़ाई है, वहाँ हम लोगों के साथ है और सदा रहेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे देशों में जहाँ के लोग गरीब हैं, जहाँ दबे हुए हैं, जहाँ लोग अत्याचारों से लड़ रहे हैं, उनको भी आजादी की ताजी और जानदार हवा मिले।

21 आपकी तरफ से और हमारे जो पुराने नेता थे, उनके नाम से भारत की तरफ से आज मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि हम इस भारी काम में चाहे देश के अन्दर, चाहे देश के बाहर, अत्याचार से लड़ने के काम में, अन्याय से लड़ने के काम में और अपने देश को ऊपर उठाने के काम में मिलकर सेना में जैसा अनुशासन होता है वह अनुशासन रख कर गांधी जी के, पंडित जी के, अपने बड़े-बड़े नेताओं के रास्ते पर हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में और थोड़े ही सालों में इस भारत को दिखायेंगे कि हम नया जीवन बना सकते हैं।

22 अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर आप वह पुराना नारा लगायें, जो नेताजी सुभाष बोस ने हमको दिया था। यह नारा देश की शक्ति का नारा है। मैं चाहती हूं कि आप सब मिलकर मेरे साथ इस नारे को तीन बार बोलें और याद रखें कि यह आवाज एक छोटी आवाज नहीं है, एक महान देश की आवाज है, और महान देश की आवाज को कोने-कोने में, दूर-दूर के पहाड़ों तक पहुँचाना चाहिए। उनको प्रेरणा देनी चाहिए और उनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ाना चाहिए जो पुराना उत्साह था, आज उसको हमें फिर से जीवित करना है।

जय हिंद।

बोध प्रश्न

1 वाक्यों के अंत में कोष्ठक में दिये गये किसी एक सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के लाल किले पर .... ने तिरंगा झंडा फहराया। (महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल)
ii) पं. जवाहरलाल नेहरू ने एक बार महात्मा गांधी को .... कहा था। (बापू, राष्ट्रपिता, जादूगर)
iii) सत्य में .... शामिल है। (निडरता, ईमानदारी, विनम्रता)
iv) जो देश .... में फंसे हैं वे हमारे मित्र हैं। (पूंजीवादी, समाजवाद, साम्राज्यवाद)
v) महिलाएँ अपनी .... से हमको मजबूत करें। (सहनशक्ति, श्रमशक्ति, त्यागशीलता)

2 नीचे कुछ वाक्य दिये गये हैं, इनमें से कुछ वाक्य कथ्य की दृष्टि से सही हैं, कुछ गलत। बताइए कि कौन से वाक्य सही हैं और कौन से गलत।

i) अहिंसा, सत्य और स्वदेशी का संदेश जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ☐ सही ☐ गलत
ii) हम अपने देश की आर्थिक स्थिति तभी सुधार सकते हैं जब अपने ही देश की वस्तुओं का प्रयोग करें। ☐ सही ☐ गलत
iii) समाजवाद लोकतंत्र का ही एक अंग है। ☐ सही ☐ गलत
iv) देश को आगे बढ़ाने के लिए गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ना जरूरी है। ☐ सही ☐ गलत
v) जयहिंद का नारा इन्दिरा गांधी ने दिया था। ☐ सही ☐ गलत

3 नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर केवल दो-तीन पंक्तियों में दीजिए।

i) श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दी गई अहिंसा की परिभाषा लिखिए?

....

....

ii) स्वदेशी का अर्थ समझाइए?

....

....

iii) लेखकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य है?

....

....

iv) 15 अगस्त, 1966 को लाल किले पर दिये गये भाषण में इन्दिरा गांधी ने क्या प्रतिज्ञा की थी?

....

....

v) पिछड़ेपन से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए?

....

....

4 नीचे कुछ शब्द-समूह दिये गये हैं। प्रत्येक समूह में कोई एक शब्द ऐसा है जिसकी उस शब्द-समूह से संगति नहीं बैठती। शब्द को बताइए।

i) अहिंसा, शांति, निरस्त्रीकरण, शीतयुद्ध ( )
ii) अध्यापक, लेखक, व्यापारी, कलाकार ( )
iii) हरिजन, विद्यार्थी, आदिवासी, अल्पसंख्यक ( )
iv) व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, प्रजातंत्र ( )
v) उन्नति, प्रगति, क्रांति, विकास ( )

5 नीचे दिये आरेख में क, ख, ग खंडों में उचित शब्द लिखिए।

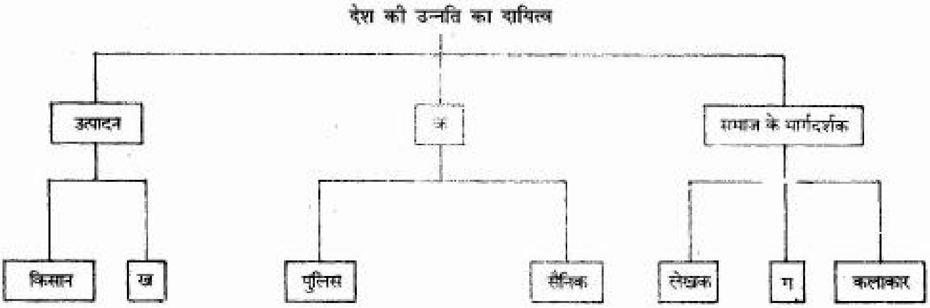

6 नीचे दिये गये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1) महात्मा गांधी को .... कहा जाता है।
2) .... भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
3) सुभाष चन्द्र बोस ने .... का नारा दिया।
4) श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली .... प्रधानमंत्री थी।
5) भारत एक .... देश है।

6.3 भाषण की शैलीगत विशेषताएँ

इस इकाई में श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण दिया गया है। आप ने इसे पढ़ते हुए म सूस किया होगा कि लेखन की भाषा और बोलचाल या भाषण की भाषा में फर्क होता है। भाषण अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो वक्ता को बोलते हुए ही अपनी वाक्य रचना करनी होती है। इसलिए भाषण में लिखित गद्य की तरह लंबे, मिश्रित और जटिल वाक्य नहीं होते वरन् छोटे-छोटे वाक्य होते हैं जो कई उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। वक्ता अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बात पर बल देने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी एक ही शब्द या वाक्य को कई रूपों में दोहराता है। या वह पूरे

मंतव्य को ऐसे छोटे-छोटे उपवाक्यों में बाँटकर बोलता है जिससे बात पर अधिक बल पड़े। वक्ता सुनने वालों को अपनी बातों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष संबोधित करता है, श्रोताओं के अलग-अलग वर्गों का अलग-अलग जिक्र करता है, उनसे सीधे अपील करता है। यहाँ हम कुछ उदाहरणों और अभ्यासों द्वारा भाषण की शैलीगत विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे।

6.3.1 पुनरावृत्ति

भाषण में अपनी बात को स्पष्ट करने और उस पर बल प्रदान करने के लिए वक्ता बातों की पुनरावृत्ति करता है। उदाहरण के लिए इस इकाई मे दिये गये भाषण के निम्नलिखित अंशों को देखिए :

क) आज का दिन, यह 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा। उक्त वाक्य के रेखांकित वाक्यांशों में, ''आज का दिन'', ''15 अगस्त का दिन'' और ''इस दिन'' में कथन की पुनरावृत्ति है जो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुई है, साथ ही इसमें बात पर भी बल पड़ा है।

ख) आज भी यह उतना ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें।

(उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्यांशों की पुनरावृति अपनी बात पर बल देने के लिए है।)

ग) भाषण में पुनरावृति के लिए वक्ता एक ही शब्द के कई **पर्यायवाची** शब्दों का प्रयोग भी करता है जिससे कि बात पर बल पड़े।

प्रजातंत्र हर व्यक्ति को **एक हक** देता है, **एक बड़ा हक**, **एक बड़ा अधिकार** और उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है।

(इस वाक्य में हक और अधिकार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बल देने के लिए किया गया है।)

इस तरह पुनरावृति के लिए वक्ता शब्द, वाक्यांश या वाक्य को दुहराता है, या बात का विस्तार करता है, पर्यायवाची शब्दों (हक, अधिकार) का प्रयोग करता है।

अभ्यास

1 नीचे कुछ पुनरावृति वाक्य दिये गये हैं। इन्हें पढ़कर बताइए कि कहाँ पुनरावृति है।

i) इस समय हमारे बहादुर सिपाही, हमारी बहादुर सेना हमारी सीमा पर डटी खड़ी है।

....

ii) देश को बचाने की सीमा हर गाँव में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है।

....

iii) आप पैदावार बढ़ाएँगे, उत्पादन बढ़ाएँगे तो आपकी स्थिति भी सुधरेगी और देश की स्थिति भी सुधरेगी।

....

iv) ये दबाव हैं बाहर के, दबाव है देश में गरीबी का, दबाव है आपस में फूट का।

....

2 नीचे कुछ पुनरावृति वाक्य दिये गये हैं। इन्हें पढ़कर बताइए कि इनमें पुनरावृत्ति के कारण क्या हैं— (कथ्य की स्पष्टता, बात पर बल देने के लिए, अपील)।

i) आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमारी सभ्यता, परंपरा की ओर वे ध्यान दें, उसको ऊँचा रखें। आज भी उनकी तरफ हम देखते हैं— वे हमको शक्ति दें, अपनी सहनशक्ति से हमको मजबूत करें। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, बहुत से गुणों के लिए जिस के लिए भारतीय महिला प्रसिद्ध रही है। [ ]

ii) इसलिए जैसे किसान भाइयों की मदद चाहिए, जैसे हमें अपने मज़दूर भाइयों की मदद चाहिए, उसी तरह से जो और हैं चाहे वह कारखानेदार हों, व्यापारी हों, चाहे अध्यापक हों, या जो भी काम करते हों, आपकी भी सारी ज़िम्मेदारी देश के लिए है। [ ]

iii) हमारे देश में कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से पिछड़े रहे हैं, हमारे हरिजन भाई और बहन, हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारे पहाड़ के लोग हमारे अल्पसंख्यक लोग, उनकी तरफ हमारा विशेष ध्यान है। [ ]

6.3.2 वाक्य-क्रम

भाषण की भाषा लिखित भाषा की तरह अधिक सुगठित नहीं होती। उसमें वक्ता अपनी बातों को बोलते हुए क्रम देता है इसलिए भाषण की भाषा कुछ अव्यवस्थित होती है। उसमें शब्दों और पदों का क्रम भी लिखित भाषा से प्रायः अलग होता है।

उदाहरण : हमारे जो प्रश्न है, वे बहुत बड़े है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सकें उन पर।

हिन्दी के वाक्यों में प्रायः पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते है। जैसे ''राम स्कूल जाता है,'' यहाँ ''राम'' कर्ता, ''स्कूल'' कर्म और ''जाता है'' क्रिया है।

उपर्युक्त वाक्य हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है किंतु बोलते हुए भाषा का इस रूप में प्रयोग दोष नहीं माना जाता वरन् प्रायः इस तरह की वाक्य रचना बात के प्रभाव को बढ़ाती है। उदाहरण में दिये गये वाक्य के अंतिम उपवाक्य में ''उन पर'' जो सर्वनाम है क्रिया के बाद प्रयुक्त हुआ है। सही वाक्य क्रम होगा—हमारे जो प्रश्न हैं, वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि उन पर हिम्मत से काबू नहीं किया/पाया जा सके।

उदाहरण : आज बनाने का दिन है **भारतमाता के नये जीवन को**, न कि तोड़ने का दिन।
इस वाक्य में क्रिया, 'बनाने' कर्म 'भारत माता के नये जीवन' से पहले प्रयुक्त हुई है।

सही क्रम—आज भारत माता के नये जीवन को बनाने का दिन है न कि तोड़ने का।

अभ्यास

3) नीचे के वाक्यों को सही वाक्य-क्रम दीजिए।

i) देश की सुरक्षा दूसरे देशों से, बाहर की शक्तियों से, अंदर की कमज़ोरियों से जो करनी है।

....

ii) मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है, अगर इसको दबाया नहीं गया, अगर इसको उल्टे रास्ते पर जाने न दिया।

....

iii) लेकिन हमारे बच्चे, उन सब दबावों को हटा सकते हैं अपने रास्ते से और आगे बढ़ सकते हैं, समाजवाद के रास्ते पर।

....

iv) परिवार एक संस्था है सर्वव्यापी जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्यक्ति और समाज के विकास में।

....

iv) बहुत से लोग उस धन को जो नहीं होता उनकी कमाई का खरीदते हैं ऐसी चीज़ें जिनकी होती है जरूरत उन्हें नहीं ताकि कर सकें प्रभावित उन्हें जिन्हें करते नहीं हैं वे पसंद।

....

6.3.3 उपवाक्य

भाषण में वाक्य-रचना इस तरह की जाती है जिससे कथ्य स्पष्ट होता चला जाय और बात पर बल भी पूरा पड़े ताकि सुनने वाले प्रभावित हों। इसके लिए वक्ता उपवाक्यों का अधिक उपयोग करता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरा विचार प्रकट होता है, वाक्य कहते हैं। जैसे 'प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है'। यह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूरा विचार प्रकट हुआ है। लेकिन जब कोई पूरा विचार एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है और उन्हें एक ही वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है तब उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते हैं। जैसे ''यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतनी ही जनता की भी है।'' इस वाक्य में दो उपवाक्य है—पहला ''यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है'' दूसरा—(लेकिन) ''उतनी ही जनता की भी है।''

यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बोलने और लिखने दोनों तरह की वाक्य रचनाओं में उपवाक्यों का प्रयोग होता है किंतु बोलने की भाषा में उपवाक्यों का प्रयोग बहुत अधिक होता है जिसे हम इन्दिरा गांधी के उपर्युक्त भाषण में देख सकते हैं।

भाषण में ये उपवाक्य पूरी वाक्य रचना में बिखरे होते हैं और अगर हम इन्हें लिखने की भाषा में बदलें तो भाषण में प्रयुक्त वाक्य रचना की तुलना में लिखा हुआ वाक्य छोटा और गठा हुआ होगा।

उदाहरण : भाषण का वाक्य—हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरी तरह की है और वह जिम्मेदारी है कि नयी पीढ़ी को, सारे देश को मार्गदर्शन दें, सीधे रास्ते पर चलना सिखायें। (31 शब्द)

लिखने की भाषा में वाक्य रचना : हमारे कलाकारों, लेखकों और विचारकों की जिम्मेदारी दूसरी तरह की है। वे नयी पीढ़ी और सारे देश को मार्गदर्शन दें और सीधे रास्ते पर चलना सिखायें। (26 शब्द)

उदाहरण : भाषण का वाक्य — अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी दुकान में, किस तरह से स्वदेशी को बढ़ाएँ, अपनी भावना में कैसे स्वदेशी लाएँ यह चीज़ है, ये बड़े उसूल हैं, जिन पर हमको चलना है। (33 शब्द)
लिखित वाक्य—अपने घर, गाँव, दुकान में किस तरह स्वदेशी की भावना को बढ़ाएँ, यही वह उसूल है जिन पर हमको चलना है। (21 शब्द)

अभ्यास

4 नीचे लिखे वाक्यों को लिखने की भाषा में बदलिए।

i) हम आजादी की लड़ाई को भूल गये है, भूल गये हैं शहीदों के बलिदान को, उनके त्याग को और इसीलिए *आज हम* भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं।

....

....

ii) आज हमें सोचना होगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे, अपनी मंजिल नहीं जानेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम ऐसे ही अँधेरे में हाथ-पाँव मारते रहेंगे।

....

....

iii) आइए, आप हम सब मिलकर एक नयी राह बनाये। सोचें, कि वह कौन-सा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों, अपनी तकलीफों का हल ढूँढ सकें।

....

....

6.3.4 संबोधित करना

भाषण में वक्ता अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करता है। इसलिए उसकी भाषा संबोधन की भाषा होती है। जैसे वाक्य कुछ इस तरह से आरंभ होते हैं—**''आप जानते हैं कि''** **''यहाँ पर खड़े होकर''**...... **''हमारे किसान भाई''**...... **''मजदूर भाइयों''**, ... **''मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ''**...... आदि। वक्ता कई बार अपने श्रोताओं को अलग-अलग वर्गों में बाँटकर उनसे संबंधित बातों पर अपने भाषण को केंद्रित करता है। इन बातों को हम उपर्युक्त भाषण में स्पष्ट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इस भाषण में इन्दिरा गांधी किसानों को संबोधित करते हुए अपनी बात निम्नलिखित रूप में आरंभ करती है—**''हमारे किसान भाई,** आप हैं देश की बुनियाद, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है'''.....।'' गद्य लिखते हुए हम इस तरह का संबोधन प्रयुक्त नहीं करते। इस तरह के संबोधन से जहाँ वक्ता श्रोताओं से सीधे अपने को जोड़ता है वहीं उसके वक्तव्य में आत्मीयता और अपील का भाव भी आता है।

6.4 संबोधन कारक

हम एक लड़के को बुलाने के लिए कहते हैं। 'ए! लड़के!' सभा में कई लोगों को संबोधित करने के लिए कहते हैं 'भाइयो! बहनो!' इस तरह बुलाने के शब्दों को ही व्याकरण में संबोधन कारक कहते हैं। कई लोग 'भाइयों! बहनों!' बोलते हैं जो गलत है। अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं होता। निम्नलिखित वाक्यों में अंतर देखिए।

मैंने अपने भाइयों को बुलाया
भाइयो! आप लोगों से मेरी अपील है''.....

संबोधन कारक की रचना को हम निम्न प्रकार से देखेंगे।

	एक वचन	बहुवचन
पुल्लिंग	बालक! लड़के! भाई! चाचा!	बालको! लड़को! भाइयो! चाचाओ!
स्त्रीलिंग	लड़की! बहन! माता बहू!	लड़कियो! बहनो माताओ! बहुओ!

यहाँ हमने हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले संबोधन के उदाहरण देखे। संस्कृत भाषा में संबोधन कारक के कुछ अन्य रूप भी मिलते हैं। इनका बोलचाल में प्रचलन नहीं है। लेकिन आप साहित्य का अध्ययन करें तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। हम आगे मूल शब्द के साथ संबोधन कारक के कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

मूल शब्द	संबोधन	मूल शब्द	संबोधन
प्रभु	प्रभो!	देवी	देवि!
राजन्	राजन्!	आर्या	आर्ये!
आर्य	आर्य!	सीता	सीते!

अभ्यास

5 निम्नलिखित शब्दों के दोनों वचनों में संबोधन कारक रूप लिखिए।

	संबोधन कारक रूप	
मूल शब्द	**एक वचन**	**बहुवचन**
1) दोस्त		
2) कवि		
3) छात्र		
4) बालिका		
5) खिलाड़ी		
6) रिक्शा वाला		

6.5 सारांश

इस इकाई में आपने स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषण का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त भाषण शैली की विशेषताओं एवं भाषण की भाषा और लिखित भाषा के अंतर का अध्ययन किया है और संबोधन कारक का प्रयोग करना सीखा है।

इकाई को पढ़ने के बाद अब आप :

- राष्ट्र की एकता और उन्नति के संदर्भ में एक नागरिक के कर्तव्य की व्याख्या कर सकते हैं।
- भाषण की शैलीगत विशिष्टताएँ बता सकते हैं।
- भाषण की भाषा और लिखित भाषा में भेद कर सकते हैं।
- संबोधन कारक को परिभाषित कर सकते हैं और उसका सही प्रयोग कर सकते हैं।

6.6 शब्दावली*

3 **दर्शन** : ज्ञान की वह शाखा जिसमें ईश्वर, आत्मा, जीव, पदार्थ, मृत्यु आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है।

4 **अहिंसा** : हिंसा का निषेध—जैन और बौद्ध धर्मों तथा गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को पेश किया था जिसमें दूसरे प्राणियों की हत्या का निषेध तो था ही, किसी को मन, वचन और कर्म से सताना भी हिंसा माना जाता है।
स्वदेशी : अपने देश की—स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेश की बनी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया था और इसे स्वदेशी का आंदोलन कहते थे।

5 **विचारधारा** : विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें विचारों की एक निश्चित प्रणाली बनती है। जैसे समाजवाद, फासीवाद, साम्यवाद आदि।
विधान : कानून, नियम, कायदे।

6 **उसूल** : आदर्श, उर्दू शब्द-''अस्ल'' का बहुवचन।

8 **समाजवाद** : जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को कम करके समता लाने की कोशिश करता है तो उसके इस प्रयत्न को समाजवाद कहा जाता है।
प्रजातंत्र : लोकतंत्र : एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथ में पहुँचती है जो एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से शासन करती है।

9 **ग्रामीण** : गाँव का, (नगरीय—नगर का)

12 **अल्पसंख्यक** : जो संख्या में कम हो। जैसे भारत में मुसलमान, ईसाई आदि धार्मिक मतावलंबी अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या कम है। हिंदुओं की संख्या अधिक है। वे बहुसंख्यक हैं।
अल्प = कम, बहु = ज्यादा।

13 **श्रद्धांजलि** : श्रद्धा अर्पित करना (श्रद्धा + अंजलि)

19 **साम्राज्यवाद** : अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं को विस्तार देने के प्रयास की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद है। यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए साम्राज्यवादी देश उस राष्ट्र को सीधे अपने अधीन करे।

* बायीं तरफ की संख्या पैरा संख्या है।

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

श्रीमती इन्दिरा गांधी : **चुनौती भरे वर्ष,** प्रकाशन विभाग,. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

6.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) जवाहरलाल नेहरू ii) जादूगर iii) निडरता iv) साम्राज्यवाद v) सहनशक्ति

2 i) गलत (गांधी जी) ii) सही iii) सही iv) सही v) गलत (सुभाषचंद्र बोस)

3 i) अहिंसा का अर्थ है शांति, एक दूसरे से मिलजुलकर रहना दूसरों की विचारधारा का आदर करना व अपने विधान के अनुसार रहना।

ii) स्वदेशी का अर्थ है जहाँ तक संभव हो अपने ही देश की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना।

iii) लेखकों की ज़िम्मेदारी है सारे देश और नयी पीढ़ी को मार्गदर्शन देना और सीधे रास्ते पर चलना सिखाना।

iv) इन्दिरा गांधी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देश के अंदर और बाहर अत्याचार और अन्याय से लड़ने, देश को ऊपर उठाने, अनुशासन रखते हुए गांधी जी आदि महान् नेताओं द्वारा बताए मार्ग पर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे।

v) नये विचारों को अपनाएँ और अंधविश्वासों को मिटाएँ।

4 i) शीतयुद्ध ii) व्यापारी iii) विद्यार्थी iv) व्यक्तिवाद v) क्रांति

5 क) सुरक्षा ख) मजदूर ग) विचारक

6 1) राष्ट्रपिता 2) जवाहरलाल नेहरू 3) जयहिंद 4) महिला 5) कृषिप्रधान/लोकतांत्रिक

अभ्यास

1 i) हमारे बहादुर, हमारी बहादुर, हमारी सीमा

ii) हर गाँव में, हर कस्बे में, हर शहर में

iii) पैदावार, उत्पादन

iv) दबाव की चार बार आवृत्ति

2 i) बात पर बल

ii) अपील

iii) कथ्य की स्पष्टता

3 i) दूसरे देशों, बाहर की शक्तियों और अंदर की कमज़ोरियों से देश की सुरक्षा करनी है।

ii) अगर इसको दबाया नहीं गया, इसको उल्टे रास्ते पर जाने न दिया तो मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है।

iii) लेकिन हमारे बच्चे अपने रास्ते से उन सब दबावों को हटा सकते है और समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।

iv) परिवार एक सर्वव्यापी संस्था है जो व्यक्ति और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

v) बहुत से लोग उस धन को जो उनकी कमाई का नहीं होता, ऐसी चीज़ें खरीदने में खर्च करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती ताकि उन्हें प्रभावित कर सकें जिन्हें वे पसंद नहीं करते।

4 i) हम आज़ादी की लड़ाई और शहीदों के त्याग और बलिदान को भूल गये हैं इसीलिए आज हम भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं।

ii) आज हमें सोचना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही अँधेरे में हाथ-पाँव मारते रहेंगे।

iii) हम सभी को मिलकर नयी राह बनानी है और अपनी समस्याओं का हल ढूँढ़ना है।

5

एक वचन	बहुवचन
1. दोस्त!	दोस्तो!
2) कवि!	कवियो!
3) छात्र!	छात्रो!
4) बालिके!	बालिकाओ!
5) खिलाड़ी!	खिलाड़ियो!
6) रिक्शे वाले!	रिक्शेवालो!

अनुकार्य

श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषण के पैरा 12 एवं 13 को ध्यान से पढ़िए और उन्हें निबंध की भाषा में रूपांतरित कीजिए। यह ध्यान रहे कि पैरा में व्यक्त किये गये सभी विचार सुरक्षित रहें।

खंड

2

वाचन और विविध विषय

इकाई 7

सामाजिक विज्ञानों की भाषा (इतिहास के संदर्भ में) तथा वर्तनी के कुछ नियम 5

इकाई 8

सामाजिक विज्ञानों की भाषा (राजनीति विज्ञान) तथा शब्द रचना· 21

इकाई 9

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण 33

इकाई 10

विज्ञान की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द 47

इकाई 11

विज्ञान की भाषा का स्वरूप 59

इकाई 12

विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द और अर्थ 73

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो॰ बख्शीश सिंह (संयोजक)
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ॰ डी॰ पी॰ पटनायक
निदेशक
भारतीय भाषा संस्थान
मैसूर

डॉ॰ एस॰ के॰ वर्मा
निदेशक
केन्द्रीय अंग्रेज़ी तथा विदेशी भाषा संस्थान
हैदराबाद

डॉ॰ विश्वनाथ रेड्डी
आंध्रप्रदेश सार्वत्रिक विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ॰ नित्यानंद शर्मा
जोधपुर

प्रो॰ महेंद्र कुमार
हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण शर्मा
रीडर, हिंदी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

डॉ॰ रमानाथ सहाय (संपादक)
आगरा

डॉ॰ नित्यानंद शर्मा (संपादक)
जोधपुर

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण शर्मा (संयोजक)

डॉ॰ शिवप्रसाद गोयल
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र

डॉ॰ त्रिभुवन सिंह
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी

डॉ॰ नंदलाल कल्ला
जोधपुर विश्वविद्यालय
जोधपुर

संकाय सदस्य
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ॰ वी॰ रा॰ जगन्नाथन
निदेशक, मानविकी विद्यापीठ

डॉ॰ सुंदरलाल कथूरिया

डॉ॰ जवरीमल पारख
(प्रस्तुत खंड का संयोजन)

श्री राकेश वत्स

सितम्बर 1996 पुनःमुद्रित

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1988

ISBN-81-7091-212-1

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खंड 3 का परिचय

इस खंड में हमारा लक्ष्य आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना है ताकि आप साहित्य का आस्वादन ले सकें। साहित्य में भाषा का सृजनात्मक रूप व्यक्त होता है। साहित्य की भिन्न-भिन्न विधाओं में भाषा के भिन्न-भिन्न रूप दिखायी देते हैं। आपको इस खंड में इन सभी साहित्य-विधाओं के माध्यम से सृजनात्मक भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय मिलेगा जिससे आपको हिंदी भाषा की प्रकृति समझने में और मदद मिलेगी।

इस खंड में कुल छह इकाइयाँ हैं। इकाई 13 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'पूस की रात' वाचन के लिए दी गयी है। इकाई 14 में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास 'मानस का हंस' का एक अंश दिया गया है। यह उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है। इकाई 15 में जयशंकर प्रसाद के नाटक 'चंद्रगुप्त' का अंश वाचन के लिए दिया गया है। इकाई 16 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध 'क्रोध' और इकाई 17 में 'गांधी जी की आत्मकथा' का अंश दिया गया है। अंतिम इकाई में सूरदास, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' एवं महादेवी वर्मा का काव्य, वाचन के लिए दिया गया है। इस प्रकार आप इन इकाइयों में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा और कविता नामक विधाओं का अध्ययन करेंगे। वाचन के अतिरिक्त इन में इन विधाओं की विशेषताएँ बतायी गयी हैं। विधाओं की विशिष्टताओं के आधार पर उनका विश्लेषण भी किया गया है जिनसे आपको पठित साहित्यिक रचनाओं की विशिष्टता समझने में मदद मिलेगी। हम यहाँ उपन्यास, नाटक और आत्मकथा के अंश वाचन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि इन इकाइयों में पूरी रचना को प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

इन इकाइयों में दिये गये प्रश्नों के आप द्वारा लिखे उत्तर, इकाई में दिये गये उत्तरों से हूबहू मिलना ज़रूरी नहीं है। आप दिये गये उत्तर से अपने उत्तर को मिला लीजिए। अगर आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं, तो ठीक, अन्यथा इकाई को दुबारा पढ़िए।

आधार पाठ्यक्रम के इस खंड से संबंधित तीन ऑडियो पाठ भी तैयार किये गये हैं। इन में से दो ऑडियो पाठों में हिंदी साहित्य का परिचय दिया गया है और एक ऑडियो पाठ में प्रेमचंद के साहित्य के बारे में बताया गया है। इनसे आपको हिंदी साहित्य की परंपरा और प्रेमचंद के साहित्य को समझने में मदद मिलेगी।

खंड के अंत में पारिभाषिक और कठिन शब्दों के अर्थ दिये गये हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं।

प्रत्येक इकाई के बाद आगे के अध्ययन के लिए कुछ पुस्तकों के नाम दिये गये हैं। आप उनका भी अध्ययन करें।

इस खंड के अध्ययन के बाद आपको सत्रीय कार्य करना है। अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय के पास मूल्यांकन तथा सुझावों के लिए भेजें।

आभार
इकाई 8 के पाठ 'भारतीय लोकतंत्र' के लिए
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
एवं
सुदिप्त कविराज (संपादक)

इकाई 7 सामाजिक विज्ञानों की भाषा (इतिहास के संदर्भ में) तथा वर्तनी के कुछ नियम

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 प्रस्तावना
7.2 पृष्ठभूमि
    7.2.1 ईस्ट इंडिया कंपनी
    7.2.2 अंतिम मुगल बादशाह
    7.2.3 राजनीति पर अंग्रेज़ों का अधिकार एवं शोषण नीति
    7.2.4 1857 की क्रांति
    7.2.5 सांस्कृतिक जागरण
7.3 कांग्रेस की स्थापना
7.4 गांधी जी का आगमन
    7.4.1 क्रांतिकारी देशभक्त
    7.4.2 साइमन कमीशन
    7.4.3 चुनाव
    7.4.4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ
7.5 भारत छोड़ो आंदोलन
    7.5.1 नेता जी की आज़ाद हिंद फौज
    7.5.2 स्वतंत्रता प्राप्ति
7.6 वर्तनी संबंधी कुछ नियम
    7.6.1 प्रत्ययों से शब्द-रचना
    7.6.2 वर्तनी के दो रूप
    7.6.3 पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्दों की वर्तनी की विशेषताएँ
7.7 शब्दावली
7.8 सारांश
7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
7.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इतिहास विषय से संबंधित यह इकाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालती है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको इतिहास विषयक लेखन से परिचित कराना है। इसमें प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना तथा वर्तनी के दो रूपों की भी चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को जानेंगे;
- स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे;
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी प्रमुख घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- सामाजिक विज्ञानों विशेषकर इतिहास के किसी प्रकरण को पढ़कर उसका स्तर समझ सकेंगे;
- इकाई में आये पारिभाषिक शब्दों का अर्थ कर सकेंगे;
- प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की रचना को पहचान कर उनका सही प्रयोग कर सकेंगे; और
- वर्तनी के दो रूपों से परिचित होंगे और वर्तनी का सही प्रयोग कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

हिंदी के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी यह सातवीं इकाई है। आपने पहले खंड में विभिन्न विषयों के माध्यम से हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त की है। इस इकाई में आप देखेंगे कि इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते समय भाषा का क्या रूप हो जाता है। आप देखेंगे कि भारत का विदेश से व्यापारिक संबंध था। धीरे-धीरे विदेशी यहाँ की राजनीति में प्रवेश पाते गये और एक दिन यहाँ के शासक बन बैठे। भारतीयों में नव जागरण की लहर उठी और इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का विस्तार होता गया नये-नये नेता आये और अंततः विदेशी दासता के चंगुल से यह देश मुक्त हुआ।

13.2 कहानी: पूस की रात

1

कहानी का आरंभ — कर्ज की समस्या

हल्कू ने आकर स्त्री से कहा—सहना आया है। लाओ, जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे।

मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली—तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्मल कहाँ से आवेगा[1]? माघ-पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल पर दे देंगे। अभी नहीं।

हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कम्मल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जायगी यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिये हुए (जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था) स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला—ला दे दे, गला तो छूटे। कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा।

मुन्नी उसके पास से दूर हट गयी और आँखें तरेरती हुई बोली—कर चुके दूसरा उपाय! जरा सुनूँ तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आये। मैं रुपये न दूँगी—न दूँगी।

हल्कू उदास होकर बोला—तो क्या गाली खाऊँ?

मुन्नी ने तड़पकर कहा—गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है?

मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भाँति उसे घूर रहा था।

हल्कू द्वारा तीन रुपये चुकाना

उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिये। फिर बोली—तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है! मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस।

हल्कू ने रुपये लिये और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक-एक पैसा काट-काटकर तीन रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था।

2

हल्कू द्वारा खेत पर रात बिताना

पूस की अंधेरी रात! आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूँ-कूँ कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी।

हल्कू ने घुटनियों को गरदन में चिपकाते हुए कहा—क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आये थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे, मैं यहाँ हलुवा-पुरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े-दौड़े आगे-आगे चले आये। अब रोओ नानी के नाम को।

जबरा ने पड़े-पड़े दुम हिलायी और अपनी कूँ-कूँ को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूँ-कूँ से नींद नहीं आ रही है।

जबरा और हल्कू की आत्मीयता

हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा—कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राँड़ पछुआ न जाने कहाँ से बरफ लिये आ रही है। उठूँ, फिर एक चिलम भरूँ। किसी तरह रात तो कटे! आठ चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है! और एक-एक भागवान् ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाय तो गरमी से घबड़ाकर भागे। मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्मल। मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाय। तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!

हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा।

हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा, मन बदल जाता है।

जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा।

हल्कू—आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा। उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा।

जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मुँह के पास अपना मुँह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म साँस लगी।

गला तो छूटे : परेशानी से मुक्त हुए (मुहावरा), कम्मल : कंबल (तद्भव), पूस : पौष, हार : जंगल (खेत), डील : शरीर, बाज आये : बाज आना (मुहावरा), बचना, श्वान : कुत्ता, ठंडे हो जाओगे : ठंडे हो जाना (मु॰) : मर जाना, पछुआ : पश्चिम की ओर चलने वाली हवा, भागवान्: अच्छे भाग्यवाला।

1 यह कहानी 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए कंबल की कीमत तीन रुपये उस समय के अनुसार यहाँ दी गयी है।

चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अबकी सो जाऊँगा; पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कम्पन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भाँति उसकी छाती को दबाए हुए था।

जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उसका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था।

सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूँकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकारकर बुलाया; पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़-दौड़कर भूँकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भाँति उछल रहा था।

बोध प्रश्न

आपने कहानी का उपर्युक्त अंश ध्यान से पढ़ा होगा। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों का इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर्ज़ चुकाने का विरोध क्यों किया?
- क) हल्कू को कंबल की ज़रूरत थी।
- ख) उनके पास पैसे नहीं थे।
- ग) उन्होंने पहले ही कर्ज़ चुका दिया था।
- घ) पत्नी ने कर्ज़ चुकाने का विरोध नहीं किया। ( )

2 "न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती।" यह वाक्य किसने किससे कहा?
- क) हल्कू ने सहना से
- ख) मुन्नी ने सहना से
- ग) हल्कू ने मुन्नी से
- घ) मुन्नी ने हल्कू से ( )

3 "मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।" इस वाक्य का तात्पर्य क्या है?
- क) मजदूरी करने में मजा नहीं है।
- ख) एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना।
- ग) किसानों की मेहनत से सरकार मजे लूटती है।
- घ) मजदूरी करने वाले मज़े नहीं लूटते। ( )

3

एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है! सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएँगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है।

बढ़ती ठंड और अलाव जलाना।

हल्कू के खेत से कोई **एक गोली के टप्पे पर**[1] आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियाँ बटोरूँ और उन्हें जलाकर खूब तापूँ। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे, कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो; मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता।

उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिये और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिये बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा।

हल्कू ने कहा— अब तो नहीं रहा जाता जबरू! चलो, बगीचे में पत्तियाँ बटोरकर तापें। टाँटे हो जाएँगे, तो फिर आकर सोएँगे। अभी तो रात बहुत है।

जबरा ने कूँ-कूँ करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला।

बगीचे में खूब अँधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूँदें टपटप नीचे टपक रही थीं।

---

1 एक गोली के टप्पे पर: बच्चे काँच की गोलियों से जो खेल खेलते हैं, उसमें गोली हाथ की उंगुलियों के द्वारा विशेष ढंग से दूर फेंकी जाती है। गोली का इस तरह दूर जाकर गिरने को टप्पा खाना कहते हैं। इस तरह टप्पा खाकर गोली एक बार में जितनी दूर गिरती है, उस दूरी को "एक गोली के टप्पे पर" कहा जाता है। दूरी नापने या बताने का यह ढंग पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार में प्रचलित रहा है।

7.2.4 1857 की क्रांति

11. 1857 की क्रांति से पूर्व कई ऐसी घटनाएँ घटीं, जिससे यह ज़ाहिर हो चुका था कि अंग्रेज़ी फ़ौज को हराया जा सकता है। 1838 एवं 1842 में अफ़ग़ानों ने अंग्रेज़ी सेना को हराया। फिर 1815 एवं 49 में पंजाब युद्ध में उनकी पराजय हुई। 1857 के पहले 1854-56 के क्रीमिया युद्ध में भी अंग्रेज़ी सेना की हार हुई। बंगाल एवं बिहार के संथाल आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी। इन्होंने अंग्रेज़ी शासन को अपने क्षेत्र से अस्थायी तौर पर समाप्त कर दिया था। 1820 से 1837 में कोलों द्वारा, 1855-56 में संथालों द्वारा किया गया विद्रोह ऐसा ही विद्रोह था।

12 गदर का तत्कालीन कारण यह था कि जिस कारतूस का प्रयोग सिपाही करते थे उस पर गोमांस एवं सूअर की चर्बी लगी होती है, इस तरह की बातें सिपाहियों में फैल गयी थीं। इस कारण हिंदू एवं मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची थी। इन कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण था सामंतों द्वारा अपने अधिकार को दुबारा पाने की इच्छा। राजाओं, सामंतों एवं जागीरदारों के अधिकार छीन लिए गये थे। अतः उन्होंने क्रांति के द्वारा उसे दुबारा पाने का प्रयत्न किया। सामंती शक्तियों द्वारा फिर से अधिकार पाने का यह अंतिम प्रयास था।

13 गदर की शुरुआत मेरठ से हुई। मुगल बादशाह बहादुरशाह को सैनिकों ने अपना नेता घोषित कर दिया। नाना साहेब, तात्याँ टोपे, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के ज़मींदार कुँअर सिंह, दिल्ली के बख्त खाँ, बरेली के बहादुर खाँ एवं फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह खाँ ने अंग्रेज़ी सत्ता को समाप्त करने के लिए अंतिम साँस तक संघर्ष किया। किसानों, एवं आम जनता ने इस विद्रोह में पूरा योगदान दिया। किंतु अंग्रेज़ी सत्ता ने इस विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया।

14 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने प्रशासन को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए। संचार माध्यम को व्यवस्थित करने के लिए रेल एवं सड़क व्यवस्था बढ़ाई गई। इंग्लैंड की संसद के एक एक्ट द्वारा शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। भारत की राजनीति में दखल देकर ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक लाभ उठाना चाहती थी। लेकिन धीरे-धीरे ब्रिटिश समाज के प्रबल वर्ग के हितों की दृष्टि से शासन होने लगा। 1870 में लंदन और भारत के बीच समुद्री तार की व्यवस्था हो जाने से भारत पर लंदन से शासन करने में अंग्रेज़ों को सुविधा हो गई। पहले कंपनी के निदेशकों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा भारत पर शासन होता था। अब वह अधिकार भारत मंत्री को प्राप्त हो गया। भारत मंत्री ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। उसकी सहायता के लिए एक परिषद् थी। इस परिषद् में कुछ भारतीय सदस्यों को रखा गया। इस परिषद् के भारतीय सदस्य संख्या में थोड़े एवं गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते थे। गवर्नर जनरल राजाओं, उनके मंत्रियों एवं बड़े ज़मींदारों, बड़े सौदागरों को नामजद करता था जो वास्तव में भारतीय जनता के प्रतिनिधि नहीं थे।

15 शासन के पुनर्गठन के लिए कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना के साथ मिला दिया गया। किसी भी भारतीय को सेना के उच्च पद पर नहीं रखा गया। 1857 में भाग लेने वाले अधिकांश सिपाहियों को सेना में नहीं रखा गया। इसके विपरीत जिन सिपाहियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की सहायता की थी उन्हीं को सेना में भर्ती किया गया। जाति, धर्म के आधार पर सेना का संतुलन इस प्रकार किया गया कि भारतीय सिपाही एकजुट होकर विद्रोह न कर पाएँ। 1857 के विद्रोह में हिंदू, मुसलमान सभी एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। इस कारण अंग्रेज़ों ने इस एकता को तोड़ने के लिए उनमें ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति का पालन किया। विद्रोह के बाद मुसलमान जागीरदारों की संपत्ति छीन ली गयी तथा उन्हें सताया गया। किंतु 1870 के बाद उनकी इस नीति में परिवर्तन आया। उच्चवर्गीय तथा मध्यवर्गीय मुसलमानों को अपने विश्वास में लेने के लिए प्रयत्न किये गये।

7.2.5 सांस्कृतिक जागरण

16 अंग्रेज़ों द्वारा आरंभ की गयी शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था उसका परिणाम कुछ और ही निकला। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिम में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी उसके कारण यूरोप के जन-जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे उससे प्रबुद्ध भारतीय प्रभावित थे। इस प्रकार अपने देश एवं समाज की दयनीय अवस्था पर भारतीयों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। प्रबुद्ध शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को पहचाना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितनी उच्चकोटि की थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतवासियों ने कितनी प्रगति की थी, इन सब बातों का विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि भारत की वर्तमान दुर्दशा के लिए विदेशी शासक जिम्मेदार है और इस दशा के सुधार के लिए प्रशासन में अधिकार होना आवश्यक है। इन्हीं कारणों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। भारतीय जनता के हितों का ब्रिटिश हितों से संघर्ष शुरू हुआ।

17 भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना के पनपने एवं फैलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि राजनैतिक दृष्टि से भारत एकसूत्रबद्ध हो रहा था। अंग्रेज़ी राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत पर था और रेलवे, टेलीग्राफ़, डाक व्यवस्था की स्थापना से देश के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से जुड़ गये थे। अतः भारतीय जनता ने पाया कि उनका शोषण करने वाला एक समान शत्रु ब्रिटिश शासन है। और इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकसूत्रबद्ध होना ज़रूरी है।

18 अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भी इस देश में ईसाई धर्म प्रचारक आ चुके थे, किंतु जब अंग्रेज़ इस देश की राजनीति पर छा गये, तो ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य में तेज़ी आ गयी। 1857 के बाद उनकी गतिविधियाँ और तेज हो गईं। श्रीरामपुर एवं पटना में ईसाई मिशनरियों ने प्रेस के द्वारा धर्म प्रचार की छोटी-छोटी पुस्तकें एवं बाइबिल का अनुवाद छाप कर लोगों में [illegible]ना शुरू किया। ईसाई धर्म के प्रभाव के बढ़ने की आशंका और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन

ने समाज सुधार के आंदोलन की शुरूआत की। इन समाज सुधार आंदोलनों एवं आधुनिक मूल्यों से प्रेरित साहित्यिक रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीय भावना को फैलाने में मदद मिली। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज द्वारा, रानाडे ने प्रार्थना समाज तथा सर सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज में समाज सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। बंगाल के बंकिमचंद्र चटर्जी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर, असम के लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, मराठी के विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, तमिल के सुब्रह्मण्य भारती एवं हिंदी के भारतेंदु हरिश्चन्द्र तथा उर्दू के अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय और समाज सुधार की भावना को बहुत बल मिला।

19 उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बड़ी सख्या में समाचारपत्रों के द्वारा राष्ट्रीय भावना का विस्तार हुआ। हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, मराठा, केसरी, स्वदेशी मित्र, आंध्र प्रकाशिका, केरल पत्रिका, हिंदुस्तानी, ट्रिब्यून, कोहेनूर आदि पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास संपूर्ण देश में हुआ।

बोध प्रश्न

1 डच, फ्रांसीसी आदि से व्यापारिक एकाधिकार के लिए हुए संघर्ष में अंग्रेज़ों ने इस कारण सफलता हासिल की कि (पैरा 1)

i) अंग्रेज़ों के पास सैनिकों की संख्या अधिक थी।
ii) अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी साहसी नहीं थे।
iii) अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के पास नौसेना की कमी थी।
iv) आधुनिक उन्नति के द्वारा अंग्रेज़ी नौसेना मज़बूत बन गयी थी।

2 शक्तिशाली मुगल शासकों के प्रभाव से बचे रहने के लिए अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के किन दो स्थानों में व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। (पैरा 2)

i) .... ii) ....

3 अंग्रेज़ भारत में राजनीतिक अधिकार चाहते थे जिससे कि (पैरा 5)

i) वे भारतीयों पर शासन कर सकें।
ii) वे भारतीयों को सभ्य बना सकें।
iii) भारतीयों को ईसाई बना सकें।
iv) वे अपने व्यापार को बेरोकटोक चला सकें।

4 1857 का विद्रोह (पैरा 12)

i) सामंतवादी प्रवृत्तियों द्वारा फिर से सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से हुआ।
ii) केवल किसानों ने अपनी माँग के लिए किया।
iii) केवल सिपाहियों द्वारा किया गया।
iv) केवल मज़दूरों द्वारा किया गया।

5 अंग्रेज़ों द्वारा भारत की राजनीति पर अधिकार जमाने का मुख्य कारण था एक शक्तिशाली केंद्र का अभाव। आप और दो कारण बताएँ। (पैरा 8)

i) ....
ii) ....

6 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने शासन पर नियंत्रण के उद्देश्य से कई उपाय किये। आप चार उपायों को लिखिए। (पैरा 17)

i) ....
ii) ....
iii) ....
iv) ....

7.3 कांग्रेस की स्थापना

20 हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों की शोषण नीतियों के कारण विभिन्न माध्यमों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। जनता में राजनीतिक जागरूकता आने के महत्वपूर्ण कारणों की भी हमने चर्चा की। राजनीतिक सुधारों के लिए राजा

राममोहन राय ने सफल अभियान चलाया था। और भारतीयों की राजनीतिक संस्थाएँ बन रही थीं। 1837 में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदारों ने अपने वर्ग-हित के लिए लैंड होल्डरों की स्थापना की थी। 1843 में सामान्य सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए 'बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन' की स्थापना की गयी। इन दोनों संस्थाओं के विलय पर 1851 में 'ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन' की स्थापना हुई। ये संस्थाएँ धनी वर्ग के हित के लिए बनी थीं। अतः इनसे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने भारत की आर्थिक दरिद्रता के लिए ब्रिटिश शासन को दोषी बताया। जस्टिस रानाडे तथा अन्य लोगों ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसी प्रकार 1881 में मद्रास महाजन सभा एवं 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन की स्थापना की गयी। इन संस्थाओं द्वारा सरकार के प्रशासनिक कार्यों की आलोचना की जाती थी। जिस ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन की स्थापना 1843 में हुई थी, उसके कार्यों से बंगाल के युवाओं में असंतोष की भावना फैल रही थी, क्योंकि यह संस्था केवल अमीर वर्ग के हित के लिए ही कार्य कर रही थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के रूप में एक तेजस्वी नेता युवाओं को मिला और इस प्रकार 1875 में इंडियन एसोसियेशन की स्थापना हुई। इस संस्था के द्वारा भारतीय जनता को एकसूत्रबद्ध करके राजनीतिक आंदोलन आरंभ किया गया। किंतु इन प्रयासों के बावजूद एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके द्वारा अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ़ एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की जा सके।

21 राजनीतिक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की योजना बना रहे थे। इस योजना की सफलता उन्हें एक सेवानिवृत्त सरकारी अंग्रेज़ अफ़सर ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से मिली। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और दिसंबर में बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसमें प्रमुख भारतीय नेता इकट्ठे हुए। इसकी अध्यक्षता उमेशचंद्र बनर्जी ने की। ह्यूम ने इस संस्था को इसलिए सहयोग दिया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ भारतीय जन असंतोष को रोका जा सकेगा, लेकिन इस संस्था के द्वारा भारतीयों में जागृति तथा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक मंच मिला। आरंभ में छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सरकार के सामने अपनी माँग रख कर सुधार का आंदोलन चलाया गया। आधुनिक उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से सहायता की माँग की गई। किसानों पर करों के बोझ को कम करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार के सुधारात्मक आंदोलन को अंग्रेज़ी सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा। इस कारण राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन के लिए दूसरा तरीका अपनाया। कांग्रेस ऐसी संस्था थी जिसका रूप समय एवं परिस्थिति के अनुकूल बदलता रहा। इस संस्था के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन होता रहा। देश के बड़े-बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने का श्रेय इसी संस्था को था। इस प्रकार से कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज़शाह मेहता, पी. आनन्द, चार्ल्स, रमेशचन्द्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले आदि के अलावा महादेव गोविंद रानाडे, बालगंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय एवं सी. विजयराघवाचारियर इसके प्रमुख नेता थे।

22 कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में जागृति लाने के लिए समाचारपत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। तिलक ने 'केसरी' एवं 'मराठा' पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। संध्या, जुगांतर, पंजाबी आदि पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता मिली।

23 अंग्रेज़ी सरकार भारत में उठती हुई राष्ट्रीय चेतना से चिंतित थी। कांग्रेस के द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था। जनता संगठित हो रही थी। इसी कारण अंग्रेज़ों ने "फूट डालो और शासन करो" की नीति अपनायी। शासन की सुविधा का बहाना बनाकर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गयी। देश को खंडित करने की इस साजिश से सारा देश विचलित हो उठा। विभाजन के विरोध में जुलूस निकाले गये एवं सभाएँ आयोजित की गयीं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। चूँकि कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर रही थी अतः अंग्रेज़ इसकी शक्ति को कमज़ोर करना चाह रहे थे। उन्हें इसके लिए अवसर भी मिला। मुस्लिम नेता जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे उनका एक हिस्सा धीरे-धीरे कांग्रेस विरोधी हो गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि उनमें यह भय उत्पन्न किया गया कि यदि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई तो बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन अल्पसंख्यक मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा कारण यह था कि आधुनिक शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के द्वारा जिस प्रकार की जागृति हिंदुओं में आयी, वैसी जागृति मुसलमानों में कम आयी, अतः प्रगतिशील विचारधारा का उन पर असर नहीं पड़ा। तीसरा कारण यह था कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गति देने के लिए तिलक आदि नेताओं ने गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव आरंभ किये। इन प्रयत्नों में हिंदू रंगत देखकर मुसलमानों के कुछ हिस्सों में संदेह उत्पन्न हुआ कि कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया आंदोलन क्या उनके लिए हितकारी होगा। परिणामस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना उच्च मुस्लिम वर्ग द्वारा हुई थी। सामान्य मुस्लिम जनता का शोषण तो उसी प्रकार हो रहा था जिस प्रकार हिंदू जनता का। अतः कुछ प्रगतिशील मुसलमान नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का लगातार समर्थन किया। ऐसे नेताओं में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अज़मल खाँ, मज़हरूल हक़ प्रमुख थे। इन राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्नों के बावजूद पृथकतावादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता रहा। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन कर अपना हित साधना चाहा था, उसे पृथकतावादी शक्तियों ने समर्थन दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना से अंग्रेज़ों को अपनी इच्छा पूरी करने में सहायता मिली। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और पृथक चुनाव की मांग की। लीग का दावा था कि मुसलमानों का हित शेष राष्ट्र के हित से अलग है। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने में अंग्रेज़ों की "फूट डालो और शासन करो" की नीति सफल रही। किंतु कांग्रेस के माध्यम से नेतागण राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण समझौता लीग एवं कांग्रेस के बीच हुआ जिसे 'लखनऊ समझौता' के नाम से जाना गया। इसमें लीग एवं कांग्रेस के बीच के मतभेद को दूर किया गया, किंतु सरकार से पृथक निर्वाचन के आधार पर सुधार की माँग भी रखी गयी।

7.4 गांधी जी का आगमन

24 स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उन्होंने वहाँ की जनता के अधिकारों के लिए कार्य किया था। अपने आंदोलन द्वारा उन्होंने सरकार से जनता को अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस सफलता की चर्चा भारत तक भी पहुँची थी। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाकर उनसे मिले थे और भारत आने को कहा था। 1915 में भारत वापस आने पर उन्होंने देश का भ्रमण किया। यात्राओं द्वारा उन्होंने भारत की विपन्नता को करीब से देखा। देश की दुर्दशा देखकर उन्होंने देश-सेवा का संकल्प लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में गांधी जी पहले नेता थे जिन्होंने ग्रामीण जनता को भी इस आंदोलन में मिला लिया था। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित **'सत्याग्रह'** को उन्होंने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। सत्याग्रह अर्थात् सत्य के लिए आग्रह। सत्य यह था कि भारत की जनता अंग्रेज़ी शासन के शोषण से उत्पीड़ित थी; जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे। भारतीयों की इस दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेज़ी शासन था। इसलिए इस वास्तविक स्थिति को दूर करने के लिए सरकार से सुधार का आग्रह किया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों को परखने के बाद गांधी जी ने अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता की माँग रखी।

25 गांधी जी ने यह भी देखा कि भारतीय लोगों के पिछड़ेपन का कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। अतः उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का आंदोलन चलाया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्त्व अपने लाभ के लिए इनमें फूट डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। देश की एकता एवं आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए हिंदू-मुसलमान में एकता होना ज़रूरी है। अतः गांधी जी ने धर्म-समन्वय की भावना को अपने कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया।

26 गांधी जी ने अनुभव किया कि स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने पर ही अंग्रेज़ी शासन पर अधिक दबाव डाला जा सकता है। ग्रामीण जनता को अपने साथ लेकर स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने जन-आंदोलन में बदल दिया। बिहार के चंपारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक अत्याचार किया करते थे। उनका शोषण किया जाता था। अन्य कांग्रेसी नेता किसानों की इस समस्या पर विचार-विमर्श में ही लगे थे कि गांधी जी किसानों की सहायता के लिए चल पड़े। सविनय **अवज्ञा** का देश में उनका यह पहला प्रयोग था। पुलिस की धमकियाँ उन्हें इस कार्य में आगे बढ़ने से रोक नहीं पायीं। अंत में सरकार ने समिति नियुक्त की तथा किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्य किया। इस प्रकार देश में सविनय अवज्ञा के प्रथम प्रयोग में ही उन्हें सफलता मिली। 1918 में अहमदाबाद में मिल मज़दूरों के हित के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। **अनशन** के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी बात मानी और मज़दूरी में वृद्धि के लिए राज़ी हुए। गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों के आंदोलन को समर्थन देकर उन्होंने जनता को जन आंदोलन के लिए संगठित किया। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन एक नयी शक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा।

7.4.1 क्रांतिकारी देशभक्त

27 अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के फलस्वरूप भारतीय युवा वर्ग में भी असंतोष बढ़ता जा रहा था और इसी कारण उनमें से कुछ हिंसा का रास्ता अपना लेते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि अत्याचारी शासकों के दिल में हिंसा द्वारा भय पैदा कर दिया जाए जिससे वे इस देश को छोड़ दें। गुप्त समितियाँ बनाकर वे अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। महाराष्ट्र एवं बंगाल के युवाओं ने इस प्रकार की गतिविधियों में प्रमुखता से हिस्सा लिया। अनुशीलन समिति, जुगांतर, काल, संध्या मित्रमजेर, अभिनव भारत समाज, आदि समितियों का गठन इसी उद्देश्य से हुआ था।

28 1905 से 1918 के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों की जाँच के लिए रौलट कमेटी की नियुक्ति हुई थी। इस कमेटी की सिफ़ारिश पर सरकार ने कई कानून बनाये जिनमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, **नज़रबंदी**, संदेह के आधार पर किसी के आने-जाने पर प्रतिबंध शामिल थे। न्यायाधीशों को बिना मुकदमे के फ़ैसला देने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिन पर कोई सुनवाई भी संभव नहीं थी। 'रौलट एक्ट' को सरकार ने सैंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास कर दिया। भारतीय जनता इस विश्वासघात को सहन नहीं कर सकी। देश में हड़तालों एवं जुलूसों की बाढ़-सी आ गयी। पंजाब में नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता का क्रोध उबल पड़ा। हिंसा फैल गयी। जनरल डायर ने आतंक फैलाने के लिए 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में सभा के लिए एकत्र जनता पर बिना पूर्व चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोगों की जानें गयीं और अनगिनत घायल हुए। इस नरसंहार से सारा देश शोकमग्न हो गया। विश्व कवि और मानवतावादी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार से प्राप्त 'सर' का सम्मान वापस लौटा दिया। आंदोलन के द्वारा रौलट एक्ट को रद्द करने तथा जलियाँवाला बाग नरसंहार की क्षतिपूर्ति की माँग प्रारंभ हो गयी।

29 शिक्षित राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। रौलट कमेटी के विरोध में देश की सारी जनता एक साथ आंदोलन कर रही थी। हिंदू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या पारसी, सभी एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे। धार्मिक विभेद को भुला कर एक संगठित शक्ति के रूप में जनता ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफ़ा के पद को समाप्त कर दिया था। उनकी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए भारत में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अज़मल खाँ ने मिलकर 'खिलाफ़त कमेटी' बनायी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। गांधी जी एवं तिलक ने इस आंदोलन को समर्थन देकर सिक्ख, हिंदू, मुसलमान, पारसी

सभी को एक मंच पर लाकर आंदोलन को मज़बूत किया। खिलाफ़त आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इसके तहत सरकारी दफ्तरों में काम न करना, अदालतों, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना शामिल था। इस प्रकार आंदोलन का निर्णायक दौर प्रारंभ हुआ। सरकार ने रौलट एक्ट को रद्द करने एवं जलियाँवाला बाग हत्याकांड की क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। इस निर्णय को देखते हुए 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। सरकारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली जलायी गयी। लेकिन इस व्यापक आंदोलन को उस समय धक्का लगा जब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चोरा गाँव में किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। क्रोध में आंदोलनकारियों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और वहाँ आग लगा दी। इस घटना में कई सिपाही मारे गये। गांधी जी को इस घटना के बाद विश्वास हो गया कि जनता के अंदर अहिंसक आंदोलन द्वारा सरकार के साथ प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बन पायी है। अतः सरकार हिंसक आंदोलन को आसानी से कुचल सकती है। इसी कारण गुजरात के बारदोली नामक स्थान में कांग्रेस की बैठक हुई और एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी ने लोगों से आंदोलन को बंद कर रचनात्मक कार्य करने के लिए आग्रह किया। नेताओं को गांधी जी के इस निर्णय से धक्का लगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों ने गांधी जी पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उनको छह साल कैद की सजा दी जिसके फलस्वरूप गांधी जी को फिर अपना निर्णय बदलना पड़ा। वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक बन गये।

30 आंदोलन की गति धीमी पड़ने के साथ-साथ बीच-बीच में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। लेकिन गांधी जी हिंदू-मुसलमान एकता के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इस कार्य के लिए उन्होंने अनशन का भी सहारा लिया।

बोध प्रश्न

7 ईसाई धर्म प्रचारकों तथा आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय समाज में एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। आप ऐसी दो संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों के नाम बताएँ जिन्होंने ऐसे आंदोलन शुरू किये। (पैरा 18)

संस्था	संस्थापक
....	....
....	....

8 नवजागरण के फलस्वरूप भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। कई प्रकार की राजनीतिक संस्थाएँ बनायी गयीं। आप उस व्यापक संस्था तथा उस विदेशी व्यक्ति का नाम बताइए जिसके प्रयास से यह संस्था अस्तित्व में आई। (पैरा 21)

व्यक्ति : ....

संस्था : ....

9 बंगाल विभाजन के द्वारा अंग्रेज़ (पैरा 23)

i) शासन को ठीक ढंग से चलाने का प्रबंध करना चाहते थे।
ii) धर्म के नाम पर भारतवासियों की एकता को समाप्त करना चाहते थे।
iii) आपस में राज्य का बँटवारा करना चाहते थे।
iv) भाषा के नाम पर बँटवारा करना चाहते थे।

10 निम्नलिखित खाली जगहों में उचित शब्द भरें।
गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया; भारतीयों में एक नया उत्साह भरा। लेकिन वे पहले नेता थे, जिन्होंने.....................जनता को भी स्वतंत्रता आंदोलन में मिला लिया। (पैरा 24)

11 1919 में आतंक फैलाने के लिए.....................ने 'जलियाँवाला बाग' में एकत्र जनसमूह का संहार किया। स्वतंत्रता आंदोलन का रूप इसके बाद और भी व्यापक हो गया। इसी समय अजमल खाँ, अली बंधुओं आदि ने मिलकर एक संस्था बनायी जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया।.....................एकता का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संस्था का नाम था.....................कमेटी। (पैरा 29)

7.4.2 साइमन कमीशन

31 सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की थी जिसे "साइमन कमीशन" के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के द्वारा सरकार यह पता लगाना चाहती थी कि देश में संसदीय जनतंत्र के लिए वातावरण बन गया है या नहीं। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि सात सदस्यों के इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण भारत पहुँचने पर यह कमीशन जाँच पड़ताल के लिए जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ विरोध में प्रदर्शन हुए। पंजाब में लाला लाजपत राय एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारी जुलूस निकाला गया। 'साइमन वापस जाओ' के नारों से आकाश गूँज उठा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठी प्रहार किया, लाला लाजपत राय लाठी प्रहार से घायल हुए बाद में लाला लाजपत राय की इस से ही मृत्यु भी हुई। परिणामतः क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। सरकार ने कमीशन के विरोध

में हो रहे प्रदर्शन को सख्ती से दबाना चाहा; किंतु आंदोलन की इस बाढ़ को सरकार रोक नहीं पायी। 1929 के लाहौर अधिवेशन से आंदोलन का बृहद् रूप सामने आने लगा। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने "पूर्ण स्वराज्य" का नारा दिया। 26 जनवरी, 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गयी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरु कर दिया।

32 नमक पर सरकार ने कर लगा रखा था। नमक जीवन की आवश्यक वस्तुओं में से एक है। ग़रीब, अमीर सब समान रूप से इसका उपयोग करते हैं। जीवन की इस आवश्यक वस्तु पर कर लगाना अन्यायपूर्ण था। गांधी जी ने इस अमानवीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया। सरकार ने गांधी जी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तब गांधी जी ने "नमक कानून" तोड़ने की योजना बनायी। गुजरात राज्य में अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया। इस प्रकार इस अभियान के द्वारा गांधी जी ने यह दिखाया कि सरकार द्वारा बनाये गये अन्यायपूर्ण कानून के अंदर भारतीय जनता नहीं रहना चाहती। सारे देश में इसी प्रकार के आयोजनों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया गया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गये। इस गिरफ्तारी से देश का वातावरण फिर से अशांत हो उठा।

33 इन्हीं दिनों लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। इसे पहला 'गोलमेज़ सम्मेलन' कहा गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वह चाहती थी कि सम्मेलन से पूर्व गांधी जी तथा अन्य नेताओं को जेल से छोड़ दिया जाय। सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वायसराय द्वारा मनोनीत सदस्यों के साथ ही सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एवं कांग्रेस के बिना यह सम्मेलन असफल रहा।

34 सरकार ने दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन के लिए कांग्रेस को राज़ी करने का प्रयास किया। इस प्रयास के परिणामस्वरूप लार्ड इरविन एवं गांधी जी के बीच बातचीत हुई। बातचीत में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता एवं क्रांतिकारियों को फाँसी की जगह आजीवन कारावास की बात को अलग रखा गया। अंत में एक समझौता हुआ जिसके तहत सिर्फ़ अहिंसक बंदियों को रिहा करने की बात थी। इसे गांधी-इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के एक वर्ग ने इस समझौते का विरोध किया। क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फाँसी दे दी गयी। सरकार के इस कार्य से जनता में तीव्र विद्रोह उभरा।

35 सांप्रदायिक शक्तियों के कारण आंदोलन पर प्रभाव पड़ रहा था। मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा अपने-अपने वर्ग के हित की बात कह कर हिंदू-मुस्लिम एकता में बाधा पहुँचा रहे थे। जिन्ना आदि नेतागण कांग्रेस छोड़ कर पृथक् क्षेत्र की माँग करने लगे थे। किंतु गांधी जी एवं प्रगतिशील मुसलमान नेताओं ने सदा एकता पर बल दिया।

36 दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में अंग्रेज़ों की चाल द्वारा पृथकतावादी वर्ग को लाभ पहुँचा। सम्मेलन में गाँधी जी, मदन मोहन मालवीय एवं सरोजिनी नायडू प्रतिनिधि रूप में थे। गांधी जी द्वारा डॉ. अंसारी का प्रस्तावित नाम काट दिया गया था। इस कारण सरकार को यह कहने का मौका मिला कि कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सम्मेलन में गांधी जी के तर्कपूर्ण उत्तर के बावजूद सरकार ने कांग्रेस के औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को ठुकरा दिया। निराश होकर गांधी जी भारत लौटे और नये सिरे से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।

7.4.3 चुनाव

37 1932 में तीसरा गोलमेज़ सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के बाद 1935 में 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रांतों के लिए सरकार की नयी प्रणाली बनायी गयी जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही रहे। जनता द्वारा चुने गये केवल थोड़े से सदस्यों को प्रशासन में शामिल कर सरकार दिखाना चाहती थी कि वह भारतीयों का हित चाहती है। कांग्रेस ने इस एक्ट की आलोचना की। एक्ट का प्रांतीय हिस्सा लागू किया गया। एक्ट का घोर विरोध होने पर भी कांग्रेस ने उसके तहत होने वाले चुनाव में भाग लिया। चुनाव में असाधारण सफलता प्राप्त कर कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 में अपनी सरकार बनायी। दो राज्यों में साझा सरकारों का गठन किया गया।

7.4.4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ

38 कांग्रेस ने आरंभ से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया। एशिया एवं अफ्रीका में ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल किया जाता था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इटली, जर्मनी और जापान में साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद के तहत उठ रहे फासीवाद का कांग्रेस ने विरोध किया। इन्हीं दिनों विश्व के मानचित्र पर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिन्होंने सारे विश्व को प्रभावित किया। पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मंदी तथा समाजवादी राष्ट्र रूस में चौगुनी प्रगति महत्वपूर्ण घटना थी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव भारत पर पड़ा। कांग्रेस के भीतर एवं बाहर आंदोलनकारी नेताओं में **समाजवादी विचारधारा** अंकुरित हो रही थी। समाजवादी विचारधारा का अर्थ है राजनीतिक एवं सामाजिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन। अमीरी एवं गरीबी के भेद को मिटाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होना। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण वामपंथी पार्टी तथा 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' का जन्म हुआ। 'भारतीय किसान सभा' तथा 'प्रगतिशील-लेखक संघ' की स्थापना भी हुई।

39 हिटलर के कारण फ़ासीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। अपनी विस्तार की नीति के कारण उसने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बिना विचार-विमर्श किये अंग्रेज़ी सरकार ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार से प्रश्न किया कि एक परतंत्र

देश किस प्रकार युद्ध में सहायता कर सकता है। अतः भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। विश्व युद्ध की लपटें भारत की ओर बढ़ने लगीं, अतः ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग ज़रूरी हो गया। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भारत भेजा। यह मिशन असफल रहा, क्योंकि सरकार ने कांग्रेस की तुरंत सत्ता हस्तांतरण की बात अस्वीकार कर दी।

40 पृथक् निर्वाचन के आधार पर चुनाव के कारण पृथक्तावादी भावनाएँ जन्म ले चुकी थीं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट रखी थी लेकिन चुनाव में आरक्षित 482 सीटों में से केवल 26 सीटें ही वह प्राप्त कर पायी। मुस्लिम लीग भी अधिक सीट नहीं जीत पाई थी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया और यह प्रचार किया गया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से खतरा है, अतः मुसलमानों का हित अलग होने में है। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की माँग रखी। राष्ट्रीय आंदोलन को इन घटनाओं से धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन आंदोलन जारी रहा।

7.5 भारत छोड़ो आंदोलन

41 क्रिप्स मिशन के असफल होने पर कांग्रेस ने महसूस किया कि आंदोलन को ऐसा रूप दिया जाय जिससे बाध्य होकर अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों की स्वतंत्रता की माँग मान ले। 8 अगस्त, 1942 को बंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति होना राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भारत साम्राज्यवाद की मूल भूमि बन गया है अतः स्वतंत्रता की दृष्टि से ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को परखा जाएगा। एशिया अफ्रीका की जनता इस स्वतंत्रता से आशा से भर जाएगी। स्वतंत्र भारत अपने विशाल संसाधनों द्वारा नाज़ीवाद; फ़ासिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष में सहायता देगा।

7.5.1 नेता जी की आज़ाद हिंद फ़ौज

42 आंदोलन की शुरुआत से पहले ही 9 अगस्त, 1942 को गांधी जी सहित सारे नेता बंदी बना लिये गये। कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। जनता ने आंदोलन को जारी रखा। सरकार ने जन आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। स्वतंत्रता आंदोलन को एक नये तरीके से सफल बनाने के लिए नेता जी सुभाषचंद्र बोस ने अभियान शुरू किया। उनका मानना था कि देश को सैनिक शक्ति के बल पर स्वतंत्र किया जा सकता है। अपने उद्देश्य के लिए 1941 में वे देश से गुप्त रूप से निकल भागे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सैनिक अभियान की योजना बनायी। रूस होते हुए वे जर्मनी पहुँचे। फिर 1943 में जापान पहुँच गये। सैनिक अभियान के लिए 'आज़ाद हिंद फ़ौज' की स्थापना की। उनके द्वारा चलाया गया सैनिक अभियान कुछ सफल भी रहा। भारत के पूर्वी हिस्से के कुछ भाग पर आज़ाद हिंद फ़ौज ने अधिकार भी जमा लिया था। नेता जी की विमान दुर्घटना में रहस्यमय मृत्यु के कारण यह अभियान सफल न हो सका।

7.5.2 स्वतंत्रता प्राप्ति

43 यद्यपि विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय हुई थी, तथापि युद्ध के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति को बहुत अधिक क्षति पहुँची थी। समाजवादी देशों के समर्थन से सारे विश्व में उपनिवेश के खिलाफ़ आवाज़ मज़बूत हुई। ब्रिटेन की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था। कंज़रवेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आ गयी थी। नयी सरकार के बहुत से सदस्यों ने कांग्रेस की स्वराज्य की माँग का समर्थन किया। इन सब घटनाओं के साथ भारत में पृथक्तावादी शक्तियों ने धर्म के आधार पर अलग क्षेत्र की माँग प्रारंभ कर दी थी। दूसरी ओर आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों एवं अफ़सरों पर अंग्रेज़ी सरकार ने देशद्रोह का अभियोग लगा कर मुकदमा चलाया। इसके विरोध में भारतीय जनता ने जन आंदोलन चलाया। 1946 में बंबई में भारतीय नौसेना के कर्मचारियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश फ़ौज के साथ कई घंटे तक युद्ध हुआ। भारतीय नेताओं के हस्तक्षेप पर यह संघर्ष दूर हुआ। भारतीय जनता अब और अधिक दिनों तक अंग्रेज़ों के अत्याचार को नहीं सहना चाहती थी। सारे देश में हड़तालों एवं जुलूसों का ताँता लग गया। इन सब घटनाओं को देखते हुए 1946 में सरकार ने सत्ता हस्तांतरण पर विचार के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। विभिन्न दलों के साथ लंबी बातचीत के बाद मिशन ने जो रूपरेखा रखी, उसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। सितम्बर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारतीयों के हाथ सत्ता सौंपने की घोषणा की। लेकिन इस बीच सांप्रदायिक शक्तियों के कारण व्यापक हिंसा की घटनाएँ हुईं। गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद हिंसा की वारदातें रुक नहीं पायीं। मार्च 1947 में लार्ड माउंटबैटन वाइसराय के रूप में भारत आये—कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच विचार-विमर्श का लंबा दौर चला और अंत में देश के बँटवारे की बात मान ली गयी। इस तरह लंबे संघर्ष का अंत 15 अगस्त, 1947 को हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन की यह लंबी कहानी समाप्त हुई।

बोध प्रश्न

12 अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा कर महात्मा गांधी ने 'नमक कानून' का उल्लंघन किया। इसके पीछे गांधी जी का क्या उद्देश्य था? (पैरा 32)

i) गरीबों पर पड़ रहे बोझ को समाप्त करवाना

ii) स्वतंत्रता आंदोलन को और व्यापक बनाना
iii) गुजरात में आंदोलन को तेज करना
iv) जनता को नमक कानून के बारे में बताना। [ ]

13 भारतीय नेताओं ने देखा कि अंग्रेज़ भारतवासियों को सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं हैं। अत: उन्हें इस कार्य के लिए मजबूर किया जाए।

....में..में..प्रस्ताव

पास कर नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक दौर शुरू किया। (पैरा 41)

14 1942 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे अहिंसक आंदोलन के विपरीत देश को स्वतंत्र कराने का एक अलग प्रयास किया गया। आप बताइए कि ऐसा प्रयास किसने किस रूप में किया? (पैरा 42)

....

....

....

....

15 आप दो वाक्यों में बताएँ कि किस कारण समय से पहले ही स्वतंत्रता की घोषणा की गयी। (पैरा 43)

....

16 सही मिलान करें (पूरे पाठ के आधार पर)

घटना	परिणाम
क) प्लासी की लड़ाई	i) भारतीय कुटीर उद्योग का पतन
ख) औपनिवेशिक शासन की स्थापना	ii) समाचारपत्रों का प्रकाशन
ग) 1857 का विद्रोह	iii) लाला लाजपत राय की मृत्यु
घ) प्रेस की स्थापना	iv) अंग्रेज़ी शासन का प्रारंभ
ङ) साइमन कमीशन	v) शासन का भार ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाना

7.6 वर्तनी संबंधी कुछ नियम

यह इकाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। यह इतिहास विषय की इकाई है। इस इकाई में इतिहास संबंधी कई शब्द प्रयुक्त हैं। जैसे, आंदोलन, अधिवेशन, स्थापना, राष्ट्रीय, संगठित आदि। किसी विषय विशेष से संबंधित शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों की और चर्चा हम इस खंड की अन्य इकाइयों में करेंगे। इन शब्दों के सही प्रयोग का एक प्रमुख पहलू शब्दों की वर्तनी है। इस इकाई में हम प्रमुख रूप से शब्दों की वर्तनी की चर्चा करेंगे और सही वर्तनी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

7.6.1 प्रत्ययों से शब्द-रचना

जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं। जैसे दया शब्द से निर्दय, दयावान, दयनीय, दयालु आदि शब्द बनते है। अगर प्रत्यय का सही ज्ञान हो तो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में वर्तनी-दोष नहीं होता। दूसरे शब्दों में उस प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्दों की वर्तनी का ज्ञान हो जाता है। हम इस इकाई के तथा इकाई से भिन्न कुछ और शब्दों के उदाहरणों से इस बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

i) प्रत्यय "ईय" : इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में दीर्घ/ई/ को आप पहचान सकते हैं। स्थानीय, केंद्रीय, भारतीय, दयनीय, राष्ट्रीय, स्मरणीय, पूजनीय। इन शब्दों में 'दया से 'दयनीय' बनता है, 'पूजा' से 'पूजनीय'। बाकी शब्द 'स्थान', 'भारत' आदि शब्दों से बनें हैं।

ii) प्रत्यय "इक" : इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में हम इकाई 5 में चर्चा कर चुके है। कुछ उदाहरण: और देखिए—नायिक, आर्थिक, तार्किक, मानसिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यापारिक। हम अन्य शब्दों की रचना की बात कर चुके हैं। आप यह ध्यान रखें कि मन से मानसिक बनता है।

iii) प्रत्यय "इत" : यह प्रत्यय विभिन्न प्रकार के शब्दों में जुड़ता है। मूल शब्द का रूप तथा प्रत्यय वाला रूप दोनों को देखकर रचना को पहचानें।

विकास	—	विकसित	;	उपेक्षित, प्रदर्शित
स्थापना	—	स्थापित	;	कुपित, क्रोधित
उत्पादन	—	उत्पादित	;	संगठित, सम्मानित
घोषणा	—	घोषित	;	शोषित, पराजित
व्यवस्था	—	व्यवस्थित	;	अवस्थित, संशोधित

iv) प्रत्यय "ई" : संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय का उपयोग होता है, जैसे विजयी, पूर्वी, स्वार्थी, विरोधी आदि। कुछ अन्य शब्दों में जिनके अंत में 'आ' आता है उसमें रचना के उदाहरण देखिए।

भाषा — भाषाई एशिया — — एशियाई

"स्थायी" शब्द को "स्थाई" नहीं लिखना चाहिए।

v) प्रत्यय "इ" : आपने देखा होगा कि "इ" प्रत्यय सिर्फ़ संस्कृत शब्दों में आता है। जब हम अंग्रेज़ी या उर्दू शब्दों को हिंदी में लिखते है तो शब्द के अंत में कभी ह्रस्व "इ" का प्रयोग नहीं होता। कुछ उदाहरण देखिए।

अंग्रेज़ी शब्द : कमेटी, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, अंग्रेज़ी, जनवरी, नर्सरी, सीनरी।

उर्दू शब्द : बरबादी, परेशानी, बीमारी, आख़िरी, देहाती, काफ़ी, ज़रूरी।

ये संस्कृत शब्द ज़्यादातर विशेषण से बनते हैं

शांत	—	शांति	प्राप्त	—	प्राप्ति
उन्नत	—	उन्नति	जागृत	—	जागृति

"इ" प्रत्यय वाले कुछ और शब्द देखिए और इनकी वर्तनी पर ध्यान दीजिए।

पुष्टि, प्रगति, समष्टि, व्यक्ति, क्रांति, शक्ति, भक्ति, गति, प्रकृति।

अभ्यास

1 निम्नलिखित शब्दों में "इ" या "ई" प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाइए।

समाप्त.. दक्षिण..

क्रोध.. अभिव्यक्त..

उपलब्ध.. समुद्र..

विकृत.. जापान..

2 निम्नलिखित शब्दों में "इत" या "ईय" प्रत्यय उचित ढंग से लगाकर विशेषण शब्द बनाइए।

अपमान.. नगरी..

इच्छा.. अंकुर..

प्रांत.. संग्रहण..

उच्चारण.. विभाग..

7.6.2 वर्तनी के दो रूप

आपने देखा होगा कि इस पाठ्य सामग्री में भी हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ शब्द दो वर्तनी रूपों में आ गये हैं। हिंदी में गए—गये, गई—गयी दोनों रूप चलते हैं। इसी तरह कुछ अन्य शब्दों में भी यह स्थिति है—

इसलिए—इसलिये नये—नए

हम मान सकते हैं कि फिलहाल दोनों रूप सही हैं।

हिंदी में उर्दू तथा अंग्रेज़ी से आये हुए कुछ शब्दों में भी यह स्थिति दिखाई पड़ती है। इनमें भी हम दोनों वर्तनी रूपों को सही मान सकते हैं। उदाहरण के लिए

बर्बादी	—	बरबादी	बिल्कुल	—	बिलकुल
सरकस	—	सर्कस	नुक्सान	—	नुकसान
भर्ती	—	भरती	गर्मी	—	गरमी

संस्कृत से आये हुए कुछ शब्दों में भी हम वर्तनी के दो रूप देखते हैं। दोनों सही माने जाएँगे :

महत्व	—	महत्त्व	कर्तव्य	—	कर्त्तव्य
अर्ध	—	अर्द्ध	पूर्ति	—	पूर्त्ति

3 निम्नलिखित शब्दों में जो सही हैं उन्हें ठीक चिह्न (√) से दिखाएँ।

असंगती	स्थापित	सरदी
गिरफ्तारि	स्थानिय	उन्नति
स्थाई	पार्टी	पूर्ती
अनीती	कारीगरि	राजनीती
बर्फ़	धार्मीक	विरोधि

7.6.3 पाठ में आये हुए कुछ शब्दों की वर्तनी की विशेषताएँ

i) प्रत्यय पूर्ण, स्वरूप, हीन, शील, शाली आदि मूल शब्द के साथ मिलकर आते हैं। उदाहरण के लिये, महत्वपूर्ण, परिणामस्वरूप, शक्तिहीन, प्रगतिशील, शक्तिशाली।

ii) संस्कृत के हलंत् वाले कुछ शब्द हिंदी में दोनों तरह से लिखे जाते हैं।
उदाहरण के लिए :

पृथक — पृथक्

अन्य कुछ शब्द हैं :

पश्चात — पश्चात्	संसद — संसद्
आत्मसात — आत्मसात्	बृहद — बृहद्
परिषद — परिषद्	

iii) दो शब्दों में अंतर देखिए।
शुरू — शुरूआत

iv) कुछ अंग्रेज़ी शब्द उच्चारण की विशेषता के कारण "ए" से लिखे जाते हैं किंतु उनका उच्चाकरण "ऐ" जैसा होता है.
एक्ट, एसोसिएशन। इसी तरह—एडवोकेट, एटलस, एटम।

v) संस्कृत शब्द "उपरि" से दो शब्द बनते हैं :
उपरिलिखित—ऊपर लिखा गया।
उपर्युक्त (उपरि+उक्त)—ऊपर बताया गया।

कई लोग अक्सर "उपरोक्त" लिखते हैं जो गलत है।

4 निम्नलिखित शब्दों में संधि-विच्छेद कीजिए जिससे मूल शब्द और प्रत्यय दिखाई पड़ें।

विश्वसनीय	पश्चिमी ....
स्थायित्व	समाजवादी ....
एशियाई	गतिशील ....
शुरूआत	संतुष्टि ....
फलस्वरूप	आयोजित ....
समर्थित	अशांति ....
पीड़ित	संबंधित ....

7.7 शब्दावली*

1 **प्रतिद्वंद्वी :** सामने आकर लड़ने या विरोध करने वाला। अंग्रेज़ों ने अपने प्रतिद्वंद्वी, डच, फ्रांसीसी को युद्ध में हराया।

2 **सनद :** प्रमाण, सबूत, प्रमाण पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सनद द्वारा व्यापार के लिए विशेषाधिकार दिया गया।

4 **बगावत :** विद्रोह। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कई राज्य बगावत करके स्वतंत्र हो गए।

* शब्दों से पहले दी गई संख्या पैरा की है।

7 **फ़रमान** : वह पत्र जिस पर राजा की आज्ञा हो। कंपनी को मुगल बादशाह से एक फ़रमान प्राप्त हुआ।

9 **भूराजस्व** : भूमि कर। अंग्रेज़ों की भूराजस्व व्यवस्था से किसानों को अत्यधिक हानि हुई।

23 **बहिष्कार** : सब प्रकार का संबंध छोड़ देना। गांधी जी ने जनता से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आहवान किया।

23 **रंगत** : गणेश उत्सव आदि में हिंदू रंगत देखकर मुसलमानों में संदेह उत्पन्न हुआ।

24 **सत्याग्रह** : सत्य के लिए आग्रह'। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने प्रारंभ से अंत तक 'सत्याग्रह' को मुख्य आधार बनाया।

26 **अवज्ञा** : आज्ञा न मानना। चंपारन में गांधी जी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा द्वारा आंदोलन की शुरूआत की।

28 **नज़रबंदी** : किसी व्यक्ति को ऐसी निगरानी में रखना जिससे कि निश्चित स्थान या सीमा से बाहर न जा सके।

26 **अनशन** : भोजन न करना, खाना छोड़ देना। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अनशन का भी सहारा लिया।

38 **समाजवादी विचारधारा** : ऐसी विचारधारा जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक। रूस में पनपी समाजवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव डाला।

7.8 सारांश

इस इकाई में आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन किया।

आपने इतिहास का प्रकरण पढ़ा जिससे आप स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को बता सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास बता सकते हैं, और

- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं।

साथ ही आपने

- प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की रचना को पहचाना और उनका सही प्रयोग करना सीखा।
- प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना के ज्ञान से सही वर्तनी का प्रयोग करना सीखा।
- मूल शब्दों के साथ विभिन्न प्रत्यय जोड़कर नये शब्द बनाना सीखा।
- मूल शब्द के साथ जुड़कर आने वाले विभिन्न प्रत्ययों को पहचाना जिससे अन्य शब्द बना सकते हैं।
- वर्तनी के दो रूपों, जैसे नए-नये, बिल्कुल-बिलकुल, महत्व-महत्त्व, अर्ध-अर्द्ध आदि को पहचाना जिससे अपने लेखन में एकरूपता रख सकते हैं।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

विपिन चंद्र, अमलेश त्रिपाठी एवं वरुण दे; **स्वतंत्रता संग्राम**। अनुवादक : रामसेवक श्रीवास्तव; नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली-110016।

विपिन चंद्र : **आधुनिक भारत**; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016।

नोट—'स्वाधीनता संग्राम और जन आंदोलन' नामक ऑडियो इस इकाई से संबंधित है। आप इस ऑडियो को सुनें।

7.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) iv
2) i) मछलीपट्टनम ii) मद्रास
3) iv
4) i
5) 1) भारतीय राज्यों की आपसी शत्रुता 2) अंग्रेज़ों की कूटनीति
6) i) सड़क यातायात व्यवस्था, ii) रेल व्यवस्था, iii) डाक व्यवस्था, iv) तार व्यवस्था
7) ब्रह्मसमाज; राजा राममोहन राय
   आर्य समाज; स्वामी दयानंद सरस्वती
8) अखिल भारतीय कांग्रेस
   ए.ओ. ह्यूम
9) ii)

10) ग्रामीण
11) जनरल डायर, धार्मिक, खिलाफ़त
12) ii)
13) 1942 बंबई भारत छोड़ो
14) नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज बना कर सैनिक अभियान द्वारा देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया।
15) सांप्रदायिक घटनाओं के कारण अनगिनत लोगों की जानें गई। अतः नेताओं ने ऐसी वारदातों को रोकने के लिए देश के बँटवारे की बात मान ली अतएव समय से पूर्व ही खंडित राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा की गयी।
16) क) (iv)
ख) (i)
ग) (v)
घ) (ii)
ङ) (iii)

अभ्यास

1
समाप्ति	दक्षिणी
क्रोधी	अभिव्यक्ति
उपलब्धि	समुद्री
विकृति	जापानी

2
अपमानित	नगरीय
इच्छित	अंकुरित
प्रांतीय	संग्रहणीय
उच्चरित	विभागीय

3
गलत	गलत	गलत
गलत	गलत	सही
गलत	सही	गलत
गलत	सही	गलत
सही	गलत	गलत

4
विश्वास+ईय	पश्चिम+ई
स्थायी+त्व	समाजवाद+ई
एशिया+ई	गति+शील
शुरू+आत	संतुष्ट+इ
फल+स्वरूप	आयोजन+इत
समर्थ+इत	अशांत+इ
पीड़ा+इत	संबंध+इत

इकाई 8 सामाजिक विज्ञानों की भाषा (राजनीति विज्ञान) तथा शब्द रचना

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 भारतीय लोकतंत्र
  8.2.1 राजनीतिक समानता
  8.2.2 आर्थिक समानता
  8.2.3 धर्मनिरपेक्षता
8.3 पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग
8.4 व्याकरणिक विवेचन
  8.4.1 "वि" उपसर्ग
  8.4.2 विलोम शब्द
  8.4.3 संधि
  8.4.4 समास
8.5 सारांश
8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
8.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

राजनीति विज्ञान विषयक पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी में इस विषय के लेखन से आपको परिचित कराना है। इससे आप राजनीति विज्ञान विषयक लेखन में भाषा की प्रकृति की पहचान कर सकेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- सामाजिक विज्ञानों विशेषकर राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी अंश को पढ़कर उसका तात्पर्य ग्रहण कर सकेंगे।
- यह सीखेंगे कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों को सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पारिभाषिक शब्दों को पहचान सकेंगे और राजनीति विज्ञान में पारिभाषिक शब्द का महत्व समझ सकेंगे।
- स्वयं विषय का विवेचन कर सकेंगे जिससे आप समान प्रसंगों में सही ढंग से अपने को अभिव्यक्त कर सकें।
- उपसर्ग, विलोम, संधि और समास के अर्थ और नियमों को समझेंगे और उनका सही प्रयोग कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

आपने खंड-1 की इकाई 6 में श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्याख्यान "भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है" का अध्ययन किया है। उस पाठ में आपने जाना था कि भारत की प्रगति के लिए भारतवासियों के कर्तव्य क्या-क्या हैं। आपने खंड-2 की इकाई-7 में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का अध्ययन भी किया है। इस इकाई से आपको स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली होगी। उपर्युक्त इकाइयों से आप समझ गये होंगे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कितना त्याग और संघर्ष करना पड़ा था। इसी संघर्ष के दौरान दीर्घकालीन विचार मंथन भी चलता रहा और यह सोचा जाता रहा कि आज़ाद भारत में किस तरह की व्यवस्था हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो संविधान बनाया गया वह इसी विचार-मंथन की स्वाभाविक परिणति था। संविधान में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप दिया गया जिससे कि सभी भारतवासियों को बिना किसी भेदभाव के प्रगति करने का समान अवसर उपलब्ध हो सके। भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएँ हैं और उसके सम्मुख कौन-सी चुनौतियाँ हैं, यही इस पाठ का विषय है।

यह पाठ हमने 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' की पाठ्य पुस्तक 'नागरिक शासन' से लिया है। इसके लेखक सुदिप्त कविराज हैं।

पाठ का यह विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित है। ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में भी इस तरह के कई शब्द हैं, जिनकी व्याख्या सरल शब्दों में स्वयं लेखक ने पाठ में कर दी है। यह पाठ इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें लेखक ने विषय का अत्यंत सरल भाषा में विवेचन किया है।

इस इकाई में हमने उपसर्ग, विलोम, संधि और समास का भी परिचय दिया है। इनसे आपका भाषा ज्ञान बढ़ेगा, ऐसी आशा है।

8.2 भारतीय लोकतंत्र

1 हमारी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम अर्थ होता है नागरिकों की समानता, या दूसरे शब्दों में असमानता का अंत। संसार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से पूर्व अधिकतर समाज असमान राजनीतिक अधिकारों पर आधारित थे। केवल भारतीय समाज में ही राजनीतिक असमानता नहीं थी। यूरोप में अठारहवीं से बीसवीं शताब्दी तक धीरे-धीरे लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। लोकतंत्र एक उत्तम आदर्श है। परंतु इसे प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। हमारे जैसे समाज में जहाँ अनेक विषमताएँ हैं इस आदर्श की प्राप्ति और भी कठिन है। इन विषमताओं से समाज में ऐसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करती हैं। ये सभी समस्याएँ अर्थात् जाति तथा वर्गों की असमानता, धार्मिक और भाषायी समुदायों में संघर्ष इत्यादि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को कठिन बना देते हैं। अतः इन्हें प्रायः भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कहा जाता है। यदि भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ होना है तो हमें इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करना होगा।

2 लोकतंत्र में दो महत्वपूर्ण विचार सामने आते हैं। ये हैं स्वतंत्रता तथा समानता के विचार। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो कि लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। कुछ सीमाओं में रहते हुए वे जो चाहें कर सकते हैं। उनके पास ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार भी छीन नहीं सकती। परंतु ये सब भी समानता से संबंधित हैं। लोग स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग तभी कर सकते हैं जबकि वे समान हों। अतः स्वतंत्रता और समानता के विचार एक दूसरे से संबद्ध हैं।

8.2.1 राजनीतिक समानता

3 समानता के भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विषमता या असमानता कई प्रकार की होती है। निःसंदेह पहली तो राजनीतिक समानता है। इसका अर्थ हुआ कि लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों में से एक अमीर हो सकता है और दूसरा गरीब। राजनीतिक समानता का अभिप्राय होगा कि आर्थिक असमानता के बावजूद दोनों व्यक्तियों को एक-एक वोट देने का अधिकार होगा। निर्वाचन के समय सभी मतदाता समान अधिकार का उपयोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित शासन कहा जाता है।

8.2.2 आर्थिक समानता

4 लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक समानता नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्य के अनेक उद्देश्य या लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य हैं—स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र। ये सभी लक्ष्य एक-दूसरे से संबंधित हैं। हम पहले यह देखेंगे कि ये किस प्रकार संबंधित हैं। राजनीतिक समानता केवल सरकार तथा अधिकारों के उपयोग से संबंधित है। पर अब लोकतंत्र का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत को जीवन के अन्य क्षेत्रों में क्यों न अपनाया जाए। केवल राजनीति ही हमारे जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। हम कितना धन अर्जित करते हैं, उसको किस प्रकार व्यय करते हैं, अर्थात् हमारा आर्थिक जीवन भी अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक जीवन है। क्या हमें उस क्षेत्र में भी समानता चाहिए या नहीं? यह कहा जाता है कि केवल मताधिकार ही पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ लोग बहुत धनवान हैं तथा अन्य बहुत से लोग गरीबी में रहते हैं तो इस प्रकार का समाज बुरा है। उसमें सुधार होना ही चाहिए। मनुष्यों को केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन में भी समान होना चाहिए। जिन वस्तुओं को धन खरीद सकता है उसका उपयोग करने का अवसर सबको मिलना चाहिए। इस स्थिति को आर्थिक समानता या समाजवाद कहते हैं। समाजवाद के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार ही समानता है। समाजवाद केवल लोगों के राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समानता की धारणा का विस्तार करता है।

8.2.3 धर्मनिरपेक्षता

5 हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता नामक एक और लक्ष्य की बात भी कही गई है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करे, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। इसी को धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। हम भारतवासियों में संसार के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले मिलते हैं। हमारे देश में हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग निवास करते हैं। परंतु धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला होता है। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में सब समान हैं—वे सब भारत के नागरिक हैं। हमारे संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके दो अर्थ होते हैं। प्रथम, इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं। दूसरे शब्दों में धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक् रखना चाहिए। द्वितीय, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा-अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता बहुत अच्छे आदर्श हैं। इस विचार से कोई भी असहमत नहीं होगा परंतु इतिहास में विचित्र पाठ पढ़ाता है। हमें ज्ञात होता है कि इन आदर्शों को भी बिना कठिनाई के प्राप्त नहीं किया जा सका। हम एक

सीधा सा उदाहरण लेते हैं। राजनीतिक समानता की मांग है कि किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य देश पर शासन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपना प्रबंध स्वयं करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर भी आपको मालूम है कि सन् 1947 से पूर्व तक भारत स्वाधीन नहीं था। अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते थे और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। भारत ही नहीं एशिया के अधिकतर देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। आज भी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के अनुसार शासन होता है। इस व्यवस्था में यद्यपि देश में काले वर्ण के लोग बहुमत में हैं, फिर भी श्वेत वर्ण के अल्पसंख्यकों के हाथों में समस्त सत्ता है। इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो उचित है आवश्यक नहीं कि वह बिना कठिनाई के उपलब्ध हो जाए। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता उचित और न्यायसंगत थी, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन और शक्तिशाली स्वतंत्रता आंदोलन को चलाना पड़ा था। इसी प्रकार अन्य अनेक न्यायसंगत चीजें होती हैं, परंतु उनकी उपलब्धि संभव नहीं होती। अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक और न्यायसंगत समाज की स्थापना के मार्ग में हमारे देश में कौन सी बाधाएँ हैं।

7 हमने देखा है कि लोकतंत्र का अर्थ नागरिकों की समानता होता है। अतः सभी प्रकार की विषमताएँ लोकतांत्रिक समाज के लिए अभिशाप हैं, लोकतंत्र में समाज के संचालन में सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार की विषमता इसके मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। हमारे समाज में लोकतंत्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। परंतु इससे आप यह न समझ लें कि हमारे समाज में या हमारी जनता में कोई बुराई है। आप यह न समझें कि हम अपनी लोकतांत्रिक सरकार चला ही नहीं सकते हैं। यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में लगभग दो सौ वर्ष लग गये थे। इन देशों ने जो कुछ दो सौ वर्षों में प्राप्त किया वह हम बहुत थोड़े समय में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

8 हमारा समाज विषमताओं से भरपूर है। विषमताएँ इतनी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं कि उनकी गणना कर सकना भी संभव नहीं है। ये वे असमानताएँ हैं जो विशेषकर लोकतंत्र के मार्ग में बाधक हैं। भारतवासी भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास रखते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों की भाँति-भाँति की संस्कृतियाँ हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी विषमताएँ हैं। धनवानों और निर्धनों के मध्य असमानता है। लोगों की आमदनी में बहुत अंतर है। जाति-प्रथा के आधार पर उच्च जातियों, निम्न जातियों तथा अछूतों के बीच बहुत अधिक विषमताएँ हैं। पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता है, महिलाओं को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसी पुरुषों के सम्मुख कभी नहीं आती। पढ़े-लिखे लोगों तथा निरक्षरों में विषमता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विषमताओं के परिणामस्वरूप जिन वर्गों का शोषण होता है, उनका अपना कोई दोष नहीं होता । यह लोकतांत्रिक समाज का कर्तव्य हो जाता है कि जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनका उद्धार करे। लोकतंत्र को सबसे बड़ा संकट इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है कि कुछ लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जाति, भाषा या क्षेत्र को लेकर भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए हानिकर होते हैं। प्रत्येक समुदाय अन्य समुदाय से अधिक अधिकारों की अपेक्षा करता है। यह प्रवृत्ति निश्चय ही लोकतंत्र के विरुद्ध है।

बोध प्रश्न

आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। नीचे कुछ स्वपरख अभ्यास दिये जा रहे हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर बताइए कि वे सही हैं या गलत।

i) भारत की शासन प्रणाली लोकतंत्र पर आधारित है। (सही/गलत)

ii) लोकतंत्र की सफलता के लिए सिर्फ राजनीतिक समानता का होना पर्याप्त है। (सही/गलत)

iii) धर्म पर आधारित राजनीति से ही लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। (सही/गलत)

iv) धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला होता है। (सही/गलत)

v) 1947 से पूर्व भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। (सही/गलत)

2 नीचे दिये गये वाक्यों में सर्वाधिक सही एवं उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) स्वतंत्रता और ························ के बिना लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। (एकता/समानता)

ii) "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित शासन को ·············· कहा जाता है। (लोकतंत्र/राजतंत्र)

iii) ························ समानता की स्थापना समाजवाद का लक्ष्य है। (आर्थिक/राजनीतिक)

3 नीचे कुछ वाक्य दिये गये हैं। इन वाक्यों के अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य भी उनके साथ दिये गये हैं। बताइए कि उनमें कौन-सा वाक्य सबसे सही अर्थ व्यक्त करता है।

क) लोग स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग तभी कर सकते हैं जबकि वे समान हों।

i) आर्थिक विषमता का बढ़ना लोकतंत्र की सफलता का सूचक है।

ii) गरीबी, जातिवाद, सांप्रदायिकता असमानता को बढ़ाते हैं, इससे लोकतंत्र कमज़ोर पड़

iii) लोकतंत्र का लक्ष्य स्वतंत्रता है, न कि समानता। [ ]

ख) धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा-अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

i) धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मों के प्रचार का दायित्व सरकार का होता है।

ii) अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है।

iii) धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य सत्ता धर्म की अनुगामिनी होती है। [ ]

4 नीचे दिये गये प्रश्नों का सही उत्तर छाँटकर उन्हें कोष्ठक में लिखिए।

क) लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण आधार बताइए।

i) एकता और उन्नति

ii) स्वतंत्रता और समानता

iii) बंधुत्व और धार्मिकता

iv) राष्ट्रीय प्रेम और सच्चरित्रता [ ]

ख) धर्मनिरपेक्ष राज्य में राजनीति और धर्म के संबंध का स्वरूप क्या होता है?

i) धर्म को राजनीति से अलग रखा जाता है।

ii) राजनीति सभी धर्मों का प्रचार करती है।

iii) राज्य धर्म का विरोध करता है।

iv) राजनीति धर्म का अनुगमन करती है। [ ]

ग) निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता "लोकतंत्र" पर लागू नहीं होती।

i) सभी धार्मिक समुदायों के प्रति समान व्यवहार

ii) अल्पसंख्यक जाति द्वारा बहुसंख्यक जातियों पर शासन

iii) आर्थिक वैषम्य समाप्त करना

iv) एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार [ ]

5 नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर एक-दो पंक्तियों में दीजिए।

i) भारतीय लोकतंत्र की चार प्रमुख विशेषताओं के नाम बताइए।

....

....

....

ii) भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रस्तुत चार चुनौतियों के नाम बताइए।

....

....

iii) रंगभेद पर आधारित शासन व्यवस्था का आशय स्पष्ट कीजिए।

....

....

iv) धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए।

....

....

8.3 पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग

यह पाठ राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है। प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेष शब्दावली होती है जो किसी खास अर्थ में प्रयुक्त होती है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सुनिश्चित होते हैं। इनकी अलग-अलग व्याख्या नहीं की जा सकती। इस पाठ के शीर्षक में प्रयुक्त "लोकतंत्र" एक पारिभाषिक शब्द है। लोकतंत्र का अर्थ है "जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन"। इस पाठ में इसके अतिरिक्त भी कई अन्य पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। हमने इकाई तीन में पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। अगर हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लें तो उस शब्द के द्वारा व्यक्त विचार जान सकते हैं और विषय को समझ सकते हैं।

पारिभाषिक शब्द प्रायः विषय की किसी-न-किसी संकल्पना के साथ जुड़े होते हैं। कई बार यह आशंका रहती है कि कहीं उनका दूसरा अर्थ न लगा लिया जाए। अतएव ऐसे शब्दों की व्याख्या विषय विवेचन के साथ ही लेखक स्वयं कर देता है। इस पाठ में भी लेखक ने प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या सरल ढंग से कर दी है। उदाहरण के लिए, "धर्मनिरपेक्षता" की परिभाषा को देख सकते हैं। लेखक के अनुसार, "धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में वे सब समान हैं"। लेखक ने परिभाषा के बाद भारतीय संदर्भ देकर इसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। इससे पाठक उसका सही अर्थ जान सकता है।

अभ्यास

1 नीचे पाठ के आधार पर कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं, बताइए कि इनमें किन अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है।

i) एक ऐसी शासन प्रणाली, जो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। कुछ सीमाओं में रहते हुए वे जो चाहें कर सकते हैं। ( )

ii) एक ऐसी व्यवस्था जो आर्थिक समानता के लक्ष्य से प्रेरित हो। ( )

iii) धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करने वाला राज्य। ( )

iv) एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है अर्थात् जहां "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित शासन होता है। ( )

v) अपने धार्मिक संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास। ( )

vi) वह राष्ट्र जो किसी अन्य राष्ट्र द्वारा परतंत्र या पराधीन बनाया गया है। ( )

किसी पाठ को समझने के लिए सिर्फ़ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक पारिभाषिक शब्दों के साथ ऐसे पदों का प्रयोग भी करता है, जो पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का विस्तार करते है, जैसे "लोकतांत्रिक व्यवस्था"। यहां "लोकतंत्र" नामक व्यवस्था की बात कही गयी है। व्यवस्था कई तरह की हो सकती है—सामंती व्यवस्था, पूँजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था आदि।

2 नीचे कुछ पारिभाषिक पद दिये गये हैं—इनका अर्थ व्याख्या या विस्तार द्वारा स्पष्ट कीजिए।

क्रम	पारिभाषिक पद	व्याख्या
i)	लोकतांत्रिक व्यवस्था	लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था
ii)	भाषाई समुदाय	....
iii)	भारतीय लोकतंत्र	....
iv)	औपनिवेशिक शासन	....
v)	आर्थिक समानता	....

विषय का सरल विवेचन : यह पाठ तैयार करते हुए लेखक ने भाषा की सरलता और सुबोधता की ओर विशेष ध्यान दिया है ताकि विषय से अपरिचित विद्यार्थियों को भी सभी बातें सहज ही समझ में आ जाएँ। इसके लिए लेखक ने पारिभाषिक शब्दों की सरल व्याख्या तो दी ही है, वाक्य रचना में भी जटिलता से बचने का प्रयास किया है। छोटे वाक्यों के प्रयोग से यह पता लगता है कि लेखक के मन में विवेच्य विषय के संबंध में स्पष्ट जानकारी है। इस तरह के विषयों के लेखन में लेखक अपनी बात को पाठकों तक पहुँचाने के लिए जिन युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यहाँ समझाया जा रहा है।

i) **व्याख्या**—लेखक अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उसको व्याख्यायित करता है। इसके लिए वह "दूसरे शब्दों में", "यानी", "अर्थात्", "कहने का तात्पर्य है" जैसे पदों या वाक्यांशों का प्रयोग करता है। जैसे इस पाठ में लेखक ने एक जगह लिखा है। "इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं"। इस वाक्य में लेखक

ने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझाया है। अब लेखक इसे और स्पष्ट करने के लिए उक्त वाक्य के आगे एक और वाक्य जोड़ता है, "दूसरे शब्दों में धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक रखना चाहिए।" इस तरह यह वाक्य पहले वाक्य के कथन को और अधिक स्पष्ट करता है।

एक और उदाहरण लें : समाजवाद का अर्थ है आर्थिक समानता की स्थापना करना अर्थात् समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करना।

ii) कथन को तर्क से सिद्ध करना—ज्ञान-विज्ञान से संबंधित विषयों में लेखक अपनी बात को कार्य-कारण शृंखला (तार्किक) के रूप में रखता है। अगर वह अपने कथन को विवेकपूर्ण ढंग से नहीं रखता तो वह अपने पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके लिए लेखक जो भी बात कहता है उसकी पुष्टि में प्रमाण भी प्रस्तुत करता है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए वह "अतः", "इसलिए", "क्योंकि" जैसे शब्दों का प्रयोग भी करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को लें—

निर्वाचन के समय सभी मतदाता समान अधिकार का उपयोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित शासन कहा जाता है।

उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने लोकतंत्र की एक विशेषता "राजनीतिक समानता" को स्पष्ट किया है। इस विशेषता के अनुसार सभी को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। यह "वोट देने का अधिकार", "राजनीतिक समानता" के तर्क को पुष्ट करता है। इसीलिए इन दोनों वाक्यों को "इसलिए" से जोड़ा गया है।

अन्य उदाहरण : समाजवाद के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार ही समानता है।

iii) उदाहरण प्रस्तुत करना— लेखन के दौरान अपनी बात के समर्थन में लेखक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है ताकि उसकी बात यथार्थपरक और सत्य मानी जाए। इसके लिए वह "उदाहरण के लिए", "मसलन", "जैसे" आदि शब्दों या वाक्यांशों के साथ अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए इस पाठ का पैरा 3 देखा जा सकता है। इस पैरा में "राजनीतिक समानता" की धारणा को परिभाषित करने के बाद लेखक अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा करने के लिए वह वाक्य की शुरुआत "उदाहरण के लिए.............." वाक्यांश से करता है।

iv) क्रमबद्धता—लेखक अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए या उसके विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध रूप से रखने के लिए "पहले", "दूसरे", "अन्ततः" आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जब दो ही पक्ष रखे जाने हों तो कई बार "और" या "तथा" जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।

उदाहरण के लिए पैरा 5 के निम्नलिखित अंश को देख सकते हैं :

हमारे संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके दो अर्थ होते हैं। प्रथम, इसका अर्थ हुआ कि सरकार केलिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं।.....द्वितीय, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार, पूजा-अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

उपर्युक्त वाक्यों में धर्मनिरपेक्षता के दो महत्वपूर्ण पक्षों को रखा गया है। इन दोनों पक्षों को क्रम से स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने "प्रथम" और "द्वितीय" शब्दों का प्रयोग करते हुए अलग-अलग वाक्य लिखे हैं।

v) विपरीतता या अन्य कथन—कई बार लेखक किसी बात के विरोधी पक्ष को उजागर करना चाहता है या बात का कोई अन्य पहलू रखना चाहता है जो पहले वाले पक्ष से भिन्न है तो वह "इसके विपरीत", "बल्कि" आदि पदों का प्रयोग करता है। जैसे :

"समाजवाद केवल लोगों के राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समानता की धारणा का विस्तार करता है।" उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने समाजवाद की अवधारणा में निहित "व्यापकत्व" को व्यक्त करने के लिए उक्त वाक्य को उपर्युक्त रूप में रखा है। इससे लेखक यह स्पष्ट करता है कि समाजवाद केवल "राजनीतिक जीवन" में समानता तक सीमित नहीं है। इसके लिए वह "बल्कि" द्वारा अपने मंतव्य को भिन्न रूप में व्यक्त करता है।

अन्य उदाहरण : धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तक सीमित नहीं है, इसके विपरीत इसका अर्थ है राज्य को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखना।

vi) समापन—अपनी बात को समाप्त करते हुए लेखक जब निष्कर्ष रूप में कोई बात कहता है तो "प्रायः", "संक्षेप में", "निष्कर्ष रूप में". "अंत में", "इस प्रकार", आदि पदों का प्रयोग करता है ताकि पाठक को कथन का निष्कर्ष सूत्र रूप में स्पष्ट हो जाए। उदाहरणतः

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात में निहित है कि हम सभी क्षेत्रों में समानता के आदर्श को कितना लागू कर पाते हैं।

अन्य उदाहरण : इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र विश्व का महान् लोकतंत्र है।

विषय की विवेचना करते हुए लेखक उपर्युक्त वाक्यांशों या शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करता है। दूसरे, विषय के व्यवस्थित विवेचन के लिए वह उसे उचित क्रम भी देता है। जैसे, सर्वप्रथम, वह अपनी अवधारणा को सूत्र रूप में रखेगा। फिर वह उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेगा। उसके विभिन्न पक्षों को क्रम से प्रस्तुत करेगा। अपने कथन के समर्थन में जहाँ आवश्यक होगा उदाहरण देगा। और अंत में, अपने कथन का निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

अभ्यास

3 क) आगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर 10 वाक्य दिये गये हैं। इनका क्रम बदला हुआ है। इन्हें सही क्रम में रखें जिससे पूरा गद्यांश सही अर्थ दे सके। खानों में सिर्फ़ वाक्य संख्या लिखें।

ख) इन वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनकी सहायता से आप क्रम को सही समझ पाये हैं।

1 भारत के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी दुनिया की आवाज़ प्रबल हो उठी है।

2 इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की रंगभेद की नीति की निंदा सबसे पहले भारत ने की।

3 अंत में, यह भी कह सकते हैं कि भारत अब तीसरी दुनिया का नेतृत्व संभाले हुए है।

4 आइए देखें कि विश्व राजनीति में भारत की क्या भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत प्रजातिवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्षरत है।

5 अफ्रीका में, नामीबिया के लिए स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय मांग इसका उदाहरण है।

6 इन तीनों बुराइयों के विरुद्ध संग्राम में अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को भारत का पूरा समर्थन मिला हुआ है।

7 कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विश्व में राजनीतिक समता लाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

8 तीसरी दुनिया को एकजुट करने के अतिरिक्त भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ भी बराबर आवाज़ उठाता रहा है।

9 निंदा के साथ-साथ भारत ने तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को प्रबल बनाने के प्रयत्न भी किये।

10 अफ्रीका में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी भारत उपनिवेशवाद की समाप्ति का समर्थक है।

8.4 व्याकरणिक विवेचन

8.4.1 ''वि'' उपसर्ग

इस पाठ में ''विभिन्न'', ''विशेष'', ''विचित्र'' जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में ''वि'' उपसर्ग है। कुछ शब्दों के पूर्व ''उपसर्ग'' लगाने से नये शब्द बनते हैं।

वि + भिन्न = विभिन्न
वि + शेष = विशेष
वि + चित्र = विचित्र

उपसर्ग लगाने से मूल शब्द के अर्थ में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं :

i) शब्द में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे, विचित्र
ii) शब्द का विपरीत अर्थ दे सकता है। जैसे विदेश, विजातीय
iii) शब्द के मूल अर्थ को सीमित अर्थ-क्षेत्र दे सकता है। जैसे, विज्ञान
iv) शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे, विनाश

अभ्यास

4 नीचे दिये गये शब्दों में ''वि'' उपसर्ग लगाकर अर्थ की भिन्नता बताइए।

i) वाद ....
ii) धर्म ....
iii) पक्ष ....

iv) हार ....

v) शिष्ट ....

vi) मुख ....

vii) कल ....

viii) सम ....

ix) जन ....

8.4.2 विलोम शब्द

इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी पाठ में हैं जैसे समानता और असमानता, अमीर और गरीब, धनवान और निर्धन, निम्न और उच्च। इन्हें विलोम शब्द कहते हैं क्योंकि ये शब्द विपरीत अर्थ देते हैं।

विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है।
जैसे, "अ" उपसर्ग लगाकर—समान > असमान
संभव > असंभव
सचेत > अचेत

स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले "अ" के स्थान पर "अन्" उपसर्ग लगता है। जैसे,

एक — अनेक
अर्थ — अनर्थ
आदर — अनादर

"वि" उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे, सम —विषम

संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार उपसर्ग 'वि', 'नि', आदि के बाद के व्यंजन 'स', 'ष' में परिवर्तित हो जाता है। इसी नियम के और दो शब्द दे रहे हैं, जिनमें वर्तनी के स्तर पर "ष" का प्रयोग देखिए।
विषाद, निषिद्ध।

नीचे कुछ विलोम शब्द और उनकी रचना बताई गई है

स्वतंत्र (स्व + तंत्र) — परतंत्र (पर + तंत्र)
सापेक्ष (स + अपेक्षा) — निरपेक्ष (निः + अपेक्षा)
स्वाधीन (स्व + अधीन) — पराधीन (पर + अधीन)
धनी (धन + ई)—निर्धन (निः + धन)
बली (बल + ई)—निर्बल (निः+ बल)

5 नीचे दिये गये शब्दों के विलोम शब्द बताइए और उनकी रचना स्पष्ट कीजिए।

i) उपलब्ध	viii) सहमत ....
ii) अधिकार	ix) नीति ....
iii) उपयोग	x) व्यवस्था ....
iv) पक्ष	xi) आवश्यक ....
v) व्यय	xii) बुराई ....
vi) अभाव	xiii) प्रवृत्ति ....
vii) पूर्ण	xiv) श्रेष्ठ ....

8.4.3 संधि

इस पाठ के पहले पैरा में "सर्वोत्तम" शब्द का प्रयोग हुआ है। "सर्वोत्तम" शब्द दो शब्दों (सर्व + उत्तम) से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों के मिलने से शब्दों की रचना में अंतर आ जाता है। अर्थात् शब्द के पहले खंड का अंत्याक्षर (अंतिम अक्षर) दूसरे खंड के आद्याक्षर (पहले अक्षर) से मिल गया है और दोनों के मेल से एक भिन्न अक्षर बन गया है। अक्षर के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। आगे तीन प्रकार की संधियों के उदाहरण देखिए :

संधि के प्रकार

1 मत + अधिकार = मताधिकार	अ + अ → आ
स्व + इच्छा = स्वेच्छा	अ + इ → ए
सूर्य + उदय = सूर्योदय	अ + उ → ओ

इन उदाहरणों में अ + अ मिलकर आ, अ + इ मिलकर ए और अ + उ मिलकर ओ हुआ है। ये सब अक्षर स्वर हैं। इसलिए इनके मेल को **स्वर संधि** कहते हैं।

2 वाक् + ईश — वागीश	क् + ई → गी
उत् + चारण — उच्चारण	त् + चा → च्चा
जगत् + नाथ — जगन्नाथ	त् + ना → न्ना

इन उदाहरणों में अंत्य व्यजनों के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं और उनके स्थान में भिन्न अक्षर हो गये हैं। इसे **व्यंजन संधि** कहते हैं।

3 निः + अपेक्ष = निरपेक्ष	विसर्ग + अ → र
निः + आशा = निराशा	विसर्ग + आ → रा
दुः + उपयोग = दुरुपयोग	विसर्ग + उ → रु
दुः + भाव = दुर्भाव	विसर्ग + भ → र्भ

उपर के उदाहरणों में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं और उनके स्थान में भिन्न अक्षर आया है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को **विसर्ग संधि** कहते हैं।

6 निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए।

i) धनाभाव .... v) सदानंद ....

ii) रमेश .... vi) निरादर ....

iii) उन्नयन .... vii) दुर्मति ....

iv) दिग्गज .... viii) प्रश्नोत्तर ....

8.4.4 समास

इस पाठ में "लोकतंत्र" शब्द का भी प्रयोग हुआ है। "लोकतंत्र" भी दो शब्द "लोक" व "तंत्र" से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कि "लोकतंत्र" में लोक और तंत्र के मिलने में दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं आता। दूसरे, इसमें दोनों शब्दों के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले शब्द का लोप हो गया है। लोकतंत्र = लोक का तंत्र। लोकतंत्र में "का" लुप्त है। इस तरह बनने वाले शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। अर्थात् जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उनसे मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे,

दया + सागर = दयासागर	= दया (का) सागर
स्व + तंत्र = स्वतंत्र	= स्व (का) तंत्र
गृह + युद्ध = गृहयुद्ध	= गृह* (में) युद्ध
धर्म + निरपेक्ष = धर्मनिरपेक्ष	= धर्म (से) निरपेक्ष
स्त्री + पुरुष = स्त्री-पुरुष	= स्त्री (और) पुरुष

*यहाँ गृह देश के भीतर का अर्थ देता है।

7 नीचे लिखे पदों के सामासिक शब्द बनाइए।

i) चंद्र के समान मुख वाली ....

ii) माता और पिता ....

iii) वर्षा का काल ....

iv) कार्य में कुशल ....

v) लंबे काल से ....

vi) न्याय की दृष्टि से उचित ....

8.5 सारांश

इस इकाई में आपने "भारतीय लोकतंत्र" के विषय में अध्ययन किया है। राजनीति विज्ञान से संबंधित विषयों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आपको हिन्दी में राजनीति विज्ञान विषय संबंधी लेखन से परिचित कराना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद अब आप :

- इस विषय की भाषागत विशिष्टताओं को बता सकते हैं।
- पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी सरल व्याख्या कर सकते हैं।
- विषय का सरल विवेचन कर सकते है।
- उपसर्ग, विलोम शब्द, संधि और समास को परिभाषित कर सकते हैं और इनके सही प्रयोग कर सकते हैं।

8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

सुदिप्त कविराज : **नागरिक और शासन**, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

8.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) सही ii) गलत iii) गलत iv) सही v) सही

2 i) समानता ii) लोकतंत्र iii) आर्थिक

3 क) ii) ख) ii)

4 क) ii) ख) i) (ग) ii)

5 i) स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद।
 ii) सांप्रदायिकता, जातिप्रथा, आर्थिक वैषम्य, भाषायी द्वेष
 iii) एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ अल्पसंख्यक वर्ण के लोग बहुसंख्यक वर्ण के लोगों पर शासन करते हों।
 iv) एक ऐसी व्यवस्था जहाँ धर्म लोगों का निजी मामला होता है, लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा-अर्चना की पूरी स्वतंत्रता होती है और राजनीतिक मामलों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता।

अभ्यास

1 i) लोकतंत्र ii) समाजवाद iii) धर्मनिरपेक्ष राज्य
 iv) लोकतंत्र v) सांप्रदायिकता vi) उपनिवेश

2 ii) एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समुदाय।
 iii) लोकतंत्र का वह स्वरूप जो भारत में है।
 iv) दूसरे राष्ट्र को पराधीन (उपनिवेश) बनाकर किया जाने वाला शासन।
 v) लोगों में आय की लगभग बराबरी

3 क) वाक्यों का सही क्रम

4	6	2	9	1	8	5	10	7	3

ख) आइए देखें 6. इन तीनों 2. इस दृष्टि से 9. निंदा के साथ-साथ 1. भारत के प्रयत्नों 8. तीसरी दुनिया 5. नामीबिया के लिए स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय माँग 10. अफ्रीका में ही नहीं 7. कुल मिलाकर 3. अंत में

4 i) विवाद—विचार-विमर्श
 ii) विधर्म—दूसरा धर्म
 iii) विपक्ष—दूसरा (विपरीत) पक्ष
 iv) विहार—घूमना
 v) विशिष्ट—विशेष
 vi) विमुख—हट जाना
 vii) विकल—अशांत या बेचैन होना
 viii) विषम—असमान
 ix) विजन—जन से रहित

5 i) अनुपलब्ध—अन् + उपलब्ध
ii) अनधिकार—अन् + अधिकार
iii) अनुपयोग—अन् + उपयोग
iv) विपक्ष—वि + पक्ष
v) आय
vi) भाव
vii) अपूर्ण—अ + पूर्ण
viii) असहमत—अ + सहमत
ix) अनीति—अ + नीति
x) अव्यवस्था—अ + व्यवस्था
xi) अनावश्यक—अन् + आवश्यक
xii) अच्छाई
xiii) निवृत्ति—नि + वृत्ति
xiv) निकृष्ट

6 i) घन + अभाव
ii) रमा + ईश
iii) उत् + नयन
iv) दिक् + गज
v) सत् + आनंद
vi) निः + आदर
vii) दुः + मति
viii) प्रश्न + उत्तर

7 i) चंद्रमुखी
ii) माता-पिता
iii) वर्षाकाल
iv) कार्यकुशल
v) दीर्घकालीन
vi) न्यायोचित

इकाई 9 मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य
9.1 प्रस्तावना
9.2 भारत की ललित कलाएँ
9.2.1 विभिन्न ललित कलाएँ
9.2.2 स्थापत्य कला
9.2.3 मूर्तिकला
9.2.4 चित्रकला
9.2.5 संगीत कला
9.2.6 काव्य कला
9.3 व्याकरणिक विवेचन
9.3.1 विशेषण
9.3.2 वाक्य-रचना
9.4 सारांश
9.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें
9.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम मानविकी के एक महत्वपूर्ण अंग ललित कला पर पाठ दे रहे हैं। कला विषयक पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इस विषय से संबंधित भाषा, पारिभाषिक शब्दों तथा रचना प्रयोगों से परिचित कराना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- मानविकी की भाषा, विशेषतः ललित कला में प्रयुक्त भाषा की विशिष्टता पहचान सकेंगे तथा भारतीय ललित कलाओं के विकास को भी बता सकेंगे;
- पाठ में प्रयुक्त विशेषणों के संदर्भ में विशेषण का अर्थ और महत्व बता सकेंगे तथा विशेषण का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदल सकेंगे;
- प्रविशेषण का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- दो या अधिक वस्तुओं की विशेषता की तुलना वाले वाक्यों को सही रूप में लिखना सीख सकेंगे; और
- वाक्य-रचना के अंतर्गत मुख्य वाक्यांश और पूरक वाक्यांश के संबंध को समझ सकेंगे तथा ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

यह इकाई भारतीय ललित कला से संबंधित है। इससे पूर्व की इकाइयों में आपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विज्ञान विषयक पाठों का अध्ययन किया है। इस पाठ में हम आपको भारतीय ललित कलाओं का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। भारत की विभिन्न कलाएँ हमारी संस्कृति की महान् धरोहर हैं। भारतीय कलाओं में उन सभी जातियों और समुदायों के अवदान का प्रतिबिंब है, जो समय-समय पर भारत में आए और यहाँ के जन-जीवन में घुलमिल गये। संस्कृति की ही तरह भारतीय कला भी इन सभी के मिले-जुले अवदान का प्रतिफल है।

इस इकाई में हमने अपना मुख्य बल स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीत कला पर ही रखा है, क्योंकि साहित्य का विस्तृत अध्ययन आप आगे ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत करेंगे। पाठ के साथ जो बोध प्रश्न दिए गए हैं उनसे आपको पाठ को समझने में मदद मिलेगी।

आप देखेंगे कि विशेषणों का प्रयोग इस पाठ में अधिक हुआ है। "व्याकरणिक विवेचन" में हमने विशेषण के कुछ पहलुओं और भेदों पर चर्चा की है इससे आप को विशेषण का सही प्रयोग करने में मदद मिलेगी। इसी तरह "वाक्य रचना" में हमने ऐसे वाक्यों की रचना पर विचार किया है, जिनमें पूरक वाक्यांश के कारण लिंग, वचन और कारक की त्रुटियाँ हो जाती हैं। हमने ऐसे वाक्यों की रचना के नियमों पर संक्षेप में विचार किया है. इससे आपको इस तरह की त्रुटियों को सुधारने में मदद मिलेगी।

9.2 भारत की ललित कलाएँ

कला क्या है?

1 हम में से प्रायः सभी को कुछ ऐसे शौक ज़रूर होते हैं जिनमें विशेष तरह का आनंद आता है। किसी को फ़िल्म देखने का शौक होता है तो किसी को संगीत सुनने का। किसी को क्रिकेट की कमेंटरी सुनने में ही मज़ा आता है। कहने का मतलब यह है कि हम कुछ ऐसे कामों में भी रुचि लेते हैं जिनसे मात्र हमारी भौतिक ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, बल्कि जो हमें मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं। कोई पेशे से दुकानदार हो सकता है लेकिन साथ ही उसे वायलिन बजाने का भी शौक हो, कोई गृहिणी अच्छी कविताएँ भी लिखती हो। सच्चाई यह है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़कर हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। जिस तरह भोजन से शरीर का पोषण होता है, उसी तरह कला से मन और बुद्धि का पोषण होता है। मनुष्य जब भौतिक जीवन से ऊपर उठकर मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, तो इस प्रयत्न से भले ही कोई भौतिक लाभ न हो, लेकिन उससे जीवन को पूर्णता और सार्थकता प्राप्त होती है।

2 हम जो भी कार्य करते हैं उसे करते हुए दो बातों पर ध्यान देते हैं। एक तो इस बात का कि जिस ज़रूरत से प्रेरित होकर हम वह काम कर रहे हैं, वह ज़रूरत मुकम्मल तौर पर पूरी हो। इसे हम कार्य का भौतिक पक्ष कह सकते हैं। जैसे एक कुर्सी बनानी हो, तो हम उसकी मज़बूती, उस पर बैठने में सुविधा तथा उसकी लकड़ी को कीड़े न खा जाएँ इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम कोई काम करते हुए यह भी विचार करें कि वह काम अच्छे ढंग से पूरा हो, काम करते हुए आनंद आए, हमारे द्वारा किया गया काम दूसरों को भी रुचिकर और आनंद प्रदान करने वाला लगे, तो इसे हम उस कार्य का सौंदर्य पक्ष कहेंगे। जैसे कुर्सी पर बेल-बूटे बनाना, उस पर ऐसा रंग-रोगन करना जो दिखने में सुंदर लगे। इससे कुर्सी की उपयोगिता में कोई फर्क नहीं आता। फिर भी, इससे मानसिक और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है।

3 अब तक जो बातें आपको बतायी गयी हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि कला क्या है। अपने व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा दक्षता से किया गया कोई भी कार्य "कला" कहा जाएगा। लेकिन जो कार्य मानव के भौतिक उपयोग से प्रेरित होकर किया गया हो, वह उपयोगी कला के अंतर्गत आता है और जो कार्य सौंदर्यात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है वह ललित कला के अंतर्गत आता है। सौंदर्यात्मक उद्देश्य का अर्थ है जो हमारे मन और आत्मा को आनंद पहुँचाए।

4 यहाँ हम सिर्फ़ ललित कलाओं की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं ललित कलाएँ कितनी हैं? आपने ताज़महल देखा होगा, राजपूत या मुगल शैली के चित्र देखे होंगे, ध्यानस्थ बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी, भीमसेन जोशी या एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का गायन सुना होगा, प्रेमचंद का "गोदान" पढ़ा होगा, "आषाढ़ का एक दिन" नाटक देखा होगा। ये सभी ललित कलाएँ हैं। इन्हें हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं—स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य।

9.2.1 विभिन्न ललित कलाएँ

5 घर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। घर, हमारा एक छोटा सा संसार है जहाँ हम पलते एवं बड़े होते हैं, जहाँ हमारे सुख-दुख से भरे जीवन की अनगिनत घड़ियाँ बीतती हैं। मनुष्य अपने लिए सुख-सुविधा से परिपूर्ण घर ही नहीं चाहता, वह घर को सुंदर और भव्य भी देखना चाहता है। वास्तुकार या स्थपति उसकी इच्छा को पूर्ण करता है और इसी में स्थापत्य कला की अभिव्यक्ति होती है। भवन, महल, दुर्ग, पूजागृह (मंदिर, मस्जिद आदि), स्तंभ (मीनार) आदि के निर्माण में भी यही कला मूर्त होती है।

6 मंदिरों में स्थापित मूर्तियाँ जिनमें भक्त भगवान् का साक्षात् रूप देखता है, मूर्ति कला की उत्कृष्टता को अभिव्यक्त करती हैं। मूर्ति कला में जहाँ शारीरिक सौष्ठव का कलात्मक निर्माण होता है वहीं मूर्ति के चेहरे पर विभिन्न भाव मुद्राओं को जीवंत बना देना भी उसका महत्वपूर्ण अंग है। स्थापत्य कला पत्थरों को छैनी-हथौड़े के द्वारा सौंदर्यात्मक रूप देकर निर्मित होती है। मूर्तियाँ भी मुख्यतः पत्थरों को तराश कर बनायी जाती हैं, किंतु धातु, लकड़ी और मिट्टी से भी मूर्तियों की रचना होती रही है। पत्थर या लकड़ी की मूर्तियाँ तराशी जाती हैं, धातु की मूर्तियाँ गढ़ी जाती हैं। स्थापत्य और मूर्ति कला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।

7 भवनों और मूर्तियों का निर्माण लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई में होता है, इसलिए इन्हें त्रिआयामी कलाएँ कहा जाता है। चित्रकला द्विआयामी कला है क्योंकि चित्रों का निर्माण लंबाई और चौड़ाई में होता है। चित्रकार कागज़, कपड़ा या भित्ति (दीवार) पर रंगों और रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है। स्थापत्य और मूर्तिकला की अपेक्षा चित्रकला जीवन का बहुआयामी अंकन कर सकती है। इन तीनों में चित्रकला सबसे अधिक सूक्ष्म कला है।

8 अगर आपने स्थापत्य, मूर्ति और चित्र कला पर गौर किया हो तो, आपको कुछ समान विशेषताएँ नज़र आएँगी। जैसे ये तीनों कलाएँ दिक् पर आधारित हैं क्योंकि इन्हें हम दिक् (Space) में ग्रहण करते हैं। दूसरे, इन तीनों कलाओं के लिए भौतिक उपादानों की ज़रूरत होती है जैसे स्थापत्य में पत्थर की, मूर्ति में पत्थर, मिट्टी, धातु या लकड़ी की और चित्र में भित्ति, कागज़ या कपड़े की। संगीत और काव्य कलाओं में इन भौतिक उपादानों की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा अंतर यह है कि संगीत और काव्य कला काल-आधारित कलाएँ हैं अर्थात् हम इनका रसास्वादन काल के प्रवाह में करते हैं। तीसरा अंतर स्थूलता का है। स्थापत्य, मूर्ति और चित्र कला में कलाकारों के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति स्थूल रूप में होती है जबकि संगीत और काव्य में सूक्ष्म रूप में। संगीत में कला का आधार स्वर और लय है जिसे कलाकार गायन या वादन द्वारा व्यक्त करता है। संगीत में भावों के उतार-चढ़ाव की बारीकियों को व्यक्त किया जा सकता है। संगीत काव्य से अधिक भाव प्रधान होता है।

9 काव्य या साहित्य सबसे अलग किस्म की कला है। इसमें भाषा को कला-रचना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साहित्य सबसे सूक्ष्म कला है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों की जटिलता और सूक्ष्मता को सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैं। काव्य में कई विधाएँ आती हैं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि। नाटक का इस दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि रंगमंच पर नाट्य की प्रस्तुति में अन्य कलाओं का भी समावेश हो जाता है। नृत्य का संबंध नाट्य और संगीत दोनों से है और इसे दोनों कलाओं में शामिल किया जा सकता है।

10 आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या फ़िल्म कला है? और फ़ोटोग्राफी? निश्चय ही ये दोनों कलाएँ हैं। फ़िल्म नाट्य कला का और फ़ोटोग्राफी चित्रकला का ही विकास है। आधुनिक तकनीकों ने इन दोनों कलाओं को संभव बनाया है।

बोध प्रश्न

1 नीचे कुछ शब्द और उनकी व्याख्याएँ दी गई हैं। उन्हें सही क्रम से रखिए।

i)	मनुष्य द्वारा दक्षता से किया गया कार्य	क)	ललित कला
ii)	भौतिक उपयोग से प्रेरित होकर किया गया कार्य	ख)	संगीत कला
iii)	सौंदर्यात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया कार्य	ग)	उपयोगी कला
iv)	लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई में निर्मित कला	घ)	कला
v)	काल आधारित कला	ङ)	वास्तुकला

2 नीचे दी गयी ललित कलाओं को वर्गीकृत कीजिए।

कलाओं के नाम	काल आधारित	दिक् आधारित	त्रिआयामी	द्विआयामी	दृश्यकला	श्रव्यकला
	क	ख	ग	घ	ङ	च
स्थापत्य	—	√	√	—	√	—
चित्रकला						
मूर्तिकला						
संगीत कला						
काव्य						
नृत्य						
नाट्य						
फ़िल्म						
फ़ोटोग्राफी						

भारतीय कला का विकास

11 इतना जानने के बाद आपके मन में इस जिज्ञासा का उठना लाज़मी है कि भारत में इन कलाओं का विकास कब और कैसे हुआ। आइए, हम इनका थोड़ा परिचय प्राप्त करें। भारत में ललित कलाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का ज्ञात इतिहास। आपको विदित होगा कि भारत की सभ्यता का आरंभ हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता पाँच हज़ार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इसके अवशेषों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ललित कलाओं का विकास हड़प्पा से भी पुराना है क्योंकि हड़प्पा तो काफी विकसित सभ्यता थी। आइए, हम पांचों ललित कलाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें।

9.2.2 स्थापत्य कला

12 आपने इतिहास की पुस्तकों में मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के छायाचित्र देखे होंगे। इन चित्रों को देखकर आप स्थापत्य की भव्यता का सहज अनुमान कर सकते हैं। उस युग के नगर योजनाबद्ध ढंग से बने होते थे। मकान दो मंज़िल के होते थे। घरों में रहने-सोने के कमरों, स्नान घर, छत पर जाने की सीढ़ियाँ बनी होती थीं। नगर के बाहर स्नान के लिए पक्की ईंटों के लंबे-चौड़े तालाब बनाये जाते थे। उनके चारों ओर कपड़े बदलने के लिए बरामदे, कमरे आदि बनाये जाते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी दुर्गों और पुरों की चर्चा की गयी है उससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन युग में किले, महल और घर भव्य और विशाल होते थे और उन्हें नगरीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता था।

13 हड़प्पा सभ्यता के बाद स्थापत्य के जो उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, उनमें मंदिर, स्तंभ, स्तूप, मकबरे, मस्जिद आदि प्रमुख हैं। भारतीय स्थापत्य कला का मनोहारी रूप मंदिरों के निर्माण में व्यक्त हुआ है। आपने मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क का

सूर्य मंदिर, माउंट आबू के जैन मंदिर आदि कई प्राचीन और भव्य मंदिर देखे होंगे। लेकिन ये सभी मंदिर एक ही शैली के नहीं हैं। भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ हैं—नागर, द्राविड़ और वेसर शैली। नागर शैली के मंदिर प्रायः उत्तर भारत में, द्राविड़ के दक्षिण भारत में और वेसर के मध्य भारत में मिलते हैं। वेसर वस्तुतः नागर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है।

14 नागर शैली में कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ स्थानीयता का प्रभाव भी साफ़ नज़र आता है। इस शैली के मंदिर प्राय: 900 ई. से 1300 ई. के मध्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा, कुल्लू, चंबा, मण्डी आदि के मंदिर इस दृष्टि से अत्यंत रमणीय हैं। विशेषतः बैजनाथ मंदिर (9वीं सदी) इस दृष्टि से दर्शनीय है। राजस्थान में माउंट आबू के जैन मंदिर (दिलवाड़ा मंदिर) अपनी सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात हैं। इन मंदिरों की छतें बहुमूल्य संगमरमर की बनी हैं। उनकी दीवारों, छतों और स्तंभों पर की गई कलात्मक नक्काशी अपने सूक्ष्म सौन्दर्य से दर्शकों को अभिभूत कर लेती है। उड़ीसा के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है कोणार्क का सूर्य मन्दिर। भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में इसकी गणना होती है। इसका निर्माण 13वीं शती में हुआ था। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर भी अपनी भव्यता, शिल्प-कौशल और आकारगत दिव्यता में बेजोड़ हैं।

15 द्राविड़ शैली के मंदिर नागर से अलग तरह के हैं। इस शैली के मंदिरों में आँगन का मुख्य द्वार जिसे गोपुरम् कहते हैं इतना ऊँचा होता है कि अनेक बार वह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा लेता है। परंतु तंजौर, गंगैकोंडपुरम् और कांजीवरम् के मंदिर इतने ऊँचे और उनके गोपुरम् एक से आकार के हैं कि दोनों का संबंध वास्तु की रमणीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं।

16 द्राविड़ शैली का आरंभ ईसा की सातवीं सदी में हुआ। इसका आरंभ पल्लव राजाओं के सहयोग से हुआ जिन्होंने कांजीवरम् (कांजी) में इस शैली के महत्वपूर्ण मंदिर बनवाये। तंजौर के चोल राजाओं का भी मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तंजौर के विशाल बृहदीश्वर और सुब्रहमण्यम् मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से असाधारण हैं। द्राविड़ शैली के मंदिरों की अंतिम शृंखला सोलहवीं सदी की है। ये मंदिर विशाल और भव्य हैं। रामेश्वरम्, मदुरा, तिन्नेवेली के मंदिर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मदुरै का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थानीय राजा तिरुमल नायक (1623-59) ने बनवाया। इसका गोपुरम् भी अत्यंत भव्य है। इस प्रकार के मंदिरों में असाधारण लंबे ढके बरामदे होते हैं। रामेश्वरम् का बरामदा तो 4000 फुट लंबा है और इनमें अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ हैं।

17 आपने सारनाथ और साँची के बौद्ध स्तूप भी देखे होंगे। सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। स्तूप वस्तुतः एक तरह का समाधि स्थल होता है जहाँ मृतक की अस्थियाँ रखी जाती हैं। भारत के प्राचीनतम स्तूप साधारणतः एक प्रकार के टीले हैं, अर्धवर्तुलाकार, ऊँचे और ठोस। ये स्तूप बौद्ध स्तूप हैं। सारनाथ और साँची के स्तूप में बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। सारनाथ, भरहुत और साँची के स्तूप अशोक के समय के हैं।

18 मुसलमानों के आगमन के साथ ही हम स्थापत्य कला के एक नये युग में प्रवेश करते हैं। आगरा का ताज़महल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और उसका बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूँ का मकबरा, जामा मस्जिद आदि कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो मुस्लिम शासकों द्वारा बनवायी गयीं। आपने इनमें से कुछ को अवश्य देखा होगा। ताज़महल का सौंदर्य और उसकी भव्यता को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुस्लिम शासकों ने अपनी अभिरुचि के अनुकूल स्थापत्य कला को एक नयी शैली दी। इन शासकों द्वारा बनवायी गयी सभी इमारतों में हिंदुओं और मुसलमानों का सम्मिलित श्रम और प्रतिभा प्रयुक्त हुई है। विश्व में अपनी तरह की अकेली मीनार—कुतुब मीनार के निर्माण में हिंदू वास्तुकारों का योग

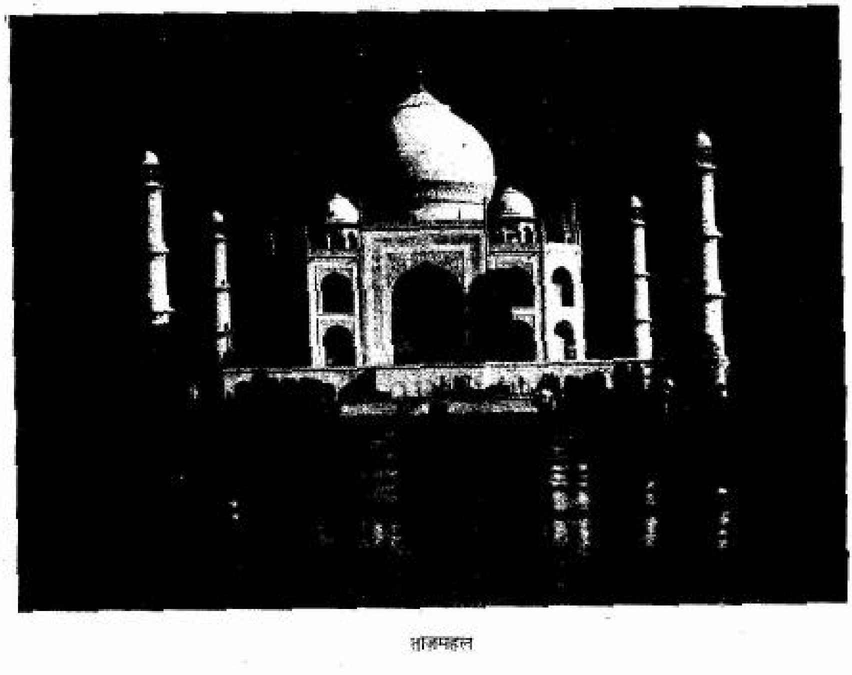

ताज़महल

रहा है। जौनपुर की प्रसिद्ध अताला मस्जिद, अकबर द्वारा बनवाये गये आगरे के किले और फतेहपुर सीकरी के कई भवनों पर मुगल काल से पहले की भारतीय स्थापत्य शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। दिल्ली का हुमायूँ का मकबरा, जो ताजमहल का आभास और बारीकी लिए हुए है, अकबर ने ईरानी शैली में बनवाया था। औरंगज़ेब को छोड़कर प्रायः सभी मुस्लिम शासकों ने कला के उत्थान में गहरी रुचि दिखायी। लेकिन इनमें शाहजहाँ का योगदान अविस्मरणीय है। उसने दिल्ली के लाल किले सहित कई भव्य इमारतें बनवायीं, किंतु मुगलकाल की सबसे सुंदर और शालीन इमारत ताजमहल का निर्माण कराकर उसने भारतीय स्थापत्य कला को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। ताजमहल अपने अनुपम सौन्दर्य के कारण विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है। शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी आरज़ूमंद बानू बेगम (मुमताज़ महल) की स्मृति में इसे बनवाया था। आगरे में यमुना के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा अपनी शालीनता और भव्यता में अद्वितीय है। इस जैसी सुंदर इमारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ताजमहल के शिल्प में स्थापत्य की परिपूर्णता दिखायी देती है।

9.2.3 मूर्तिकला

19 आपने सिक्कों पर तीन सिंहों का अंकन देखा होगा, जिसके नीचे एक चक्र भी है। यही चक्र हमारे झंडे पर भी है। आपको मालूम होगा कि यह हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। यह चिह्न सारनाथ (वाराणसी) से प्राप्त अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यह स्तंभ-शीर्ष अपने सौंदर्य में अनुपम है। सिंह की शालीनता, प्रकृति विरुद्ध शांतमुद्रा अशोक की राजनीति के अनुरूप थी, जो शांति और अहिंसा के सिद्धांत पर टिकी थी। यह स्तंभ-शीर्ष मूर्तिकला की प्रतीकात्मकता का अच्छा उदाहरण है। मूर्तियाँ ईश्वरीय प्रतीक के रूप में, भारत में लंबे समय से पूजी जाती रही हैं, इसलिए अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त करने के लिए मूर्ति का निर्माण भारत में अत्यंत प्राचीन काल से होता रहा है। मूर्तियों का एक और उद्देश्य है—अतीत की स्मृतियों को जीवित रखना। इस तरह मूर्ति निर्माण के पीछे लौकिक और धार्मिक दोनों उद्देश्य रहे हैं।

20 स्थापत्य कला की तरह मूर्ति कला का आरंभ भी भारत में हड़प्पा सभ्यता से माना जा सकता है। स्थापत्य और मूर्ति दोनों कलाओं में हड़प्पा के बाद के अवशेष प्रायः मौर्यकाल (325-188 ई.पू.) या उससे कुछ पहले के मिलते हैं। मूर्तिकला में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और नयी-नयी शैलियाँ अस्तित्व में आती रही हैं। मौर्यकाल की मूर्तिकला में अवयवगत यथार्थता और आकर्षक सौंदर्य अभूतपूर्व है। अशोक कालीन मूर्तिकला इसी युग की है। मौर्यकाल के बाद शुंग (150-73 ई.पू.) और शक-कुषाण काल (ई.पू. पहली सदी-300 ई. तक) में मूर्तिकला का विकास हुआ। शुंगकला उतनी यथार्थपरक नहीं है। इन दोनों कालों में पत्थर और मिट्टी दोनों का उपयोग हुआ। कुषाणकाल की मथुरा में पाई गयी यक्षिणियों की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें सामाजिक जीवन के आनंद और उल्लास को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।

21 बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियाँ मूर्तिकला की अमूल्य संपदा हैं। गंधार प्रदेश (अफ़गानिस्तान) में ग्रीक कलाकारों ने अपनी शैली से जिन भारतीय विषयों, अभिप्रायों, प्रतीकों का कलात्मक रूपायन किया उन्हें गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाणकाल में ही इस शैली का विकास हुआ था। इस शैली की सभी मूर्तियाँ सिर्फ़ बौद्ध स्थलों से उपलब्ध हुई हैं। बुद्ध

नटराज

HIL-002

मूर्तियाँ गुप्तकाल (275 ई.-500 ई.) में भी निर्मित हुई। इनमें सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी बुद्ध मूर्ति शिल्पकला एवं सौंदर्यप्रभाव में अद्वितीय है। वस्तुतः मूर्तिकला के विकास में बौद्ध धर्म का योगदान उल्लेखनीय है।

22 हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार रही है। ईश्वर के साकार रूप की आराधना के लिए मूर्ति को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा-अर्चना वैष्णव भक्ति का मुख्य अंग है। ईश्वर के विभिन्न अवतारों तथा अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से होता रहा है। दूसरी-तीसरी शताब्दी के बाद से हिंदू धर्म के पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलने लगती हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ इस दृष्टि से दर्शनीय हैं। सातवीं सदी के बाद की अधिकांश मूर्तियाँ मंदिर मूर्तियाँ हैं। इनमें भी मंदिरों में स्थापित या शिखरों पर उकेरी गयी मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग में कोणार्क, खजुराहो और एलोरा के मंदिरों पर अलंकरण के रूप में उकेरी गयी मूर्तियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कोणार्क और खजुराहो के यौन अंकन कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं।

23 ग्यारहवीं-बारहवीं सदी के बाद यद्यपि उत्तर भारत में मूर्तिकला का विकास रुक गया था, लेकिन दक्षिण में यह विकास जारी रहा। शुद्ध अलंकरण की दृष्टि से 12वीं सदी के चालुक्य और होयसल मंदिरों की मूर्तियाँ अप्रतिम हैं। धातु (विशेषकर तांबे और पीतल) की अनेक मूर्तियाँ कर्नाटक में बारहवीं और अठारहवीं सदी के मध्य ढाली गयीं। इस दृष्टि से नटराज (नृत्य करते शिव) की मूर्तियाँ अत्यंत सुन्दर हैं। भारतीय मूर्तिकला के विकास में आधुनिक युग का महत्वपूर्ण योग है। यद्यपि आज कला पर पश्चिम की शैलियों का प्रभाव अधिक नज़र आता है।

बोध प्रश्न

3 i) नीचे दिये वाक्यों में स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक विशेषता स्थापत्य कला पर लागू नहीं होती, बताइए।

क) स्थापत्य त्रिआयामी कला है।
ख) स्थापत्य के लिए भौतिक उपादानों की आवश्यकता होती है।
ग) स्थापत्य के माध्यम से कलाकार के विचारों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है।
घ) स्थापत्य स्थूल कला है ( )

ii) नीचे दिये वाक्यों में संगीत कला की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक विशेषता संगीत पर लागू नहीं होती, बताइए।

क) संगीत कालाधारित कला है।
ख) संगीत द्विआयामी कला है।
ग) संगीत के माध्यम से कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति होती है।
घ) संगीत में कला का आधार स्वर और लय है।

4 नीचे दिये प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

i) मंदिर निर्माण की शैलियों के नाम बताइए।

....

....

....

....

ii) मुग़लकालीन स्थापत्य कला के कोई तीन उदाहरणों के नाम बताइए।

.........................., ...

....

....

iii) गंधार शैली किसे कहते है।

....

....

....

....

9.2.4 चित्रकला

24 रंगों और रेखाओं से बनने वाले चित्र मानव की भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम रहे हैं। मिर्ज़ापुर और मध्य प्रदेश में गुफ़ाओं की दीवारों पर बने रेखाचित्र पाषाण युग के हैं। ये चित्र उस आदिम मानव की भावनाएँ व्यक्त करते हैं, जिसने भय, पूजा और उल्लास में ये चित्र बनाये। आपने कला संग्रहालयों में तरह-तरह के चित्र देखे होंगे जिन पर मुग़ल शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा कलम, पहाड़ी कलम आदि लिखा पढ़ा होगा। वस्तुतः भारत में चित्रकला की कई शैलियों का विकास हुआ है जिन्हें हम छह भागों में बाँट सकते हैं—

1) अजंता शैली
2) गुजरात शैली
3) मुग़ल शैली
4) राजपूत शैली
5) दकनी शैली
6) आधुनिक शैली.

25 अजंता शैली के चित्र भित्ति चित्र हैं और गुफ़ाओं की दीवारों पर बनाये गये हैं। ये चित्र ईसा से प्रायः सौ वर्ष से लेकर ईसा के बाद सातवीं सदी तक के हैं। अधिकतर चित्र मिट गये या मलिन हो गये हैं। लेकिन जो बचे हैं वे भी अद्‌भुत हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की घटनाएँ चित्रित की गयी हैं। अलंकरणों के चित्रों में अजंता के कलाकारों ने अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है। फूल, पक्षी, पशु, गंधर्व, देव सभी सुंदर एवं जीवंत रूप में चित्रित किये गये हैं। उनमें अद्‌भुत कोमलता और सजीवता है।

26 गुजराती शैली का दूसरा नाम जैन शैली है क्योंकि अधिकतर इस शैली में जैन कल्पसूत्रों का ही ग्रंथ-चित्रण किया गया है। इस शैली के चित्र अधिकतर पंद्रहवीं सदी के हैं। इसी शैली से लघुचित्र शैली (मिनिएचर) भी निकली है। इनके विषय धार्मिक ही नहीं, लौकिक भी हैं।

27 मुग़ल शैली भारतीय चित्रकला के संसार में अपना अलग स्थान रखती है। अपनी सुरुचि और परिष्कार तथा कूची के स्पर्श की कोमलता और हाशिये की कसीदाकारी से वह तत्काल पहचानी जा सकती है। यह शैली फ़ारस (ईरान) और भारत के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। मुग़ल शैली का आरंभ हुमायूँ (16वीं सदी) के काल में हुआ। इस कला को आगे बढ़ाने में अकबर का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ को छोड़कर प्रायः सभी मुग़ल चित्र कागज़ पर बने हैं। आरंभ के मुग़ल चित्रण में ग्रंथ चित्रण अधिक हुए हैं। महाभारत, रामायण के फ़ारसी अनुवादों, अकबरनामा, रसिकप्रिया आदि पर बनाये गये चित्र उल्लेखनीय हैं। इस तरह साहित्य और चित्रकला का सुखद संयोग स्थापित हुआ। मुग़ल शैली में लिपिकारिता (किताबत) का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुग़ल शैली प्रधानतः प्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्ति चित्रण की प्रधानता है। मुग़ल शैली का प्रभुत्व भारतीय चित्रकला पर प्रायः ढाई सौ वर्षों तक रहा। इस बीच एक से एक अभिराम चित्र हज़ारों की संख्या में बने।

28 राजपूत शैली का विकास राजस्थान, बुंदेलखंड और हिमालय-पंजाब के रजवाड़ों में हुआ। इस शैली के चित्र सोलहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के मध्य बने। राजपूत शैली मूल रूप से देशी है, परंतु उस पर मुग़ल शैली का भी गहरा

प्रभाव नज़र आता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी और विषयों के चयन में इस शैली के चित्र देशी परंपरा का प्रयोग करते हैं। स्थान-विशेष के कारण उसकी अनेक उप शैलियाँ बन गयीं, जिन्हें कलम कहते हैं जैसे पहाड़ी, जम्मू, काँगड़ा, बशोली आदि। यह शैली मध्यकालीन हिंदी काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति को चित्रित करती है। उसके चित्र भारतीय महाकाव्यों, पुराणों, संगीतशास्त्र, रीतिकाव्य को जाने बिना नहीं समझे जा सकते। उसमें कला, संगीत और साहित्य का अद्भुत संयोग है। रागमाला के चित्र इस दृष्टि से अनूठे हैं।

29 दकनी शैली भी मुग़ल शैली से प्रभावित प्रांतीय शैली है। यह भी प्रतिकृति प्रधान है और मुख्यतः बीजापुर और हैदराबाद में इसका विकास हुआ है। आधुनिक चित्रकला शैलियों पर मुख्यतः यूरोपीय कला का प्रभाव है किंतु अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रयास से अजंता और मुग़ल शैलियों को पुनः विकसित करने का कार्य किया गया। भारतीय कला को भारतीय जनजीवन और परंपरा से जोड़कर प्रस्तुत करने वालों में अवनींद्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त नंदलाल वसु, अमृता शेरगिल, रामकिंकर आदि का नाम प्रमुख है।

9.2.5 संगीत कला

30 संगीत किसे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग सुगम संगीत या मनोरंजक फिल्म संगीत सुनकर झूम उठते हैं। ग्रामीण अंचलों के लोग आनंदविभोर होकर लोकगीत गाते हैं। कोई भी विशेष अवसर हो, संगीत के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में तो संगीत उतना ही पुराना है जितने वेद। वेद की ऋचाएँ गायी जाती थीं और सामवेद की रचना तो इसी दृष्टि से हुई। ईसवी सदी के आरंभ में भरत ने नाट्यशास्त्र में संगीत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की। कालिदास ने ''मालविकाग्निमित्र'' नाटक में संगीत और अभिनय पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का आरंभ काफ़ी पहले हो चुका था।

31 भारतीय संगीत का एक व्यवस्थित शास्त्र है। संगीत के सात अंग माने गये हैं—राग, स्वर, ताल, वाद्य, भाव और अर्थ। रागों के विकास में मुस्लिम संगीतकारों का विशेष योग रहा है। तराना, कौल नक्श, गुल आदि अमीर खुसरो ने प्रचलित किये। टप्पा आदि कई लोक शैलियों को विकसित कर उन्हें शास्त्रीय रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य भी मुस्लिम गायकों ने किया। आज भी ध्रुपद, ठुमरी, खयाल आदि के प्रसिद्ध गायक मुसलमान हैं।

32 वादन गीत और नृत्य दोनों का सहचर है। भारत में कई वाद्यों का चलन रहा है। संभवतः बाँसुरी प्राचीनतम वाद्य है। नगाड़ा, तुरही (तूर्य), शंख, घंटा, डमरू भी प्राचीन वाद्य हैं। वीणा, सरोद, तंबूरा, सारंगी, दिलरुबा, पखावज, तबला, शहनाई आदि अन्य परंपरागत वाद्य हैं। सितार अमीर खुसरो ने बनाया था।

33 समूचे भारतीय संगीत के दो प्रकार रहे हैं—शास्त्रीय और लोक संगीत। लोक संगीत तो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय परंपरा के अनुसार विकसित होता रहा है। शास्त्रीय संगीत की दो शैलियाँ विकसित हुई हैं—हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी उत्तर भारत में और कर्नाटक दक्षिण भारत में विकसित हुई परंपराएँ हैं। इन दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है। अंतर इतना ही है कि उत्तर में बाहर से आने वाली जातियों ने अपने योगदान से संगीत के रूप और अलंकरण में कुछ परिवर्तन कर दिये, जबकि दक्षिण का संगीत ज्यों का त्यों बना रहा। मुसलमानों के आगमन से, भारतीय और फ़ारसी-अरबी संगीत का संगम हुआ और परिणामस्वरूप अनेक नये राग बने। हिंदुस्तानी संगीत का नया रूप निखरा।

34 नृत्य का संगीत से गहरा संबंध है। ऋग्वेद में नृत्य के अनेक उल्लेख मिलते हैं। शुंगकालीन मूर्तिकला में नृत्य करती नर्तकियों के कई रूप अंकित हुए हैं। संगीत की ही तरह नृत्य की भी दो परंपराएँ हैं—लोक और शास्त्रीय। शास्त्रीय परंपरा के भी दो रूप हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय नृत्यों में प्रमुख है कत्थक। कत्थक का विकास मुस्लिम शासकों के काल में विशेष रूप से हुआ। कहा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह कत्थक के विशेषज्ञ थे। कत्थक में भावों की अभिव्यक्ति पर बल है। दक्षिण नृत्यों में भरतनाट्यम का महत्व है। मुद्राओं और अंगों के अद्भुत संचालन से अनंत भाव व्यक्त किये जाते हैं। भरतनाट्यम के अतिरिक्त दूसरा प्रधान नृत्य केरल का कथकली है। वस्तुतः यह एक तरह का नृत्य नाटक है, जिसमें कथा की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। आंध्र प्रदेश की कुचीपुड़ी, उड़ीसा की ओडिसी, मणिपुर की मणिपुरी आदि नृत्य की लोकप्रिय शास्त्रीय शैलियाँ हैं। आधुनिक युग में इन सभी नृत्य शैलियों को संरक्षित और विकसित करने के महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं।

9.2.6 काव्यकला

35 इस इकाई में हम काव्य की चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि साहित्य का अध्ययन तो आप आगे विस्तार से करेंगे ही। यहाँ सिर्फ़ भारतीय साहित्य की प्राचीनता और विविधता को संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की कई ऋचाएँ तो साहित्यिक उत्कृष्टता लिये हुए हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में तत्कालीन लोगों के दुख-दर्द, उमंग, उल्लास और आकांक्षाएँ अत्यंत भावप्रवण और कल्पनाशील रूप में व्यक्त हुए हैं। ऋग्वेद संस्कृत की रचना है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। वाल्मीकि की रामायण और व्यास का महाभारत अमर महाकाव्य हैं ही। कालिदास, भवभूति, भास, अश्वघोष आदि कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, जिन्होंने महान काव्य ग्रंथों और नाटकों की रचना की। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी महान साहित्य की रचना हुई है। इन भाषा में मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म से प्रेरित साहित्य रचा गया। अपभ्रंश की ही विभिन्न शैलियों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। इन में हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी,, ओड़िया असमी, कश्मीरी आदि प्रमुख

हिंदी का साहित्य लगभग एक हज़ार वर्ष पुराना है और आधुनिक युग से पूर्व मुख्यतः ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मैथिली आदि बोलियों में रचा गया। दक्षिण की चार भाषाएं—तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ का साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तमिल का साहित्य तो लगभग तीन हज़ार वर्ष पुराना है। भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की गयी है और की जा रही है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचंद्र, सुब्रहमण्यम भारती, प्रेमचंद, ग़ालिब, वल्लतोल आदि कुछ प्रमुख नाम हैं।

36 प्राचीन साहित्य मुख्यतः या तो काव्य के रूप में रचा गया या नाटक के रूप में। भारत में नाट्यकला का विकास काफ़ी पुराना है। भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की पहले चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने नाट्य के विभिन्न अंगों-उपांगों पर विस्तृत विचार किया है। भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत रस सिद्धांत नाट्यकला के विकास से ही अस्तित्व में आया है। भारतीय परंपरा में भरत का स्थान वही है जो पश्चिम में अरस्तू का रहा है। भारत में रंगमंच का अद्भुत विकास हुआ था। रंगमंच, रंगशाला, अभिनय आदि पक्षों पर विस्तृत विचार किया गया है।

37 इस तरह भारतीय कला की परंपरा अत्यंत उज्ज्वल और समृद्ध रही है। ललित कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत भूमि पर आकर बसने वाली जातियों के योग से भारतीय कला को नया जीवन मिलता रहा है। आज भारतीय कला का जो भी स्वरूप हमारे सामने उभरकर आता है वह इन सभी जातियों के सामूहिक सहयोग का सुखद परिणाम है।

बोध प्रश्न

5 नीचे दिये गये उदाहरण किन कलाओं से संबंधित हैं, बताइए।

i) गंधार शैली	[ ]	ii) राजपूत शैली	[ ]
iii) कथकली	[ ]	iv) पखावज	[ ]
v) ध्रुपद	[ ]	vi) पहाड़ी कलम	[ ]

6 i) नीचे उल्लिखित नाम किसी विशेष कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक नाम उस कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बताइए।

क) कुचीपुड़ी
ख) कथकली
ग) ठुमरी
घ) ओडिसी ( )

ii) नीचे उल्लिखित नाम किसी कला की विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक नाम उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, बताइए।

क) अजंता
ख) मुग़ल
ग) राजपूत
घ) कर्नाटक ( )

7 i) स्थापत्य और मूर्तिकला की कोई दो समानताएँ बताइए।

....

....

ii) चित्रकला की विभिन्न शैलियों के नाम बताइए।

....

....

....

iii) शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियों के नाम बताइए और उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

iv) संगीत और काव्य कला की दो समान विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

9.3 व्याकरणिक विवेचन

9.3.1 विशेषण

आपने पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। इस पाठ में हमने ऐसे वाक्यों का प्रयोग अधिक किया है जिनमें वर्ण्य वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उदाहरण के लिए, स्थापत्य के अन्य नमूनों से ताजमहल की उत्कृष्टता बताने के लिए पाठ में कहा गया है "ताजमहल का अनुपम सौंदर्य"। यहां **अनुपम** ताजमहल के सौंदर्य का विशेषण है।

इसी तरह के कुछ अन्य वाक्य देखें :

क) शाहजहाँ का योगदान **अविस्मरणीय** है।
ख) हिमाचल प्रदेश के मंदिर **रमणीय** हैं।
ग) माउंटआबू के जैन मंदिर सूक्ष्म नक्काशी के लिए **विख्यात** हैं।
घ) वह **अत्यंत मनोरम** है।

अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण शब्द कौन-से होते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे **विशेषण कहते हैं**।

ऊपर के चारों वाक्यों में विशेषण क्रिया के साथ प्रयुक्त हुए हैं। जहाँ विशेषण क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, उन्हें **पूरक** या **विधेय विशेषण** कहते हैं।

ऐसे वाक्यों को हम निम्नलिखित रूपों में भी लिख सकते हैं।

क) शाहजहाँ का **अविस्मरणीय योगदान** ....

ख) हिमाचल प्रदेश के **रमणीय मंदिर** ....

ग) सूक्ष्म नक्काशी के लिए **विख्यात जैन मंदिर** ....

ऊपर के तीनों वाक्यों में विशेषण विशेष्य (संज्ञा) के साथ प्रयुक्त हुआ है। विशेष्य का अर्थ है, जिसकी विशेषता बतायी जाए। इसीलिए जहाँ विशेषण विशेष्य शब्द से पूर्व प्रयुक्त हो उसे **विशेष्य विशेषण** कहते हैं। विशेष्य आम तौर संज्ञा शब्द ही होता है। "विशेष्य विशेषण" को "पूरक विशेषण" में और "पूरक विशेषण" को "विशेष्य विशेषण" में बदल सकते हैं।

अभ्यास

1 नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त पूरक विशेषण को विशेष्य विशेषण में बदलिए।

i) उदाहरण : भारत देश धर्मनिरपेक्ष है।
भारत धर्मनिरपेक्ष देश है।

ii) रामचरित मानस नामक काव्य लोकप्रिय है।

....

iii) आगरा में स्थित ताजमहल भव्य है।

....

iv) उस नदी का पानी गंदा है।

....

v) वह व्यक्ति महान् है।

....

2 नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त विशेष्य विशेषण को पूरक विशेषण में बदलिए।

i) वह कैसा स्वस्थ बालक है।

....

ii) "गोदान" प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।

....

iii) मूर्तिकला के विकास में बौद्ध धर्म का उल्लेखनीय योगदान है।

....

iv) मौर्यकाल की मूर्तियों में अद्भुत सौंदर्य है।

....

विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित करना

विशेषण को संज्ञा में बदल कर भी हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे **"रामचरितमानस एक लोकप्रिय काव्य" को हम** "रामचरितमानस नामक काव्य की लोकप्रियता" वाक्य में **बदल सकते हैं। यहाँ लोकप्रियता संज्ञा है। "रमणीय मंदिर" को** "मंदिर की रमणीयता" में बदल सकते हैं।

अभ्यास

3 नीचे के वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों को संज्ञा में बदलिए :

i) वह कैसा **स्वस्थ** बालक है। (   )

ii) भारत देश **धर्मनिरपेक्ष** है। (   )

iii) **सादा** जीवन और **उच्च** विचार (   )

iv) वह बीमारी से **कमज़ोर** हो गया है। (   )

प्रविशेषण

इस पाठ में आपने गौर किया होगा कि जहाँ विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वहाँ कई बार अत्यंत, बहुत, अति आदि शब्दों का भी विशेषण से पहले प्रयोग हुआ है। जैसे **"अत्यंत** सुंदर मूर्तियाँ", **"विशेष** उल्लेखनीय" आदि पदों का प्रयोग। विशेषण में अधिक बल प्रदान करने के लिए "अत्यंत", "विशेष", "बहुत" जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है।

नीचे कुछ प्रविशेषण दिये गये हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करके देखिए—

अति, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, ज़्यादा, विशेष, अधिक।

विशेषण और तुलना

आपने पाठ में निम्नलिखित वाक्य पढ़े होंगे :

1 संगीत काव्य से अधिक भावप्रधान होता है। (पैरा 8)
2 स्थापत्य और मूर्तिकला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है। (पैरा 6)
3 संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। (पैरा 35)
4 इन तीनों में चित्रकला सबसे अधिक सूक्ष्म कला है। (पैरा 7)

उपर्युक्त चारों वाक्यों में विभिन्न वस्तुओं की विशेषताएँ बतायी गयी हैं किंतु दूसरी वस्तुओं की तुलना में। पहले दो वाक्यों में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की गयी है, जबकि शेष दोनों वाक्यों में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की गयी है।

दो वस्तुओं/व्यक्तियों में तुलना : जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषता को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ वाक्य रचनाएँ निम्नलिखित ढंग से होंगी।

i) राम गोपाल **से** बड़ा है।
ii) राम और गोपाल **में** राम बड़ा है।

पहले वाले वाक्य में तुलना के लिए **से** और दूसरे तरह के वाक्य में **में** का प्रयोग होगा। दोनों वाक्य रचनाओं से [illegible] आप समझ गये होंगे।

दो से अधिक वस्तुओं/व्यक्तियों की तुलना : जहाँ दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषता को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तो वहाँ वाक्य रचनाएँ निम्नलिखित ढंग से होंगी।

i) राम अपनी कक्षा में **सबसे** बड़ा है।
ii) भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी **सबसे** अधिक बोली जाती है।

आप पायेंगे कि इस तरह के वाक्यों में चूँकि तुलना दो से अधिक वस्तुओं में की गई है और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक या कम **विशेषता** युक्त माना गया है, इसलिए ऐसे वाक्यों में **सबसे** का प्रयोग होगा।

अभ्यास

4 नीचे दिये गये वाक्यों में दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की गयी है। आप इन वाक्यों को भिन्न रूप में लिखिए।

उदाहरण : i) राम श्याम से बड़ा है।
राम और श्याम में राम बड़ा है।

ii) "प्रेमाश्रम" से "गोदान" अधिक लोकप्रिय है।

....

iii) संगीत काव्य से अधिक भावप्रधान है।

....

iv) स्थापत्य और मूर्तिकला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।

....

v) इकबाल ज़फ़र से तेज़ दौड़ता है।

....

9.3.2 वाक्य-रचना

आपने इकाई 8 में विषय के सरल विवेचन के लिए भाषा के उपयोग का अध्ययन किया था। इस इकाई में हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ायेंगे।

नीचे का वाक्य पढ़िए :

मूर्तिपूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार रही है।

क्या इस वाक्य को निम्नलिखित रूप से भी लिख सकते हैं?

मूर्तिपूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार **रहा है**।

आप बता सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सही है। इसका परीक्षण करने के लिए वाक्य संरचना की जाँच करनी चाहिए।

उपर्युक्त वाक्य में रही है/रहा है क्रिया मूर्तिपूजा से निर्धारित होगी। क्योंकि "रही है" क्रिया मूर्तिपूजा (संज्ञा) से संबद्ध है। मूर्तिपूजा स्त्रीलिंग शब्द है।

"वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार" वाक्य का पूरक पद है। "का" का संबंध "आधार" से है।

एक अन्य वाक्य से इसे समझें :

वर्ग संघर्ष क्रांति का आधार रहा है।

पूरक वाक्यांश

मुख्य वाक्यांश

उपर्युक्त वाक्य में "वर्ग संघर्ष" पुल्लिंग एकवचन होने के कारण क्रिया का रूप "रहा है" सही है।

बहुवचन वाले वाक्य में क्रिया बदल जाएगी, जैसे :

उन्हें कार्य का भौतिक पक्ष कह सकते हैं।

यहाँ उन्हें बहुवचन से क्रिया भी बहुवचन के अनुसार परिवर्तित हो गयी है।

अपवाद देखिए :

नेहरूजी आधुनिकता के प्रतीक थे।

यहाँ नेहरूजी के साथ क्रिया "थे" के प्रयोग का नियम स्पष्ट है लेकिन इस 'थे' ने पूरक वाक्य के (संबंध) कारक को भी प्रभावित किया है।
यही वाक्य अगर इस रूप में लिखा हो तो वाक्य रचना के सामान्य नियमों का पालन होगा :

वह आधुनिकता का प्रतीक था।

उपर्युक्त वाक्य में एक वचन सर्वनाम के कारण पूरक वाक्य में "का" कारक का प्रयोग हुआ है। अर्थात् जहाँ व्यक्तियों के नाम का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन में होता है वहाँ पूरक वाक्य में कारक भी उसी के अनुसार बदल जाता है।

अभ्यास

5 नीचे दी गयी तालिका से पाँच सही वाक्य बनाइए।

ताजमहल	सत्य	का	अभिव्यक्ति	था।
गांधीजी	प्रेम	की	प्रतीक	थे।
वह	सौंदर्य	के	पुजारी	लगता है।

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

v) ....

9.4 सारांश

- मानविकी की भाषा का प्रयोग सीखने के साथ ही आप ने भारतीय ललित कला के विकास का परिचय भी प्राप्त किया है। इससे आप भारतीय ललित कला का विकास स्वयं अपनी भाषा में बता सकते हैं।
- इस पाठ में विशेषणों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसलिए व्याकरणिक विवेचन में 'विशेषण' के अध्ययन द्वारा आपने विशेषण का सही प्रयोग करना सीखा है। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पूरक विशेषण और विशेष्य विशेषण का अंतर स्पष्ट किया गया है। अब आप स्वयं विशेषणों का सही रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
- विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलना भी सीखा है। आप स्वयं विशेषण को संज्ञा में बदल सकते हैं। विशेषण में अधिक बल प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आप प्रविशेषण का भी सही प्रयोग कर सकते हैं।
- दो या अधिक वस्तुओं की विशेषता की तुलना वाले वाक्यों को सही रूप में लिखना भी सीखा है।
- वाक्य-रचना के अंतर्गत मुख्य वाक्यांश और पूरक वाक्यांश के संबंध को समझा है और ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग करना भी सीखा है। आप स्वयं ऐसे वाक्यों की सही रचना कर सकते हैं।

9.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भगवत शरण उपाध्याय : **भारतीय कला की भूमिका**, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110005

9.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) घ ii) ग iii) क iv) ङ v) ख

2 चित्रकला—ख, घ, ङ
मूर्तिकला—ख, ग, ङ
संगीतकला—क, च
काव्य—क, च

नृत्य—क, ख, ङ, च
नाट्य—क, ख, ङ, च
फ़िल्म—क, ख, घ, ङ, च
फ़ोटोग्राफ़ी—ख, घ, ङ

3 i) ग ii) ख

4 i) द्राविड़ शैली, नागर शैली एवं वासर शैली
ii) आगरे का ताजमहल
आगरे का लाल किला
दिल्ली की जामा मस्जिद
iii) गंधार प्रदेश में ग्रीक कलाकारों ने अपनी शैली से जिन भारतीय विषयों, अभिप्रायों, प्रतीकों का कलात्मक रूपायन किया, उन्हें गंधार शैली के नाम से जाना जाता है।

5 i) मूर्तिकला ii) चित्रकला iii) नृत्य iv) संगीत v) संगीत vi) चित्रकला

6 i) ग ii) घ

7 i) क. स्थापत्य और मूर्ति कला दोनों दिक आधारित कलाएँ हैं।
ख. दोनों कलाएँ त्रिआयामी हैं।
ii) चित्रकला की शैलियाँ : 1. अजंता 2. गुजरात 3. मुगल 4. राजपूत 5. दकनी 6. आधुनिक
iii) हिन्दुस्तानी और कर्नाटक
दोनों शैलियाँ मूलतः एक है। अंतर इतना ही है कि उत्तर में बाहर से आने वाली जातियों ने अपने योग से हिन्दुस्तानी संगीत के रूप में और अलंकरण में कुछ परिवर्तन कर दिये।
iv) क. दोनों श्रव्य कलाएँ हैं।
ख दोनों में भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो सकती है।

अभ्यास

1 ii) रामचरितमानस लोकप्रिय काव्य है।
iii) भव्य ताजमहल आगरा में स्थित है।
iv) उस नदी में गंदा पानी है।
v) वह महान् व्यक्ति है।

2 i) वह बालक कैसा स्वस्थ है।
ii) प्रेमचंद का उपन्यास "गोदान" सर्वश्रेष्ठ है।
iii) मूर्तिकला के विकास में बौद्धधर्म का योगदान उल्लेखनीय है।
iv) मौर्यकाल की मूर्तियों में सौंदर्य अद्भुत है।

3 i) स्वास्थ्य ii) धर्मनिरपेक्षता iii) सादगी और उच्चता iv) कमज़ोरी

4 ii) "प्रेमाश्रम" और "गोदान" में "गोदान" अधिक लोकप्रिय है।
iii) संगीत और काव्य में संगीत अधिक भावप्रधान है।
iv) मूर्तिकला से स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।
v) इक़बाल और ज़फ़र में इक़बाल तेज़ दौड़ता है।

5 तालिका से निम्नलिखित सही वाक्य बन सकते हैं।

i) ताजमहल सौंदर्य का प्रतीक लगता है।
ii) ताजमहल प्रेम का प्रतीक लगता है।
iii) ताजमहल सौंदर्य की अभिव्यक्ति लगता है।
iv) ताजमहल प्रेम की अभिव्यक्ति लगता है।
v) गांधीजी सत्य के प्रतीक थे।
vi) गांधी सत्य के पुजारी थे।
vii) वह प्रेम का पुजारी था।
viii) वह सत्य का पुजारी था।
ix) वह प्रेम का प्रतीक था।
x) 10. वह सत्य का प्रतीक था।

इकाई 10 विज्ञान की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द

10.0 उद्देश्य
10.1 प्रस्तावना
10.2 पेट्रोलियम
10.3 पारिभाषिक शब्द
10.4 सारांश
10.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें
10.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

विज्ञान विषयक पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी में विज्ञान विषयक लेखन से आपको परिचित कराना है। इसमें कुछ विज्ञान विषयक लेखन में भाषा की प्रकृति की पहचान कर सकेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- पेट्रोलियम शीर्षक विज्ञान विषयक पाठ को पढ़कर उसका तात्पर्य समझ सकेंगे औरपेट्रोलियम के निर्माण, शोधन तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में, उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे;
- विज्ञान विषयक पाठों के पारिभाषिक शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग के बारे मेंजान सकेंगे जिससे समान विषयों में शब्दों की सहायता से पाठ का वाचन कर सकेंगे;
- अतिरिक्त वाचन के संदर्भ में इस पाठ से संबंधित एक दूसरा गद्यांश दिया जा रहा है जिससे आप स्वयं पहचान सके कि आप विषय का वाचन कैसे कर सकते हैं; और
- गद्यांश के माध्यम से स्पष्ट की गयी जानकारी को अर्थ ग्रहण के संदर्भ में सुनिश्चित करने के लिए तालिकाओं और रेखाचित्रों के प्रयोग के बारे में भी सीखेंगे जिससे पढ़ी हुई बात को व्यवस्थित रूप से मन में धारण कर सकें।

10.1 प्रस्तावना

आपने खंड-एक की इकाई 3 में ''मानव की उत्पत्ति और विकास'' नामक विज्ञान विषयक पाठ का अध्ययन किया है। उक्त इकाई में आपने जीवों के विकास क्रम में मानव की उत्पत्ति का अध्ययन किया था। आपने यह भी पढा था कि सभ्यता केआरंभिक चरण में मनुष्य किस तरह का जीवन-यापन करता था। इसके लिए पाठ में पाषाण युग और नवपाषाण युग की विशेषताओं की चर्चा की गई थी। आज सभ्यता बहुत आगे बढ़ चुकी है। मनुष्य सभ्यता के आरंभिक चरणों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब वह औद्योगिक सभ्यता के युग में जी रहा है। अब वह पक्के, मज़बूत व हवादार घरों में रहता है। स्वचालित वाहनों मे यात्रा करता है जो जल, थल और वायु तीनों मार्गों में विचरण करते हैं और इतनी तीव्र गति से कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुँच सकते हैं। घर बैठे हम सारी दुनिया में घटने वाली घटनाओं को टी.वी. पर, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह सब संभव हुआ है वैज्ञानिक उन्नति के कारण। लेकिन यह वैज्ञानिक उन्नति संभव नहीं होती यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज न की होती। पेट्रोलियम की खोज का मानव प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में हम पेट्रोलियम की खोज, उसका खनन और उससे बनने वाले अन्य उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे।

पेट्रोलियम की खोज जितनी महत्वपूर्ण घटना है उतना ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि पेट्रोलियम के भंडार पृथ्वी के अंदर निश्चित मात्रा तक ही हैं और उनका अनियंत्रित दोहन किया जाता रहा तो उनके शीघ्र खत्म होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज की जाये। आपको इस इकाई में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होगी।

इकाई 3 में हमने विज्ञान से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया था। इस पाठ में और अगले पाठ में भी आप विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग देखेंगे। पारिभाषिक शब्द क्या है और विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन में इनका क्या महत्व है यह जानना जरूरी है। इस इकाई में पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और प्रयोग, उनके अंग्रेज़ी समानार्थक शब्द तथा एक ही अध्ययन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का परिचय भी आप प्राप्त करेंगे।

10.2 पेट्रोलियम

पृथ्वी का जन्म

1 लगभग साढ़े चार सौ करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। उस समय पृथ्वी एक लाल तपे हुए गोले के समान थी। उस समय जीव की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि **वायुमंडल** में तब प्राण देने वाली आक्सीजन गैस का पता तक नहीं—केवल कार्बन डाइ-आक्साइड, **वाष्पकण** और कुछ अंश में नाइट्रोजन आदि गैसें हीं थी। फिर करोड़ों वर्ष निकल गये। पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी पड़ने लगी। पृथ्वी का भीतरी भाग तो बहुत गर्म और पिघली अवस्था में बना रहा किंतु ऊपरी सतह ठंडी होकर उबड़-खाबड़ कड़ी पपड़ी जैसी हो गई। इस प्रकार ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और छिछले और गहरे समुद्र की तरह गड्ढे बन गये। फिर और समय बीता। वायुमंडल में परिवर्तनों के कारण बाष्पकण मेघों के रूप में बने और तापमान कम होने पर मूसलाधार बारिश होने लगी। वर्षा से झीलों और समुद्रों की सृष्टि हुई और पहाड़ों से निचली भूमि पर जाने वाली नदियाँ बनीं। यह भयंकर वर्षा-युग बड़े लंबे समय तक बना रहा।

प्रथम जीवों की सृष्टि

2 फिर आज से करोड़ों वर्ष पहले जीवों की सृष्टि हुई। सबसे पहले **उद्भिद्** जीव पैदा हुए जो आजकल के **शैवाल** से मिलते-जुलते थे। इन के लिए आवश्यक पोषक तत्व—जल और कार्बन डाइ-आक्साइड—पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में थे, सो ये उद्भिद् पूरी पृथ्वी पर छा गये। फिर उन अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिनका आहार ये उद्भिद् थे। ये प्राणी आजकल के जल में रहने वाले सीपी, घोंघा आदि से मिलते-जुलते थे। इन प्राणियों की उत्पत्ति से जो जीवन-चक्र बना, वह आज तक निरंतर चला आ रहा है—उद्भिद् कार्बन डाइ-आक्साइड ग्रहण करते थे और आक्सीजन छोड़ते थे, अन्य प्राणी आक्सीजन ग्रहण करते थे और कार्बन डाइ-आक्साइड छोड़ते थे। इस प्रकार ये एक-दूसरे के पूरक थे और एक-दूसरे का पोषण-संवर्धन करते थे। सभी जीव नश्वर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर छाये ये उद्भिद् और अतिलघु जीवजंतु मरते थे और समुद्रतल में गले-सड़े उद्भिद् और करोड़ों जीवों के मृत शरीर जमा होते थे। इनके ऊपर नदियों से निरंतर लायी हुई लाखों टन मिट्टी-कंकड़ जमा होते थे। इस तरह यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। आंतरिक **ताप** और भारी ऊपरी **दाब** के कारण इन जैव-कंकालों से एक नया तरल-सा पदार्थ बना जिसे खनिज-तेल कहते हैं। "पेट्रोलियम" इसी खनिज तेल का वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है और इसके अंतर्गत कई तेल जिन्हें हम मिट्टी का तेल, डीज़ल, पेट्रोल, एस्फाल्ट आदि से जानते हैं, आते हैं।

चट्टानों के भेद

3 किंतु आप यह कह सकते हैं कि पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि तो पानी से हलके होते हैं फिर ये समुद्र के तल से ऊपर पानी की सतह पर तैरते हुए क्यों नहीं मिलते या पृथ्वी के ऊपर पानी के कुओं की तरह सामान्यतया क्यों नहीं मिल जाते। इसके लिए आपको चट्टानों की रचना पर ध्यान देना होगा। पृथ्वी के आरंभिक काल में जब निरंतर वर्षा होती रहती थी और वर्षा का पानी जब पहाड़ों से बहते हुए समुद्र में पहुँचता था तब अपने साथ वह बड़ी मात्रा में कंकड़ मिट्टी ले जाता था। उनसे समुद्र तल पर तहें बनती जाती थीं। बरसों तक लाखों टन मिट्टी एक-दूसरे के ऊपर तहों के रूप में जमा होती रहती थी और लंबे समय के बाद कड़ी होने पर चट्टानें बन जाती थीं। एक के ऊपर एक स्तरों (तहों) में होने के कारण इन्हें **स्तरित चट्टानें** कहते हैं। इनमें से तरल पदार्थ रिस सकता है और ये अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। किंतु पृथ्वी में एक दूसरी तरह की चट्टानें भी बन रही थीं। पृथ्वी भीतर से अत्यधिक गर्म है और वहाँ पिघली अवस्था में धातुमिश्रित पदार्थ थे। ये पदार्थ जब ऊपर फूट पड़ते थे तो कड़ी चट्टानें बना देते थे। आग से तपने के कारण ये चट्टानें कठोर और अभेद्य होती थीं। अग्नि से बनने के कारण ये **आग्नेय चट्टानें** कही जाती हैं।

पेट्रोलियम के मूल स्रोत

4 पेट्रोलियम स्तरित चट्टानों के भीतर रिसता रहता है और रिस-रिस कर जगह-जगह इकट्ठा हो जाता है; किंतु आग्नेय चट्टानों के पार नहीं जा सकता है, वहीं रुक जाता है। चूँकि स्तरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें पृथ्वी में बेतरतीब फैली हुई हैं इसलिए पेट्रोलियम स्तरित चट्टानों के बीच फँस जाता है। इस प्रकार खनिज **तेल के कुंड** पृथ्वी के भीतर बन जाते हैं। कुंड के नीचे और अगल-बगल आग्नेय चट्टानें होती हैं, इसलिए पेट्रोलियम वहाँ युगों तक जमा रहता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में, जगह-जगह **भ्रंश** होते हैं, जहाँ चट्टानें टूट जाने के कारण ऊँची-नीची होती हैं। **भ्रंश** से उत्पन्न दरार पर रिसता हुआ पेट्रोलियम धरती की सतह पर आ जाता है और तेल की छोटी-सी झील बन जाती है। ऐसे तेल को वैज्ञानिक "निस्यंदन तेल" कहते हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम दो प्रकार से मिलता है—तेल कुंडों से, और निस्यंदनी झीलों से।

निस्यंदन तेल

5 सबसे पहले लोगों की दृष्टि में पेट्रोलियम "निस्यंदन तेल" के रूप में आया, क्योंकि यह सतह पर मिलता था और इसके लिए **भू-खनन** (पृथ्वी खोदने) की आवश्यकता नहीं थी। यह तेल पानी की तरह तरल नहीं होता बल्कि कुछ गाढ़ा होता है। ऊपर वायुमंडल के संपर्क में यह कुछ सूख जाता है और कुछ काले कठोर पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है। गरमी पाकर यह नरम चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसे **एस्फाल्ट** या बिटूमन कहते हैं। एस्फाल्ट के बीच से पानी नहीं रिस सकता। इस गुण को देखते हुए प्राचीन काल में लोग इसे जहाज़ों के तख्तों के जोड़ों में भर देते थे। जहाज़ों के तले और भीतरी सतहों पर भी यह लगाया जाता था। मकान बनाने में भी पत्थर जोड़ने में लोग इसे काम में लाते थे। दक्षिण अमेरिका की अत्यंत प्राचीन इन्का सभ्यता और प्राचीन बेबीलोनी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि एस्फाल्ट को वे काम में लाते थे। मध्य युग में निस्यंदन तेल खुजली तथा घावों पर मलहम के रूप में प्रयुक्त होता था और कुछ दवाइयाँ भी इससे बनती थीं। पिछली सदी में एक वैज्ञानिक ने इंग्लैंड में इसे साफ़ करने की विधि निकाली। साफ़ करने से तीन प्रकार के पदार्थ

प्राप्त हुए- सबसे पतला लाल पदार्थ दीपू में प्रकाश करने में, उससे भारी मशीनों में लुब्रिकेंट तेल रूप में और सबसे गाढ़ा मोमबत्ती बनाने में काम आता था।

6 इस प्रकार निस्यंदन तेल से तो लोग प्राचीनकाल से निरन्तर न्यूनाधिक परिचित रहे हैं किन्तु भू-खनन द्वारा तेल-कुंड से पेट्रोलियम प्राप्त करने की जानकारी दो-तीन सौ साल के भीतर की है। चीन में अवश्य लगभग दो-हज़ार साल पहले पृथ्वी से कूपखनन द्वारा तेल निकालने और बाँस की नली से बनी पाइप -लाइनों द्वारा उसे दूर लेजाने के उल्लेख मिलते हैं, किंतु अधिक विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है। पिछली सदी में कूपखनन द्वारा तेल निकालने की कहानी बड़ी रोचक है। जब यूरोप से लोग जा-जाकर अमेरिका में बसने लगे तो पीने के पानी की समस्या सामने आयी। स्वभावतः कुएँ खोदे गये, पर अनेक स्थानों पर पानी की जगह अजीब सा तेल निकला। पहले तो ऐसे कुएँ छोड़ दिये जाते थे, किंतु बाद में किसी समझदार व्यक्ति ने यह परीक्षण किया कि क्या प्रकाश-व्यवस्था में इसका वनस्पति तेल के स्थान पर, प्रयोग किया जा सकता है। आरंभ में तेल में लौ लगाते ही वह तुरंत फक से जल जाता था लेकिन रोशनी कम, काला धुंआ अधिक देता था। बाद में उस तेल को शुद्ध करने का प्रयास किया गया और पता चला कि शुद्ध किया गया तेल साफ़-सफ़ेद रोशनी देता है। धीरे-धीरे इस तेल की माँग बढ़ी। कुओं को भी गहरे खोदने का प्रयत्न किया गया। सन् 1859 में अमेरिका के पेन्सिलवैनिया राज्य में तेल का पहला कूप खोदा गया और इस खनन-कार्य का संचालन रेल कंपनी के एक गार्ड एडविन ड्रेक ने किया था। 17 अगस्त, 1859 को कूप के निचले तल से फौआरे की तरह तेल फूट निकला। सभ्यता के इतिहास में वह एक महत्वपूर्ण क्षण था।

तेलकुंडों की खोज

7 पहले निस्यंदन स्थान के पास तेल-कूप खोदे जाते थे। किंतु इन स्थानों पर तेल की मात्रा सीमित रहती है क्योंकि भूकंप या अन्य कारणों से मूल स्रोत से निस्यंदन स्थान का मार्ग कठोर चट्टानों से अवरुद्ध हो सकता है और यह भी हो सकता है कि मूल स्रोत उस स्थान से बहुत दूर हो। वास्तव में भूगर्भ में स्थित तेलकुंडों पर ही यह भरोसा किया जा सकता है कि लंबे काल तक बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम मिल सके। पर ये तेलकुंड पर्याप्त गहराई में होते हैं और ऊपर से पता नहीं चल पाता। तेलकुंडों की खोज ही वस्तुतः सबसे कठिन कार्य है, एक बार मिल गये तो फिर शेष काम आसान हो जाते हैं। नयी-नयी वैज्ञानिक विधियों ने इसे पहले की तुलना में तो सरल कर दिया है, फिर भी यह खोज लंबे समय और प्रचुर धनराशि की अपेक्षा रखती है।

8 सबसे पहले वायुयानों से चप्पे-चप्पे के फ़ोटो लिये जाते हैं। फिर जिस स्थान पर तेल मिलने की संभावना होती है वहाँ वैज्ञानिक विधि से अध्ययन और परीक्षण किये जाते हैं। यह अध्ययन-परीक्षण तीन दृष्टियों से होते हैं —**भूगर्भ-शास्त्रीय, भू-भौतिकीय** और **भू-रासायनिकीय। भूगर्भ-शास्त्र** द्वारा वहाँ की चट्टानों की संरचना आदि का पता लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि स्तरित चट्टानें कहाँ हैं, आग्नेय चट्टानें कहाँ हैं। ये एक दूसरे पर किस क्रम तथा व्यवस्था से पड़ी हैं, वे कौन-से स्थान हैं जहाँ आग्नेय-चट्टानों ने कुंड बना लिये हैं। इसे जानने के लिए धरती के भीतर किसी स्थान पर विस्फोट करते हैं। विस्फोट से तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विभिन्न चट्टानों की सतहों पर जाकर टकराती हैं और टकराकर लौटती हैं। इस प्रतिध्वनि को **भू-फोन** ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार प्रति ध्वनित तरंगों से रेडार वस्तुओं की प्रकृति व दूरी का पता लगाते हैं, उसी प्रकार भू-फोनों से पता चल जाता है कि स्तरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें कहाँ किस प्रकार फैली हैं। भू-भौतिकी द्वारा **गुरुत्वाकर्षण** और **चुंबकीय-शक्ति** को नापते हैं। और इनके मामूली से मामूली अंतरों से तेलकुंड की संभावित स्थिति का पता लगाते हैं। भू-रासायनिकी द्वारा ऊपरी पत्थरों और अलग-अलग स्थलों पर खान से प्राप्त मिट्टी की रासायनिक परीक्षा करते हैं और खनिज तेल की प्राप्ति के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। तेल कुंड प्रायः दुर्गम स्थानों, घने जंगलों, रेगिस्तानों और समुद्रतलों में होते हैं इसलिए खर्चा और भी बढ़ जाता है। कभी-कभी तो करोड़ों रुपये खर्च करके भी केवल निराशा हाथ आती है।

तेल कूपों का खनन

9. जब एक बार खोज के बाद तेल का पता चल जाता है तो तेल कूप का खनन आरंभ होता है। इस। लोहे की ऊंची टिप्पणी में नारे बनाई जाती हैं जिन्हें **'डेरिक'** कहते हैं। खुदाई के यंत्र को ड्रिलिंग रिंग कहते हैं। इसके मुंह पर मजबूत दांतो वाली तीन चक्कियाँ तेजी से घूमती हैं जो मजबूत से मजबूत पत्थर को काट देते हैं। यह दूसरी बात है कि आग्नेय चट्टानों में कभी-कभी पांच-छः फुट में ही इनके दांत टूट जाते हैं और बार बार उनको बदलना पड़ता है। इसे काटने में यंत्र का काटने वाला भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसे निरंतर ठंडा किया जाता है। पहले कीचड़ के साथ मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकडे और कुछ कड़ी चट्टानों के अंश निकलते हैं। वैज्ञानिक निरंतर इन सब की रासायनिक परीक्षा करते रहते हैं और तेल कितनी दूर पर हो सकता है इसका पता लगाते रहते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि तेल की सतह पर खोदने वाले यंत्र की रगड़ से तेल और गैस, बड़े वेग से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, आग पकड़ सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो पूरा तेल जल कर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कूप- खनन एक दुष्कर और जोखिम भरा कार्य है। इसलिए इसमें सभी प्रकार के सावधानियाँ निरंतर रखी जाती हैं।

तेल का शोधन

10. आरंभ में तेल बड़ी तेजी से निकलता है और उसे तुरंत पाइपों के द्वारा बड़ी-बड़ी टंकियों में भेज दिया जाता है। फिर धीरे-धीरे वेग कम हो जाता है और अंत में पंप की सहायता से तेल निकाला जाता है। तेल से सबसे पहले प्राकृतिक गैस को वहीं तेलकूप पर अलग कर दिया जाता है। इसी गैस के तरलीकृत रूप से हमारे घरों में गैस के चूहे जलते हैं। शेष अपरिष्कृत तेल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेट्रोलियम या खनिज तेल कहा जाता है, तेल शोधन कारखानों में लंबी-लंबी पाइप लाइनों द्वारा भेज दिया जाता है। तेल शोधन-शाला (रिफाइनरी) में इस तेल को गर्म किया जाता है। विशाल भट्ठी में फैले

फ़ौलाद के पाइपों के बीच से तेल को गुज़ारा जाता है। मुख्य शोधन-प्रक्रिया बेलनाकार मीनार में होती है। गोल मीनार लगभग 30 मीटर ऊँची और औसतन 5 मीटर व्यास की होती है। इसमें अलग-अलग ऊँचाइयों पर ट्रे लगी होती है। सबसे नीचे की मंजिल पर भट्टी से तप्त खनिज तेल गैस रूप में होता है। इससे ऊपर की मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते यह गैस ठंडी हो जाती है और तेल की भारी गैस बगल के ट्रे में गाढ़ी होकर लुब्रीकेटिंग (मशीन के तेल) को पैदा करती है। इसी प्रकार इससे ऊँची मंजिल से डीज़ल तेल, उससे ऊपर मिट्टी का तेल, उससे ऊपर पेट्रोल क्रमशः ट्रे में जमा होता रहता है। सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस रूप में रह जाता है और सबसे नीचे कुछ गाढ़े पदार्थ बच जाते हैं जैसे, पैराफिन (जिससे मोमबत्ती बनती है), एस्फाल्ट-बिटुमन (तारकोल आदि जिससे रंग और सुगंधित इत्र आदि बनते हैं), सफ़ेद तेल (जो दवाइयों आदि में प्रयुक्त होता है) आदि।

भारतीय स्थिति

11 भारत में कूप खोजने व खनन करने, पाइप-लाइन बिछाने व रख-रखाव करने, शोधन शालाओं में शोधन आदि करने का उत्तरदायित्व "तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग" को सौंपा गया है। डिगबोई और बंबई हाई तेल के बड़े स्रोत हैं। इन जगहों का और बाहर से आयात किया हुआ तेल बंबई, कोचीन, बरौनी, गुवाहाटी, बड़ौदा, हल्दिया, मथुरा आदि की तेल शोधनशालाओं में परिष्कृत किया जाता है। वर्तमान विकास को देखकर कहा जा सकता है कि हम तेल के मामले में बड़ी सीमा तक आत्म-निर्भर हो जाएँगे।

10.3 पारिभाषिक शब्द

यह पाठ विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान के विषयों में विषय से संबंधित विचार विशिष्ट शब्दों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जैसे, हम सब सामान्य बोलचाल की भाषा में चट्टान शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन भूविज्ञान में चट्टानों के प्रकारों को अलग-अलग शब्दों से दिखाने की आवश्यकता पड़ती है जैसे इस पाठ में स्तरित और आग्नेय चट्टानों की बात कही गई है। ऐसे विशिष्ट विचारों के विशिष्ट शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द (technical terms) कहा जाता है। हमने इकाई तीन में पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। अगर हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लें तो उससे व्यक्त हुए विचार जान सकते हैं और विषय को समझ सकते हैं।

"पारिभाषिक" शब्द की रचना "परिभाषा" (definition) शब्द से हुई है। एक परिभाषा देखिए—
भूविज्ञान—वह विषय जिसमें हम पृथ्वी की रचना के बारे में पढ़ते हैं।

नीचे पाठ में आये कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है।

पैरा

1. **वायुमंडल** : पृथ्वी के चारों ओर कई तरह की गैसें व्याप्त हैं इन गैसों को वायु कहा जाता है और इनसे बनने वाले पूरे वातावरण को वायुमंडल कहते हैं।

1. **वाष्पकण** : वायुमंडल में व्याप्त पानी के वे छोटे-छोटे कण जो वाष्प रूप में होते हैं।

2. **उद्भिद्** : बालों के लच्छों की तरह पानी में फैलनेवाली एक घास। यह अत्यंत निम्नकोटि का उद्भिद् है जिसमें जड़ आदि अलग नहीं होती।

2. **शैवाल** : भूमि को भेदकर उत्पन्न होने वाला, जो जमीन फोड़कर निकलता हो। उद्भिद् सजीव होता है और प्राणिगण की भांति जन्म लेता और मरता है। मस्तिष्क न रहते भी यह अनुभव की शक्ति रखता है।

7. **भूगर्भ** : पृथ्वी का आंतरिक भाग।

5. **भूखनन** : पृथ्वी में की जाने वाली खुदाई।

7. **भूकंप** : पृथ्वी के भीतर किसी स्थान पर अचानक विस्फोट से उसके चारों ओर की चट्टानें बिखरने लगती हैं। चट्टानों के आगे-पीछे खिसकने से तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों से पृथ्वी के ऊपरी भाग में भी कंपन होता है, इसे ही भूकंप कहते हैं।

8. **भूगर्भशास्त्र** : विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि की भीतरी बनावट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। **भूगर्भशास्त्रीय** : भूगर्भशास्त्र से संबंधित। **भूभौतिकी** :भूमि के भीतरी भाग का भौतिकशास्त्रीय अध्ययन। **भूरासायनिकी** : भूमि के भीतरी भाग का रसायनशास्त्रीय अध्ययन।

2. **ताप** : शाब्दिक अर्थ गर्मी—उष्णता—प्रत्येक वस्तु (सजीव और निर्जीव) किसी-न-किसी ताप पर रहती है जिसमें बाहरी या आंतरिक परिवर्तन से उतार-चढ़ाव भी आता है। ताप को मापने के यंत्र को तापमापक यंत्र (थर्मामीटर) कहते हैं। थर्मामीटर द्वारा मापी गयी ताप की मात्रा को तापमान या तापक्रम कहते हैं। ताप के लिए ऊष्मा (heat) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है किंतु ऊष्मा को मापने के अर्थ में "ताप" शब्द का ही प्रयोग होता है।

2. **दाब** : शाब्दिक अर्थ—दबाने का भाव—प्रत्येक वस्तु (सजीव और निर्जीव) ताप की ही तरह दाब में भी रहती है अर्थात् उसके चारों ओर का वातावरण उस पर निश्चित दबाव डालता है। दाब के बढ़ने या घटने से वस्तु की स्थिति और रूप में भी परिवर्तन आता है। ताप और दाब में भी गहरा संबंध है। दाब बढ़ने से तापमान बढ़ता है और दाब घटने से तापमान घटता है। जैव कंकालों पर आंतरिक ताप और ऊपरी भारी दाब से ही तरल पदार्थों का निर्माण हुआ जो आज खनिज़ तेल के रूप में उपलब्ध है।

4. **भ्रंश** : (फ़ाल्ट) —पृथ्वी के भीतर चट्टानों की कई तहें होती हैं। ये चट्टानें बेतरतीब होती हैं। कहीं चट्टानों की सतह कम ढलाव लिये होती है और कहीं अधिक ढलाव लिये। इस कारण पृथ्वी की इस भीतरी रचना में कई स्थलों पर चट्टानें टूट जाती हैं जिन्हें भ्रंश (फ़ाल्ट) कहते हैं।

8. **गुरुत्वाकर्षण** : भार के कारण वस्तु का पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाना। जैसे हम किसी वस्तु को हाथ से छोड़ें तो वह सीधे पृथ्वी की ओर जाएगी।

8. **चुंबकीय शक्ति** : चुंबक—एक तरह का प्राकृतिक या कृत्रिम पत्थर जो लोहे को अपनी ओर खींचता है—चुंबकीय शक्ति—अपनी ओर खींचने की शक्ति। पाठ में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति की ओर संकेत है क्योंकि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। चुंबक की तरह पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी।

8. **भूफ़ोन (geophone)** : पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली किसी उथल-पुथल या विस्फ़ोट के कारण उठने वाली तरंगों को ग्रहण करने वाला यंत्र। इसमें हम चट्टानों की स्थिति का पता लगाते हैं।

8. **रेडार (radar)** : एक ऐसा यंत्र जो वायु तरंगों से आकाश में विचरण करने वाली वस्तुओं की प्रकृति व दूरी का पता लगाता है।

सोनार (sonar) : वह यंत्र जो जल तरंगों से जल के भीतर की वस्तुओं की दूरी नापता है।

8. **तेल कुंड** : पृथ्वी के भीतरी भाग में जहाँ खनिज तेल का भंडार हो उस जगह को तेल कुंड कहते हैं। **तेलकूप**—भूखनन द्वारा जिस जगह से तेल निकाला जाए, उसे तेलकूप कहते हैं।

9. **डेरिक (derrick)** : तेल खनन के लिए तेल कूपों में लगाया जाने वाला लोहे का ऊँची-ऊँची तिकोनी मीनारों वाला यंत्र।

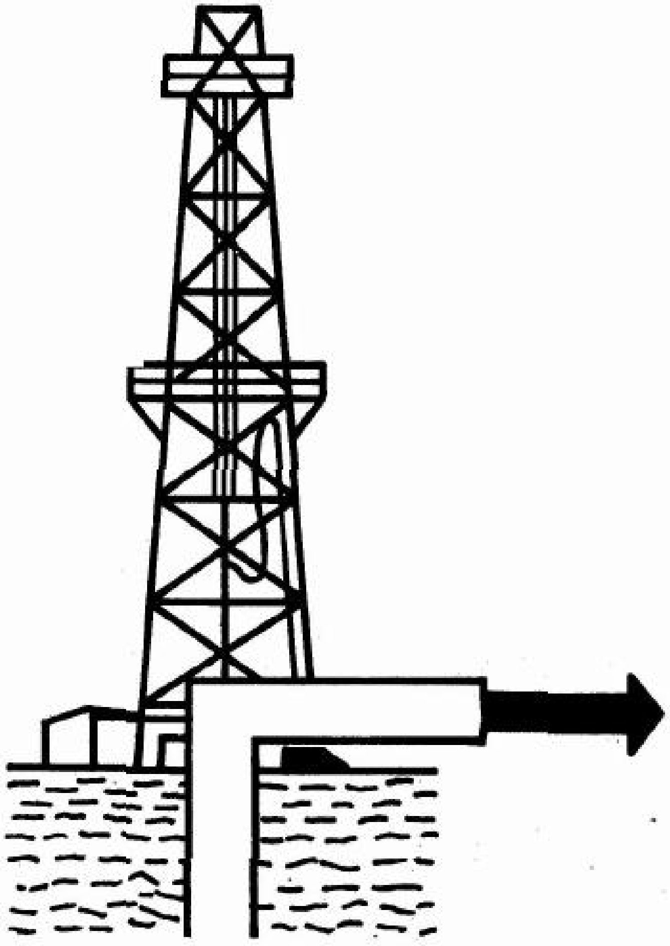

डेरिक का रेखाचित्र

9 **ड्रिलिंग रिग (drilling rig) :** तेलकूपों में से तेल खनन करने वाला यंत्र।

10 **शोधन**—खनिज तेल (पेट्रोलियम) जब निकाला जाता है तो अपरिष्कृत (crude) अवस्था में होता है। इन्हें शोधनशालाओं में शोधित (साफ़) किया जाता है। खनिज तेल को साफ़ करने की इस प्रक्रिया को शोधन प्रक्रिया (refining) कहते हैं। शोधन के द्वारा डीज़ल (diesel), मिट्टी का तेल (kerosene), पेट्रोल (petrol), पैराफिन (paraffin), जिससे मोम तैयार किया जाता है, एस्फाल्ट (asphalt) जिससे डामर मिलता है, लुब्रीकेटिंग आयल आदि पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं।

प्राकृतिक गैस: भूखनन से (पृथ्वी को खोदकर) जो अपरिष्कृत तेल (crude oil) प्राप्त होता है, उसमें आरंभ में ज्वलनशील गैस निकलती है जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। यही गैस घरों में खाना बनाने में काम आती है। यह प्राकृतिक गैस वैसे तो अधिक दाब में द्रव (liquid) रूप में रहती है किंतु सामान्य तापक्रम पर यह गैस में परिणत हो जाती है।

बोध प्रश्न

आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। नीचे कुछ स्वपरख अभ्यास दिये जा रहे हैं इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गए उत्तरों से मिलाइए।

1 निम्नलिखित वाक्यों के संबंध में बताइए कि वे सही हैं या गलत।

i) पृथ्वी आरंभ में बिल्कुल ठंडी थी। (सही/गलत)

ii) खनिज तेल उद्भिदों और लघु जीव-जंतुओं के मृत शरीरों से बनता है। (सही/गलत)

iii) तेल कुंडों के चारों ओर की दीवारें चट्टानों की बनी होती हैं। (सही/गलत)

iv) निस्यंदन तेल बहुत गहरे तेलकुंडों में मिलता है। (सही/गलत)

v) तेल शोधनशाला में सबसे नीचे की मंजिल में डीज़ल होता है। (सही/गलत)

2 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ के अनुसार कीजिए।

i) पृथ्वी पर सबसे पहले .... पैदा हुए।

ii) पानी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी-कंकड़ से .... चट्टानें बनीं।

iii) कूप खनन के बाद नीचे से तेल .... निकाला जाता है।

iv) तेल खोजने के परीक्षण तीन दृष्टियों से होते हैं—भूगर्भशास्त्रीय, ..., भू-रासायनिकीय।

v) आग्नेय चट्टानों में ड्रिलिंग यंत्र के दाँत कभी-कभी .... फुट में ही टूट जाते हैं।

3 निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) मिट्टी का तेल पानी से .... होता है। (हलका/भारी)

ii) आग्नेय चट्टानें स्तरित चट्टानों की अपेक्षा .... होती हैं। (कठोर/मुलायम)

iii) निस्यंदन तेल .... होता है। (पतला/गाढ़ा)

iv) निस्यंदन तेल गरमी पाकर नरम चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जिसे .... कहते हैं। (लुब्रीकेटिंग आयल/एस्फाल्ट)

4 i) एस्फाल्ट को साफ करने से तीन प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे हैं।

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

ii) पृथ्वी में तेल का पता लगाने के लिए निम्नलिखित तीन परीक्षण किये जाते हैं।

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

5 आपने इस इकाई में दो तरह की चट्टानों के बारे में पढ़ा है

(क) स्तरित चट्टानें और (ख) आग्नेय चट्टानें

नीचे दोनों तरह की चट्टानों के रेखाचित्र दिये गये हैं।

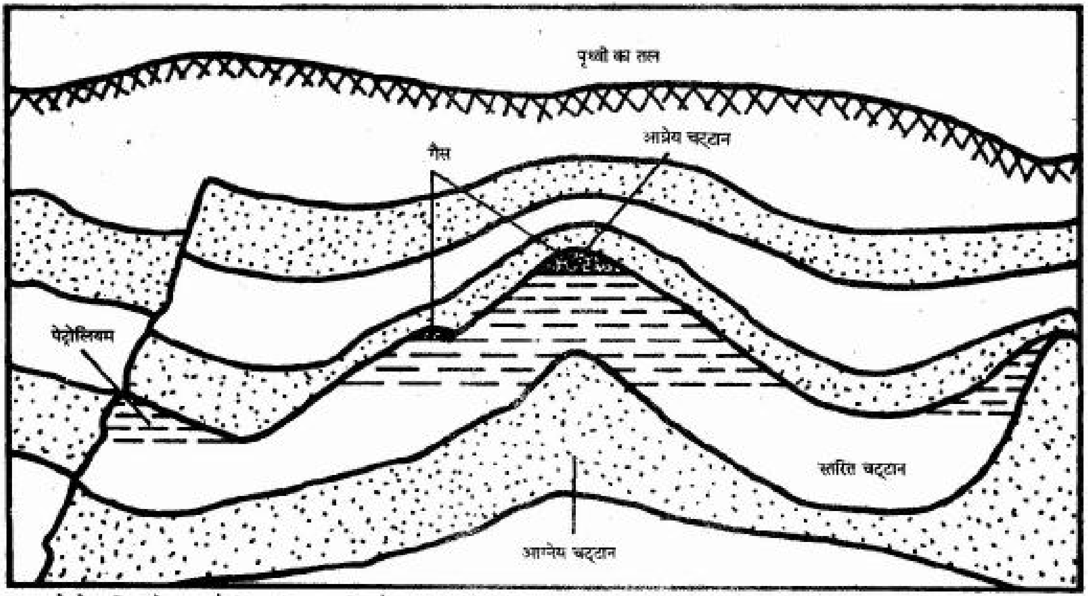

ऊपर के रेखाचित्र से स्पष्ट है कि स्तरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें किस तरह की होती हैं।

i) इसी तरह पृथ्वी से निकाले गये पेट्रोलियम को शोधित किये जाने पर विभिन्न तरह के पेट्रोलियम पदार्थ तैयार होते हैं। नीचे के रेखाचित्र में बताइए कि किन स्तरों पर कौन-सा तेल उपलब्ध होता है।

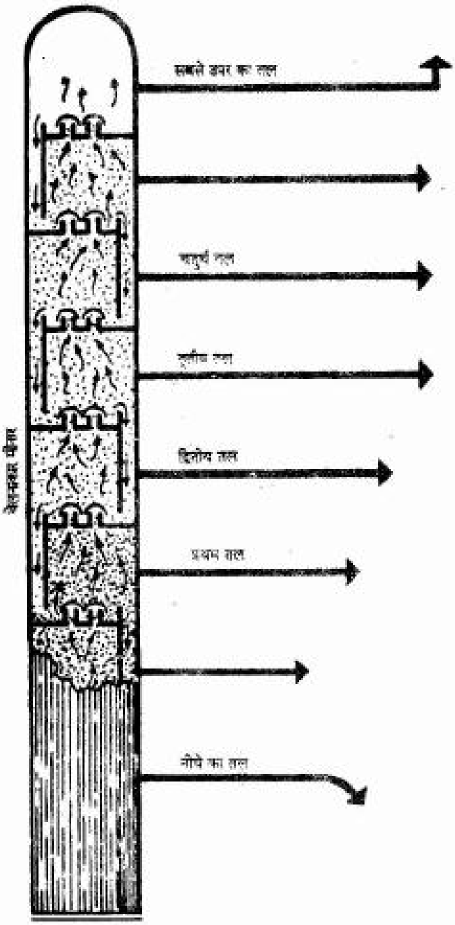

ii) नीचे के आरेख में विभिन्न स्तरों पर तेल की खोज के लिए आवश्यक विधियों को रेखांकित कीजिए।

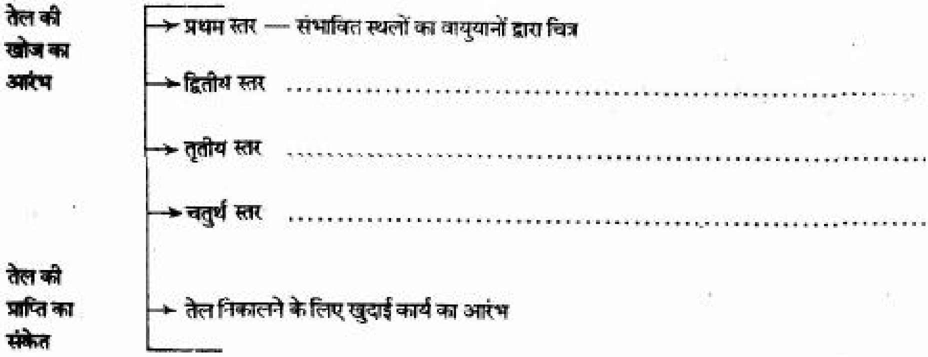

6 **आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पाठ के पहले पैरा में पृथ्वी के जन्म से लेकर समुद्रों और झीलों तक के निर्माण को बताया गया है। आप पाएँगे कि इस प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए इस क्रम को नीचे देख सकते है :**

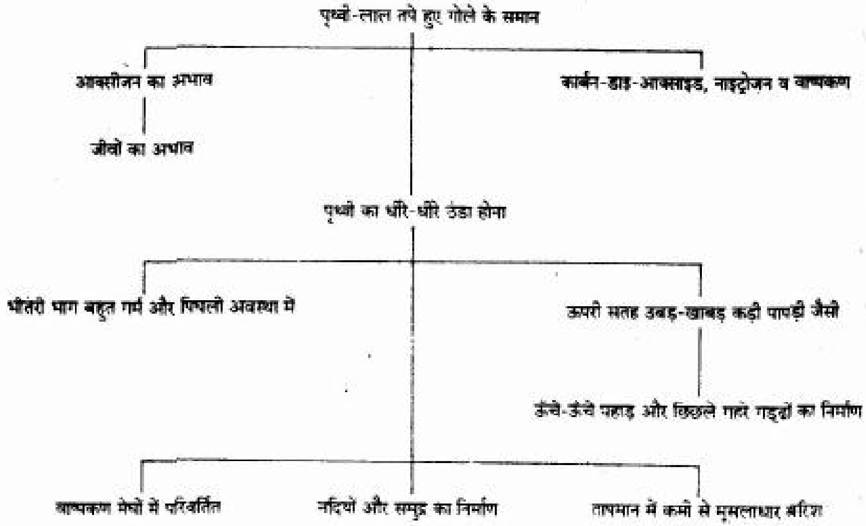

उपर्युक्त विधि से पैरा 2 के आधार पर पेट्रोलियम की उत्पत्ति दर्शाइए।

अतिरिक्त अध्ययन

आपने इस इकाई में ऊर्जा के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है। ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवनयापन में निरंतर रहती है। भोजन बनाने, प्रकाश करने, मशीन चलाने और वाहन के संचालन में ईंधन के रूप में किसी-न-किसी ऊर्जा का उपयोग होता है। मनुष्य परंपरागत रूप से लकड़ी, कोयला आदि का ऊर्जा के रूप में उपयोग करता था। किंतु वैज्ञानिक उन्नति ने मनुष्य को नये ऊर्जा स्रोतों को खोजने के लिए प्रेरित किया। पेट्रोलियम पदार्थों की खोज इसी का नतीजा है। विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा भी ऊर्जा के नये स्रोत हैं। विद्युत ऊर्जा के लिए जल और ताप विधियों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ अब भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं किंतु इन्हें पृथ्वी से खनन करके निकाला जाता है और इनके भंडारों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस दृष्टि से नाभिकीय ऊर्जा का महत्व है। किंतु नाभिकीय ऊर्जा के अपशिष्टों से उत्पन्न खतरों के कारण इसके उपयोग को सुरक्षित नहीं समझा जाता। इसलिए ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोतों की खोज की जा रही है जिनके समाप्त होने का भय न रहे। सौर ऊर्जा ऐसा ही स्रोत है। इसके अतिरिक्त जल और वायु के संचालन से भी ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी ऊर्जा के इन प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। यद्यपि ये ऊर्जा स्रोत प्रकृति द्वारा निशुल्क प्रदत्त हैं किंतु इन्हें प्रयोग में लाने के लिए कम लागत और तुरंत एवं सरलतापूर्वक तैयार हो सकने योग्य तकनीक का विकास किया जाना है। यह भी जरूरी है कि इनका उपयोग सर्वत्र किया जा सके और ऊर्जा को सुरक्षित रखा जा सके ताकि बाद में भी उपयोग में लायी जा सके।

कुछ और पारिभाषिक शब्द

ऊर्जा : ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ है शक्ति। किंतु यहाँ इसका अर्थ है वह शक्ति जिससे कोई कार्य किया जा सके।

विद्युत ऊर्जा : विद्युत, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह ऊर्जा ताप और जल से प्राप्त की जाती है और दूर-दूर तक तारों द्वारा पहुँचायी जाती है।

नाभिकीय ऊर्जा : परमाणु शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा। इसमें यूरेनियम नामक तत्व को परमाणु में विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस विधि से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा और शक्ति सबसे अधिक होती है। **सौर ऊर्जा :** सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा—सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा होती है जिसे परावर्तकों द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

परमाणु शक्ति : परमाणु—किसी तत्व (element) का सबसे छोटा कण जिसे उस तत्व की एक इकाई कहा जा सकता है। इस परमाणु को विस्फोट द्वारा खंडित करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही परमाणु शक्ति कहते हैं।

बोध प्रश्न

7 उपर्युक्त पैरा में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताया गया है। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

i) ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन-कौन से हैं?

....

....

....

ii) ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत कौन से हैं?

....

....

....

iii) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की दो प्रमुख विधियों के नाम बताइए।

....

....

iv) प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं और उनकी आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? दो कारण बताइए।

....

....

v) प्राकृतिक ऊर्जा के प्रयोग के संबंध में आने वाली दो कठिनाइयों को बताइए।

....

....

....

नीचे के अभ्यास पारिभाषिक शब्दों में आपकी दक्षता बढ़ाने के लिए हैं। सही उत्तर के लिए पाठ को ध्यान से पढ़ें या अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दकोश का सहारा लें।

अभ्यास

1 निम्नलिखित परिभाषाओं को पढ़कर बताइए कि इनके लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या हैं।

	परिभाषाएँ	पारिभाषिक शब्द
i)	समुद्र में मिट्टी-कंकड़ की तहों से बनने वाली चट्टानें	....
ii)	जैव कंकालों से बना तरल पदार्थ	....
iii)	चट्टानों की दरारों से रिसता हुआ धरती की सतह पर आने वाला पेट्रोलियम	....
iv)	अलग-अलग स्थानों से निकाली गई मिट्टी का रासायनिक परीक्षण	....
v)	चट्टानों से उत्पन्न तरंगों की प्रतिध्वनि का अध्ययन करने वाला यंत्र	....
vi)	भूगर्भ में तेल की खुदाई के लिए प्रयुक्त यंत्र	....

2 नीचे पाठ में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं इनके अंग्रेज़ी शब्द भी दिये गये हैं आप समान हिंदी और अंग्रेज़ी शब्दों को बताइए। उदाहरण, खनिज तेल — (Petroleum)

हिंदी शब्द	अंग्रेज़ी शब्द
क) स्तरित चट्टान	i) Gravity
ख) भू-भौतिकी	ii) Crude Oil
ग) गुरुत्वाकर्षण	iii) Geophone
घ) अपरिष्कृत तेल	iv) Layered Rock
ङ) भू-फ़ोन	v) Geophysics

3 आपने पाठ में तेल की खोज के संदर्भ में भूगर्भशास्त्रीय, भूभौतिकीय एवं भूरासायनिकीय इन तीन परीक्षण विधियों के बारे में पढ़ा है। इन विधियों का संबंध भूविज्ञान से है। भूविज्ञान से संबंधित अध्ययनों को पूर्णता प्रदान करने के लिए विज्ञान की अन्य शाखाओं का प्रयोग भी किया जाता है। अध्ययन के ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को दर्शाने के लिए ही भूभौतिकी (Geophysics) और भूरासायनिकी (Geochemistry) शब्दों का प्रयोग किया गया है। विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी ऐसे ही शब्दों का व्यवहार किया जाता है।

खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के भौतिकशास्त्र और रसायनशास्त्र से संबंधित विशिष्ट अध्ययनों का नाम बताइए।

खगोल विज्ञान	खगोल	जीव विज्ञान	जैव
	i)		क) ....
	ii)		ख) ....

10.4 सारांश

इस इकाई में आपने "पेट्रोलियम" के संबंध में अध्ययन किया है। विज्ञान से संबंधित विषयों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हिंदी में विज्ञान संबंधी लेखन-विधि से परिचित कराना है। इसके साथ ही आपने "पेट्रोलियम" से संबंधित निम्नलिखित पक्षों की जानकारी भी हासिल की है।

- पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ।
- पेट्रोलियम की खोज कैसे-कैसे की जाती है।
- पेट्रोलियम प्राप्ति के लिए भूखनन कैसे किया जाता है।
- पेट्रोलियम प्राप्त हो जाने के बाद उन्हें शोधित कैसे किया जाता है तथा उनसे अन्य उत्पादों का निर्माण कैसे होता है।

इसके साथ ही आपने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान भी प्राप्त किया।

इससे आप उक्त विषय को स्वयं अपने शब्दों में लिख सकते हैं।

इस इकाई में हम देख चुके हैं कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ क्या है तथा उनके प्रयोगों का महत्व क्या है। हम आशा करते हैं कि आगे के विज्ञान विषयक पाठ में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आप स्वयं कर सकने में सक्षम होंगे।

10.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

परवीण कुमार गुप्त : **तेल की कहानी**, शकुन प्रकाशन, नयी दिल्ली।

10.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) गलत ii) सही iii) सही iv) गलत v) गलत

2 i) उद्‌भिद् ii) स्तरित iii) पाइपों द्वारा iv) भू भौतिकी v) 5-6

3 i) हल्का ii) कठोर iii) गाढ़ा iv) एस्फाल्ट

4 i) क) सबसे पतला तरल पदार्थ दीपों में प्रकाश के लिए
ख) उससे भारी मशीनों में लुब्रीकेटिंग तेल के रूप में
ग) सबसे गाढ़ा मोमबत्ती बनाने के लिए

ii) क) भूगर्भ शास्त्रीय
ख) भूभौतिकी
ग) भूरसायनिकी

5 i) नीचे का तल-तप्त खनिज तेल गैस रूप में/पैराफिन तल में एस्फाल्ट आदि बचे रहते हैं।

प्रथम तल—लुब्रीकेटिंग आयल
द्वितीय तल—डीज़ल तेल
तृतीय तल—मिट्टी का तेल
चतुर्थ तल—पेट्रोल
सबसे ऊपर—पेट्रोलियम गैस रूप में

ii) द्वितीय स्तर — भूगर्भशास्त्रीय परीक्षण
तृतीय स्तर — भूभौतिकी परीक्षण
चतुर्थ स्तर — भूरसायनिकी परीक्षण

6 पैरा-2 पेट्रोलियम की उत्पत्ति

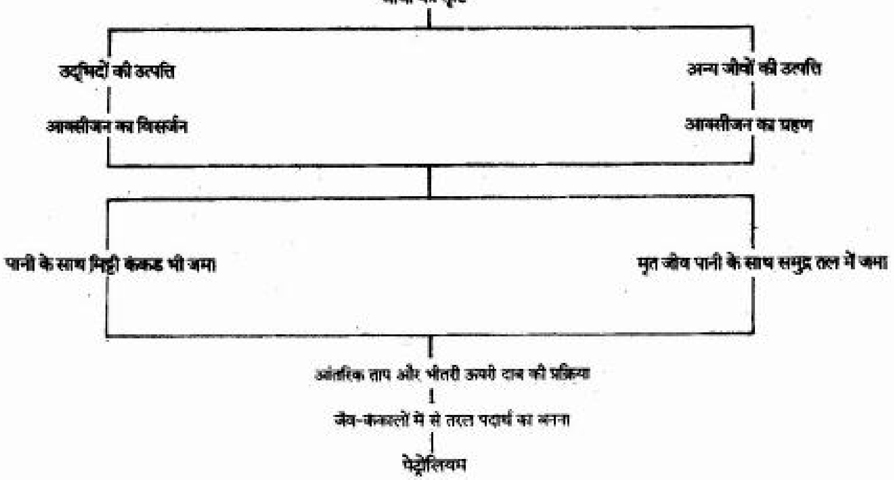

7 i) लकड़ी, कोयला

ii) पेट्रोलियम पदार्थ (डीज़ल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि) विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा

iii) क) कोयले के द्वारा, जिसे तापविद्युत कहते हैं।

ख) जल के द्वारा, जिसे पनविद्युत या पनबिजली कहते हैं।

iv) सौर ऊर्जा, जल और वायु के संचालन से उत्पन्न ऊर्जा

क) पेट्रोलियम पदार्थों तथा कोयले के भंडारों के खत्म होने की आशंका

ख) नाभिकीय ऊर्जा में अपशिष्टों (रेडियोधर्मिता) के प्रदूषण के खतरे के कारण

v) क) प्राकृतिक ऊर्जा का निर्माण खर्चीला है।

ख) प्राकृतिक ऊर्जा को सब जगह और सब समय प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

अभ्यास

1 i) स्तरित चट्टानें

ii) पेट्रोलियम

iii) निस्यंदन तेल

iv) भूरासायनिकी परीक्षण

v) भूफ़ोन

vi) ड्रिलिंग रिग

2 क) (iv) ख) (v) ग) (i) घ) (ii), ङ) (iii)

3 i) खगोल भौतिकी

ii) खगोल रासायनिकी

क) जैव भौतिकी

ख) जैव रासायनिकी

इकाई 11 विज्ञान की भाषा का स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 मानव प्रगति और पर्यावरण
11.3 पारिभाषिक शब्द
11.4 भाषिक विवेचन
11.5 व्याकरणिक विवेचन
11.5.1 पर्यायवाची शब्द
5.2 शब्दों में अर्थगत सूक्ष्म अंतर
11.5.3 विलोम शब्द
11.6 सारांश
11.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

आपने इससे पूर्व इकाई 3 और 10 में विज्ञान विषयक पाठ पढ़े है। यह इकाई भी विज्ञान से संबंधित है। इसमें मानव प्रगति के संदर्भ में पर्यावरण पर चर्चा की गयी है तथा इस इकाई का भी मुख्य उद्देश्य हिंदी में विज्ञान विषय के लेखन की विशिष्टता से परिचित कराना है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- मानव प्रगति और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे;
- पाठ में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की सही परिभाषा कर सकेंगे;
- "इतना .... कि", "वरन्" आदि प्रयोगों वाले वाक्यों की सही रचना करना सीखेंगे; और
- पर्यायवाची, विलोम और अर्थगत सूक्ष्म अंतर वाले शब्दों के द्वारा शब्दों के सही अर्थ करना सीखेंगे।

11.1 प्रस्तावना

यह इकाई भी विज्ञान से संबंधित है। इससे पहले इकाई 3 में हमने "मानव की उत्पत्ति और विकास" का ज्ञान प्राप्त किया था। इकाई 10 में पेट्रोलियम की जानकारी प्राप्त की थी। इस इकाई का पाठ पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण विज्ञान का अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। औद्योगिक प्रगति के साथ जो नयी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उनमें से एक समस्या पर्यावरण की है। इस क्षेत्र में विज्ञान ने कई नयी खोजें की हैं। हिंदी में विज्ञान विषयों का लेखन अंग्रेज़ी भाषा की तुलना में कम हुआ है। फिर भी, इस पाठ से स्पष्ट है कि हिंदी भाषा विज्ञान के नये से नये क्षेत्रों में भी लेखन में सक्षम है। इस पाठ में कई ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली में ज़्यादा पुराने नहीं हैं। जैसे नाभिकीय, पारिस्थितिकी, जीन इंजीनियरी आदि। इस पाठ में हम ऐसे नये पारिभाषिक शब्दों से भी परिचित होंगे। इस तरह यह पाठ पारिभाषिक शब्दों के हमारे अध्ययन को और विस्तृत करेगा।

किसी भी भाषा के लेखन में सफलता का यही मानदंड है कि उस भाषा की वाक्य रचना की अंत:प्रकृति को समझा जाए। इस इकाई में हमने ऐसे वाक्यों की रचना पर विचार किया है जिन्हें थोड़े से अंतर के द्वारा संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। "इतना .... कि" और "वरन्" से बनने वाले वाक्यों को इस इकाई में लिया गया है।

इस इकाई में पर्यायवाची शब्दों और सूक्ष्म अर्थगत अंतर वाले शब्दों को भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें उर्दू उपसर्गों से बनने वाले विलोम शब्दों को भी लिया गया है। इससे आपका शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा और उनका सही अर्थों में प्रयोग करना भी सीखेंगे।

11.2 मानव प्रगति और पर्यावरण

1 हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें प्रकृति और मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का अस्तित्व है। पृथ्वी, जल, वायु, अन्य भौतिक तत्व तथा प्राणी जगत् प्रकृति के अंग हैं। मनुष्य ने इनका निर्माण नहीं किया है। स्वयं मनुष्य प्रकृति का अंग है और इस रूप में प्राकृतिक उत्पादन है। प्रकृति के अपने नियम हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घं. में एक चक्कर लगाती है।

पृथ्वी, सूर्य का उपग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य ज्वलनशील गैसों का वृत्त है और उससे पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी एक ठोस पिंड है जिसका तीन चौथाई भाग जल से भरा है। पृथ्वी की स्थिति और गति की विशिष्टता ने उसे एक ऐसा **पर्यावरण** दिया है जिसने जीवन को संभव बनाया है। आप इकाई 3 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह इन जीवों ने विकास करते हुए मानव नामक जीवधारी के अस्तित्व को संभव बनाया।

2 लेकिन मनुष्य ने प्रकृति के विकासक्रम में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। मनुष्य तक का विकास प्रकृति का आंगिक विकास था। अब तक जो कुछ उत्पन्न हुआ या नष्ट हुआ वह प्रकृति के अपने नियमों के अनुसार ही हुआ। लेकिन मनुष्य ने अपनी विकसित शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के बल पर प्रकृति का भिन्न ढंग से उपयोग करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, आदिम अवस्था में जीने वाले मनुष्य ने जब स्वयं आग पैदा करने की क्षमता प्राप्त की तो उसने मांस को भूनकर खाना शुरू किया। यह भूना हुआ मांस प्राकृतिक वस्तु का कृत्रिम रूपांतरण था। इसी तरह उसने जंगलों को साफ़ करके खेती करना आरंभ किया और उगने और फलने की प्राकृतिक क्रिया को नियंत्रित कर अपने हित में इस्तेमाल किया। इस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल करने लगा। इस उपयोग में वह प्रकृति का कृत्रिम रूपांतरण भी कर रहा था और नये पदार्थों का सृजन भी कर रहा था। मानव सभ्यता का अब तक का इतिहास मनुष्य द्वारा प्रकृति के इसी रूपांतरण का इतिहास है।

3 मनुष्य द्वारा प्रकृति के रूपांतरण की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन आधुनिक युग में आया। इस युग में विज्ञान और **प्रौद्योगिकी** ने अभूतपूर्व प्रगति की। मनुष्य ने कई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति प्राप्त की जिनसे मुक्त होने की उसने इससे पहले कल्पना भी नहीं की थी। आज वह कई प्राणघातक महामारियों से मुक्त हो चुका है। अपने जीवन और रहन-सहन को अधिक सुखद और आरामदायक बनाने में सक्षम हुआ है। आज वह सचमुच पर्वतों को हटा सकता है, नदियों के मार्ग बदल सकता है, नये सागरों का निर्माण कर सकता है, विशाल रेगिस्तानों को उर्वर मरुद्यानों में परिणत कर सकता है। आज **अंतरिक्ष** में भी मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है कि लाखों-करोड़ों मील दूर के नक्षत्र भी उसके लिए अनजाने और अपरिचित नहीं रहे हैं।

4 मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सिर्फ़ उपयोग ही नहीं किया वरन् उनका परिष्कार भी किया। उसने प्रकृति के गुणों का विस्तार किया। इस प्रक्रिया में मनुष्य प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने और संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन करने की ओर अग्रसर हुआ। इसने एक नयी स्थिति को जन्म दिया। आधुनिक युग में, औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत को बढ़ा दिया था। परिणामतः पृथ्वी के अंदर से खनिज और पेट्रोलियम पदार्थों को भारी मात्रा में निकाला जाने लगा। प्राकृतिक संसाधनों की खोज में नये-नये क्षेत्रों को ढूँढा गया। जो क्षेत्र अब तक मानव-सभ्यता के स्पर्श से बचे हुए थे, वहाँ भी अब मनुष्य पहुँच गया। औद्योगिक विकास ने नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसने नयी ज़रूरतों को पैदा किया। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों, जलाशयों और कृषियोग्य भूमि के रिहायशी और औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग में कई गुना बढ़ोतरी हुई। उद्योगों के अधिकाधिक विस्तार ने तथा नगरीय जीवन की बढ़ती ज़रूरतों ने पर्यावरण पर भी अपना असर डाला।

5 उद्योगों द्वारा छोड़े गए धुएँ ने वायु में **कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फ़र डाइआक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड** जैसी दूषित गैसों की मात्रा बढ़ा दी। कई उद्योगों में ऐसे ऊर्जा स्रोतों एवं रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे भारी मात्रा में दूषित गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। शहरों में बढ़ती गाड़ियों की संख्या भी वायु **प्रदूषण** को बढ़ाने में मदद करती है। वायु प्रदूषण से वायु में आवश्यक **आक्सीजन** की मात्रा कम हो जाती है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

6 शहरों में गाड़ियों की बढ़ती संख्या ध्वनि विस्तारकों के बढ़ते प्रयोग तथा **जनसंख्या वृद्धि** ने ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाया है। हमारे कान एक विशेष सीमा तक ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं इससे अधिक शोर से कान के पर्दों पर बुरा असर पड़ता है।

7 पर्यावरण में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों की भारी मात्रा का विसर्जन होने से मिट्टी, जल और वायु तीनों तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है। उद्योगों से भारी मात्रा में निकलने वाला अपशिष्ट जलाशयों को दूषित कर रहा है। ये अपशिष्ट प्रायः नदियों में मिलाये जाते हैं जिससे पीने का पानी ही दूषित नहीं होता, बल्कि नदियों में रहने वाली मछलियाँ भी बड़ी तादाद में मर जाती हैं। दूषित जल का उपयोग करने से तरह-तरह की बीमारियाँ फैल जाती हैं। उद्योगों द्वारा विसर्जित अपशिष्टों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी असर डाला है। कई पेड़-पौधों में नये तरह के रोग हो जाते हैं।

8 इधर के वर्षों में परमाणु ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग तथा **नाभिकीय** हथियारों के बढ़ते उत्पादन ने प्रदूषण के एक नये तरह के खतरे को उत्पन्न किया है। **रेडियोसक्रियता** की बहुत थोड़ी-सी मात्रा का रिसाव भी मिट्टी, जल और वायु तीनों को दूषित कर देता है। यह प्रदूषण केवल तात्कालिक असर डालकर ही समाप्त नहीं हो जाता वरन् कई पीढ़ियों तक इसका प्रभाव बना रहता है।

9 औद्योगीकरण की अनियंत्रित प्रवृत्ति ने प्राकृतिक संसाधनों के अभाव का खतरा पैदा कर दिया है। पृथ्वी से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम आदि का भारी मात्रा में दोहन हो रहा है। इनमें से कई पदार्थों के निकट भविष्य में खत्म हो जाने की संभावना है। इसी तरह पेड़ों के अंधाधुंध काटे जाने से वन कम हुए हैं और निकट भविष्य में लकड़ी की कमी हो सकती है। पीने के पानी का उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने से जल आपूर्ति में कमी आती है।

10. प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मनुष्य जिन उत्पादों का निर्माण करने में संलग्न है उनका उद्देश्य मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाना होना चाहिए। मनुष्य के कार्य-व्यापार में मनुष्य और प्रकृति दोनों भाग लेते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा और विवेक

से प्रकृति और अपने बीच भौतिक क्रियाओं को आरंभ करता है। वह उन्हें नियमों में बाँधता है। प्रकृति के साथ मनुष्य की इस अंतःक्रिया से, मनुष्य अपने लिए बेहतर संसार की रचना को संभव बनाता है। प्रकृति के सहयोग से किया गया भौतिक उत्पादन, मनुष्य और प्रकृति दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालने में सक्षम है।

11 यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रकृति अपने पर होने वाली किसी भी बाह्य क्रिया के फलस्वरूप, जिसमें मानव द्वारा किया गया हस्तक्षेप भी शामिल है, असंतुलित हो जाती है। यह असंतुलन प्रकृति को एक नयी अवस्था में पहुँचा देता है। वस्तुतः पर्यावरण का संकट एक नयी तरह की पारिस्थितिकी को उत्पन्न करता है। हम सभ्यता के जिस चरण तक पहुँच चुके हैं वहाँ पर्यावरण संकट से मुक्ति प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण से ही नहीं प्राप्त की जा सकती। समस्या मनुष्य के लिए ऐसा स्वस्थ पर्यावरण बनाने की है जिससे सामाजिक और प्राकृतिक विकास की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यह जानें कि पर्यावरण के संकट ने पारिस्थितिकी को कितना प्रभावित किया है।

पारिस्थितिकी

12 पर्यावरण के संदर्भ में पारिस्थितिकी की अवधारणा को समझने के लिए पहले इस शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। पारिस्थितिकी (Ecology) का शाब्दिक अर्थ है परिस्थिति का अध्ययन अर्थात् जीवित सत्वों के प्राकृतिक निवास का अध्ययन। यह **जैविकीय** परिभाषा है। पारिस्थितिकी का विषय काफी विस्तृत है और इसकी कई शाखाएँ हैं। वस्तुतः पारिस्थितिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली हर चीज़ का, जिनमें मानव-समाज तथा उसके कार्यों के लिए आवश्यक चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है।

13 मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया हस्तक्षेप पारिस्थितिक असंतुलन को उत्पन्न करता है। कई बार एक क्षेत्र की रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न नये तरह के असंतुलन को उत्पन्न कर देता है। रासायनिक पदार्थों की सहायता से एक बड़े क्षेत्र में कृषि के लिए हानिकारक कीट पतंगों को नष्ट करना और उन्हीं के साथ ढेरों अन्य कीड़ों और छोटे जानवरों को नष्ट करने की प्रक्रिया में नये तरह का पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो सकता है जो कृषि को अधिक नुकसान पहुँचा सकता है। कई बार प्रदूषण भी प्राणियों या पौधों की सारी जाति में बीमारी उत्पन्न कर देता है, उनकी संख्या घटा देता है अथवा नाश कर देता है। इसका परिणाम किसी अन्य जाति के तेज़ी से प्रजनन में भी निकल सकता है और ह्रास में भी।

14 औद्योगिक विकास की ज़रूरतों और नगरीकरण की प्रवृत्ति ने वन संपदा को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। पेड़-पौधे न केवल वायु में आवश्यक आक्सीजन की मात्रा को सुरक्षित रखते हैं बल्कि उनके कारण **भू-स्खलन**, ज़मीन का कटाव, नदियों में मिट्टी का बहना आदि भी नियंत्रित रहते हैं। वनसंपदा वायु में आवश्यक आर्द्रता की मात्रा को बनाए रखती है जो वर्षा आदि के लिए आवश्यक है किंतु लगातार पेड़ों के काटे जाने से मौसम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भू-स्खलन व बाढ़ों के साथ-साथ वर्षा के औसत में लगातार गिरावट आयी है। उद्योगों से निकलने वाली गैसों, परमाणु ऊर्जा तथा नाभिकीय हथियारों के कारण वायुमंडल में बढ़ती रेडियोसक्रियता तथा ज़हरीले अपशिष्टों ने पेड़-पौधों के जीवन को दूभर बनाया है। वैज्ञानिकों ने इस खतरे की ओर बार-बार ध्यान दिलाया है। अगर प्रदूषण की यही प्रवृत्ति बनी रही तो पेड़-पौधों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वैसे भी इधर यूरोप में जहाँ नाभिकीय हथियारों के भंडार तथा परमाणु ऊर्जा के विशाल केंद्र मौजूद हैं, वनों के मरने की प्रवृत्ति एक नये तरह के पारिस्थितिक संतुलन की ओर हमें धकेल रही है।

15 पहले के वीरान क्षेत्रों में मनुष्य की बस्तियाँ बस जाने, ज़हरीले पदार्थों के व्यापक उपयोग तथा प्रकृति के निर्मम शोषण की वजह से कई जातियों के **विलोप** की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष एक जाति या उपजाति विलुप्त हो जाती है। इस समय पक्षियों और जानवरों की एक हज़ार जातियों के लुप्त होने का खतरा है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि पौधे की किसी एक जाति के लुप्त होने से कीटों, जानवरों या अन्य पौधों की 10 से 30 तक जातियाँ विलुप्त हो सकती हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो पूरा **जैव-मंडल** विरूपित हो सकता है।

16 एक और प्रवृत्ति है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। वह है **जीन-इंजीनियरी** का विकास। दो प्रजातियों के योग द्वारा एक नयी प्रजाति के कृत्रिम विकास की प्रवृत्ति के भी घातक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जीव-जंतु और पेड़-पौधे दोनों में ही इस तरह के अनियंत्रित प्रयोग पारिस्थितिक संतुलन पर बुरा असर डाल रहे हैं।

17 पारिस्थितिक असंतुलन यद्यपि आधुनिक औद्योगिक विकास का परिणाम नज़र आता है तथापि इसे इसका अंतर्भूत कारण नहीं माना जा सकता। पारिस्थितिक संकट का खतरा इस कारण से वास्तविक नहीं हुआ है कि मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। न ही इसलिए कि उसने प्रकृति की अंतर्क्रिया में दखल दिया है। इसका कारण तो दोहन और अंतर्क्रिया के तरीकों में निहित है। एक ऐसे समाज में जहाँ प्रकृति के साथ दोहन तथा अंतर्क्रिया पर किसी तरह का नियंत्रण न हो वहाँ प्राकृतिक शक्तियों और साधनों के संतुलन को नष्ट करने की क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है। जब भौतिक उत्पादन आर्थिक लाभ के क्षुद्र उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो उत्पादक पर्यावरण के पक्षों की प्रायः उपेक्षा कर देता है।

18 आज पारिस्थितिक संकट किसी एक देश तक सीमित समस्या नहीं रही है। एक देश में घटी दुर्घटना कई अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जैसे नदियों और समुद्रों में मिलाया जाने वाला अपशिष्ट लंबे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाता है। इसी तरह गैसों के रिसाव, रेडियोसक्रियता आदि का प्रभाव सैकड़ों मील तक फैल जाता है।

19 पर्यावरण का प्रश्न मानव जाति के सामने गंभीर चुनौती बन कर खड़ा है। इसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य प्रकृति से अपने रिश्ते को ठीक से समझे। यह संभव नहीं है कि प्रगति की अपनी इन अवस्थाओं को छोड़कर मनुष्य ऐसे जीवन को अपना

ले जहाँ वह पूर्णतः प्राकृतिक नियमों के वशीभूत हो। मनुष्य ने अब तक जो भी विकास किया है उस विकास को आगे बढ़ाते हुए ही पर्यावरण के संकट का निराकरण करना होगा। स्वस्थ पर्यावरण के लिए यह ज़रूरी है कि योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रत्येक पक्ष के साथ उसके पर्यावरणीय पहलुओं को सम्मुख रखा जाए। स्वस्थ पर्यावरण के निम्नलिखित लक्ष्यों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए :

i) पर्यावरण के गुणों की रक्षा और सुधार से मानव जीवन की दशाओं को वांछित रूप दिया जाए।

ii) उद्योग और कृषि में अधिकतम संभव पूर्णता के साथ अपशिष्ट रहित टेक्नॉलाजी का प्रयोग किया जाए।

iii) एक ही जल को बारंबार इस्तेमाल करने की टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि हानिकारक अपशिष्ट और विसर्जित पदार्थ पर्यावरण में न पहुँचे और पीने के पानी का संकट भी न बढ़े।

iv) प्राकृतिक संसाधनों, मुख्यतः जल, धरती और जैविक संसाधनों का विवेकसम्मत उपयोग किया जाए जिससे उनकी सुरक्षा, पुनर्नवीकरण और पुनरुत्पादन सुनिश्चित रहे; और

v) जीवित प्राकृतिक जगत के जीन भंडार को सुरक्षापूर्वक बनाए रखा जाए।

20 पर्यावरण के संकट को समाप्त करने का कोई भी प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उसी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि लोग पर्यावरण को लेकर अधिकाधिक जागरूक हों और पर्यावरण की रक्षा को जन आंदोलन का रूप दिया जाए, जैसे कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए "चिपको आंदोलन" शुरू किया गया था।

बोध प्रश्न

आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। नीचे कुछ स्वपरख अभ्यास दिये जा रहे हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1 नीचे दिये गए उदाहरण किस तरह के प्रदूषण को व्यक्त करते हैं?

i) कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ ( )

ii) लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित उपयोग ( )

iii) जल में औद्योगिक अपशिष्टों का मिलना ( )

iv) वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात कम होना ( )

2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए।

i) निम्नलिखित में से कौन-सा कारण ध्वनि प्रदूषण पर लागू नहीं होता?

क) गाड़ियों की बढ़ती संख्या

ख) ध्वनि विस्तारकों का बढ़ता उपयोग

ग) वायु में आक्सीजन की मात्रा का कम होना

घ) जनसंख्या वृद्धि [ ]

ii) निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण पारिस्थितिक असंतुलन का कारण नहीं है।

क) वन संपदा का नष्ट होना

ख) प्राणी जगत की कई जातियों का विलुप्त होना

ग) नाभिकीय हथियारों का बढ़ना

घ) प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रित उपयोग [ ]

iii) निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण जातियों के विलोप पर लागू नहीं होता?

क) जंगलों को नष्ट कर मनुष्यों की बस्तियाँ बसाना

ख) शिकार की बढ़ती प्रवृत्ति

ग) ज़हरीले पदार्थों से व्याप्त प्रदूषण

घ) उपर्युक्त तीनों [ ]

3 पाठ के कुछ वाक्य नीचे दिये गये हैं। इन वाक्यों के तात्पर्य दिये गये तीन कथनों में से एक सबसे सही रूप में व्यक्त करता है, उस वाक्य को बताइए।

पैरा-10: प्रकृति के सहयोग से किया गया भौतिक उत्पादन, मनुष्य और प्रकृति दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालने में सक्षम है।

i) प्रकृति के सहयोग के बिना मनुष्य कोई भौतिक उत्पादन नहीं कर सकता यद्यपि ऐसा भौतिक उत्पादन प्रकृति और मनुष्य दोनों के लिए लाभकारी हो यह आवश्यक नहीं है।

ii) भौतिक उत्पादनों के लिए मनुष्य प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ करेगा उतना ही वह उसके लिए खतरनाक होगा।

iii) प्रकृति का सहयोग भौतिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह मनुष्य के लिए तो हितकारी है परंतु प्रकृति इससे अनिवार्यतः नष्ट होती है।

( )

पैरा-11: समस्या मनुष्य के लिए ऐसा स्वस्थ पर्यावरण बनाने की है जिससे सामाजिक और प्राकृतिक विकास की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके।

i) स्वस्थ पर्यावरण तभी संभव है जब प्रकृति में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, यही सामाजिक विकास के लिए भी ज़रूरी है।

ii) अगर मनुष्य को पृथ्वी पर मानव जीवन को बचाना है तो उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा।

iii) सामाजिक विकास की गति को अवरूद्ध करके पर्यावरण के संकट को हल नहीं किया जा सकता।

( )

पैरा-17: पारिस्थितिक असंतुलन यद्यपि आधुनिक औद्योगिक विकास का परिणाम नजर आता है तथापि इसे इसका अंतर्भूत कारण नहीं माना जा सकता।

i) औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को रोकने तथा प्रकृति की ओर लौटने से पारिस्थितिक संतुलन कायम किया जा सकता है।

ii) अनियंत्रित और क्षुद्र लाभ से प्रेरित औद्योगिक विकास पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है।

iii) प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही पारिस्थितिक संतुलन कायम कर सकता है।

4 नीचे दो तरह के प्राकृतिक संसाधनों के नाम दिये गये हैं। इनमें से कुछ का भंडार अधिक उपयोग से शीघ्र समाप्त हो सकता है और शेष का भंडार कभी समाप्त नहीं होगा। इन्हें अलग-अलग कीजिए।

प्राकृतिक संसाधनों के नाम—
कोयला, मिट्टी, खनिज तेल, सोना, जल, वायु, लोहा

क) लुप्त हो सकने वाले प्राकृतिक संसाधन

1.......... 2................ 3.................4...............

ख) कभी लुप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन

1.......... 2................ 3................ 4...............

5 नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दो-तीन पंक्तियों में दीजिए।

i) प्रकृति के कृत्रिम रूपांतरण से क्या तात्पर्य है?

....

....

ii) वायु प्रदूषण को समाप्त करने के कोई दो उपाय बताइए।

....

....

iii) अपशिष्ट क्या है और वे पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं?

....

....

iv) नाभिकीय हथियारों की समाप्ति क्यों आवश्यक है, दो कारण बताइए।

....

....

v) पर्यावरण के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रति क्या नीति अपनायी जानी चाहिए?

....

....

11.3 पारिभाषिक शब्द *

आपने विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के संबंध में इकाई 10 में पढ़ा है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पारिभाषिक शब्दों से क्या तात्पर्य है। यह पाठ भी विज्ञान से संबंधित है इसलिए इसमें भी ऐसे शब्द हैं जो पारिभाषिक कहे जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द जैसे ऊर्जा, खनिज, नगरीकरण, वायुमंडल, अपशिष्ट आदि आप पहले पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिकी जैसे पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या पाठ में ही दी हुई है। यहाँ हम पाठ में आये कुछ नये शब्दों का अर्थ जानेंगे।

1 **पर्यावरण :** मनुष्य के चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण जो उसके और अन्य प्राणियों तथा पेड़-पौधों के जीवन को संभव बनाता है।

3 **अंतरिक्ष :** पृथ्वी और अन्य नक्षत्रों के बीच का स्थान।

प्रौद्योगिकी : विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें किसी कार्य को संपन्न करने के लिए ली जाने वाली प्रविधि का अध्ययन किया जाता है।

5 **प्रदूषण :** दोष पैदा करने का भाव, प्रदूषण शब्द पर्यावरण में दोष पैदा होने को व्यक्त करता है। यह दोष जल, वायु, मिट्टी में दूषित पदार्थों के मिश्रण से आता है।

कार्बन डाइआक्साइड : कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली गैस जो प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

कार्बन मोनाक्साइड : कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली यह गैस भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

सल्फ़र डाइआक्साइड : सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली हानिकारक गैस।

नाइट्रोजन डाइआक्साइड : नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली हानिकारक गैस।

उक्त चारों गैसें वायुमंडल में मिलकर ऑक्सीजन के अनुपात को कम करती हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में अक्सर ये गैसें होती हैं।

ऑक्सीजन : प्राणदायक गैस। इस गैस से ही मनुष्य और अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। पेड़-पौधे कार्बन डाइआक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए अधिकाधिक पेड़ लगाने से वायुमंडल प्रदूषित होने से बचता है। किंतु प्राणघातक गैसों की अधिक मात्रा पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुँचाती है।

6 **जनसंख्या :** स्थान विशेष में बसने वाले लोगों की कुल संख्या।

8 **नाभिकीय :** परमाणु की संरचना और व्यवहार से संबंधित, जो परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति और परमाणु हथियारों के निर्माण में उपयोगी हो।

रेडियो सक्रियता: परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न एक ऐसा तत्व जिसका वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में रिसाव भी अत्यंत घातक होता है।

12 **जैविकीय :** प्राणी विज्ञान के अनुसार। प्राणी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न जीवों का जीवन किस तरह कार्य करता है, का अध्ययन किया जाता है।

15 **जैव मंडल :** पृथ्वी की सतह और जलवायु का वह भाग जो सजीव प्राणियों से युक्त है।

14 **भूस्खलन :** जमीन का कटाव। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों के काटे जाने से, कमज़ोर पड़ जाने के कारण पहाड़ों के कुछ हिस्सों का बरसात के दिनों में टूटकर अलग हो जाना।

15 **विलोप** (extinction) : अधिक मृत्यु दर अथवा विनाश के कारण कुछ जीवों और पौधों की जातियों के समाप्त होने की प्रक्रिया। डायनोसार एक ऐसा प्राणी है जो लाखों वर्ष पूर्व ही अनुकूल पर्यावरण के अभाव में लुप्त हो गया था।

16 **जीन** (gene) : किसी जीव की कोशिका का वह भाग जो उस जीव के भौतिक गुणधर्म, बुद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जीन अपने को बदल सकता है, दुबारा उत्पन्न हो सकता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुँच सकता है।

जीन इंजीनियरी : जीन की इन्हीं विशेषताओं को नियंत्रित करके जीवों की विभिन्न जातियों की गुणवत्ता और संख्या में परिवर्तन और निर्माण करने वाली तकनीकी विधि।

* शब्द के पहले दी गई संख्या पैरा की सूचक है।

11.4 भाषिक विवेचन

क) आपने इकाई 8 में विषय के सरल विवेचन के लिए भाषा के उपयोग का अध्ययन किया था। इस इकाई में हम उसी अध्ययन को और आगे बढ़ायेंगे।

नीचे का वाक्य पढ़िये :

i) आज अंतरिक्ष में भी मनुष्य **इतना** आगे बढ़ चुका है **कि** लाखों-करोड़ों मील दूर के नक्षत्र भी उसके लिए अनजाने और अपरिचित नहीं रहे हैं।

इस वाक्य में दो बातें कही गयी हैं जिनका संबंध कारण-कार्य का है। कारण के होने से कार्य संभव हुआ है और इन दोनों के बीच के संबंध को "इतना"..........."कि" से जोड़ा गया है।

अब नीचे के दोनों वाक्य पढ़िये :

ii) आधुनिक युग में औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत को बढ़ा दिया था। परिणामतः पृथ्वी के अंदर से खनिज और पेट्रोलियम पदार्थों को भारी मात्रा में निकाला जाने लगा।

ऊपर के दोनों वाक्यों में भी कारण-कार्य संबंध है। पहले वाक्य में कारण बताया गया है और दूसरे वाक्य में कार्य और इन दोनों वाक्यों के भाव को "परिणामतः" शब्द से जोड़ा गया है।

क्या हम वाक्य i) को भी दो वाक्यों में रख सकते हैं?

नीचे के वाक्य देखिये :

आज अंतरिक्ष में भी मनुष्य बहुत आगे बढ़ चुका है। परिणामतः लाखों करोड़ों मील दूर के नक्षत्र भी उसके लिए अनजाने और अपरिचित नहीं रहे हैं।

वे वाक्य जिनमें तात्पर्य की दृष्टि से कारण-कार्य संबंध हो "परिणामतः" के अतिरिक्त "इस कारण", "इसीलिए", "अतः" आदि शब्दों से भी जोड़े जा सकते हैं।

अभ्यास

1 तात्पर्य सुरक्षित रखते हुए उचित शब्दों द्वारा नीचे दिये गये वाक्यों को रूपांतरित कीजिए।

i) पृथ्वी से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम आदि का इतनी भारी मात्रा में दोहन हो रहा है कि इनमें से कई पदार्थों के निकट भविष्य में खत्म हो जाने की संभावना है।

....

....

ii) आज विश्व में नाभिकीय हथियारों का इतना भंडार एकत्र हो गया है कि दुनिया का किसी भी समय विनाश हो सकता है।

....

....

iii) बोट क्लब पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया।

....

....

iv) कारखानों, गाड़ियों, भीड़-भाड़ आदि से शहरों में वातावरण इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि कई शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

....

....

v) आज चारों ओर इतना हाहाकार है कि यह कहना मुश्किल है कि मनुष्य जाति का भविष्य क्या होगा।

....

....

2 नीचे दिये गये वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा एक वाक्य में रूपांतरित कीजिए।

i) पहाड़ों पर पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा गया है। परिणामतः भूस्खलन की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

....

ii) रास्ते में घना कोहरा था। इसी कारण वाहन दिन में भी लाइट जलाए हुये थे।

....

iii) नदी में बाढ़ आ गई। फलस्वरूप आसपास के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए।

....

iv) इस वर्ष सारे देश में भयंकर सूखा पड़ा है। फलस्वरूप पानी और बिजली की गंभीर समस्या पैदा हो गया है।

....

v) राम ने इस वर्ष बिल्कुल भी श्रम नहीं किया। अतः वह पास नहीं हो पायेगा।

....

ख) अब हम एक और वाक्य रचना पर विचार करेंगे। नीचे का वाक्य ध्यान से पढ़िए।

मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सिर्फ उपयोग **ही** नहीं किया **वरन्** उनका परिष्कार भी किया।

आपने मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर गौर किया होगा। इस तरह की वाक्य रचना में किसी कथन के दो अलग-अलग पक्षों पर बल दिया जाता है। दोनों को "वरन्" या "बल्कि" से जोड़ा जाता है। और "ही" द्वारा बल प्रदान किया जाता है। यह उपर्युक्त वाक्य के निम्नलिखित विश्लेषण से स्पष्ट हो जाताहै।

कथन—प्रकृति से प्राप्त संसाधन

एक पक्ष—मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का **उपयोग** किया।

दूसरा पक्ष—मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का **परिष्कार** किया।

इन दोनों पक्षों को संबद्ध करते हुए एक वाक्य बनाया गया है और इस तरह पूरा तात्पर्य सही ढंग से संप्रेषित हुआ है।

अभ्यास

3 नीचे दिये गये वाक्य युग्मों को एक-एक वाक्य में रूपांतरित कीजिए।

i) क) नदियों में अपशिष्ट मिलाए जाने से पीने का पानी दूषित हो जाता है।
ख) नदियों में अपशिष्ट मिलाए जाने से नदियों में रहने वाली मछलियाँ बड़ी तादाद में मर जाती हैं।

....

....

ii) क) रेडियोसक्रियता का तत्काल असर पड़ता है।
ख) रेडियोसक्रियता का प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहता है।

....

....

iii) क) पेड़-पौधे वायु में आवश्यक आक्सीजन की मात्रा को सुरक्षित रखते हैं।
ख) पेड़-पौधों के कारण भूस्खलन, ज़मीन का कटाव, नदियों में मिट्टी का बहना आदि भी नियंत्रित रहते हैं।

....

....

iv) क) शिक्षा मनुष्य को विवेकशील बनाती है।
ख) शिक्षा मनुष्य को स्वावलंबी बनाने में भी मदद करती है।

....

....

v) क) इतिहास के द्वारा हमें अतीत की जानकारी मिलती है।
ख) इतिहास हमें यह सबक देता है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें, दोहराएँ नहीं।

....

....

"बल्कि" या "वरन्" का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जिनमें एक पक्ष का निषेध करते हुए दूसरे को प्रस्तुत किया जाता है।

उदाहरण :
गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत कायरता का नहीं वरन् साहस और त्याग का सिद्धान्त था।

यहाँ वाक्य के पूर्व पक्ष का निषेध करते हुए उत्तर पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे वाक्यों में "ही", "सिर्फ़", "केवल" आदि का प्रयोग नहीं होता।

4 नीचे दो-दो वाक्य दिये गये हैं। इनमें से पहले वाक्यों के कथनों का निषेध करते हुए दूसरे वाक्यों पर बल प्रदान करते हुए एक-एक वाक्य बनाइए।

i) क) भारत की गुट निरपेक्षता एक दिखावा है।
   ख) भारत की गुट निरपेक्षता सभी राष्ट्रों के बीच सच्ची समानता पर आधारित है।

....

....

ii) क) धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को प्रोत्साहित करना।
   ख) धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सत्ता को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखना।

....

....

iii) क) प्रगति का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग है।
   ख) प्रगति का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपरक उपयोग।

....

....

iv) क) साहित्य मन-बहलाव का साधन है।
   ख) साहित्य जीवन की शक्ति है, वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं आगे चलने वाली मशाल है।

....

....

v) क) काव्य में निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
   ख) काव्य में सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक सत्यों का प्रतिबिंब होने के कारण ही हमारे अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं।

....

....

11.5 व्याकरणिक विवेचन

11.5.1 पर्यायवाची शब्द

इस इकाई में भी और अन्य इकाइयों में भी ऐसे कई शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हिंदी में प्रचलित हैं। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ एक ही हो। जैसे, सूर्य को रवि भी कहा जाता है। रवि और सूर्य पर्यायवाची शब्द कहे जाएँगे। एक ही शब्द के कई-कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं।

उदाहरण
सूर्य—रवि, अदिति, भानु, दिनकर, भास्कर

पर्यायवाची शब्दों का उपयोग

1 पर्यायवाची शब्दों से शब्द भंडार में वृद्धि होती है।

2 पर्यायवाची शब्द अर्थ की दृष्टि से एक होते हुए भी प्रकृति में भिन्न होते हैं। इससे भाषा में भिन्न-भिन्न तरह का सौंदर्य लाया जा सकता है।

उदाहरण
वृक्ष या तरु : यहां दोनों के अर्थ एक हैं लेकिन वृक्ष में कठोरता और तरु में कोमलता का बोध होता है।

3 पर्यायवाची शब्दों द्वारा भाषा को बोलचाल की, विश्लेषणात्मक या साहित्यिक रूप देने में मदद मिलती है।

हिंदी में बोलचाल की भाषा के लिए सामान्यतः शब्दों के तद्भव रूपों या उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

अभ्यास

5 नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं, उनके तीन-तीन पर्यायवाची लिखिए। आवश्यकता हो तो किसी अच्छे हिंदी शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं।

क) चंद्रमा ……………………………… च) प्रकाश ………………………………
ख) मनुष्य ……………………………… छ) पुरुष ………………………………
ग) जल ……………………………… त) स्त्री ………………………………
घ) वायु ……………………………… झ) बादल ………………………………
ङ) पृथ्वी ……………………………… ञ) कमल ………………………………

हिंदी में उर्दू से आए अरबी-फ़ारसी के सैकड़ों शब्द प्रचलित हैं। इन्हीं के समानार्थी वे शब्द भी प्रचलित हैं जो संस्कृत से लिये गये हैं। जैसे "उदाहरण" संस्कृत से लिया गया शब्द है और "मिसाल" उर्दू से। "कोशिश" उर्दू से व "प्रयत्न" संस्कृत से।

6 i) नीचे कुछ संस्कृत शब्द दिये गये हैं, जिनके उर्दू पर्यायवाची शब्द भी हिंदी में प्रचलित हैं। उर्दू पर्याय लिखिए ।

क) भाग ……………………………… च) आवश्यकता ………………………………
ख) उत्पत्ति ……………………………… छ) हस्तक्षेप ………………………………
ग) मानसिक ……………………………… त) अस्वीकार ………………………………
घ) प्रकाश ……………………………… झ) सरल ………………………………
ङ) स्वतंत्रता ……………………………… ञ) सहयोग ………………………………

ii) नीचे कुछ उर्दू शब्द दिये गये हैं जिनके संस्कृत पर्याय भी हिंदी में प्रचलित हैं, बताइए।

क) कमज़ोर ……………………………… च) माहौल ………………………………
ख) नतीजा ……………………………… छ) तादाद ………………………………
ग) बदलाव ……………………………… त) मदद ………………………………
घ) इंकलाब ……………………………… झ) उस्ताद ………………………………
ङ) सेहत ……………………………… ञ) शुक्रिया ………………………………

11.5.2 शब्दों में अर्थगत सूक्ष्म अंतर

पर्यायवाची शब्दों की तरह कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। कई बार इन्हें पर्यायवाची की तरह भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। ऐसे शब्दों में जो अर्थगत सूक्ष्म अंतर होता है उसको जानने से उन शब्दों का सही जगह पर सही अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विकास और वृद्धि शब्द को लें। देश का विकास होता है और जनसंख्या में वृद्धि। धन की वृद्धि होती है और मानसिक विकास होता है। अर्थात् वृद्धि परिमाणात्मक बढ़ोत्तरी है जबकि विकास गुणात्मक वृद्धि है।

अभ्यास

7 नीचे कुछ शब्द-युग्म दिये गये हैं उनके अर्थगत अंतर को स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता हो तो हिंदी शब्दकोश की सहायता लीजिए।

i) परिवर्तन ……………………………… iv) आधि ………………………………
रूपांतरण ……………………………… व्याधि ………………………………
ii) मुक्ति ……………………………… v) अस्त्र ………………………………
स्वतंत्रता ……………………………… शस्त्र ………………………………
iii) शोषण ………………………………
दोहन ………………………………

11.5.3 विलोम शब्द

आपने इकाई 8 में विलोम शब्दों का अध्ययन किया है। हमने पढ़ा था कि उपसर्ग के प्रयोग द्वारा कैसे विलोम शब्द बनाये जाते हैं। हिंदी में उर्दू के भी कई उपसर्ग प्रचलित हैं, जो विलोम शब्द बनाने में प्रयोग होते हैं।

जैसे "खुश" और "बद"
ये क्रमशः अच्छा और बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
उदाहरण—खुशबू बदबू

''बे'' उपसर्ग के प्रयोग से—बे का अर्थ है 'बिना'
जान बे + जान —→ बेजान

यह उपसर्ग हिंदी शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है।
चैन बे + चैन —→ बेचैन

''ना'' उपसर्ग के प्रयोग से—ना का अर्थ है 'अभाव' या 'नहीं'
पसंद ना + पसंद —→ नापसंद

''ला'' उपसर्ग के प्रयोग से—ला का अर्थ है 'नहीं'
इलाज ला + इलाज —→ लाइलाज

उर्दू में प्रायः उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के रूप में कोई अन्तर नहीं आता।

अभ्यास

8 नीचे दिये गये शब्दों के विलोम शब्द बताइए।

i) लायक
ii) खुशकिस्मत
iii) बेजोड़
iv) बदनाम
v) कायदा
vi) दुआ
vii) पता
viii) जायज
ix) चीज
x) जबाब

11.6 सारांश

इस इकाई में आपने ''मानव प्रगति और पर्यावरण'' से संबंधित विज्ञान के पाठ का अध्ययन किया। विज्ञान से संबंधित विषयों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हिंदी में विज्ञान लेखन से परिचित कराना है। इससे आप भाषा के उन विविध रूपों से भी परिचित होते हैं जो ज्ञान-विज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह के भाषा रूपों में पारिभाषिक शब्दों का महत्व सबसे ज्यादा है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद अब आप :

- विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित कर सकते हैं।
- ''इतना''......''कि'' ''वरन्'' आदि से बनने वाले शब्दों का सही प्रयोग कर सकते हैं
- पर्यायवाची और विलोम शब्दों के ज्ञान से आप इन शब्दों का भाषा में सही उपयोग कर सकते हैं।
- शब्दों के सूक्ष्म अर्थगत भेद से आप शब्दों के अर्थ की सीमा पहचान सकते हैं और उन्हें सही जगह पर प्रयुक्त कर सकते हैं।

11.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 i) वायु प्रदूषण ii) ध्वनि प्रदूषण iii) जल प्रदूषण iv) वायु प्रदूषण

2 i) ग) ii) घ) iii) घ)

3 पैरा 10 i) पैरा 11 iii) पैरा 17 ii)

4 क)

1	2	3	4
कोयला	खनिज तेल	सोना	लोहा

ख)

1	2	3
मिट्टी	जल	वायु

5 i) प्रकृति के संसाधनों का अपनी आवश्यक ता के अनुसार रूप परिवर्तित करके उपयोग में लाना।

ii) क) उद्योगों को एक ही स्थान पर केंद्रीकृत होने से रोकना।
ख) ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ताकि वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रह सके।

iii) कारखानों में उत्पादन के बाद बचा हुआ वह भाग जो उपयोग में नहीं आता।

अपशिष्ट में उत्पादन में काम आने वाले हनिकारक तत्त्वों को काफी बड़ी मात्रा होती है जो नुकसान देह होती है।

RIL-002

iv) क) नाभिकीय हथियारों के अधिक निर्माण से रेडियो सक्रियता का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है।
ख) नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल से सारी मानवजाति का विनाश हो सकता है।

v) प्राकृतिक संसाधनों का विवेकसम्मत उपयोग किया जाए जिससे उनकी सुरक्षा, पुनर्नवीकरण और पुनरुत्पादन सुनिश्चित रहे।

अभ्यास

1 i) पृथ्वी से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम आदि का भारी मात्रा में दोहन हो रहा है। **परिणामतः** इनमें से कई पदार्थों के निकट भविष्य में खत्म हो जाने की संभावना है।

ii) आज विश्व में नाभिकीय हथियारों का बड़ा भंडार एकत्र हो गया है। **इसलिए** दुनिया का किसी भी समय विनाश हो सकता है।

iii) बोट क्लब पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। **इस कारण** उन्हें सँभालना मुश्किल हो गया।

iv) कारखानों, गाड़ियों, भीड़-भाड़ आदि से शहरों में वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। **फलस्वरूप** इनसे कई शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ बढ़ गयी हैं।

v) आज चारों ओर हाहाकार है। **इसलिए** यह कहना मुश्किल है कि मनुष्य जाति का भविष्य क्या होगा।

2 i) पहाड़ों पर पेड़ों को **इतनी** बड़ी संख्या में काटा गया है **कि** इससे भूस्खलन की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

ii) रास्ते में **इतना** घना कोहरा था **कि** वाहन दिन में भी लाइट जलाए हुए थे।

iii) नदी में **इतनी** बाढ़ आयी **कि** आसपास के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गये।

iv) इस वर्ष देश में **इतना** सूखा पड़ा है **कि** पानी और बिजली की गंभीर समस्या पैदा हो गयी है।

v) राम ने इस वर्ष **इतना** भी श्रम नहीं किया **कि** पास हो सके।

3 i) नदियों में अपशिष्ट मिलाये जाने से पीने का पानी **ही** दूषित नहीं होता **वरन्** मछलियाँ भी बड़ी तादाद में मर जाती हैं।

ii) रेडियोसक्रियता का असर तात्कालिक **ही** नहीं होता **बल्कि** उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहता है।

iii) पेड़-पौधे न **सिर्फ़** वायु में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सुरक्षित रखते हैं **वरन्** उनके कारण भूस्खलन, जमीन का कटाव, नदियों में मिट्टी का बहना आदि भी नियंत्रित रहते हैं।

iv) शिक्षा मनुष्य को विवेकशील **ही** नहीं बनाती **बल्कि** स्वावलंबी बनाने में भी मदद करती है।

v) इतिहास से हमें अतीत की जानकारी **ही** नहीं मिलती **वरन्** यह भी सबक मिलता है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें, उसे दोहराएँ नहीं।

4 i) भारत की धर्मनिरपेक्षता दिखावा नहीं वरन् सभी धर्मों के बीच सच्ची समानता पर आधारित है।

ii) धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को प्रोत्साहित करना नहीं बल्कि राज्यसत्ता को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखना है।

iii) प्रगति का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं बल्कि विवेकपरक उपयोग है।

iv) साहित्य मनबहलाव का साधन नहीं बल्कि जीवन की शक्ति है, वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं आगे चलने वाली मशाल है।

v) काव्य में निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति नहीं वरन् सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक सत्यों का प्रतिबिंब होने के कारण ही हमारे अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं।

5 क) शशि, राकेश, हिमांशु, चाँद
ख) मानव, मनुज, इंसान
ग) पानी, नीर, तोय, वारि
घ) पवन, हवा, समीर
ङ) भूमि, धरती, वसुंधरा
च) रोशनी, आलोक, उजाला
छ) आदमी, नर, मर्द
ज) नारी, औरत, महिला

झ) वारिद, जलद, घन (पानी के संस्कृत पर्यायों के साथ 'द' (देने वाला) प्रत्यय लगाने से 'बादल' के पर्यायवाची बन जाते हैं।

ञ) पदम, जलज, राजीव, नीरज (पानी के संस्कृत पर्यायों के साथ 'ज' (पैदा हुआ) प्रत्यय लगाने से 'कमल' के पर्यायवाची बन जाते हैं।

6 i) क) हिस्सा — च) ज़रूरत
ख) पैदाइश — छ) दख़ल
ग) दिमागी — ज) ख़ारिज
घ) रोशनी — झ) आसान
ङ) आज़ादी — ञ) मदद

ii) क) दुर्बल — च) वातावरण
ख) परिणाम — छ) संख्या
ग) परिवर्तन — ज) सहयोग
घ) क्रांति — झ) गुरु
ङ) स्वास्थ्य — ञ) धन्यवाद

i) परिवर्तन — किसी भी तरह का बदलाव
रूपांतरण — रूप में आमूलचूल परिवर्तन

ii) मुक्ति — किसी भी तरह के बंधन से छुटकारा
स्वतंत्रता — आज़ादी

iii) शोषण — किसी के श्रम से अनुचित लाभ उठाना
दोहन — किसी चीज़ का अधिकतम उपयोग करना

iv) आधि — मानसिक पीड़ा
व्याधि — शारीरिक पीड़ा

v) अस्त्र — फेंककर चलाया जाने वाला हथियार जैसे धनुष
शस्त्र — हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार

8

i) नालायक — vi) बददुआ
ii) बदकिस्मत — vii) लापता
iii) जोड़ — viii) नाजायज़
iv) नाप — ix) नाचीज़
v) बेकायदा — x) लाजवाब

इकाई 12 विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द और अर्थ

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 राजभाषा हिंदी
12.3 हिंदी की सांविधानिक स्थिति
12.4 संविधान की व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई
    12.4.1 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति
    12.4.2 राष्ट्रपति के आदेश
    12.4.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई
12.5 राजभाषा अधिनियम (यथा संशोधित) 1967
    12.5.1 संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग
    12.5.2 कानूनों के हिंदी अनुवाद को मान्यता
    12.5.3 वार्षिक कार्यक्रम
12.6 राजभाषा नियम 1976
12.7 भाषा विवेचन
    12.7.1 राष्ट्र भाषा
    12.7.2 संपर्क भाषा
    12.7.3 राजभाषा हिन्दी का स्वरूप
12.8 शब्दार्थ
12.9 भाषिक विवेचन
    12.9.1 अनेकार्थी शब्द
    12.9.2 भिन्नार्थक शब्द
    12.9.3 समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद
    12.9.4 एक शब्द प्रतिस्थापन
    12.9.5 वर्तनी संबंधी भूलें
12.10 सारांश
12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
12.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राजभाषा हिंदी की सांविधानिक स्थिति को समझ सकेंगे;
- राजभाषा अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था को समझ सकेंगे;
- विभिन्न राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा बता सकेंगे;
- राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर कर सकेंगे;
- संपर्क भाषा के महत्व को बता सकेंगे;
- राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे;
- प्रशासनिक तथा विधिक क्षेत्र में हिंदी की शब्दावली और अभिव्यक्तियों की विशिष्टता को समझा सकेंगे;
- अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी तथा राजभाषा हिंदी की समानताओं और असमानताओं को बता सकेंगे; और
- हिंदी में अनेकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थक शब्दों (विशेषकर पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में) तथा अन्य व्याकरणिक रूपों को समझ कर उनका उपयुक्त प्रयोग कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

सातवीं इकाई में आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेज़ी थी। शासन का कामकाज अंग्रेज़ी में होता था। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार भी अंग्रेज़ी में ही होता था। किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद यह अनुभव किया गया कि स्वाधीन देश में शासन-व्यवस्था का सारा कामकाज देश की अपनी भाषा में ही होना चाहिए। अतः अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इस इकाई में हम राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि राजभाषा क्या है? राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा अर्थात् वह भाषा जिसका प्रयोग देश की शासन-व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता है। इस तरह यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र-व्यवहार, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है। राजभाषा के प्रयोग के मुख्यतः तीन क्षेत्र हैं :

क) विधायिका
ख) कार्यपालिका
ग) न्यायपालिका

हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे यह धारणा नहीं कि वह अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ है अथवा उसे अन्य भाषाओं से ऊँचा दर्जा दिया जा रहा है। उसे राजभाषा बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि बहुभाषी भारत में हिंदी काफ़ी समय से संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती चली आ रही है। इसके अतिरिक्त देश की अन्य भाषाओं की तुलना में उसे बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही नेताओं ने इस संबंध में काफ़ी विचार किया था। लगभग सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि देश की सभ्यता-संस्कृति की उन्नति तथा शिक्षा और विज्ञान की प्रगति उसकी अपनी भाषा के माध्यम से ही हो सकती है, विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था क्योंकि इसी के माध्यम से राष्ट्र को एकसूत्र में बाँधा जा सकता था।

12.2 राजभाषा हिंदी

आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि हिंदी राजभाषा किस प्रकार बनी? इसका स्वरूप क्या है? इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? इस पाठ में हम आपको बताएँगे कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में क्या-क्या व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था किस प्रकार हुई है तथा इसे किस प्रकार लागू किया गया है।

आपने ध्यान दिया होगा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनपत्र का जो फार्म आपको मिला है वह अंग्रेज़ी तथा हिंदी दो भाषाओं में छपा है। आपने और भी कई फार्म दो भाषाओं में छपे देखे होंगे जैसे मनीआर्डर फार्म, रेल यात्रा में आरक्षण के लिए फार्म आदि। रेल यात्रा करते समय आपने गौर किया होगा कि यात्रियों के लिए सभी सूचनाएँ हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में छपी हैं। विभिन्न कार्यालयों के नामों के बोर्ड भी आपने हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में छपे देखे होंगे। कहीं-कहीं आपने देखा होगा कि ये बोर्ड तीन भाषाओं में छपे हैं। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठा हो कि ये फार्म या सूचनाएँ दो भाषाओं में क्यों हैं? और फिर हिंदी और अंग्रेज़ी में ही क्यों हैं? या फिर कुछ कार्यालयों के नाम के बोर्डों में तीन भाषाओं का इस्तेमाल क्यों है। इस पाठ में हम आपके मन में उठे इन सवालों का उत्तर देंगे तथा आपको बताएँगे कि कुछ कामों के लिए हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है।

12.3 हिंदी की सांविधानिक स्थिति

संविधान सभा का निर्णय : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने काफी बहस के पश्चात् हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ-साथ भारतीय संविधान लागू हुआ और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया गया।

किंतु अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव न था। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का संचालन अंग्रेज़ी में होने के कारण सभी कानून अंग्रेज़ी में थे और सारा प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य अंग्रेज़ी में था। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेज़ी ही था। ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए अगले पंद्रह वर्षों के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जारी रखा गया। साथ-ही-साथ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। आगे हम संविधान में हिंदी के बारे में की गई व्यवस्था की चर्चा करेंगे—

संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था : इसके मुख्य अंशों को हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। राजभाषा संबंधी उपबंध (व्यवस्था) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं।

राजभाषा

अध्याय1 —संघ की भाषा

__343. संघ की राजभाषा__—(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा—
(क) अंग्रेज़ी भाषा का; या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबन्ध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

इस तरह देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर उनके अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा अर्थात् १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ की बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा जाएगा।

अध्याय 2—प्रादेशिक भाषाएं

__345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं__— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उस राज्य मे प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के द्वारा ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों मे, जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, कन्नड़ को किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में उड़िया या तेलुगु को कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

__346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा__—संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था के अनुसार दो राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र-व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो।

__347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध__— यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

इस तरह किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है।

अध्याय 3 — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

__348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा__— (1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक —

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेज़ी में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

इस व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा में होगी तथा संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की भाषा अंग्रेज़ी होगी। साथ ही संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित सभी कानूनों और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों और सभी आधिकारिक आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में होंगे।

किंतु यह व्यवस्था स्थायी न होकर संक्रमणकालीन व्यवस्था है क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बना कर अन्य कोई व्यवस्था न करे।

राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल हिंदी या राज्य की राजभाषा का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, *डिक्री या आदेश अंग्रेज़ी में ही होंगे।*

राज्यों के विधानमंडल विधेयकों, कानूनों, अध्यादेशों आदि के लिए अंग्रेज़ी के बजाय किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं किंतु राज्यपाल के प्राधिकार से गज़ट में प्रकाशित अंग्रेज़ी अनुवाद ही उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

*351. **हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश**— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची* में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।*

उपर्युक्त निदेश में हिंदी के विकास और प्रसार की जिम्मेदारी संघ सरकार को सौंपी गई है। इसमें चार बातें प्रमुख हैं :

क) हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति का वाहक बनाना
ख) आठवीं सूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश
ग) हिंदी में मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण
घ) ऊपर "ख" और "ग" की स्थिति में भाषा की मूल प्रकृति को कायम रखना।

आप के मन में प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का उद्देश्य क्या है ? इसकी जरूरत क्यों है ? आप जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है। यहाँ की संस्कृति कई संस्कृतियों के मेल से बनी है इसलिए भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति है। जब हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति

*स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब भारतीय संविधान बना तो देश की 14 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्रदान की गई। बाद में सिंधी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह इन भाषाओं की संख्या पंद्रह हो गई। ये भाषाएँ हैं—

1. असमिया	6. कश्मीरी	11. संस्कृत
2. बंगला	7. मलयालम	12. सिंधी
3. गुजराती	8. मराठी	13. तमिल
4. हिंदी	9. उड़िया	14. तेलुगू
5. कन्नड़	10. पंजाबी	15. उर्दू

का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि इससे हिन्दी के अखिल भारतीय का विकास होगा और वह राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में अधिकाधिक सक्षम होगी।

हिंदी के इसी स्वरूप के विकास के संबंध में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए उसमें अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं सूची में दी गई भाषाओं) की शैलियों, रूपों और अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाए। इस तरह भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया जाए। आप सोच सकते हैं कि यह समन्वय किस प्रकार हो सकता है? भारत की विभिन्न भाषाओं का आपसी रिश्ता बहनों का है। उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसीलिए ऊपर से अलग-अलग दिखाई देने पर भी उनमें घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है जिस तरह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता। अतः इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से भाषिक एकता का विकास हो सकेगा। उसके बाद कहा गया है कि हिंदी के शब्द-भंडार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाएँ और गौण रूप से अन्य भाषाओं से। शब्द-भंडार के विस्तार की यह व्यवस्था भी हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में विकास को लक्ष्य में रख कर की गई है।

> ***120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा***—*(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा :*
>
> *परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेज़ी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।*
>
> *(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेज़ी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।*

इस व्यवस्था के अनुसार संसद में कार्य की भाषा अंग्रेज़ी या हिंदी हो सकती है। किंतु जो सदस्य अंग्रेज़ी या हिंदी में अपने विचार व्यक्त न कर सकता हो उसे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है।

संविधान की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार अंग्रेज़ी या हिंदी में से किसी का भी प्रयोग करने की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद संसद के कार्य के लिए केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होना था। किंतु बाद में संसद ने कानून बना कर यह व्यवस्था की कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी जारी रखा जाए।

बोध प्रश्न

1 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए:

क) आठवीं सूची की भाषाओं के रूप, शैली और पदावली का हिंदी में समावेश करते समय प्रमुखतया किस बात पर ध्यान रखा जाएगा?

....

....

....

ख) संविधान लागू होने के बाद कितने वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई?

....

....

....

2 नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनके सामने कोष्ठक में सही (✓) या गलत (×) का निशान लगाइए:

क) हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। ☐

ख) संविधान लागू होते ही सारा सरकारी कामकाज हिंदी में शुरू हो गया था। ☐

ग) संविधान में राजभाषा के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। ☐

घ) संविधान में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया है। ☐

ङ) राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की ज़िम्मेदारी संघ को सौंपी गई है। ☐

च) केवल संस्कृत से शब्द ग्रहण द्वारा ही हिंदी के विकास का आदेश दिया गया है। ☐

छ) जिस संसद सदस्य को हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं आती वह अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह सकता है। ☐

12.4 संविधान की व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई

12.4.1 राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रपति ने आदेश देकर सन् 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति (1957) गठित की गई। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत की।

12.4.2 राष्ट्रपति का आदेश 1960

राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 में आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि—

1) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।

2) शिक्षा मंत्रालय सांविधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों (नियम पुस्तकों) और कार्यविधि साहित्य का अनुवाद अपने हाथ में ले।

3) एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने और हिंदी में विधि के पुनः अधिनियमन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

4) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

5) शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वह कैसी चल रही है। शिक्षा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्यवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए तथा अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

12.4.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

राष्ट्रपति के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित संस्थाएँ स्थापित की गईः

1) **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग** की स्थापना 1961 में हुई। इसने शब्दावली निर्माण के सिद्धांत तय किए तथा विविध विषयों की विशेषज्ञ सलाहकार समितियों की और भाषा वैज्ञानिकों की सहायता से शब्दावली निर्मित की तथा परिभाषा कोश तैयार किए।

2) **केंद्रीय हिंदी निदेशालय** की स्थापना सन् 1960 में हुई। हिंदी प्रचार-प्रसार और विकास के कार्य इस संस्था को सौंपे गए। आरंभ में विविध प्रकार के प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का कार्य भी निदेशालय के पास था। बाद में इसे एक अन्य संस्था को सौंप दिया गया। आज यह हिंदी के विकास और प्रचार से संबंधित योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण, विज्ञानेतर कोश और विश्वकोश के निर्माण, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि का कार्य करता है।

3) **केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो** की स्थापना 1971 में उस समय हुई जब राजभाषा संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आ गया। असांविधिक स्वरूप के कार्यविधि साहित्य तथा मैनुअलों और फ़ार्मों के अनुवाद का दायित्व ब्यूरो का है। इसके *अतिरिक्त ब्यूरो केंद्र सरकार तथा उसके स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के हिंदी कर्मचारियों के* लिए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

4) **राजभाषा (विधायी) आयोग खंड** विधि मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसने अंग्रेज़ी-हिंदी विधि शब्दावली तैयार की है। इसके अतिरिक्त यह सांविधिक कागज़ात अर्थात केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि का हिंदी अनुवाद भी करता है।

5) **हिंदी शिक्षण योजना** को अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए सन् 1952 में शुरू किया गया था। आरंभ में यह विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन था किंतु सन् 1955 में इस गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। यह हिंदी के तीन स्तरों के पाठ्यक्रम चलाता है— (1) प्रबोध (2) प्राज्ञ (3) प्रवीण।

6) **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान** की स्थापना सन् 1985 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन की गई। इसका कार्य अधिकारी स्तर के कर्मचारी वृंद को हिंदी प्रशिक्षण देना है।

7) **केंद्रीय हिंदी संस्थान** सन् 1961 से हिंदी शिक्षण कार्य में संलग्न है। अहिंदी भाषियों तथा विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, शिक्षण प्रविधियों का विकास करने तथा तदनुकूल शिक्षण सामग्री निर्माण के अतिरिक्त यह हिंदी भाषा और साहित्य में अनुसंधान कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार की अधिकारियों तथा कर्मचारियों

के लिए सेवा-माध्यम के हिंदी पाठ्यक्रम चलाने और हिंदी शिक्षण संबंधी शोध सामग्री का प्रकाशन का कार्य भी कर रहा है। इसके केंद्र दिल्ली, हैदराबाद तथा गुवाहाटी में भी हैं।

8) **भारतीय भाषा संस्थान,** मैसूर 1969 से भारतीय भाषाओं के अध्यापन, अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी माध्यम से शिक्षण को सुग्राह्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण व प्रकाशन का कार्य हिंदी भाषी राज्यों की विभिन्न हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय करता है। इन पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन व्यय का वहन शिक्षा मंत्रालय हिंदी पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत करता है।

बोध प्रश्न

3 नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान पर दीजिए।

क) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के संबंध में राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिए?

....

....

....

ख) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है?

....

....

....

ग) अनुवाद कार्य की ज़िम्मेदारी किस संस्था की है?

....

....

....

घ) विविध भारतीय भाषाओं के विकास, प्रसार और संबद्ध अनुसंधान का कार्य किन संस्थाओं का है?

....

....

....

4 नीचे शब्दों की दो सूचियाँ दी गई हैं। "क" सूची में दिए गए शब्द "ख" सूची के शब्दों से संबंधित हैं। किंतु दोनों सूचियों के क्रम अलग-अलग हैं। "क" सूची के शब्द से संबंधित शब्द "ख" सूची में खोज कर उन्हें सही क्रम से लिखिए:

	क	ख
क)	उपबंध	संविधान सभा
ख)	अध्यादेश	अभिव्यक्ति
ग)	हिंदी	राष्ट्र
घ)	संविधान	संसद
ङ)	प्रगति	विधान मंडल
च)	विधायक	अधिनियम
छ)	विधेयक	शब्दकोश
ज)	शब्दार्थ	राजभाषा
झ)	भाषा	राष्ट्रपति
ञ)	प्राधिकृत पाठ	संविधान

12.5 राजभाषा अधिनियम (यथा संशोधित) 1967

राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। किंतु अहिंदी भाषियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के आश्वासनों को कानूनी रूप देते हुए सन् 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। तब से यह इसी रूप में लागू है।

राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि सन् 1965 के बाद केवल हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी। किंतु अंग्रेज़ी का प्रयोग करने की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प न पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदन भी इस संबंध में संकल्प पारित न कर दें।

12.5.1 संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

ऊपर हमने देखा कि राजभाषा अधिनियम 1967 में की गई व्यवस्था के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी के प्रयोग की भी छूट दी गई है। आज हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में करने की छूट है। किंतु कुछ कामों के लिए हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है, ये हैं:

1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 में बताए गए सभी कागज़ात हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में होने चाहिए। ये कागज़ात हैं—
   i) सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ आदि।
   ii) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गयी रिपोर्टें और सभी कागज़ात।
   iii) केंद्रीय सरकार या उसके नियमों द्वारा की गयी संविदाएँ, करार तथा इनके द्वारा जारी किये गये लाइसेंस, परमिट, निविदा फार्म आदि।
2) *अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार*
3) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सभी नियम पुस्तकें, संहिताएँ और फ़ार्म
4) रजिस्टरों के शीर्षक
5) फाइल कवरों पर विषय
6) पत्र शीर्ष
7) स्टाफ कारों आदि की प्लेटों पर कार्यालयों के नाम
8) मुद्राएँ और रबड़ की मोहरें
9) कार्यालयों के नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि
10) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र
11) समस्त भारत या हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापन
12) सम्मेलनों की कार्यसूची की टिप्पणियाँ तथा कार्यवृत्त।

12.5.2 कानूनों के हिंदी अनुवाद को मान्यता

केंद्रीय अधिनियमों या राष्ट्रपति के अध्यादेशों या संविधान या केंद्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए आदेशों, नियमों आदि का जो हिंदी अनुवाद सरकारी गज़ट में छपेगा वह उनका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी यही नियम लागू होगा।

इसी तरह राज्य के सरकारी गज़ट में राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित राज्य के अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद भी उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

12.5.3 वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा अधिनियम के पास होने के साथ-ही-साथ संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पास किया जिसके अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हर वर्ष तय किया जाता है कि कार्यक्रम को किस सीमा तक लागू किया जाएगा। इसी के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन किया जाता है।

12.6 राजभाषा नियम 1976

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्था को सरकारी कामकाज में लागू करने के लिए राजभाषा नियम बनाए गए हैं। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में इनका पालन आवश्यक है। इस तरह ये नियम संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा के इस्तेमाल के लिए हैं। इनका नाम "राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976" है। ये तमिलनाडु को छोड़ कर संपूर्ण भारत पर लागू हैं।

इन नियमों के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम अभिप्रेत है;

ख) "केंद्रीय सरकार के कार्यालय" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात्:

(i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और

(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय;

ग) ''कर्मचारी'' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

ङ) ''हिन्दी में प्रवीणता'' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

च) ''क्षेत्र क'' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

छ) ''क्षेत्र ख'' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

ज) ''क्षेत्र ग'' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

झ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि— (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्री सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं में छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से—

क) 'क्षेत्र ख' में किसी राज्य या संघ क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं, तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

ख) 'क्षेत्र ख' के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में भेजे जा सकते हैं।

3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेज़ी में होंगे।

4) उपनियम 1) और 2) में किसी बात के होते हुए भी 'क्षेत्र ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र क' या 'क्षेत्र ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि—

क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क्षेत्र क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें;

ग) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के से कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है पत्रादि हिंदी में होंगे;

घ) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और 'क्षेत्र ख' या 'क्षेत्र ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ङ) 'क्षेत्र ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

सरकारी कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार की उपर्युक्त स्थिति को हम नीचे दिए गए चार्ट द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।

चार्ट सं. 1
केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा

प्रेषक कार्यालय	प्राप्तिकर्ता कार्यालय				
केंद्र	केंद्र (मंत्रालय विभाग)	संलग्न/अधीनस्थ	''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
केंद्र	हि./अं.	हि.	हि.		
''क'' क्षेत्र			हि.	हि./अं.	हि./अं.
''ख'' क्षेत्र			हि./अं.	हि./अं.	हि/अं.
''ग'' क्षेत्र	हि./अं.		हि/अं.	हि./अं.	हि./अं.

चार्ट सं. 2

केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा

प्रेषक		प्राप्तिकर्ता	
		राज्य का कार्यालय	व्यक्ति
केंद्र	"क" क्षेत्र	हि./अं. (हि. अनु.)	हि./अं. (हि. अनु.)
केंद्र	"ख" क्षेत्र	हि./अं. (हि. अनु.)	हि./अं. (हि. अनु.)
केंद्र	"ग" क्षेत्र	अं.	अं.

किंतु हिंदी में प्राप्त किसी भी पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है चाहे वह पत्र किसी व्यक्ति से आया हो या किसी संस्था से या किसी राज्य सरकार से।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के नाम के बोर्ड

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के नाम के बोर्डों के लिए यथास्थिति दो भाषाओं या तीन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा :

i) हिंदी भाषी राज्यों या दिल्ली में स्थित कार्यालयों के बोर्डों पर कार्यालय का नाम सबसे ऊपर हिंदी में लिखा जाएगा, फिर अंग्रेज़ी में।

ii) अहिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों के बोर्डों पर कार्यालय का नाम सबसे ऊपर क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भाषा में लिखा जाएगा, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में।

बोध प्रश्न

5 निम्नलिखित के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।

क) रजिस्टरों के शीर्षक

ख) कार्यालयों के नामपट्ट और सूचनापट्ट

ग) किसी व्यक्ति से हिंदी में आए पत्र का उत्तर

घ) फाइल कवरों पर विषय

ङ) केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र-व्यवहार

च) केंद्रीय सरकार के कार्यालय और "ग" क्षेत्र के किसी कार्यालय के बीच पत्र-व्यवहार

छ) किसी कार्यालय से हिंदी में आये पत्र का उत्तर

6 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उनके सामने लिखे "हाँ" या "नहीं" पर ' √' का निशान लगा कर दीजिए।

क) राजभाषा अधिनियम में अहिंदी भाषियों के हितों का ध्यान रखा गया है। हाँ/नहीं

ख) हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी या अंग्रेज़ी मे करने की छूट है। हाँ/नहीं

ग) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सभी नियम पुस्तकें, संहिताएं और फर्म केवल हिंदी में होंगे। हाँ/नहीं

घ) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र केवल एक भाषा में हो सकते हैं। हाँ/नहीं

ङ) सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हाँ/नहीं

च) राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 में बताए गए सभी कागज़ात हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में होने चाहिए। हाँ/नहीं

7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिये गये स्थान पर अधिक से अधिक चार-पाँच शब्दों में दीजिए :

क) केंद्र और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा क्या होगी?

....

ख) क्या राजभाषा नियम संपूर्ण भारत पर लागू है?

....

ग) द्विभाषिक स्थिति से आप क्या समझते हैं?

....

घ) हिंदी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है?

....

ङ) राजभाषा अधिनियम और नियमों में दिये गये उपबंधों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं यह देखने की ज़िम्मेदारी किसकी है?

....

12.7 भाषा विवेचन

12.7.1 राष्ट्रभाषा

इस इकाई में आप राजभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर है अथवा ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। अब हम आपको इन दोनों का अंतर बतायेंगे। राजभाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश की उस भाषा को कहते हैं जिसका इस्तेमाल पूरे देश अथवा देश के अधिकांश भाग में किया जाता हो, साथ ही जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हों। उसमें उच्चकोटि का साहित्य हो तथा उसका शब्द-भंडार व्यापक हो। इसके साथ ही वह देश की सामासिक परंपराओं की प्रतिनिधि भाषा हो।

उसमें भावनात्मक एकता स्थापित करने की क्षमता हो। इन सबके अतिरिक्त वह सीखने में आसान हो तथा उसमें देशी-विदेशी शब्दों को आवश्यकतानुसार ग्रहण करने और पचाने की शक्ति हो। इस दृष्टि से हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश को भावनात्मक एकता में बाँधने और जनमानस में आत्म-सम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना के विकास के लिए गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था और सरल हिंदी के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया था।

12.7.2 संपर्क भाषा

यहीं आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त संपर्क भाषा क्या है? किसी भी बहुभाषी देश में विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। इसका इस्तेमाल केवल बात कहने-सुनने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है। संपर्क भाषा का विकास किसी देश के जनसामान्य अपनी ज़रूरत के अनुसार स्वयं ही कर लेता है। प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा संस्कृत थी। मध्ययुग में हिंदी संपर्क भाषा बनी। मुगल काल में भी यह संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही। अंतर्प्रांतीय व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का कारण देश की विशेष परिस्थितियाँ थीं। उस समय आगरा देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था और पूँजीपति और व्यापारी लोग देश के विभिन्न अहिंदी प्रदेशों में जाकर बस गए थे। अतः व्यापार के क्षेत्र में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग काफी व्यापक हो गया था। इसीलिए अंग्रेज़ व्यापारियों ने हिंदी सीखने की ज़रूरत महसूस की थी।

12.7.3 राजभाषा हिंदी का स्वरूप

इस इकाई में हमने संविधान में हिंदी की स्थिति के बारे में चर्चा की है। यह भी देखा है कि किन-किन कामों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली हिंदी का स्वरूप कैसा है।

सरकारी कामकाज का संबंध विधिक तथा प्रशासनिक विषयों से लेकर आम आदमी तक होता है। इसमें एक ओर तो शासनतंत्र को चलाने वाला अधिकारी-कर्मचारी वर्ग शामिल होता है जो नियमों, कानूनों, प्रविधियों और तौर-तरीकों से परिचित होता है, दूसरी ओर इसका संबंध आम आदमी से भी होता है, क्योंकि शासन-व्यवस्था किसी भी देश के नागरिकों के जीवन को व्यवस्थित, नियंत्रित और सुख-सुविधापूर्ण बनाने के लिए होती है। अतः शासकीय कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट, सुनिश्चित और औपचारिक होती है। इसमें जो बात कही जाए उसका वही अर्थ निकलना ज़रूरी होता है जो कहने वाले को अभीष्ट है। साथ ही इसमें अनेकार्थकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके अतिरिक्त यहाँ कठिनता, जटिलता और दुरूहता भी अपेक्षित नहीं होती। यहाँ तो ऐसी सरल और स्पष्ट भाषा अपेक्षित होती है जो सबकी समझ में आ सके।

इस दृष्टि से राजभाषा हिंदी साहित्यिक हिंदी से भिन्न है। साहित्य में भाषा के अनेकार्थी, लाक्षणिक, व्यंजनाश्रित तथा प्रतीकात्मक प्रयोग की पूरी संभावना होती है। बात को सीधे ढंग से भी कहा जा सकता है और घुमा फिरा कर भी। भाषा का लालित्यपूर्ण और सांकेतिक प्रयोग भी हो सकता है। किंतु सरकारी कामकाज की हिंदी का सरल, स्पष्ट, एकार्थक और सहज होना नितांत आवश्यक है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि राजभाषा का संबंध उन लोगों से भी है जो अहिंदी भाषी है या जिन्हें हिंदी बहुत कम आती है।

सरकारी कामकाज की भाषा आम बोलचाल की भाषा से भी भिन्न है। आम बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है किंतु राजभाषा औपचारिक होती है। हम अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं या उन्हें जिस भाषा में पत्र लिखते हैं उनका इस्तेमाल हम शासकीय पत्रों या कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में नहीं करते।

राजभाषा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली होती है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित होता है। किसी शब्द का यहाँ वही अर्थ निकलता है जो प्रयोक्ता को अभीष्ट हो, अन्य कोई अर्थ या संभावनार्थ निकलने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। इस पाठ में आपने कई ऐसे शब्दों की ओर भी ध्यान दिया होगा जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में किसी भिन्न अर्थ या अर्थों के द्योतक हैं, किंतु यहाँ उनका अर्थ विशिष्ट और सुनिश्चित है। नीचे के शब्दों को देखिए। आम जीवन में इनका इस्तेमाल अन्य अर्थों में होता है किंतु राजभाषा क्षेत्र में वे एक निश्चित अर्थ के द्योतक हैं—

		आम प्रयोग में	प्रशासनिक अर्थ में
सदन	—	कोई भी गृह या भवन	संसद का सदन
निगम	—	वेद, वेद का कोई अंश, वेद सम्मत ग्रंथ	वह निकाय या संस्था जो कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति की तरह काम करने के लिए सक्षम हो
धारा	—	द्रव पदार्थ का गिरना या बहना जैसे नदी का बहना (नदी की धारा या जल धारा)	दफ़ा, किसी अधिनियम आदि का वह स्वतंत्र अंग जिसमें किसी एक विषय की सब बातें या आदेश शामिल हों
पद	—	(1) पैर, कदम (2) भक्तिपरक गीत, (3) अभिव्यक्ति	ओहदा, कार्य और योग्यता के अनुसार नियत स्थिति
विधि	—	कार्य करने का ढंग या तरीका	कानून

पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में होता है—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम कानून का पालन सुनिश्चित करना। इस तरह इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से भाषा के दो रूप होते हैं—विधिक (विधि संबंधी) और प्रशासनिक (प्रशासन संबंधी) यानी कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली भाषा।

इस खंड की पिछली इकाइयों में हम सामाजिक विज्ञानों तथा विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में विधि तथा प्रशासन की पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा है। विधि का हमने कोई कठिन प्रसंग नहीं लिया। संविधान में किए गए राजभाषा संबंधी उपबंधों को लिया है जिनके माध्यम से दोहरी जानकारी मिलती है—संविधान में की गई व्यवस्था तथा विधि की भाषा।

विधि की भाषा सदैव स्पष्ट, सुनिश्चित, वस्तुनिष्ठ और एकार्थक होती है। वहाँ भाषा के शैलीगत सौंदर्य की बजाए अर्थ की निश्चितता पर ज़ोर दिया जाता है। वाक्य-विन्यास तथा शब्द प्रयोग का यहाँ एक विशिष्ट और रूढ़ ढाँचा होता है जिसके अंतर्गत शब्दों की व्याख्या करने का चाहे जितना भी प्रयास किया जाए उनके एक से अधिक अर्थ नहीं निकल सकते। उदाहरण के लिए पाठ में पृष्ठ 76 पर एक वाक्य आया है "संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ज़ारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप-विधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।" इस वाक्य में विधि (law) नियम (rules) विनियम (regulations) आदेश (orders) और उपविधि (by laws) पाँच चीज़ों का उल्लेख किया गया है। मोटे तौर पर ये सभी सरकार द्वारा जारी कायदे-कानून हैं जिनका पालन आवश्यक है। किंतु हर एक का उल्लेख अलग-अलग इसलिए किया गया है कि विधिक भाषा में हर एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है 'नियम' की जगह 'विनियम' अथवा 'उपवधि' का प्रयोग नहीं हो सकता इसी तरह 'विधि' और 'नियम' समानार्थी नहीं हो सकते। पहले संसद अथवा विधान मंडल कोई अधिनियम बनाता है, बाद में उस विधि को कार्यान्वित करने के लिए उसके अधीन नियम बनाए जाते हैं। आपने पाठ में पढ़ा है कि राजभाषा अधिनियम 1967 के अधीन राजभाषा नियम 1976 बनाए गए।

इस तरह हम देखते हैं कि आम बोलचाल में हम भले ही 'पानी' के स्थान पर 'जल' शब्द का इस्तेमाल कर लें, राजभाषा के क्षेत्र में 'अनुमति' या 'स्वीकृति' जैसे शब्दों को अलग-अलग अर्थ में ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ समानार्थी शब्दों का प्रयोग भी औपचारिक और सुनिश्चित होता है। इसी तरह कार्यालय की भाषा में कोई 'मसौदा' या 'मामला' उच्चतर अधिकारी के 'आदेशार्थ' प्रस्तुत किया जाएगा 'आज्ञार्थ' नहीं।

12.8 शब्दावली

पारित— (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो किसी सभा, विधान सभा, संसद आदि में विधिपूर्वक स्वीकृत हो चुका हो।

उपबंध (provision)—किसी विधि, अधिनियम आदि के वे खंड या उपखंड जिनमें किसी बात की संभावना आदि को

आयोग (commission) — कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल।

समिति—विशेष कार्य के लिए गठित थोड़े से व्यक्तियों की सभा

मानक—परखने या मापने का सुनिर्धारित स्तर या क्रम

अधिसूचना (notification)—अधिकृत सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गज़ट में छपी सूचना।

गज़ट—सरकारी अखबार, वह सामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएँ प्रकाशित हों।

अधिनियम (act)—विधायिका द्वारा पारित या स्वीकृत विधि।

अध्यादेश (ordinance) —राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ज़ारी किया गया वह आधिकारिक आदेश जो किसी आकस्मिक या विशेष स्थिति में थोड़े समय के लिए लागू हो और जो उक्त स्थिति के न रहने पर वापस ले लिया जाए या आवश्कता बनी रहने पर संसद या विधान सभा द्वारा अधिनियम के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए।

निविदा (tender) — आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएँ जुटा देने, पहुँचा देने का लिखित वादा।

संविदा—कुछ निश्चित शर्तों पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच होने वाला समझौता।

मसौदा (draft) — (अ० मसव्वदा) दुहराने के लिए लिखित—अशोधित लेख, पुस्तकादि का मूल लेख।

विधेयक (bill)—किसी विधान, अधिनियम आदि का वह प्रारूप (मसौदा) जो पारित होने के लिए लोक सभा, विधान सभा आदि में रखा जाए।

प्रारूप—किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जो शीघ्रता में तैयार कर लिया जाता है, किंतु बाद में कुछ काट-छाँट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, मसौदा, खर्रा, प्रालेख।

मंत्रालय—मंत्री तथा उसके विभाग का कार्यालय, मंत्री उसके सचिव तथा अन्य कर्मचारियों का समूह (मंत्री और उसका विभाग)।

संविधान—वह विधान तथा मौलिक सिद्धांतों का समूह जिसके अनुसार किसी देश या राज्य या संस्था का संघटन, संचालन आदि होता है।

संविधान सभा—किसी देश का संविधान तैयार करने वाली सभा।

संशोधन—शुद्धीकरण, शुद्ध करने का साधन, अदायगी, सुधारना, संस्कार करना (विधि के संदर्भ में) पहले बने नियम या अधिनियम में परिवर्तन।

अनुच्छेद—किसी अधिनियम, विधान, नियमावली, संविदा आदि का वह विशिष्ट अंग या अंश जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदि का उल्लेख हो। लेख आदि का वह अंश जिसमें कोई एक बात कही गई हो और जिसकी पहली पंक्ति आरंभ में कुछ स्थान छोड़कर लिखी गई हो।

अनुज्ञप्ति (permit)— कोई वस्तु बेचने-खरीदने आदि की अनुमति जो उचित शुल्क देने पर प्राप्त की गई हो (अनुज्ञापत्र)।

विनियम—वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि के प्रबंध या नियंत्रण के लिए प्राधिकृत आदेश से या निश्चय के अनुसार बनाया गया हो।

विनिर्देश (specification)— निश्चित रूप से कोई बात कहना या निर्देश करना, इस प्रकार कही हुई बात, विशेषताओं संबंधी विवरण।

अंतर्प्रांतीय—विभिन्न प्रांतो के बीच।

12.9 भाषिक विवेचन

इस इकाई में हम निम्नलिखित के बारे में चर्चा करेंगे—
अनेकार्थी शब्द
भिन्नार्थक शब्द
समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद
एक शब्द प्रतिस्थापन
वर्तनी संबंधी कुछ भूलों का सुधार

12.9.1 अनेकार्थी शब्द

इस पाठ में आपने कई ऐसे शब्द पढ़े हैं जिनका अर्थ भिन्न-भिन्न संदर्भों में भिन्न-भिन्न होता है। अन्यत्र भी आपने ऐसे शब्द पढ़े होंगे जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए ''विधि'' शब्द को लीजिए इसके दो अर्थ हैं—

(1) किसी कार्य को करने का ढंग; और (2) कानून पाठ में राजभाषा के स्वरूप की चर्चा करते समय बने ऐसे शब्दों के अनिश्चित अर्थ में प्रयोग . के बारे में बताया है ।

अभ्यास

1. नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे है जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। इन शब्दों के दो-दो अर्थ लिखिए-
   - i) प्रबन्ध ....
   - ii) संघ ....
   - iii) विभाग ....
   - iv) अनुच्छेद ....
   - v) संकल्प ....

2. नीचे दिए गए शब्दों के दो-दो वाक्य इस प्रकार बनाइए उनके दो अलग-अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं -
   - i) पाठ ....
   - ii) धारा ....
   - iii) सदन ....
   - iv) पद ....
   - v) निगम ....
   - vi) रिपोर्ट ....

12.9.2 भिन्नार्थक शब्द

अक्सर हम देखते हैं कि कुछ शब्द एक-दूसरे से मिलते-जुलते मालूम पड़ते हैं जैसे- 'उपेक्षा' और 'अपेक्षा' दो शब्द मिलते-जुलते से मालूम होते हैं। इनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है किंतु अर्थ की दृष्टि से बिलकुल भिन्न हैं । 'उपेक्षा' का अर्थ है तिरस्कार या अवहेलना । जबकि 'अपेक्षा' का अर्थ है आवश्यकता, आशा, आकांक्षा आदि । इस तरह के समध्वनीय भिन्नार्थक- शब्दों का अंतर समझना ज़रूरी होता है अन्यथा हम भाषा प्रयोग में बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। 'उपेक्षा' की जगह यदि हम 'अपेक्षा' शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसी तरह 'विधेयक' का अर्थ होता है किसी अधिनियम का प्रारूप जो पारित होने के लिए संसद के सदन या राज्य। मंडल में विचारार्थ रखा जाता है और 'विधायक' शब्द का अर्थ होता है विधान बनाने वाला यानी विधान मंडल का सदस्य । इन दोनों के अर्थ को न समझने से इनके प्रयोग में भूल हो सकती है। इस पाठ में आपके सामने ऐसे कई शब्द आए हैं जो मिलते-जुलते दिखायी देते है। इनके सही 'अर्थ का ध्यान रखें।

अभ्यास

3. नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उनके सामने कोष्ठक में दिए गए समध्वनीय शब्दों में से उपयुक्त शब्द छाँटिए।
   - i) हिंदी को भारत की ....संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाने का उद्देश्य भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया है। (सामाजिक सामासिक, सार्वजनिक, सार्वत्रिक)
   - ii) किसी राष्ट्र की .... के लिए जरूरी है कि उसका सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में हो। (प्रकृति प्रवृत्ति, प्रगति, प्रविधि)
   - iii) कोई ....तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे दोनों सदनों में पारित कर दिया जाए । (विधिक विधेयक, विधायक)
   - iv) राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति दोनों का मत था कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह देने की कोई तारीख ....न की जाए । (नियुक्ति, नियत,नियमित, निगमित)
   - v) भारत एक .... राष्ट्र है । (बहुभाषा हिंदी भाषी, अहिंदी भाषी बंगला भाषी)

4. नीचे दिए गए शब्द आपस में मिलते-पलते हैं किन्तु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं। उनका अंतर दिखाते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए ।
   - i) समिति सीमित
   - ii) उपेक्षा उपेक्षा
   - iii) समृद्ध संबद्ध
   - iv) प्रमाद प्रसार

5. निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति "संबंध", "प्रबंध", "उपबंध" "निबंध" शब्दों को भरकर कीजिए।
   - i) कंपनी का...............करने वाला व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है ।
   - ii) राजभाषा संबंधी.......................संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं।
   - iii) संविधान सभा ने राजभाषा के .... में निर्णय में 14 सितंबर 1949 को लिया ।
   - iv) हमें .... लिखना आना चाहिए।

v) 'राजभाषा' नियमों में किए गए .... का पालन अनिवार्य है ।

vi) भारतीय भाषाओं का परस्पर .... बहनों का सा है ।

6. नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए-

i) योजना का ....तैयार कर लिया गया है । (संविदा, निविदा, मसौदा)

ii) केंद्रीय सरकार तथा उसके निगमों द्वारा की जाने वाली .... हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की जानी चाहिए । (संविदा निविदा, मसौदा)

iii) लिपिक ने पत्र का ....अधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। (संविदा निविदा, मसौदा)

iv) इमारत में बिजली की फिटिंग के लिए ....आमंत्रित किए गए। (संविदा निविदाएँ, मसौदा)

v) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना राष्ट्रपति के ....से सन् 1960 में की गई1 (प्रदेश (आदेश, संदेश)

vi) भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नीम .... देते हैं । (प्रदेश आदेश, संदेश)

12.9.3 समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद

आपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में सुना होगा । एक ही अर्थ के द्योतक विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है । उदाहरण के लिए 'पानी' शब्द को लें। 'जल', नीर', 'पानी' के समानार्थी शब्द है। इसी तरह 'अनुमति' और 'स्वीकृति' समानार्थी हैं । किंतु अक्सर यह देखने में आता है कि समानार्थी शब्द एक अर्थ के द्योतक होने के बावजूद उनकी अर्थच्छायाओं में सूक्ष्म भेद होता है। यह भेद प्राय उनके प्रयोग के आधार पर स्पष्ट होता है । उदाहरण के लिए हम दो शब्द लेते है । 'इच्छा' और 'आकांक्षा' इनका प्रयोग देखिए । हम कहेंगे -मुझे पानी पीने की इच्छा है' पर हम यह कभी नहीं कहेंगे कि "मुझे पानी पीने की आकांक्षा है" 'आकांक्षा' शब्द का प्रयोग वस्तुतः किसी व्यापक अर्थ के लिए होता है । , जैसे- कि बड़ा आदमी बनने की आकांक्षा है' । शब्द के सूक्ष्म अर्थगत भेद को समझ कर ही भाषा का सहज और सार्थक प्रयोग करना संभव होता है ।

अभ्यास

7. i) नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में कुछ समानार्थी शब्दों दिए गए हैं इनमें से उपयुक्त शब्द को सामने सही का निशान लगाइए।

क) मैंने प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अपनी (अनुमति स्वीकृति, सहमति) है दी है।

ख) मैं अपने अधिकारी की (अनुमति स्वीकृति, सहमति) के बगैर कार्यालय समय से जल्दी नहीं जा सकता।

ग) समिति के सभी सदस्यों की (अनुमति स्वीकृति), सहमति) से प्रस्ताव पास कर दिया गया।

ii) नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान' की पूर्ति के लिए उनके सामने दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए।

क) सभी ....कागजात फाइल में नत्थी कर दिए जाएं। (वांछनीय अपेक्षित, अभीष्ट)।

ख) राजभाषा नियमों के .... के लिए भारत के राज्यों को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है। (प्रयोजन ध्येय, लक्ष्य, मकसद)

ग) संविधान में कहा गया है कि हिंदी के ....का विस्तार संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए किया जाए । (शब्दकोश शब्द-भंडार शब्द-संग्रह)

12.9.4 एक शब्द प्रतिस्थापन

आप पढ़ चुके हैं कि पारिभाषिक शब्दों के अर्थ ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित होते हैं। वे किसी अवस्था, संकल्पना, प्रक्रिया अथवा प्रविधि को व्यक्त करते हैं।

8. नीचे कुछ वाक्यांश ऐसी ही संकल्पनाओं को प्रकट करते हैं उनके लिए एक शब्द बताइए :

i) किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल।

ii) वांछित वस्तुओं को आवश्यक रकम लेकर जुटा देने या पहुँचा देने का वादा

iii) मंत्री तथा उसके विभाग व कार्यालय

iv) वह सामायिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएँ छपती हैं ।

v) वह विधान तथी मौलिक सिद्धान्तों का दस्तावेज जिसके अनुसार किसी देश या राज्य या संस्था का संघटन,

12.9.5 वर्तनी संबंधी कुछ भूलों का सुधार

अभ्यास

9 कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें लिखने में प्रायः लोग गलती करते हैं। हो सकता है कि आप भी इनकी वर्तनी-गलत लिखते हों। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इन्हें दो रूपों में लिखा गया है इन दो रूपों से जो रूप वर्तनी की दृष्टि से सही हो उसके आगे सही का निशान लगाइए—

i) स्थायी/स्थाई
ii) राजपाल/राज्यपाल
iii) शब्दकोश/शब्दकोष
iv) द्रष्टि/दृष्टि
v) अनुगृह/अनुग्रह
vi) स्रष्टि/सृष्टि
vii) श्रंगार/शृंगार
viii) स्रोत/स्त्रोत
ix) भाषाई/भाषायी

12.10 सारांश

इस इकाई में आपने राजभाषा हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपने पढ़ा है कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया? संविधान में राजभाषा के संबंध में की गयी व्यवस्था के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों के अतिरिक्त हिंदी के प्रचार-प्रसार के बारे में किये गये प्रयासों के बारे में भी आपने पढ़ा है।

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के अंतर को भी आपने जान लिया है। आपको पता चल गया है कि राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप कैसा है तथा हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से यह किस प्रकार भिन्न है। विधि तथा प्रशासन के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आपने कई दृष्टियों से किया है। अनेकार्थी शब्दों के विविध क्षेत्रों में प्रयोग, समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अर्थगत भेदों के आधार पर उनके प्रयोग तथा समध्वनीय भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है।

12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

i) राजभाषा के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए देखें—
'सरकारी कामकाज में हिंदी' रमा प्रसन्न नायक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

प्राज्ञ पाठमाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

भारत का संविधान, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड।

ii) इकाई 4 में आप शब्दकोश के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्दकोश देखना भी आपने सीख लिया है। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में एक अन्य बात ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के आधार पर हुआ है। यदि आप अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय देखना चाहें तो उन्हें अंग्रेज़ी-हिंदी कोश में अंग्रेज़ी वर्ण क्रम के अनुसार देखें। पारिभाषिक शब्दों के लिए सामान्य अंग्रेज़ी-हिंदी शब्द-कोशों को देखने की बजाय पारिभाषिक अंग्रेज़ी-हिंदी कोश देखना चाहिए। इस इकाई में आप पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। आयोग द्वारा तैयार किए गए कोशों की सहायता आप ले सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह	अंग्रेज़ी-हिंदी	(मानविकी) दो खंडों में, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह	अंग्रेज़ी-हिंदी	(विज्ञान) दो खंडों में, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के लिए साहित्य, वाणिज्य, मानविकी तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अलग-अलग हिंदी पर्याय निर्धारित किए गए हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेज़ी के "Plant" शब्द को लें। विज्ञान में इसका हिंदी पर्याय होगा "पौधा" या "पादप"। उद्योग के क्षेत्र में इसका पर्याय होगा "संयंत्र"। इसी तरह "Bill" शब्द है। वाणिज्य में इसका पर्याय होगा "हुंडी" और विधि में इसका पर्याय होगा "विधेयक"। अतः ऐसे शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुकूल ग्रहण किया जाना चाहिए। पारिभाषिक

शब्दकोशों में संकेत दिया जाता है कि किस संदर्भ में शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा। "Charge" शब्द के पर्यायों का उदाहरण देखिए।

charge	*Admn.*	1. प्रभार, खर्च, व्यय 2. कार्यभार
	Com	1. प्रभार, खर्च, व्यय 2. गहन
	Commmun.	विद्युत् आवेश
	Hist.	कीर्ति-चिह्न
	Lib. Sc.	निर्गम लेखा
	Pol. Sc.	1. (*n*), आरोप (*vb.*) आरोप लगाना 2. धावा, हमला

iii) यदि आप किसी पारिभाषिक शब्द का सही-सही अर्थ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप परिभाषा कोश की मदद ले सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जा रहे हैं:

सांख्यिकी परिभाषा कोश, श्री लज्जा राम सिंहल, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश, डॉ. ओम प्रकाश गाबा, बी.आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, दिल्ली।

भूगोल परिभाषा कोश, केंद्रीय हिंदी निदेशालय।

प्राणि विज्ञान परिभाषा कोश, केंद्रीय हिंदी निदेशालय।

शिक्षा परिभाषा कोश, केंद्रीय हिंदी निदेशालय।

नोट—राजभाषा हिंदी नामक ऑडियो पाठ इस इकाई से संबद्ध है। इस ऑडियो को सुनें।

12.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 (क) हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति नष्ट न हो
(ख) 15 वर्ष

2 (क) (√) (ख) (×) (ग) (×) (घ) (√) (ङ) (√) (च) (×) (छ) (√)

3 क) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
ख) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने का कार्य दो संस्थाएँ कर रही हैं।—हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
ग) अनुवाद कार्य की ज़िम्मेदारी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा राजभाषा (विधायी) खंड की है।
घ) केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा भारतीय भाषा संस्थान।

4 क)	उपबंध	संविधान
ख)	अध्यादेश	राष्ट्रपति
ग)	हिंदी	राजभाषा
घ)	संविधान	संविधान सभा
ङ)	प्रगति	राष्ट्र
च)	विधायक	विधान मंडल
छ)	विधेयक	संसद
ज)	शब्दार्थ	शब्दकोश
झ)	भाषा	अभिव्यक्ति
ञ)	प्राधिकृत पाठ	अधिनियम

5 (क) हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों (ख) दोनों (ग) हिंदी (घ) दोनों (ङ) हिंदी या अंग्रेज़ी
(च) अंग्रेज़ी (छ) हिंदी

6 (क) हाँ (ख) हाँ (ग) नहीं (घ) नहीं (ङ) हाँ (च) हाँ

7 (क) हिंदी या अंग्रेज़ी
(ख) नहीं
(ग) हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग ज़ारी रखने की स्थिति
(घ) उन्हें हिंदी सिखाने की व्यवस्था है
(ङ) संस्था या विभाग के प्रधान को

अभ्यास

1 i) (क) व्यवस्था
(ख) ग्रंथ, निबंध

ii) (क) संघीय शासन व्यवस्था में संघ सरकार (केंद्र सरकार)
(ख) कोई सहयोगी संगठन या समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया हो

iii) (क) किसी वस्तु का कोई हिस्सा
(ख) मुहकमा

iv) (क) पैराग्राफ का भाग
(ख) किसी अधिनियम संविदा आदि का वह हिस्सा जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों का उल्लेख हो

v) (क) दृढ़ निश्चय
(ख) किसी सभा या सम्मेलन में लिया गया औपचारिक निर्णय

2 i) (क) मैंने अपना पाठ याद कर लिया है।
(ख) अधिनियम का प्राधिकृत पाठ विधि मंत्रालय में उपलब्ध होगा।

ii) (क) पहाड़ी इलाकों में नदी की धारा सँकरी किंतु बहुत तेज़ होती है।
(ख) शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई।

iii) (क) संसद के दो सदन क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा कहलाते हैं।
(ख) सदन में उपस्थित सभी लोग वाद-विवाद प्रतियोगिता के प्रतियोगियों के ज्ञान और अभिव्यक्ति क्षमता से प्रभावित थे।

iv) (क) सूरदास के पदों को शास्त्रीय संगीत की धुनों पर गाया जा सकता है।
(ख) श्री श्याम नंदन ने निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

v) (क) आगम-निगम परंपरा का ज्ञाता पंडित कहलाता है।
(ख) श्री शर्मा भारतीय खाद्य निगम में काम करते हैं।

vi) (क) चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है।
(ख) मैंने आज अखबार में सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ी।

3 i) सामासिक (ii) प्रगति (iii) विधेयक (iv) नियत (v) बहुभाषी

4 i) समिति — मामले की जाँच के लिए एक समिति बैठाई गई है।
सीमित — कोई योजना बनाते समय अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखना ज़रूरी है।
ii) उपेक्षा — गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी में यातायात के नियमों की उपेक्षा करना उचित नहीं है।
अपेक्षा — मुझे आप से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा न थी।
iii) समृद्ध — अमरीका एक समृद्ध देश है।
संबद्ध — सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचना दे दी गई है।
iv) प्रभाव — आपके भाषा ज्ञान का प्रभाव आपकी अभिव्यक्ति क्षमता पर अवश्य पड़ता है।
प्रभार — डाक द्वारा पुस्तक मँगाने पर पुस्तक के मूल्य के साथ-साथ डाक-प्रभार भी देने होंगे।

5 (i) प्रबंध (ii) उपबंध (iii) संबंध (iv) निबंध (v) उपबंधों (vi) संबंध

6 (i) मसौदा (ii) संविदा (iii) मसौदा (iv) निविदाएँ (v) आदेश (vi) संदेश

7 (i) (क) स्वीकृति (ख) अनुमति (ग) सहमति
(ii) (क) अपेक्षित (ख) प्रयोजन (ग) शब्द-भंडार

8 (i) आयोग (ii) निविदा (iii) मंत्रालय (iv) गज़ट (v) संविधान

9 (i) स्थायी (ii) राज्यपाल (iii) शब्दकोश (iv) दृष्टि (v) अनुग्रह
(vi) सृष्टि (vii) शृंगार (viii) स्रोत (ix) भाषाइ

शब्दावली

यहाँ इस खंड के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिये गये हैं।

अंक-विभाजन: अंक, नाटक के खंड को कहते हैं जिनमें कई दृश्य हो सकते हैं। नाटककार कथा की आवश्यकतानुसार, नाटक को एक से अधिक अंकों में विभाजित करता है। इसे ही अंक - विभाजन कहते हैं।

अंतर्विरोध: भीतरी विरोध। समाज में कई वर्ग होते हैं। इन वर्गों का पारस्परिक विरोध सामाजिक अंतर्विरोध कहलाएगा। समाज में इस दृष्टि से कई अंतर्विरोध हो सकते हैं। समाज के दो प्रमुख वर्गों के पारस्परिक विरोध को समाज का मुख्य अंतर्विरोध कहा जाता है।

अद्वैतवाद: भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत। अद्वैतवाद के अनुसार केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। आद्य शंकराचार्य को इस सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है।

अन्योक्ति: यह एक अलंकार है। इसमें जो प्रसंग का विषय नहीं होता ऐसे अर्थ से , वह अर्थ निकलता है जो प्रसंग का विषय होता है।

अभिजात: उच्च कुल में उत्पन्न।

अवतारवाद: इस बात में विश्वास करना कि ईश्वर मनुष्य रूप धारण करता है। जस, राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानना।

आदर्शवाद: साहित्य मे यथार्थ की बजाय आदर्शों को प्रमुखता देना आदर्शवाद कहलाता है।

आर्यावर्त: आर्यों का देश, भारत।

अलंकार: जिसके कारण काव्य की शोभा बढ़ती है।

आलंकारिक: अलंकार से युक्त।

आवृत्ति: दोहराना।

उत्प्रेक्षा: अलंकार का एक प्रकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

उपमा: कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उस वस्तु को बताया जाये, जिसकी उपमा देनी हो।

कवित्त: छंद का एक प्रकार। यह वार्णिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं।

काव्यशास्त्र: ज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें काव्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है।

किंवदंती: ऐसी बात जिसके सही होने का कोई प्रमाण न हो लेकिन जिसे समाज में प्रचार मिल गया हो।

खलनायक: दुष्ट प्रकृति का वह पात्र जिसका नायक से सीधा टकराव हो।

गांधार: भारत वर्ष का एक प्राचीन जनपद। पेशावर से कंधार तक का प्रदेश। यह क्षेत्र अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है

चौपाई: एक प्रकार का छंद। यह मात्रिक छंद है और इसके दो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं।

छंद: छंद युक्त रचना को पद्य या काव्य कहा जाता है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों (अक्षरों) या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है।

छंदमुक्त: वह पद्य रचना जो किसी छंद से बंधी न हो।

छंदोबद्ध: वह पद्य रचना जो किसी छंद या छंदों से बंधी हो।

तत्सम: संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं।

तद्भव: संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भिन्न रूप में प्रयुक्त होते हैं।

देशज: देश से उत्पन्न। यहाँ तात्पर्य उन शब्दों से है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हों और वे वहाँ की लोकभाषा के अपने शब्द होते हैं।

दैवीय: देवता संबंधी। अर्थात यास्तविकता का वह पक्ष जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण न हो।

दृश्य योजना: नाटक के अंकों के वे विभाजन जिसमें नाटक की कथावस्तु में स्थान, समय या कार्य व्यापार की दृष्टि से परिवर्तन होने से पर्दा गिराकर अंतराल देना पड़ता है। इन्हें ही दृश्य कहते हैं। नाटक में विभिन्न दृश्यों को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए की जाने वाली तैयारी दृश्य-योजना कही जाती है।

दोहा: मात्रिक छंद का एक प्रकार। इसमें चार चरण होते हैं और इसके विषम चरण में 13 मात्राएँ और सम चरण में 11 मात्राएँ होती हैं।

द्विवेदी युग: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाने वाला आधुनिक हिंदी साहित्य का वह युग जब द्विवेदी जी 'सरस्वती' का संपादन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह समय लगभग 1900 से 1920 के बीच माना जाता है।

NOTES

खंड

3

साहित्य का आस्वादन

इकाई 13

कहानी: पूस की रात (प्रेमचंद) 5

इकाई 14

उपन्यास: मानस का हंस (अमृतलाल नागर) 23

इकाई 15

नाटक: चंद्रगुप्त (जयशंकर प्रसाद) 35

इकाई 16

निबंध: क्रोध (रामचंद्र शुक्ल) 49

इकाई 17

आत्मकथा: गांधी जी की आत्मकथा 62

इकाई 18

कविताएँ 72

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो॰ बख्शीश सिंह (संयोजक)
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ॰ डी॰ पी॰ पटनायक
निदेशक
भारतीय भाषा संस्थान
मैसूर

डॉ॰ एस॰ के॰ वर्मा
निदेशक
केन्द्रीय अंग्रेज़ी तथा विदेशी भाषा संस्थान
हैदराबाद

डॉ॰ विश्वनाथ रेड्डी
आंध्रप्रदेश सार्वत्रिक विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ॰ नित्यानंद शर्मा
जोधपुर

प्रो॰ महेंद्र कुमार
हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण शर्मा
रीडर, हिंदी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

डॉ॰ रमानाथ सहाय (संपादक)
आगरा

डॉ॰ नित्यानंद शर्मा (संपादक)
जोधपुर

डॉ॰ लक्ष्मीनारायण शर्मा (संयोजक)

डॉ॰ शिवप्रसाद गोयल
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र

डॉ॰ त्रिभुवन सिंह
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी

डॉ॰ नंदलाल कल्ला
जोधपुर विश्वविद्यालय
जोधपुर

संकाय सदस्य
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ॰ वी॰ रा॰ जगन्नाथन
निदेशक, मानविकी विद्यापीठ

डॉ॰ सुंदरलाल कथूरिया

डॉ॰ जवरीमल पारख
(प्रस्तुत खंड का संयोजन)

श्री राकेश वत्स

सितम्बर 1996 पुनःमुद्रित
© *इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1988*
ISBN-81-7091-212-1

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खंड 3 का परिचय

इस खंड में हमारा लक्ष्य आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित कराना है ताकि आप साहित्य का आस्वादन ले सकें। साहित्य में भाषा का सृजनात्मक रूप व्यक्त होता है। साहित्य की भिन्न-भिन्न विधाओं में भाषा के भिन्न-भिन्न रूप दिखायी देते हैं। आपको इस खंड में इन सभी साहित्य-विधाओं के माध्यम से सृजनात्मक भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय मिलेगा जिससे आपको हिंदी भाषा की प्रकृति समझने में और मदद मिलेगी।

इस खंड में कुल छह इकाइयाँ हैं। इकाई 13 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'पूस की रात' वाचन के लिए दी गयी है। इकाई 14 में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास 'मानस का हंस' का एक अंश दिया गया है। यह उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है। इकाई 15 में जयशंकर प्रसाद के नाटक 'चंद्रगुप्त' का अंश वाचन के लिए दिया गया है। इकाई 16 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध 'क्रोध' और इकाई 17 में 'गांधी जी की आत्मकथा' का अंश दिया गया है। अंतिम इकाई में सूरदास, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' एवं महादेवी वर्मा का काव्य, वाचन के लिए दिया गया है। इस प्रकार आप इन इकाइयों में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा और कविता नामक विधाओं का अध्ययन करेंगे। वाचन के अतिरिक्त इन में इन विधाओं की विशेषताएँ बतायी गयी हैं। विधाओं की विशिष्टताओं के आधार पर उनका विश्लेषण भी किया गया है जिनसे आपको पठित साहित्यिक रचनाओं की विशिष्टता समझने में मदद मिलेगी। हम यहाँ उपन्यास, नाटक और आत्मकथा के अंश वाचन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि इन इकाइयों में पूरी रचना को प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

इन इकाइयों में दिये गये प्रश्नों के आप द्वारा लिखे उत्तर, इकाई में दिये गये उत्तरों से हूबहू मिलना ज़रूरी नहीं है। आप दिये गये उत्तर से अपने उत्तर को मिला लीजिए। अगर आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं, तो ठीक, अन्यथा इकाई को दुबारा पढ़िए।

आधार पाठ्यक्रम के इस खंड से संबंधित तीन ऑडियो पाठ भी तैयार किये गये हैं। इन में से दो ऑडियो पाठों में हिंदी साहित्य का परिचय दिया गया है और एक ऑडियो पाठ में प्रेमचंद के साहित्य के बारे में बताया गया है। इनसे आपको हिंदी साहित्य की परंपरा और प्रेमचंद के साहित्य को समझने में मदद मिलेगी।

खंड के अंत में पारिभाषिक और कठिन शब्दों के अर्थ दिये गये हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं।

प्रत्येक इकाई के बाद आगे के अध्ययन के लिए कुछ पुस्तकों के नाम दिये गये हैं। आप उनका भी अध्ययन करें।

इस खंड के अध्ययन के बाद आपको सत्रीय कार्य करना है। अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय के पास मूल्यांकन तथा सुझावों के लिए भेजें।

आभार

श्री अमृतलाल नागर, लखनऊ
(इकाई 14 में उपन्यास ''मानस का हंस'' का अंश)

इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राईवेट लिमिटेड, इलाहाबाद
(इकाई 16 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध ''क्रोध'')

साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, रामकृष्ण त्रिपाठी एवं लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
(इकाई 18 में मैथिलीशरण गुप्त, निराला एवं महादेवी वर्मा की कविताएँ)

इकाई 13 कहानी: पूस की रात (प्रेमचंद)

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 कहानी: पूस की रात
13.3 कहानी का सार
13.4 संदर्भ सहित व्याख्या
13.5 कथावस्तु
13.6 चरित्र चित्रण
13.7 परिवेश
13.8 संरचना शिल्प
13.9 प्रतिपाद्य
13.10 सारांश
13.11 उपयोगी पुस्तकें
13.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

आधार पाठ्यक्रम में अब तक आपने ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन किया है और इनके संदर्भ में व्याकरण के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया है। खंड 3 में आप साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करेंगे। इकाई 13 में तथा कहानी के विभिन्न पक्षों की विशेषताएँ भी जानेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- कहानी का सार बता सकेंगे तथा कहानी के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या कर सकेंगे;
- कहानी की कथावस्तु का विश्लेषण कर सकेंगे;
- कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे;
- कहानी के परिवेश की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- कहानी की शैली, भाषा और संवाद की विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- उपर्युक्त विश्लेषण के माध्यम से कहानी के महत्व की पहचान कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

आधार पाठ्यक्रम में अब तक आपने ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन किया है और इनके संदर्भ में व्याकरण के विभिन्ना पक्षों का भी अध्ययन किया है। खंड 3 में आप साहित्य की विभिन्ना विधाओं का अध्ययन करेंगे। इकाई 13 में प्रेमचंद की कहानी 'पूस की रात' दी जा रही है। इस कहानी की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है।

प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही गांव में सन् 1880 में हुआ था। उन्होंने बी॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में उन्होंने उर्दू में लेखन किया, बाद में वे हिंदी में भी लिखने लगे। लेखन के अतिरिक्त, प्रेमचंदजी शिक्षा विभाग में निरीक्षक रहे और 'हंस' पत्रिका का संपादन किया। उनका देहावसान 1936 में हुआ। हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद का युगांतरकारी महत्व है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया था। उन्होंने कहानी को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा और उसे सोद्देश्यता प्रदान की। उन्होंने अपनी कहानियों में उत्पीड़ित और शोषित जनता के दुख-दर्द को वाणी दी, उनकी संवेदना और संघर्ष को नया अर्थ दिया। आरंभ में उन पर आदर्शवाद का प्रभाव था, लेकिन धीरे-धीरे उनका आदर्शवाद से मोह भंग होने लगा और वे शोषक वर्गों की अमानवीयता के कटु आलोचक बन गये। प्रेमचंद ने उपन्यासों और कहानियों दोनों की रचना की। वैसे तो उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लिखा लेकिन किसानों और महिलाओं के प्रति तो उनकी गहरी सहानुभूति थी। 'मानसरोवर' के आठ भागों में उनकी प्रायः सभी कहानियाँ संकलित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं: 'कफ़न', 'पूस की रात', 'शतरंज के खिलाड़ी', 'ठाकुर का कुआँ', 'सद्गति', आदि। उनके प्रख्यात उपन्यासों में 'गोदान', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि', 'प्रेमाश्रम', 'निर्मला', 'सेवासदन' की चर्चा की जाती है। 'गोदान' को किसान-जीवन का महाकाव्य कहा गया है।

'पूस की रात' कहानी का कथ्य किसान-जीवन से संबंधित है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान कर्ज़ से मुक्त नहीं हो पाता। लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की आस्था किसानी से डगमगा जाती है। कहानी के इसी कथ्य का विश्लेषण इस इकाई में विस्तार से किया गया है। इकाई में दिये गये बोध प्रश्न और अभ्यास से आप यह जान सकेंगे कि आपने कहानी को कितना समझा है।

13.2 कहानी: पूस की रात

1

कहानी का आरंभ — कर्ज की समस्या

हल्कू ने आकर स्त्री से कहा—सहना आया है। लाओ, जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूँ, किसी तरह **गला तो छूटे**।

मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली—तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो **कम्मल** कहाँ से आवेगा[1]? माघ-**पूस** की रात **हार** में कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल पर दे देंगे। अभी नहीं।

हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कम्मल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जायगी यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम **डील** लिये हुए (जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था) स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला—ला दे दे, गला तो छूटे। कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा।

मुन्नी उसके पास से दूर हट गयी और आँखें तरेरती हुई बोली—कर चुके दूसरा उपाय! जरा सुनूँ तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से **बाज आये**। मैं रुपये न दूँगी—न दूँगी।

हल्कू उदास होकर बोला—तो क्या गाली खाऊँ?

मुन्नी ने तड़पकर कहा—गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है?

मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भाँति उसे घूर रहा था।

हल्कू द्वारा तीन रुपये चुकाना

उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिये। फिर बोली—तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है! मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस।

हल्कू ने रुपये लिये और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक-एक पैसा काट-काटकर तीन रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था।

2

हल्कू द्वारा खेत पर रात बिताना

पूस की अंधेरी रात! आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूँ-कूँ कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी।

हल्कू ने घुटनियों को गरदन में चिपकाते हुए कहा—क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आये थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे, मैं यहाँ हलुवा-पुरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े-दौड़े आगे-आगे चले आये। अब रोओ नानी के नाम को।

जबरा ने पड़े-पड़े दुम हिलायी और अपनी कूँ-कूँ को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी **श्वान** बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूँ-कूँ से नींद नहीं आ रही है।

जबरा और हल्कू की आत्मीयता

हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा—कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो **ठंडे हो जाओगे**। यह राँड़ **पछुआ** न जाने कहाँ से बरफ लिये आ रही है। उठूँ, फिर एक चिलम भरूँ। किसी तरह रात तो कटे! आठ चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है! और एक-एक **भागवान्** ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाय तो गरमी से घबड़ाकर भागे। मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्मल। मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाय। तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!

हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा।

हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा, मन बदल जाता है।

जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा।

हल्कू—आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा। उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा।

जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मुँह के पास अपना मुँह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म साँस लगी।

गला तो छूटे : परेशानी से मुक्त हुए (मुहावरा), कम्मल : कंबल (तद्‌भव), पूस : पौष, हार : जंगल (खेत), डील : शरीर, बाज आये : बाज आना (मुहावरा), बचना, श्वान : कुत्ता, ठंडे हो जाओगे : ठंडे हो जाना (मु॰) : मर जाना, पछुआ : पश्चिम की ओर चलने वाली हवा, भागवान्: अच्छे भाग्यवाला।

1 यह कहानी 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए कंबल की कीमत तीन रुपये उस समय के अनुसार यहाँ दी गयी है।

चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अबकी सो जाऊँगा; पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कम्पन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भाँति उसकी छाती को दबाए हुए था।

जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उसका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था।

सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूँकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकारकर बुलाया; पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़-दौड़कर भूँकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भाँति उछल रहा था।

बोध प्रश्न

आपने कहानी का उपर्युक्त अंश ध्यान से पढ़ा होगा। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर्ज़ चुकाने का विरोध क्यों किया?
   क) हल्कू को कंबल की ज़रूरत थी।
   ख) उनके पास पैसे नहीं थे।
   ग) उन्होंने पहले ही कर्ज़ चुका दिया था।
   घ) पत्नी ने कर्ज़ चुकाने का विरोध नहीं किया। ( )

2 "न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती।" यह वाक्य किसने किससे कहा?
   क) हल्कू ने सहना से
   ख) मुन्नी ने सहना से
   ग) हल्कू ने मुन्नी से
   घ) मुन्नी ने हल्कू से ( )

3 "मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।" इस वाक्य का तात्पर्य क्या है?
   क) मजदूरी करने मे मजा नहीं है।
   ख) एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना।
   ग) किसानों की मेहनत से सरकार मजे लूटती है।
   घ) मजदूरी करने वाले मजे नहीं लूटते। ( )

3

एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है! सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जायँगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। बढ़ती ठंड और अलाव जलाना।

हल्कू के खेत से कोई **एक गोली के टप्पे पर**[1] आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियाँ बटोरूँ और उन्हें जलाकर खूब तापूँ। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे, कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो; मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता।

उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिये और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिये बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा।

हल्कू ने कहा—अब तो नहीं रहा जाता जबरू! चलो, बगीचे में पत्तियाँ बटोरकर तापें। टाँटे हो जाएँगे, तो फिर आकर सोएँगे। अभी तो रात बहुत है।

जबरा ने कूँ-कूँ करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला।

बगीचे में खूब अँधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूँदें टपटप नीचे टपक रही थीं।

---

1 एक गोली के टप्पे पर: बच्चे काँच की गोलियों से जो खेल खेलते हैं, उसमें गोली हाथ की उंगलियों के द्वारा विशेष ढंग से दूर फेंकी जाती है। गोली का इस तरह दूर जाकर गिरने को टप्पा खाना कहते हैं। इस तरह टप्पा खाकर गोली एक बार में जितनी दूर गिरती है, उस दूरी को "एक गोली के टप्पे पर" कहा जाता है। दूरी नापने या बताने का यह ढंग पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार में प्रचलित रहा है।

एकाएक एक झोंका मेहदी के फूलों की खुशबू लिये हुए आया।

हल्कू ने कहा—कैसी अच्छी महक आई जबरू! तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है?

जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था।

हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियाँ बटोरने लगा। ज़रा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे। नंगे पाँव गले जाते थे। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा।

थोड़ी देर में **अलाव** जल उठा। उसकी लौ ऊपरवाले वृक्ष की पत्तियों को छू-छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे, मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर सँभाले हुए हों। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता, मचलता हुआ जान पड़ता था।

हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने **दोहर** उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पाँव फैला दिये, मानो ठंड को ललकार रहा हो, 'तेरे जी में आए सो कर।' ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय-गर्व को हृदय में छिपा न सकता था।

उसने जबरा से कहा—क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है?
जब्बर ने कूँ-कूँ करके मानो कहा—अब क्या ठंड लगती ही रहेगी?
'पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते।'
जब्बर ने पूँछ हिलायी।

'अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें। देखें, कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा, तो मैं दवा न करूँगा।'

जब्बर ने उस अग्नि-राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा!

'मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी।'

यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ़ निकल गया! पैरों में जरा लपट लगी; पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ।

हल्कू ने कहा—चलो-चलो, इसकी सही नहीं! ऊपर से कूदकर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया!

4

पत्तियाँ जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अँधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी; जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी; पर एक क्षण में फिर आँखें बंद कर लेती थी।

हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी; पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था।

खेत में नीलगायों का घुसना

जबरा जोर से भूँककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने-दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी।

उसने दिल में कहा—नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ! अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ!

उसने जोर से आवाज लगायी—जबरा, जबरा।

जबरा भूँकता रहा। उसके पास न आया।

हल्कू का फसल बचाने की कोशिश न करना

फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा **दँदाया हुआ** बैठा था। इस जाड़े-पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला।

उसने जोर से आवाज लगायी—हिलो! हिलो! हिलो!!

जबरा फिर भूँक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फ़सल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी; पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं!

हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला; पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा, चुभनेवाला, बिच्छू के डंक का-सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा।

जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगायें खेत का सफ़ाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। **अकर्मण्यता** ने रस्सियों की भाँति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था।

अलाव: तापने के लिए जलायी गयी आग, दोहर: एक तरह की दोहरी चादर, दँदाया हुआ: गरमाया हुआ, अकर्मण्यता: निकम्मापन

उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया।

सबेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी---क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत **चौपट हो गया**।

हल्कू ने उठकर कहा---क्या तू खेत से होकर आ रही है?

मुन्नी बोली---हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला, ऐसा भी कोई सोता है! तुम्हारे यहाँ **मँड़ैया** डालने से क्या हुआ?

हल्कू ने बहाना किया---मैं मरते-मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दरद हुआ, ऐसा दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ!

दोनों फिर खेत के **डाँड़** पर आये। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मँड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो।

दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छायी थी, पर हल्कू प्रसन्न था।

मुन्नी ने चिंतित होकर कहा---अब मजूरी करके **मालगुजारी** भरनी पड़ेगी।

हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा---रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।

चौपट हो गया (मु॰): नष्ट हो गया, मँड़याः झोपड़ी, डाँडः खेत की सीमा, मालगुजारीः जमीन का कर

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

4 हल्कू ने खेत पर ठंड से बचने के लिए क्या किया?
- क) उसने कंबल ओढ़ ली।
- ख) वह घर चला गया।
- ग) उसने अलाव जलाया।
- घ) वह सर्दी में ठिठुरता रहा। ( )

5 "जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आँखें बंद कर लेती थी।" इस वाक्य में किसके जगने की ओर संकेत किया गया है?
- क) मुन्नी
- ख) ठंड
- ग) नींद
- घ) आग ( )

6 हल्कू के खेत की खड़ी फसल को किसने नष्ट किया?
- क) आग ने
- ख) कुत्ते ने
- ग) नीलगायों ने
- घ) बाढ़ ने ( )

13.3 कहानी का सार

आपने कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आप समझ गये होंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है। कहानी पर विस्तृत विचार करने से पहले आइए, हम कथा का सार जान लें।

'पूस की रात' कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी-सी जमीन है, जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है लेकिन खेती से जो आय होती है, वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से तीन रुपये इकट्ठे किये हैं। लेकिन वह तीन रुपये भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है।

हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। पौष का महीना है। ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियाँ इकट्ठी कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गरमा जाता है, और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गरमाहट में वह चादर ओढ़े बैठा रहता है।

उधर खेत में नीलगायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भूँकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगायें घुस आई हैं लेकिन वह बैठा रहता है। नीलगायें खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में सो जाता है।

सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फ़सल नष्ट हो गयी है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि "अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी"। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि "रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा।" इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।

13.4 संदर्भ सहित व्याख्या

यहाँ हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे आपको कहानी समझने में और मदद मिलेगी।

उद्धरण: 1

जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसी उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उसका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था।

संदर्भ: यह उद्धरण प्रेमचंद की कहानी 'पूस की रात' से लिया गया है। इस कहानी में हल्कू किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा है और उसके साथ उसका कुत्ता जबरा है। हल्कू ठंड से बचने के लिए जबरे को अपनी गोद में चिपटा लेता है। कुत्ते में से दुर्गंध आ रही है।

व्याख्या: जबरा को अपनी देह से चिपटाए हल्कू को सुख का अनुभव हो रहा था। यह सुख वस्तुतः उस अकेलेपन, अंधकार और ठंड की रात में जबरा के साथ से हल्कू के मन में पैदा हुआ था। हल्कू में ऊँच-नीच का ही नहीं मनुष्य और पशु का भी भेद मिट गया था। वह कुत्ते को उतना ही आत्मीय समझ रहा था, जितना वह अपने किसी रिश्तेदार और मित्र को समझता। हल्कू गरीब था, हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद, उसकी ज़िंदगी अभावों से ग्रस्त थी, लेकिन गरीबी ने उसकी आत्मा की पवित्रता को कुचला नहीं था। इसीलिए वह एक जानवर के साथ भी बराबरी और आत्मीयता का व्यवहार कर सका था, उसे अपना मित्र बना सका था। जबरे के साथ मित्रता ने उसके हृदय को और उदार बना दिया था, उसकी आत्मा में जिन भावों का संचार हो रहा था, उसने उसके व्यक्तित्व को आलोकित कर दिया था। जबरा के प्रति हल्कू की इस भावना का असर जबरा पर भी पड़ा था, और वह भी हल्कू के प्रति अधिक वफ़ादार हो गया था, जो कहानी के आगे के घटना विकास में व्यक्त होता है।

विशेष: 1 हल्कू गरीबी और ऋण से पूरी तरह दबा हुआ है। अपने खेत की रखवाली करते हुए अपने पालतू कुत्ते के साथ उसका व्यवहार किसान के हृदय की उच्चता और उदारता को उजागर करता है।

2 हल्कू और जबरा के बीच के संबंध को प्रेमचंद ने अत्यंत भावप्रवण रूप में व्यक्त किया है, जो उनके भाषिक-कौशल को भी बताता है। इसके लिए प्रेमचंद ने प्रसाद-गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया है अर्थात् भाषा भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है।

उद्धरण: 2

मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें

संदर्भ : यह उक्ति प्रेमचंद की कहानी 'पूस की रात' से ली गयी है। कंबल के लिए बचाए गये तीन रुपये सहना (महाजन) को चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में, केवल चादर के सहारे हल्कू को खेत की रखवाली करनी है। खेत पर बैठे-बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं।

व्याख्या: यह छोटी-सी उक्ति किसान के जीवन की विडंबना को पूरी तीव्रता से व्यक्त कर देती है। किसान और मज़दूर रात-दिन मेहनत करते हैं। उन्हीं की मेहनत से समाज की ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अपनी मेहनत का वह लाभ नहीं उठा पाता। जो कुछ भी मेहनत-मजूरी से हासिल करता है, वह कर्ज़ चुकाने में निकल जाता है। जिनके पास रुपया है और जो गरीबों को ब्याज पर पैसा देते हैं, वे बिना कोई मेहनत किये ब्याज के रूप में गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं। ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी कर्ज़ नहीं चुका पाता। इस तरह वह गरीबी और अभावों में ही फंसा रहता है जबकि उनकी मेहनत की कमाई को लूटने वाले, जो किसी तरह की मेहनत भी नहीं करते, मेहनत करने वालों से कहीं ज्यादा आराम से रहते हैं।

विशेष: 1 यह छोटी-सी उक्ति हमारे समाज के मुख्य अंतर्विरोध को बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त कर देती है।
2 प्रेमचंद ने इतनी महत्वपूर्ण बात को बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया है।

अभ्यास

1 नीचे दिये उद्धरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।

न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो

उपज हो तो बाकी दे दे, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आये।

संदर्भ: ....

....

....

....

....

व्याख्या: ....

....

....

....

....

....

....

....

विशेष: ....

....

....

....

13.5 कथावस्तु

कहानी में कथावस्तु का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बुनावट में परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। कथ्य के अनुसार ही कथावस्तु का स्वरूप बनता है, उसी के अनुसार कभी घटनाएँ प्रधान हो जाती हैं, कभी चरित्र, कभी परिवेश या वातावरण। इस कहानी में घटनाएँ बहुत अधिक नहीं हैं, न ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है। पात्र भी बहुत कम हैं। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

कहानी का आरंभ: 'पूस की रात' प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है। न ही घटना क्रम तेजी से बदलते हैं। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है। कहानीकार हल्कू के घर का उतना ही वर्णन करता है, जितने का उस कहानी से संबंध है। हल्कू ने कर्ज ले रखा है, सहना, जिससे कर्ज़ लिया है वह अपना रुपया मांगने हल्कू के यहां आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से रुपये मांगता है। मुन्नी के पास तीन रुपये हैं जो हल्कू ने मजूरी में से बड़ी मुश्किल से बचाए हैं ताकि एक कंबल खरीदा जा सके। बिना कंबल के जाड़ों के दिनों में रात खेत पर गुज़ारना कठिन होगा, इसीलिए मुन्नी रुपये देने का विरोध करती है। इस समय पति-पत्नी में जो बातचीत होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुन्नी कहती है **''न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती।''** मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई को प्रेमचंद ने उजागर किया है। किसान मजबूर होकर महाजन से ऋण लेता है, किंतु उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। ब्याज-दर-ब्याज के जाल में वह ऐसा उलझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत-मजूरी उसे चुकाने में ही चुक जाती है।

मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यथा को और उजागर करते हुए कहती है, **''मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है।''** स्पष्ट ही ऋण चुकाते रहने की विडंबना से परेशान किसान के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या उसका जन्म केवल **ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है? क्या** उसकी मेहनत इसी तरह दूसरे हड़पते रहेंगे। और अपना पेट भरने के लिए उसे मजूरी करनी पड़ेगी। अगर अपना पेट भरने के लिए मजूरी ही करनी है तो फिर खेती से चिपके रहने का क्या मतलब? इसी भावना से प्रेरित होकर मुन्नी हल्कू से कहती है, **''तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है। मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस।''** बहरहाल, हल्कू वह तीन रुपये सहना को दे देता है। यह कहानी का पहला भाग है।

इस भाग को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के लिए खेती कितनी मुश्किल होती जा रही थी। यहाँ

तक कि वे यह भी सोचने लगते हैं कि क्यों न किसानी छोड़ कर मजूरी की जाए? कहानी का शेष अंश किसान की इसी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है।

कहानी का विकास: कहानी का दूसरा भाग हल्कू के अपने खेत पर आरंभ होता है। पूस की अंधेरी रात है। हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। ठंडी हवा चल रही है। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए एक चादर भर है, लेकिन वह चादर उस ठंड से उसकी रक्षा नहीं कर पाती। हल्कू की मनोभावनाएँ प्रेमचंद ने यहाँ जबरा के साथ हल्कू की बातचीत से व्यक्त की है। यद्यपि कुत्ता होने के कारण जबरा हल्कू की किसी बात को न समझ सकता है, न जवाब दे सकता है, लेकिन जबरा के प्रति हल्कू की आत्मीयता उसकी हृदयगत ऊँचाइयों को व्यक्त करती है।

खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचाव की है। वह जबरा को संबोधित कर कहता है कि इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों आए। फिर इसी तरह की बात करते हुए वह अपनी स्थिति की तुलना उन **''भागवान्''** लोगों के साथ करने लगता है **''जिनके पास जाड़ा जाए तो गरमी से घबराकर भागे। मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है, जाड़े की गुजर हो जाए तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।''** यहाँ हल्कू की बातों के माध्यम से प्रेमचंद समाज के एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। वह एक तरह से यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले मजे करते हैं? जाहिर है, हल्कू के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वह तो इसे **''तकदीर की खूबी''** ही मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक-सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास ही जानी है तो खेती से जुड़े रहने का क्या लाभ?

कहानी का आगे का हिस्सा हल्कू की जाड़े से बचाव की कोशिश के रूप में सामने आता है। पहले वह चिलम पीता है, फिर चादर ओढ़कर सोता है, तब भी सर्दी से बचाव नहीं होता, तो वह कुत्ते को अपनी गोद में सुला देता है। कुत्ता हल्कू की इस आत्मीयता को महसूस भी करता है। इसीलिए जब किसी जानवर की आहट आती है तो वह चौकन्ना होकर भौंकने लगता है।

आखिर जब सर्दी से किसी तरीके से बचाव नहीं होता तो हल्कू अलाव जलाता है। अलाव से उसको काफी राहत मिलती है। उसका शरीर गरमा जाता है। एक नया उत्साह उसके मन में पैदा होता है और वह जबरा के साथ अलाव पर से कूदने की प्रतियोगिता भी करने लगता है।

धीरे-धीरे अलाव भी बुझ जाता है, लेकिन शरीर की गरमाहट हल्कू को काफी अच्छी लगती है, वह गीत गुनगुनाने लगता है। लेकिन बढ़ती सर्दी उसके अंदर आलस्य बढ़ाने लगती है। यहाँ कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है।

कहानी की परिणति: हल्कू के खेत में नीलगायों का झुंड घुस आता है। जिनकी आहट पर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागता है। हल्कू को भी लगता है कि जानवरों का झुंड खेत में घुस आया है। फिर उनके कूदने-दौड़ने की आवाजें भी आने लगती हैं, और फिर खेत के चरने की भी। लेकिन हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि **''जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता।''** जबरा लगातार भूंकता रहता है, लेकिन हल्कू को आलस्य घेरे रहता है। एक बार वह उठता भी है, दो-तीन कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके को वह फिर अलाव के पास आके बैठ जाता है। आखिरकार, नीलगायें पूरे खेत को नष्ट कर जाती हैं।

यहाँ प्रश्न उठता है कि हल्कू अपनी फ़सल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था कि अपनी फ़सल का नष्ट होना भी वह सर्दी के मुकाबले बर्दाश्त कर सकता था। स्पष्ट ही कारण ये नहीं है? कारण जैसा कि कहानी से साफ है हल्कू की वह मानसिकता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फ़सल की रक्षा किसके लिये करे? क्या सिर्फ महाजनों को लुटाने के लिए? अगर उसकी मेहनत सूदखोरों और ज़मींदारों के पास ही जानी है तो फिर नीलगायें चर लें तो क्या? वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू को अपनी ही मेहनत से उपजायी फ़सल से उदासीन बना दिया है, इसीलिए उसकी मुख्य चिन्ता सर्दी से बचने की हो जाती है, फ़सल को बचाने की नहीं। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी के यह कहने पर कि अब मजूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी तो वह कहता है **''रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा।''**

इस तरह यह कहानी, किसानों के लगातार शोषण से बदलती उनकी मानसिकता का अत्यंत हृदयद्रावक परंतु यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

7 कहानी के आरंभ में मुन्नी वह कौन-सी बात कहती है जो कहानी की परिणति में व्यक्त हुई है।

क) ''महाजन गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है?''

ख) ''बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है।''

ग) ''तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी।''

घ) ''न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती।''

( )

8 हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा?

क) उसे ठंड लग रही थी।

ख) लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था।

ग) उसे जबरा पर विश्वास था कि उसके रहते जानवर नहीं घुस सकते।

घ) उसके पेट में बड़े जोरों से दर्द उठ रहा था। ( )

9 हल्कू को खेती छोड़ने की सलाह देते हुए मुन्नी कौन से विचार प्रस्तुत करती है? तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

10. खेत नष्ट हो जाने पर भी हल्कू "प्रसन्नता" व्यक्त करता है? आप उन दो कारणों को बताइए जो हल्कू की "प्रसन्नता" में व्यक्त हो रहे हैं?

....

....

....

....

....

13.6 चरित्र चित्रण

इस कहानी में कुल चार पात्र आते हैं। हल्कू किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, सहना जो कर्ज़ वसूलने आता है और हल्कू का पालतू कुत्ता जबरा। सहना का जिक्र सिर्फ कहानी के आरंभ में है, उसका कहानी में प्रत्यक्ष प्रवेश नहीं होता। मुन्नी कहानी के पहले और अंतिम भाग में आती है। पहले भाग में वह हल्कू को तीन रुपये सहना को देने से रोकती है। उसके माध्यम से प्रेमचंद कहानी की कथावस्तु पर प्रकाश डालने वाली कई बातें कहलाते हैं। उन बातों से और बात करने के उसके अंदाज़ से उसके दृढ़ व्यक्तित्व का पता चलता है। अंतिम भाग में वह पुनः आती है, जब खेत नष्ट हो जाने के बाद वह सवेरे अपने पति के पास पहुँचती है और उसे जगाती है। यहाँ उसका दूसरा रूप सामने आता है। खेत नष्ट हो जाने से यहाँ वह चिंतित नजर आती है। लेकिन प्रेमचंद ने इस चरित्र का अधिक विस्तार नहीं किया है। जबरा खेत पर हल्कू के साथ रहता है, उसकी स्वामीभक्ति, खेत नष्ट होते देखकर अपने स्वामी को सावधान करने की कोशिश, भौंक-भौंक कर जानवरों को भगाने की कोशिश और अंत में असफल हो जाने पर पस्त हो कर लेट जाना, उसको काफी जीवंत पात्र बना देते हैं। कहानी में विस्तार से हल्कू के चरित्र की ही अभिव्यक्ति हुई है।

हल्कू: हल्कू 'पूस की रात' का केन्द्रीय चरित्र है। वह गरीब किसान है। उसके पास खेती लायक ज़मीन कुछ है। ज़मीन कितनी है, इसका विवरण प्रेमचंद ने नहीं दिया है, लेकिन हल्कू की आर्थिक स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि वह बहुत मामूली हैसियत का किसान है और खेती योग्य ज़मीन भी बहुत कम होगी। ज़मीन पर जो उपज होती है, वह घर-परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे कर्ज़ लेना पड़ता है। उसकी सारी उपज कर्ज़ चुकाने में चली जाती है, फिर भी वह ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उसे मज़दूरी करनी पड़ती है, यद्यपि "**मजूरी**" से बचाए पैसे भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं।

आर्थिक दीनता ने हल्कू के मन को दीन नहीं बनाया है। लगातार शोषण ने उसे धीरे-धीरे किसानी के प्रति उदासीन अवश्य बना दिया है। हल्कू के स्वभाव का परिचय हमें कहानी की शुरुआत से ही लग जाता है। सहना जब कर्ज़ मांगने आता है, तब उसकी पत्नी "**मजूरी**" से बचाए तीन रुपये देने को तैयार नहीं होती। जबकि हल्कू का दृष्टिकोण ज्यादा व्यावहारिक है। वह जानता है कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर अभी वह रुपया नहीं देगा तो उसे गालियां और घुडकियां सहनी पड़ेंगी। जब वह यही बात मुन्नी को कहता है तो मुन्नी कहती है "**गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है**" मुन्नी सूदखोर महाजनों और ज़मींदारों की ताकत को भले न जानती हो, हल्कू जानता है। वह जानता है कि इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है।

हल्कू एक समझदार किसान है। वह समाज के अंतर्विरोधों को बखूबी समझता है। वह जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हर तरह की सुख-सुविधाओं के साधन मौजूद हैं। लेकिन ये साधन उन लोगों के पास हैं जो स्वयं मेहनत नहीं करते, जो किसानों की मेहनत का लाभ उठाते हैं। लेकिन हल्कू इसके सही कारण को पहचानने में असमर्थ है। वह इसे "**तकदीर की खूबी**" समझता है। यानी कि जो दूसरों की मेहनत पर मजे कर रहे है, वे भाग्यशाली है और हम जो मेहनत करके भी भूखे मर रहे हैं, हमारा भाग्य ही खराब है। शोषण को भाग्य का खेल समझने के कारण हल्कू के पास शोषण से बचने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसीलिए वह सोचता है कि अगर खेती से भी शोषण होना है तो ऐसी खेती से चिपके रहने का क्या लाभ? दूसरे, वह यह भी सोचता है कि जब लोग मेहनत न करके भी सुखी हैं, तो फिर मेहनत करते रहने का क्या मतलब? इस तरह लगातार शोषण उसकी चेतना को कृषि और श्रम दोनों से उदासीन बना देता है। हल्कू की यही मानसिकता खेत पर उसके सारे व्यवहार में व्यक्त होती है।

खेत पर वह अपने उपज की देखभाल करने के लिए आया है। उसके साथ उसका कुत्ता है, जिसके साथ उसका व्यवहार उसके हृदय की मानवीयता और पवित्रता को व्यक्त करता है। जैसा कि प्रेमचंद ने स्वयं कहानी में लिखा है, गरीबी ने हल्कू की आत्मा को आहत नहीं किया है। इसलिए वह अपने को सर्दी से बचाने के लिए जितना चिंतित है, उतनी ही चिंता जबरा को लेकर भी है। हल्कू के खेत में जब नीलगायें आ जाती हैं, तो हल्कू उठकर नहीं जाता। पहले वह सोचता है कि जबरा के रहते कोई जानवर खेत में जा ही नहीं सकता। फिर वह उठता भी है तो दो-तीन कदम चलकर ठंड के बहाने से पुनः बैठ जाता है। यह जानते हुए कि नीलगायें खेत चर रही हैं, वह चादर ओढ़कर सो जाता है। उसका यह व्यवहार निश्चय ही उसके पहले के व्यवहार से भिन्न है, लेकिन अगर हम कहानी के पहले भाग पर गौर करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस व्यवहार का क्या कारण है? वस्तुतः हल्कू लगातार शोषण से परेशान होकर जिस मानसिकता से गुज़र रहा है, उसी का नतीजा है कि वह अपनी ही मेहनत से उपजाई फ़सल को बचाने की कोशिश नहीं करता। निश्चय ही हल्कू स्वयं इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। परिस्थितियों ने ही उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है। वे परिस्थितियाँ हैं, किसान का लगातार शोषण। वह अशिक्षित है, भाग्यवादी है, गरीब है, इसलिए वह महाजनों और ज़मींदारों के चंगुल में फंसा हुआ है। शोषण के चक्र से वह कैसे मुक्त हो, यह नहीं जानता, इसलिए वह किसानी और मेहनत से ही मुक्त होने की सोचता है। स्पष्ट ही उसकी मानसिकता किसान के भयावह शोषण को ही उजागर करती है, और इस अर्थ में हल्कू की यह मानसिकता केवल हल्कू की मानसिकता नहीं रहती, गरीब मेहनतकश की मानसिकता बन जाती है। हल्कू का चरित्र इसी अर्थ में एक **वर्गीय** चरित्र है।

अभ्यास

2 नीचे दिये गये उदाहरणों के आधार पर हल्कू के चरित्र की विशेषताएँ बताइए।

क) *मगर सहना मानेगा नहीं, घुडकियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी।*

....
....
....
....

ख) *और एक-एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबड़ा कर भागे। मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्मल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।*

....
....
....

ग) *आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा। उसी में घुसकर बैठना, जब जाड़ा न लगेगा।*

....
....

घ) *हल्कू ने बहाना किया—मैं मरते-मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ।*

....
....
....

13.7 परिवेश

कहानी की रचना में देश-काल का बड़ा महत्व होता है। देश-काल से तात्पर्य है वह परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटनाचक्र घटित हुआ है। कहानी का यह कथ्य जिस परिवेश में घटित होता है, वह भी कथ्य को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे, कहानी का कथ्य जिस देश-काल से संबंधित होता है, उसके द्वारा हम उस युग की स्थितियों की अधिक यथार्थपरक पहचान भी करते हैं।

'पूस की रात' की रचना प्रेमचंद ने 1930 में की थी। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ी राज में भारत के किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। ज़मींदारी प्रथा के कारण आम किसानों का भयंकर शोषण होता था। उनकी उपज का बड़ा हिस्सा ज़मींदार माल-गुजारी के रूप में वसूल कर लेते थे। इससे उनको अपने जीवनयापन के लिए महाजन से कर्ज़ लेना पड़ता था। लेकिन महाजन भी किसान की मजबूरी और उसकी अशिक्षा तथा पिछड़ेपन का लाभ उठाते थे। परिणाम यह होता था कि एक बार ऋण के चक्र में फंसने के बाद किसान की आसानी से मुक्ति नहीं होती थी। प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों में ग्रामीण जीवन के इसी यथार्थ को चित्रित किया है।

इस कहानी में ग्राम्य जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएँ इसमें अत्यंत जीवंत रूप मे चित्रित हुई है। प्रेमचंद ग्राम्य वातावरण की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भाषा के स्तर पर परिवर्तन करते थे। ग्राम्य वातावरण से जुड़ी हुई कहानियों में तद्भव और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जैसे—कम्मल, डील, पूस, उपज, आले, धौंस आदि। प्रेमचंद ग्रामीण वातावरण को यथार्थपरक बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे—बाज आना, ठंडे हो जाना, चौपट होना आदि। प्रेमचंद को ग्राम्य जीवन की सूक्ष्म पहचान थी। इस कहानी में उन्होंने अंधेरी रात में खेत पर हल्कू और जबरा के क्रियाकलापों का जो चित्रण किया है, उसमें उस वातावरण को प्रेमचंद ने अत्यंत सजीव बना दिया। पूस की अंधेरी रात में खेत का दृश्य देखिए:

पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था।

इस दृश्य में आप पायेंगे कि प्रेमचंद ने खेत के वातावरण के सारे पक्षों को समेट लिया है। पूस की अंधेरी रात है। पौष के महीने में पड़ने वाली ठंड को व्यक्त करने के लिए वह अगला वाक्य लिखते हैं **''आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे।''** यह वाक्य ठंड की तल्ख़ी को व्यक्त करता है और ठंड का कहानी के विकास से गहरा संबंध है .से अगले वाक्य में उस स्थान का वर्णन है जहां उसे जाड़े की रात गुज़ारनी है। लेकिन यहां भी **''पुरानी गाढ़े की चा.र''** का ज़िक्र महत्वपूर्ण है जिसे लपेटे वह बांस के खटोले पर बैठा कांप रहा है। इसी **''चादर''** की जगह वह कंबल खरीदना चाहता था। इसीलिए **''पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े''** कांपना हल्कू की आगे की क्रियाओं का आधार बन जाता है। प्रेमचंद केवल बाह्य परिवेश के चित्रण में ही सफल नहीं हैं वरन् पात्रों की मनोदशा के चित्रण मे भी अत्यंत कुशल हैं।

चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अबकी सो जाऊँगा, पर एक ही क्षण में उसके ह्रदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था।

ठंड के मारे हल्कू परेशान है। चादर सर्दी रोकने में असमर्थ है। तब वह चिलम पीता है, लेकिन चिलम भी उसकी कोई सहायता नहीं करती। उसके बाद की उसकी मनः स्थिति और बाह्य परिस्थिति के द्वन्द्व का उपर्युक्त पंक्तियों में चित्रण किया है। हल्कू चिलम पीकर निश्चय करता है कि अब वह लेट जाएगा, लेकिन सर्दी से वह कांपने लगता है। तब वह इधर-उधर करवट बदलता है लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं मिलता। ऐसे में प्रेमचंद सर्दी की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए एक स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं **''जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था।''** यहाँ पिशाच द्वारा छाती को दबाना जिस स्थिति को व्यक्त करता है उससे ठंड की तीव्रता पाठक के सामने सहज ही स्पष्ट हो जाती है।

प्रेमचंद ने केवल हल्कू की क्रियाओं का ही नहीं जबरा की क्रियाओं का भी अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण किया है।

सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने कई बार उसे चुमकारकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़-दौड़कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके ह्रदय में अरमान की भांति उछल रहा था।

यहां सिर्फ कुत्ते की क्रियाओं का ही वर्णन नहीं है, वरन् उसकी हल्कू के प्रति कर्तव्य-भावना का भी चित्रण किया गया है और दोनों चीजें उपर्युक्त अंश में इतने आत्मीय रूप में व्यक्त हुई हैं कि कुत्ता, कुत्ता नहीं वरन् कहानी का जीवंत पात्र बन कर सामने आया है।

13.8 संरचना शिल्प

कहानी की रचना भाषा में होती है और भाषा का कलात्मक उपयोग कहानी के कथ्य और प्रतिपाद्य को संप्रेष्य बनाता है। इसलिए कहानी रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उस का कथ्य और **प्रतिपाद्य** उत्कृष्ट हो वरन् यह भी ज़रूरी है कि वह उत्कृष्टता कहानी में अभिव्यक्त भी हो। यह भिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। कहानी का कथ्य अलग-अलग शैलियों को संभव बनाता है। इस प्रकार शैली और भाषा कहानी की संरचना के मुख्य अंग हैं।

शैली : 'पूस की रात' प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है। कथ्य और प्रतिपाद्य की दृष्टि से यह कहानी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी। यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है। लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह का अ.:र्शवाद दिखाई देता था, वह इस में नहीं है। इस का प्रभाव कहानी की शैली पर भी

दिखाई देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने कथ्य को यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है इसलिए उनकी शैली भी यथार्थवादी है। यथार्थवादी शैली की विशेषता यह होती है कि रचनाकार जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे होती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं होती। इसके विपरीत वह जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थ रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है ताकि उसको बदले जाने की आवश्यकता को पाठक स्वयं महसूस करे। दूसरे, यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के उद्‌घाटन द्वारा पाठकों को, समस्या का हल नहीं देता वरन् उन्हें प्रेरित करता है कि वह स्वयं स्थितियों को बदलने की आवश्यकता महसूस करे और उसके लिए उचित मार्ग खोजे। इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थ के उद्‌घाटन पर टिकी है। वे न तो हल्कू को नायक बनाते हैं न खलनायक। वे इस समस्या का कोई हल भी प्रस्तुत नहीं करते। कहानी की रचना वे इस तरह करते हैं कि जिससे कहानी में प्रस्तुत की गई समस्या अपनी पूरी तार्किकता के साथ उभरे।

'पूस की रात' का अगर हम विश्लेषण करें तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। कहानी का आरंभ एक छोटी-सी घटना से होता है। हल्कू के यहाँ महाजन कर्ज़ मांगने आया है। हल्कू वे तीन रुपये उसको दे देता है जो उसने कंबल खरीदने के लिए जोड़े हैं। इसके बाद कहानी इस प्रसंग से कट जाती है। दूसरे भाग से कहानी में एक नया प्रसंग आरंभ होता है। पूस का महीना है। अंधेरी रात है। अपने खेत के पास बनी मंड़ैया में वह चादर लपेटे बैठा है और ठंड से कांप रहा है। सर्दी में ठंड से कांपना पहले प्रसंग से कहानी को जोड़ देता है जब हल्कू को मजबूरन कंबल के लिए जोड़े तीन रुपये देने पड़े थे। यहाँ पहले प्रसंग में उठाया गया सवाल भी उभरता है कि ऐसी खेती से क्या लाभ, जिससे किसान की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होतीं? यानी लगातार शोषण और उससे मुक्ति की संभावना का अभाव अंततः किसान को ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा सकता है जहाँ कहानी के अंत में हल्कू पहुँच जाता है। कहानी के अंत में नीलगायों द्वारा खेत नष्ट होते देखकर भी हल्कू अगर नहीं उठता तो इसका कारण केवल ठंड नहीं है। यहाँ हल्कू में अपनी उपज को बचाने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। इस तरह समस्या की भयावहता का चित्रण करता हुआ कहानीकार कहानी को समाप्त कर देता है। 'पूस की रात' की शैली की यही विशेषता है और इसी यथार्थवादी शैली ने उनकी इस रचना को श्रेष्ठ बनाया है।

भाषा: प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की सहज भाषा के नज़दीक है। उनके यहाँ संस्कृत, अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो बोलचाल की हिंदी के अंग बन चुके हैं। प्रायः वे तद्‌भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहानी के परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं, जैसे ग्राम्य जीवन से संबंधित कहानियों में देशज शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग होता है। वाक्य रचना भी सहज होती है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं। प्रायः छोटे और सुलझे हुए वाक्य होते हैं ताकि कहानी का कथ्य पाठकों तक सहज रूप से संप्रेषित हो सके।

'पूस की रात' कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इसलिए इस में देशज और तद्‌भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे, तद्‌भव शब्दः कम्मल, पूस, उपज, जनम, ऊख।

देशजः हार, डील, आले, घौंस, खटोले, पुआल, टप्पे, उपला, अलाव, दोहर। तद्‌भव और देशज शब्दों के प्रयोग से कहानी के ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने में काफी मदद मिलती है। लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उर्दू के प्रायः ऐसे शब्द जो हिन्दी में काफी प्रचलित हैं, ही प्रयोग किए गए हैं। जैसे, खुशामद, तकदीर, मज़ा, अरमान, खुशबू, गिर्द, दिन, साफ़, दर्द, मालगुज़ारी आदि। उर्दू के ये शब्द भी उन्हीं रूपों में प्रयुक्त हुए हैं, जिन रूपों में वे बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं जैसे दर्द को दरद, मज़दूरी को मजूरी आदि।

इस कहानी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है, लेकिन वे भी ज्यादातर हिन्दी में प्रचलित हैं और कठिन नहीं माने जाते। जैसे, हृदय, पवित्र, आत्मा, आत्मीयता, पिशाच, दीनता, मैत्री आदि। श्वान, अकर्मण्यता अणु जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन वे कहानी में खटकते नहीं। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः ऐसी ही जगह हुआ है, जहाँ कथाकार ने किसी भावप्रवण स्थिति का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अंश को देखिए:

"जबरा शायद समझ रहा था कि **स्वर्ग** यहीं है और हल्कू की **पवित्र आत्मा** में तो उस कुत्ते के **प्रति घृणा** की **गंध** तक न थी। अपने किसी **अभिन्न मित्र** या भाई को भी वह इतनी ही **तत्परता** से गले लगाता। वह अपनी **दीनता** से **आहत** न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुँचा दिया ! नहीं, इस अनोखी-मैत्री ने जैसे उसकी **आत्मा** के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक-एक **अणु प्रकाश** से चमक रहा था।"

उपर्युक्त वाक्यों में आप देखेंगे की एक भावात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है। इन तत्सम शब्दों में जो कोमलता है वह इस आत्मीयपूर्ण स्थिति को जीवंत बनाने में सहायक है। लेकिन प्रेमचंद ने यह ध्यान रखा है कि उन्हीं तत्सम शब्दों का प्रयोग करें जो हिन्दी भाषा की स्वाभाविकता के अनुकूल हो। प्रेमचंद की रचनाओं में शब्दों का प्रयोग अत्यंत सतर्कता के साथ होता है। कोई भी शब्द फालतू नहीं होता तथा उनमें अर्थ की अधिकतम सम्भावनाएँ व्यक्त होती हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को देखिए:

मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!

उपर्युक्त वाक्य में "**मजूरी**" और "**मजा**" शब्द शोषण की पूरी प्रक्रिया को व्यक्त करने में समर्थ हैं। विशेष बात यह है कि इस तरह के गहरे अर्थ वाले वाक्यों में भी ऐसी सहजता होती है कि उसे कोई भी आसानी से समझ सके। प्रेमचंद की भाषा जटिल भावनाओं, विचारों या स्थितियों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखें:

"हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, **वह मानो एक भीषण** जंतु **की भांति उसे घूर रहा था।**

कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर, जाड़ा **किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था।**

कर्तव्य उसके हृदय में **अरमान की भांति उछल रहा था।**

ऊपर के तीन उद्धरणों में मोटे अक्षरों वाले वाक्यों से पूर्व के वाक्यांशों में व्यक्त किऐ गये भावों की तीव्रता या अर्थवत्ता अधिक स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली ढंग से उजागर हुई है। इससे भाषा में जीवंतता भी आती है।

संवाद: प्रेमचंद की कहानियों मे संवादों की भाषा उनके कथ्य की तरह यथार्थ परक होती है। संवादों की भाषा का निर्धारण पात्रों के परिवेश और उनकी मनः स्थिति से तय होता है। इस कहानी में अधिकांश संवाद हल्कू के है, कुछ उसकी पत्नी मुन्नी के। हल्कू के संवादों में भी स्वकथन वाले संवाद या ऐसे संवाद जो जबरा (कुत्ते) को संबोधित हैं, अधिक हैं। हल्कू और मुन्नी गरीब किसान है। इसीलिए उनकी भाषा भी उसी परिवेश के अनुकूल ग्राम्यता लिये हुए है।

हल्कू और मुन्नी की बातचीत का अंश देखिए: "हल्कू ने आकर स्त्री से कहा – सहना आया है। लाओ, जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली – तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहां से आवेगा। माघ-पूस की रात हार में कैसे कटेगी उससे कह दो, फसल पर दे देंगे। अभी नहीं।" ये कहानी के आरंभिक संवाद हैं। इनमें आप पायेंगे कि दोनों व्यक्तियों की भाषा बहुत ही सरल है इनमें एक भी कथन जटिल नहीं है। कम्मल, पूस, हार जैसे शब्द उनके ग्राम्य पृष्ठभूमि को व्यक्त करते हैं। गला तो छूटे मुहावरा वाक्य को और अधिक स्वाभाविक बनाता है, साथ ही कहने वाले की मानसिक स्थिति का संकेत भी करता है। वाक्य बहुत छोटे-छोटे है, उनमें भी छोटे-छोटे उप वाक्यों का प्रयोग किया गया है।

"लाओ, जो रुपये रखे है, उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे" इस वाक्य में कहीं उलझाव नहीं है। छोटे-छोटे उपवाक्यों के कारण पूरी बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है। प्रेमचंद ने पात्रों की मनःस्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा है। हल्कू के संवादों में उसकी उदारता, सरलता, समझदारी, चतुराई सभी झलकती है और भावनाओं के सूक्ष्म अंतर के अनुकूल भाषा में भी अंतर आता गया है।

इस तरह शैली, भाषा और संवाद तीनों दृष्टियों से प्रेमचंद की यह कहानी उत्कृष्ट है।

बोध प्रश्न

11 'पूस की रात' कहानी में से ऐसे छह शब्द चुनिए जिनसे ग्राम्य वातावरण बनाने में मदद मिली हो।

क).......... ख)........... ग).............

घ)......... ङ)......... च).............

12 कहानी में मुन्नी के गुस्से को व्यक्त करने वाला संवाद लिखिए। संवाद के लिए कहानी देख सकते है।

....

....

....

13 *"बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टपटप नीचे टपक रही थीं।"* उपर्युक्त वाक्यों में तीन-तीन तत्सम और तद्भव शब्द चुनकर लिखिए:

तत्सम शब्द: ....

तद्भव शब्द: ....

अभ्यास

3. नीचे दिए गए उद्धरण की तीन भाषागत विशेषताएँ बताइए।

"थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू-छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे, मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर सम्भाले हुए हो। अंधकार के उस आनन्द सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता, मचलता हुआ जान पड़ता था।"

क) ....

....

ख) ....

....

ग) ....

....

4 'पूस की रात' कहानी को यथार्थवादी शैली की कहानी कहा गया है। इस शैली की दृष्टि से इस कहानी की तीन विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

13.9 प्रतिपाद्य

रचना लेखक किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनाकार रचना करता है, कहानी का वही प्रतिपाद्य कहलाता है। 'पूस की रात' कहानी को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आपने अब तक कहानी का जो विश्लेषण पढ़ा है, उससे यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेमचंद कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। हम उन्हीं बातों को पुनः यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यह कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई है। उस समय भारत पराधीन था और यहां की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। इस संघर्ष में किसान और मज़दूर जनता भी शामिल थी। किसान सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहे थे वरन् अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे।

उस जमाने में ज़मींदारी प्रथा थी। किसानों को अपनी उपज का बड़ा भाग लगान और मालगुजारी में चुकाना पड़ता था। इस कारण उन्हें अपना जीवनयापन करने के लिए महाजनों और ज़मींदारों से ऋण लेना पड़ता था। अधिकांश किसान जनता अशिक्षित थी, इसलिए ज़मींदार और महाजन कर्ज़ पर मनमाना ब्याज वसूलते थे। एक बार जब कोई किसान कर्ज के चक्कर में फंस जाता था तो फिर वह आसानी से छूट नहीं पाता था। हल्कू की भी यही स्थिति है। प्रेमचंद ने कहानी में किसानों की इस अवस्था का चित्रण नहीं किया है, बल्कि यह यथार्थ तो कहानी की पृष्ठभूमि में मौजूद रहता है। लेकिन असली सवाल इसके बाद पैदा होता है। शोषण चक्र में फंसा हुआ किसान क्या करे? कहानी का विषय यही है। हल्कू भी शोषण के उसी चक्र में फंसा हुआ है। यहाँ तक की अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए हल्कू को मजदूरी भी करनी पड़ती है। लेकिन मजदूरी से मिले पैसे में से घर परिवार की जरूरत के लिए कुछ पैसे भी बचाता है (सिर्फ तीन रुपए) तो वह भी महाजन ले लेता है। ऐसे में किसान क्या करे? आखिर वह किसानी से क्यों चिपका रहे?

व्यक्ति उज्ज्वल भविष्य की आशा में ही कष्ट सहता है। उसे भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल वह जरूर इन दुखों से मुक्त होगा। हल्कू के जीवन में वह आशा नहीं रही है। वह सोचता है कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाले भूखे मरते हैं और उनकी मेहनत को छीनने वाले मौज करते हैं? उसके पास इसका बना-बनाया जवाब भी है-यह सब भाग्य का खेल है। जिस स्थिति में वह जी रहा है, उसमें वह इससे अधिक दूर तक सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाग्य का खेल मानने से शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ, यह अवश्य है कि व्यक्ति नकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर दे, जैसा कि हल्कू सोचता है और जो मुन्नी की बातों में व्यक्त हुआ है।

हल्कू का किसानी पर से विश्वास उठ जाता है। हल्कू का श्रम पर से विश्वास उठ जाता है। वह अपनी ही आंखों के सामने अपने खेत की उपज को नीलगायों के द्वारा नष्ट होते हुए देखता है और चादर ओढ़े लेटा रहता है। उसे खेत के नष्ट हो जाने का दुःख नहीं बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि अब उसे ठंडी रातों में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। यह शोषण से उत्पीड़ित किसान की वह मानसिकता है जहाँ उसमें उज्ज्वल भविष्य की आशा बिल्कुल समाप्त हो गयी है। भाग्यवाद ने उसे और अधिक निष्क्रिय बना दिया है। ऐसे में यह कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि क्या शोषण का चक्र यूं ही चलता रहेगा? क्या हल्कू जैसे किसान अपनी उपज की कमाई स्वयं नहीं भोग सकेंगे? क्या वे ऐसे ही दरिद्र और अशिक्षित बने रहेंगे और शोषण तथा भाग्यवाद के नीचे पिसते रहेंगे?

प्रेमचंद इनका कोई उत्तर नहीं देते। सम्भवतः उत्तर की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि इन प्रश्नों में ही इनका उत्तर निहित है।

प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर कई उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान् चितेरा कहा जाता है। उन्होंने किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इन रचनाओं में उनकी सहानुभूति गरीब और मेहनतकश किसानों के साथ है। किन्तु वे किसानों के जीवन में व्यापक नकारात्मक पक्षों को भी उजागर करते हैं। आरंभ में प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कोई-न-कोई आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन बाद में उनका इस तरह के आदर्शवाद पर से विश्वास उठ गया था। आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने ले लिया। वे मानने लगे थे कि किसी समस्या का कोई कृत्रिम हल पेश करने के बजाय उसे पूरी तीव्रता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए पर्याप्त है। यह कहानी इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है।

शीर्षक की उपयुक्तता: कहानी का शीर्षक कहानी के मूल प्रतिपाद्य को, कथ्य को या चरित्र को व्यक्त करने वाला होता है। इस कहानी के कथ्य का मुख्य भाग पौष की एक रात्रि में घटित होता है। कहानी का आरम्भ उस कंबल की चर्चा से होता है, जिसे खरीदने के लिए हल्कू ने बड़ी मुश्किल से तीन रुपये बचाये हैं किंतु वे रुपये भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। कंबल न खरीद पाने के कारण पूस की रात में पुरानी चादर ओढ़े उसे खेत पर जाना पड़ता है। शेष कहानी खेत पर उसी रात में घटित होती है।

पूस की यह रात ठंडी है। यह रात प्रतीकात्मक भी है। किसान के जीवन के अंधेरे की तरह यह भी अंधेरी रात है। आशा का अलाव कब का बुझ चुका है लेकिन सक्रियता की आंच भी नहीं बची है। परिणामतः खेत (जीवन) की फसल नीलगायें (शोषक) खा जाती है लेकिन वह भाग्य के चक्र में बंधा हुआ बैठा रहता है। पूस की रात निराशा और अंधकार की ऐसी ही रात है जिसे यह शीर्षक पूरी तरह व्यक्त करता है।

बोध प्रश्न

14 'पूस की रात' कहानी की मुख्य समस्या है,

- क) फसल की रक्षा की समस्या
- ख) सर्दी से बचाव की समस्या
- ग) किसानों के शोषण की समस्या
- घ) कंबल खरीदने की समस्या ( )

15 नीचे कुछ वाक्य दिये गये हैं, इनमें से कुछ में कही गयी बातें सही हैं, कुछ गलत। बताइए।

- क) अंग्रेज़ी राज में ज़मींदारी प्रथा थी। (सही/गलत)
- ख) किसानों को लगान और मालगुज़ारी नहीं देनी पड़ती थी। (सही/गलत)
- ग) हल्कू भाग्यवादी था। (सही/गलत)
- घ) 'पूस की रात' आदर्शवादी कहानी है। (सही/गलत)

अभ्यास

5 ''तकदीर की ख़ूबी है।'' हल्कू के इस कथन का कहानी के उद्देश्य से क्या संबंध है, चार पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

....

6 'पूस की रात' को यथार्थवादी क्यों कहा गया है? चार पंक्तियों में बताइए।

....

....

....

....

....

13.10 सारांश

आपने 'पूस की रात' कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और उसके विश्लेषण का भी गंभीरता से अध्ययन किया होगा।

- 'पूस की रात' कहानी की कथावस्तु किसान जीवन से संबंधित है। हल्कू गरीब किसान है जो कर्ज़ से दबा हुआ है। लगातार शोषण से उसका श्रम से विश्वास उठ जाता है। आप कथावस्तु के आधार पर कहानी का विश्लेषण कर सकते हैं;
- हल्कू कहानी का नायक है। वह गरीब परंतु समझदार किसान है। आप इस चरित्र की विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं;
- स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की क्या दशा थी, इस कहानी से आप समझ सकते हैं। अब आप स्वयं 'परिवेश' का विश्लेषण कर सकते हैं;
- 'पूस की रात' की शैली यथार्थवादी, भाषा बोलचाल की एवं संवाद स्वाभाविक है। आप संरचना शिल्प की विशेषताएं बता सकते हैं; और
- 'पूस की रात' यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के प्रतिपाद्य का इस आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं।

13.11 उपयोगी पुस्तकें

द्विवेदी, हजारी प्रसादः **साहित्य सहचर**,लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

शर्मा, राम विलासः **प्रेमचंद और उनका युग**, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

13.12 बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 क 2 घ 3 ख 4 ग 5 घ
6 ग 7 ग 8 ख

9 मुन्नी कहती है कि कड़ी मेहनत के बाद भी सारी उपज कर्ज़ चुकाने में चली जाती है। पेट भरने के लिए मज़दूरी करनी पड़ती है, तब खेती से चिपके रहने का क्या लाभ।

10 क) हल्कू इस बात से प्रसन्न है कि उसे ठंड में खेत पर नहीं रहना पड़ेगा।
ख) अब उसकी उपज महाजनों के यहाँ नहीं जाएगी।

11 क) पूस ख) हार ग) ऊख घ) पुआल ङ) अलाव
च) मंडैया छ) डाँड ज) मालगुज़ारी

12 "कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनूँ तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो उपज हो तो बाकी दे, दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आये। मैं रुपये न दूँगी-न दूँगी।"

13

तत्सम शब्द	तद्भव शब्द
अंधकार	बगीचे
वृक्ष	अंधेरा
पवन	पत्तियों
निर्दय	

14 ग)

15 क) सही ख) गलत ग) सही घ) गलत

अभ्यास

1 **संदर्भः** उपर्युक्त उद्धरण प्रेमचंद की प्रख्यात कहानी 'पूस की रात' से लिया गया है। इस कहानी के नायक हल्कू की पत्नी मुन्नी का यह कथन है। हल्कू के यहाँ महाजन रुपये माँगने आया है। इस पर मुन्नी हल्कू से उपर्युक्त बात कहती है।

व्याख्याः मुन्नी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि मालूम नहीं कितना कर्ज़ है कि चुकने ही नहीं पा रहा है। अगर सारी उपज कर्ज़ चुकाने में ही जानी है तो इससे बेहतर है कि हम खेती ही छोड़ दें। ऐसी खेती से चिपके रहने का क्या लाभ? कड़ी मेहनत के बाद तो फसल तैयार होती है। किसान का लाभ तो उसकी उपज ही है, लेकिन वही उपज कर्ज चुकाने में चली जाय तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या लाभ? लगता है जैसे किसान का जन्म तो कर्ज़ चुकाने के लिए ही हुआ है। क्योंकि एक बार कर्ज लेने के बाद वह कभी उस कर्ज से छूट नहीं पाता और उसकी उपज महाजनों और जमींदारों के यहाँ पहुँचती रहती है और स्वयं किसान को अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मज़दूरी का सहारा लेना पड़ता है। व्यक्ति किसानी या कोई भी काम इसीलिए तो करता है ताकि वह अपने घर-परिवार का भरण-पोषण कर सके, लेकिन उसका वह काम सिर्फ दूसरों को लाभ पहुँचाए, उसकी मेहनत का थोड़ा-सा अंश भी स्वयं उसके लिए न बच पाये तो फिर उस काम को करते रहने या उससे चिपके रहने का क्या लाभ? इसीलिए मुन्नी का कहना है कि ऐसी खेती जो सिर्फ़ कर्ज़ चुकाने में चली जाए, उससे तो दूर रहना ही अच्छा।

विशेषः

1 मुन्नी द्वारा व्यक्त किये गये विचार इस कहानी का वैचारिक आधार है। हल्कू खेत के नष्ट होने पर भी क्यों बैठा रहता है, इसका उत्तर हमें उपर्युक्त कथन में मिल जाता है।

2 यह संवाद है और इसकी भाषा में एक गरीब, ग्रामीण किसान महिला की भाषा की स्वाभाविकता निहित है। छोटे वाक्य, तद्भव शब्द, बोलचाल की भाषा इसकी विशेषता है।

2 क) यहाँ हल्कू के आत्मसम्मान की भावना व्यक्त हुई है। हल्कू जानता है कि पैसे देने से वह बच नहीं सकता। अगर वह पैसे नहीं देगा तो उसे सहना की गालियाँ सुननी पड़ेगी, डाँट खानी पड़ेगी। उसे इस अपमान से बचने का एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वह अपने पास जितने पैसे हैं वे उसे दे दे।

ख) यहाँ हल्कू की समझदारी व्यक्त हुई है। वह गरीब किसान है, लेकिन अनुभवों ने इसे इतना समझा दिया है कि वह किस तरह के समाज में जी रहा है।

ग) यहाँ हल्कू की आत्मीयता व्यक्त हुई है। जबरा के साथ भी वह वही व्यवहार कर रहा है, जो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ करता।

घ) यहाँ हल्कू की चतुराई व्यक्त हुई है। हल्कू यह जानते हुए भी कि नीलगायें खेत नष्ट कर रही हैं, वह बैठा रहता है, लेकिन अब पत्नी के सामने इस बात को स्वीकारना भी नहीं चाहता, इसलिए वह पेट दर्द का झूठा बहाना बनाता है।

3 क) पूरे दृश्य को शब्दों में जीवंत कर दिया गया है।
ख) अंतिम पंक्तियों में भाषा काव्यात्मकता लिये हुए है।
ग) तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है परंतु भाषा की सहजता बनी हुई है।

4 क) गरीब किसान के जीवन की सच्चाई को उसी रूप में व्यक्त किया गया है।
ख) कहानी का अंत किसी आदर्श की स्थापना में नहीं किया गया है।
ग) चरित्र भी असामान्य और विशिष्ट नहीं है।

5 "तकदीर की खूबी है।" हल्कू की मानसिकता को व्यक्त करता है। प्रेमचंद इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि किसान के लगातार शोषण का एक कारण यह है कि वह सोचता है कि उसके जीवन के दुःख उसके भाग्य के कारण है। अगर उसका भाग्य अच्छा होता तो वह क्यों इतने कष्ट उठाता।

6 'पूस की रात' कहानी को यथार्थवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस कहानी में प्रेमचंद ने किसान के जीवन की वास्तविकता को वैसा ही प्रस्तुत किया है, जैसी वे उस ज़माने में थी। प्रेमचंद ने समस्या का आदर्शवादी समाधान भी नहीं दिया है वरन् समाधान पाठकों के विवेक पर छोड़ दिया है।

इकाई 14 उपन्यास: मानस का हंस (अमृतलाल नागर)

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 उपन्यास-अंश का वाचन
14.3 कथासार
14.4 कथावस्तु
14.5 चरित्र चित्रण
14.6 परिवेश
14.7 संरचना शिल्प
14.8 प्रतिपाद्य
14.9 सारांश
14.10 उपयोगी पुस्तकें
14.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप प्रसिद्ध कथाकार अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास 'मानस का हंस' का एक अंश पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- उपन्यास नामक विधा की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे;
- अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास 'मानस का हंस' की कथा संक्षेप में बता सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे;
- तुलसीदास के चरित्र का विश्लेषण कर सकेंगे;
- 'मानस का हंस' के आधार पर तुलसीदास के युग के परिवेश की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- उपन्यास की भाषा-शैली की विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- उपन्यास के प्रतिपाद्य की व्याख्या कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

आपने इकाई 13 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'पूस की रात' का अध्ययन किया था। इस इकाई में आप प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री अमृतलाल नागर द्वारा रचित 'मानस का हंस' का एक अंश पढ़ेंगे। यह उपन्यास प्रसिद्ध भक्त कवि और 'रामचरित मानस' के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है।

उपन्यास कथा-साहित्य की आधुनिक विधा है। यह कहानी की तुलना में आकार में बड़ा होता है लेकिन इसका कारण यह है कि उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। उपन्यास में कई चरित्रों का विशद चित्रण किया जाता है। उसका घटना-फलक बहुत व्यापक होता है। उसमें भाषा और शैली का अधिक वैविध्य मिलता है। आज जीवन कहीं अधिक व्यापक और जटिल है, उसी के अनुरूप मनुष्य का चरित्र भी अधिक जटिल हुआ है। जीवन की इस जटिलता को पूरी विराटता और संश्लिष्टता के साथ उपन्यास ही प्रस्तुत कर सकता है। उपन्यासकार के पास इतना अवसर होता है कि वह उपन्यास में जीवन के प्रत्येक पक्ष का विशद चित्रण कर सके ताकि पाठक को जीवन का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सके। वह एक ही उपन्यास में भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति-चरित्रों के द्वारा आज के मानव का अधिक यथार्थ रूप प्रस्तुत कर सकता है। उपन्यास गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें संवादों की विविध भंगिमाएँ प्रस्तुत की जा सकती है, भाषा के रचनात्मक प्रयोग द्वारा हर तरह के परिवेश को मूर्तिमान किया जा सकता है। इस तरह उपन्यास आज के युग की प्रतिनिधि विधा है।

हिंदी में उपन्यास की परंपरा लगभग सौ साल पुरानी है। आरंभ में घटना-प्रधान मनोरंजक उपन्यास लिखे गये। बाद में प्रेमचंद ने सामाजिक सोद्देश्यता से पूर्ण उपन्यासों की रचना की। उन्होंने उपन्यासों को उच्चस्तरीय कलात्मक रूप भी प्रदान किया। प्रेमचंदजी के बाद हिंदी के उपन्यासों का बहुमुखी विकास हुआ। प्रेमचंद की ही परंपरा में श्री अमृतलाल नागर (जन्म 1916) का नाम भी लिया जाता है। अमृतलाल नागर ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के उपन्यास लिखे। सामाजिक सोद्देश्यता से प्रेरित होकर सामान्य जन के दुःख-दर्द का यथार्थ चित्रण अपने उपन्यासों और कहानियों में करने के कारण अमृतलाल नागर भी यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं। उनके इस तरह के उपन्यासों में 'बूँद और समुद्र' 'अमृत और विष' 'महाकाल' 'सेठ बांकेमल' आदि प्रमुख है। अमृतलाल नागर ने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। 'मानस का हंस' गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है जिसकी रचना उन्होंने 1972 में की थी।

14.2 उपन्यास-अंश का वाचन

('मानस का हंस' उपन्यास का जो अंश वाचन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, वह इसका अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। तुलसीदास के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक बार उनकी पत्नी रत्नावली ने पति की अपने प्रति अत्यधिक आसक्ति देखकर उन्हें बुरा-भला कहा था। तुलसीदास ने पत्नी के उलाहने से प्रेरित होकर सदैव के लिए घर छोड़ दिया था। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने इसी किंवदंती को कथा का आधार बनाया है। गृह त्याग के कई वर्षों बाद जब तुलसीदास 'रामचरित मानस' की रचना करके लोक-ख्यात हो चुके थे, और काशी में रह रहे थे, उनकी मुलाकात रत्नावली से दुबारा होती है। निम्नलिखित प्रसंग उसी समय का है।)

तुलसीदास जी का मानसिक द्वंद्व

हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार-बार पानी मींजा जाता रहा पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा — हे दीनबंधु सुखसिन्धु कृपाकर, कारुणिक रघुराई![1] सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह बौरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह शठ भोग-विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है। कभी दीन, कभी मूर्ख-कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखण्डी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रुभय सताता है, और कभी जगत को नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा दुखी हूं रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका किन्तु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए, नाथ। मैं अब बहुत-बहुत तप चुका हूं।' बंद आंखों से आंसू टपकने लगे।

रत्नावली के काशी आगमन से उठने वाले विवाद से तुलसीदास की परेशानी

नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आँखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगौछे से आँखें पोंछकर बोले-"तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है।"

नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले— "अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माता जी[2] अपने मोहवश चार दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी।"

"काहे महराज, रहैं ना। दो ही दिनों में मठ[3] के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाईं लोग तो घिरस्तास्रमी होते ही हैं।"

"मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया।" उनके चेहरे पर हठ-भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र से शीघ्र राजापुर लौट जाएं।"

'रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं।'

"एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दें फिर कहते-कहते थम गए और कहा— "भेज दो। कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो।"

रत्नावली आईं। अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका कर खड़ी हो गईं; पल-भर बाद हल्के-से खखारा, धीमे स्वर में कहा— "जै सियाराम।"

"जय सियाराम। बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो।"

रत्नावली की तुलसीदास के सान्निध्य में रहने की इच्छा और तुलसीदास का इंकार

"मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती?"

तुलसी एकाएक उत्तर न दे सके, कुछ रुककर शांत स्वर में कहा— "लोक धर्म बड़ा कठिन होता है देवी। व्यर्थ निंदा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था।···तुम घर कब लौट रही हो?"

"मैं अब काशी में ही रहना चाहती हूं।"

"नहीं।"

"मैं मठ में नहीं रहूंगी। पंडित गंगाराम जी[4] की गृहिणी ने मुझे·······"

गंगाराम या टोडर[5] के यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा।"

मैं स्वयं भी यह उचित नहीं समझती। अलग घर लेकर रहूंगी।"

"नहीं।"

मींजा: सहलाया, **अलिप्त:** जो लिप्त न हो, **विगलित:** गलना (द्रवित होना), **कारुणिक:** दयालु, **त्रिविध ताप:** तीन प्रकार के दुःख (दैहिक, दैविक, भौतिक), **बौरा गया:** बौराना (मु॰) पागल हो गया, **अहंता:** अहंकार, **जगदंबा:** जगत की माता, यहाँ सीता से तात्पर्य है।

1 यहाँ अमृतलाल नागर ने तुलसीदास की 'विनय पत्रिका' के एक पद का भावार्थ उद्धृत किया है।
2 रत्नावली, तुलसीदास जी की पत्नी तथा पं॰ दीनबंधु पाठक की पुत्री।
3 काशी का वह मठ जिसके गोस्वामी तुलसीदास उस समय मुखिया थे।
4 पंडित गंगा राम उपन्यास में तुलसीदास के मित्र हैं जो उनके साथ पढ़ते थे।
5 टोडरमल तुलसीदास के घनिष्ठ मित्र। काशी के निवासी एवं जमींदार। ये अकबर के दरबार के टोडरमल से भिन्न व्यक्ति थे।

रत्नावली का टूटता मन उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगा। गिड़गिड़ाकर बोलीं—"मैं यहां आपको कष्ट देने के लिए कभी नहीं आऊंगी। कभी आपके सामने नहीं पड़ूंगी। आपके तप में कोई बाधा न डालूंगी।"

उपन्यास: मानस का हंस (अमृतलाल नागर)

"नहीं, तब भी नहीं।"

"आप राम जी का **सान्निध्य** चाहते हैं, यदि वे भी इसी तरह आपसे ना कह दें तो?"

"सुनकर तुलसी एक बार निरुत्तर हो गए, मन लड़खड़ाया, परन्तु तुरन्त ही उसे कसकर कहा—"श्री राम और इस अधम तुलसी में अन्तर है। लोक का चरित्र गिरा हुआ है। उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा। लोक कल्याण के लिए तुम भी तपो, देवी। अब इस जन्म में हमारा-तुम्हारा साथ नहीं हो सकता।"

"पर्दे के दोनों ओर कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर रत्नावली ने रुंधे हुए स्वर में कहा—"जो आज्ञा। मैं कल ही चली जाऊंगी।" पर्दे के उस पार फिर चुप्पी छा गई। कुछ पलों के बाद रत्नावली ने कहा—"जाने से पहले एक बार चरणस्पर्श करने की···"

"जो आज्ञा।" गला रुंध गया। पर्दे के आगे झुककर धरती पर मस्तक टेक दिया। आंसू उमड़ पड़े। भीतर से तुलसीदास ने पूछा—"गई?"

"जा रही हूँ" एक भीख मांगती हूं।"

"बोलो।"

"पंडित गंगाराम के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का **पारायण** किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति-प्रदायक ग्रन्थ पाया।"

रामचरितमानस पर चर्चा

तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले—"आदिकवि के परम पावन ग्रन्थ से उसकी तुलना न करो, देवी। वैसे यह जानकर मैं सन्तुष्ट हुआ कि तुमने वह ग्रन्थ पढ़ लिया।"

"रामचरितमानस की एक प्रति···"

"शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियाँ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं।"

"एक बात और पूछना चाहती हूं। आज्ञा है?"

"पूछो देवी।"

"महर्षि ने उत्तरकांड में धोबी की निन्दा सुनकर श्रीराम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया है। आपने मानस में वह प्रसंग क्यों नहीं उठाया?"

तुलसीदास सुनकर चुप। चुप्पी लम्बी रही।

"यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें।"

"नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है मेरे लिए उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं।"

"कोई बात नहीं, जाती हूँ।"

"उत्तर सुन जाओ, देवी, मैं तुमसे कुछ न छिपाऊंगा। जो अन्याय मैं तुम्हारे प्रति कर सका, वह मेरे रामचन्द्र जगदम्बा के प्रति नहीं कर सकते थे।"

तुलसीदास का नारी के संबंध में विचार

रत्नावली की आँखें बरस पड़ीं। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाईं ने पूछा—"गई?"

रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली—"जा रही हूं।"

"रो रही हो रत्ना?"

"संतोष के आँसू हैं।"

"अब न बहाओ, देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बंट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है।" कहकर गोसाईं जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी।

"जाती हूँ। एक भिक्षा और मांग लूं?"

"मांगो।"

"मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें।"

"वचन देता हूं, आऊंगा।" × × ×

सान्निध्य: निकटता, पारायण: समय बाँध कर किसी ग्रंथ का शुरू से अंत तक पाठ करना

बोध प्रश्न

आपने उपर्युक्त उपन्यास अंश ध्यान से पढ़ा होगा। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 **''दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर, कारुणिक रघुराई''** नामक पद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है?

क) रामचरित मानस
ख) कवितावली
ग) विनय पत्रिका
घ) गीतावली ( )

2 तुलसीदास रत्नावली को वापस क्यों भेजना चाहते थे?

क) राम भक्ति में बाधा उत्पन्न होती थी।
ख) लोकधर्म की रक्षा के लिए।
ग) रत्नावली ने उनका अपमान किया था।
घ) रत्नावली को पसंद नहीं करते थे। ( )

3 तुलसीदास ने **''रामचरित मानस''** में लव-कुश प्रसंग क्यों शामिल नहीं किया?

क) तुलसीदास लव-कुश की कथा को प्रामाणिक नहीं मानते थे।
ख) लव-कुश की कथा से ''मानस'' की गरिमा कम होती थी।
ग) ''मानस'' में लव-कुश की कथा है।
घ) तुलसीदास के अनुसार राम सीता को त्याग कर उन पर अन्याय नहीं कर सकते थे। ( )

4 तुलसीदास क्या पत्नी के त्याग को उचित मानते थे? पठित अंश के आधार पर दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

5 रत्नावली की अंतिम इच्छा क्या थी? दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

14.3 कथासार

गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित इस उपन्यास की कथा अत्यंत रोचक है। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम है, ज्यादातर प्रचलित किंवदंतियाँ है, जिनके सही होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अमृतलाल नागर ने 'मानस का हंस' की कथा का निर्माण अधिक प्रचलित किंवदंतियों और तुलसीदास के ग्रंथों से उभरने वाले उनके व्यक्तित्व के आधार पर किया है। इस दृष्टि से ही इस उपन्यास की कथावस्तु को देखा जाना चाहिए।

उपन्यास के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर के पास जमुना किनारे के एक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम पं॰ आत्माराम और मां का नाम हुलसी था। तुलसीदास के जन्म के समय ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ज्योतिषी थे, उन्होंने बुरे नक्षत्रों में पैदा होने के कारण तुलसीदास को जन्मते ही त्याग दिया था। तुलसीदास का पालनपोषण एक दासी ने किया। उस समय उनका नाम रामबोला था। वे भिक्षावृत्ति से पेट पालते थे। स्वामी नरहरिदास ने उन्हें अपने आश्रय में ले लिया। बाद में उन्होंने संस्कृत, ज्योतिष एवं धर्मग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही तुलसीदास एक वेश्यापुत्री मोहिनी के प्रेम बंधन में बंध गये थे।

तुलसीदास अपना जीविकायापन ज्योतिष एवं 'वाल्मीकि रामायण' की कथा का वाचन करके करते थे। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली अत्यंत सुंदर एवं शिक्षित थी। एक बार किसी काम से तुलसीदास काशी गये हुए थे। कई दिनों बाद वे लौटे। उनकी पत्नी उस समय पीहर गयी हुई थी। वे अपनी पत्नी व बच्चे से मिलने को इतने आतुर थे कि अँधेरी रात, घनघोर वर्षा और नदी में बढ़ते पानी की चिंता किये बिना अपनी ससुराल पहुँच गये। भीगते हुए पहुँचने पर उनकी ससुराल वालों ने उन पर काफी छींटाकशी की। रत्नावली ने भी अपने को लज्जित महसूस किया। इसी आवेश में रत्नावली ने तुलसीदास को बुरा-भला कहा।.इससे तुलसीदास को बोध हुआ कि मैं सांसारिक कर्मों में लिप्त रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ। वे घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गये। बाद में उनके शिशु का भी देहांत हो गया।

तुलसीदास ने घर त्यागने के बाद कई ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अमर ग्रंथ "रामचरित मानस" की भी रचना की। वे जगह-जगह जाकर राम भक्ति का प्रचार करते थे। लोक धर्म के प्रचार से कई पंडित और महंत उनके विरुद्ध हो गये। विशेष रूप से काशी में तुलसीदास का बहुत विरोध हुआ। लेकिन वे अपने मार्ग से नहीं हटे और राम-भक्ति पर आधारित लोक धर्म का संदेश गाँव-गाँव, घर-घर पहुँचाते रहे। तुलसीदास जी ने राम-लीला की भी शुरुआत की। जब वे "मानस" की रचना करने के बाद काशी में रह रहे थे, तभी रत्नावली का आगमन काशी में हुआ और उन्होंने तुलसीदास से वहीं रहने की आज्ञा मांगी। दूसरी ओर, उनके आने से काशी में तुलसीदास के बारे में कई तरह की बातें फैल रही थीं, वे भी तुलसीदास के कानों में पहुँचती थी। इसलिए उन्होंने लोक धर्म की रक्षा के लिए यही निर्णय किया कि रत्नावली को वापस राजापुर भेज दिया जाय। उन्होंने रत्नावली को वचन दिया कि वे मृत्यु से पूर्व एक बार उनसे मिलने अवश्य आयेंगे। तुलसीदास अपना यह वचन निभाते हैं।

तुलसीदास जीवनपर्यन्त अपने धर्म का पालन करते रहते हैं और 'रामचरित मानस', 'विनय पत्रिका' आदि ग्रंथों की रचना कर तथा 'रामलीला' का व्यापक प्रचार कर लोक धर्म का आदर्श स्थापित करते हैं। तुलसीदास को रूढ़िवादी समाज का विरोध जीवनपर्यन्त सहना पड़ता है, वृद्धावस्था में कई बीमारियाँ उन्हें घेर लेती हैं और इस तरह उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत होता है। 90 वर्ष से अधिक की आयु में उनका देहांत हो जाता है।

14.4 कथावस्तु

'मानस का हंस'' उपन्यास का अंश आपने पढ़ा है और उपन्यास का कथा सार भी। अगर आपको पूरा उपन्यास मिल सके तो उसे अवश्य पढ़िये, इससे आपको यह इकाई समझने में काफी मदद मिलेगी।

यह तो आप समझ ही गये होंगे कि उपन्यास की रचना कहानी से बिल्कुल अलग होती है। इस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास का पूरा जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है। जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुलसीदास का जीवन हम स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हों। तुलसीदास के जीवन पर आधारित हम इस उपन्यास की कथावस्तु को ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कह सकते हैं क्योंकि यह एक इतिहास-पुरुष के चरित्र पर आधारित है जिसका योगदान सांस्कृतिक जीवन पर अधिक रहा है। नागर जी ने इसकी कथावस्तु को प्रामाणिक बनाने के लिए उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं को पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया है। मुगलों और पठानों के बीच का संघर्ष, मुगलों के समय की राजनीतिक दशा तथा उस समय की सामाजिक और धार्मिक दशा का चित्रण नागरजी ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है। इसमें पाठक को यह आसानी से समझ में आ जाता है कि तुलसीदास ने 'मानस' जैसे महान ग्रंथ की रचना किन युगीन परिस्थितियों में की थी।

कथा को जीवंत बनाने के लिए नागरजी ने कल्पना का सहारा भी लिया है। मोटे तौर पर तुलसीदास का जीवनवृत्त उनके बारे में सर्वमान्य घटनाओं और प्रसंगों पर ही आधारित है, किंतु इन घटनाओं को पूर्णता प्रदान करने, उन्हें स्वाभाविक और मानवीय बनाने के लिए नागरजी ने कई काल्पनिक प्रसंगों और पात्रों की रचना की है, इससे तुलसीदास के व्यक्तित्व की प्रामाणिकता में किसी तरह की आँच नहीं आयी है।

'मानस का हंस' की रचना नागरजी ने अत्यंत मनोयोग से की है। इसमें सिर्फ तुलसीदास का जीवन-चरित्र ही नहीं है बल्कि तुलसीदास के समय भी चित्रित हुआ है। तुलसीदास जी के समय में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियाँ थीं, उनका विस्तृत चित्रण किया गया है। मुगलों और पठानों का संघर्ष, सामंत वर्ग द्वारा जनता पर अत्याचार, ब्राह्मण वर्ग द्वारा धर्म का दुरुपयोग, समाज में गरीब तबकों और नारी की दशा आदि का नागरजी ने अत्यंत कुशलता से चित्रण किया है।

अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन को भी अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। बचपन में पिता के द्वारा त्यागे जाने के बाद कैसे भिक्षा माँगकर उन्होंने गुजारा किया। किस तरह के अपमानों से उन्हें गुजरना पड़ा। युवावस्था में वेश्या पुत्री मोहिनी के मोहपाश में बँधकर उनकी क्या दशा हुई। किस तरह के मानसिक द्वंद्व से वे गुजरे। इसी तरह एक गृहस्थ के रूप में, तुलसीदास का रत्नावली से कैसा संबंध था और किन परिस्थितियों में तुलसीदास को घर त्यागना पड़ा। इन सब का वर्णन यथार्थपरक ढंग से किया गया है।

घर त्यागने के बाद तुलसी का दूसरा रूप हमारे सामने आता है। जब वे समाज की बुराइयों से लड़ते हुए, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर एक कवि और एक लोक नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तुलसीदास को अपनी रचनाओं, अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं तथा अपने समानतावादी व्यवहार के कारण समाज के उच्च वर्ग की कटु आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन तुलसीदास अपने आदर्शों से डिगते नहीं। उन्हें सामान्य जनता का आदर और स्नेह दोनों मिलता है।

'मानस का हंस' की कथावस्तु को नागरजी ने भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। वैसे तो पूरा उपन्यास फ्लैश बेक (पूर्व दीप्ति शैली) में चलता है, लेकिन बीच-बीच में कथा में अन्य शैलियों का उपयोग भी किया गया है। कहीं सीधे-सीधे घटनाओं का वर्णन है तो कहीं किसी पात्र के संस्मरण के रूप में कथा को प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास की कथा स्वयं तुलसी के मुख से, उनके बचपन के मित्रों के मुख से एवं उनके साथ पढ़ने वाले और रहने वाले मित्रों के मुख से कहलायी गयी है। नागर जी ने तुलसी से संबंधित प्रसंगों को मानवीय और स्वाभाविक बनाकर प्रस्तुत किया है। उनके बारे में प्रचलित चमत्कारिक घटनाओं को भी लिया गया है, लेकिन उन्हें भी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि यथार्थपरक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे तुलसीदास का जीवनवृत्त अधिक यथार्थवादी बन सका है।

'मानस का हंस' की कथावस्तु को जीवंत बनाने के लिए नागर जी ने तुलसीदास के काव्यग्रंथों से उभरने वाले उनके व्यक्तित्व को उन्होंने आधार तुलसीदास के मुख से जो कहलाया है, वह ज्यादातर उनकी रचनाओं में व्यक्त भावनाओं और विचारों पर आधारित है। कहीं-कहीं तो विनय पत्रिका के पदों के भावार्थ को ही प्रस्तुत कर दिया गया है इससे तुलसीदास की भावधारा और विचारधारा को स्वयं उनके जीवन-प्रसंगों के बीच रखकर समझा जा सकता है। वस्तुतः 'मानस का हंस' की कथावस्तु की विशेषता यही है कि वह तुलसीदास के साथ-साथ उस युग का इतिहास भी हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है।

14.5 चरित्र चित्रण

इस उपन्यास में तुलसीदास का चरित्र केंद्र में है। यह तो आप समझ ही गये होंगे इस उपन्यास की कथावस्तु तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। किंतु उपन्यास में ऐसे कई पात्र हैं जिनका चरित्र काफी विस्तार से उभरकर आया है। इनमें कई ऐतिहासिक चरित्र हैं जैसे रत्नावली, टोडरमल, बेनी माधव, नंददास आदि तो कई काल्पनिक चरित्र भी हैं। किंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि ये सभी चरित्र मुख्यतः तुलसीदास के व्यक्तित्व को ही पुष्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ हम उपन्यास में वर्णित तुलसीदास के चरित्र की विशेषताओं को पहचानने की कोशिश करेंगे।

तुलसीदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई काव्य ग्रंथ रचे जिनमें कालजयी कृति 'रामचरित मानस' भी शामिल है। लेकिन तुलसीदास सिर्फ एक कवि ही नहीं थे उन्होंने अपने ग्रंथों द्वारा जिन सामाजिक आदर्शों की स्थापना की, उनसे स्पष्ट है कि वे एक लोकनायक भी थे। बचपन में माता-पिता द्वारा त्याग, भिक्षा द्वारा जीवन-यापन और अपमान सहते हुए दर-दर ठोकरें खाना उनकी नियति-सा बन गया था। उनके आरंभिक जीवन को देखकर कौन कह सकता था कि "रामबोला" कहलाने वाला यह बालक इतना तेजस्वी और विख्यात होगा।

अमृतलाल नागर ने उपन्यास में तुलसीदास को एक सहज मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसमें कमजोरियाँ हैं, जो अपनी कमजोरियों से संघर्ष करता है, उनसे सीखता है, गलतियाँ भी करता है और अपने आदर्शों की ओर उन्मुख बना रहता है।

तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी के त्याग की घटना तो प्रसिद्ध है, लेकिन वेश्या पुत्री वाली घटना उनके व्यक्तित्व को और अधिक विश्वसनीय और मानवीय बनाती है। तुलसीदास और रत्नावली के संबंधों का जो वर्णन उपन्यास में मिलता है, उससे तुलसीदास के चरित्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष उभरकर सामने आता है। तुलसीदास विद्यार्थी जीवन में ही अपने को राम भक्ति के लिए समर्पित कर चुके थे, लेकिन युवावस्था में मोहिनी के संसर्ग में आकर वे अपनी भक्ति को लगभग भूल जाते हैं। इस प्रेम में असफल होने पर तुलसीदास पुनः राम ही की ओर दौड़ते हैं और संकल्प करते हैं कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे, किंतु रत्नावली को देखकर और उसके निकट आकर उनमें फिर जीवन के प्रति लालसा बढ़ती है और अंततः वे अविवाहित रहने का संकल्प छोड़ देते हैं। रत्नावली न केवल सुंदर है, बल्कि विदुषी भी है। उनका गृहस्थ जीवन सुखकर है। एक पुत्र भी होता है। लेकिन तुलसीदास को कभी-कभी ग्लानि होती है कि उन्होंने राम भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। इसीलिए जब एक दिन रत्नावली तुलसीदास को संबोधित करते हुए कहती है कि पुरुष "**निरे चाम का लोभी होता है, जीव में रमे राम का नहीं**" तो उनकी आँखें खुल जाती हैं और वे हमेशा के लिए घर त्याग देते हैं। इस प्रसंग में तुलसी का द्वंद्व बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत हुआ है।

लेकिन तुलसीदास का द्वंद्व यहीं समाप्त नहीं होता। घर त्यागने के बाद जो सामाजिक दायित्व वे ग्रहण करते हैं, उसमें भी उन्हें तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज की हीन-दीन दशा को देखकर वे विचलित होते हैं। राजनैतिक अत्याचार, शोषण, अकाल और महामारी में दबी जनता के लिए उनका मन हाहाकार कर उठता है। दूसरी ओर समाज को संगठित करने और उसे सही दिशा देने के प्रयत्नों का जबर्दस्त विरोध किया जाता है। स्वयं तुलसी के व्यक्तिगत जीवन को लांछित किया जाता है। इसीलिए वे लोकधर्म की रक्षा के लिए न चाहते हुए भी रत्नावली को अपने पास नहीं रखते जबकि स्त्री के परित्याग को वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि तुलसी ने राम द्वारा सीता के त्याग के प्रसंग को राम के चरित्र का हनन मानकर छोड़ दिया था। तुलसीदास के मन में स्त्री जाति के प्रति कितना सम्मान था, इसे इस प्रसंग द्वारा समझा जा सकता है।

'मानस का हंस' में तुलसीदास का चरित्र एक ऐसे लोकनायक के रूप में चित्रित हुआ है जो मानवीय भावनाओं से भरा है, जो न सिर्फ राम का भक्त है बल्कि राम द्वारा बनायी इस सृष्टि और इसमें रहने वाले लोगों से उतना ही प्यार करता है। वह वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता है, लेकिन राम भक्ति के आगे किसी तरह की ऊँच-नीच और जात-पाँत को नहीं मानता। जो अकाल, बाढ़ और महामारी के समय गरीबों की सेवा करना अपना धर्म समझता है।

तुलसीदास का यह व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में व्यक्त चरित्र के सर्वथा अनुरूप है। नागरजी ने उसी को उपन्यास के रूप में मूर्तिमान कर दिया है। जैसा प्रभावशाली चरित्र तुलसी का चित्रित हुआ है, वैसा ही उनकी पत्नी रत्नावली का हुआ है। वह विदुषी महिला तो है ही, उसमें स्वाभिमान भी है। अपने व्यक्तित्व से वह तुलसी को न केवल मोहित करती है बल्कि उसके चरित्र की दृढ़ता के आगे तुलसी अपने को कमज़ोर भी महसूस करते हैं। तुलसी के जीवन को महान दिशा देने में रत्नावली का योगदान सबसे ज्यादा है। तुलसी के व्यक्तित्व को रत्नावली के प्रसंग में सही ढंग से समझा जा सकता है।

इस प्रकार तुलसीदास न केवल एक महान कवि थे, वरन महान लोकनायक, मानवतावादी और उच्चकोटि के भक्त भी थे।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

6 'मानस का हंस' उपन्यास की कथावस्तु कैसी है?

क) धार्मिक
ख) ऐतिहासिक
ग) पौराणिक
घ) काल्पनिक ( )

7 तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली का त्याग क्यों किया?

क) पत्नी से झगड़ा होने के कारण।
ख) काव्य-रचना करने के लिए।
ग) राम की भक्ति में लीन होने के लिए।
घ) समाज सेवा करने के लिए। ( )

8 तुलसीदास को लोक नायक क्यों कहा जाता है? दो कारण बताइए।

क) ....

ख) ....

अभ्यास

1 "पुरुष निरे चाम का लोभी होता है जीव में रमे राम का नहीं" इस कथन का आशय तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

2 पठित अंश के आधार पर तुलसीदास और रत्नावली के संबंधों का विश्लेषण पाँच पंक्तियों में कीजिए।

....

....

....

....

....

14.6 परिवेश

'मानस का हंस' का जो अंश आपने पढ़ा है उससें तुलसीदास के युग की परिस्थितियों का चित्रण नहीं है। लेकिन पूरे उपन्यास में इनका विशद चित्रण किया गया है जिससे तुलसीदासयुगीन परिवेश अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उभरकर आता है। तुलसीदास का जन्म जिस समय हुआ उस समय उत्तर भारत पर मुगल अपनी राज्यसत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका संघर्ष मुख्यतः पठानों से था छोटे-बड़े जमींदार अपने-अपने स्वार्थों के अनुसार अपना पक्ष तय करते थे। लेकिन राजसत्ता के लिए होने वाले संघर्षों में गरीब जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। नागरजी ने यह भी दिखाया है कि शासक चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जनता में किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष नहीं था। मुस्लिम शासक भी मुसलमानों के रूप में नहीं पठान और मुगल के रूप में जाने जाते थे। ऐसी ही स्थितियों में तुलसीदास का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास ने एक भिखारिन के आश्रय में रहकर अपना बचपन व्यतीत किया। उस समय उच्च जाति के लोग गरीब और निम्न समझे जाने वालों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करते थे, उससे समाज में ऊँच-नीच के भेद का पता लगता है। बाद में शिक्षा प्राप्त करते हुए गुरुकुलों की दशा, साधु-संतों का व्यवहार तथा पंडित वर्ग के जीवन की विकृतियों को देखने का भी तुलसी को अवसर मिला। अयोध्या में रहते हुए उन्हें धर्म के नाम पर स्थापित मठों में फैले व्यभिचार को जानने का अवसर भी मिलता है। संभवतः तुलसीदास धर्म के इस विकृत रूप को देखकर ही उसे लोकधर्म में परिवर्तित करने की ओर प्रेरित हुए होंगे।

इस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने प्रत्येक प्रसंग को जीवंत बनाने के लिए उस प्रसंग से जुड़े परिवेश को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। काशी के वर्णन में उस समय के काशी का माहौल पूरी तरह से जीवंत होकर उभरा है। इसी तरह तुलसीदास और रत्नावली के विवाहित जीवन से जुड़े प्रसंगों में गाँव और गृहस्थ जीवन का स्वाभाविक चित्रण हुआ है।

नागरजी ने पात्रों को स्वाभाविक रूप देने के लिए उनके क्षेत्र, शिक्षा और संस्कार के अनुकूल उनकी भाषा और व्यवहार का चित्रण किया है। ग्रामीण और अशिक्षित वातावरण में पले लोगों की भाषा में लोकभाषा का मधुर रस व्यक्त हुआ है तो पंडितों की भाषा में पांडित्य का। नागरजी की विशेषता यह है कि वे सारे परिवेश व उसकी छोटी से छोटी गतिविधि को इतने यथार्थपरक ढंग से चित्रित करते हैं, मानो सारा माहौल उनका देखा-भाला हो, लेकिन वे यह ध्यान रखते हैं कि जिस युग का वर्णन किया जा रहा है परिवेश भी उस युग की विशिष्टताओं के अनुरूप हो।

इस उपन्यास को पढ़ने से हमें सिर्फ तुलसी के व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की ही जानकारी नहीं मिलती, उस युग की दशा और उस समय विभिन्न वर्गों, धार्मिक समुदायों और जातियों के पारस्परिक संबंधों और संघर्षों की जानकारी भी मिलती है। स्त्री पात्रों द्वारा उस समय के समाज में नारी की दशा का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार यह उपन्यास हमें तुलसीयुगीन परिवेश के यथार्थ रूप से भी परिचित कराता है।

14.7 संरचना शिल्प

उपन्यास की संरचना कहानी से भिन्न होती है। उपन्यास में लेखक घटनाओं, स्थितियों, मनोभावों का विस्तृत चित्रण कर सकता है। लेकिन यह काम उपन्यासकार भाषा के माध्यम से करता है तथा कथावस्तु की ज़रूरत के अनुसार उपन्यास की शैली भी निर्धारित करता है। पात्रों की पारस्परिक बातचीत, कथा विकास और पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन संवाद कैसे हों, इसका निर्णय परिवे** एवं पात्र के अनुसार होता है। भाषा और संरचना पर विचार करते हुए हम यहाँ शैली, भाषा और संवाद तीनों पर विचार करेंगे।

शैली: जैसा कि आप पढ़ चुके है, 'मानस का हंस' उपन्यास की कथावस्तु ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कथानक पर आधारित है। तुलसीदास इतिहास-पुरुष हैं। उन्होंने चार सौ साल पहले कई महान ग्रंथों की रचना की थी। तुलसीदास का प्रभाव सिर्फ एक कवि के रूप में ही नहीं है बल्कि एक लोकनायक के रूप में भी है। ऐसे युग पुरुष पर उपन्यास लिखना सरल काम नहीं है क्योंकि जनमानस में उसकी एक तस्वीर पहले से विद्यमान होती है। यह काम तब और कठिन हो जाता है जब उस युग पुरुष के व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम उपलब्ध हो। नागर जी ने ऐसे ही दुर्लभ कार्य को अत्यंत कुशलता के साथ पूरा किया है। इतिहास की विस्तृत जानकारी और तुलसी साहित्य का गहन अध्ययन, उपन्यास के निर्माण में अत्यंत सहायक हुआ है। उपन्यास रचना में तो नागरजी सिद्धहस्त हैं ही।

उपन्यास रत्नावली की मृत्यु से आरंभ होकर तुलसीदास की मृत्यु पर समाप्त होता है। इसी के बीच तुलसी के बाल, किशोर, युवा एवं विवाहित जीवन के विभिन्न प्रसंग स्मृतियों और संस्मरणों के रूप में सामने आते हैं। नागरजी ने उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में प्रस्तुत किया है। पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ होता है जहाँ कथा का विकास स्मृतियों के रूप में सामने आता है। इसमें कथा के विभिन्न प्रसंग भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें कुछ काल्पनिक पात्र हैं, कुछ ऐतिहासिक। लेकिन इससे कथा को यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत करना संभव हुआ है। दूसरे, नागर जी ने कथा के विभिन्न प्रसंगों को बीच-बीच में तोड़ा है और अतीत की स्मृतियों के साथ तुलसी के वर्तमान जीवन का वर्णन भी किया है।

नागर जी ने उपन्यास के विभिन्न प्रसंगों का विशद चित्रण प्रायः वर्णनात्मक रूप में किया है, किंतु उनका वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि लगता है जैसे घटनाएँ हमारे सामने घटती हुई-सी प्रतीत होती हैं। उपन्यास में तुलसी के अंर्तद्वन्द्व का भी प्रभावशाली चित्रण हुआ है। ऐसे प्रसंग जो तुलसी और रत्नावली के अंतरंग जीवन से संबंधित थे उन्हें नागरजी ने स्वयं तुलसी द्वारा कहलाया है, ताकि तुलसी के मानसिक द्वंद्व को भी प्रस्तुत किया जा सके। यह पद्धति तुलसी के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक थी। ऐसे प्रसंग में कथा, आत्मकथा के रूप में व्यक्त हुई है। ऐसे प्रसंग बहुत ही प्रभावशाली हैं जिनमें से एक अंश पाठ के रूप में इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है। इस अंश में तुलसी के अंर्तद्वन्द्व को देखा जा सकता है। रत्नावली के आगमन से उठने वाले विवाद से तुलसी बहुत विचलित हैं, दूसरी ओर घर त्याग देने के बावजूद रत्नावली के प्रति उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। ऐसी स्थिति उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। एक ओर उनका मन है जो रत्नावली का संसर्ग चाहता है, दूसरी ओर लोकधर्म है। इन दोनों के ही द्वंद्व में वे राम की शरण में जाते हैं। इस प्रकार इस प्रसंग में तुलसी का अंर्तद्वन्द्व अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित हुआ है।

भाषा: 'मानस का हंस' में तुलसी के जीवन का विशद चित्रण है — बचपन से लेकर मृत्यु तक। अपने संपूर्ण जीवन में तुलसी भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं, कभी राजापुर, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट तो कभी काशी इसी तरह उनके जीवन में विभिन्न वर्गों और स्तरों के लोग आते हैं। अब्दुल रहीम खानखाना जैसे अभिजातवर्गीय और टोडरमल जैसे जमींदार ही उनके जीवन-संपर्क में नहीं आते बल्कि गरीब और निम्न समझे जाने वाले लोग भी आते हैं। इसके साथ ही तुलसी की विभिन्न मानसिक दशाओं का चित्रण भी हुआ है। नागरजी ने इन सभी स्थलों पर भाषा का सृजनात्मक उपयोग किया है। उनकी भाषा में वर्णन की अद्भुत क्षमता है। घटनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, प्रसंग के अनुसार भाषा का बदलना और शब्दों द्वारा स्थिति का पूर्ण चित्र खड़ा कर देना उनके लिए सहज संभव है।

इस उपन्यास में तुलसी के युग को भाषा के द्वारा ही जीवंत बनाया गया है। विशेष रूप से तुलसी के भावों और विचारों के वर्णन में तो भाषा ऐसी प्रवाहमयी, ओजपूर्ण एवं माधुर्य से युक्त है कि उसमें कविता का सा रस आता है। जहाँ तुलसी राम की भक्ति में मग्न होकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वहाँ नागरजी ने 'विनय पत्रिका' के पदों का सुंदर प्रयोग किया है। इससे एक भक्त कवि की मानसिक दशा को सहज ही समझा जा सकता है।

मानसिक दशा का चित्रण करते हुए भाषा का जो सहज, भावपूर्ण और प्रवाहमय रूप उनके उपन्यास में देखने को मिलता है उसे हम पठित अंश की निम्नलिखित पंक्तियों में भी देख सकते हैं:

''हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार-बार पानी मींजा जाता रहा पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा।''

उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास की मानसिक विकलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

अमृतलाल नागर की भाषा में खड़ी बोली का स्वाभाविक रूप प्रकट हुआ है। यद्यपि आमतौर पर बोलचाल के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है लेकिन जहां आवश्यक हुआ है वहां उर्दू, लोकभाषा (अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ,) एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है लेकिन जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ उर्दू, लोकभाषा (अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ), एवं तद्भव शब्दों के उस दौर की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है।

संवाद: नागर जी ने संवादों को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। पात्रों के शिक्षा, संस्कार और मनोदशा के अनुकूल संवाद निर्मित हुए हैं। कम शिक्षित और ग्रामीण पात्रों की भाषा पर लोक भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। पठित अंश में ही नाथू की भाषा पर लोकभाषा (भोजपुरी) का प्रभाव देखा जा सकता है:

काहे महाराज, रहैं ना। दो ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाईं लोग तो चिरस्तास्मी होते ही है।''

इसके विपरीत तुलसी और रत्नावली की भाषा शुद्ध खड़ी बोली में पेश की गयी है। लेकिन उनकी भाषा में उनका व्यक्तित्व पूरी तरह व्यक्त हुआ है। पठित अंश में आपने तुलसी और रत्नावली की बातचीत पर ध्यान दिया हो तो आप पायेंगे कि इनके संवादों में तुलसी का आंतरिक द्वंद्व और बाहरी दृढ़ता तथा रत्नावली का तुलसी के लिए विकल अश्रुपूर्ण हृदय का स्पष्ट आभास होता है।

''तुलसी एकाएक उत्तर न दे सके, कुछ रुककर शांत स्वर में कहा — लोक धर्म बड़ा कठिन होता है देवी। व्यर्थ निन्दा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था।.... तुम घर कब लौट रही हो?

'मैं अब काशी में ही रहना चाहती हूँ।'

'नहीं'

'मैं मठ में नहीं रहूँगी। पंडित गंगाराम की गृहिणी ने मुझे..... ।''

गंगाराम या टोडर के यहाँ तुम्हारा रहना उचित न होगा।

'मैं स्वयं भी यह उचित नहीं समझती। अलग घर ले के रहूँगी'

'नहीं'

रत्नावली का टूटता मन उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगा।

गिड़गिड़ा कर बोली—''मैं यहाँ आप को कष्ट देने के लिए कभी नहीं आऊँगी। कभी आप के सामने नहीं पड़ूँगी। आप के तप में कोई बाधा न डालूंगी।''

संवादों में नागरजी ने पात्रों की भावनाओं को इतनी गहराई से प्रस्तुत किया है कि पढ़ते हुए पाठक भी उनकी हृदय की आर्द्रता से द्रवित हुए बिना नहीं रहता।

14.8 प्रतिपाद्य

श्री अमृतलाल नागर प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। प्रेमचंद की ही तरह नागरजी ने भी अपने उपन्यासों में सामाजिक सोद्देश्यता को हमेशा अपने सामने रखा। उन्होंने भी जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। नागरजी ने समकालीन यथार्थ के साथ-साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। वहाँ भी उनकी दृष्टि जीवन के यथार्थवादी चित्रण की ओर ही रही है। यह उपन्यास उत्तर भारत के महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास सिर्फ भक्त कवि ही नहीं थे, वे एक महान लोकनायक भी थे। उन्होंने समाज को एक नयी दिशा दी थी। उन्होंने धर्म को नया सामाजिक आदर्श दिया था। परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी किस प्रकार उसे लोक

हितकारी बनाया जा सकता है, इसका प्रयास ही तुलसी ने अपनी रचनाओं, विशेष रूप में 'रामचरित मानस' में किया था। तुलसी का 'रामचरित मानस' आज भी उत्तर भारत में सर्वाधिक पूजनीय और लोकप्रिय ग्रंथ है।

लेकिन तुलसी का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। बचपन में माता-पिता द्वारा त्याग, भीख मांगकर गुजारा करना, युवावस्था में पत्नी द्वारा लांछित होकर गृह त्यागना तथा जीवनपर्यन्त आलोचना और विरोध का सामना करना, तुलसी के जीवन की गाथा रही है। ऐसे संघर्षमय जीवन को जीते हुए तुलसी ने 'मानस' जैसी कालजयी रचना कैसे की होगी, इसे जानना और समझना, स्वयं उस युग को जानने और समझने की दृष्टि दे सकता है। इसलिए 'मानस का हंस' तुलसीदास की जीवनी ही नहीं है, वह उस युग का सांस्कृतिक इतिहास भी है। तुलसीदास के बहाने अमृतलाल नागर ने उस युग की वास्तविक दशा का चित्रण तो किया ही है, उस युग के सामाजिक और धार्मिक अंतर्विरोधों का चित्रण भी किया है। ये अंतर्विरोध स्वयं तुलसी के जीवन में हमें दिखायी देते हैं। यह कैसी विडंबना है कि जो कवि अपने आराध्य राम पर यह लांछन नहीं लगाने देना चाहता कि उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, वही कवि लोक-धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को अंगीकार नहीं कर पाता।

तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के जड़ समर्थक स्वयं तुलसी पर तरह-तरह के लांछन लगाते हैं। तुलसी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर धर्म को लोक धर्म का रूप देना चाहते हैं। उपन्यास में एक घटना का वर्णन है जहाँ वे नीच समझी जाने वाली जाति के एक हत्यारे को अपने हाथ से भोजन कराते हैं क्योंकि वह राम का भक्त है। तुलसी की उदारता को पंडित समाज स्वीकार नहीं कर पाता और उन्हें जबर्दस्त निंदा और विरोध का सामना करना पड़ता है।

तुलसीदास समाज को लोक आदर्श में बाँधकर एक करना चाहते हैं, इसके लिए वे रामलीला की शुरुआत करते हैं। महामारी या अकाल के समय वे दुखियों की सेवा करने का अभियान चलाते हैं। जब उनके मित्र उन्हें मठ की गद्दी सौंपते हैं तो थोड़े दिनों बाद यह सोचकर उसे त्याग देते हैं कि इससे वे साधारण जन से कट गये हैं। इस प्रकार उपन्यास में तुलसीदास महान समाज सुधारक, जननायक और युगद्रष्टा के रूप में उभरकर आते हैं।

अमृतलाल नागर इस उपन्यास के द्वारा रचनाकार के सामने लोकोन्मुखी आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। वे तुलसीदास के जीवन द्वारा यह कहना चाहते हैं कि वही रचनाकार महान रचना कर सकता है जो अपने को साधारण जन की पीड़ा से जोड़ता हो, जो उच्च वर्ग का आश्रय ग्रहण करने की बजाय जन-जन की पीड़ा को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देता हो।

अमृतलाल नागर ने भक्ति आंदोलन के सांस्कृतिक-सामाजिक पक्षों को रखकर यह भी बताया है कि हम वर्तमान की समस्याओं का सामना तभी कर सकते हैं जब जन सामान्य का उत्पीड़न समाप्त हो, भेदभाव की दीवारें टूटें और सभी लोगों में एकता और भाईचारे की भावना पैदा हो।

'मानस का हंस' ऊपर बताये गये उद्देश्यों की दृष्टि से हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। वह हमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी भेदों से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टि का संदेश देता है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

9 निम्नलिखित पंक्तियों से तुलसी का कौन-सा रूप व्यक्त हुआ है, सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए।

क) मन जब अपनी विकलता को न सह पाया तो अपनी आदत के अनुसार रामजी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। ( )

ख) 'हे दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर, कारुणिक रघुराई।' ( )

ग) मेरा मन अभी दुर्बल है देवी। तुम्हारे स्पर्श से मेरी तपस्या पर आँच आ जाएगी ( )

घ) लोक का चरित्र गिरा हुआ है। उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा ( )

(सहज मानव, लोकनायक, कवि, भक्त)

10 'मानस का हंस' में तुलसी का चरित्र निम्नलिखित में से किन-किन आधारों पर निर्मित हुआ है, हाँ या नहीं पर (✓) का चिह्न लगाइए।

क) तुलसीदास के ग्रंथो में व्यक्त चरित्र के आधार पर। (हाँ/नहीं)

ख) किंवदंतियों के आधार पर। (हाँ/नहीं)

ग) उनकी आत्मकथा के आधार पर। (हाँ/नहीं)

अभ्यास

3 तुलसीदास के जीवन द्वारा एक रचनाकार को क्या शिक्षा मिलती है? सिर्फ चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

4 'मानस का हंस' के संवादों की कोई दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

5 इस इकाई को पढ़ने के बाद 'तुलसीदास' के योगदान पर दस पंक्तियाँ लिखिए और अपने उत्तर की जाँच इकाई को पढ़कर कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

14.9 सारांश

- आपने इस इकाई को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उपन्यास कथा-साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें मानव जीवन का विशद चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। आप स्वयं उपन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताओं को बता सकते हैं।
- 'मानस का हंस' अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास के पठित अंश, कथा सार, कथावस्तु द्वारा आप उपन्यास की कथावस्तु की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- उपन्यास के नायक गोस्वामी तुलसीदास महान कवि, भक्त, लोकनायक व युगद्रष्टा थे। नागर जी ने उनको सहज मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आप स्वयं उपन्यास में चित्रित तुलसी के चरित्र की विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं।
- यह उपन्यास तुलसी युग का सांस्कृतिक इतिहास भी प्रस्तुत करता है। आप इस युग की परिस्थितियों की व्याख्या कर सकते हैं।
- इस उपन्यास की भाषा सहज, स्वाभाविक, भावपूर्ण एवं प्रवाहमयी है। इसमें खड़ी बोली के स्वाभाविक रस के साथ-साथ लोकभाषा का माधुर्य भी मिलता है। संवादों में यथार्थपरकता और इसकी शैली सांस्कृतिक-ऐतिहासिक कथानक के अनुकूल है। आप इस उपन्यास की संरचना-शिल्प की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- यह उपन्यास तुलसीदास के प्रेरक जीवन के साथ-साथ उस युग के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का चित्र भी प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में एक रचनाकार के बाह्य और आंतरिक संघर्ष का चित्रण भी हुआ है। इसके द्वारा आप उपन्यास के प्रतिपाद्य का विश्लेषण कर सकते हैं।

14.10 उपयोगी पुस्तकें

*नागर, अमृतलालः **मानस का हंस**, राजपाल एंड सन्ज़, दिल्ली।*
द्विवेदी, हजारी प्रसादः **साहित्य सहचर**, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

14.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 ग 2 ख 3 घ

4 तुलसीदास पत्नी के त्याग को अन्यायपूर्ण समझते थे इसीलिए उन्होंने राम द्वारा सीता के परित्याग की कथा को 'मानस' में स्थान नहीं दिया।

5 रत्नावली की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु से पहले एक बार तुलसीदास उन्हें दर्शन दें।

6 ख 7 ग

8 क) तुलसीदास ने अपने काव्य ग्रंथ में लोक सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया।
ख) स्वयं तुलसी ने दुखियों की सेवा कर तथा उन्हें एक सूत्र में बाँध कर लोक धर्म का निर्वाह किया।

9 क) भक्त ख) कवि ग) सहज मानव घ) लोक नायक

10 क) हाँ ख) हाँ ग) नहीं.

अभ्यास

1 रत्नावली का मानना था कि पुरुष केवल बाह्य आकर्षण में बंधता है, वह सिर्फ शरीर से प्यार करता है, आत्मा से प नहीं करता। राम के प्रति प्यार एक ढोंग है। तुलसीदास को रत्नावली की यह बात चुभ जाती है और वे सदा के लिए घर छोड़ देते हैं।

2 तुलसीदास घर त्यागने के बाद भी रत्नावली को भूल नहीं पाते। स्त्री पुरुष जब पति-पत्नी के रूप में बंधते हैं तो वह संबंध मात्र शरीर का नहीं होता, आत्मा और मन भी एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। झटके से इस संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितने भी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस संबंध से मुँह मोड़ लिया जाये, पर एक दूसरे की कमी अखरती रहती है। उक्त अंश में तुलसी और रत्नावली के जीवन के इसी द्वंद्व को चित्रित किया गया है।

3 उत्तर मिलाने के लिए 'प्रतिपाद्य' अंश पढ़िए।

4 उत्तर मिलाने के लिए 'संरचना शिल्प' का संवाद अंश पढ़िए।

इकाई 15 नाटक : चंद्रगुप्त (जयशंकर प्रसाद)

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 नाटक का वाचन
15.3 कथासार
15.4 कथावस्तु
15.5 चरित्र चित्रण
15.6 परिवेश
15.7 संरचना शिल्प
15.8 प्रतिपाद्य
15.9 सारांश
15.10 उपयोगी पुस्तकें
15.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक 'चंद्रगुप्त' का एक अंश वाचन के लिए दे रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- नाटक विधा की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे;
- जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक 'चंद्रगुप्त' की कथा संक्षेप में बता सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे·
- 'चन्द्रगुप्त' और चाणक्य के चरित्र का विश्लेषण कर सकेंगे;
- 'चंद्रगुप्त' के आधार पर उस युग की परिवेशगत विशेषताएँ बता सकेंगे;
- नाटक की भाषा, शैली और रंगमंच संबंधी विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- नाटक के प्रतिपाद्य की व्याख्या कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

आपने इकाई 13 में कहानी एवं इकाई 14 में उपन्यास का अध्ययन किया है। इस इकाई में आप नाटक का अध्ययन करेंगे। साहित्य को संस्कृत काव्यशास्त्र में "काव्य" की संज्ञा भी दी गयी है। काव्य के दो भेद किये गये है : श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य उस साहित्य को कहते हैं जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध ऐसी ही साहित्यिक विधाएँ हैं। काव्य के जिस रूप का आनंद देखकर लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक की गणना दृश्य काव्य के अंतर्गत होती है क्योंकि उसका आनंद देखकर लिया जाता है इसका अर्थ यह है कि नाटक का लेखन रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए किया जाता है। रंगमंच वह स्थल है जिस पर नाटक खेला जाता है। नाटक का मंचन अभिनेताओं द्वारा होता है जो नाटक की कथा को उसी रूप में मंच पर प्रस्तुत कर देते हैं। इसी प्रस्तुति को रंगशाला (थियेटर) में बैठकर दर्शक देखते हैं। अभिनेता नाटक के कार्य व्यापार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करता है। नाटक की यही रंगमंचीय प्रस्तुति दर्शक को आनंदित करती है।

कहानी और उपन्यास की तरह नाटक में भी एक कथा होती है। इस कथा को नाटककार विभिन्न दृश्यों और अंकों में विभाजित करता है। जिस नाटक में सिर्फ एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं और जिस नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, उसे नाटक कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि कथा की दृष्टि से एकांकी और नाटक में वही भेद है जो कहानी और उपन्यास में होता है। नाटक के एक अंक में कई दृश्य हो सकते हैं। हर दृश्य परिवर्तन के साथ नाटक की कथा में स्थान, समय या कार्य की दृष्टि से परिवर्तन होता है। नाटक में कुछ पात्र होते है। उनके जीवन की घटनाएँ हमारे सामने घटित होती है। ये घटनाएँ विशेष देश-काल (परिवेश) में घटित होती है। पात्रों की पारस्परिक बातचीत (संवाद) और क्रियाओं से कथा का विस्तार होता है। इस प्रकार नाटक के भी वे ही तत्व होते हैं, जो कहानी और उपन्यास के होते है, सिर्फ एक तत्व रंगमंच का और जुड़ जाता है।

इस इकाई में आप सुप्रसिद्ध छायावादी कवि और नाटककार स्व. जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक 'चंद्रगुप्त' (रचनाकाल 1931) के पहले अंक के पहले दृश्य का वाचन करेंगे और इसी "दृश्य" के आधार पर नाटक की साहित्यिक और रंगमंचीय विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे। जयशंकर प्रसाद (1889-1937) हिंदी के प्रख्यात कवियों में गिने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना 'कामायनी' को आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद जी ने काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और कहानियों की रचना भी की है। उनके नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों पर आधारित हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु आदि।

15.2 नाटक का वाचन

प्रथम अंक

दृश्यः एक

[स्थान—तक्षशिला[1] के गुरुकुल का मठ]

(चाणक्य[2] और सिंहरण[3])

तक्षशिला के विद्याकेंद्र से कथा का आरंभ

चाणक्यः सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम्हीं लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था; क्योंकि इस वर्ष के **भावी** स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ **अकिञ्चन** को गुरु-दक्षिणा चुका देनी थी।

सिंहरणः आर्य, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी अस्त्रशास्त्र की। इसीलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमाप्रार्थी हूँ।

चाणक्यः अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे?

सिंहरणः अभी तो मैं मालव नहीं जाता। मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है।

चाणक्यः मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि **यवनों** के दूत यहाँ क्यों आये हैं?

देश की अंदरूनी अव्यवस्था और विदेशी हमले का खतरा

सिंहरणः मैं उसे जानने की **चेष्टा** कर रहा हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और **प्रतारणा** की लेखनी और **मसि** प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खण्ड राज-**द्वेष** से **जर्जर** हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा।

(सहसा आम्भीक[4] और अलका[5] का प्रवेश)

आम्भीकः कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो?

सिंहरणः एक मालव।

आम्भीकः नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है।

सिंहरण : तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र।

आम्भीकः देखता हूँ कि तुम **दुर्विनीत** भी हो।

सिंहरणः कदापि नहीं राजकुमार! विनम्रता के साथ **निर्भीक** होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है।

आम्भीकः परन्तु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है?

(चाणक्य चुप रहता है)

आम्भीकः **(क्रोध से)**—बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रह कर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन!

भावीः भविष्य, अकिंचनः गरीब, यवनः यूनान के वासी, चेष्टाः कोशिश, प्रतारणः धोखा, मसिः स्याही, द्वेषः ईर्ष्या, जर्जरः बुरी स्थिति में, दुर्विनीतः जिसमें नम्रता न हो, निर्भीकः निडर

1 शिक्षा-दीक्षा का प्रसिद्ध विद्याकेंद्र। चाणक्य, चंद्रगुप्त आदि ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी।
2 इतिहास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य।
3 मालवगण मुख्य का कुमार
4 तक्षशिला का राजकुमार
5 तक्षशिला की राजकुमारी

चाणक्यः राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है; स्वराज्य में विचरता है और अमृत हो कर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी, स्वेच्छा से इन **माया-स्तूपों** को ठुकरा देता है, प्रकृति के **कल्याण** के लिए अपने ज्ञान का दान देता है।

आम्भीकः वह काल्पनिक महत्त्व मायाजाल है; तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते।

चाणक्यः सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय। इसी से दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है।

आरम्भीकःऔर तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो!

सिंहरणः विद्यार्थी और कुचक्र! असम्भव। यह तो वे ही कर सकते हैं, जिनके हाथ में अधिकार हो---जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक........

आम्भीकः बस-बस **दुर्धर्ष** युवक! बता, तेरा अभिप्राय क्या है?

सिंहरणः कुछ नहीं।

आम्भीकः नहीं बताना होगा! मेरी आज्ञा है।

सिंहरणः गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा **शिरोधार्य** होती है; अन्य आज्ञाएँ **अवज्ञा** के कान से सुनी जाती है राजकुमार!

अलकाः भाई! इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छन्द हृदय में कितना बलवान वेग है! यह अवज्ञा भी **स्पृहणीय** है। जाने दो।

आम्भीकः चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है, जो यों ही उड़ा दी जाय। इसमें कुछ रहस्य है।

(चाणक्य चुपचाप मुस्कराता है।)

आंभीक और नंद की विदेशी हमलावरों के साथ संधि का संकेत

सिंहरणः हाँ-हाँ रहस्य है! यवन-आक्रमणकारियों के **पुष्कल**-स्वर्ण से पुलकित होकर, आर्यावर्त की सुख-रजनी की शान्ति-निद्रा में, उत्तरापथ की **अर्गला** धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार! सम्भवतः तक्षशिलाधीश वाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गये थे?

आम्भीकः **(पैर पटक कर)** —ओह, असह्य! युवक, तुम बन्दी हो।

सिंहरणः कदापि नहीं; मालव कदापि बन्दी नहीं हो सकता।

(आम्भीक तलवार खींचता है।)

चन्द्रगुप्त[1]: **(सहसा प्रवेश करके)** —ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है; उसे कोई बन्दी नहीं बना सकता है। यह क्या राजकुमार! खड्ग को **कोश** में स्थान नहीं है क्या?

सिंहरणः **(व्यंग्य से)** वह तो स्वर्ण से भर गया है!

आम्भीकः तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो। और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल—मृत्यु-दण्ड—अवश्य भोगना पड़ेगा।

चन्द्रगुप्तः क्यो, वह क्या एक **निस्सहाय** छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो—बस इसीलिए?

[आम्भीक तलवार चलाता है। चन्द्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है, आम्भीक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चन्द्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है।]

सिंहरणः वीर चन्द्रगुप्त, बस। जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो।

चाणक्यः राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम **क्रोधाभिभूत** कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, **द्वंद्व-युद्ध** के लिए नहीं! विश्वास रखना इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा।

अलकाः ऐसा ही हो। चलो भाई!

(क्षुब्ध आम्भीक उसके साथ जाता है।)

माया-स्तूपः भौतिक आडंबर, कल्याणः भलाई, दुर्धर्षः उद्दण्ड, शिरोधार्यः आदरपूर्वक मानने योग्य, अवज्ञाः उपेक्षा, स्पृहणीयः गौरवशाली, पुष्कलः प्रचुर, अर्गलाः चिटकनी, कोशः म्यान, निस्सहायः सहायताविहीन, क्रोधाभिभूतः क्रोध से पागल, द्वंद्व युद्धः दो व्यक्तियों का आपस में युद्ध।

1 चंद्रगुप्तः मौर्य सेनापति का सुपुत्र।

चाणक्यः **(चन्द्रगुप्त से)**—तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह **काण्ड** असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का **परित्याग** कर दो। और सिंहरण, तुम भी।

चन्द्रगुप्तः आर्य, हम मागध हैं और यह मालव। अच्छा होता कि यहीं गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते।

चाणक्यः क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी **चपलता** दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। परन्तु अकारण रक्तपात **नीति-विरुद्ध** है।

चन्द्रगुप्तः आर्य संसार-भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म-सम्मान के लिए मर-मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है।

चाणक्यः देखूँगा कि इस आत्म-सम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो!

सिंहरणः आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे।

चाणक्य द्वारा क्षेत्रीयता से ऊपर उठने का उपदेश और आगे की घटनाओं का संकेत

चाणक्यः तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का **अवसान** है न? परन्तु आत्म-सम्मान इतने ही से सन्तुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में, आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के **अनन्तर** दूसरे विदेशी विजेता से **पददलित** होंगे? आज जिस व्यंग्य को लेकर इतनी घटना हो गयी है, वह बात भावी गांधार-नरेश आम्भीक के हृदय में, **शल्य** के समान चुभ गयी है। **पञ्चनद**-नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र-हृदय आम्भीक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा।

चन्द्रगुप्तः गुरुदेव, विश्वास रखिए; यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चन्द्रगुप्त आपके चरणों की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे।

चाणक्यः तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो। परन्तु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन-सम्पन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पञ्चनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा और सिंहरण, तुम भी सावधान!

सिंहरणः आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है।

(चन्द्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान)

सिंहरणः एक अग्निमय गन्धक का स्रोत आर्यावर्त के लौह-अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चञ्चला रण-लक्ष्मी इन्द्र-धनुष-सी विजयमाला हाथ में लिये उस सुन्दर नील-लोहित प्रलय-जलद में विचरण करेगी और वीर-हृदय मयूर-से नाचेंगे। तब आओ देवि! स्वागत!!

(अलका का प्रवेश)

अलकाः मालव-वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया?

सिंहरणः क्यों देवि? क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ?

अलकाः नहीं, मैं तुम्हारी सुख शान्ति के लिए चिन्तित हूँ! भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था; जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने **अनधिकार** चेष्टा की थी! देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य, दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है, और अपना चलना बन्द कर देता है।

सिंहरणः परन्तु **भद्रे,** जीवन-काल में भिन्न-भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए, जो ठहरता हुआ चलता है, वह दूसरों को लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक तो है; परन्तु निष्फल नहीं।

अलकाः किन्तु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए।

सिंहरणः मानव कब दानव से भी दुर्दान्त, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए **निरवकाश** हृदयवाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, **अनागत** भविष्य के लिए भय क्यों और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा; फिर चिन्ता किस बात की?

अलकाः मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है, और वही यहाँ आपत्ति में है।

सिंहरणः राजकुमारी, इस **अनुकम्पा** के लिए कृतज्ञ हुआ। परन्तु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी है। यही क्या, **समग्र** आर्यावर्त है, इसलिए मैं....

अलकाः **(आश्चर्य से)**—क्या कहते हो?

सिंहरणः गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ।

काण्डः घटना, **परित्यागः** छोड़ना, **चपलताः** चंचलता, **नीति-विरुद्धः** नियमों के विरुद्ध, **अवसानः** अंत (समाप्त), **अनन्तरः** बाद, **पददलितः** पाँव के नीचे रौंदना, **शल्यः** बर्छी, **पंचनदः** पंजाब, **अनधिकारः** बिना अधिकार के, **भद्रेः** भली (स्त्रियों के लिए संबोधन), **निरवकाशः** जगह न हो, **अनागतः** न आया हुआ, **अनुकंपाः** दया, **समग्रः** सारा।

अलकाः (निःश्वास लेकर) —इसका मैं अनुभव कर रही हूँ। परन्तु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों, उसका पतन असम्भव है। मालववीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त्त के रक्षण की शक्ति है; तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त्त की बालिका हूँ—तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आम्भीक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी· परन्तु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर!

सिंहरणः अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊँगा देवि! किन्तु यदि किसी प्रकार, सिन्धु की प्रखर धारा को यवन-सेना न पार कर सकती····।

अलकाः मैं चेष्टा करूँगी वीर, तुम्हारा नाम?

सिंहरणः मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण।

अलकाः अच्छा, फिर कभी।

(दोनों एक-दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं।)

...ध प्रश्न

...नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

''आर्यावर्त्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रतारण की लेखनी और मसि प्रस्तुत हो रही है।'' इस वाक्य में किस खतरे की ओर संकेत है।

क) मालव राज्य द्वारा तक्षशिला पर आक्रमण
ख) तक्षशिला राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र
ग) विभिन्न राज्यों में पारस्परिक द्वेष
घ) यूनान द्वारा भारत पर आक्रमण ( )

''यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल-स्वर्ण से पुलकित होकर, आर्यावर्त्त की सुख रजनी की शांति-निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है।'' सिंहरण के इस कथन का तात्पर्य है:

क) विदेशी आक्रमणकारियों से आम्भीक की मिलीभगत
ख) चाणक्य के विरुद्ध यवनों की सहायता लेना
ग) यवनों का आर्यावर्त्त पर आक्रमण
घ) उत्तरापथ पर यवनों का आधिपत्य ( )

''मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त्त का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा'' चाणक्य के इस कथन में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है।

क) क्षेत्रीयता
ख) राष्ट्रीयता
ग) दूरदर्शिता
घ) संकीर्णता ( )

तक्षशिला कौन-से राज्य में स्थित था?

क) पंचनद
ख) मालव
ग) गांधार
घ) मगध ( )

चंद्रगुप्त, चाणक्य और सिंहरण क्या चाहते थे?

क) गांधार पर आधिपत्य स्थापित करना।
ख) आर्यावर्त्त की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करना।
ग) मगध राज्य का विस्तार करना।
घ) आम्भीक को पद से हटाना।
( )

निम्नलिखित वाक्यों में कही गयी बातें सही हैं या गलत, बताइए।

क) चाणक्य तक्षशिला में अस्त्र-शिक्षा देते थे। (सही/गलत)
ख) अलका गांधार राज्य की राजकुमारी थी। (सही/गलत)
ग) आम्भीक यवनों से मिला हुआ था। (सही/गलत)
घ) चाणक्य यवनों के पक्षधर थे। (सही/गलत)

15.3 कथासार

'चंद्रगुप्त' नाटक के प्रथम अंक का प्रथम दृश्य आपने पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्यवंश का पहला शासक था। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के शासन से कुछ समय पहले ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और स्वयं चंद्रगुप्त के काल में विदेशी आक्रमण का खतरा मिटा नहीं था। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला के स्नातक विष्णु गुप्त (जिसे चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है) की सहायता से न केवल विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की वरन् मगध के विलासी राजा नंद को हटा कर वहाँ का शासक भी बना। चाणक्य की दूरदर्शिता व सहयोग से चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में मैसूर राज्य से आगे और पश्चिम में गांधार तक कर लिया था। इसी इतिहास प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त और महान् कूटनीतिज्ञ चाणक्य को केंद्र बनाकर इस नाटक की कथा का निर्माण किया गया है।

इस नाटक में कथा का विस्तार बहुत अधिक है। कई प्रासंगिक घटनाएँ भी साथ-साथ चलती हैं, लेकिन मुख्य घटनाएँ तीन हीं हैं -अलक्षेंद्र (सिकंदर) का आक्रमण, नंदवंश का नाश और सिल्यूकस की पराजय। ये तीनों घटनाएँ ऐतिहासिक हैं और प्रसाद जी ने इन्हीं को आधार बनाकर कथा का निर्माण किया है।

यह नाटक चार अंकों में विभाजित है। पहले अंक में कथा से संबंधित प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त होता है। तक्षशिला के गुरुकुल में ही युवाओं का एक ऐसा समूह है जो बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना चाहता है। इनमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण शामिल हैं इनके साथ गांधार की राजकुमारी अलका भी है। दूसरी ओर आम्भीक है जो क्षुद्र स्वार्थ के कारण यवनों की सहायता करता है। इस अंक में कथा मगध से लेकर गांधार तक फैली है। चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध के शासक नंद के विरुद्ध विरोध को उकसाते हैं क्योंकि नंद अत्याचारी राजा है। दूसरी ओर सिंधु प्रदेश में संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ऋषि दांड्यायन के आश्रम में अलक्षेंद्र और चंद्रगुप्त का आमना-सामना होता है वहीं दांड्यायन अलक्षेंद्र को भारत से लौट जाने की सलाह देते हैं और चंद्रगुप्त के भावी सम्राट होने की भविष्यवाणी करते हैं।

दूसरे अंक में मुख्य कथा पंचनद के शासक पर्वतेश्वर और अलक्षेंद्र के बीच युद्ध है। इस युद्ध में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका और सिंहरण पर्वतेश्वर का साथ देते हैं। युद्ध में यद्यपि पर्वतेश्वर हार जाते हैं, लेकिन पर्वतेश्वर और अलक्षेंद्र में संधि हो जाती है। अपने देश वापस लौटने से पहले अलक्षेंद्र क्षुद्रों एवं मालवों के राज्य पर आक्रमण करता है। मालव युद्ध में चंद्रगुप्त और अलक्षेंद्र का परस्पर युद्ध होता है, अलक्षेंद्र, चंद्रगुप्त के हाथों अचेत हो जाता है। चंद्रगुप्त उदारतापूर्वक उसे यवन सेनापति को सौंप देता है।

तीसरे अंक में मुख्य कथा नंदवंश के नाश की है। कई तरह के षड्यंत्रों और संघर्षों के बाद अंततः जनता चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विद्रोह कर देती है और नंद को पदच्युत कर चंद्रगुप्त को शासक बना देती है। इस संघर्ष में नंद मारा जाता है।

चौथे अंक में चंद्रगुप्त के राज्य विस्तार की कथा है। अलक्षेंद्र का सेनापति और सीरिया का शासक सिल्यूकस भी भारत-विजय की आकांक्षा से भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन चंद्रगुप्त के हाथों पराजित होता है। इस बीच थोड़े समय के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त में मतभेद भी उत्पन्न होता है लेकिन अंत में पुनः मित्रता हो जाती है सिल्यूकस के साथ संधि हो जाने के बाद चंद्रगुप्त को सुदृढ़ शासन सौंपकर चाणक्य राजनीति से अलग हो जाता है।

इन मुख्य कथाओं के अतिरिक्त नाटक में कई प्रेम कथाएँ भी चलती हैं। कई पात्रों में इनके कारण पारस्परिक द्वेष भी उत्पन्न होता है, लेकिन अंततः सारे संघर्षों का समाहार हो जाता है। चंद्रगुप्त का विवाह यवन राजकुमारी कार्नेलिया से तय होता है।

15.4 कथावस्तु

आपने 'चंद्रगुप्त' नाटक के प्रथम दृश्य का वाचन कर लिया है। अब हम 'चंद्रगुप्त' नाटक की 'कथावस्तु' का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस के लिए आवश्यक है कि आप संपूर्ण नाटक को एक बार पढ़ जाएँ। इससे आप को कथानक को समझने एवं इसका विश्लेषण-विवेचन करने में मदद मिलेगी।

किसी भी नाटक की कथावस्तु का एक निश्चित उद्देश्य होता है या वह प्रतिपाद्य से बंधी होती है जिसे नाटककार विभिन्न घटनाओं, पात्रों के माध्यम से कुछ अंकों और दृश्यों में बांध कर प्रस्तुत करता है। मुख्यतः नाटक में एक या दो प्रमुख कथाएँ होती हैं एवं कुछ गौण कथाएँ होती हैं। मुख्य कथा को अधिकारिक कथा एवं गौण कथा को प्रासंगिक कथा कहा जाता है।

चंद्रगुप्त नाटक काफी बड़ा नाटक है। इसमे चार अंक हैं। और प्रत्येक अंक में कई दृश्य हैं जिनकी नाटक में कुल संख्या 44 है। कथावस्तु में प्रमुख तीन घटनाएँ हैं-1) सिंकदर का आक्रमण 2) नंदवंश का नाश और 3) सिल्यूकस की हार। इन तीन घटनाओं के साथ लगभग 8 अन्य गौण या प्रासंगिक कथाएँ हैं।

पहले अंक के अन्य दृश्यों में कई नये पात्रों से हमारा परिचय होता है। सिंधु देश की राजकुमारी मालविका, शकटार की कन्या सुवासिनी, पंजाब का राजा पर्वतेश्वर, मगध का आमात्य राक्षस, तपस्वी दांड्यायन, अलक्षेंद्र का सेनापति सिल्यूकस आदि हमारे सामने आते हैं। तक्षशिला छोड़ कर चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचता है। वहाँ नंद द्वारा उसका घर उजाड़ दिया गया है। चाणक्य मगध के राजदरबार में पहुँचता है। वहाँ मगध सम्राट नंद उसका अपमान करता है। चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूँगा - चोटी नहीं बांधूंगा। नंद चाणक्य को कारागार में डाल देता है। चंद्रगुप्त उसे कारागार से निकालता है। तब वे पर्वतेश्वर से मिलते हैं और अलक्षेंद्र उसे विदेशी आक्रमण के बारे में आगाह करते हैं। अलक्षेंद्र तपस्वी दांड्यायन से मिलकर अपनी भारत विजय के लिए आशीर्वाद मांगता है। दांड्यायन भविष्यवाणी करता है कि देश का भावी सम्राट चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त यहाँ सिकंदर से भी मिलता है। इसी अंक में देश की धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में विरोध है। राक्षस बौद्ध धर्म मानता है जबकि चाणक्य वैदिक धर्म। यहाँ तक नाटकीय संघर्ष एवं विरोधी पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

कथा का विकास: दूसरे अंक में अलक्षेंद्र के पर्वतेश्वर पर आक्रमण से कथा का विकास होता है। पर्वतेश्वर की इस युद्ध में हार होती है। पर्वतेश्वर और सिकंदर की संधि हो जाती है। चाणक्य अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त द्वारा अलक्षेंद्र की सेना में फूट डलवा देता है। किंतु अलक्षेंद्र के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ है। चाणक्य अपने प्रयासों द्वारा मालव और क्षुद्रकों का सेनापति चंद्रगुप्त को बनाता है और पर्वतेश्वर को भी अलक्षेंद्र के साथ संधि के बावजूद उसकी सहायता न करने के लिए तैयार कर लेता है। अलक्षेंद्र के साथ एक और युद्ध होता है जिसमें अलक्षेंद्र की हार होती है। इस अंक में एक नये पात्र सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से हम परिचित होते हैं।

तीसरे अंक में मुख्य घटनाचक्र मगध राज्य पर केंद्रित होता है। अलक्षेंद्र भारत से वापिस चला जाता है। अब चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का राजा बनाने के लिए एवं जनता को अयोग्य मगध सम्राट नंद से छुटकारा दिलाने के लिए जर्जर नंदवंश के समूचे विनाश की ओर क्रियाशील होता है। चाणक्य अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ एवं कूटनीति के द्वारा घटनाओं को ऐसा मोड़ देता है कि राक्षस और पर्वतेश्वर अपनी भूलों पर पश्चाताप करते हुए चाणक्य के पक्ष में हो जाते हैं। अंत में नंद और चंद्रगुप्त के सैनिकों में युद्ध होता है। नंद बंदी बना लिया जाता है। शकटार नंद की हत्या कर देता है। इसके बाद नागरिक चंद्रगुप्त को सर्वसम्मति से अपना राजा चुनते हैं। नाटक की कथावस्तु का उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाता है किंतु नाटक में चौथा अंक भी है जिसमें यवनों का एक और आक्रमण होता है जिसमें उनकी हार होती है।

इस मुख्य कथा के साथ-साथ अन्य कई कथाएँ भी नाटक में चलती हैं जिनमें प्रणय कथाएँ बहुत हैं : मालविका - अलका - सुवासिनी द्वारा प्रसाद ने गीत भी बहुत गवाए हैं। इन प्रणय कथाओं से, गीतों से तथा दृश्यों की अधिकता से नाटक का अनावश्यक विस्तार हो गया है तथा कथावस्तु में बिखराव आ गया है। नाटक का चौथा अंक भी अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि नंदवंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त के मगध का राजा बनने के साथ ही नाटक का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

यह नाटक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसलिए इस नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक यथार्थ पर निर्मित हुई है किंतु प्रसाद जी के सामने मुख्य उद्देश्य यह था कि वे इस ऐतिहासिक विषय वस्तु के द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रचारित करें। इसीलिए वे कथा को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ऐतिहासिक यथार्थ की भी रक्षा हो सके और लेखक के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। प्रसादजी यह बताना चाहते हैं कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा तभी की जा सकती है जब देश के सभी राज्य पारस्परिक द्वेष को भूलकर, एकता स्थापित करें। पूरे नाटक की कथावस्तु में आप पायेंगे कि चाणक्य इसी एकता को स्थापित करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर प्रसाद ने यह भी बताया है कि अत्याचारी शासक कभी भी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए इस नाटक में नंदवंश के उन्मूलन को इतना महत्व दिया गया है।

चूंकि प्रसाद जी एक विशाल कथा को लेकर चले हैं इसीलिए उनके नाटक ~~में~~ विस्तार हो गया है। पात्रों की अधिकता और घटनाओं की बहुलता के कारण कथावस्तु का तारतम्य कई जगह टूटता-सा लगता है।

15.5 चरित्र चित्रण

'चंद्रगुप्त' नाटक के केंद्र में दो ऐतिहासिक चरित्र हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। दोनों ही चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाटक के सारे घटनाचक्र का संचालन चाणक्य करता है। किंतु फल-प्राप्ति चंद्रगुप्त को होती है। इसलिए इस नाटक का नायक नाटककार ने चंद्रगुप्त को ही माना है और नाटक का नाम भी 'चंद्रगुप्त' ही रखा है।

इसके अतिरिक्त मगध सम्राट नंद, मालवगण सिंहरण, राजकुमार आंभीक, पर्वतेश्वर, अलक्षेंद्र, राक्षस, मालविका, कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी आदि चरित्र महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन पात्रों की सृष्टि कथावस्तु के उद्देश्य को विकसित करने के लिए की गयी है। जो चरित्र नाटक में आरंभ से अंत तक छाये रहते हैं वे दो ही हैं — चंद्रगुप्त एवं चाणक्य। ये दोनों चरित्र नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य में ही उपस्थित हैं।

चंद्रगुप्त: नाटक के पहले दृश्य में ही हम चंद्रगुप्त से परिचित होते हैं। चंद्रगुप्त तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य से शिक्षा

ग्रहण कर स्नातक हुआ है। यहीं पर हमें संकेत मिलता है कि देश पर किसी बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। चंद्रगुप्त देश को विदेशी आक्रमण से बचाने की शपथ लेता है।

''यह चंद्रगुप्त आप के चरणों की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे''

अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर चंद्रगुप्त का यह दृढ़-विश्वास पूरे नाटक में दिखायी पड़ता है।

चंद्रगुप्त आत्मसम्मान के लिए मर मिटने को दिव्य जीवन मानता है। यह आत्मसम्मान ही उसे विदेशियों से देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है।
वह कहता भी है—

''आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर-मिटना ही दिव्य जीवन है''

भारतीय पद्धति के अनुसार एक नायक में जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सभी गुण चंद्रगुप्त में हैं। वह त्यागी, वीर, साहसी, तेजस्वी, चतुर, विनयशील, निर्भीक एवं संकल्पशक्ति से पूर्ण है। उसमें आत्मसम्मान, दृढ़ निश्चय के साथ-साथ बाहुबल की भी कमी नहीं है।

अपने इन्हीं गुणों के कारण वह मगध के विलासी राजा नंद के शोषण से पीड़ित प्रजा का रक्षक बनता है।

वीरोचित गुणों के साथ-साथ चंद्रगुप्त एक भावुक प्रेमी भी है। कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया के प्रति उसका प्रेम उसके कोमल हृदय को दिखाता है। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त में नायक के सभी गुण हैं।

चाणक्य: 'चंद्रगुप्त' नाटक में चाणक्य का चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चंद्रगुप्त का। नाटक की सभी घटनाओं का संचालन चाणक्य ही करता है। चाणक्य ही देश पर विदेशी आक्रमण के मंडराते हुए खतरे को देखकर बिखरी हुई शक्तियों को एकसूत्र में बांधता है और जर्जर नंदवंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता है।

चाणक्य के चरित्र की प्रमुख विशेषता, जिसके कारण इतिहास में भी वह बहुत प्रसिद्ध है—उसकी राजनीतिक सूझबूझ और कूटनीति है। चंद्रगुप्त में भी चाणक्य अपनी इस राजनीतिक सूझ-बूझ के बल पर सारी घटनाओं का संचालन करता है किंतु स्वयं पृष्ठभूमि में ही रहता है। यह उसके चरित्र का उदात्त पक्ष है।

प्रथम दृश्य में ही चाणक्य जब तक्षशिला के विद्याकेंद्र में एक शिक्षक के रूप में दिखायी देता है—उसकी जीवन दृष्टि उसके इस कथन में स्पष्ट हो जाती है—''**ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है; स्वराज्य में विचरता है और अमृत हो कर जीता है।**'' अर्थात् चाणक्य मानता है कि ब्राह्मण केवल कर्मयोगी होता है, ज्ञान बाँटता है किंतु फल की इच्छा नहीं करता। अत: चाणक्य आरंभ से अंत तक देश को सुदृढ़ हाथों में सौंपने के लिए जितना कुछ भी करता है—उसमें उसका देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त और कोई दूसरा स्वार्थ नहीं होता।

दूरदर्शिता चाणक्य की राजनीतिक सूझबूझ और व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण ही वह सारी घटनाओं का अंदाज पहले से ही कर के राजनीतिक चालें चलता है। पर्वतेश्वर को अपने पक्ष में करने तथा नंदवंश के समूल नाश के लिए वह विरोधी व्यक्तियों, अवसरों और स्थितियों को भी अपने अनुकूल करने में सिद्धहस्त दिखायी पडता है। वह शस्त्र से अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। उसके शत्रु भी उसकी बुद्धि एवं राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मानते हैं।

इसके साथ ही वह अन्य मानवीय गुणों से भी पूर्ण है। उदारता, सहृदयता, निर्लिप्तता एवं द्वेषहीनता उसके चरित्र के अन्य पक्ष हैं। अपने शत्रुओं को भी, अवसर आने पर, कल्याण एवं कामना का आशीर्वाद देने को तैयार रहता है। राक्षस, अलक्षेंद्र, सिल्यूकस, आंभीक इसके उदाहरण हैं। उसके चरित्र का कोमल पक्ष सुवासिनी के प्रति उसकी प्रेम भावना से उजागर होता है किंतु कर्तव्य को मुख्य मान कर वह इस दिशा में अग्रसर नहीं होता।

पूरे नाटक में चाणक्य का चरित्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखायी देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य है—नंदवंश का नाश करके मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाना। अपने इस लक्ष्य के लिए वह जो भी संभव होता है, करता है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

7 'चंद्रगुप्त' नाटक की कथावस्तु किस काल से संबंधित है?
 क) मुगलकाल
 ख) गुप्तकाल
 ग) मौर्यकाल
 घ) यवनकाल ( )

8 चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अलक्षेंद्र और पर्वतेश्वर के बीच हुए युद्ध में पर्वतेश्वर का साथ क्यों दिया?
 क) अलक्षेंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए।
 ख) कार्नेलिया को प्राप्त करने के लिए।
 ग) आंभीक से प्रतिशोध लेने के लिए।
 घ) यवन आक्रमण से देश की रक्षा के लिए। ( )

9 निम्नलिखित में से कौन-कौन से चारित्रिक गुण किन पात्रों पर सही उतरते हैं।

पात्र	गुण			
चंद्रगुप्त	....	....	....	....
2 चाणक्य	....	....	....	....

(वीर योद्धा, कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी, त्यागशील)

10 **"गुरुदेव, विश्वास रखिए यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों में शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे।"** इन पंक्तियों से चंद्रगुप्त के चरित्र के किन गुणों का परिचय मिलता है।

क) राष्ट्रभक्ति एवं दृढ़प्रतिज्ञ

ख) राष्ट्रभक्ति एवं अहंकार

ग) गुरुभक्ति एवं स्वाभिमान

घ) विनम्रता और गुरुभक्ति

अभ्यास

नीचे दिये गये प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 नाटक के पठित अंश के आधार पर सिंहरण के चरित्र की विशेषताएँ बताइए। अपना उत्तर सिर्फ तीन पंक्तियों में लिखिए।

....

....

....

....

2 नाटक के पठित अंश के आधार पर बताइए कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामने कौन-सी दो मुख्य समस्याएँ थीं? अपना उत्तर तीन पंक्तियों में लिखिए।

....

....

....

....

15.6 परिवेश

यह तो अब तक आपके सामने अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि 'चंद्रगुप्त' एक ऐतिहासिक नाटक है और इसकी कथावस्तु ईसा से तीन सदी पहले की घटनाओं से संबद्ध है। इसलिए उसका परिवेश उसी युग के अनुकूल होगा। कहानी और उपन्यास की तरह नाटक में 'परिवेश' का विस्तृत वर्णन नहीं होता। यह रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत करने वाले नाट्य निर्देशक पर निर्भर करता है कि वह नाटक की कथावस्तु के अनुरूप मंच की रंग-सज्जा करे। नाटककार अगर आवश्यक समझे तो इस संबंध में कुछ संकेत नाटक के दौरान दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं समझना चाहिए कि नाटक से परिवेश की कोई जानकारी नहीं मिलती। वस्तुतः नाटक की कथावस्तु में ही परिवेश के लिए पर्याप्त आधार होता है।

"चंद्रगुप्त" नाटक के पहले दृश्य की कथा एवं पात्रों के नाम से ही परिवेश की जानकारी मिल जाती है। नाटक का पहला दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। तक्षशिला उस युग का प्रमुख विद्या केंद्र था जहाँ दूर-दूर के राज्यों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसी गुरुकुल में चाणक्य अध्यापक है। चंद्रगुप्त तथा सिंहरण के निम्नलिखित कथन से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है:

"आर्यावर्त्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रतारण की लेखनी और मसि प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राजद्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा।"

उस समय का राजनीतिक परिवेश अशांत है। देश के छोटे-छोटे राज्य आपस में द्वेष भाव रखते हैं। देश पर विदेशी राज्य का खतरा मंडरा रहा है। मगध सम्राट विदेशी आक्रमणकारी अलक्षेंद्र से संधि कर रहा है। ऐसे में अलक्षेंद्र का पंचनद (पंजाब) पर आक्रमण हो जाता है और वहाँ के शासक पर्वतेश्वर (पौरस) हार जाते हैं क्योंकि अन्य कोई राज्य उसकी सहायता को आगे नहीं आता। चाणक्य इन बिखरे राज्यों को एक सूत्र में बाँधने का महान् कार्य करता है। इसके लिए वह कूटनीति का सहारा भी लेता है। मगध के विलासी और उत्पीड़क राजा को पदच्युत कर चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाता है।

नाटक में धार्मिक और सामाजिक परिवेश का भी चित्रण हुआ है। उस युग में दो धर्म प्रबल थे, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म। चाणक्य ब्राह्मण है जबकि मगध राज्य का अमात्य राक्षस बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इन दोनों मतों में परस्पर विद्वेष है जिसका

प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता दिखाया गया है। नाटक में राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए धार्मिक एकता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

नाटक के अनुसार मौर्यकालीन भारत में नारी की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। स्त्रियाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती थीं। इस नाटक में अलका, मालविका, सुवासिनी जैसी तेजस्वी स्त्रियों का चित्रण इसी आधार पर किया गया है। उस समय पर्दा प्रथा भी नहीं थी।

'चंद्रगुप्त' के समय के अनुकूल इस नाटक की भाषा संस्कृतनिष्ठ है एवं भाषा के कारण भी उस परिवेश को जीवंत बनाने में मदद मिली है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 'चंद्रगुप्त', नाटक में ही उसके परिवेश की विशेषताएँ अंतर्निहित हैं।

15.7 संरचना शिल्प

संरचना शिल्प के अंतर्गत हम शैली, भाषा और संवाद की विशेषताओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम शैली पर विचार करेंगे।

शैली: "चंद्रगुप्त" नाटक की शैली पर विचार करने से पहले हमें नाटकों की शैलियों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। नाटकों की आज वैसे तो कई शैलियाँ प्रचलित हैं, लेकिन प्रसाद के नाटकों का जिन दो शैलियों से संबंध है, उन्हें भारतीय नाट्य शैली और पाश्चात्य नाट्य शैली कहा जाता है। भारतीय नाट्यशैली का तात्पर्य संस्कृत नाटकों पर आधारित शैली से है जबकि पाश्चात्य नाट्य शैली का अर्थ प्रायः ग्रीक नाट्य शैली से लिया जाता है। हम यहाँ इन दोनों शैलियों का विस्तार से विवेचन नहीं करेंगे बल्कि उनकी कुछ ऐसी विशेषताओं की चर्चा करेंगे जिनका संबंध 'चंद्रगुप्त' नाटक से है।

भारतीय नाट्य शैली में नाटक का उद्देश्य रस-सिद्धि माना गया है। रस का अर्थ है आनंद। नाटक की जिन अवस्थाओं की चर्चा भारतीय परंपरा में की गयी है उसके अनुसार नाटक की समस्त क्रियाओं का कोई फल होता है। इस से स्पष्ट है कि भारतीय परंपरा नाटक के सुखद अंत के पक्ष में होती है। हम प्रसाद के नाटकों पर भी इस असर को देख सकते हैं। उनके नाटक का अंत भी प्रायः सुखद होता है।

"चंद्रगुप्त" नाटक की शैलीगत अन्य विशेषताएँ आधुनिक नाटकों के ही अनुकूल हैं। उनके नाटकों में भी पाश्चात्य नाट्य शैली की तरह संघर्ष की प्रधानता है। लेकिन पश्चिम में नाटक की प्रसिद्ध विशेषता संकलन त्रय का वे पूरा निर्वाह नहीं करते। संकलन त्रय का अर्थ है कार्य, समय और स्थान की एकता। चंद्रगुप्त नाटक में एक हद तक कार्य की एकता है, लेकिन समय और स्थान काफी विस्तृत है। प्रसाद के नाटकों में संघर्ष की स्थितियाँ बराबर बनी रहती हैं लेकिन जीवन के मधुर और भावपरक प्रसंगों का महत्व भी कम नहीं है। यह भारतीय नाट्य परंपरा का असर है जो यथार्थ की बजाय आदर्श पर बल देती है।

प्रसाद के समय तक हिंदी नाटकों का समुचित विकास नहीं हुआ था, इसलिए भी उनके नाटकों में काव्य तत्त्व की प्रधानता है। संवादों की भाषा में तो काव्यात्मकता है ही, पूरे नाटक में भी गीतों की कमी नहीं है।

इस तरह हम कह सकते है कि प्रसाद पर भारतीय और पाश्चात्य दोनो नाट्य शैलियों का प्रभाव है।

भाषा एवं संवाद: नाटक का मुख्य कलेवर संवादों के रूप में ही आता है। कहीं-कहीं रंग-संकेत अवश्य दिये होते हैं। नाटक की भाषा उसकी कथावस्तु, पात्रों एवं नाटककार की निजी विशिष्टता से तय होती है। अगर हम "चंद्रगुप्त" की भाषा पर विचार करें तो पायेंगे कि उसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है जो मौर्यकालीन भाषा का आभास देने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। चूँकि इस नाटक के प्रायः सभी पात्र उच्च कुल एवं प्रबुद्ध वर्ग से संबद्ध हैं इसलिए उनकी भाषा में जो आभिजात्य और आलंकारिकता होनी चाहिए वह भी इसमें है। प्रसाद मूलतः कवि थे, इसलिए भाषा में भाव प्रवणता, आलंकारिता एवं प्रगीतात्मकता के तत्त्व भी विद्यमान हैं। इस प्रकार 'चंद्रगुप्त' की भाषा को संस्कृतनिष्ठ, आलंकारिक, भावप्रवण और काव्यात्मक कहा जा सकता है। लेकिन प्रसाद के इस नाटक की भाषा में एक तरह की एकरसता भी है—उसमें वह सहजता नहीं है जो बोलचाल की भाषा में होती है। इसके बावजूद उनके नाटकों की भाषा का सौंदर्य अद्वितीय ही कहा जाएगा।

संवाद की दृष्टि से इस नाटक की भाषा का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि संवादों में कथा के विकास को वहन करने की अद्भुत क्षमता है। पात्रों के विचार और भाव उनमें स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। पात्रों के संवादों से कथा के उतार-चढ़ाव को भी आसानी से समझा जा सकता है। प्रसाद के नाटकों के संवाद प्रायः लंबे हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई है, वहाँ वे छोटे भी हैं और नाटकीय भी। पहले ही दृश्य में आंभीक और सिंहरण की बातचीत में हम इन गुणों को देख सकते हैं:

"आंभीकः कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो?
सिंहरणः एक मालव
आंभीकः नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है।
सिंहरण : तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र।
आंभीकः देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो।
सिंहरणः कदापि नहीं, राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है।"

रंगमंच: इतना तो आप जान ही गये होंगे कि रंगमंच नाटक का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक नाटककार नाटक लिखते समय रंगमंच का ध्यान अवश्य रखता है। रंगमंच से हमारा तात्पर्य वह स्थल या मंच है, जिस पर अभिनेताओं द्वारा नाटक को खेला जाता है। निर्देशन, अभिनेताओं का कार्य-व्यापार, दृश्य-योजना, अंक-विभाजन, प्रकाश एवं ध्वनि का प्रयोग, साज-सज्जा आदि रंगमंच के ही भाग हैं।

जिन दिनों प्रसाद नाटक लिख रहे थे, उन दिनों हिंदी रंगमंच की कोई स्वस्थ परंपरा देश मे विद्यमान नहीं थी। पारसी थियेटर में जो नाटक खेले जाते थे, वे बहुत ही साधारण, भौंडा, मनोरंजन करने वाले होते थे। प्रसाद पारसी थियेटर के विरोधी थे। ऐसी स्थिति में प्रसाद के सामने ऐसा कोई रंगमंच नहीं था, जिसके अनुसार वे अपने नाटक लिखते। इसलिए उनके अन्य नाटकों में और 'चंद्रगुप्त' में भी रंगमंच की दृष्टि से कई दुरुहताएँ आ गयी हैं।

'चंद्रगुप्त' में चार अंक है जिनमें कुल 44 दृश्य हैं।

पहले अंक के दृश्यों का क्रम इस प्रकार है—

तक्षशिला के गुरुकुल का मठ—	प्रथम दृश्य
मगध सम्राट का विलास कानन—	दूसरा दृश्य
पाटलिपुत्र में एक कुटीर—	तीसरा दृश्य
कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ—	चौथा दृश्य
मगध में नंद की राजसभा —	पाँचवा दृश्य

ये पाँचों दृश्य एक दूसरे से भिन्न हैं किंतु एक ही क्रम में है। मंच पर इतनी शीघ्रता से इन दृश्यों को बनाना बहुत कठिन कार्य है। रंगमंच की दृष्टि से इसे दोष माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये दृश्य दिखाए ही नहीं जा सकते। यदि तकनीकी उपकरण पर्याप्त मात्रा में हों, घूमने वाला रंगमंच हो तो यह कार्य भी हो सकता है किंतु उसमें लाखों रुपये का खर्चा आएगा। यह तकनीकी सुविधा आजकल तो उपलब्ध है, किंतु प्रसाद के युग में यह सुविधा नहीं थी।

दूसरी बात यह है कि दृश्यों की संख्या बहुत अधिक है। एक नाटक में 44 दृश्यों का होना नाटकीय क्रिया-व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है तथा कथा में भी उलझाव पैदा होता है। 'चंद्रगुप्त' में पात्रों की संख्या भी बहुत है जिन्हें याद रख पाना दर्शक के लिए कठिन हो जाता है।

अब आप पहले दृश्य के इस संवाद को देखिए।

चाणक्य: तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है न! परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में, आर्यावर्त्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे? आज जिस व्यंग्य को लेकर इतनी घटना हो गई है; वह बात भावी गांधार-नरेश आंभीक के हृदय में, शल्य के समान चुभ गयी है। पंचनंद-नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभीक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त्त का सर्वनाश होगा।''

इस तरह के लंबे और क्लिष्ट संवाद रंगमंच पर एकरसता पैदा करते हैं यह नाटक लगभग 25 वर्ष के घटनाचक्र को अपने में समेटे हुए है।

लेकिन प्रसाद के नाटकों पर विचार करते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनमें जीवन संघर्ष, पात्रों की चारित्रिक बनावट एवं कथा के नाटकीय विकास की दृष्टि से अपरिमित संभावनाएँ मौजूद हैं। उनके नाटकों में रंगमंच की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा-सा बदलाव कर दिया जाये तो, उन्हें सफलतापूर्वक मंचित किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनके नाटकों के कुछ सफल मंचन हुए भी हैं।

15.8 प्रतिपाद्य

जयशंकर प्रसाद ने जिस समय यह नाटक लिखा था उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और पराधीनता से मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में तभी सफलता मिल सकती थी, जब पूरा देश एकता के सूत्र में बंधकर विदेशी शासकों से लोहा ले। यह काम तभी हो सकता था, जब लोगों में उत्कट राष्ट्रीय प्रेम हो, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे सकने का साहस हो, तथा संकीर्णताओं और लोभ-लालच से ऊपर उठने की भावना हो। भारत का इतिहास बताता है कि जब भी देश के अलग-अलग राज्य आपस में बंटे रहे हैं, तब-तब कोई-न-कोई विदेशी आक्रमणकारी देश को रौंदता रहा है। इसलिए देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा पारस्परिक सहयोग से ही संभव है। एकता में सबसे बड़ी बाधा उस समय थी, क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता।

अपने युग की इन्हीं समस्याओं और आकांक्षाओं को प्रसादजी ने इस में प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की घटनाओं को आधार बनाकर उन्होंने इसी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जिस भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं उसके मूल में राष्ट्रीय प्रेम ही है। प्रथम दृश्य में चाणक्य स्पष्ट करता है कि आर्यावर्त्त की रक्षा तभी संभव है जब सभी लोग क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर आर्यावत्त की रक्षा का व्रत लें। विभिन्न राज्यों के पारस्परिक द्वेष को देखकर ही चाणक्य कहता है कि **''क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में, आर्यावर्त्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनन्तर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे।''** इसी आशंका से ग्रस्त होकर ही वह सिंहरण और चंद्रगुप्त से कहता है कि **''मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त्त का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा।''**

एकता में दूसरी बाधा सांप्रदायिक विद्वेष की थी। प्रसाद जी ने बौद्ध-ब्राह्मण संघर्ष के द्वारा इस सांप्रदायिक विद्वेष की भी आलोचना की है।

प्रसाद जी का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण बहुत उदार था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। यही कारण है कि उनके स्त्री-पात्र हर तरह के संघर्ष में साहसपूर्वक हिस्सा लेती हैं। इस तरह प्रसाद नारी की सामाजिक भूमिका के महत्व को स्थापित करते हैं।

प्रसाद जी के नाटकों का एक महत्वपूर्ण तत्व है, प्रेम भावना। राष्ट्र प्रेम के साथ-साथ वे स्त्री-पुरुष प्रेम के उदात्त रूप के भी पक्षधर थे। यही कारण है कि वे कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के प्रेम की उत्कर्षता को अभिव्यक्ति देते हैं।

प्रसाद आदर्शवादी थे। उनका दृष्टिकोण शत्रु के प्रति सद्भाव का था, इसलिए चाणक्य कूटनीति का सहारा लेता हुआ भी कहीं भी क्रूर, अमानवीय और अनैतिकता का पक्ष नहीं लेता। चंद्रगुप्त में व्यक्त राष्ट्रीय प्रेम, मानवता का ही एक पक्ष बनकर उभरा है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

11 चंद्रगुप्त के शासक बनने से पहले भारत के विभिन्न राज्यों में पारस्परिक संबंध किस तरह के थे?

क) मित्रतापूर्ण
ख) शत्रुतापूर्ण
ग) तटस्थ
घ) एकबद्ध ( )

12 निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य 'चंद्रगुप्त' नाटक का केंद्रीय उद्देश्य कहा जा सकता है?

क) व्यक्ति प्रेम
ख) राष्ट्रीय भावना
ग) सामाजिक परिवर्तन
घ) पारस्परिक संघर्ष ( )

13 राष्ट्र-प्रेम के अतिरिक्त वह कौन-सी विशेषता है जो चाणक्य को विशिष्ट बनाती है?

क) त्यागी
ख) उदार
ग) कूटनीतिज्ञ
घ) साहसी ( )

अभ्यास

नीचे दिये गये प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए

3 'चंद्रगुप्त' के संवादों की कोई दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

4 नारी के संबंध में प्रसाद के दृष्टिकोण को तीन पंक्तियों में लिखिए।

....

....

....

5 'चंद्रगुप्त' की नाट्यशैली की दो विशेषताएँ लिखिए।

....

....

15.9 सारांश

- आपने इस इकाई को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। नाटक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसे रंगमंच पर खेलकर जीवन यथार्थ को वैसा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस इकाई को पढ़कर आप नाटक की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- 'चंद्रगुप्त' की कथावस्तु ऐतिहासिक है। इसमें मौर्यकालीन भारतीय परिस्थितियों को आधार बनाकर कथा का निर्माण किया गया है। आप नाटक की कथावस्तु की विशेषताएँ पठित अंश के आधार पर बता सकते हैं।
- 'चंद्रगुप्त' के दो पात्र महत्वपूर्ण हैं; चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त साहसी, देशभक्त और उदार है तो चाणक्य कूटनीतिज्ञ भी है। आप इकाई के आधार पर इन दोनों चरित्रों का विश्लेषण कर सकते हैं।
- 'चंद्रगुप्त' के आधार पर आप मौर्यकालीन युग की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उसकी तुलना प्रसादजी के समय के भारत से कर सकते हैं।
- प्रसादजी के नाटक पर भारतीय और पाश्चात्य शैलियों का प्रभाव है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, आलंकारिक और काव्यमय और उन कारणों को बता सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका यह नाटक आसानी से मंचित नहीं किया जा सकता है।
- यह नाटक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इसमें प्रसादजी की मानवतावादी दृष्टि व्यक्त हुई है। आप नाटक के प्रतिपाद्य की व्याख्या कर सकते हैं।

15.10 उपयोगी पुस्तकें

प्रसाद, जयशंकरः **चंद्रगुप्त,** भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद।

द्विवेदी, हजारी प्रसादः **साहित्य सहचर,** लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

वाजपेयी, नंददुलारेः **जयशंकर प्रसाद,** भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद।

शर्मा, जगन्नाथ प्रसादः **प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन,** सरस्वती मंदिर, वाराणसी।

15.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 घ   2 क   3 ख   4 ग   5 ख

6 क) गलत   ख) सही   ग) सही   घ) गलत

7 ग   8 घ

9 चंद्रगुप्त : वीर यौद्धा, राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी
चाणक्य : कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी, त्यागशील

10) क   11) ख   12) ख   13) ग

अभ्यास

1 सिंहरण मालव का रहने वाला है। वह देशभक्त और स्वाभिमानी है। वह उतना ही साहसी भी है। आंभीक के साथ वार्तालाप में उसकी बुद्धिमानी का भी पता चलता है। उसके व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं की अलका प्रशंसा करती है।

2 चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों यवनों के आक्रमण से आर्यावर्त की रक्षा करना चाहते थे किंतु एक तो, विभिन्न राज्यों में द्वेषभाव था, दूसरे लोगों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। चाणक्य अपनी बुद्धि से और चंद्रगुप्त अपने साहस से इन समस्याओं का समाधान करते हैं।

3 संरचना शिल्प के ''भाषा और संवाद'' शीर्षक अंश को पढ़िए और अपना उत्तर मिलाइए।

4 ''प्रतिपाद्य'' अंश को पढ़िए और अपना उत्तर मिलाइए।

5 ''संरचना शिल्प'' के ''शैली'' शीर्षक अंश को पढ़िए और अपना उत्तर मिलाइए।

इकाई 16 निबंध : क्रोध (रामचंद्र शुक्ल)

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 निबंध का वाचन
16.3 निबंध का सार
16.4 अंतर्वस्तु
16.4.1 विचार पक्ष
16.4.2 भाव पक्ष
16.5 लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति
16.6 संरचना शिल्प
16.6.1 शैली
16.6.2 भाषा
16.7 प्रतिपाद्य
16.8 सारांश
16.9 उपयोगी पुस्तकें
16.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

इस इकाई में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध 'क्रोध' अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- निबंध नामक साहित्यिक विधा की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- 'क्रोध' की अंतर्वस्तु की व्याख्या कर सकेंगे;
- निबंध में व्यक्त लेखकीय व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- निबंध की भाषा और शैली की विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- निबंध के प्रतिपाद्य की व्याख्या कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

आपने इकाई 15 में जयशंकर प्रसाद के नाटक 'चंद्रगुप्त' के अंश का वाचन किया था। इस इकाई में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध 'क्रोध' का वाचन करेंगे।

'निबंध' संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है, विशेष रूप से गठित रचना। किंतु साहित्यिक विधा के रूप में निबंध, अंग्रेज़ी शब्द 'एसै' का पर्यायवाची है। एसै का अर्थ है—किसी भाव या विचार को अभिव्यक्त करने की कोशिश। निबंध में उपर्युक्त दोनों अर्थ निहित हैं। निबंध पर विचार करने से हमारे सामने उसकी कई विशेषताएँ प्रकट होती हैं।

- निबंध गद्य रचना है।
- इसमें लेखक अपने भावों और विचारों को सीधे व्यक्त करता है।
- इस अभिव्यक्ति में लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव भी रहता है।
- निबंध में लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक तथा लालित्यपूर्ण शैली में व्यक्त करता है।

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर निबंध के कई भेद किये जा सकते हैं जिनका अध्ययन हिंदी के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कराया जाएगा। यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है कि निबंध की विषयवस्तु, लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, भाषा और शैली के आधार पर निबंधों के कई भेद किये जा सकते हैं।

हिंदी में निबंधों की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है। खड़ी बोली गद्य के साथ साहित्य की जिस विधा ने सबसे पहले विकास किया वह निबंध है। आधुनिक हिंदी के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-1885) और उनके युग के प्रायः सभी महत्वपूर्ण लेखकों ने हिंदी निबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। भारतेंदु युग के निबंध भाव-प्रधान भी होते थे और विचार-प्रधान भी। इन निबंधों में वैयक्तिकता और शैली की नवीनता का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेंदु युग के बाद निबंध रचना लगातार विकासमान रही। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्यिक प्रौढ़ता और कलात्मक उत्कृष्टता प्रदान की।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल (1884-1941) का हिंदी आलोचना और निबंध लेखन में वही स्थान है जो कथा साहित्य में प्रेमचंद का है। शुक्ल जी ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य परंपरा का वस्तुपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आलोचना ग्रंथों द्वारा साहित्य विवेचना की नयी दृष्टि दी। भक्ति काव्य, रीतिकाव्य, छायावाद आदि का उनका विवेचन आज भी उल्लेखनीय माना जाता है।

शुक्लजी का योगदान निबंध रचना में भी उतना ही उल्लेखनीय है। हिंदी निबंध परंपरा के वे केन्द्रीय व्यक्तित्व हैं। उन्होंने साहित्यिक विषयों पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के आलोचनात्मक निबंध लिखे। लेकिन उन्होंने साहित्यिक विषयों से हटकर भी कई तरह के विषयों पर निबंधों की रचना की। इनमें मनोविकारों पर लिखे गये उनके दस निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके ये निबंध उनकी पुस्तक 'चिंतामणि' के भाग-1 में संकलित हैं। इन्हीं में एक निबंध 'क्रोध' है जिसे वाचन के लिए इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है। 'चिंतामणि' तीन भागों में है और इनमें शुक्लजी के विभिन्न निबंध संकलित हैं। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं: 'हिंदी साहित्य का इतिहास,' 'त्रिवेणी', 'रस मीमांसा'।

16.2 निबंध का वाचन

क्रोध की उत्पत्ति का कारण

क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुःख और उसके कारण के सम्बन्ध का **परिज्ञान** आवश्यक है। तीन-चार महीने के बच्चे को कोई हाथ उठा कर मार दे, तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या सम्बन्ध है, यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुःख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुःख के **सज्ञान** कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करनेवाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का **आविर्भाव** बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्योंही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है।

क्रोध की आवश्यकता

सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जानेवाले बहुत से कष्टों की **चिर-निवृत्ति** का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो-चार प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह-ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी-कभी कर लेता है; पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुःख-निवृत्ति चिरस्थायिनी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करनेवाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है।

प्रतिकार की भावना का क्रोध से संबंध

जिससे एक बार दुःख पहुँचा, पर उसके दुहराए जाने की सम्भावना कुछ भी नहीं है, जो कष्ट पहुँचाया जाता है वह **प्रतिकार** मात्र है; उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इसमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जायगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुःख पहुँचने की कुछ भी सम्भावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी।

हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो-चार टेढ़ी-सीधी सुना जाता है यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुःख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जायगी। इन दोनों दृष्टान्तों को ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा कि दुःख से उद्विग्न होकर दुःखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में है; पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिलकुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिये हुए। इनमें से पहले **दृष्टान्त** का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। पर क्रोध करनेवाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो पर लोक के भीतर, वह बिलकुल खाली नहीं जाता। दुःख पहुँचानेवाले से हमें फिर दुःख पहुँचने का डर न सही, पर समाज को तो है इससे उसे उचित दण्ड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक-कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है।

क्रोध की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप

यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है अतः एक तो जहाँ **कार्य-कारण के सम्बन्ध ज्ञान** में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने-वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है; अपनी ओर नहीं। जिसने दुःख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दुःख पहुँचे, क्रुद्ध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अन्धापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे

परिज्ञान: पूरा ज्ञान, सज्ञान: ज्ञान युक्त, आविर्भाव: प्रकट होना, चिर-निवृत्ति: हमेशा के लिए छुटकारा, प्रतिकार: बदला चुकाना, दृष्टांत: उदाहरण, कार्य-कारण का संबंध ज्ञान: कार्य और कारण के संबंध को जानना।

को **परिमित** किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुःखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया-भय आदि और भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु बीस-पचीस आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किये उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम सन्देह समझा जायेगा। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरान्त, उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिये उसका विकास होता है।

क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले **आलंबन** में भय का संचार करता रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चात्ताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन-तर्जन क्रोधपात्र के लिये भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी-कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट **व्यापार** से विरत हो जाता है या नम्र होकर **पूर्वकृत** दुर्व्यवहार के लिये क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध पर क्रोध का लक्ष्य किसी का **गर्व चूर्ण करना** मात्र रहता है अर्थात् दुःख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। **अभिमान** दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यों ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके—अपराध द्वारा, हानि द्वारा—अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है; उसको हानि या पीड़ा पहुँचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का **उपचार** अपमान द्वारा ही हो जाता है।

कभी-कभी लोग अपने कुटुम्बियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुःख पहुचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिलकुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग-भंग करते देखें तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवा है अर्थात् जिसे उसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुःख पहुँचेगा।

अपरिष्कृत क्रोध

क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुःख पहुँचाया है, उसमें दुःख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कङ्कड़-पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुँचा और कुशों को उखाड़-उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते-फूँकते थक गये। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गये। इस प्रकार का क्रोध **अपरिष्कृत** है। यात्रियों ने बुहत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर-चूर किये आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, तो वह **अन्तःप्रकृति** में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती-जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है।

क्रोध और दया का संबंध

क्रोध सब मनोविकारों से फुरतीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का **साधक** होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शान्त कर लेते। पर यहाँ तो उस अबला के दुःख का कारण मूर्तिमान् तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखनेवाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बँटाता। काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि "उसने दया करके बचा लिया" यह कोई नहीं कहता कि "क्रोध करके बचा लिया।" ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती।

परिमितः सीमित, आलंबनः जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, (जिस पर क्रोध किया जा रहा है), व्यापारः कार्य, पूर्वकृतः पहले किया हुआ, गर्व चूर्ण करना (मु॰): घमंड नष्ट करना, अभिमानः घमंड, उपचारः हल (इलाज), अपरिष्कृतः अशुद्ध, अंतःप्रकृतिः आंतरिक स्वभाव, साधकः सहायक।

बोध प्रश्न

आपने निबंध का उपर्युक्त अंश ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 क्रोध की उत्पत्ति का कारण है :

क) दुख की उत्पत्ति।

ख) दुख के कारण की स्पष्ट धारणा।

ग) ग्लानि।

घ) भय। ( )

2 दया की भावना से प्रेरित होकर क्रोध कब उत्पन्न होता है?
- क) दुर्बल पर अत्याचार को देखकर।
- ख) सबल पर अत्याचार को देखकर।
- ग) अमीर द्वारा गरीब पर किये गये क्रोध को देख कर।
- घ) बच्चों को आपस में लड़ते देखकर। ( )

3 क्रोध के संदर्भ में आलंबन कौन होगा।
- क) जिसमें क्रोध उत्पन्न हो।
- ख) जहाँ क्रोध उत्पन्न हो।
- ग) जो क्रोध को शांत करे।
- घ) जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो। ( )

क्रोध का शमन

क्रोध शान्ति-भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुःख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है, वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। सन्त लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिह्न दबाये जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबन्ध समाज की सुख-शान्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पर इस प्रतिबन्ध की भी सीमा है। यह **पर-पीड़कोन्मुख** क्रोध तक नहीं पहुँचता।

क्रोध के **निरोध** का उपदेश अर्थ-परायण और धर्म-परायण दोनों देते हैं। पर दोनों में जिस अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बतानेवाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलनेवाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे बातों में फँसा कर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है, न साधन।

क्रोध के प्रेरक तत्व

क्रोध के **प्रेरक** दो प्रकार के दुःख हो सकते हैं—अपना दुःख और पराया दुःख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुःख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुःख जितना ही अपने सम्पर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुन्दर और मनोहर दिखाई देगा। दुःख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुःख कहा जा सकता है—जैसे, अपने या आत्मीय परिजन का दुःख, इष्टमित्र का दुःख। इसके आगे भी जहाँ तक दुःख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम, पुर, देश का रहनेवाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौन्दर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर-दुःख कातरता मानी जायगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौन्दर्य प्राप्त होगा—ऐसा सौन्दर्य जो काव्यक्षेत्र के बीच भी जगमगाता आया है।

क्रोध में निहित सौंदर्य

यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है। पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भङ्ग करने के लिए होती है जो पिघलनेवाली नहीं होती। क्रौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि से करुण क्रोध का सौन्दर्य एक महाकाव्य का सौन्दर्य हुआ। उक्त सौन्दर्य का कारण है **निर्विशेषता**। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणिमात्र के दुःख की सहानुभूति छिपी है—राम के क्रोध के भीतर सम्पूर्ण लोक के दुःख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ से **श्रीहत** हो जाती है, वहीं से क्रोध के सौन्दर्य का आरम्भ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्रीकृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक **लावण्य** फीका पड़ने लगा और क्रोध की **समीचीनता** का सूत्र-पात हुआ। अपने ही दुःख पर उत्पन्न क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सौन्दर्य-दशा तक नहीं पहुँचता। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है।

दंड विधान की आवश्यकता

बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुँचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी—नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौन्दर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का **कालाग्नि - सदृश** क्रोध ऐसा ही है। वह **सात्विक** तेज है; **तामस** ताप नहीं।

दण्ड **कोप** का ही एक **विधान** है। राजदण्ड राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती।

पर पीड़कोन्मुखः दूसरों को दुःख पहुँचाने वाला, निरोधः रोकना, प्रेरकः प्रेरणा देने वाला, निर्विशेषताः विशेषता रहित, श्रीहतः शोभा हीन, लावण्यः सौंदर्य, समीचीनताः औचित्य, कालाग्नि-सदृशः काल की अग्नि के समान (यम के क्रोध के समान), सात्विकः सत्वगुण प्रधान, तामसः तमोगुण, कोपः क्रोध, विधानः नियम।

क्रोध और वैर

वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिससे हमे दुःख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर **लक्ष्य को पीड़ित** करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल **कालकृत** है। दुःख पहुँचाने के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करनेवाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी। यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और दो महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात् भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के सम्बन्ध का 'वैर' नाम आलंकारिक है। आदमी का न आम-अंगूर से कुछ वैर है न भेड़-बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं।

क्रोध और चिड़चिड़ाहट

क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी **व्यंजना** प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। कभी - कभी चित्त व्यग्र रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुभीता न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते है। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की सम्भावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत, सम्प्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही **अनन्य** दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देखकर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं, रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, इसी से रोगियों और बुड्ढों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के—विशेषतः बालकों के—विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत आनन्द आता है और कुछ विनोदी बुड्ढे भी चिढ़ने की नकल किया करते है। कोई 'राधाकृष्ण' कहने से, कोई 'सीताराम' पुकारने से और कोई 'करेले' का नाम लेने से चिढ़ता है और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हँसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ बनाते हैं उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हँसाती ही है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलम्बन हैं। न जाने कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हँसाने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की **बरकत** से हुआ करता है।

क्रोध और अमर्ष

किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, **अमर्ष** कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुःख पहुँचानेवाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है—उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुःख पहुँचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए—"तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया। अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दाँत पीसता और गरजता हुआ यह कहने लगे कि "मैं तुम्हें धूल में मिला दूँगा, तुम्हारा घर खोदकर फेंक दूँगा। तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए।

कालकृतः समय से निर्मित, व्यंजनाः अभिव्यक्ति, अनन्यः एकनिष्ठ, बरकतः प्रभाव, अमर्षः असहिष्णुता।

बोध प्रश्न

आपने निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

4. शुक्ल जी किस क्रोध-भावना में सौंदर्य देखते हैं?

   क) अपने अपमान की भावना से उत्पन्न क्रोध।
   ख) स्व-दुख की भावना से उत्पन्न क्रोध।
   ग) लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न क्रोध।
   घ) अर्थ-लाभ की भावना से उत्पन्न क्रोध।

   (   )

5. जनता को किस राजकोप का सम्मान नहीं करना चाहिए।

   क) जहां राजकोप धर्मकोप हो।
   ख) जहां राजकोप लोककोप हो।
   ग) जहाँ राजकोप लोककोप से भिन्न हो।
   घ) जनता को हर अवस्था में राजकोप का सम्मान करना चाहिए।

   (   )

6 क्रोध जब हृदय में बहुत दिन टिका रहे तो उसे क्या कहेंगे?

क) दुख
ख) वैर
ग) भय
घ) अपमान

( )

7 निम्नलिखित वाक्यों में जिन शब्दों को परिभाषित किया गया है, उन्हें बताइए

क) चित की व्यग्रता से उत्पन्न क्रोध को कहते हैं। ( )
ख) हृदय में अधिक दिन तक बना रहने वाला क्रोध कहलाता है। ( )
ग) किसी बात का बुरा लगना। ( )

(अमर्ष, चिड़चिड़ाहट, वैर)

16.3 निबंध का सार

आपने निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आप समझ गये होंगे कि शुक्ल जी ने निबंध में क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में क्रोध नामक मनोभाव का विश्लेषण किया है। क्रोध एक ऐसा भाव है, जिसका उत्पन्न होना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति बात-बात पर क्रोध करते है, उनकी समाज निंदा करता है। धार्मिक पुस्तकों में भी क्रोध के शमन का उपदेश दिया गया है। लेकिन शुक्ल जी का मत कुछ भिन्न है। शुक्ल जी ने क्रोध की सामाजिक भूमिका भी मानी है। इसको समझाने के लिए उन्होंने क्रोध के हर पक्ष की अच्छी तरह व्याख्या की है।

शुक्ल जी के अनुसार क्रोध तब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति को दुःख का स्पष्ट कारण मालूम होता है। अगर दुःख का कारण मालूम न हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्रोध से व्यक्ति उस दुःख से मुक्त होने की चेष्टा करता है। क्रोध के द्वारा व्यक्ति जिसने दुःख पहुँचाया उससे सिर्फ बदला नहीं लेता उसमें अपनी रक्षा की भावना भी रहती है। जब क्रोध अधिक उग्र होता है तब व्यक्ति यह सोचे बिना कि जिससे कष्ट पहुँचा है उसकी ताकत कितनी है, उस पर टूट पड़ता है। ऐसा क्रोध अंध क्रोध कहलाएगा। क्रोध की तीव्रता से उस व्यक्ति में भय उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है। अगर भय से ही वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो क्रोध शांत हो जाता है। कभी-कभी क्रोध में व्यक्ति अपने को ही दुख पहुँचाने का प्रयास करता है। ऐसा वह उस स्थिति में करता है जब क्रोध का कारण उसका कोई निकटस्थ व्यक्ति हो। अपने को दुख पहुँचाने की कोशिश में यह भावना होती है कि इससे उस व्यक्ति को ग्लानि होगी और वह अपने किये पर पछताएगा। जब व्यक्ति ऐसी चीज़ों के प्रति क्रोध प्रकट करता है जिनका ध्येय दुःख पहुँचाना नहीं था तो ऐसी अवस्था में उत्पन्न क्रोध अपरिष्कृत ही कहा जाएगा।

आचार्य शुक्ल के अनुसार क्रोध बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होता है। इसलिए अन्य भावों के साथ मिलकर उनको संतुष्ट करने में सहायक होता है। जैसे दया, घृणा आदि भावों के साथ। दया कोमल भाव है, अगर किसी के प्रति दया उत्पन्न हो तो उसकी सहायता करने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यह सहायता कई बार तभी संभव होती है, जब दया के साथ क्रोध की भावना भी जाग्रत हो। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर अत्याचार कर रहा है तो उस समय उस स्त्री को कष्ट में पड़ा देखकर अगर सिर्फ़ दया उत्पन्न होगी तो उससे वह स्त्री कष्ट से मुक्त नहीं होगी। अगर दया के साथ अत्याचारी व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा तो हम अत्याचारी को अत्याचार करने से रोकेंगे। यहाँ अत्याचारी पर किया गया क्रोध ही उस स्त्री को कष्ट से मुक्त कराएगा।

क्रोध की भावना दूसरे में भी क्रोध का संचार करती है। लेकिन कई बार व्यक्ति यह विचार नहीं करता कि जो मुझ पर क्रोध कर रहा है उसका क्रोध अनुचित है या उचित। क्रोध का प्रदर्शन होने पर व्यक्ति तत्काल अपमान महसूस करता है इसलिए वह भी क्रोध करने वाले पर क्रोध करता है। शायद इसीलिए क्रोध को दबाने का उपदेश दिया जाता है।

क्रोध दो कारणों से पैदा होता है। अपने दुःख से उत्पन्न क्रोध और दूसरों के दुख से उत्पन्न क्रोध। अपने दुःख से उत्पन्न क्रोध को दबाना चाहिए। लेकिन दुःख पहुँचाने वाले का अत्याचार सीमा पार कर जाए तो उसका अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। किंतु दूसरों के दुःख से उत्पन्न क्रोध को दबाना अनुचित है। क्रोध जितना ही व्यापक भावना से प्रेरित होगा, उसमें जितनी ही अधिक लोक कल्याण की भावना उत्पन्न होगी, उसमें उतना ही अधिक सौंदर्य निहित होगा। दंड (सजा देना) क्रोध का ही विधान है। राज (शासन) द्वारा निर्धारित दंड राजकोप का विधान है। लेकिन राजकोप का आधार धर्मकोप होना चाहिए। शुक्लजी के अनुसार धर्मकोप का तात्पर्य है लोक के हित में किया गया कोप। जहाँ राजकोप में लोक के हित की भावना निहित न हो, उस राजकोप को जनता को अस्वीकार कर देना चाहिए।

क्रोध की एक अवस्था वैर है। जब कोई व्यक्ति क्रोध को जल्दी ही भूल जाता है तो वह वैर नहीं कहलाता। लेकिन जब क्रोध लंबे समय तक मन में बनाये रखा जाता है तो वह वैर की श्रेणी में आ जाता है। कई बार क्रोध एक और रूप में व्यक्त होता है उसे चिड़चिड़ाहट कहते हैं। यह वस्तुतः चित्त की व्यग्रता या किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है। कई बार यह

लोगों के स्वभाव में शामिल हो जाता है। विशेष रूप से तब जब व्यक्ति अपने सोच के अनुसार काम होते न देखता है। इस तरह का स्वभाव दूसरों के लिए कई बार हास्य का कारण भी बनता है। जब किसी की बात बुरी लगे और वह असहनीय हो तो उसी समय मन में जो क्षोभ युक्त आवेग उत्पन्न होगा, उसे अमर्ष कहेंगे। यह अमर्ष जब दुःख पहुँचाने वाले से प्रतिकार लेने की भावना तक पहुँचेगा तो वह क्रोध की पूर्ण अवस्था कहलाएगी।

इस प्रकार शुक्ल जी ने क्रोध को व्यक्ति के स्वभाव के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में रखकर व्याख्यायित किया है। इससे क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का उद्घाटन हुआ है। आगे हम इस निबंध के विचार और भाव पक्ष दोनों का विश्लेषण करेंगे। इससे आपको निबंध में व्यक्त विचारों को समझने में मदद मिलेगी।

16.4 अंतर्वस्तु

आचार्य शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में क्या कहा गया है आप समझ गये होंगे। अब हम इस भाग में निबंध की अंतर्वस्तु की व्याख्या करेंगे। निबंध की अंतर्वस्तु के दो भाग होते हैं, भाव पक्ष और विचार पक्ष। शुक्ल जी ने इस निबंध में क्रोध नामक मनोभाव का विश्लेषण किया है, लेकिन उनका निबंध भाव प्रधान नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनकी पद्धति भावना प्रधान नहीं है, बल्कि बुद्धि प्रधान है। उन्होंने मनोभावों पर भी बौद्धिक दृष्टि से विचार किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें भावना की उपेक्षा है बल्कि निबंध पढ़ने से स्पष्ट है कि लेखक की भावनाएँ भी बराबर व्यक्त होती रही हैं। स्वयं शुक्ल जी ने अपने निबंधों के बारे में कहा है कि "**यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर।**" ('चिंतामणि' 1 के 'निवेदन' से) हम इस निबंध के दोनों पक्षों की विवेचना करेंगे। पहले विचार पक्ष और फिर भाव पक्ष पर विचार होगा।

16.4.1 विचार पक्ष

मनोभाव का अर्थ होता है, मन में उठने वाले भाव। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन शुक्लजी ने मनोभावों पर मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार नहीं किया है बल्कि सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से विचार किया है। हालाँकि इस विचार में मनोविज्ञान के विश्लेषण का भी योगदान है।

शुक्लजी यह नहीं मानते कि मनोभाव शुद्ध मन की चीज है। शुक्लजी मनोभावों को चित्त की निरपेक्ष अवस्था नहीं मानते जिसका सामाजिक व्यवहार से कोई संबंध न हो। इसके विपरीत उनकी मान्यता है कि मनोभावों का संबंध हमारे भौतिक जीवन और सामाजिक व्यवहार से होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी भावनाओं का निर्माण भी समाज में ही होता है इसीलिए मनुष्य के मनोभावों पर विचार भी उसके सामाजिक व्यवहार को सामने रखकर ही करना चाहिए।

क्रोध नामक मनोभाव इस निबंध का विषय है। शुक्लजी ने क्रोध पर भी सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से ही विचार किया है। क्रोध को परिभाषित करते हुए जो पहली बात वे कहते हैं, वह यह है कि क्रोध उत्पन्न ही तब होता है जब दुःख के कारण का स्पष्ट ज्ञान हो। दुख का स्पष्ट ज्ञान हमारे हृदय में नहीं छुपा होता, किसी दूसरे का व्यवहार ही हमारे दुःख का कारण होता है और यही दुःख हमारे भीतर क्रोध की उत्पत्ति करता है। क्रोध की अभिव्यक्ति भी सामाजिक व्यवहार के रूप में होती है।

सामाजिक व्यवहार में ऐसे कारण लगातार उत्पन्न होते रहते हैं जिनसे हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि हमारे व्यवहार के कारण भी दूसरों में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है, तब व्यक्ति जो व्यवहार करता है, वह उत्तेजना की अवस्था में करता है क्योंकि जिस व्यवहार से उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ है, उस व्यवहार से उसने अपने को अपमानित महसूस किया है। अपमान की भावना से उसमें तत्काल क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उसे प्रतिकार के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्रोध की इस अवस्था में व्यक्ति अत्यंत आवेश में होता है और आवेश में वह ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे उसका और अधिक नुकसान हो जाये या यह भी संभव है कि वह कुछ ऐसा कर बैठे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। शायद इसीलिए क्रोध को दबाने का उपदेश दिया गया है। लेकिन शुक्ल जी क्रोध के शमन को सदैव उचित नहीं समझते। यहाँ फिर शुक्लजी क्रोध को सामाजिक व्यवहार की तुला में तोलकर जाँचते हैं।

शुक्लजी का विचार है कि क्रोध नकारात्मक प्रवृत्ति ही नहीं है, वह सकारात्मक प्रवृत्ति भी है। अगर व्यक्ति क्रोध न करे तो वह अपने कई दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा है तो उसे आप तभी रोक सकते हैं जब आप उसके व्यवहार से क्रोधित हों और उसे दंडित करने का भाव आपमें उत्पन्न हो, ताकि, वह आगे से आपको परेशान न करे। अगर आप उसके अत्याचार को सहते रहेंगे तो उसे और अत्याचार करने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी सहनशीलता अत्याचारी के अत्याचार को बढ़ायेगी।

शुक्ल जी के इस निबंध का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रोध की लोक कल्याणकारी भूमिका। शुक्ल जी भी मानते हैं कि केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित क्रोध उच्च कोटि का नहीं होता, भले ही उसमें अपनी रक्षा का भाव ही क्यों न हो लेकिन जब क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जगा हो तो वह उच्च कोटि का क्रोध होगा और उसका सौंदर्य अनुपम होगा। इसे उन्होंने अबला स्त्री पर किये गये अत्याचार के प्रतिकार के उदाहरण से समझाया है। इसे हम और उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई शत्रु देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उस समय उस शत्रु देश के प्रति हमारे में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होगा उसी से प्रेरित होकर हम अपने देश की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को प्रेरित होंगे। यहाँ शत्रु पर क्रोधित न होना हमारा स्वार्थ, अपने देश के प्रति गैर-जिम्मेदारी और देशद्रोह तक माना जाएगा। जहाँ व्यक्ति मानवतावादी

भावनाओं से प्रेरित होकर क्रोधित होता है, वह सबसे उच्च कोटि का क्रोध है। इसका सौंदर्य अनुपम है **क्योंकि यहाँ व्यक्ति** किसी भी स्वार्थ-भावना से बंधा नहीं है। साहित्य में हजारों साल से इस क्रोध के सौंदर्य को प्रस्तुत किया जाता रहा है। राम अगर रावण पर क्रोधित नहीं होते तो न सिर्फ अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाते बल्कि रावण के अत्याचारों से उत्पीड़ित लोक की भी रक्षा नहीं कर पाते।

शुक्ल जी ने इस निबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कही है वह है, राजकोप के बारे में। समाज में व्याप्त अत्याचार और अनाचार को समाप्त करने के लिए जो दंड विधान होता है, वह राजकोप की ही अभिव्यक्ति है। इस दंड विधान में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। लेकिन जब राजकोप में लोक कल्याण की भावना न रहे, जहाँ शासक अपने शासन की रक्षा करने के क्षुद्र उद्‌देश्य से प्रेरित होकर दंड का इस्तेमाल करता हो तो शुक्ल जी का मानना है कि जनता को ऐसे राजकोप का सम्मान नहीं करना चाहिए। राजकोप के प्रति शुक्लजी का यह दृष्टिकोण उनके लोकोन्मुखी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है।

16.4.2 भाव पक्ष

शुक्ल जी का साहित्य पढ़ने से जो बात मुखर होकर उभरती है, वह है उनकी लोकवादी दृष्टि। शुक्ल जी के लिए लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि रही है। इसी दृष्टि से वे साहित्य की परीक्षा करते थे और इसी दृष्टि से उन्होंने सामाजिक व्यवहार और मनोभावों की परीक्षा भी की है। अगर 'क्रोध' निबंध को ही लें तो हम पायेंगे कि यद्यपि उन्होंने क्रोध का विश्लेषण वैचारिक दृष्टि से किया है, लेकिन उनकी लोक कल्याणकारी भावना हर कहीं व्यक्त हुई है। यह वैचारिक विश्लेषण में तो अंतर्निहित है ही, इस विश्लेषण को पुष्ट करने के लिए दिये गये उदाहरणों से भी यह प्रमाणित होता है।

क्रोध के कल्याणकारी रूप को समझाने के लिए वे स्त्री पर किये गये अत्याचार का उदाहरण देते हैं। इसी तरह वे वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की प्रेरणा के रूप में प्रसिद्ध क्रौंच वध के प्रसंग का उल्लेख करते हैं। यहाँ तक कि वे "राजकोप" को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं अगर वह लोकहित के विरुद्ध हो। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि शुक्ल जी में लोक कल्याण की भावना अत्यंत प्रबल रूप में मौजूद थी।

शुक्ल जी के निबंधों मे उनकी विनोद प्रवृति की झलक बराबर मिलती है। यह गुण वस्तुतः उनके निबंधों के बौद्धिक विश्लेषण को बोझिल और शुष्क होने से बचाता है। इस निबंध में भी उन्होंने जहाँ अपरिष्कृत क्रोध, क्रोध के दमन और चिड़चिड़ाहट का विश्लेषण किया है, वहाँ उनकी विनोद-वृत्ति देखी जा सकती है। चूल्हा फूँकते ब्राह्मण देवता या स्वार्थ के लिए क्रोध का दमन करने वाला व्यक्ति या बच्चों के चिढ़ाने पर चिड़चिड़ाने वाले लोगों का उदाहरण उनकी हास्य वृत्ति का ही सूचक है।

इस प्रकार शुक्ल जी के निबंधों में वैचारिक विश्लेषण के साथ-साथ भावना का भी योग रहता है, जो उनके निबंधों को पठनीय और रोचक बनाता है।

16.5 लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति

निबंध रचना पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य रहता है। उसका दृष्टिकोण, उसकी अभिरुचि, उसका शैलीगत वैशिष्ट्य और उसकी भाषा की निजता—इन सभी रूपों में उसका व्यक्तित्व निबंध में प्रकाशित होता है। हाँ, यह अवश्य है कि इसकी मात्रा किसी लेखक में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है।

आचार्य शुक्ल की लेखन पद्धति वस्तुनिष्ठ है। इसलिए उनके लेखन में उनका व्यक्तित्व प्रच्छन्न रूप में ही मौजूद रहता है किंतु निबंध पर उनके व्यक्तित्व के प्रभाव को आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व उनके दृष्टिकोण में व्यक्त हुआ है। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है उनका दृष्टिकोण लोकवादी है अर्थात वे प्रत्येक वस्तु, व्यवहार और विचार को लोक के हित की दृष्टि से देखते हैं। लोक के हित का तात्पर्य है—जो संपूर्ण समाज के हित में है। अगर कोई चीज उन्हें इसके विपरीत नज़र आती है तो उसकी आलोचना करते हैं।

शुक्ल जी के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है, परंपरा के प्रति आलोचनात्मक रुख। शुक्ल जी किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते कि वह धार्मिक पुस्तकों में लिखी है या वह परंपरा द्वारा स्वीकृत है। क्रोध को ही लें। शुक्ल जी इसे बहुत बार दोहरायी गयी बात को मानने से इंकार करते हैं कि क्रोध को दबाया जाना चाहिए। उनका विचार है कि अगर मनुष्य में क्रोध का मनोभाव न हो तो वह कभी भी बुराई का विरोध न करेगा। वस्तुतः शुक्लजी सहनशीलता को एक सीमा तक ही अच्छा समझते हैं। उनका तो विचार है कि अत्याचारी को दंडित किया जाना चाहिए ताकि वह फिर अत्याचार न कर सके। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय नीतिशास्त्र की परंपरा के अनुकूल नहीं है अपितु यह उनकी स्वतंत्र विचार-शक्ति का परिचायक है।

शुक्लजी के व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है व्यंग्य और हास्य की प्रवृत्ति। शुक्लजी निबंध लिखते हुए जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ व्यंग्य करने से नहीं चूकते। कहीं वह किसी प्रसंग के रूप में होता है तो कहीं भाषा की व्यंजना में निहित होता है। उनके व्यंग्य में हास्य की प्रवृत्ति भी मिली होती है। उदाहरण के लिए इस प्रसंग को देखें "**एक बार मैंने देखा कि ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते-फूँकते थक गये। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गये।**" इसी तरह यहाँ पूरे वाक्य में उनकी व्यंग्य-वृत्ति व्यक्त होती दिखाई देती है "**बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे से भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा।**" उपर्युक्त वाक्य क्रोध के दमन का उपदेश देने वालों पर हास्य मिश्रित व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है और यहाँ व्यंग्य भाषा में निहित है।

शुक्ल जी के व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है उनका भावुक हृदय। यद्यपि शुक्ल जी बुद्धिवादी लेखक माने जाते हैं, लेकिन उनमें दूसरों के दुख से पीड़ित होने वाला, अत्याचार देखकर क्रोधित होने वाला और संसार की रूप-गति का सौंदर्य देखकर मोहित होने वाला, हृदय भी है। यही कारण है कि उनके निबंधों में जीवन के इन सभी पक्षों के जीवंत, करुण और हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंगों का बार-बार उल्लेख आता है। उनकी बौद्धिकता उनके हृदय की विशालता और उदारता का ही परिणाम है।

शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पाँचवीं विशेषता है, उनकी बौद्धिकता। लिखते हुए वे अपनी भावनाओं को बुद्धि पर हावी नहीं होने देते। इसी कारण वे मनोभावों का विश्लेषण भी वस्तुपरक ढंग से कर सके हैं। किसी भी विषय पर विचार करते हुए उनकी दृष्टि उसके सभी पक्षों पर रहती है और उन पक्षों में जो तार्किक एकता होती है, उसे वे तत्काल पहचान लेते हैं। यही कारण है कि उनके विचारों में कहीं बिखराव या अंतर्विरोध दिखायी नहीं देता बल्कि वे अपने मत को इतने ठोस और विवेकपरक ढंग से रखते हैं कि उनके विचारों की शक्ति को मानना पड़ता है। कोई भी बात कहने से पहले वे स्वयं अच्छी तरह उसके सभी पक्षों के बारे में स्पष्ट होते हैं इसीलिए उनके विचारों में कहीं उलझाव नहीं होता। यही कारण है कि उनकी शैली में विचारों की स्पष्टता और सुसंगति दोनों विद्यमान है। यही गुण उनकी भाषा में भी है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

8 मनोभावों का सामाजिक व्यवहार से क्या संबंध है?

क) सामाजिक व्यवहार से मनोभावों का कोई संबंध नहीं है।

ख) सामाजिक व्यवहार से मनोभाव उत्पन्न होते हैं।

ग) मनोभावों से सामाजिक व्यवहार पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

घ) व्यक्ति का व्यवहार उसके मनोभावों से निर्धारित होता है न कि उसके सामाजिक होने से।

( )

9 नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। पठित अंशों के आधार पर बताइए कि इनमें में कौन-से कथन सही हैं और कौन से गलत?

क) सामाजिक जीवन में क्रोध का दमन सदैव आवश्यक है। (सही/गलत)

ख) क्रोध कभी भी तत्काल उत्पन्न नहीं होता, वह हृदय में धीरे-धीरे परिपक्व होता है। (सही/गलत)

ग) स्वार्थी व्यक्ति जिससे स्वार्थ पूरा होता हो, उसकी अपमानजनक बातों को भी हंसकर सह लेता है। (सही/गलत)

घ) लोक के हित की भावना से प्रेरित क्रोध उच्चकोटि का होता है। (सही/गलत)

ङ) क्रोध वैर का अचार या मुरब्बा है। (सही/गलत)

10 वैर और क्रोध के अंतर को तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

11 शुक्ल जी के व्यक्तित्व की कोई तीन विशेषताएँ बताइए जो क्रोध निबंध में व्यक्त हुई हैं।

....

....

....

12 लोकहित में अत्याचारी के प्रति विनम्रता क्यों हितकर नहीं है? उत्तर तीन पंक्तियों में लिखिए।

....

....

....

....

16.6 संरचना शिल्प

अब हम निबंध के संरचना शिल्प पर विचार करेंगे। इसके अंतर्गत शैली और भाषा पर विचार होगा। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है क्योंकि गद्य की भाषा की सच्ची परीक्षा निबंध में ही होती है। निबंध में भाषा और शैली के लिए बहुत

स्वतंत्रता नहीं होती और इसी में रचनाकार को अपनी विशिष्टता और भाषा-सौंदर्य का प्रदर्शन करना होता है। आइए, अब हम सबसे पहले शैली की चर्चा करें।

16.6.1 शैली

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह निबंध क्रोध नामक मनोभाव पर आधारित है, किंतु मनोभाव का विवेचन बुद्धि से किया गया है न कि हृदय से। इसलिए इस निबंध की शैली भाव-प्रधान नहीं है, बल्कि विवेचन प्रधान है। शुक्ल जी ने क्रोध की विवेचना विवेकपरक ढंग से की है। वे जब किसी विषय पर विचार करते हैं तो उनकी दृष्टि उसके सभी पक्षों पर तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की होती है। उदाहरण के लिए 'क्रोध' को ही लें। शुक्लजी ने इस निबंध में क्रोध मनोभाव क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किन-किन दशाओं में क्रोध क्या-क्या रूप धारण करता है, क्रोध और अन्य मनोभावों का क्या संबंध है, क्रोध की सामाजिक भूमिका क्या है, आदि विभिन्न पक्षों पर उन्होंने अत्यंत तार्किक ढंग से विचार किया है। स्पष्ट ही यह शैली विवेचनपरक है क्योंकि यहाँ मंतव्य को विवेचना द्वारा समझाया गया है, न कि भावनाओं के द्वारा। निबंध हमारी भावनाओं को उत्तेजित नहीं करता वरन् हमारे विचारों को तीव्र करता है। इसलिए शुक्ल जी की इस शैली को विवेचनपरक शैली ही कहेंगे।

शुक्ल जी विवेचन के दो ढंग अपनाते हैं। वे जिस बिंदु को विश्लेषित करना चाहते हैं, पहले उसे सूत्र रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। कई बार वे इसके विपरीत विधि भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शुक्ल जी की यह विशेषता है कि वे जटिल से जटिल विचार को छोटे से सूत्र में पेश कर देते हैं जैसे उनका यह सूत्र देखें **''वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है।''** यह सूत्र वैर की विवेचना से पूर्व ही आ गया है। स्वयं इस सूत्र में क्रोध और वैर के अंतः संबंध को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन शुक्ल जी यह सूत्र प्रस्तुत करने के बाद उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। उदाहरण के लिए इस सूत्र के तत्काल बाद प्रस्तुत इन पंक्तियों को देखें **''जिससे हमें दुख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो यह वैर कहलाता है।''** स्पष्ट ही इन पंक्तियों मे पहले के सूत्र की ही व्याख्या है। इस व्याख्या को फिर वे उदाहरण द्वारा पुष्ट करते हैं और अंत में उसके किसी जटिल पक्ष का स्पष्टीकरण भी करते हैं जिससे कि उस सूत्र को समझने में आसानी हो। विवेचना की यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इससे जटिल से जटिल विचार प्रणाली को सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

शुक्ल जी कई बार इस शैली को भिन्न रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। कई बार वे पहले कोई उदाहरण पेश करते हैं। फिर उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में उससे निकलने वाले वैचारिक निष्कर्ष को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों शैलियाँ मूलतः एक ही है।

विवेचन प्रधान शैली में भी शुक्लजी व्यंग्य-विनोद के अवसर निकाल लेते हैं और ऐसे अवसर पर उनकी शैली विवेचना की बजाय व्यंग्य प्रधान हो जाती है। उदाहरण के लिए चिड़चिड़ेपन की व्याख्या करते हुए हास्य और मूर्खता के संबंध की व्याख्या करने लगते हैं और इस व्याख्या में उनकी व्यंग्य वृत्ति साफ झलक उठती है।

16.6.2 भाषा

शुक्ल जी का भाषा पर जबर्दस्त अधिकार था। जटिल से जटिल विषय को अत्यंत सारगर्भित भाषा में विवेचित कर देना उनके लिए कठिन नहीं था। उनके निबंधों में विवेचन की सहजता और स्वाभाविकता उनके भाषा पर अधिकार के कारण ही है। जटिल विषय विवेचन में भी वाक्यों का ऐसा प्रवाह होता है कि कहीं भी समझने मे कठिनाई नहीं होती। हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा है। वाक्य प्रवाह के बीच ही वे ऐसे सूत्र वाक्य रच देते हैं जहाँ उनकी असाधारणता अनायास पाठक को आकर्षित कर लेती है। उदाहरण के लिए इसी निबंध मे **''वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है।''** या **''मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हँसाती ही है।''** जैसे वाक्यों में उनका गहन चिंतन और विनोद वृत्ति स्पष्ट प्रकट होती है।

शुक्ल जी की विनोद वृत्ति उनकी भाषा में भी दिखाई देती है। शुक्ल जी भाषा में आलंकारिकता के विरोधी थे लेकिन हास्य-व्यंग्य पैदा करने के लिए वे कई बार शब्द-चमत्कार का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यंग्य के लिए अनुप्रास (जहाँ वर्ण या शब्द को बार-बार दोहराया जाए) का प्रयोग **''बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा।''**

शुक्लजी की भाषा में खड़ी बोली का सौंदर्य व्यक्त हुआ है। उनकी प्रवृत्ति तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर अधिक है। लेकिन इसके कारण कहीं भी उनकी भाषा कृत्रिम, शुष्क और बोझिल नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि शुक्लजी का आग्रह सहज और स्वाभाविक भाषा लिखने की ओर है और इसके लिए वे तद्भव, देशज या उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से परहेज नहीं करते। बेगाना, दुनियादार, बरकत, जैसे उर्दू शब्द उनकी तत्सम शब्दावली में अनायास आ जाते हैं। इसी तरह तद्भव और देशज शब्दों का भी मुक्त प्रयोग मिलता है।

शुक्ल जी के निबंध यद्यपि गहन विवेचन वाले हैं, लेकिन यह गहनता विचारों तक ही सीमित है, इससे भाषा में जटिलता नहीं आयी है। इसका कारण यह है कि शुक्लजी वाक्य रचना में उलझाव पैदा नहीं करते। जहाँ तक संभव होता है वे छोटे वाक्य ही बनाते हैं ताकि विचारों को स्पष्टता से रखा जा सके। इन छोटे-छोटे वाक्यों में ऐसा क्रम-प्रवाह होता है कि विचार अपने आप ही खुलते चले जाते हैं।

शुक्लजी ने अपने निबंधों में भाषा को ऐसा रूप प्रदान किया है, जो आगे आने वाले लेखकों के लिए आदर्श रही है। शुक्ल जी की भाषा में भारतेंदु युग का व्यंग्य और द्विवेदी युग की व्याकरण-अनुकूलता दोनों थीं। लेकिन उन्होंने परंपरा से प्राप्त भाषा को इस योग्य बनाया कि उसमें अपनी विशिष्टता भी बनी रहे और जटिल से जटिल विचार-प्रणाली को अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत भी कर सके। इसके लिए शुक्लजी ने जहाँ आवश्यक हुआ, नये शब्दों का निर्माण भी किया है। शुक्ल जी की भाषा में वह प्रौढ़ता विद्यमान है जो प्रत्येक भाव और विचार को अत्यंत सहजता से व्यक्त कर देती है।

16.7 प्रतिपाद्य

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध यद्यपि मनोविकार (मनोभाव) से संबंधित है लेकिन इस निबंध को पढ़ने से हमें कई बातें मालूम होती हैं। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, मनोभावों पर विचार मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है और मनोविज्ञान में इनकी विवेचना प्रायः मन की आंतरिक दशा की दृष्टि से की जाती है। लेकिन शुक्ल जी ने मनोभावों का विवेचन सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से किया है क्योंकि उनका विचार है कि **''सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय-भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है।''** लेकिन सुख और दुःख का संबंध सामाजिक व्यवहार से भी बहुत गहरा है। जैसे ठोकर लगने से दुख होता है लेकिन अगर कोई धक्का दे और हम गिर जायें तो वहाँ सिर्फ दुख ही नहीं होगा बल्कि धक्का देने वाले के प्रति क्रोध भी उत्पन्न होगा। इसी तरह किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और उस प्रयत्न से इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो हमें सुख की अनुभूति होगी और असफलता प्राप्त हो जाएगी तो हमें दुख होगा, लेकिन अगर हमें यह मालूम हो कि हमारी असफलता के पीछे किसी अन्य व्यक्ति का अवांछित प्रयत्न था, तो हमें क्रोध आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मनोभाव हमारे और दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। यही वस्तुतः मनोभावों का सामाजिक आधार है। शुक्ल जी ने इसी सामाजिक आधार की विवेचना अपने मनोविकारों संबंधी निबंधों में की है।

मनोभावों के सामाजिक आधार की विवेचना करने का उनका उद्देश्य क्या है, इसे समझने की जरूरत है। प्रायः लोग उपदेश देते हैं कि क्रोध, घृणा, लोभ आदि बुरे भाव हैं और इनका दमन करना चाहिए। किंतु शुक्लजी इस मत को पूर्णतः उचित नहीं मानते क्योंकि वे इन मनोभावों को सिर्फ मन का विकार नहीं समझते बल्कि वे यह मानते हैं कि इन मनोविकारों का हमारे सामाजिक व्यवहार से गहरा संबंध है। घृणा बुरी बात है, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बुराई के प्रति हमारे मन में घृणा उत्पन्न नहीं होगी तो हम उसको मिटाने का प्रयत्न कैसे करेंगे। इसी तरह अत्याचारी के प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो हम उसे अत्याचार करने से कैसे रोक सकेंगे। क्योंकि क्रोध हमें उस अत्याचारी के विरुद्ध सक्रिय करेगा। सिर्फ दया या प्रेम का भाव हमें सक्रिय नहीं कर सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी मनोभाव हमारे सामाजिक व्यवहार से स्वतंत्र नहीं होता। वह अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि उसकी अच्छाई या बुराई की परीक्षा उसके साथ संबद्ध सामाजिक व्यवहार से निर्धारित होगी।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

13 क्रोध निबंध किस शैली में है?

क) व्यंग्य शैली
ख) भावात्मक शैली
ग) वर्णनात्मक शैली
घ) विवेचनात्मक शैली

( )

14 इस निबंध की शब्दावली में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है?

क) तद्भव
ख) उर्दू
ग) तत्सम
घ) देशज

( )

15 शुक्लजी के निबंधों में उनके दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएँ व्यक्त हुई हैं, लेकिन इनमें से एक विशेषता उनके निबंधों में नहीं दिखायी देती, बताइए वह कौन-सी विशेषता है?

क) भाववादी
ख) लोकोन्मुखी
ग) राष्ट्रवादी
घ) वस्तुवादी

अभ्यास

नीचे दिये गये प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

1 **शुक्ल जी के निबंधों की विवेचनपरक शैली की पाँच पंक्तियों में व्याख्या कीजिए।**

....

....

....

....

....

2 **व्यंग्य-विनोद की दृष्टि से शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषता बताइए। उत्तर चार पंक्तियों से अधिक में न हो।**

....

....

....

....

3 **सामाजिक व्यवहार और क्रोध के संबंधों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि किस स्थिति में क्रोध का स्वरूप सुंदर माना जाएगा? उत्तर दस पंक्तियों से अधिक न हो।**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

16.8 सारांश

- आपने 'क्रोध' निबंध पर आधारित इस इकाई का अध्ययन कर लिया है। आप इसके आधार पर निबंध विधा की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबंधों ने हिन्दी निबंध विधा को समृद्ध बनाया है। उनके निबंध विचार प्रधान है परंतु उनमें हृदय की अवहेलना नहीं है। आप इकाई पढ़कर शुक्ल जी के निबंधों की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- शुक्ल जी का निबंध 'क्रोध' मनोभावों से संबंधित है। शुक्ल जी ने क्रोध की विवेचना सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से की है। आप 'क्रोध' निबंध की अंतर्वस्तु की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- शुक्ल जी निबंधों का विवेचन वस्तुपरक ढंग से करते हैं किंतु उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप भी दिखाई देती है। उनकी लोकवादी दृष्टि और व्यंग्य-विनोद की प्रवृति इस निबंध में भी है। आप उनके निबंध में व्यक्त व्यक्तित्व के प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं।
- शुक्ल जी के निबंध की शैली विवेचन प्रधान है और भाषा तत्सम प्रधान। परंतु भाषा और शैली दोनों प्रौढ़, सहज और अत्यंत प्रभावशाली है। आप उनके निबंध की भाषा-शैली की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- शुक्ल जी का दृष्टिकोण वस्तुपरक, वैज्ञानिक, लोकोन्मुखी और राष्ट्रवादी है। शुक्ल जी के दृष्टिकोण के आधार पर उनके इस निबंध के प्रतिपाद्य की विवेचना कर सकते हैं।

16.9 उपयोगी पुस्तकें

शुक्ल, आचार्य रामचन्द्रः **चिंतामणि** (पहला भाग), इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद।

द्विवेदी हजारी प्रसादः **साहित्य-सहचर**, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

शर्मा, रामविलासः **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना**, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

16.10 बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 ख　　2 क　　3 घ　　4 ग　　5 ग　　6 ख

7 क) चिड़चिड़ाहट　　ख) वैर　　ग) अमर्ष

8 ख

9 क) गलत　ख) गलत　ग) सही　घ) सही　ङ) गलत

10 क्रोध दुख के कारण के स्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न होता है और तत्काल पैदा होता है जबकि किसी के व्यवहार से उत्पन्न क्रोध लंबे समय तक टिका रहता है तो वह वैर कहलाता है। जब क्रोध तत्काल प्रतिक्रिया कर समाप्त हो जाय तो वह वैर नहीं कहलाता।

11 क) बुद्धिवादी　　ख) विनोदवृत्ति　　ग) भावुक हृदय

12 लोकहित में अत्याचारी के प्रति विनम्रता इस दृष्टि से हानिकर है, क्योंकि इससे अत्याचारी का हौसला बढ़ता है। अत्याचारी के प्रति जब क्रोध पैदा होता है तभी उसके अत्याचार को रोकने की भावना भी जागती है। चूँकि इस क्रोध में लोकहित की भावना निहित है इसलिए यह मनुष्य का गुण माना जाएगा।

13 घ　　14 ग　　15 क

अभ्यास

1 शुक्ल जी जिस विषय या उसके किसी पक्ष का विवेचन करना चाहते है, तो पहले उसे सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी विशद व्याख्या करते हैं उसके बाद उदाहरण द्वारा अपने मत को पुष्ट करते हैं इसके पश्चात् उस विषय के अन्य पक्षों को स्पष्ट करते हैं। इस तरह वे उस विषय का विवेचन करते हैं।

2 शुक्ल जी के निबंधों में व्यंग्य विनोद की प्रवृति बराबर परिलक्षित होती है। यह व्यंग्य कभी किसी प्रसंग के द्वारा तो कभी विवेचन में, तो कभी भाषा के द्वारा व्यक्त होता है। भाषा में वे अनुप्रासों के प्रयोग द्वारा भी व्यंग्य पैदा करते है। उनकी इस विशेषता से निबंध में रोचकता आ जाती है।

3 इस प्रश्न का उत्तर आप इकाई की 'अंतर्वस्तु' और 'प्रतिपाद्य' अंश को पढ़कर मिलाइए।

इकाई 17 आत्मकथा: गांधीजी की आत्मकथा

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य
17.1 प्रस्तावना
17.2 आत्मकथा का वाचन
17.3 आत्मकथा की अंतर्वस्तु
17.4 चरित्र विश्लेषण
17.5 परिवेश
17.6 संरचना शिल्प
17.7 प्रतिपाद्य
17.8 सारांश
17.9 उपयोगी पुस्तक
17.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

17.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' के कुछ अंश पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- आत्मकथा नामक गद्य विधा की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- महात्मा गांधी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों के संदर्भ में आत्मकथा के लेखन, उसमें आत्मकथाकार के आत्म-विश्लेषण और अपने परिवेश की पहचान का विवेचन कर सकेंगे;
- महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' के पठित प्रसंगों के महत्व को बता सकेंगे; और
- आत्मकथा के लेखन की भाषा एवं शैलीगत विशेषताएँ बता सकेंगे।

17.1 प्रस्तावना

आत्मकथा गद्य लेखन की महत्वपूर्ण विधा है। जब व्यक्ति अपने ही बारे में कुछ लिखता है तो उस लेखन को आत्मकथा कहा जाता है और जब किसी के बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा और कथा साहित्य (कहानी, उपन्यास) में भेद यह होता है कि कथा साहित्य रचनाकार की कल्पनाशीलता से उत्पन्न होता है। उसके पात्र, घटनाएँ एवं परिवेश वास्तविकता से प्रेरित होते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होते, जबकि 'आत्मकथा' में व्यक्ति अपने जीवन में घटी घटनाओं और वास्तविक परिस्थितियों का ही उल्लेख करता है। 'आत्मकथा' खुद के विषय में ईमानदारी से लिखा गया प्रामाणिक विवरण होता है। जब राजनीति, साहित्य, कला या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति द्वारा समाज को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से आत्मकथा का लेखन किया जाता है, तो उस आत्मकथा से लाखों लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

आत्मकथा लेखन की परंपरा भारत में बहुत पुरानी नहीं है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने आत्मकथाएँ लिखी हैं, जिनसे लोगों ने प्रेरणाएँ ली हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आत्मकथाएँ लिखी थी, इनमें महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप से गुजराती में लिखी गयी आत्मकथा विशेष उल्लेखनीय है। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा को "सत्य के प्रयोग" कहा था।

महात्मा गांधी और बापू के नाम से विख्यात श्री मोहनदास करमचंद गांधी (1869-1948) का परिचय यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उनके जीवन और उनके महत्व से भलीभाँति परिचित हैं। यहाँ हम 1925 के आसपास लिखी गयी उनकी आत्मकथा के उस अंश को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनके स्कूली जीवन से संबंधित हैं। इससे हमें कई बातें मालूम होंगी। "आत्मकथाकार" को अपने बारे में लिखते हुए अपने प्रति कितना ईमानदार होना चाहिए, अपनी दुर्बलताओं के प्रति कैसा निर्मम होना चाहिए तथा साधारण-सी लगने वाली बातें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये हम निम्नलिखित अंश से समझ सकते हैं। आत्मकथा के वाचन के बाद आप आत्मकथा की विशेषताओं के संदर्भ में उक्त अंशों का विश्लेषण भी पढ़ेंगे। आपको स्वयं भी गांधीजी की पूरी 'आत्मकथा' पढ़नी चाहिए।

17.2 आत्मकथा का वाचन

स्कूल में अध्ययन

ब्याह के समय मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ज्येष्ठ भाई कई दर्जा ऊपर थे और जिस भाई का ब्याह मेरे साथ हुआ वह मुझसे एक दर्जा आगे थे। विवाह के परिणामस्वरूप हम दोनों भाइयों का एक साल बेकार हो गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा, ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। ऐसा अनिष्ट परिणाम कितने युवकों को भोगना पड़ता होगा। विद्याभ्यास और विवाह, दोनों साथ-साथ हिन्दू समाज में ही चल सकते हैं।

कुशाग्र बुद्धि छात्र

मेरी पढ़ाई जारी रही। हाईस्कूल में मैं **मंदबुद्धि** विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया। हर साल माता - पिता के पास विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ-साथ चाल-चलन के बारे में भी प्रमाण-पत्र भेजा जाता था। इसमें कभी मेरे चाल-चलन या पढ़ाई खराब होने की शिकायत नहीं गयी। दूसरे दर्जे के बाद मैंने इनाम भी पाये और पाँचवें, छठे दर्जे में क्रमशः चार तथा दस रुपये की मासिक छात्रवृत्ति भी मिली थी। इस सफलता में मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का हिस्सा ज़्यादा था। ये वृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि सौराष्ट्र प्रान्त के विद्यार्थियों में प्रथम आने वाले के लिए थी। चालीस-पचास विद्यार्थियों के दर्जे में उस समय सौराष्ट्र प्रान्त के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे?

आचरण के प्रति सजगता

मेरी निजी स्मृति यह है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था; इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने चाल-चलन की मुझे बड़ा चिन्ता रहती थी। आचरण में दोष आने से तो मुझे रुलाई ही आ जाती थी। मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो या शिक्षकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें मेरी भर्त्सना करनी पड़े, यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुःख नहीं था; पर मैं दंड का पात्र माना गया, इस बात का बड़ा दुःख था। मैं खूब रोया। यह बात पहले या दूसरे दर्जे की है। दूसरा प्रसंग सातवें दर्जे का है। उस समय दोराब जी एदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वह विद्यार्थी-प्रिय थे, क्योंकि वह नियमों की पाबंदी कराते थे, बाकायदा काम करते और लेते थे, और पढ़ाते अच्छा थे। ऊपर के दर्जों के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मुझे इन चीजों से अरुचि थी। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबाल में गया ही न था। न जाने में, मेरा झेंपू स्वभाव भी एक कारण था। आज इस अरुचि में मैं अपनी गलती देखता हूँ। उस समय मेरी यह ग़लत धारणा थी कि कसरत का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात् शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए।

व्यायाम में अरुचि

फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कसरत में शामिल न होने से मेरी हानि नहीं हुई। कारण यह कि पुस्तकों में मैंने खुली हवा में घूमने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचती थी और इससे हाईस्कूल के ऊँचे दर्जों से ही मुझे घूमने की आदत पड़ गयी थी वह अन्त तक बनी रही। घूमना भी व्यायाम तो है ही, इससे मेरे शरीर में थोड़ा कसाव आ गया।

पिता की सेवा की इच्छा

व्यायाम की अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बन्द होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। कसरत अनिवार्य हो जाने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। पिताजी की सेवा के लिए कसरत से माफ़ी पाने की **दरख़्वास्त** दी। पर गीमी साहब कब माफी देने वाले थे? एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को चार बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का कुछ पता न चला। बादलों से धोखा हो गया। कसरत के लिए जब पहुँचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन जब गीमी साहब ने हाज़िरी देखी तो मैं गैर हाज़िर निकला। मुझसे वजह पूछी गयी मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे सही नहीं माना और मुझ पर एक या दो आना (ठीक याद नहीं कितना) **जुर्माना** हुआ। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुःख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे साबित करूँ? कोई उपाय नहीं था। मन मसोस कर रह गया। रोया। पीछे ध्यान में आया कि सही बोलने और सही करने वाले को गाफ़िल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह की गफ़लत मेरे अध्ययन-काल में यही पहली और आखिरी भी थी। मुझे कुछ-कुछ ख़्याल है कि अन्त में मैंने यह जुर्माना माफ़ करा लिया था।

अन्त में कसरत से मैंने मुक्ति पा ली, पर तब जबकि पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वह मेरी उपस्थिति अपनी सेवा के लिए चाहते हैं।

सुंदर लिखावट का महत्व

कसरत के बदले घूमना जारी रखने की वजह से शरीर का व्यायाम न करने की ग़लती के लिए तो मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं, कहाँ से यह ग़लत ख़्याल मेरे दिमाग में घुस गया था कि पढ़ाई में सुन्दर लिखावट की जरूरत नहीं है जो विलायत जाने तक बना रहा। बाद को और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब वकीलों के, और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े हुए नवयुवकों के, मोती के दानों के-से अक्षर देख तब मैं लजाया और पछताया। मैंने समझा कि ख़राब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी माने जाने चाहिए। पीछे मैंने अपने अक्षर सुधारने की कोशिश की, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है? युवावस्था में जिसकी अवहेलना की, उसे आज तक न कर पाया। प्रत्येक युवक और युवती को मेरे उदाहरण से यह सबक लेना चाहिए कि अच्छे अक्षर लिखना विद्या का आवश्यक अंग है। सुन्दर लिखावट सीखने के लिए चित्रकला का ज्ञान आवश्यक है। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बालकों को चित्रकला पहले सिखलानी चाहिए। जैसे, पक्षी, वस्तु आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता और सहज ही पहचान सकता है वैसे ही अक्षर पहचानना भी सीखे और चित्रकला सीख कर चित्र आदि बनाना सीख लेने के बाद अक्षर लिखना सीखेगा तो उसके अक्षर छापे जैसे होंगे।

मंदबुद्धि: कमजोर बुद्धि का, दरख़्वास्त: प्रार्थना पत्र, जुर्माना: दंड।

बोध प्रश्न

आपने गांधीजी की आत्मकथा का उपर्युक्त अंश ध्यान से पढ़ा होगा। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 गांधीजी को कसरत में अरुचि क्यों थी?
   क) वे शारीरिक रूप से कमजोर थे।
   ख) वे पिताजी की सेवा करना चाहते थे।
   ग) उनका विचार था कि कसरत का शिक्षण से कोई संबंध नहीं है।
   घ) वे कसरत से डरते थे। ( )

2 बचपन में गांधीजी का लिखावट के बारे में क्या विचार था।
   क) पढ़ाई में सुंदर लिखावट जरूरी नहीं है।
   ख) सुंदर लिखावट के बिना शिक्षा अधूरी है।
   ग) सुंदर लिखावट पर ध्यान देने से पढ़ाई में पिछड़ जाना पड़ता है।
   घ) सुंदर लिखावट से अध्यापक पर कोई असर नहीं पड़ता। ( )

3 पढ़ाई के दौरान विवाह होने से गांधीजी को क्या नुकसान उठाना पड़ा।
   क) वे पढ़ाई में कमजोर हो गये।
   ख) उनका एक साल खराब हो गया।
   ग) वे स्कूल जाने से कतराने लगे।
   घ) कोई फर्क नहीं पड़ा। ( )

पढ़ाई की मुश्किलें

इस समय की पढ़ाई के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय हैं। विवाह के कारण जो एक साल खराब हो गया था, दूसरे दर्जे में मास्टर ने उसे बचा लेने का मुझसे उद्योग कराया। परिश्रमी विद्यार्थी को इसकी इजाजत उन दिनों मिल जाती थी। इससे तीसरे दर्जे में छः महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों के पहले के इम्तहान के बाद मैं चौथे दर्जे में ले लिया गया। यहाँ से कई विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी, के द्वारा शुरू होती थी। मैं कुछ समझ ही न सकता था। अंग्रेजी में पढ़ाये जाने की वजह से मैं उसे बिलकुल ही न समझ पाता था। रेखागणित के अध्यापक समझाने वाले अच्छे थे, पर मेरे दिमाग़ में कुछ घुसता ही न था। अक्सर मैं निराश हो जाता। कभी-कभी सोचता कि दो दर्जे साल भर में पास करने का इरादा छोड़ दूँ और तीसरे दर्जे में लौट जाऊँ, पर इसमें मेरी लाज जाने के साथ ही जिस शिक्षक ने मेरी श्रम-शीलता पर विश्वास करके दर्जा चढ़ाने की सिफ़ारिश की थी, उसकी भी लाज जाती। इस डर से नीचे उतरने का विचार त्याग दिया। कोशिश करते-करते जब मैं रेखागणित की तेरहवीं प्रमेय तक पहुँचा तो यकायक मुझे जान पड़ा कि यह तो आसान-से-आसान विषय है। जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, उसमें कठिनाई की क्या बात है? इसके बाद तो हमेशा रेखागणित मेरे लिए आसान और रोचक विषय रहा।

संस्कृत का अध्ययन

संस्कृत मेरे लिए रेखागणित की अपेक्षा अधिक कठिन सिद्ध हुई। रेखागणित में कुछ रटना नहीं पड़ता, पर संस्कृत में तो मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का ही था। यह भी चौथी कक्षा से चली थी। छठे दर्जे में मैं हिम्मत हार गया। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। उन्हें विद्यार्थियों को बहुत-सा पढ़ा देने का लोभ था। संस्कृत और फारसी के दर्जों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता-सी थी। फारसी के मौलवी साहब नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें किया करते कि फारसी तो बहुत सहज है और उसके अध्यापक बड़े सज्जन हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं उतने से ही निबाह लेते हैं। आसान सुनकर मैं भी ललचाया और एक दिन फ़ारसी के दर्जे में जा बैठा। संस्कृत-शिक्षक को यह अखरा। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, "तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो। अपने धर्म की भाषा नहीं सीखोगे? अपनी कठिनाई मुझसे कहो। मैं तो चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीख लें। आगे चलने पर तो उसमें रस-ही-रस है। तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम फिर मेरे दर्जे में आ जाओ।" मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर मास्टर की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत उस समय मैंने पढ़ी उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों में जो रस ले सकता हूँ वह न ले पाता। मुझे तो संस्कृत न पढ़ सकने का पछतावा होता है, क्योंकि आगे चलकर मेरे ध्यान में यह बात आई कि किसी भी हिन्दू बालक को संस्कृत के अच्छे अभ्यास से वंचित नहीं रहना चाहिए।

गांधीजी का भाषा संबंधी दृष्टिकोण

आज तो मैं यह मानता हूँ कि भारत वर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में अपनी भाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की संख्या से डरने का कारण नहीं है। यदि भाषाएँ ढंग से सिखाई जाएँ और सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ने समझने का बोझ हम पर न हो तो उपर्युक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप न होगी, बल्कि उनमें बहुत रस मिलेगा।

उसके सिवा एक भाषा शास्त्रीय पद्धति से सीख लेने वाले के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। सच पूछिए तो हिन्दी, गुजराती और संस्कृत की एक भाषा में गणना की जा सकती है। उसी प्रकार फ़ारसी और अरबी को एक माना जा सकता है। फ़ारसी यद्यपि संस्कृत के निकट है और अरबी हिब्रू के, फिर भी दोनों इस्लाम के उदय के बाद विकसित हुई हैं। इससे दोनों में निकट का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी के ही हैं। अच्छी उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी जानना जरूरी है, वैसे ही जैसे अच्छी गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ध्यान से दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

4 रेखागणित में गांधीजी को सफलता कैसे प्राप्त हुई।
क) गांधीजी ने रेखागणित के लिए ट्यूटर रख लिया।
ख) गांधीजी ने रेखागणित विषय छोड़ दिया।
ग) गांधीजी ने रेखागणित की प्रमेयों को रट लिया।
घ) गांधीजी ने साहसपूर्वक रेखागणित का अध्ययन जारी रखा।

( )

5 गांधीजी ने संस्कृत की जगह फ़ारसी की कक्षा में बैठने का निर्णय क्यों लिया?
क) संस्कृत में रटना अधिक पड़ता था।
ख) फ़ारसी भाषा के अध्यापक सज्जन थे।
ग) संस्कृत के अध्यापक सख्त थे।
घ) उपर्युक्त सभी कारण सही हैं।

( )

6 गांधीजी उच्च शिक्षा में किन-किन भाषाओं को सिखाये जाने के पक्षधर थे? एक पंक्ति में उत्तर दीजिए।

....

7 संस्कृत के अध्ययन से गांधीजी को क्या लाभ हुआ?

....

8 गांधीजी की दृष्टि में एक भाषा सीख लेने के बाद दूसरी भाषाएँ सीखना कठिन क्यों नहीं है?

....

....

17.3 आत्मकथा की अंतर्वस्तु

आपने गांधीजी की आत्मकथा का उपर्युक्त अंश ध्यान से पढ़ा होगा। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है जिसमें वह स्वयं अपना चेहरा देखता है। आत्मकथा लिखते हुए लेखक को अपने ही प्रति निर्मम होना पड़ता है। वह अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं। वह जीवन के प्रत्येक पक्ष को, जिनका सामाजिक महत्व है, ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर देता है। उसके लिए कोई भी घटना छोटी या बड़ी नहीं होती। घटना का महत्व, जीवन पर उसके प्रभाव से होता है।

गांधीजी की आत्मकथा का महत्व इसलिए है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालती है जिसने अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से और अपने आदर्शों से पूरे देश को प्रभावित किया था। जिसने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। लेकिन महान्-से-महान् व्यक्ति भी अचानक महान् नहीं बनता। अपने आप से, अपने परिवार, समाज और अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव और हर व्यक्ति से वह सीखता है। गांधीजी के जीवन के जिस प्रसंग को इस इकाई में सम्मिलित किया गया है, वह उनकी किशोर अवस्था के समय के जीवन पर प्रकाश डालता है। स्कूली शिक्षा के दौरान के अपने जीवनानुभवों को बताते हुए गांधीजी कहीं भी अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं। वे लगातार उनसे सीखते जाते हैं और उन्हें सुधारते जाते हैं। ये प्रसंग साधारण से लग सकते हैं, लेकिन उससे स्वयं गांधीजी ने जो सीखा या गांधीजी के व्यक्तित्व के जिस पहलू पर ये रोशनी डालते हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

गांधीजी का विवाह उस समय कर दिया गया था, जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि उनकी एक साल की पढ़ाई खराब हो गयी। बाल विवाह के कारण उनके भाई की शिक्षा पर और भी बुरा असर हुआ। इस तरह जीवन का यह प्रसंग उन्हें यह सिखा गया कि छोटी उम्र में किया गया विवाह न तो व्यक्ति के लिए न ही समाज के लिए हितकर है।

स्कूल में शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। उस समय गांधीजी की धारणा थी कि शारीरिक व्यायाम का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। गांधीजी ने अपने सोच की इस गलती को स्वीकार किया है और इस बात पर बल दिया है कि मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, गलत समझे जाने की पीड़ा।

एक बार वे समय पर व्यायाम की कक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने देरी का कारण सही-सही बता दिया लेकिन गांधीजी की बात पर विश्वास नहीं किया गया और उन पर जुर्माना कर दिया गया। गांधीजी को इससे मानसिक वेदना हुई। दुःख उन्हें जुर्माने का नहीं था, दुःख था उन्हें झूठा समझे जाने का। गांधीजी ने अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है:

"कसरत के लिए जब पहुँचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन जब गीमी साहब ने हाज़िरी देखी तो मैं गैर हाज़िर निकला। मुझसे वजह पूछी गयी। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे सही नहीं माना और मुझ पर एक या दो आना (ठीक याद नहीं कितना) जुर्माना हुआ। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुःख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ यह कैसे साबित करूँ? कोई उपाय नहीं था। मन मसोस कर रह गया। रोया।"

यह छोटा-सा प्रसंग गांधीजी के व्यक्तित्व को समझने में हमारी काफी मदद करता है। सच्चाई के प्रति ऐसी सच्ची ललक और वह भी इतनी छोटी उम्र में कितना मुश्किल है। गांधीजी ने सच्चाई को अपने जीवन में जो ऊँचा स्थान दिया, उसका कारण हम बचपन की इन घटनाओं से समझ सकते हैं। इस सच्चाई ने उन्हें इतनी ताकत दी कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से बेखौफ़ होकर लड़ सके।

रेखागणित वाला प्रसंग गांधीजी के व्यक्तित्व के एक और पहलू पर प्रकाश डालता है। जब चौथे दर्जे में अंग्रेजी माध्यम से कई विषयों की पढ़ाई शुरू हुई तो गांधीजी को उन्हें समझने में काफी कठिनाई आई। रेखागणित में तो विशेष रूप से मुश्किल हुई। चूँकि गांधीजी पढ़ाई में मेधावी छात्र समझे जाते थे, इसलिए एक अध्यापक की सिफारिश पर उन्हें तीसरे दर्जे में छह महीने तक पढ़ने के बाद चौथी कक्षा में प्रवेश मिल गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वे सफलतापूर्वक चौथा दर्जा पास कर लेंगे। लेकिन रेखागणित ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। वे इतना निराश हुए कि उनकी इच्छा पुनः तीसरे दर्जे में चले जाने की हुई। लेकिन अध्यापक के विश्वास को बनाये रखने तथा दूसरों के सामने लज्जित होने के डर ने उन्हें लगातार प्रयत्न के लिए प्रेरित किया और इस कोशिश का सुखद परिणाम निकला। आखिरकार उन्होंने रेखागणित को समझने की कुंजी पा ली। यह घटना बताती है कि गांधीजी में अदम्य संकल्प शक्ति थी। इसलिए वे निराशा के बावजूद साहस नहीं छोड़ते थे। जीवन में सफलता के लिए संकल्प, साहस और प्रयत्न का कितना महत्व है, हम इस घटना से समझ सकते हैं।

संस्कृत वाली घटना उनके उदारतावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। संस्कृत को पढ़ने में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद वे संस्कृत पढ़ते रहे। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के महत्व को वे स्वीकार करते थे और उनका विचार था कि अधिक-से-अधिक भाषाएँ सीखी जानी चाहिए।

गांधीजी के जीवन की इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अपने जीवन के प्रसंगों को लिखते हुए कहीं भी वे ईमानदारी और सच्चाई को नहीं त्यागते। अगर किसी घटना के वर्णन से उनके जीवन का नकारात्मक पक्ष उजागर होता है तो उसे भी कहने में संकोच नहीं करते थे। गांधीजी की आत्मकथा पूरी पढ़ने से हम इस बात को और अधिक सही ढंग से समझ सकते हैं। गांधीजी आत्मकथा द्वारा न तो आत्म प्रशंसा करते हैं न आत्मदया उपजाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को भी इस ढंग से लिखा है जैसे किसी और के बारे में लिख रहे हों। छोटी-से-छोटी घटना का वर्णन करते हुए भी उसमें निहित सामाजिक और नैतिक पक्ष उनकी आँखों से ओझल नहीं होते। इसी कारण से वे सुंदर लिखावट और व्यायाम पर इतना ज़ोर देते हैं। गांधीजी की आत्मकथा के इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि आत्मकथा में महत्वपूर्ण उसके वर्णित प्रसंग नहीं होते, उन प्रसंगों में निहित लेखकीय दृष्टि होती है जो उस प्रसंग के सामाजिक अर्थ को खोलती है।

17.4 चरित्र विश्लेषण

'आत्मकथा' के केंद्र में स्वयं आत्मकथाकार होता है। वह स्वयं अपने चरित्र को उजागर करता है। अपने चरित्र के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है जो समाज के सामने नहीं आये हैं। अपने कार्यों, विश्वासों और उसूलों का अपने जीवन के संदर्भ में विश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया में वह उन लोगों के जीवन पर भी रोशनी डालता है जो उसके संपर्क में आये हैं, या वह स्वयं जिनके संपर्क में आया है।

आत्मकथाकार के लिए जरूरी है कि वह अपने चरित्र का सच्चा चित्रण करे। अगर वह अपने चरित्र को वैसा पेश करना चाहता है, जैसा कि उसकी इच्छा है कि लोग उसे समझें, तो वह केवल ऐसे प्रसंगों को उजागर करेगा जो उसके मनोगत व्यक्तित्व के अनुकूल हों। तब वह अपने कार्यों का वस्तुगत विश्लेषण करने की बजाय उन्हें न्यायोचित ठहराने की कोशिश करेगा। तब वह स्वयं अपना वकील और अपना न्यायाधीश हो जाएगा।

गांधीजी की आत्मकथा में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व पर कहीं भी पर्दा डालने की कोशिश नहीं की है। उनकी आत्मकथा में कई ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हें वे आसानी से छुपा सकते थे, लेकिन तब उनके जीवन के कमजोर पक्ष हमारे सामने नहीं आते और हम गांधीजी के आत्मसंघर्ष को भी नहीं समझ सकते थे, जिनसे गुजरकर ही वे महात्मा बने, राष्ट्रपिता कहलाये।

अगर हम पठित अंशों को ही लें तो हमें गांधीजी के व्यक्तित्व के कई रोशन पक्ष दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही यह भी कि उनके पीछे उनकी इच्छा शक्ति, गलतियाँ करने और उन्हें स्वीकारने का साहस तथा जीवन से कुछ-न-कुछ सीखते रहने की कोशिश दिखाई देती है।

गांधीजी की आत्मकथा से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने सिद्धांत सिर्फ़ किताबों से ग्रहण नहीं किये थे। उन्होंने ज़िंदगी से सीखा, गलतियाँ करके सीखा। लेकिन निरंतर उनकी दृष्टि आगे की ओर बनी रही। वे दुःखी हुए, निराश हुए, उन्हें क्रोध आया, वे झूठ बोले, उन्होंने धोखा दिया। लेकिन कमज़ोरियों को सहजता से अपने व्यक्तित्व का अंग नहीं बनने दिया। अपने क्षुद्र लाभ

के लिए मिथ्या से समझौता नहीं कर लिया। अपनी और अपने समाज की दुर्बलताओं के विरुद्ध वे लगातार संघर्ष करते रहे।

बचपन से ही गांधीजी में यह भावना थी कि उन्हें झूठा न समझा जाए। उनके चाल-चलन पर कोई उँगली न उठाये। इसके लिए वे बहुत सजग रहते थे। इसलिए यह कोशिश करते थे कि उनसे कोई ग़लत काम न हो ताकि लोगों को कुछ कहने का मौका न मिले। अपने आचरण के प्रति इस सजगता का ही परिणाम था कि सच बोलना उनके स्वभाव का अंग बन गया। इसीलिए झूठा समझे जाने पर उन्हें दुःख होता था। गांधीजी के व्यक्तित्व का यह एक ऐसा गुण है जिसका चरम उत्कर्ष हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देख सकते हैं।

गांधीजी विद्यार्थी के लिए सिर्फ बौद्धिक विकास को पर्याप्त नहीं समझते थे, शारीरिक विकास का भी उतना ही महत्व मानते थे। यद्यपि वे स्वयं शारीरिक व्यायाम की ओर सजग नहीं रहे। लेकिन उन्होंने बचपन से ही घूमने की आदत डाल ली। इससे उनका शरीर तो स्वस्थ रहा ही। आगे के जीवन में राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में उनकी इस भ्रमण प्रवृत्ति ने बड़ी सहायता की। गांधीजी में नैतिक शक्ति बड़ी प्रबल थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रत्येक कार्य करने से पहले वे यह जरूर सोचते थे कि उसे करना नैतिक दृष्टि से उचित है या नहीं। अगर वे उसके नैतिक पक्ष से आश्वस्त नहीं होते तो उसको करने में उनका उत्साह नहीं रहता था।

गांधीजी का यह भी विश्वास था कि प्रत्येक कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। कार्य के किसी पक्ष को नगण्य नहीं समझना चाहिए। सुंदर लिखावट पर जोर देने के पीछे उनका यही दृष्टिकोण दिखाई देता है। वस्तुतः इस तरह की सजगता व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है।

अधिक-से-अधिक भाषाएँ सीखने पर बल देना उनके उदारतावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। संस्कृत के ज्ञान के महत्व को समझते हुए भी, वे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के महत्व को भी समान महत्व देते थे। भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण उनकी जीवन दृष्टि के ही अनुकूल था और यह उनके व्यक्तित्व के अनुकूल भी था।

गांधीजी को सेवा भावना भी संस्कार रूप में प्राप्त हुई थी। अपने पिता की सेवा करना प्रायः कर्तव्य भावना से ही होता है किंतु गांधीजी की तीव्र इच्छा रहती थी कि वे पिता की सेवा कर सकें। यह कर्तव्य-भावना से अधिक ऊँची बात थी। इसने उन्हें सभी दुःखी और उत्पीड़ित लोगों की सेवा की ओर प्रेरित किया और इसी कारण उन्हें बाद में "दरिद्र नारायण" भी कहा जाने लगा।

इस तरह गांधीजी की आत्मकथा के उपर्युक्त अंश से उनके व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू उजागर होते हैं।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

9 गांधीजी जुर्माना किये जाने से क्यों दुःखी हुए?
 क) गांधीजी का अपमान हुआ था।
 ख) गांधीजी को झूठा समझे जाने का दुःख था।
 ग) गांधी के पिता इससे नाराज हुए थे।
 घ) गांधी के पास जुर्माना भरने के लिए पैसा नहीं था।

( )

10 गांधीजी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण से उनके व्यक्तिव की कौन-सी विशेषता प्रकट होती है।
 क) नैतिक साहस।
 ख) संकल्प शक्ति।
 ग) उदारता।
 घ) भाषा-क्षमता।

( )

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

11 "..................*अपने चाल-चलन की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। आचरण में दोष आने से तो मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो या शिक्षकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें मेरी भर्त्सना करनी पड़े, यह मेरे लिए असह्य था।*" गांधीजी के उपर्युक्त कथन को व्यक्त करने वाले प्रसंग को अपने शब्दों में लिखिए। (सिर्फ़ पाँच पंक्तियों में)

....

....

....

....

....

2 पिता की सेवा करने की इच्छा से गांधीजी के व्यक्तित्व का कौन-सा पहलू उजागर होता है। तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए

....

....

....

3 गांधीजी ने 'आत्मकथा' में अपने व्यक्तित्व को किस दृष्टि से प्रस्तुत किया। तीन पंक्तियों में लिखिए।

....

....

....

4 गांधीजी के व्यक्तित्व की कोई तीन विशेषताएँ बताइए जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं।

....

....

....

17.5 परिवेश

'आत्मकथा' में लेखक सिर्फ अपने बारे में ही नहीं लिखता, अपने देश-काल के बारे में भी लिखता है। आत्मकथा से हमें पता लगता है कि उस समय का परिवेश किस तरह का था, उस समय के हालात कैसे थे और वे कौन-सी समस्याएँ थीं, जिनका सामना लोगों को करना पड़ता था। गांधीजी ने 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से 20वीं सदी के आरंभिक दो दशकों के हालात का अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। उस समय भारत पराधीन था। कई तरह की कुरीतियाँ भारतीय समाज में व्याप्त थीं। इनमें बाल विवाह भी एक कुरीति थी। इसी के कारण गांधीजी का विवाह जल्दी कर दिया गया। अंग्रेजी राज्य के कारण शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेज़ी था। इस कारण विभिन्न विषयों को समझने में काफी कठिनाई होती थी। गांधीजी की आत्मकथा के जिस अंश को आपने पढ़ा है उससे उस समय की स्कूली शिक्षा की जानकारी मिलती है। स्कूल में अनुशासन, अध्यापकों और छात्रों का संबंध आदि विभिन्न बातें मालूम होती हैं।

गांधीजी की आत्मकथा के अन्य अंशों से न सिर्फ़ हमारे राष्ट्र बल्कि विश्व के उस समय के हालात पर भी प्रकाश पड़ता है। गांधीजी में राष्ट्र प्रेम की भावना कैसे प्रज्वलित हुई। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने कैसे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना सीखा। अहिंसा को उन्होंने कैसे अपने संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा बनाया। इन सबका प्रामाणिक और अनुभव सिद्ध उल्लेख गांधीजी की आत्मकथा से मिलता है। सच्चाई यह है कि गांधीजी की आत्मकथा सिर्फ़ महात्मा गांधी की निजी जिंदगी का वर्णन नहीं है, उसमें उस समय के हालात का भी वैसा ही जीवंत चित्रण है।

17.6 संरचना शिल्प

'आत्मकथा' की शैली घटनाओं के प्रति लेखक की दृष्टि से तय होती है। आत्मकथाकार के सामने उद्देश्य सामाजिक सोद्देश्यता का होता है तो वह घटनाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर वर्णित करता है। जब उद्देश्य मन के अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत करना होता है तो उसकी रुचि मानसिक द्वंद्व के चित्रण की ओर अधिक होती है। जब लेखक आत्म प्रशंसा से प्रेरित होता है तो वह घटनाओं को अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से विचार करें तो महात्मा गांधी की यह आत्मकथा सामाजिक सोद्देश्यता से प्रेरित होकर लिखी गयी है। इसलिए इसकी शैली में वस्तुपरकता एवं विश्लेषणात्मकता का गुण विद्यमान है। यद्यपि गांधीजी ने घटनाओं का कालानुक्रम में वर्णन किया है, लेकिन वर्णन में घटनाओं के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखा गया है। इसलिए गांधीजी किसी घटना का वर्णन करने के साथ-साथ उसकी सामाजिक सार्थकता या उपादेयता पर अवश्य प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर लिखावट क्यों जरूरी है? व्यायाम के क्या लाभ हैं? घूमने की आदत क्यों अच्छी है? यानी कि छोटी-छोटी बातों का वर्णन करते हुए भी उनके सामने उसका सामाजिक पक्ष अवश्य रहता है।

गांधीजी घटनाओं का वर्णन करते हुए उसके सूक्ष्म ब्यौरों में भले ही न जाते हों, लेकिन घटना का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छूटने पाता जो उसको समझने के लिए जरूरी है। दूसरे, इससे वह घटना या प्रसंग प्रामाणिक और प्रभावशाली रूप में सामने आता है।

गांधीजी ने यह आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। आपने आत्मकथा का हिंदी अनुवाद पढ़ा है। इसलिए इसकी भाषा पर यहाँ विस्तार से कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन इस अनुवाद से भी यह स्पष्ट है कि गांधीजी ने अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कहा है। प्रत्येक प्रसंग के एक-एक पक्ष को स्पष्ट करते हुए उसका वर्णन किया गया है। कहीं भी उलझाव

या झिझक नहीं है। लेखक को मालूम है कि उसे क्या कहना है और किस रूप में कहना है। अपने विचारों, आदर्शों और अनुभवों, के प्रति लेखक का दृष्टिकोण अत्यंत परिपक्व है। इसलिए पढ़ते हुए हमें कहीं नहीं लगता कि गांधीजी को किसी तरह की दुविधा हो। यह उनके आत्मविश्वास का परिचायक है।

गांधीजी की आत्मकथा अत्यंत रोचक भी है। भाषा की सहजता और सरलता, वर्णन में आत्मीयता और विश्वसनीयता उनके लेखन की खास विशेषता है। गांधीजी भाषा या शैली का चमत्कार पैदा करने की कोशिश नहीं करते, न ही दार्शनिक ऊहापोह में फंसते हैं। इससे उनकी आत्मकथा को साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है।

17.7 प्रतिपाद्य

कोई भी आत्मकथा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती कि उसमें उस युग के किसी महान् व्यक्ति का जीवन-चरित्र वर्णित होता है बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उससे हजारों-हजार लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। क्या आपके मन में यह सवाल उत्पन्न नहीं होता कि आखिर महान् व्यक्ति की महानता का क्या रहस्य है? उन्होंने समाज में वह स्थान कैसे हासिल किया।

अगर हम महात्मा गांधीजी की आत्मकथा का अध्ययन करें तो इस बात को समझ सकते हैं। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा को "सत्य के प्रयोग" कहा था। उनकी इच्छा थी कि उनके प्रयोगों से जनता परिचित हों। वे मानते थे कि उनके प्रयोगों के पीछे आत्मा की शक्ति है, धर्म की शक्ति है। धर्म का अर्थ उनकी दृष्टि में था नीति। उन्हीं के शब्दों में, *"आत्मा की दृष्टि से पाली गयी नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मे तटस्थ भाव से, निरभिमान रहकर लिख सकूँ तो, उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी।"*

'आत्मकथा' में 'प्रस्तावना' के अंतर्गत लिखी गयी इस बात में गांधीजी की आत्मकथा का उद्देश्य छिपा है। गांधीजी के सामने सब से बड़ा प्रश्न यह था कि क्या नैतिकता में वह शक्ति है जो हर तरह के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सकती हो। गांधीजी इस नैतिक शक्ति को "सत्य" कहते थे और इसी के द्वारा वे जीवन भर अन्याय और उत्पीड़न का विरोध करते रहे। गांधीजी की इच्छा थी कि जन साधारण अपने अंदर की नैतिक शक्ति को पहचाने और उसके बल पर अन्याय का विरोध करें। नैतिकता की ताकत में यही विश्वास उनकी आत्मकथा में भी व्यक्त हुआ है। एक ओर जहाँ आत्मकथा से हमें उनके उस संघर्ष की प्रामाणिक जानकारी मिलती है जिसे उन्होंने सत्य के प्रयोग कहा है, दूसरी ओर नैतिकता में इसी विश्वास ने उन्हें एक ऐसी आत्मकथा लिखने को प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सच्चाइयों को बेबाक होकर पेश किया।

गांधीजी की आत्मकथा पढ़ने से हमें कई तरह के संदेश प्राप्त होते हैं। हम सच्चाई के महत्व को समझ सकते हैं। हम यह भी जान जाते हैं कि छोटी-छोटी बातों का भी जिंदगी में कितना महत्व होता है। जिंदगी में किसी तरह की गफ़लत नुकसानदेह है। एक विद्यार्थी के तौर पर भी हम गांधीजी की आत्मकथा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने से कोई भी विषय कठिन नहीं रहता। लेकिन सिर्फ़ पढ़ते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है। फिर सभी भाषाओं से लगाव और ज़्यादा-से-ज़्यादा जानने की कोशिश का महत्व भी हम समझ सकते हैं। सुंदर लिखावट का क्या महत्व है, इसे भी हम गांधीजी की आत्मकथा से सीख सकते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि गांधीजी की आत्मकथा से हमें जहाँ एक ओर उनके जीवन का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर हमें उनकी महानता के रहस्य का भी पता लगता है। हम 'आत्मकथा' के द्वारा गांधीजी की शक्ति और उनके आदर्शों को पहचानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं अपने जीवन को अधिक सोद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

11 क) गांधीजी ने जब 'आत्मकथा' लिखी तब देश की राजनीतिक दशा कैसी थी?

....

ख) गांधीजी की आत्मकथा के जिस अंश को आपने पढ़ा है, उससे किस तरह के हालात पर प्रकाश पड़ता है? (एक पंक्ति में)

....

....

ग) गांधीजी की 'आत्मकथा' की शैलीगत विशेषता बताइए। (तीन पंक्तियों में)

....

....

....

घ) गांधीजी प्रसंगों और घटनाओं का वर्णन कैसे करते हैं? (दो पंक्तियों में)

....

....

....

ङ) "सत्य के प्रयोग" से गांधीजी का क्या तात्पर्य था? स्पष्ट कीजिए। (तीन पंक्तियों में)

....

....

....

अभ्यास

5 गांधीजी की आत्मकथा के जिस अंश को आपने पढ़ा है उससे क्या-क्या शिक्षा मिलती है? पाँच पंक्तियों में लिखिए।

क) ....

ख) ....

ग) ....

घ) ....

ङ) ....

17.8 सारांश

- इस इकाई में आपने "आत्मकथा" नामक गद्य विधा से परिचय प्राप्त किया है। 'आत्मकथा' में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन-वृतांत को प्रस्तुत करता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्वयं आत्मकथा की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- आपने महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' का एक अंश पढ़ा, जिसमें उन्होंने स्कूल के जीवन का वर्णन किया है। अब आप स्वयं गांधीजी के जीवन के उन प्रसंगों का महत्व बता सकते हैं।
- गांधीजी महापुरुष थे। उनकी आत्मकथा से हमें उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी मिलती है। उन प्रसंगों से उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएँ हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। पठित अंश के आधार पर गांधीजी के व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ बता सकते हैं।
- गांधीजी ने आत्मकथा सामाजिक सोद्देश्यता से प्रेरित होकर लिखी है। पठित अंश से हम सच्चरित्रता, शिक्षा और व्यायाम, सुंदर लिखावट तथा भाषा के महत्व से परिचित होते हैं। आप गांधीजी की आत्मकथा के पठित अंश के आधार पर उससे मिलने वाली शिक्षा का अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं।

17.9 उपयोगी पुस्तक

गांधी, मोहनदास करमचंद: **सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा,** नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

17.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 ग	2 क	3 ख
4 घ	5 घ	

6 गांधीजी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओं को सिखाये जाने के पक्षधर थे।

7 संस्कृत सीखने से वे संस्कृत में लिखे ग्रंथों का आनंद ले सकें।

8 गांधीजी का विचार था कि अगर एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से अर्थात् व्याकरण के सही नियमों के अनुसार सीखा जाये तो दूसरी भाषाएँ भी आसानी से सीखी जा सकती हैं।

9 ख 10 ग

11 क) तब देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था।

ख) उससे गांधीजी की किशोर अवस्था के समय की स्कूली शिक्षा का परिचय मिलता है।

ग) गांधीजी ने आत्मकथा को सामाजिक सोद्देश्यता की दृष्टि से लिखा। इसलिए उसमें तटस्थता, वस्तुपरकता एवं विश्लेषणात्मकता का गुण है। इसमें प्रसंगों को सामाजिक महत्व की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

घ) गांधीजी प्रत्येक प्रसंग को सामाजिक हित की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। वे यह देखते हैं कि उससे क्या शिक्षा मिलती है। वे अपनी दुर्बलता पर पर्दा नहीं डालते।

ङ) गांधीजी प्रत्येक घटना को नैतिक दृष्टि से देखते थे अर्थात् वह जो कर रहे हैं, क्या वह सबके लिए हितकर है। अगर वह सबके लिए हितकर है तो उसका नैतिक मूल्य है। यही उनकी दृष्टि में सत्य का प्रयोग था।

अभ्यास

1 गांधीजी एक बार समय पर व्यायाम करने के लिए स्कूल नहीं पहुँच सके। उन्होंने अध्यापक को समय पर नहीं पहुँच पाने का कारण बता दिया परंतु उनके कारण को सही नहीं माना गया और उन पर जुर्माना कर दिया गया। गांधीजी को इस बात से बहुत दुःख हुआ कि सत्य कहने पर भी उन्हें झूठा समझा गया। उनके सामने अपने को सत्य सिद्ध करने का कोई उपाय भी नहीं था इससे उन्हें इतना दुःख हुआ कि वे रो पड़े।

2 पिता की सेवा-भावना प्रायः कर्तव्य भावना से की जाती है। किंतु गांधीजी पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यह कर्तव्य भावना से ज्यादा बड़ी बात थी। गांधीजी के इसी संस्कार ने उन्हें बाद में गरीबों व उत्पीड़ितों की सेवा को प्रेरित किया।

3 गांधीजी ने अपने व्यक्तित्व पर कहीं भी पर्दा नहीं डाला। अपनी गलतियों को उजागर किया और उन्हें स्वीकार किया और अपनी नैतिक ताकत द्वारा अपने व्यक्तित्व को समाज के लिए हितकर बनाया।

4 इस प्रश्न का उत्तर स्वयं विचार कर लिखिए।

5 क) व्यक्ति को आचरण के प्रति सजग रहना चाहिए।

ख) सत्य पर अडिग रहना चाहिए।

ग) लगातार प्रयत्न से कठिन-से-कठिन समस्या भी सुलझ जाती है।

घ) शारीरिक व्यायाम को भी शिक्षा जितना ही महत्व देना चाहिए।

ङ) सुंदर लिखावट पर ध्यान देना चाहिए।

इकाई 18 कविताएँ

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 सूरदास
18.2.1 काव्य-वाचन
18.2.2 भाव पक्ष
18.2.3 संरचना शिल्प
18.2.4 प्रतिपाद्य
18.2.5 संदर्भ सहित व्याख्या
18.3 तुलसीदास
18.3.1 काव्य-वाचन
18.3.2 भाव पक्ष
18.3.3 संरचना शिल्प
18.3.4 प्रतिपाद्य
18.3.5 संदर्भ सहित व्याख्या
18.4 मैथिलीशरण गुप्त
18.4.1 काव्य-वाचन
18.4.2 भाव पक्ष
18.4.3 संरचना शिल्प
18.4.4 प्रतिपाद्य
18.4.5 संदर्भ सहित व्याख्या
18.5 सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
18.5.1 काव्य-वाचन
18.5.2 भाव पक्ष
18.5.3 संरचना शिल्प
18.5.4 प्रतिपाद्य
18.5.5 संदर्भ सहित व्याख्या
18.6 महादेवी वर्मा
18.6.1 काव्य-वाचन
18.6.2 भाव पक्ष
18.6.3 संरचना शिल्प
18.6.4 प्रतिपाद्य
18.6.5 संदर्भ सहित व्याख्या
18.7 सारांश
18.8 उपयोगी पुस्तकें
18.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

18.0 उद्देश्य

आधार पाठ्यक्रम के खंड 3 की यह अंतिम इकाई है। इसमें आप कविताओं का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी काव्य परंपरा की मुख्य प्रवृत्तियों को बता सकेंगे;
- सूरदास एवं तुलसीदास के काव्य के आधार पर भक्तिकाव्य की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- सूरदास एवं तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएँ बता सकेंगे;
- आधुनिक काव्य की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- मैथिलीशरण गुप्त के काव्य की विशेषताएँ बता सकेंगे;
- छायावाद की मुख्य विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- निराला एवं महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषताएँ बता सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम आपको कुछ कविताएँ वाचन के लिए दे रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा की कुछ कविताओं के माध्यम से आप हिंदी की भक्तिपरक और आधुनिक कविताओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी कविताओं का विस्तृत अध्ययन आप ऐच्छिक पाठ्यक्रम-2 में करेंगे।

कविता आरंभ से ही साहित्य की महत्वपूर्ण विधा रही है। कविता के माध्यम से कवि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। कविता पद्यबद्ध होती है, लेकिन गद्य और पद्य किस बिंदु पर अलग-अलग होते हैं यह कहना मुश्किल है। लय को पद्य का मूल तत्व माना जाता है किंतु लयबद्ध होने से ही कोई रचना कविता नहीं हो जाती। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि किसी भी रचना में भावावेग, कल्पना और लालित्य (सौंदर्य) हो तो उसे कविता कहा जा सकता है।

कविता का विषय क्या हो, वह छंदोबद्ध हो या छंदमुक्त हो, उसकी भाषा बोलचाल के नज़दीक हो या आलंकारिक हो, इस पर कोई भी निर्णय देना आसान नहीं है। वस्तुतः कविता की विषयवस्तु और रचना-विधान उस युग की आवश्यकताओं से तय होते हैं। दो भिन्न-भिन्न युगों की रचनाओं के अध्ययन से आप समझ सकेंगे कि कविता की विषय वस्तु ही नहीं, उसके शिल्प और भाषा में भी अंतर आ जाता है। आगे हम हिंदी काव्य-धारा के कुछ प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन से आप उस युग की काव्य-धारा की विशिष्टता और कवियों के रचनागत वैशिष्ट्य को पहचान सकेंगे। आप कविताओं की विषय-वस्तु, भाषा, छंद और शिल्प की विशेषताओं से भी परिचित होंगे।

18.2 सूरदास

हिंदी कविता का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। इस एक हजार वर्ष में भिन्न-भिन्न तरह की कविताओं के कई दौर आये। जैसे आरंभ में वीरता, श्रृंगार, धर्म आदि विभिन्न भावों को आधार बनाकर काव्य लिखा गया। इस आरंभिक युग (1000ई॰-1350ई॰) की कविता को कोई निश्चित नाम देना संभव नहीं है। इस युग के काव्य को आदि काव्य कहा गया। बाद में भक्तिपरक रचनाओं का युग आया। इस युग में धर्म को लोक-धर्म का रूप दिया गया। इसे भक्तिकाव्य (1350ई॰-1650ई॰) कहा गया। भक्ति काव्य के बाद राजा-महाराजाओं का मन बहलाने वाला दरबारी काव्य लिखा गया। इस काव्य की विषय वस्तु सिर्फ़ शृंगार तक सीमित थी और काव्य की बनी बनायी रूढ़ियों का ही इसने पालन किया, इसलिए इसे रीति काव्य (1650ई॰-1850ई॰) कहा गया। इसके बाद आधुनिक चेतना और जीवन-मूल्यों से युक्त आधुनिक काव्य की शुरुआत हुई।

भक्ति काव्य: *जैसा कि आप जानते होंगे कि सूरदास का संबंध भक्ति-काव्य से है। ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति को भक्ति* कहते हैं। लेकिन संपूर्ण भक्ति काव्य एक-सा नहीं है। जो भक्त-कवि ईश्वर को निर्गुण-निराकार मानते थे और अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे, वे निर्गुणमार्गी भक्त कवि कहलाये। इनमें भी जिन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और पाखंड पर चोट की, उन्हें ज्ञानमार्गी कहा गया। कबीर इस धारा के प्रमुख कवि थे। जिन कवियों ने लौकिक प्रेम-कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति दी, उन्हें प्रेममार्गी कहा गया। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के प्रमुख कवि थे। जो कवि ईश्वर को सगुण और साकार मानते थे और जो यह मानते थे कि ईश्वर अवतार लेता है और अपनी लीलाओं द्वारा लोक का मंगल करता है, वे सगुणमार्गी कहलाए। इनमें कृष्ण की लीलाओं पर आधारित काव्य की रचना करने वाले ''कृष्णोपासक'' कवि कहलाए और जिन्होंने रामकथा पर आधारित काव्य की रचना की वे ''रामोपासक'' कवि कहलाए। कृष्णोपासक काव्य-धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं और रामोपासक काव्य-धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं।

जीवन परिचय: महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ और वे कहाँ पैदा हुए, आज निश्चयपूर्वक यह कहना मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुमान के अनुसार सूरदास का जन्म सन् 1483 और मृत्यु सन् 1563 के आसपास हुई होगी। सन् 1523 के आसपास वे **वल्लभाचार्य** के शिष्य बने।

रचनाएँ: सूरदास की लिखी हुई कई कृतियों का उल्लेख किया जाता है। किंतु उनकी प्रामाणिक कृतियाँ दो ही कही जाती हैं: 'सूरसागर' और 'सूरसारावली'। एक अन्य पुस्तक 'साहित्य लहरी' का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है।

पृष्ठभूमि: सूरदास भक्ति आंदोलन के दौर के कवि थे। उस काल में वीरगाथात्मक और शृंगारपरक रचनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। ईश्वरीय भक्ति से प्रेरित होकर जो रचनाएँ की जाती थीं उन्हें ही श्रेयस्कर माना जाता था। सूरदास पर आरंभ में दैन्य भक्ति (ईश्वर के प्रति अपनी दीनता व्यक्त करना) का प्रभाव था, किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर वे कृष्ण लीला के गायन की ओर उन्मुख हुए। कृष्ण लीला में भी उनका झुकाव बाल-लीला, किशोरवय से संबंधित लीलाएँ, राधा एवं गोपिकाओं से(संयोग एवं वियोग) प्रेम का वर्णन करने की ओर रहा।

18.2.1 काव्य वाचन

यहाँ हमने बाल वर्णन, विनय और वियोग (भ्रमर गीत) से संबंधित तीन पद दिये हैं। आगे आप इन पदों का वाचन करेंगे। ये पद ब्रजभाषा में हैं। इसलिए इन्हें समझने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दिये गये हैं।

बाल लीला : पहला पद बाल लीला का है। सूरदास ने कृष्ण की बाल चेष्टाओं का मनोहरी चित्रण किया है। घुटनों चलते हुए कृष्ण की बाल चेष्टाएँ, मक्खन लेने के लिए मचलते कृष्ण, अपनी क्रीडाओं द्वारा नंद और यशोदा को रिझाते और पुलकित करते कृष्ण। निम्नलिखित पद में भी कृष्ण का ऐसा ही मनोहारी रूप वर्णित हुआ है। धूल से भरे, मुख पर दही का लेप किये और हाथों में मक्खन लिए कृष्ण के इस रूप पर सूरदास स्वयं मोहित है।

सोभित कर **नवनीत**[1] लिए।
घुटुरुनि चलत **रेनु**[2]-तन-मंडित मुख **दधि**[3] लेप किए।।
चारु[4] कपोल, **लोल**[5] लोचन, **गोरोचन**[6] तिलक दिए।
लट लटकनि **मनु**[7] मत्त **मधुप**[8] गन मादक मधुहि पिए।।
कठुला[9] कंठ ब्रज **केहरि नख**,[10] **राजत**[11] रुचिर हिए।
धन्य सूर एको पल इहिं सुख, का **सत कल्प**[12] जिए।।

---

1 ताजा मक्खन 2 धूल 3 दही 4 सुंदर 5 चंचल 6 पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ जो गाय के पित्त से निकलता है। 7 मानो 8 भ्रमर 9 बच्चों को पहनायी जाने वाली माला 10 सिंह का नख 11 सुशोभित 12 सौ कल्प (पुराणों में ब्रह्मा के एक दिन को व्यक्त करने वाला शब्द)

विनय पद: सूरदास आरंभ में दैन्य भक्ति के अनुकूल पद रचते थे। दैन्य भक्ति में कवि ईश्वर के सामने अपनी दीनता का इजहार करता है। वह अपने को पापी और दीन मानता है और ईश्वर को सर्वशक्तिमान तथा कृपालु। वह ईश्वर से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। सूरसागर के इस पहले पद में भी यही भाव व्यक्त हुआ है।

चरन कमल **बंदौं**[1] हरि **राई**[2]।
जाकी[3] कृपा पंगु **गिरि**[4] लंघै, अंधे को सब कछु दरसाई।
बहिरो सुनै गूँग पुनि बोले **रंक**[5] चलै सिर **छत्र**[6] धराई।
सूरदास स्वामी करुनामय बार-बार बंदौं **तिहि**[7] **पाई**[8]।।

भ्रमर गीत: सूरसागर का महत्वपूर्ण अंश है— भ्रमरगीत। उद्धव के ज्ञान के अंहकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था, यह कहकर कि वे ज्ञान द्वारा राधा और गोपियों को विरह से मुक्त कराएँ। किंतु गोपियाँ उपदेश सुनने की बजाय उद्धव को मधुकर कहकर, उसके ज्ञान के अहंकार का मजाक उड़ाती हैं।

निरगुन[9] कौन देस को **बासी**[10]
मधुकर[11] कहि समुझाई **सौंह**[12] दै, **बूझति**[13] साँच न हाँसी।।
को है जनक, कौन है जननी, कौन **नारि**[14], को दासी।
कैसो **बरन**[15] भेस है कैसो, **केहि**[16] रस में अभिलासी।।
पावैगौ पुनि कियो आपनो जो रे, **कहैगो गाँसी**[17]।
सुनत मौन ह्वै रह्यो ठग्यो सो सूर सबै मति नासी।

---

1 प्रणाम करना 2 राजा 3 जिसकी 4 पर्वत 5 गरीब 6 राजा का छत्र 7 उनके 8 पैर 9 निर्गुण (निर्गुण - निराकार ईश्वर) 10. निवासी (रहने वाला) 11 भंवरा और उद्धव 12 सौगंध 13 समझना 14 स्त्री (पत्नी) 15 रंग 16 किस 17 गाँस या कपट की बात (चुभने वाली बात)

18.2.2 भाव पक्ष

दैन्य भाव की भक्ति: जैसा कि कहा जा चुका है सूरदास सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्णोपासक शाखा के कवि थे। उन्होंने आरंभ में विनय भावना को काव्य में प्रस्तुत किया था। **"चरन कमल बंदौ हरि राई"** सूरसागर का पहला पद है, जिसमें विनय भावना व्यक्त हुई है। सूरदास ने इस तरह के पदों में दैन्य भाव को व्यक्त किया है। **"हौं हरि सब पतितन को नायक"** अर्थात् मैं सब पतितों का नायक हूँ या **"प्रभु मैं सब पतितन को टीको"** जैसे भाव व्यक्त हुए हैं। इस तरह के पदों में सूरदास ने ईश्वर से अपनी मुक्ति की कामना की है। **"अब के नाथ, मोहि लेउ उधारि"**। क्योंकि ईश्वर बड़ा दयालु है। उसकी कृपा से अपंग भी पर्वत लाँघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है, बहरा सुनने और गूँगा बोलने लगता है। ईश्वर की कृपा से रंक भी राजा बन सकता है। सूरदास के पदों में दैन्य भाव की यह भक्ति अधिक प्रकट नहीं हुई है। जैसा कि माना जाता है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से सूरदास ने दैन्य-भक्ति का मार्ग छोड़कर सख्य भाव की भक्ति को स्वीकारा। सख्य भाव की भक्ति में ईश्वर के प्रति दीनता का प्रदर्शन नहीं किया जाता वरन् ईश्वरीय लीला का गायन किया जाता है। सूरदास ने बाद में कृष्ण की लीलाओं का गायन ही किया।

लीला गायन: कृष्ण की लीलाओं की रचना में सूरदास ने भागवत पुराण की कथाओं को आधार बनाया है। सूरदास ने मुख्य रूप से कृष्ण की बाल लीलाओं (इनमें भी बाल चेष्टाओं) राधा और कृष्ण के प्रेम, राधा और गोपिकाओं के संयोग प्रेम तथा वियोग का वर्णन किया है।

बाल लीला: बालक कृष्ण की क्रीड़ा और विविध मनमोहक चेष्टाओं का जो हृदयस्पर्शी वर्णन सूरदास ने किया है, उससे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं बाल स्वभाव के गहरे ज्ञान का पता चलता है। बालक की मनोहारी क्रीड़ाओं से माता-पिता कितने आह्लादित होते हैं, इसका भी अत्यंत स्वाभाविक चित्रण सूरदास ने किया है। हाथ में मक्खन लिए हुए कृष्ण जिनके सारे शरीर पर धूल लगी है, मुँह पर दही लिपटा हुआ है और घुटनों के बल चल रहे हैं। सूरदास ठीक ही कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर कौन धन्य नहीं हो जाएगा, इसके आगे तो सौ कल्प लंबे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है।

भ्रमरगीत: सूरदास ने राधा, गोपियों और कृष्ण के प्रेम का भी अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। यह प्रेम अचानक उदित नहीं हुआ है वरन् लंबे साहचर्य में परिपुष्ट हुआ है। यही कारण है कि गोपियों और राधा की प्रीति में जीवन की सहजता दृष्टिगोचर होती है और उसमें अधिक गहराई नज़र आती है। इसलिए उसमें मांसलता और सौंदर्य होने के बावजूद अश्लीलता नहीं है।

प्रेम के संयोग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में ही वियोग पक्ष का वर्णन देखा जाना चाहिए। सूरदास ने वियोग का चित्रण काफी हद तक परंपरा से स्वतंत्र होकर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के वियोग वर्णन की विशेषता बताते हुए लिखा है कि **"वियोग की जितनी अंतर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब सूरदास के काव्य में मौजूद हैं"** (त्रिवेणी, पृ॰ 59)। सूरदास की गोपिकाएँ चंचल स्वभाव की हैं इसलिए उनके विरह वर्णन में वेदना के साथ-साथ व्यंग्य और विनोद का पुट है, जबकि वियोग में राधा की मनोदशा को अत्यंत गंभीर, शांत और करुण चित्रित किया गया है। यही कारण है कि उद्धव के आने पर राधा उद्धव से किसी तरह की तकरार नहीं करती। निर्गुण को लेकर गोपियाँ ही उद्धव से बहस करती हैं।

सूरदास द्वारा वियोग वर्णन के अंतर्गत लिखे गये 'भ्रमर गीत' का महत्व अधिक है। कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं कि वे गोपियों को ज्ञान का उपदेश दें। कृष्ण उद्धव को इसलिए भेजते हैं क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है, और वे प्रेम व भक्ति को महत्व नहीं देते। उद्धव वहाँ जाकर निर्गुण मार्ग और अद्वैतवाद का उपदेश देते हैं। उसी समय वहाँ एक भंवरा उड़ता हुआ आता है और गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है। गोपियों को बहाना मिल जाता है और वे उस भँवरे को संबोधित कर उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हैं। इस प्रसंग में गोपियों के निश्छल प्रेम का परिचय मिलता है। उनके हृदय की सरलता और निर्मलता का स्पष्ट आभास भी होता है साथ ही कोरे ज्ञान मार्ग की सीमा भी उजागर होती है। गोपियों के तर्क बहुत सीधे-सादे और सामान्य बुद्धि से दिये गये हैं लेकिन उनमें इस सत्य की अभिव्यक्ति हुई है कि ईश्वरीय ज्ञान में अगर हृदय और प्रेम नहीं है तो उस ईश्वरीय ज्ञान का क्या मूल्य? इसी अवधारणा को सूरदास ने 'भ्रमरगीत' के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

सूरदास की मुख्य रुचि वात्सल्य, सख्य और कांताभाव में ही रही है। उन्होंने कृष्ण के जीवन के अन्य पक्षों (जैसे राक्षसों का दलन आदि) में विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए भक्ति का अर्थ था, ईश्वर का लोकरंजनकारी रूप और कवि द्वारा उस रूप का लीला गान। सूरदास की कविता की विषय वस्तु को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

18.2.3 संरचना शिल्प

गीति काव्य: सूरदास की मुख्य रचना 'सूरसागर' में यद्यपि कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का क्रमवार वर्णन मिलता है, किंतु वह प्रबंध काव्य नहीं है। वस्तुतः सूरदास की रुचि कृष्ण की कथा कहने में नहीं थी, वरन् कृष्ण की लीलाओं का गायन करने में थी। इसीलिए 'सूरसागर' का प्रत्येक पद स्वतंत्र और अपने में पूर्ण है। 'सूरसागर' को हम गीति काव्य कह सकते हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि 'सूरसागर' का प्रत्येक पद किसी न किसी राग या रागिनी पर आधारित है। सूरदास ने नाद सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अनुप्रास का सहारा कम लिया है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उन्होंने नाद सौंदर्य के लिए अनुप्रास के साथ-साथ वर्णों की नाद क्षमता और पंक्तियों की रागात्मकता का ध्यान रखा है।

काव्यभाषा का सौंदर्य: सूरदास ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। उनके यहाँ ब्रज भाषा की स्वाभाविक कोमलता है। इस कोमलता के लिए उन्होंने सहज वाक्यों, मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया है। इससे सूरदास की भाषा में लोकतत्व सुरक्षित रहा है। सूरदास ने जहाँ आवश्यक हुआ है, वहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन इससे भाषा की स्वाभाविकता में कोई बाधा नहीं आई है।

अलंकार विधान: सूरदास के यहाँ सादृश्यमूलक अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। ज्यादातर परंपरागत उपमानों का प्रयोग किया गया है। कुछ नये उपमान भी मिलते हैं। सूरदास के यहाँ अलंकारों का उपयोग वैचित्य उत्पन्न करने के लिए नहीं है वरन् कथ्य को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए है।

वाक् चातुर्य: सूरदास में सहृदयता और भावुकता तो है ही, बात कहने में चतुराई और वक्रता भी है। वे एक ही बात को भिन्न-भिन्न ढंग से कहते हैं और हर बार उसमें नवीनता का संचार कर देते हैं। सूरदास के शिल्प की विशेषता को रेखांकित करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है, *"सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानों अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा*

होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ इस शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद-पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता, कि कवि जान-बूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइये, केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अन्योक्तियों की ठाठ, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार—यहाँ तक कि एक ही चीज़ दो-दो, चार-चार, दस-दस बार तक दुहराई जाती है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं आहत नहीं हुआ।'' (हिंदी साहित्यः उद्‌भव और विकास, पृ॰ 114)

18.2.4 प्रतिपाद्य

भक्ति की प्रधानता: महाकवि सूरदास सगुण भक्ति की कृष्णोपासक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे भक्त भी थे और कवि भी। उनका उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का गायन कर अपनी भक्ति को व्यक्त करना था। इसलिए उनके काव्य में भक्ति तत्व की प्रधानता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर कृष्ण की लीलाओं के गायन की ओर उन्मुख हुए थे। वल्लभाचार्य ने ईश्वर के लीला रूप के गायन पर विशेष बल दिया था। सूरदास भक्ति के शास्त्रीय या ज्ञानपक्षीय रूप की बजाय उसके हृदय या भावपक्ष पर अधिक बल देते हैं। वे ईश्वर को एक ऐसे प्रिय के रूप में देखते हैं जिसके साथ प्रेम की समानता का संबंध है, जहाँ ऊँच-नीच नहीं वरन् तादात्म्यता है। इसे ही सख्य भाव की भक्ति कहा गया है।

लोकरंजक काव्य: सूरदास के काव्य की विशेषता यह है कि उनके यहाँ कृष्ण का रूप ऐसे ईश्वर का है जो अपनी लीला से लोकरंजन करता है। यही कारण है कि सूरदास कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए उसके मानवीय रूप को कभी नहीं भूलते। कृष्ण के प्रति राधा और गोपिकाओं के प्रेम का चित्रण करते हुए वे लोक के विधिनिषेधों की ज्यादा परवाह नहीं करते।

18.2.5 संदर्भ सहित व्याख्या

आपने सूरदास द्वारा रचित उपर्युक्त तीन पदों का वाचन और सूरदास के काव्य की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। सूरदास के साहित्य को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए इसके लिए हम उपर्युक्त तीन पदों में से एक पद की व्याख्या यहाँ दे रहे हैं। इसकी सहायता से आप अन्य पदों की व्याख्या भी कर सकते हैं।

पदः **निरगुन कौन देस को बासी।**

संदर्भ: यह महाकवि सूरदास द्वारा लिखा हुआ पद है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाने वृंदावन आते हैं और उन्हें निर्गुण-निराकार ईश्वर में विश्वास करने का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उद्धव के मत का विरोध करती हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए वे उद्धव को मधुकर (भ्रमर) कहकर संबोधित करती हैं।

व्याख्या: गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, हे मधुकर अर्थात् उद्धव, तुम हमें समझाकर कहो कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध देकर तुमसे सच-सच पूछ रही हैं, कोई हँसी नहीं कर रही है। हमें यह बताओ कि उस निर्गुण के माता-पिता कौन हैं, निर्गुण की पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? उनका रंग कैसा है अर्थात् काले हैं या गोरे? उनकी वेशभूषा कैसी है अर्थात् वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं और किस तरह के रस (आनंद) के वे इच्छुक है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी-सी देती हुई कहती हैं कि अगर तुमने कपटपूर्ण बात की अर्थात् कोई चुभने वाली बात की तो तुम जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की ये बातें सुनकर चुप हो गये और ठगे से रह गये, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गयी अर्थात् उनको कोई उत्तर नहीं सूझा।

विशेष: 1 सूरदास का यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्गुण मत के विरुद्ध गोपियों का पक्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लेकिन गोपियों के तर्कों में बौद्धिक चतुराई और दार्शनिक जटिलता नहीं है। इन पंक्तियों से गोपियों की विनोद वृत्ति, भोलापन, चपलता और सहज बुद्धि का पता चलता है।

2 यह पद ब्रजभाषा में है। इसकी भाषा परिमार्जित, सहज और स्वाभाविक है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ देशज शब्दों (गाँसी, बूझति) का भी प्रयोग हुआ है। ठगां-सा रहना मुहावरा है। ''मधुकर'' में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ मधुकर का एक अर्थ भँवरा है। दूसरा अर्थ उद्धव है क्योंकि उद्धव भी काले थे इसलिए गोपियाँ उद्धव को मधुकर कह कर संबोधित करती है।

अभ्यास

1 नीचे व्याख्या के लिए कुछ पंक्तियाँ दी गयी हैं, अत्यंत संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अपने उत्तर रिक्त स्थानों में लिखिए।

क) बहिरौ सुनै गूँग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई।

....

....

ख) चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए।

....

....

ग) धन्य सूर एको पल इहिं सुख, का सत कल्प जिए।

2 नीचे दी गई पंक्तियों की शिल्पगत विशेषताएँ बताइए।

क) चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए।
लट लटकनि मनु मत्त मधुप गन मधुहि पिए।।

ख) सुनत मौन ह्वै रहयो ठग्यो सो सूर सबै-मति नासी

बोध प्रश्न

1 नीचे दिये गये वाक्यांशों को व्यक्त करने वाले सही शब्द बताइए।

क) ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति (शृंगार/भक्ति)

ख) ईश्वर को निराकार मानना (निर्गुण मार्ग/सगुण मार्ग)

ग) लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति का काव्य (ज्ञानमार्गी काव्य/प्रेममार्गी काव्य)

2 दैन्य भाव की भक्ति का तात्पर्य क्या है, दो पंक्तियों में बताइए।

3 सूरदास के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य बताइए।

4 सूरदास की काव्यभाषा की दो विशेषताएँ बताइए।

18.3 तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाव्य की सगुण काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने मुख्यतः रामचरित को ही काव्य का विषय बनाया था, इसलिए उन्हें रामोपासक कवि कहा जाता है।

जीवन परिचय: सूरदास की तरह तुलसीदास के जीवन वृत्त को लेकर भी विवाद है। तुलसीदास का जन्म सन् 1532 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर (उत्तर प्रदेश) बताया जाता है। तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' की रचना सन् 1575 के आसपास की थी। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। सन् 1623 में उनका देहावसान हो गया था।

रचनाएँ: तुलसीदास को ख्याति दिलाने वाली प्रमुख रचना 'रामचरित मानस' है। राम की कथा पर आधारित यह महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में रचा था। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने उस समय की दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं—अवधी और ब्रज में काव्य रचना की थी। उन्होंने उस समय प्रचलित प्रायः सभी शैलियों में काव्य लिखा। उनके द्वारा रचे गये ग्रंथ हैं: रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्णगीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू बरवै रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक एवं रामाज्ञान प्रश्न।

पृष्ठभूमि: तुलसीदास सगुणमार्गी थे। उन्होंने राम के जीवन चरित को काव्य का आधार बनाया और उनकी लीलाओं का गायन किया। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। उन्होंने अपने को राम का दास समझा और राम को अपना स्वामी। तुलसीदास ने अपने काव्य द्वारा लोकमंगल की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका विश्वास था कि जब-जब धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है, सज्जन कष्ट उठाते हैं और दुष्टों का अनाचार बढ़ता है, तब-तब भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं और अपनी लीला द्वारा धर्म की रक्षा और पाप का अंत करते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथों की रचना की और इसी भावना के कारण उन्होंने अपनी मुक्ति की कामना करते हुए 'विनय पत्रिका' लिखी।

18.3.1 काव्य वाचन

रामचरित मानस: गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति का आधार है: रामचरित मानस। इस महाकाव्य में राम की कथा प्रस्तुत की गयी है। राम जन्म से लेकर राम के राज्य तिलक तक की कथा को सात कांडों (खंडों) में विभाजित किया गया है। पहला कांड, बालकांड है। तुलसीदास ने इस के आरंभ में विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति की है। इसके बाद उन्होंने काव्य संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इसी का एक अंश नीचे दे रहे हैं।

रामचरित मानस दोहा-चौपाई छंद में रचा गया है व इसकी भाषा अवधी है।

मनि मानिक मुकुता छबि जैसी। **अहि**[1] गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥
नृप **किरीट**[2] तरुनी तनु पाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥
तैसेहि सुकवि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ॥
भगति हेतु **बिधि**[3] भवन बिहाई। सुमिरत **सारद**[4] आवति धाई ॥
रामचरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥
कवि **कोबिद**[5] अस हृदयँ बिचारी। गावहिं हरिजस **कलिमलहारी**[6] ॥
कीन्हें प्राकृत जन[7] गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहहि सुजाना ॥
जौ बरषै बर **बारि**[9] बिचारू। होहि कबित मुकुतामनि चारू ॥

जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर **ताग**[10]।
पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥

1 साँप 2 मुकुट 3 ब्रह्मा 4 सरस्वती 5 पंडित 6 कलियुग रूपी मैल को हरने वाले
7 राजा-महाराजा 8 सरस्वती 9 पानी 10 धागा

विनय पत्रिका: गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। 'विनय पत्रिका' में तुलसीदास ने अपने दैन्य भाव को व्यक्त किया है। ईश्वर दयालु है, वह पापियों का उद्धार करने वाला है। मुझ-सा कोई पापी नहीं है, इसलिए हे प्रभु तू मेरा उद्धार कर। यही भाव विनय पत्रिका में व्यक्त हुआ है। यहाँ विनय पत्रिका का एक पद वाचन के लिए दिया गया है।

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो।
श्री रघुनाथ-कृपाल-कृपा तें संत-सुभाव गहौंगो ॥ 1 ॥
जथालाभ संतोष सदा काहू सों कुछ न चहौंगो
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहौंगो ॥ 2 ॥
परुष[1] बचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो
बिगतमान[2] सम सीतल मन, परगुन, नहिं दोष कहौंगो ॥ 3 ॥
परिहरि[3] देह जनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सहौंगो
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अबिचल हरि भक्ति लहौंगो ॥ 4 ॥

गीतावली: 'गीतावली' की रचना तुलसीदास ने ब्रजभाषा में की है। यह सूरसागर की तरह गीतिकाव्य है। इसमें तुलसीदास ने राम चरित से संबंधित विभिन्न मार्मिक प्रसंगों पर गीतों की रचना की है। राम कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, युद्ध के दौरान मेघनाद के बाण से लक्ष्मण का घायल होना और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप करना। इस प्रसंग से संबंधित 'गीतावली' का एक पद वाचन के लिए दिया जा रहा है।

मेरो सब पुरुषारथ **थाको**[4]।
बिपति बँटावन बँधु-बाहु बिनु करौं भरोसो **काको**[5] ॥1 ॥
सुनु सुग्रीव **साँचेहू**[6] मोपर फेर्‌यो बदन बिधाता
ऐसे समय समर-संकट हौं तज्यो लषन सो भ्राता ॥ 2 ॥
गिरि, कानन जैहैं **साखामृग**[7] हौं पुनि **अनुज-संघाती**[8]
ह्वै है, कहा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥ 3 ॥
तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु-कपि सकल बिकल हिय हारे
जामवंत हनुमंत बोलि तब, औसर जानि प्रचारे ॥ 4 ॥

1 कठोर 2 मान का त्याग 3 छोड़ कर 4 थक गया 5 किसका 6 सचमुच 7 वानर 8 छोटे भाई का साथ

18.3.2 भावपक्ष

गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ़ कवि नहीं थे। वे काव्य की रचना का उद्देश्य मनोरंजन को नहीं समझते थे। उनके विचार में वही कविता श्रेष्ठ होती है जिसमें राम के निर्मल चरित्र का गुणगान किया गया हो। उनकी दृष्टि से राम परब्रह्म थे जिन्होंने धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए नर रूप में अवतार लिया था।

रामकथा का प्रणयन: रामकथा का प्रणयन इसी भावना से किया गया है। उन्होंने राम के चरित्र को कई काव्यों में प्रस्तुत किया है। 'रामचरित मानस' महाकाव्य है, जिसमें राम के जन्म से रामराज्य तक की कथा कही गयी है। तुलसीदास ने राम को परब्रह्म के रूप में भी प्रस्तुत किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी। तुलसी के राम, भक्ति के आधार हैं। 'रामचरित मानस' में तुलसीदास की लोक मंगल की भावना भी व्यक्त हुई है। उत्तरकांड में उन्होंने रामराज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार रामराज्य में किसी को कोई शारीरिक, भौतिक और दैवीय कष्ट नहीं था। सभी अपने-अपने धर्म का पालन करते थे और सुख से रहते थे।

तुलसी काव्य की उत्कर्षता का पता उन स्थलों पर लगता है, जो अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। आचार्य रामचंद्रशुक्ल ने रामकथा के निम्नलिखित मर्मस्पर्शी स्थल बताए हैं—राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आथित्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। तुलसी ने इन प्रसंगों का अत्यंत भावप्रवण चित्रण किया है। विशेषः ''गीतावली'' और ''कवितावली'' में ये प्रसंग अत्यंत सहृदयता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तुलसी ने रामकथा के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। भाई-भाई, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, राजा-प्रजा, राजा-सेवक आदि विभिन्न संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मानवीय भावनाओं और कर्तव्यों की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। इस दृष्टि से तुलसी के राम स्नेह, शील, नीति और त्याग के मूर्तिमान रूप हैं। इसीलिए वे आज भी हमारे आदर्श हैं।

विनय भावना: भक्ति का एक प्रमुख तत्व है ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति का अनुभव। भक्त यह मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान्, दयालु है, करुणा का सागर है। दूसरी ओर, भक्त अपनी दीनता और लघुता का बोध भी करता है। वह इसी दैन्य भाव से प्रेरित होकर ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। तुलसी की 'विनय पत्रिका' में भक्ति की इन्हीं भावनाओं की उत्कर्ष अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास ने 'विनय पत्रिका' में राम के शील, सौंदर्य और शक्ति का चित्रण किया है। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में अपनी लघुता और दीनता को भी व्यक्त किया है और राम से प्रार्थना की है कि मुझे इस पाप सागर से उबार ले।

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी
ब्रह्म तू, हौं जीवन, तू ठाकुर, हौं चेरो
तात मात सखा गुरु तू, सब विधि हितु मेरो

'विनय पत्रिका' की रचना तुलसीदास ने राम तक अपना और अपने समाज का दुःख - निवेदन करने के लिए की थी। इसलिए इस काव्य में जहाँ तुलसी की अपनी आत्मपीड़ा व्यक्त हुई है, वहीं अपने समाज का दुःख भी व्यक्त हुआ है। इसलिए इसमें करुणा और भक्ति का स्वर प्रमुख है।

18.3.3 संरचना शिल्प

भक्त कवियों में तुलसीदास जैसी काव्य-प्रतिभा शायद किसी में नहीं थी। उन्होंने उस समय प्रचलित काव्य भाषाओं और काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। भाषा और शिल्प दोनों दृष्टियों से उनका काव्य अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है।

काव्य रूप: गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है। रामचरित मानस की रचना उन्होंने दोहा-चौपाई में की है जिसमें जायसी ने 'पद्मावत' की रचना की थी। कबीर के दोहे और पद शैली में 'दोहावली' और 'विनय पत्रिका', सूरदास और विद्यापति की लीला-गान विषयक भाव प्रधान गीति शैली में 'गीतावली' और 'कृष्णगीतावली', गंग आदि भाट कवियों की 'सवैया', 'कवित्त' शैली में 'कवितावली', रहीम के बरवै शैली में 'बरवै रामायण' की रचना की। तुलसीदास ने इन सब शैलियों का अत्यंत कुशलता से प्रयोग किया है। तुलसीदास ने शादी-विवाह आदि मंगल अवसरों पर गाये जाने वाले लोकगीतों की शैली में 'जानकी मंगल', 'पार्वती मंगल' और 'रामलला नहछू' की रचना भी की। उन्होंने उन दिनों जनता में प्रचलित सोहर, नहछू, गीत, चांचर, बेली, बसंत आदि रागों का भी प्रयोग किया।

काव्य भाषा: तुलसीदास के युग में ब्रज और अवधी दोनों का काव्य रचना के लिए प्रयोग होता था। जायसी ने 'पद्मावत' की रचना अवधी में की थी और सूरदास ने 'सूरसागर' ब्रजभाषा में लिखा था। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का उपयोग किया। 'रामचरित मानस' की रचना उन्होंने अवधी में की थी। 'कवितावली', 'गीतावली' और 'कृष्ण गीतावली' की रचना उन्होंने ब्रजभाषा में की। 'जानकी मंगल', 'पार्वती मंगल', 'बरवै रामायण', 'रामलाला नहछू' में ठेठ अवधी की मिठास है। 'विनय पत्रिका' की भाषा यद्यपि ब्रज है लेकिन उस पर अवधी का भी असर है। तुलसी की भाषा की विशेषता यह है कि वह विषयानुकूल रूप धारण कर लेती है। 'रामचरित मानस' की भाषा, प्रसंगों और चरित्रों के अनुसार परिवर्तित होती है। जहाँ आवश्यक होता है वहाँ वे तत्सम या तद्भव या लोकोक्ति, मुहावरों आदि का प्रयोग करते हैं। भाषा में अलंकार इतने सहज रूप में आते हैं कि उससे काव्य के सौंदर्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता।

18.3.4 प्रतिपाद्य

गोस्वामी तुलसीदास भक्त कवि थे। उन्होंने काव्य की रचना किसी राजा को प्रसन्न करने या उनसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं की थी। उनका विश्वास था कि "प्राकृत जनों" (राजा-महाराजाओं) का गुणगान करने से सरस्वती नाराज होती है। उन्होंने काव्य द्वारा राम के जीवन-चरित को ही प्रस्तुत किया है। राम उनकी दृष्टि में परब्रह्म थे। उनका विश्वास था कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान मानव शरीर धारण करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस मान्यता के कारण ही तुलसीदास की दृष्टि लोकमंगल पर टिकी रही। जीवन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। शैव और वैष्णव, ज्ञान, और भक्ति, सगुण और निर्गुण, जीवन और वैराग्य में। इसी समन्वयकारी दृष्टि के कारण उनका काव्य संपूर्ण हिंदू समाज में प्रतिष्ठित हुआ। तुलसीदास ने परिवार और समाज के स्तर पर संबंधों का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। पिता-पुत्र, माता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी ही नहीं राजा और सेवक के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, यह भी हम तुलसी के काव्य से जान सकते हैं। इसीलिए आज भी तुलसी का काव्य लाखों-लाख भारतीयों को प्रेरणा देता है।

18.3.5 संदर्भ सहित व्याख्या

आपने तुलसीदास द्वारा रचित काव्य का वाचन और उनके काव्य की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। तुलसीदास के काव्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए इसके लिए हम 'विनय पत्रिका' के पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अन्य अंशों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए।

पद: **कबहूँक हौं यहि रहनि रहौंगो।**

संदर्भ: यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ पद है जो 'विनय पत्रिका' से उद्धृत किया गया है। इस पद में तुलसीदास ने ऐसे जीवन जीने की कामना की है जब वे श्री राम की कृपा से पूरी तरह संत का स्वभाव प्राप्त करेंगे।

व्याख्या: तुलसीदास कहते हैं कि क्या मैं ऐसा जीवनयापन कर सकूंगा, क्या मैं कृपालु श्री रघुनाथजी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा। क्या मुझे जो भी प्राप्त होगा, उसी से हमेशा संतुष्ट रहूँगा। तथा किसी से भी किसी तरह की इच्छा नहीं रखूँगा। क्या मैं सदा दूसरों का हित करता रहूँगा? क्या मैं मन, वचन और कर्म से नियमों का पालन करूँगा। क्या मेरा ऐसा स्वभाव बन सकेगा कि मैं दूसरों के कठोर वचन सुनकर उसकी आग में नहीं जलूँगा। किसी से सम्मान पाने की इच्छा तो नहीं करूँगा। क्या अपने मन को एक-सा और शीतल रख सकूँगा। हमेशा दूसरे के गुण ही देखूँगा और दोष नहीं कहूँगा। शारीरिक चिंताएँ छोड़कर और दुःख दोनों को समान बुद्धि से सहूँगा और उनमें कोई भेद नहीं मानूँगा। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु। क्या मैं इस मार्ग पर चलकर हरि की भक्ति में अडिग रह सकूँगा?

विशेष:
1 इस पद में तुलसीदास ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और संतों जैसा जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है।
2 "पर हित निरत निरंतर" में लोकमंगल की भावना व्यक्त हुई है।
3 भावों की अभिव्यक्ति अत्यंत सहज एवं सरल है।

उपर्युक्त आधार पर आप स्वयं तुलसीदास के अन्य काव्य पदों को समझने का प्रयास कीजिए।

बोध प्रश्न

आपने तुलसीदास के काव्य का अध्ययन किया है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

5 "जब पाप बढ़ता है, तब भगवान मुनष्य रूप धारण करते हैं और पापियों का नाश करते हैं" इस कथन के संदर्भ में तुलसीदास के काव्य की विशेषता बताइए।

क) लोकरंजन
ख) लोकमंगल
ग) विनय भावना
घ) भक्ति भावना

( )

6 'रामचरित मानस' की रचना निम्नलिखित छंदों में हुई।

क) दोहा-चौपाई
ख) कवित्त-सवैये
ग) वार्णिक छंद
घ) मुक्त छंद

( )

7 "भक्त यह मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है। दूसरी ओर भक्त अपनी दीनता और लघुता का बोध भी करता है।" इन पंक्तियों में किस तरह की भक्ति की ओर संकेत है।

क) दांपत्य भाव

ख) सख्य भाव

ग) निर्गुण भाव

घ) दैन्य भाव ( )

8 क) तुलसीदास की दृष्टि में राम के अवतार का क्या कारण था?

....

....

ख) तुलसीदास के "रामराज्य" की विशेषताएँ बताइए?

....

....

ग) तुलसीदास की काव्यभाषा की दो विशेषताएँ बताइए?

....

....

अभ्यास

3 निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर तीन पंक्तियों में दीजिए। उत्तर प्रश्न के बाद दिये गये रिक्त स्थान में लिखिए।

"कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना" इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए

....

....

18.4 मैथिलीशरण गुप्त

आधुनिक हिंदी काव्य: आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई। आधुनिक काल से पहले हिंदी में कविता ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियों में होती थीं, किंतु गद्य की तरह पद्य की भाषा भी आधुनिक युग में खड़ी बोली हो गयी थी। भारतेंदु हरिश्चन्द्र (1850-1885) के समय तक भाषा प्रायः ब्रज ही बनी रही, किंतु उसके बाद धीरे-धीरे ब्रज का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। बीसवीं सदी की शुरुआत के आसपास हिंदी काव्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ, वह मध्ययुगीन हिंदी कविता से भाषा और शिल्प की दृष्टि से ही नहीं भाव और विचार की दृष्टि से काफी भिन्न थी। इस दौर की कविता में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर प्रमुख थे। इन्हीं से प्रेरित होकर इस दौर के कवियों ने काव्य रचना की थी। इनमें मैथिलीशरण गुप्त प्रमुख थे।

जीवन परिचय एवं रचनाएँ: मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त, 1886 को चिरगांव, झांसी में हुआ था। आरंभ से ही उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1912 में 'भारत-भारती' नामक काव्य की रचना की जो उस समय अत्यंत लोकप्रिय हुई। मैथिलीशरण गुप्त मानवतावादी कवि थे और इस दृष्टि से उन्होंने महान् भारतीय चरित्रों को लेकर महाकाव्यों की रचना की जिनमें रामकथा पर आधारित 'साकेत' और 'बुद्ध' के जीवन पर आधारित 'यशोधरा' अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त भी उन्होंने कई प्रबंध और मुक्तक काव्य लिखे जिनमें 'जयद्रथ वध', 'पंचवटी', 'द्वापर', 'जयभारत' आदि प्रमुख है। मैथिलिशरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किये गये थे। सन् 1964 में चिरगांव में ही उनका देहावसान हुआ।

18.4.1 काव्य वाचन

श्री मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य 'साकेत' उनकी प्रसिद्ध रचना है। गुप्तजी ने 'साकेत' में रामकथा को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। साकेत के नवें सर्ग में उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरहजन्य पीड़ा को गीतात्मक अभिव्यक्ति दी है। हम यहाँ वाचन के लिए इस सर्ग के कुछ अंश नीचे दे रहे हैं।

सखि, पतंग भी जलता है हा! दीपक भी जलता है!
सीस हिलाकर दीपक कहता—
"बंधु! वृथा ही तू क्यों दहता?"
पर पतंग पड़कर ही रहता!
कितनी विह्वलता है।
दोनों ओर प्रेम पलता है।
बचकर हाय! पतंग मरे क्या?
प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या?
जले नहीं तो मरा करे क्या?
क्या यह असफलता है?
दोनों ओर प्रेम पलता है।
कहता है पतंग मन मारे—
तुम महान, मैं लघु, पर प्यारे,
क्या न मरण भी हाथ हमारे?
शरण किसे छलता है?
दोनों ओर प्रेम पलता है।
दीपक के जलने में **आली**[1]
फिर भी है जीवन की लाली
किंतु पतंग-भाग्य-लिपि काली
किसका वश चलता है?
दोनों ओर प्रेम पलता है।
जगती, **वणिग्वृत्ति**[2] है रखती,
उसे चाहती जिससे चखती,
काम नहीं, परिणाम निरखती
मुझे यही खलता है।
दोनों ओर प्रेम पलता है।

नवम सर्ग का एक और अंश, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना व्यक्त हुई है:

सखि, **निलनभस्सर**[3] में उतरा
यह **हंस**[4] अहा! तरता तरता,
अब **तारक-मौक्तिक**[5] शेष नहीं,
निकला जिनको चरता चरता
अपने **हिम-बिंदु**[6] बचे तब भी,
चलता उनको धरता धरता,
गढ़ जायँ न कंटक भूतल के
कर[7] डाल रहा डरता डरता

1 सखी 2 व्यापार 3 नीला आकाश रूपी समुद्र 4 सूर्य के प्रतीक रूप में 5 तारे रूपी। मोती 6 ओस की बूंदें 7 हाथ (किरण)

18.4.2 भाव पक्ष

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने जब काव्य रचना आरंभ की, तब भारत पराधीन था। गुप्तजी की पहली काव्य पुस्तक 'रंग में भंग' 1909 में प्रकाशित हुई थी। उस समय स्वतंत्रता-संघर्ष में जनता की व्यापक भागीदारी बढ़ रही थी। मैथिलीशरण गुप्त पर भी इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1912 में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 'भारत भारती' जैसी अमर रचना दी। यह कृति सिर्फ राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर ही नहीं लिखी गयी थी, बल्कि इसके माध्यम से वे जनता में अपने देश, उसकी संस्कृति और महान परंपरा के प्रति गौरव की भावना जगाना चाहते थे, लेकिन उनमें वर्तमान की दुर्दशा का भी बोध था, इसलिए उन्होंने 'भारत-भारती' में जहाँ अतीत का गौरव गान किया, वहीं वर्तमान दुर्दशा का चित्र खींचते हुए उससे मुक्त होने का आह्वान भी किया गया था। मैथिलीशरण गुप्त यद्यपि धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना के लिए भारतीय इतिहास और पुराणों से कथाएं और चरित्र लिये, लेकिन उन्हें मानवीय धरातल पर ही प्रस्तुत किया। मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने उर्मिला (लक्ष्मण की पत्नी) और यशोधरा (बुद्ध की पत्नी) की व्यथा को वाणी दी। नारी के प्रति उनमें विशेष सहानुभूति की भावना थी।

गुप्तजी आदर्शवादी थे। उनका आदर्शवाद सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में समानता और त्याग की भावना पर टिका हुआ था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता का सदैव विरोध किया। आस्थावादी होकर भी उनकी दृष्टि इस लोक पर ही टिकी रही। वे अतीत की महान् उपलब्धियों के प्रशंसक थे, साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के आलोचक भी थे। अपने काव्य की इन विशेषताओं के कारण ही वे राष्ट्र कवि के रूप में मान्य हुए।

'साकेत' उनकी प्रख्यात रचना है। यद्यपि 'साकेत' का आधार भी राम कथा है लेकिन उन्होंने रामकथा के केवल उन्हीं प्रसंगों को लिया है, जिनमें मानवीय संबंधों का उज्ज्वल पक्ष उजागर हो। उन्होंने राम के मानवत्व को 'साकेत' में प्रतिष्ठित किया है।

राम-रावण के संघर्ष की कथा की बजाय 'साकेत' में राम कथा का पारिवारिक रूप अधिक उभरा है और यहाँ पर उनकी दृष्टि ऐसी पारिवारिक मर्यादा के पक्ष में रही है जहाँ नारी के सम्मान की पूरी रक्षा हो और उसे किसी भी तरह से लांछित या अधिकारविहीन न बनाया जाये। उर्मिला के त्याग को इसीलिए वे सीता से बड़ा मानते है क्योंकि वह परिवार के लिए अपने वैयक्तिक सुखों (पति के साथ रहने का सुख) का परित्याग कर देती है। 'साकेत' में गुप्तजी ने लोकोन्मुख जीवन के चित्र प्रस्तुत किये हैं।

18.4.3 संरचना शिल्प

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने खड़ी बोली को उस समय काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया, जब हिंदी कविता में ब्रज का ही प्राबल्य था। गुप्तजी का प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने गद्य की भाषा को काव्य की भाषा बनाने का सफल प्रयास किया। हिंदी की सहजता और स्वाभाविकता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है, यद्यपि कहीं-कहीं गद्यात्मकता की झलक दिखाई दे जाती है। उन्होंने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है, किंतु तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त है। उनका मुख्य झुकाव वस्तु के मूर्त चित्रण की ओर रहा है। इसलिए भाषा में वह कल्पना या सौंदर्य नहीं दिखायी देता जो बाद में छायावाद काव्य की विशेषता रही है।

गुप्तजी की प्रवृति प्रबंध काव्य की ओर रही है। 'साकेत' और 'यशोधरा' महाकाव्यात्मक प्रबंध काव्य है। लेकिन महाकाव्यों में जो उदात्तता, संघर्ष और वीरोचित नायकत्व होता है, वह उनके महाकाव्यों में नहीं है। प्रबंध काव्य में भी उनकी प्रवृत्ति गीतात्मकता की ओर रही है। उनकी रुचि जीवन के सहज और भावप्रवण प्रसंगों की ओर ज़्यादा रही है। ऐसे प्रसंगों में जीवन-संघर्ष का गहन गांभीर्य कम होता है जो महाकाव्यात्मकता के प्रतिकूल है। गुप्तजी ने काव्य में उन्हीं छंदों का प्रयोग किया जो खड़ी बोली हिंदी की प्रकृति के अनुकूल थे। उनके काव्य में रीतिवादी कवियों की तरह अलंकारों के प्रति विशेष आग्रह नहीं है, न ही उन्होंने काव्य में चमत्कार पैदा करने की कोशिश की है। इस दृष्टि से भी उनके काव्य में सहजता दिखायी देती है।

18.4.4 प्रतिपाद्य

मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि थे। उनमें साहित्य रचना के पीछे राष्ट्रीय उत्थान की भावना प्रेरक रूप में मौजूद रही है। उन्होंने मध्ययुगीन काव्य चेतना से मुक्त होते हुए कविता के केंद्र में धर्म की बजाय मानव को स्थापित किया। इसी मानव की सांस्कृतिक चेतना को वे काव्य में उतारना चाहते थे। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति उनके लिए आधार भूमि का काम करती रही है। भारतीय इतिहास और पुराण कथाओं के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों और मूल्यों को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उन्होंने 'राम' जैसे चरित्र को भी मानवीय धरातल पर उतारकर सहज मानव-संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने अतीत को अपने काव्य का आधार बनाया, लेकिन अपनी दृष्टि को अतीतोन्मुखी नहीं बनने दिया। उन्हें भारत के उज्ज्वल भविष्य पर गहरा विश्वास था। यह विश्वास उनकी कविताओं में बार-बार व्यक्त हुआ है।

18.4.5 संदर्भ सहित व्याख्या

मैथिलीशरण गुप्त के महाकाव्य 'साकेत' के जो अंश वाचन के लिए दिये गये हैं, वे अत्यंत सरल और सहज ही समझ में आ जाने वाले हैं। आप स्वयं इन अंशों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। इन अंशों की व्याख्या करने से पूर्व आप संभव हो तो 'साकेत' को पूरा पढ़ जाइए, जिससे आपको इन अंशों का सही संदर्भ मालूम हो जाएगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन काव्यांशों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही है। उर्मिला की यह विरह वेदना सामान्य नारी की वेदना बन कर व्यक्त हुई है। ये काव्यांश गीतात्मक हैं और गीतों में रहने वाली भावप्रवणता इनमें भी मौजूद है। नारी की विरह भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रायः परंपरागत शैली का ही प्रयोग किया है किंतु उनको भी नये अर्थ देने का प्रयास भी दिखायी देता है। उदाहरण के लिए दीपक और पतंग के प्रतीक बहुत पुराने हैं लेकिन यहाँ उर्मिला के विरह को वे एक नया अर्थ देते है। उर्मिला अपनी स्थिति को उस पतंग के रूप में देखती है, जिसका जलना अर्थहीन-सा लगता है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

9 निम्नलिखित में से किस आधार पर गुप्तजी की रचना मध्ययुगीन काव्य से अलग होती है।

क) उन्होंने काव्य में खड़ी बोली को स्वीकार किया।
ख) उन्होंने धर्म की बजाय मानव को केंद्र में रखा।
ग) उन्होंने काव्य में राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत किया।
घ) उपर्युक्त तीनों आधारों पर

( )

10 "भारत-भारती" में किस भावना को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ है।

क) धर्म भावना
ख) मानवीय भावना
ग) राष्ट्रीय भावना
घ) भक्ति भावना

( )

11 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए:

क) गुप्तजी की अतीत के प्रति क्या दृष्टि थी? तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

ख) "साकेत" में उर्मिला के चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है ? तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

ग) गुप्तजी की काव्य भाषा की दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

18.5 सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

छायावाद: आधुनिक हिंदी काव्य-धारा का उत्कर्ष हमें छायावादी काव्य में नज़र आता है। हिंदी में छायावादी काव्य का दौर 1917-18 से 1935-36 तक माना जाता है। छायावादी काव्य भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित था। इस प्रवृत्ति के मूल में स्वतंत्रता की भावना अंतर्निहित थी। न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता, बल्कि रुढ़ियों और गलत मान्याताओं से व्यक्ति की भी स्वतंत्रता। इसलिए छायावादी काव्य में राष्ट्रीय मुक्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता दोनों का स्वर प्रमुख रहा है। छायवादी कवियों की उन्मुक्त चेतना प्रकृति से अत्यंत प्रभावित थी, क्योंकि प्रकृति की उन्मुक्तता में उन्हें अपने हृदय की उन्मुक्तता नज़र आती थी। छायावादी कवि के काव्य में भी मानव ही केन्द्र में था, लेकिन इन कवियों का ध्यान गरीब, पददलित और शोषित सामान्यजन की ओर भी जा रहा था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को पूरी तरह से काव्य भाषा के अनुकूल बना लिया। अब वह सिर्फ वस्तु का वर्णन करने वाली भाषा नहीं रह गयी थी, वरन् उसमें कल्पना की ऊँची उड़ान, मानसिक अंतर्द्वंद्व और जटिल बिंबों को प्रस्तुत किया जा सकता था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का सृजनात्मक संस्कार किया। उसे छंद की रूढ़िबद्धता से मुक्त किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हम यहाँ निराला की एक प्रसिद्ध रचना 'तोड़ती पत्थर' दे रहे हैं।

जीवन परिचय: श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में बसंत पंचमी के दिन सन् 1896 में हुआ था। लेकिन उनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। निराला ने काव्य रचना 1915-16 के आसपास आरंभ की थी। उनकी पहली प्रसिद्ध कविता "जूही की कली" थी। निराला की कविताओं में आरंभ से ही प्रगतिशीलता का स्वर रहा है। उन्होंने भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से हिंदी कविता को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'राम की शक्ति पूजा' और 'सरोज स्मृति' नामक लंबी कविता, 'तुलसीदास' नामक खंड काव्य, 'बादल-राग', 'तोड़ती पत्थर', 'भिक्षुक', 'जागो फिर एक बार' आदि कविताएँ प्रसिद्ध हैं। उन्होंने काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं 'परिमल', 'अनामिका', 'गीतिका', 'नये पत्ते', 'बेला'। निरालाजी को जीवन पर्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी साहित्य-सृजना फिर भी अनवरत जारी रही। सन् 1961 में उनका देहांत हो गया।

18.5.1 काव्य वाचन

निराला की कविताओं में 'छायावाद' की प्रायः सभी विशेषताएँ अपने उत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई हैं। साथ ही उनमें आरंभ से ही प्रगतिशील कविता के तत्व भी मौजूद रहे हैं। प्रगतिशील कविता में मेहनतकश जनता के प्रति गहरी सहानुभूति होती है और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता पर भी गहरी चोट होती है। निराला की 'तोड़ती पत्थर' कविता इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी यह कविता 1935 में प्रकाशित हुई थी। उनके काव्य संग्रह 'अनामिका' में यह संग्रहीत है।

तोड़ती पत्थर

वह तोड़ती पत्थर।
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर
वह तोड़ती पत्थर।
कोई न छायादार
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार,
श्याम तन, भर बँधा यौवन,

नत नयन, **प्रिय कर्म रत मन**[1]
गुरु[2] हथौड़ा हाथ,
करती बार-बार प्रहार
सामने **तरु मालिका**[3] अट्टालिका, **प्रकार**[4]।

चढ़ रही थी धूप
गर्मियों के दिन
दिवा[5] का तमतमाता रूप
उठी झुलसाती हुई लू
रुई ज्यों जलती हुई भू
गर्द[6] **चिनगीं**[7] छा गयीं,
प्रायः हुई दोपहर,
वह तोड़ती पत्थर।

देखते देखा मुझे तो एक बार
उस भवन की ओर देखा, **छिन्न तार**[8]।
देख कर कोई नहीं,
देखा मुझे उस दृष्टि से,
जो मार खा रोयी नहीं।

सजा सहज सितार
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी **झंकार**[9]
एक क्षण के बाद वह काँपी **सुघर**[10]
ढुलक माथे से गिरे **सीकर**[11]
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-
'मैं तोड़ती पत्थर'।

---

1 केवल कर्म को प्यार करने में मग्न 2 भारी 3 पेड़ों की कतार 4 चारदीवारी 5 सूर्य
6 धूलि 7 चिन्गारी 8 जिसका तार-तार बिखरा हो 9 ध्वनि 10 योग्य 11 पसीने की बूंद

18.5.2 भाव पक्ष

निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय था। इसका प्रभाव उनकी काव्य-यात्रा पर भी पड़ा। निराला का काव्य उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। उनकी जीवन-दृष्टि और काव्य दृष्टि का निर्माण इसी संघर्ष के दौरान हुआ। उन्होंने जीवन और काव्य दोनों में सामाजिक-आर्थिक शोषण और रुढ़िग मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। इसी कारण छायावादी कवियों में सबसे मुखर विद्रोही स्वर निराला के काव्य में व्यक्त हुआ है। निराला के काव्य में भावबोध की विविधता नज़र आती है। निराला के काव्य में जीवन का हर रंग मिलता है। उसमें उल्लास और अवसाद, शांति और क्रांति दोनों हैं। उन्होंने नारी सौंदर्य के चित्र खींचे हैं, प्रकृति का मनोरम अंकन किया है, जीवन की उदासी और नैराश्य को कविता में बाँधा है तो सामाजिक क्रांति का स्वर भी उनमें अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत हुआ है।

'तोड़ती पत्थर' सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है।

यह निराला की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में जीवन यथार्थ के दो विरोधी चित्र एक साथ दिये गये हैं। एक ओर कड़कड़ाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरिन है तो दूसरी ओर छायादार पेड़ों से घिरी विशाल अट्टालिकाएँ हैं। लेकिन कवि को महसूस होता है कि वह पत्थर नहीं तोड़ रही है, वरन् आर्थिक और सामाजिक विषमता की चट्टान को तोड़ रही है।

18.5.3 संरचना शिल्प

निराला का कलाबोध भी विविधता लिये हुए है। भाषा के जितने रूप उनके यहाँ मिलते हैं, उतने किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं। उनकी आरंभिक कविताओं में संस्कृतनिष्ठ और समास प्रधान भाषा दिखाई देती है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है-'राम की शक्ति पूजा'। लेकिन बाद में उनमें बोलचाल की भाषा का रंग नज़र आने लगता है। बोलचाल की भाषा में भी वे कई तरह के प्रयोग करते हैं। 'तोड़ती पत्थर' की भाषा यद्यपि बिल्कुल बोलचाल की नहीं है, लेकिन उसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया गया है। शब्दों में व्यक्त कठोरता जीवन की कठोरता को प्रतिबिंबित करने लगती है। ''श्याम तन, भर बँधा यौवन, में 'पत्थर तोड़ती-मजदूरिन'' का कठोर व्यक्तित्व मूर्तिमान हो जाता है।

निराला हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने काव्य-शिल्प की चली आती रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त होने का प्रयास किया। उन्होंने हिन्दी कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने छंदबद्ध कविता नहीं लिखी वरन् सच्चाई यह है कि परंपरागत छंदों में नये प्रयोग करके उन्हें नया निखार दिया और कई नये छंदों का निर्माण भी किया। मुक्त छंद की कविता में भी लय और संगीत का समावेश बना रहा और अगर आवश्यकता हुई तो भाषा को उबड़-खाबड़ और सपाट रूप में भी प्रयुक्त किया।

निराला ने काव्य-भाषा को ही नहीं काव्य संरचना को भी पूरी तरह से रूढ़ियों से मुक्त किया। अब कविता के संदर्भ में रस, अलंकार आदि की चर्चा नहीं की जाती। निराला की कविता में जीवन के बिंब है और जीवन के जितने रंग हो सकते हैं, उतने ही तरह की बिंबात्मकता उनके यहाँ देख सकते हैं। 'तोड़ती पत्थर' कविता में संघर्षशील जीवन के बिंब मिलते हैं।

18.5.4 प्रतिपाद्य

निराला की कविताओं में जो सामाजिक और यथार्थ दृष्टि दिखाई देती है, वह उनके जीवन-संघर्षों की ही देन है। निराला को जीवन भर जो दुःख और अपमान झेलने पड़े, उनके कारण उनका स्वर सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रबल वेग से उमड़ पड़ा। निराला यद्यपि सौंदर्य और प्रेम के भी कवि हैं और ऐसी कविताओं का अपना अलग सौंदर्य है। लेकिन जीवन संघर्षों ने उन्हें समाज के प्रति अधिक सजग बनाया। निराला शुरू से ही मूलभूत परिवर्तनों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 22-23 में अपनी 'बादल-राग' शीर्षक कविताओं में ही शोषक और उत्पीड़क वर्ग पर आघात किया था और किसान को क्रांति का दूत कहा था। बाद में तो उनका स्वर शोषक वर्ग के प्रति अधिकाधिक कटु होता गया जो 'बेला' तथा 'नये पत्ते' की कविताओं में व्यंग्य बन कर उभरा। निराला की कविताओं पर विवेकानंद का असर भी रहा। इसके कारण दर्शन के क्षेत्र में उनका झुकाव अद्वैतवाद की ओर रहा। इससे उनकी कविता में मानवतावादी विश्व दृष्टि का समावेश हुआ।

18.5.5 संदर्भ सहित व्याख्या

निराला की कविता "तोड़ती पत्थर" की चर्चा हम उपर्युक्त विवेचन में कर चुके हैं। आप स्वयं कविता का ध्यानपूर्वक वाचन कर कविता की व्याख्या कर सकते हैं।

बोध प्रश्न

नीचे दिए गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

12 'तोड़ती पत्थर' कविता का प्रतिपाद्य है।
- क) सामाजिक वैषम्य
- ख) प्रकृति सौंदर्य
- ग) नारी-सौंदर्य
- घ) आत्म संघर्ष ( )

13 निराला का काव्य शिल्प की दृष्टि से प्रमुख योगदान है :
- क) नये अलंकारों का प्रयोग
- ख) छंद के बंधन से मुक्ति
- ग) नये प्रतीकों का प्रयोग
- घ) लय के बंधन से मुक्ति ( )

14 निराला के काव्य शिल्प की दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

अभ्यास

4 **कोई न छायादार**
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार
श्याम तन, भर बंधा यौवन
नत नयन, प्रिय कर्म रत मन
गुरु हथौड़ा हाथ
करती बार-बार प्रहार
सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार

उपर्युक्त पंक्तियों की सरल भाषा में व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

18.6 महादेवी वर्मा

छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा का नाम भी अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। महादेवी वर्मा को "आधुनिक मीरा" की संज्ञा दी गयी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य क्षेत्र में उनका स्थान कितना ऊँचा है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907ई॰ में फर्रुखाबाद (उ॰प्र॰) में हुआ। उन्होंने संस्कृत में एम॰ए॰ किया और फिर जीवनपर्यंत प्राचार्य के रूप में शिक्षा के अवदान का कार्य किया। 11 सितम्बर, 1987 को उनका देहांत हो गया। 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा ने कविताओं के अतिरिक्त रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखे थे। कविताओं की तरह उनके रेखाचित्र और संस्मरण भी अत्यंत उच्चकोटि के हैं। महादेवी जी की प्रमुख काव्य पुस्तकें हैं: 'नीहार' (1930), 'रश्मि' (1932), 'नीरजा' (1934), 'सांध्य गीत' (1936) और 'दीपशिखा' (1942), 'प्रथम आयाम' (1984) 'यामा' (1936) में उनके आरंभिक संग्रहों की कविताएँ हैं। गद्य कृतियों में 'अतीत के चलचित्र', 'शृंखला की कड़ियां,' 'स्मृति की रेखाएँ, 'क्षणदा' आदि प्रमुख हैं।

18.6.1 काव्य वाचन

महादेवीजी अपने गीतों के लिए विशेष रूप से प्रख्यात हैं। यहाँ हम वाचन के लिए उनका एक प्रसिद्ध गीत दे रहे हैं।

मैं नीर भरी दुख की बदली।
स्पंदन[1] में चिर **निस्पंद**[2] बसा,
क्रंदन[3] में आहत विश्व हँसा,
नयनों में दीपक से जलते,
पलकों में **निर्झरिणी**[4] मचली।

मेरा पग पग संगीत भरा,
श्वासों से स्वप्न-पराग झरा,
नभ के नव रँग बुनते **दुकूल**,[5]
छाया में **मलय-बयार**[6] पली।

मैं क्षितिज-**भृकुटि**[7] पर घिर धूमिल
चिंता का भार बनी अविरल,
रज-कण पर जल-कण हो बरसी,
नवजीवन-अंकुर बन निकली!

पथ को न मलिन करता आना,
पद चिह्न न दे जाता जाना,
सुधि मेरे **आगम**[8] की जग में,
सुख की सिहरन हो अंत खिली!

विस्तृत नभ का कोई कोना;
मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली!

---

1 कंपन 2 अचल (सनातन) 3 विलाप 4 झरने से निकलने वाली नदी 5 रेशमी वस्त्र 6 दक्षिण की ओर से आने वाली हवा 7 भौं 8 आना

18.6.2 भाव-पक्ष

महादेवी वर्मा की कविताएँ छायावाद के अन्य कवियों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि उनमें उनका निजी संसार ही ज्यादा व्यक्त हुआ है। महादेवीजी के काव्य में वस्तुगत संसार बहुत सीमित है। वे प्रायः अपने मन की पीड़ा और वेदना को ही विभिन्न रूपों

में व्यक्त करती हैं। इसके लिए वे प्रकृति का सहारा लेती हैं और उन्हें प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न चित्र मिलते हैं, लेकिन वे उनके हृदय के मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। प्रकृति चित्र को वह एक दार्शनिक आवरण भी दे देती हैं। वह लौकिक भावनाओं को ऐसी शब्दावली में प्रस्तुत करती हैं, जिनसे उनमें आध्यात्मिकता का आभास होने लगता है। इससे उनकी कविता में रहस्य भावना का समावेश हो गया है। वस्तुतः महादेवी की कविताओं में भी मुक्ति की आकांक्षा ही पृष्ठभूमि में विद्यमान है। लेकिन छायावाद के अन्य कवियों से भिन्न वे मुक्ति की इच्छा को सीधे व्यक्त नहीं करतीं। इसका कारण संभवतः उनका स्त्री होना है, जिसे बाह्य दबावों में अधिक जीना पड़ता है। यही कारण है कि उनमें अकेलेपन और वेदना दोनों की अभिव्यक्ति ज्यादा है। प्रिय के प्रति चाह, मिलन की आकांक्षा और न मिल पाने की पीड़ा यह महादेवी की कविताओं का भाव संसार है। लेकिन "प्रिय" कौन है और क्या है, यह कहीं स्पष्ट नहीं होता, इसी से रहस्यात्मकता का समावेश हुआ है। उपर्युक्त गीत में भी महादेवीजी का "निज दुख" ही व्यक्त हुआ है जिसे वे "बादल" के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करती हैं।

18.6.3 संरचना शिल्प

महादेवी वर्मा के काव्य में शिल्पगत विविधता भी कम है। उनका झुकाव गीतों की ओर ही रहा है। चूंकि उनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी भावनाओं को व्यक्त करने की ओर रही है, और ऐसी भावनाएं गीतों में अधिक तन्मयता और तीव्रता से व्यक्त हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने गीतों की ही रचना अधिक की है। महादेवी के गीतों में वेदना की गहराई, अनुभूति की सघनता और हृदय की तरलता का आभास मिलता है। गीतों में प्रकृति चित्रण करते हुए भी कहीं भी नारी हृदय की सुकुमारता और विरहजन्य वेदना का आभास धूमिल नहीं होता।

महादेवीजी की भाषा में मधुरता है। उनके यहाँ प्रेमानुभूति और विरहानुभूति दोनों को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रेम, विरह और अकेलेपन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह दीपक, शलभ, चातक, प्रातः, संध्या, रजनी, बादल, पथ जैसे प्रतीकों का प्रयोग करती हैं। इस दृष्टि से उनके प्रतीकों में जटिलता नहीं है और उनके माध्यम से व्यक्त भाव आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन जब वे प्रतीकों को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ती हैं, तब भाषा में जटिलता का समावेश हो जाता है।

उपर्युक्त कविता भी दो स्तरों पर अर्थ व्यक्त करती है। एक तो प्रकृति-चित्र के रूप में। दूसरे कवयित्री की निजी पीड़ा की अभिव्यक्ति के रूप में। इस दूसरे अर्थ पर कवि रहस्य का आवरण भी डाल देता है। "**क्रंदन में आहत विश्व हँसा**" या "**मैं क्षितिज भृकुटि पर घिर धूमिल**" में रहस्य भावना का आभास है तो दूसरी ओर "**विस्तृत नभ का कोई कोना/मेरा न कभी अपना होना**" जैसी पंक्तियाँ स्वयं कवि की अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है।

महादेवी के गीतों में प्रकृति-सौंदर्य की अद्भुत छटा है। प्रकृति का यद्यपि वह वैविध्य उनके यहां नहीं है जो निराला और पंत सुमित्रानंदन पंत के यहाँ हैं, लेकिन प्रकृति के चित्रों में सौंदर्य और माधुर्य दोनों है। रहस्यवादी आग्रह के कारण उनकी कविताओं में ऐसे प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है जिनसे बिंबों में प्रकृति की विराटता का भी बोध होता है। प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक है। यह पूरा गीत मानवीकरण का उदाहरण है।

18.6.4 प्रतिपाद्य

महादेवी वर्मा की कविता में यद्यपि नारी हृदय की निजी पीड़ा ही अधिक व्यक्त हुई है, लेकिन उसमें व्यक्त अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता ने उसे उत्कर्षता प्रदान की है। महादेवी जी के गीतों में नारी हृदय की पीड़ा व्यक्त हुई है। यह पीड़ा मिथ्या या रहस्यवादी नहीं है। उसमें अपने समय की सच्चाई है। बाह्य दबावों के बीच हृदय की मुक्ति की इच्छा को जिन प्रतीकों और रूपों में नारी व्यक्त करती है, शायद वही पद्धति महादेवी के गीतों में भी दिखायी देती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में नारी जाति में जो मुक्ति की छटपटाहट प्रकट हो रही थी, उसका स्पष्ट आभास हम महादेवीजी के गीतों में देख सकते हैं। महादेवीजी के गीतों को हम इसी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं।

18.6.5 संदर्भ सहित व्याख्या

महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत अत्यंत प्रभावशाली है। गीत के कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दे दिये गये हैं तथा गीत के भाव और शिल्प की विशेषताएं उपर्युक्त विश्लेषण में स्पष्ट कर चुके हैं। इस आधार पर आप स्वयं कविता को समझने की कोशिश कीजिए।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

15 महादेवीजी के गीतों की केंद्रीय विशेषता एक पंक्ति में बताइए।

....

16 महादेवीजी के काव्य में व्यक्त रहस्य भावना का अर्धन्तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

17 महादेवीजी की काव्य भाषा की दो विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

18.7 सारांश

आपने इस इकाई का अध्ययन ध्यानपूर्वक किया होगा। इस इकाई में हमने निम्नलिखित बिंदुओं की चर्चा की थी।

- साहित्य की एक प्रमुख विधा, कविता से आपका परिचय कराया गया है और हिंदी के पाँच प्रतिनिधि कवियों की कुछ कविताओं का वाचन किया गया है। इससे आपको हिंदी काव्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ है। अब आप पठित कवियों की काव्य प्रवृत्तियों की विशेषताएँ बता सकते हैं।
- पठित कवियों का जिन काव्य धाराओं से संबंध था, उनकी विशेषताओं का भी इकाई में उल्लेख किया गया है। अब आप भक्ति काव्य, द्विवेदी-युगीन कविता और छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ बता सकते हैं।
- पठित कवि सूरदास, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त, निराला एवं महादेवी वर्मा के काव्य के विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। अब आप स्वयं संक्षेप में कवियों की काव्यगत विशेषताएँ बता सकते हैं।
- उपर्युक्त कवियों की पठित कविताओं की व्याख्या कर सकते है एवं उनकी विशेषताएँ बता सकते हैं।

18.8 उपयोगी पुस्तकें

गुप्त, मैथिलीशरण: **साकेत**, साहित्य सदन, चिरगांव (झाँसी)

शुक्ल, रामचंद्र: **त्रिवेणी**, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी।

तिवारी, डा॰ विश्वनाथ प्रसाद : **आधुनिक हिंदी कविता**, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली।

नामवर सिंह: आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

18.9 बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर

अभ्यास

1 क) सूरदास के पद की पंक्ति: (ईश्वर की कृपा से) बहरा व्यक्ति सुन सकता है और गूँगा पुनः बोलना शुरू कर सकता है। गरीब आदमी भी सिर पर छत्र धारण करके (राजा की तरह) चल सकता है अर्थात् गरीब भी राजा बन सकता है।

ख) सूरदास का पद: सूरदास कहते है कि बालक कृष्ण जिनके गाल सुंदर है और आँखें चंचल है, उन्होंने सिर पर गोरोचन का तिलक लगा रखा है।

ग) सूरदास का पद: सूरदासजी कहते हैं कि वे धन्य है जिन्हें इस एक पल के सुख की प्राप्ति हुई है। इसके आगे सौ कल्प जीने का भी क्या लाभ?

2 क) उक्त पंक्तियों में अनुप्रास की छटा है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्ण (अक्षर) की आवृति होती है। इन पंक्तियों में कृष्ण के बाल सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है।

ख) इस पंक्ति में सूरदास ने उद्धव की मनोदशा का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। "ठगा-सा रहना" मुहावरा है और "मति नासी" कहने में उद्धव की मानसिक स्थिति का संकेत मिलता है।

3 तुलसीदास जी का कहना है कि जो कवि अपने काव्य में प्राकृत जन अर्थात् राजा-महाराजाओं का गुणगान करते हैं, उनके ऐसे काव्य पर गिरा अर्थात् सरस्वती भी सिर धुनकर पछताती है अर्थात् यह कविता और ज्ञान का अपमान है।

4 यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" की कविता 'तोड़ती पत्थर' से उद्धत हैं। इस कविता में पत्थर तोड़ती एक मजदूरिन का चित्र है। निराला कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ने वाली स्त्री जहाँ बैठी है वहाँ कोई छाया देने वाला पेड़ भी नहीं है लेकिन वह स्थिति को स्वीकार किये बैठी है। उसका रंग यद्यपि साँवला है, लेकिन पूर्ण युवा है। उसमें चांचल्य नहीं है। वह आंखें झुकाये पूरी लगन से अपने प्रिय कर्म को करने में व्यस्त है उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, जिससे वह बार-बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है। उसके सामने पेड़ों की कतार में घिरी भव्य इमारत है। यहाँ कवि दो विरोधी स्थितियों का चित्रण करता है। एक ओर धूप में बैठी पत्थर तोड़ती स्त्री है तो दूसरी ओर पेड़ों की कतार के बीच भव्य अट्टालिका है। इस भव्य अट्टालिका (जो यहाँ शोषक वर्ग की संपन्नता का प्रतीक है।) पर ही जैसे वह मजदूरिन हथौड़े द्वारा बार-बार प्रहार कर रही है।

बोध प्रश्न

1 क) भक्ति ख) निर्गुण मार्ग ग) प्रेममार्गी काव्य

2 भक्त जब ईश्वर के प्रति अपनी दीनता अभिव्यक्त करता है और उनसे कृपा की आकांक्षा करता है तो उसे दैन्य भक्ति कहते हैं।

3 सूरदास का उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का गायन कर अपनी भक्ति को व्यक्त करना था। उनके काव्य में कृष्ण का ऐसा रूप उभरता है जो अपनी लीलाओं से लोक रंजन करता है।

4 क) ब्रज भाषा की स्वाभाविक कोमलता
ख) भाषा में लोकतत्व

5 ख) 6 क) 7 घ)

8 क) तुलसीदास का मानना था कि राम परब्रह्म थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए नर रूप में अवतार लिया था।
ख) तुलसीदास के अनुसार रामराज्य में किसी को कोई शारीरिक, भौतिक और दैवीय कष्ट नहीं था। सभी अपने-अपने धर्म का पालन करते थे और सुख से रहते थे।
ग) विषयानुकूल तथा चरित्रों और प्रसंगों के अनुसार भाषा।

9 घ 10 ग

11 क) गुप्तजी लोगों में राष्ट्रीय प्रेम और अपनी परंपरा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। वे अतीत की महान् उपलब्धियों पर गर्व करते थे, लेकिन समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक भी थे।
ख) लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग सीता से इस अर्थ में अधिक श्रेष्ठ था क्योंकि वन के कष्टों के बावजूद सीता अपने पति के साथ थी, जबकि उर्मिला अपने पति से दूर चौदह साल विरह में जलती रही और अपनी वेदना चुपचाप सहती रही।
ग) खड़ी बोली हिंदी की सहजता और स्वाभाविकता। भाषा में कल्पनाशीलता का अभाव।

12 क)

13 ख)

14 क) मुक्त छंद में काव्य रचना
ख) बिंबात्मकता

15 महादेवीजी के गीतों में निज मन की पीड़ा व्यक्त हुई है।

16 प्रिय के प्रति चाह, मिलन की आकांक्षा और न मिल पाने की पीड़ा महादेवी के काव्य का भाव संसार है, लेकिन महादेवीजी यह नहीं बताती कि यह "प्रिय" कौन है। वह प्रिय और प्रेम दोनों पर आध्यात्मिकता का झीना आवरण डाल देती है। इसी रूप में रहस्य भावना व्यक्त हुई है।

17 उनकी भाषा में माधुर्य है। शब्दों में कोमलता और संगीतात्मकता है। प्रकृति के प्रतीकों का प्रयोग अधिक है।

शब्दावली

यहाँ इस खंड के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिये गये है।

अंक-विभाजन: अंक, नाटक के खंड को कहते हैं जिनमें कई दृश्य हो सकते हैं। नाटककार कथा की आवश्यकतानुसार, नाटक को एक से अधिक अंकों में विभाजित करता है। इसे ही अंक - विभाजन कहते हैं।

अंतर्विरोध: भीतरी विरोध। समाज में कई वर्ग होते है। इन वर्गों का पारस्परिक विरोध सामाजिक अंतर्विरोध कहलाएगा। समाज में इस दृष्टि से कई अंतर्विरोध हो सकते हैं। समाज के दो प्रमुख वर्गों के पारस्परिक विरोध को समाज का मुख्य अंतर्विरोध कहा जाता है।

अद्वैतवाद: भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत। अद्वैतवाद के अनुसार केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। आद्य शंकराचार्य को इस सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है।

अन्योक्ति: यह एक अलंकार है। इसमें जो प्रसंग का विषय नहीं होता ऐसे अर्थ से , वह अर्थ निकलता है जो प्रसंग का विषय होता है।

अभिजात: उच्च कुल में उत्पन्न।

अवतारवाद: इस बात में विश्वास करना कि ईश्वर मनुष्य रूप धारण करता है। जस, राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानना।

आदर्शवाद: साहित्य मे यथार्थ की बजाय आदर्शों को प्रमुखता देना आदर्शवाद कहलाता है।

आर्यावर्त: आर्यों का देश, भारत।

अलंकार: जिसके कारण काव्य की शोभा बढ़ती है।

आलंकारिक: अलंकार से युक्त।

आवृति: दोहराना।

उत्प्रेक्षा: अंलकार का एक प्रकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

उपमा: कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उस वस्तु को बताया जाये, जिसकी उपमा देनी हो।

कवित्त: छंद का एक प्रकार। यह वार्णिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं।

काव्यशास्त्र: ज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें काव्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है।

किंवदंती: ऐसी बात जिसके सही होने का कोई प्रमाण न हो लेकिन जिसे समाज में प्रचार मिल गया हो।

खलनायक: दुष्ट प्रकृति का वह पात्र जिसका नायक से सीधा टकराव हो।

गांधार: भारत वर्ष का एक प्राचीन जनपद। पेशावर से कंधार तक का प्रदेश। यह क्षेत्र अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है

चौपाई: एक प्रकार का छंद। यह मात्रिक छंद है और इसके दो चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती है।

छंद: छंद युक्त रचना को पद्य या काव्य कहा जाता है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों (अक्षरों) या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है।

छंदमुक्त: वह पद्य रचना जो किसी छंद से बंधी न हो।

छंदोबद्ध: वह पद्य रचना जो किसी छंद या छंदों से बंधी हो।

तत्सम: संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं।

तद्भव: संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भिन्न रूप में प्रयुक्त होते हैं।

देशज: देश से उत्पन्न। यहाँ तात्पर्य उन शब्दों से है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हों और वे वहाँ की लोकभाषा के अपने शब्द होते हैं।

दैवीय: देवता संबंधी। अर्थात वास्तविकता का वह पक्ष जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण न हो।

दृश्य योजना: नाटक के अंकों के वे विभाजन जिसमें नाटक की कथावस्तु में स्थान, समय या कार्य व्यापार की दृष्टि से परिवर्तन होने से पर्दा गिराकर अंतराल देना पड़ता है। इन्हें ही दृश्य कहते हैं। नाटक में विभिन्न दृश्यों को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए की जाने वाली तैयारी दृश्य-योजना कही जाती है।

दोहा: मात्रिक छंद का एक प्रकार। इसमें चार चरण होते हैं और इसके विषम चरण में 13 मात्राएँ और सम चरण में 11 मात्राएँ होती हैं।

द्विवेदी युग: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाने वाला आधुनिक हिंदी साहित्य का वह युग जब द्विवेदी जी 'सरस्वती' का संपादन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह समय लगभग 1900 से 1920 के बीच माना जाता है।

HL-002

नाद सौन्दर्य: नाद का अर्थ वर्ण या शब्द की ध्वनि से है। वर्णों के विशेष ढंग से उच्चारण करने से जो सौन्दर्य उत्पन्न होता है, उसे नाद सौन्दर्य कहते हैं।

पंचनद : पाँच नदियों वाला देश अर्थात् पंजाब।

परिमार्जित: दोष दूर किया हुआ।

प्रतिपाद्य: जिसको प्रमाणित या स्पष्ट किया जाये। यहाँ रचना के उद्देश्य से तात्पर्य है।

प्रतीक: किसी वस्तु या विषय को किसी अन्य वस्तु या विषय के रूप में वर्णन करना या मानना।

बिंब: शब्दों द्वारा किसी वस्तु, दृश्य या भाव का प्रतिरूप निर्मित करना।

भौतिक: भूत संबंधी अर्थात जगत के विभिन्न पक्षों के संबंध में।

मगध: भारत वर्ष का एक प्राचीन जनपद और वर्तमान बिहार राज्य।

मालव: मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र।

युगांतरकारी: ऐसा व्यक्ति जो समय में आमूल परिवर्तन कर दे।

रस: काव्य (कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि) के पढ़ने सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद आता है, उसे रस कहते हैं।

रूपक: एक अलंकार। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाय तो वहाँ रूपक अलंकार होता है।

लक्षणा: शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहाँ शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ लिया जाय वहाँ अभिधा शक्ति होती है। जहाँ शब्द का कोई अन्य अर्थ लिया जाय वहाँ लक्षणा होती है।

लीला: खेल, ईश्वर के वे कार्य जिन्हें मनुष्य नहीं समझ सकता।

लोकतत्त्व: लोक (जन) से संबंधित पक्ष।

लोकभाषा: सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा।

वर्गीय चरित्र: समाज कई वर्गों (श्रेणियों) में बँटा है। प्रत्येक वर्ग का अपनी विशिष्ट पहचान होती है। रचना का कोई पात्र किसी वर्ग विशेष की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो तो वह वर्गीय चरित्र कहा जाएगा।

वर्णाश्रम धर्म: चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) और चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनवास एवं संन्यास) की हिंदू धर्म आधारित व्यवस्था।

विदुषी: शिक्षित महिला।

विधा: कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि साहित्य के विभिन्न रूप साहित्य की विभिन्न विधाएँ हैं।

विधिनिषेध: कोई काम करने या न करने का शास्त्रीय निर्देश।

व्यंजना: वह शब्द शक्ति जिसमें शब्द के लोकप्रिय अर्थ के साथ-साथ अन्य अर्थ भी लिया जाये।

शमन: शांति, दूर करना।

शील: चरित्र।

शैली: साहित्य की किसी रचना की अभिव्यक्ति का विशेष ढंग।

शृंगार: स्त्री-पुरुष से संबंधित भावनाओं की अभिव्यक्ति।

संकलन त्रय: पाश्चात्य नाट्य शैली के अनुसार नाटक में समय, स्थान और कार्य की एकता होनी चाहिए। अर्थात् नाटक में समय का विस्तार इतना नहीं होना चाहिए कि नाटक अस्वाभाविक लगे। स्थान इतना ही विस्तृत हो जो मंच के आकार के अनुसार स्वाभाविक लगे। कार्य-व्यापार में परस्पर एकता और संगति हो। यह संकलन त्रय कहलाता है।

समानतावादी: जो किसी तरह के भेदभाव में विश्वास न करता हो तथा सभी मनुष्य को समान समझता हो।

सवैया: वार्णिक छंद का एक प्रकार।

सादृश्यमूलक अर्थालंकार: अलंकार के शब्द और अर्थ की दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं। जहाँ शब्द में अलंकार हो, शब्दालंकार और जहाँ शब्द के अर्थ में अलंकार हो अर्थालंकार कहते हैं। सादृश्य मूलक अर्थालंकार में एक वस्तु और दूसरी वस्तु में सादृश्य (समानता) दिखाया जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि सादृश्यमूलक अर्थालंकार हैं।

खंड

4

व्यावहारिक हिंदी और लेखन

इकाई 19

शब्द और मुहावरे 5

इकाई 20

संवाद शैली 19

इकाई 21

सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण 32

इकाई 22

समाचार लेखन और संपादकीय 59

इकाई 23

अनुवाद 80

इकाई 24

संक्षेपण, भाव पल्लवन और निबंध लेखन 96

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो. बागीश सिंह (संयोजक)
निदेशक
मानविकी विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ. डी.पी. पटनायक
निदेशक
भारतीय भाषा संस्थान
मैसूर

डॉ. एस.के. वर्मा
निदेशक
केंद्रीय अंग्रेज़ी तथा विदेशी भाषा संस्थान
हैदराबाद

डॉ. विश्वनाथ रेड्डी
आंध्र प्रदेश सार्वत्रिक विश्वविद्यालय
हैदराबाद

डॉ. नित्यानंद शर्मा
जोधपुर

प्रो. महेन्द्र कुमार
हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा
रीडर, हिंदी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

डॉ. रमानाथ सहाय (संपादक)
आगरा
डॉ. नित्यानंद शर्मा (संपादक)
जोधपुर
डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा (संयोजक)
डॉ. सीताराम शास्त्री
डॉ. भारत भूषण
डॉ. सुरेश कुमार
डॉ. महेन्द्र चतुर्वेदी

संकाय सदस्य
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
डॉ. वी.रा. जगन्नाथन
डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया
डॉ. गीतारानी पालीवाल
डॉ. जवरीमल्ल पारख
डॉ. शत्रुघ्न कुमार
डॉ. सत्यकाम
श्री राकेश वत्स

मुद्रण प्रस्तुति

सुश्री पुष्पा गुप्ता
कापी एडिटर
ई.गां.रा.मु.वि.

नवम्बर 1997 पुनःमुद्रित
© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 1990
ISBN-81-7091-213-X

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खंड 4 का परिचय

इस पाठ्यक्रम के खंड 1 में पाठ्यक्रम का परिचय देते हुए हमने बताया था कि इसमें भाषा विषयक 4 इकाइयाँ हैं इनमें से 2 इकाइयाँ, खंड 1 में आप पढ़ चुके हैं, जिनमें हिंदी की लिपि और वर्तनी तथा उच्चारण का आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत खंड में हम भाषा विषयक दो और पाठ दे रहे हैं जिनमें क्रमश: हिंदी की शब्दावली और वाक्य रचना तथा सामान्य वार्तालाप में वाक्योच्चारण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस तरह इन 4 इकाइयों में हिंदी भाषा की मूलभूत संरचना का संक्षिप्त परिचय दिया है। इस विषय में आपकी गति हो और आगे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो सुझाई गई उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं।

इस खंड में शेष 4 इकाइयाँ हैं, जिनमें हम लेखन के कौशल के विकास पर बल दे रहे हैं। पाठ्यक्रम परिचय में हमने यह उल्लेख किया था कि लेखन भाषा का एक प्रमुख कौशल है। यह पाठ्यक्रम हमने बोधन के अर्थात् भाषा को समझने के कौशल से शुरू किया था। भाषा समझने की क्षमता का स्वत: परिणाम भाषा की अभिव्यक्ति में ही है। इस पाठ्यक्रम में मौखिक अभिव्यक्ति पर अधिक बल देना हमारे लिए संभव नहीं है, अत: हम लिखित अभिव्यक्ति पर ही बल दे रहे हैं।

जीवन में लेखन का बहुत महत्व है। आपको पत्र लिखना पड़ सकता है, किसी घटना का वर्णन करना पड़ सकता है या किसी विस्तृत विवरण को कम शब्दों में कहने की आवश्यकता पड़ सकती है। अक्सर अंग्रेज़ी में कही गई बात को हिंदी में कहने की आवश्यकता भी पड़ती है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लेखन कौशल सिखाने के लिए हमने उन प्रसंगों को चुना है जिनकी रोज़मर्रा के जीवन में आपको ज़रूरत होती है। इन संदर्भों में लेखन के सामान्य सैद्धांतिक विश्लेषण के साथ हमने व्यावहारिक लेखन पर भी ज़ोर दिया है। सिर्फ चार इकाइयों में लेखन सिखाना संभव नहीं है, अत: इनके द्वारा हम एक दिशा-संकेत मात्र ही कर सके हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप अध्ययन, अभ्यास और अध्यवसाय से लेखन में गति बढ़ाएँ और दक्षता प्राप्त करें।

आशा है, आपको हिंदी का यह आधार पाठ्यक्रम उपयोगी लगा और आपके ज्ञान-वर्धन में हम कुछ सहायता कर सके हैं।

आधार पाठ्यक्रम के बाद हम हिंदी में छह ऐच्छिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें आप साहित्य तथा भाषा के विविध पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। हमारा यह उद्देश्य रहा है कि आधार पाठ्यक्रम आगे के ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन में आपके लिए एक अच्छी-सी आधार भूमि तैयार कर सके।

पाठ्यक्रम के बारे में आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे, जिससे कि इसका रूप और निखर सके।

इकाई 19 शब्द और मुहावरे

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य
19.1 प्रस्तावना
19.2 शब्दों का महत्व
19.3 भाषा के सामाजिक स्तर भेद
19.4 शब्दों के विभिन्न स्रोत
19.5 शब्दों का अर्थ पक्ष
19.6 शब्द निर्माण
19.7 शब्द रचना
19.8 मुहावरे और लोकोक्तियाँ
19.9 सारांश
19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें
19.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

अब तक आपने आधार पाठ्यक्रम के पहले खंड की आरंभिक दो इकाइयों में हिंदी भाषा की लिपि तथा ध्वनि के बारे में पढ़ा है। अब आप चौथे खंड की 19वीं तथा 20वीं इकाइयों में हिंदी भाषा के व्यावहारिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत इकाई हिंदी भाषा के शब्द और मुहावरों से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- हिंदी भाषा में शब्द के प्रयोग और महत्व को बता सकेंगे,
- शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानकर उनका सही प्रयोग करना सीख सकेंगे,
- शब्दों की रचना सीखेंगे, और
- मुहावरों और कहावतों के प्रयोग एवं महत्व को जानकर उनका भाषा में सही प्रयोग करना सीखेंगे।

19.1 प्रस्तावना

आप जानते ही हैं कि भाषा में शब्द का कितना महत्व है। शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी बात करते हैं। शब्दों का इतिहास बहुत रोचक है। शब्दों का अपना अर्थ होता है। शब्दों से बने वाक्यों का भी अपना अर्थ होता है। वाक्य के अर्थ को तभी समझ पाएँगे, जब शब्दों का वाक्य की संरचना में सही प्रयोग किया गया हो। दोनों ही प्रकार के अर्थ को हम क्रमशः शब्द रचना और वाक्य संरचना में देख सकते हैं। इस इकाई में हम शब्द उसकी रचना और अर्थ की चर्चा करेंगे। अगली इकाई में वाक्य की रचना और संदर्भ में वाक्य के अर्थ की विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

शब्द ध्वनियों से बनते हैं किन्तु इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। कई बार एक-एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दों के लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा भी हम अपनी बात कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा की शब्दावली में उनकी परिस्थिति एवं वर्गीय हैसियत के अनुसार भिन्नता होती है। जैसे एक डाक्टर और एक मज़दूर की भाषा में जो अंतर होता है, उसे आप सहज ही पहचान सकते हैं।

आप शब्दों के स्रोत की जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि भाषा में शब्दों का इतना बड़ा भंडार कहाँ से जमा होता जाता है। संस्कृत और प्रांतीय भाषाओं की शब्दावली के अलावा हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रांसीसी शब्दों ने भी अपनी जगह बना ली है। इसके अतिरिक्त नित नये शब्दों की रचना भी होती रहती है। ज़रूरत पड़ने पर हम नये-नये शब्द गढ़ते हैं। कभी संस्कृत से और कभी दूसरे स्रोतों से।

शब्दों के अलावा इस इकाई में आप को हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आपस में बातचीत करते हुए आप अनजाने ही कई मुहावरों और लोकोक्तियों का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी भाषा की सुंदरता और महत्ता बढ़ती है। मुहावरे वास्तव में क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? भाषा में इनका क्या महत्व है तथा लोकोक्तियों एवं मुहावरों में क्या अंतर है? यह सब इस इकाई के विवेचित बिंदु हैं। इस इकाई में दिए गए अभ्यासों के लिए आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। आइए, अब शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

19.2 शब्दों का महत्व

भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है। लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। जैसे अ, क, न, आदि ध्वनियाँ सार्थक नहीं हैं अर्थात् इनसे कोई अर्थ ज्ञान नहीं होता। भाषा के अर्थ का वाहक "शब्द" है जो ध्वनियों से बनता है। जैसे "आम" शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होगा। आम शब्द में "आ" और "म" दो ध्वनियाँ हैं। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज-सापेक्ष होते हैं, अर्थात "आम" कहने पर हिंदी भाषी एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं लेकिन इस शब्द का चीनी भाषी या इतालवी भाषी के लिए यही अर्थ हो, यह आवश्यक नहीं है। उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा जो उनकी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज के सभी लोग, जो एक भाषा बोलते हों, भाषा के शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और उनके उच्चारण से यही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं।

अत: भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है -- अर्थयुक्त होना। ऊपर हमने चर्चा की कि "आम" शब्द का अपना अर्थ है, जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है। लेकिन यह अर्थ इस शब्द में कहाँ से आया? क्या लाम या नाम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? जिस फल को आम कहते हैं क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है? शायद नहीं। क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञान करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में "आम" कहा जाता है उसे तमिल में "मांगाइ" और अंग्रेज़ी में "मैंगो" कहा जाता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञान अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। यह संबंध स्वाभाविक नहीं होता बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छिकता कहते है। यादृच्छिकता का तात्पर्य है आरोपित अर्थ। यह भी देखा जा सकता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता भी है। जैसे संस्कृत में "मृग" शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, सिर्फ़ हिरन के लिए नहीं। लेकिन आज हम लोग "मृग" का अर्थ "हिरन" लेते हैं। इस बात को आप "मृगराज" शब्द से समझ सकते हैं, जहाँ सिंह को पशुओं का राजा कहा गया था। इसी तरह से शिकार के लिए "मृगया" शब्द का इस्तेमाल करते हैं। "मृगया" का तात्पर्य केवल हिरन का शिकार नहीं है।

प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जैसे "आम" शब्द फल का अर्थ सूचित करता है, "मेज़" शब्द वस्तु का अर्थ सूचित करता है, अर्थात वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से उन वस्तुओं के अर्थ बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन भाषा में हम हमेशा वस्तुओं के लिए ही शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लोग गूढ़ विचारों को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे "स्वतंत्रता" शब्द हम लोगों के लिए बहुत परिचित-सा लगता है लेकिन एक छोटा बच्चा इस अर्थ को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति, स्वच्छंदता, उद्दंडता आदि शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना कठिन कार्य है। जब व्यक्ति बड़ा होता है और शिक्षित होता चलता है तो वह ऐसे विचारों को समझ कर इन शब्दों के माध्यम से ग्रहण करता चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े-लिखे लोग ही गूढ़ या सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में कई सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करता है और अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करता है। यह बात दूसरी है कि शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान-विज्ञान के शब्द मिलते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से गूढ़ तथा महत्वपूर्ण बातों को व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज से भी ग्रहण करता है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं आदि के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का भी साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति हमें अपने समाज से मिलती है और समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। इसी को हम उस समाज की संस्कृति कहते हैं। हम लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं और साथ में संस्कृति भी अर्जित करते हैं। इसलिए भाषा न केवल अर्थ की अभिव्यक्ति का साधन होती है अपितु अपने समाज की संस्कृति की वाहक भी होती है।

19.3 भाषा के सामाजिक स्तर भेद

अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की, उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया है। न ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के महत्व की बात की है। आपने देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त बात-चीत में "साले", "अबे" आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा (स्कूल, दफ्तर आदि) में भाषा भिन्न होती है। हम भाषा के, विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा) घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि (औपचारिक भाषा में वक्ता और श्रोता के संबंधों के अनुरूप शिष्टता का अधिक खयाल करना होता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है, जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष की अभिव्यक्ति करती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मज़दूरों की भाषा आदि में हम शब्दों के प्रयोग के अन्तर की पहचान कर सकते हैं।

सामाजिक स्तर भेद के संदर्भ में हम कुछ विशिष्ट रूप भी पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों का बोली मिश्रित भाषा प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर का परिचायक है। कुछ लोग अपभाषा (slang) का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात कहने के उद्देश्य से गुप्त भाषा (argot) का प्रयोग करते हैं। इसकी शब्दावली सामान्य भाषा से भिन्न होती है।

उदात्त कथन

क्या हम अपने किसी प्रिय जन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि "मेरे पिता जी/ चाचा/ मामा/ बहनोई मर गये"? सहज अर्थ होते हुए भी यह साधु (अच्छा) प्रयोग नहीं है। मृत व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक सुसंस्कृत शब्दों में कहते हैं— वे दिवंगत हो गये/ वे स्वर्गवासी हो गये/ उनका देहावसान हो गया आदि। इस प्रवृत्ति को क्या कहें? भाषा विज्ञान में इसे उदात्त कथन (euphemism) कहा जाता है। इसी तरह "विधवा होना" के लिए "माँग का सिंदूर पुँछना", "सुहाग उजड़ना" आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। **इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दो से भिन्न शब्दों से व्यक्त करते है। जिससे मृत्यु** वैधव्य आदि स्थितियों का संस्कारपूर्ण वर्णन हो सके।

आदमी अमंगलकारी घटनाओं तथा उनके कारणभूत शब्दों से बहुत डरता है। इन शब्दों को वह अपनी ज़ुबान पर लाने में भी कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं जिनसे अमंगल का भाव कम हो सके। कुछ उदाहरण देखिए:

सामान्य शब्द	उदात्त शब्द
साँप	कीड़ा
चेचक	माता, शीतला
मौत	अंत, देहांत

इस शब्दों के संदर्भ में, भाषा में शब्दों में अर्थ परिवर्तन भी देखने में आते हैं। आमतौर पर महिलाओं की काँच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इसे "चूड़ी टूटना" नहीं कहते, (क्योंकि यह भी वैधव्य की आशंका के संदर्भ में मंगलकारक नहीं है), बल्कि "चूड़ी मौल जाना" कहते हैं। इसी तरह "दुकान बंद करना" नहीं "दुकान बढ़ाना" उदात्त कथन है, "बत्ती बुझाना" नहीं "बत्ती बढ़ाना" उपयुक्त शब्द है।

उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अभद्र उल्लेख दूर करने के लिए भी किया जाता है। सभ्य समाज में बैठे हुए हम यह नहीं कहते कि "हम पेशाब करने जा रहे हैं"। संकेत से "बाथरूम" का रास्ता पूछ लेते हैं या संकेत से कहते हैं कि हमें "लघु शंका" के लिए जाना है। बच्चों के संदर्भ में भी हम इसी बात का अन्य ढंग से विवरण देते हैं— "बच्चे ने गीला कर लिया।" रोचक बात यह है कि उदात्त कथन भी चलन में अशोभनीय बन जाता है। "पाखाना" शब्द का अर्थ "पैर रखने की जगह" था। लेकिन यह शब्द भी अब अभद्र हो गया। "टट्टी" शब्द मूलतः खपच्चियों से बनी एक आड़ को सूचित करता था। "टट्टी जाना" का अर्थ था टट्टी की आड़ में निवृत्ति के लिए जाना। लेकिन अब यह शब्द भी अशोभनीय हो गया है। इसी तरह शरीर के अंगों का विवरण देने के लिए हम उदात्त शब्दों का प्रयोग करते हैं या विज्ञान के शिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कम अशोभनीय हैं।

बोध प्रश्न-1

निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिये गये स्थान पर संक्षिप्त उत्तर दें। कुछ बोध प्रश्नों/ अभ्यासों के उत्तर इकाई के अंत में दिये गये हैं। अपने उत्तरों का दिये गये उत्तरों से मिलान कीजिए।

1. शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं?

....

....

2. भाषा के सामाजिक स्तर भेद से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

अभ्यास-1

नीचे कुछ कथन दिए गये हैं। इन कथनों के सामने दिये गये कोष्ठकों में इन कथनों के लिए आप अपने प्रांत में प्रयुक्त होने वाले उदात्त कथन लिखिए।

क) मर जाना

(ग) नाचक निकलना | |
(घ) पाखाना करना | |
(ङ) चूना बुझाना | |

19.4 शब्दों के विभिन्न स्रोत

भाषा में जो शब्द हैं, वे आखिर कैसे बने हैं और कहाँ से आये हैं? हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज ने व्यवहार द्वारा विकसित किये हैं। यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी-फ़ारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई। अंग्रेजों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आये। इस तरह भाषा में विभिन्न स्रोतों से शब्द आये। जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलता है और नदी का विस्तार होता है, उसी तरह विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं। आगे हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार के स्रोतों की चर्चा करेंगे।

स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्दों के चार प्रमुख वर्ग हैं—तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी।

तत्सम: "तत्" का अर्थ है "वह", "सम" माने "जैसा ही"। अर्थात् संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में लिये गये शब्द। जो शब्द सीधे संस्कृत से आये हैं वे तत्सम शब्द हैं। अर्थात संस्कृत के समान शब्द। बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल आदि संस्कृत शब्द हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत् नहीं लिये गये, बल्कि उनके रूप में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया। संस्कृत शब्द बालक: का विसर्ग हट गया, पुस्तकम् शब्द का म् छोड़ दिया गया। अर्थात् तत्सम् शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही स्वीकार किये गये। छोड़े गये चिह्न संस्कृत के शब्दों के वचन या लिंग के सूचक हैं। हिंदी में वचन तथा लिंग के सूचक चिह्न दूसरे हैं, इसलिए ये चिह्न हिंदी में छोड़ दिये गये।

तद्भव: "तत्" का अर्थ है "वह", "भव" का "उत्पन्न"। अर्थात् ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आये हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में लिये गये शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आये हैं।

संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ विकसित हुईं और अपभ्रंश से हिंदी बंगला आदि आधुनिक भाषाएँ बनीं। इन भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन के कारण शब्द के रूप भी बदल गये। हिंदी "सच" संस्कृत "सत्य" से बना है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे हुआ। परिवर्तन के क्रम को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं:

संस्कृत	पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में परिवर्तन का क्रम	हिंदी
सत्य	सत्त-सच्च	सच

इस प्रकार बदले हुए शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे तत्सम और तद्भव एक साथ दिए गये हैं।

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
सूर्य	सूरज	संध्या	साँझ
चंद्र	चाँद	कर्पट	कपड़ा
वर्ष	बरस	वृद्ध	बूढ़ा
सर्प	साँप	मयूर	मोर
आम्र	आम	हस्त	हाथ

कुछ विद्वान अर्ध तत्सम नामक वर्ग भी मानते हैं। जैसे कर्म शब्द "कम्म" से होते हुए "काम" बना। यह तद्भव है। लेकिन आधुनिक काल में फिर से कर्म शब्द लिया, तो यह "करम" की तरह उच्चरित हुआ। इसे हम अर्ध तत्सम कह सकते हैं। इस तरह "चंद्र" से "चाँद" बना यह तद्भव है, आधुनिक युग में चंद्र को अगर "चंदर" कहें, तो यह अर्ध तत्सम कहलाएगा। अर्ध तत्सम शब्द कम हैं और इन्हें तद्भव से अलग करना हमेशा आसान नहीं है। इसलिए हम आगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे।

देशज (देश – ज "पैदा हुआ"): देशज वे शब्द हैं, जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है। ये न संस्कृत मूल के हैं, न किसी विदेशी भाषा से आये हैं। ये भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा-भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ, अर्थात् ये सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। हिंदी के कई बहुप्रचलित शब्द जैसे पेड़, लड़का, खिड़की, आदि देशज शब्द हैं।

बाहरी शब्द: ये शब्द बाहर के स्रोतों से आये हैं। ये शब्द स्रोत भी प्रमुखतः तीन प्रकार के हैं।

i) आर्य परिवार की भाषाओं से आये शब्द:
मराठी–चालू, लागू
बंगला–गल्प

ii) भारत के अन्य परिवारों की भाषाओं से आये शब्द:
द्रविड़—मीन (प्राचीन), इडली, सांबार (आधुनिक)
मुंडा–कोड़ी (20 की संख्या)

iii) विदेश की भाषाओं से आये शब्द:
इस वर्ग में हजारों शब्द हैं। अंग्रेजी से— साइकिल, रेल, टिकट, स्टेंप, पुलिस, निब, स्टोव, टेलीफोन, फ़ोटो आदि। मुगलों के साथ-साथ उर्दू भाषा का विकास हुआ जिसमें हजारों अरबी और फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। मुगल तुर्क थे। इस कारण हिंदी में तुर्की के भी बहुत से शब्द हैं। शब्दकोश में आमतौर पर शब्द के स्रोत का भी उल्लेख होता है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिये जा रहे हैं।

अरबी: औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, कस्बा, किला, बगावत, दफ्तर, अखबार, हिरासत आदि।

फ़ारसी: खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, सिफ़ारिश, अंगूर, आबाद, आस्तीन, गुलाब, चपाती, जंजीर, दरी, नमक, नाश्ता, परदा, प्याला आदि।

तुर्की: तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश आदि।

फ़्रांसीसी भाषा या जापानी भाषा आदि के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आये क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से इन भाषाओं का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कुछ अंशों में अपना शासन स्थापित किया था। हिंदी में पुर्तगाली के भी कई शब्द हैं, जो या तो सीधे हिंदी में आये हैं या अन्य भारतीय भाषाओं से होकर जैसे,

1) फ़्रांसीसी: रेस्तरां, कूपन, अंग्रेज़, कारतूस

2) जापानी: रिक्शा

3) पुर्तगाली: मिस्त्री, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया आदि।

विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है।
आज भी हम नये विचारों को मूल शब्द के साथ ग्रहण करते हैं। इससे भाषा समृद्ध होती है, जीवंत रहती है। ऐसे नये शब्द हैं स्पुतनिक, साफ्टवेयर।

अभ्यास-2

नीचे कुछ तद्भव शब्द दिये गये हैं। इन के तत्सम शब्द लिखिए। इसके लिए आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं।

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
आग		गुन	
आठ		लौंग	
कान		जीभ	
सोना		बूढ़ा	
ठग		दूध	

अभ्यास-3

नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं। इनके सामने कोष्ठक में उस भाषा का नाम लिखिए जिस भाषा से ये शब्द हिंदी भाषा में आए हैं। इसके लिए आप शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं।

ओषधि ( )
चर्च ( )
कार्तून ( )
शराब ( )
हवालात ( )
चाकू ( )
तम्बाकू ( )
दर्शन ( )
डमरू)

19.5 शब्दों का अर्थ पक्ष

शब्द भाषा में अर्थ के वाहक हैं। हम शब्दों के माध्यम से अपने मन में निहित अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और म्यान की तरह नहीं है। अर्थात् यह नहीं है कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो। शब्दों और अर्थ में कई तरह के संबंध होते हैं। कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और कहीं दो तीन शब्दों का एक अर्थ। इस तरह अर्थ विज्ञान में हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ को हम आगे दिये गये पाँच प्रमुख प्रकारों में देखने की कोशिश करेंगे।

i) **समरूपी शब्द** (homonym) : कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं जैसे:

पर— पंख, लेकिन, ऊपर

कल— दूसरा दिन, मशीन, चैन

मगर — लेकिन, एक प्राणी

इस प्रक्रिया का प्रमुख कारण है भिन्न-भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने या बनने वाले शब्दों का एक जैसा लगना या लिखा जाना। इस बात को निम्नलिखित उदाहरणों से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

मेल (हिंदी "मिलना" क्रिया से)— मित्रता

मेल (अंग्रेजी mail का हिंदी रूप)— मेल गाड़ी

बरस (संस्कृत वर्ष से) —साल

आम (संस्कृत आम्र से)— एक फल

आम (अरबी से)— साधारण, सामान्य

ii) **पर्याय** (synonym): जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वे पर्याय कहलाते हैं। व्याकरण इ शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं।

कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए—

सूरज: (सूर्य), भानु, रवि, दिवाकर, आफताब

चंद: चंद्रमा, राकेश, महताब

कमल: पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अंबुज, सरोरुह, सरसिज

क्या कारण है कि एक ही वस्तु के इतने सारे शब्द हैं ? क्या हम इन सारे शब्दों का समान रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं ?

कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा में वास्तव में पर्याय होते ही नहीं ... शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। हम "सूरज डूब गया" कहेंगे "दिवाकर डूब गया" नहीं। बोलचाल में हम इनमें से प्राय: किसी एक शब्द को ही अपने व्यवहार के लिए लेते हैं। शेष शब्द शैलीगत हैं (उर्दू बोलने वाला आफताब कहेगा) या साहित्यिक हैं। साहित्यकार इन शब्दों का अपनी रचना के सौन्दर्य के लिए प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। वक्ता ही इनमें से अपने व्यवहार का शब्द चुन लेते हैं। कोई सामान्यत: सूरज कहता है, कोई हमेशा सूर्य बोलता है। एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याय नहीं होते। कहीं-कहीं भाषा में दो-तीन शब्द समान अर्थ में आते हैं। फिर भी उनके प्रयोगों में साफ बँटवारा दिखायी पड़ता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द पूरक (Complementary) होते हैं। उदाहरण के लिए, "घर", "गृह" दोनों पर्याय हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग-अलग हैं। आगे के कुछ प्रयोग देखिए, जिनमें "घर" के स्थान पर "गृह" का या इससे विपरीत क्रम में इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे "गृह प्रवेश" को "घर प्रवेश" या "घर बसाना" को "गृह बसाना" नहीं कहते हैं। ये प्रयोग हैं— घर जाना, बात मन में घर कर जाना, घर उजड़ना, घर छोड़ देना, गृह कलह, गृह लाभ, गृह त्याग आदि।

शैली की दृष्टि से भी पर्यायों का महत्व है। उर्दू शैली में हम ... की तुलना "महताब" से करेंगे और हिंदी में मुख को चंद्र के समान कहेंगे। इसी तरह मुश्किल और आसान की बात एक जगह होगी, इनके शैली पर्याय कठिन और सरल एक साथ जाएँगे। शैली की इस विशेषता के संदर्भ में आगे सह प्रयोग में और चर्चा करेंगे।

iii) **विलोम** (antonym): समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं, इसी तरह विपरीत (विरोधी) अर्थ वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। छोटा-बड़ा, ठंडा-गरम, अच्छा-बुरा, गरीब-अमीर आदि कुछ विलोमार्थी शब्द हैं।

क्या खट्टा-मीठा, लाल-हरा भी विलोमार्थी शब्द हैं ? यहाँ वास्तव में विलोम की स्थिति नहीं है। ये अलग-अलग स्वाद सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें हर शब्द दूसरे का पूरक है, विरोधी नहीं है। इसी तरह रंगों के सभी शब्द एक समुच्चय (set) के रूप में आते हैं। लाल, पीला, हरा आदि शब्दों का अपना-अपना अर्थ क्षेत्र है। लेकिन 'लाल' "हरा" का विलोम नहीं है।

कुछ लोग पति-पत्नी आदि शब्दों को भी विलोम कहते हैं। ये दोनों शब्द पति-पत्नी के परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। अगर 'क' 'ख' का पति है, तो 'ख' 'क' की पत्नी। इन्हें हम द्वंद्ववाचक शब्द कह सकते हैं।

आगे आरेखों से तीनों तरह के संबंध को स्पष्ट किया गया है।

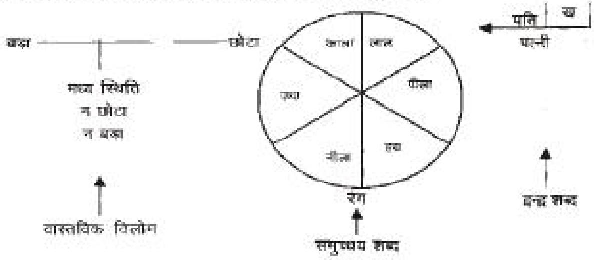

iv) **अनेकार्थी शब्द** (polysemy) : भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। आपने शब्दकोशों में देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए हुए होते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लें :

बात– मामला (क्या बात हुई), उक्ति (उसने एक बात बतायी), बातचीत (दोनों बातें करते जा रहे थे), चर्चा का विषय (बात यह है कि ....) झगड़ा (बात बढ़ गई)

अनेकार्थ को समझना आसान नहीं है। पहले हमें समरूपी शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर करना होगा। फिर उसके संबद्ध अर्थों को उचित संदर्भ में निश्चित करना होगा।

हाथ, आँख आदि मनुष्यों (और जीवित प्राणियों) के अंग हैं। लेकिन 'कानून के हाथ', 'सुई की आँखें' जैसे प्रयोगों से हमें उनकी अनेकार्थता की प्रकृति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। विद्वान इन्हें मुहावरेदार प्रयोग कहते हैं। मुहावरा भी अनेकार्थता का एक रूप है। मुहावरेदार प्रयोगों के बारे में हम इसी इकाई में आगे पढ़ेंगे। व्याकरण में इन्हें लक्ष्यार्थ कहा जाता है। (देखिए उपभाग 19.8)

अनेकार्थता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है - अर्थ का विस्तार। आधुनिक युग में नए-नए विचारों को व्यक्त करने के लिए हम पुराने शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ विस्तार करते हैं। अब हम टेलीविजन के 'पर्दे' की बात करते हैं। इसी तरह घड़ी की 'सुई', चाँदी का 'गिलास', शेयर 'बाजार' आदि नए शब्द हैं, जो भाषा के विकास को दर्शाते हैं।

v) **सहप्रयोग** (Collocation) : हम जानते हैं कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 'हत्या' कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान से गरमी, ऊँट नखलिस्तान (Oasis) आदि शब्द जुड़े हुए हैं। इनमें एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहप्रयोग करने वाले अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य समक्षेत्रीय-सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है।

सहप्रयोग का शैली की दृष्टि से भी महत्व है। हम आमतौर पर 'शमा' और 'परवाना' की एक साथ बात करेंगे, 'दिया' और 'परवाना' या 'शमा' और 'कीट' की नहीं। सामान्य बोलचाल में 'हाथ का काम' कहेंगे (हस्त की कला नहीं), साहित्यिक या पारिभाषिक अर्थों में 'हस्तकला' (हाथ की कला नहीं), 'हृदयगति' (दिल की गति नहीं), 'कुटीर उद्योग' (झोपड़ी उद्योग नहीं), 'विद्युत ऊर्जा' (बिजली ऊर्जा नहीं) आदि प्रयोग में शब्द बदलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बदलने पर भाषा में शैलीगत दोष आ जाता है।

भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है कि हम सहप्रयोग के दोषों से बचें। अपनी शब्दावली के विस्तार के लिए चाहिए कि हम शब्दों के सहप्रयोगों का अभ्यास करें और संबद्ध शब्दों का सावधानी से प्रयोग करें।

अभ्यास– 4

1. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो अर्थ हैं। इनका स्रोत पहचानिए और दोनों अर्थों को लिखिए। स्रोत के लिए शब्दकोश देख सकते हैं।

	आला	बिल	बाल	बजा	ताल	पाक
क)	....	....	....	....	....	....
ख)	....	....	....	....	....	....

अभ्यास– 5

नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इन के तीन-तीन पर्याय लिखिए।

कमल

तालाब

रात

बादल

समुद्र

19.6 शब्द निर्माण

भाषा के शब्द बनते कैसे हैं ? हम अधिक शब्द कैसे बना सकते हैं ? भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आते हैं। व्यवहार में समाज शब्दों की रचना में काट-छाँट करता है, शब्दों को नये-नये अर्थ-प्रदान करता है। कुछ पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नये शब्द व्यवहार में आ जाते हैं। इस संदर्भ में समाज भी शब्दों की रचना करता चलता है। शब्द-निर्माण को समझने से पहले हमें शब्द की रचना पर विचार करना होगा।

भाषा के बहुत थोड़े-से शब्द अपने मूल रूप में व्यवहृत होते हैं। भाषा उन मूल शब्दों से और कई नये शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे "बच्चा" मूल शब्द है, "पन" अवस्था सूचित करने के लिए उससे व्युत्पन्न (derived) शब्द है। बच्चा+पन= बचपन। यहाँ "पन" एक प्रत्यय है जो अवस्था का अर्थ देता है। इसी अर्थ में प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं।

नया+पन= नयापन, बाँका+पन= बाँकपन

क्रिया रचना में "कर" मूल शब्द है, किया, करता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न शब्द हैं। एक मूल क्रिया रूप (जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है) से हम सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति देखते हैं। मूल शब्द में प्रत्ययों (suffixes) को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है।

क्या सहायता होने की अवस्था को हम "सहायतापन" कह सकते हैं, या भूख होने की अवस्था को "भूखपन" कह सकते हैं ? आप स्वयं ही जानते हैं कि ये दोनों शब्द सही नहीं हैं। अवस्था सूचित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर जगह "पन" प्रत्यय लगाए जाएँ। "पन" के साथ हिन्दी में अवस्था सूचित करने के लिए "पा" (बुढ़ापा) "ता" (मनुष्यता), "त्व" (महत्व) आदि अन्य प्रत्यय भी हैं। भाषा-भाषी समुदाय ही निश्चित करता है कि कौन-से प्रत्यय किस मूल शब्द के ..थ लिये जाएँगे और इस प्रकार शब्द-निर्माण की यह प्रक्रिया समाज द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं— व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय वे हैं, जिनसे हम अर्थ में विस्तार करते हैं। ऊपर हमने व्युत्पन्न प्रत्ययों की चर्चा की। व्युत्पन्न प्रत्यय संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। जब हम व्युत्पन्न प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कभी-कभी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे "बचपन" शब्द में— "बच्चा" का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। "घुड़सवारी" में "घोड़ा" शब्द का दूसरा रूप देख सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय से, वास्तव में नये शब्दों का निर्माण किया जाता है और इससे शब्दावली की वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का प्रत्यय है— रूपात्मक प्रत्यय। दो वाक्य लीजिए।

1 लड़के आए।
2 लड़कों को बुलाओ।

"को" लगने के कारण लड़के का रूप लड़कों बन गया। यहाँ "ओं" प्रत्यय है, लेकिन इस प्रत्यय से शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं।

क्रिया में लिंग, वचन आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रत्यय लगते हैं और विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे: करता है, करती है, करते हैं, करती हैं आदि। इनसे हम लिंग, वचन आदि का व्याकरणिक अर्थ तो सूचित करते हैं लेकिन यहाँ कोई नया अर्थ नहीं जुड़ा है। कुछ भाषाएँ इस प्रकार का परिवर्तन भी नहीं करती हैं और एक ही क्रिया से सभी लिंग, वचन के भेद को प्रकट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी में "आई गो" (दोनों लिंगों में), "यू गो" (दोनों लिंगों में)। इस उदाहरण में मूल क्रिया-रूप नहीं बदला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूपात्मक प्रत्यय कुछ व्याकरणिक अर्थ भले सूचित करते हों, लेकिन इनसे नए शब्दों का निर्माण नहीं होता।

प्रत्ययों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं जैसे: प, पन, त्व आदि। कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आते हैं जैसे अ+कारण, बे+रहम, ना+पसंद। यहाँ अ, बे, ना आदि विलोमार्थ सूचित करने वाले प्रत्यय हैं, जो शब्द से पहले आते हैं। व्याकरण में इन्हें उपसर्ग कहा जाता है और कुछ विद्वान इन्हें पूर्व-प्रत्यय भी कहते हैं।

शब्द रचना के संदर्भ में हमने देखा कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से हम नए शब्द निर्मित कर सकते हैं और भाषा-भाषी समुदाय इसी प्रक्रिया से नए शब्द गढ़ता है। आधुनिक युग में नए-नए विचारों को प्रकट करने के लिए हमें नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग शुरू किया तो राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, राष्ट्रीयकरण आदि नए शब्दों की भी आवश्यकता पड़ी। यह काम अब योजनाबद्ध तरीके से किन्हीं-किन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिससे समन्वित रूप में सारे आवश्यक शब्द, भाषा की प्रकृति, एकरूपता आदि को ध्यान में रखते हुए एक जगह बनाये जा सकें। हिन्दी में नए शब्दों के निर्माण

के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था कार्य करती है, जिसका नाम है— "वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग"। यह संस्था विविध विषयों के विद्वानों की सहायता से नए शब्दों का निर्माण करती है और शब्दकोशों के रूप में इन्हें प्रकाशित करती है। हिंदी में शब्द निर्माण के लिए हम ज़्यादातर संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्द बनाने की शक्ति है। उदाहरण के तौर पर "आयोग" शब्द लेते हैं। यह अंग्रेज़ी के "कमीशन" का पर्याय है। लेकिन इस अर्थ में यह संस्कृत में प्रचलित नहीं था। संस्कृत में संयोग, नियोग आदि शब्द तो थे, लेकिन आयोग नहीं। हमने कमीशन के लिए आयोग शब्द का निर्माण किया और इस अर्थ में यह शब्द चल रहा है। संस्कृत से शब्द बनाने का एक और कारण है। किसी शब्द से अन्य सम्बद्ध शब्द बनाने के लिए भी हम संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं। आगे के शब्दों को देखिए:

कमिश्नर - आयुक्त

डिप्टी कमिश्नर - उपायुक्त

हाई कमिश्नर - उच्चायुक्त

हाई कमीशन - उच्चायोग आदि।

आयोग ने शब्दावली के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिनमें संस्कृत से ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी हिन्दी के शब्द-भंडार में स्वीकृत किया जाए। इसके संदर्भ में आयोग ने घोषणा की है कि सबसे पहले प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाए, चाहे वे हिन्दी के हों या अंग्रेज़ी के या उर्दू के। इस दृष्टि से मिसिल, मसौदा, बाइरस, प्रोटीन आदि शब्द हिन्दी में स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं से प्रचलित शब्द लिए जाएँगे। प्रचलित शब्द न मिलने पर संस्कृत के आधार पर अन्य शब्द गढ़े जाएँगे। यह भी प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथावत ले लिया जाए और हर नए शब्द के लिए शब्द गढ़ने पर ज़ोर न दिया जाए। इस दृष्टि से अब हिन्दी में न्यूट्रॉन, कार्बन, टंग्स्टन आदि शब्द इसी रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। शब्द लेने के संदर्भ में एक रोचक उदाहरण है— ऑक्सीजन। यद्यपि इसके लिए हमारे पास "प्राणवायु" शब्द है, फिर भी इससे अन्य शब्द बनाने में यह उपयोगी नहीं लगा। इसलिए ऑक्सीजन को ही स्वीकृत कर लिया गया। ऑक्सीजन से हम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, ऑक्साइड आदि सम्बद्ध शब्द बना सकते हैं। इस दृष्टि से शब्द निर्माण में कोई पूर्वाग्रह नहीं लेकर चलते, बल्कि प्रयोक्ता की सुविधा आदि का ध्यान है।

19.7 शब्द रचना

इस भाग में हम शब्दों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द दो प्रकार के हैं:

मूल शब्द: वे शब्द जिन्हें हम और छोटे रूपों या खंडों में बाँट नहीं सकते।
जैसे— घर, आँख, देश, काम, जल, प्रेम, शब्द, पास, दौड़, पहुँच, चाल आदि।

व्युत्पन्न शब्द : वे शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं।

i) हम प्रत्ययों के अर्थ के संदर्भ में मूल शब्द के अर्थ में विस्तार देख सकते हैं।

उपसर्ग:	दिन	सु "अच्छा"	सुदिन— अच्छा दिन
	चैन	बे "बिना"	बेचैन — चैन रहित
प्रत्यय:	एक	ता "भाव"	एकता— एक होने का भाव
	नया	पन "अवस्था या स्थिति"	नयापन— नया होने की स्थिति

इस चर्चा के संदर्भ में हम आगे कुछ उपसर्गों की चर्चा करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग: **अति** (अधिक)— अतिवृष्टि, **अधि** (ऊपर)— अधिकार, **अनु** (पीछे)— अनुगमन, **अप** (बुरा)— अपयश, **अव** (बुरा)— अवगुण, **अभि** (अधिक)— अभिनय, **आ** (अपनी तरफ़)— आगमन, **उत** (ऊपर)— उत्क्षेप, **दु:** (बुरा)— दुर्दिन, **नि:** (बिना)— निर्भय, **परा** (उलटा)— पराजय, **परि** (चारों ओर का)— परिपूर्ण, **प्रति** (उलटा)— प्रतिपक्ष, **प्र** (अधिक, आगे)— प्रगति, **वि** (विशिष्ट)— विज्ञान, **सं** (अच्छा)— संयाग, **सु** (अच्छा)— सुपुत्र, **कु** (बुरा)— कुपुत्र। कुछ शब्द भी उपसर्ग की तरह आते हैं। उदाहरण के लिए— **अध:** (अधोगति), **अलम्** (अलंकार), **चिर** (चिरकाल), **पुरा** (पुरातत्व), **पुन:** (पुनर्जन्म), **सह** (सहगामी), **स्व** (स्वजन) आदि।

अरबी-फ़ारसी के उपसर्ग: ना नहीं (—नापसंद, ला) नहीं (—लाचार, बे) नहीं (—बेचारा, ब) सहित (—बख़ूबी, **बि** (बिना)— बेमिसाल। कुछ शब्द भी उपसर्गों की तरह आते हैं। जैसे, **कम** (कम उम्र), **हर** (हरदम), **हम** (हम उम्र), **बद** (बदनाम)। फ़ारसी "परसर्ग" भी शब्द से पहले आते हैं। **ता** (तक)— ताजिंदगी (ज़िंदगी तक), **दर** (में)— दरअसल (असल में), **बा** (से)— बाकायदा (कायदे से)।

हिंदी में अपने उपसर्गों का अभाव है। संस्कृत के उपसर्ग ही मूल रूप में या (बदले हुए) तद्भव रूप में

हिंदी के शब्दों में आते हैं। जैसे निडर, कुपुत या कपूत, अनजान, अथाह। हिंदी में विशेषण शब्द के पहले आते हैं। इनके अधूरे रूप उपसर्ग की तरह लगते हैं— चौराहा, तिगुना, दुनाली, अधमरा, सतलड़ा, नौगांव आदि शब्दांत प्रत्यय कई हैं, हमने इकाई 5 तथा 7 में संस्कृत के प्रत्यय ता, त्व, इत, इक आदि से शब्दों की रचना की बात देखी। अन्य संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी के प्रत्ययों की सूची आप हिंदी के किसी व्याकरण ग्रंथ में देख सकते हैं और उनसे बनने वाले हजारों शब्दों की रचना जान सकते हैं। यहाँ हम प्रत्ययों के अर्थ पक्ष की चर्चा करेंगे।

कर्त्ता सूचक प्रत्यय: **आर** (सुनार, लुहार), **एरा** (सपेरा, लुटेरा), **हारा** (लकड़हारा, मछुआरा), **बाज़** (कलाबाज़, धोखेबाज़), **गर** (जादूगर, कारीगर), **वाला** (मछलीवाला, केलेवाला), **अक** (पाठक, गायक, मारक), **इया** (रसोइया)।

भाववाचक प्रत्यय: (संज्ञा या विशेषण से) **ई** (लंबाई, मिठाई, कलाबाजी, चतुराई) **पा** (बुढ़ापा, मुटापा), **आहट** (घबराहट, चिकनाहट)।

विशेषणसूचक प्रत्यय: **दार** (मालदार, असरदार), **कर** (भयंकर), **कारी** (आज्ञाकारी), **द** (दुखद, सुखद), **दायी** (दुखदायी), **नाक** (शर्मनाक, खौफनाक), **देह** (तकलीफदेह)।

लघुतासूचक प्रत्यय: डिब्बा-डिबिया, बेटी-बिटिया, खाट-खटिया, कटोरा-कटोरी, पहाड़-पहाड़ी, नद-नदी।

लिंगसूचक प्रत्यय: **ई** (केलेवाली, चाची), **इन** (सुनारिन, मछुआरिन), **नी** (सिंधिनी, जादूगरनी, शेरनी), **इका** (अध्यापिका, गायिका, बालिका), **वती/मती** (सत्यवती, श्रीमती)।

ii) व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार वह है जिसमें दो शब्द मिलते हैं। इन शब्दों की रचना को हम समास की रचना से स्पष्ट करते हैं। हम यहाँ समास के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाएँगे, क्योंकि यह अपने में बड़ा विषय है। यहाँ केवल तीन प्रमुख समासों की चर्चा करेंगे।

तत्पुरुष समास: इस समास में दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है। इस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट भी किया जा सकता है।

उदाहरण:

समास	**विस्तृत पदबंध**
राजपुत्र	– राजा का पुत्र
गृहप्रवेश	– गृह में प्रवेश
देशभक्ति	– देश के प्रति भक्ति
शत्रुहंता	– शत्रु को मारनेवाला

द्वंद्व समास: इस रचना में दो शब्द साथ आते हैं, जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्दों के बीच "और" का या "या" का अर्थ छिपा होता है। उदाहरण–

समास	**अर्थ विस्तार**
माता-पिता	– माता और पिता (अर्थात मां-बाप)
गाय-बैल	– गाय और बैल (अर्थात सभी जानवर)
पाप-पुण्य	– पाप या पुण्य
हार-जीत	– हार या जीत

बहुव्रीहि समास: इस समास में दो शब्द मिलकर आते हैं और तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं।

समास	**विग्रह**	**इंगित अर्थ**
पीतांबर	पीत (पीला + अंबर) (वस्त्र)	वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों
वीणापाणि	वीणा + पाणि (हाथ)	वह व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा हो
जितेंद्रिय	जित (जीती गयी) + इंद्रियाँ	वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो
चंद्रवदन	चंद्र + वदन (चेहरा)	वह व्यक्ति जिसका मुख चाँद के समान हो आदि

प्रतिबिंबित शब्द (echo words): मान लीजिए, बस में एक सहयात्री घबराकर जेब टटोल रहा है। हम उससे पूछेंगे— क्या पैसे-वैसे खो गये? यहाँ "वैसे" का कोई अर्थ नहीं है, न ही हम सिर्फ "पैसे" की ही बात कर रहे हैं। "पैसे या इसी तरह की कोई चीज" हमारा अभीष्ट उद्देश्य है। जबकि तनख्वाह लेकर आने वाले से हमारा प्रश्न होगा "कितने पैसे मिले?" यहाँ "पैसे-वैसे" का प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे शब्दों को हम प्रतिबिंबित शब्द कहते हैं। प्रतिबिंबित शब्द पहले शब्द के अर्थ के संदर्भ में अन्य समान अर्थों का भी समावेश करता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिये:

वह कोई काम-वाम नहीं करता (नौकरी, अपना धंधा आदि)
तुम्हें घर-वर मिला कि नहीं (रहने का कोई स्थान)

पुनरुक्त शब्दों की रचना सरल है। इसमें सिर्फ पहला शब्द सार्थक है, दूसरा ध्वनि प्रतिबिंब है। मूल शब्द के पहले व्यंजन की जगह "व" रख दीजिए (पान-वान, दिन-विन)। पहले स्वर हो, तो दूसरे में "व" जोड़ दीजिए (आना-वाना, कहीं-कहीं "व"— आन-वान)। पहले शब्द में स्वर उ या ऊ हो तो दूसरे शब्द में "व" न जोड़ें (रुचि-उचि, फूल-ऊल)।

दूसरे प्रकार के पुनरुक्त शब्द वे हैं जिनमें कहीं दूसरा शब्द "आ" से बनता है (पी-पाकर, देख-दाखकर, सोच-साचकर मोड़-माड़कर, बोलबाला) तो कहीं दूसरा शब्द "ऊ" से बनता है। मार-मूरकर, काट-कूटकर, बाँध-बूँधकर। आपने देखा होगा कि ये सारे क्रिया के शब्द हैं। और तरह की रचनाओं को आप खुद ढूँढिए।

समास की रचना की चर्चा के बाद हम शब्द रचना के संदर्भ में कुछ अन्य प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे।

पुनरुक्त शब्द: यह द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है। लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। इन शब्दों का वाक्य में अपना विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है।

कुछ उदाहरण देखिए—

गाँव-गाँव में	अर्थात	हर गाँव में या सभी गाँवों में
पल-पल	अर्थात	हर पल, हमेशा
रो-रोकर	अर्थात	बहुत रोकर
मीठी-मीठी बातें	अर्थात	बहुत-सी मीठी बातें

चूँकि इन शब्दों में एक ही शब्द दो बार बोला जाता है, इसे कुछ व्याकरण द्विरुक्त (दो बार कहा गया) शब्द भी कहते हैं।

अनुकरणात्मक (anomatopoeic) शब्द: "खन-खनाना" किसी सिक्के के गिरने से होने वाली "खनखन" की आवाज से बना है। ऐसे शब्दों को हम अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। इसी से "खनक" शब्द भी बनता है। अन्य कुछ उदाहरण हैं— धड़धड़ाना, धड़कना, धड़ाका, चमचमाना, चमक, चमाचम, (यहाँ "चम" आवाज के आधार पर नहीं है, रोशनी का प्रतीक है); चिपचिपा, चिपचिपाहट, चिपकना (यहाँ "चिप" स्पर्श के भाव का प्रतीक है); सनसनाहट, सनसन, सनसनी; टपटप, टपकना, टपाटप।

एक अन्य प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द वे हैं जिनमें दो मिलते-जुलते रूप दिखायी पड़ते हैं, जो दोनों निरर्थक होते हुए भी एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं। उदाहरण— खलबली, सुगबुगाहट, रिम-झिम, खटपट, साम-झाम, झिलमिलाना आदि।

अभ्यास - 6
निम्नलिखित उपसर्गों से आगे इनसे बनने वाले कुछ शब्द दिये गये हैं, इनमें से कुछ शब्द इन उपसर्गों से नहीं बने हैं। उपसर्गों से बनने वाले सही शब्द पर ✓ चिह्न लगाइए।

1	अ	अधिक, अहंकार, अनाथ, अकारण
2	वि	विकार, विपरीत, विश्व, विद्या
3	सु	सुखद, सुगम, सुरुचि, सुरीला
4	अनु	अनुवाद, अनुशासन, अनुकरण, अनुपयोगी
5	ना	नासिर, नालक, नासमझ, नापसंद
6	बे	बेहद, बेहतर, बेसुरा, बेदर्द

बोध प्रश्न - 2
आप व्याकरण ग्रंथों में और अधिक समासों के उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ जो सीखा है उसके आधार पर शब्द के साथ समास का प्रकार लिखिए।

1)	अन्नदान	( )	2)	वनवास	( )
3)	धर्माधर्म	( )	4)	विद्यासागर	( )
5)	कामचोरी	( )	6)	शक्तिहीन	( )
7)	सभाभवन	( )	8)	नीलकंठ	( )
9)	शांतिप्रिय	( )	10)	धनुर्बाण	( )

19.8 मुहावरे और लोकोक्तियाँ

इसी इकाई में अनेकार्थी शब्दों के प्रसंग में हमने मुहावरेदार प्रयोगों की चर्चा की थी। "कानून के हाथ" में हम शरीर के एक अंग के एक प्रकार्य को कानून के संदर्भ में देखते हैं, जबकि "कानून" निर्जीव व्यवस्था है, और उसका हाथ नहीं हो सकता। इसीलिए इसे मुहावरेदार शब्द कहते हैं। मुहावरा इससे भिन्न है। हाथ डालना, हाथ खींच लेना, हाथ मारना आदि कुछ सामान्य शारीरिक व्यापार हैं (जैसे पानी में हाथ डालना, जेब में से हाथ बाहर खींच लेना, किसी पर हाथ को मारना आदि)। इन शब्दों के इस अर्थ को हम अभिधा का अर्थ यानी सामान्य अर्थ कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों प्रयोग मुहावरे के रूप में भी आते हैं, जहाँ इनका अर्थ भिन्न होता है।

काम में हाथ डालना (काम शुरू करना)
किसी काम में से हाथ खींच लेना (मदद न करना)
लंबा हाथ मारना (धोखाधड़ी से पैसे बनाना)

इस अर्थ को हम लक्षणा का अर्थ यानी अन्य अर्थ कहते हैं। लक्षणा के अर्थ वाले भाषा के प्रयोग मुहावरे कहलाते हैं।

कई मुहावरों में अभिधा का अर्थ (अभिधेयार्थ) स्पष्ट नहीं होता या असंगत लगता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं— कमर कसना, सर फोड़ना, बात बढ़ाना, दाँत खट्टे करना, थूककर चाटना, आँखें दिखाना आदि।

व्यक्ति मुहावरों की सृष्टि नहीं कर सकता। हम मुहावरों को भाषा के अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं। इनके अर्थ की सूक्ष्मता को भी हमें सीखना पड़ता है। "लाल-पीला होना" अधिक क्रोध का अर्थ देता है, "माथे पर बल पड़ना" कम क्रोध का अर्थ देता है। हमें इन सूक्ष्म अर्थच्छटाओं को सीखकर ही इन मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए।

मुहावरे वाक्यांश होते हैं (विशेषण युक्त संज्ञा या क्रिया) जबकि लोकोक्ति एक वाक्य के समान होती है। लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य या उक्ति है, जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं करता, लेकिन अपनी अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है, तब हम कहेंगे— "नाच न जाने आँगन टेढ़ा।" इस कहावत में एक समान स्थिति की व्यंजना है। ठीक से नाच न सकने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि आँगन के टेढ़े होने की बात कहता है। इस तरह लोकोक्ति का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थ होता है (छिपा हुआ अर्थ)।

लोकोक्तियों में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं। बिना पेंदी का लोटा (जो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है), दीपक तले अँधेरा (ज्ञान के साथ छिपा अज्ञान) आदि भाषा समुदाय के अनुभव के निचोड़ हैं।

यहाँ हम लोकोक्ति और सूक्ति या सुंदर उक्ति में अंतर करना चाहेंगे। लेखक तथा कुशल वक्ता उचित संदर्भ ढूँढकर सुंदर व्यंजनार्थ प्रकट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि "महान व्यक्ति मरकर जीता है" या "कायर सौ बार मरते हैं" तो हम विरोधाभास से महानता या कायरता के अर्थ को व्यंजित करते हैं। कुशल वक्ता ऐसी उक्तियों से अपनी भाषा की सुंदरता बढ़ा सकते हैं।

"खुली पुस्तक" व्यंजना है, व्यक्ति में छल-कपट के अभाव को सूचित करता है। इसी को हम वाक्य में कह सकते— "मेरा जीवन खुली पुस्तक के समान है।" ऐसी उक्तियाँ हम रोज ही अपनी भाषा में गढ़ते हैं। "बिना तेल की गाड़ी", "रॉकेट के समान गति", "टूटी हुई टहनी", "पहली तारीख का इंतजार" आदि उक्तियों में हम अपने अनुभव के आधार पर नयी व्यंजना लाते हैं। ऐसी उक्तियाँ जब रूढ़ हो जाती हैं, तो उन्हें लोकोक्ति का दर्जा मिलता है। ऐसी कई सुंदर उक्तियाँ साहित्यिक कृतियों में, वक्ताओं की वाणी में हमें देखने को मिलती है। आप कोशिश करें, तो स्वयं अपनी भाषा में ऐसी उक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

अभ्यास - 7

आगे कुछ मुहावरे दिये गये हैं और सामने उनके अर्थ का संकेत किया गया है। इनका वाक्यों में उचित ढंग से प्रयोग कीजिए।

(मामला) खटाई में पड़ना	-	मामले पर ठीक से कार्रवाई न होना
हाथ-पाँव फूलना	-	कार्य पूरा न होने की स्थिति में घबराहट होना
घड़ों पानी पड़ जाना	-	गलती के कारण शर्मिन्दा होना
अपने पैरों पर खड़ा होना	-	अपने ऊपर निर्भर होना
कान खड़े होना	-	अपने खिलाफ होने वाली बात के संदर्भ में चौकन्ना होना
मन में लड्डू फूटना	-	बहुत अधिक खुशी होना

अभ्यास-8

आगे पाँच कहावतों का अर्थ समझाया गया है और बाद में पाँच प्रसंग समझाये गये हैं जिनमें ये कहावतें प्रयोग की जा सकती हैं। उचित कहावत का प्रयोग कर प्रसंग पूरा कीजिए।

क) आम के आम गुठलियों के दाम — एक वस्तु से दो लाभ

ख) जिसकी लाठी उसकी भैंस — अन्याय और बल से जीतना

ग) दूर के ढोल सुहावने — दूर से सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पास आने पर वास्तविकता मालूम होती है।

घ) नौ दिन चले अढ़ाई कोस — सुस्ती के कारण धीरे काम करना

ङ) होनहार बिरवान के होत चीकने पात — बचपन से ही बड़प्पन दिखायी पड़ना।

1) उस आदमी की अमीरी की बहुत बात सुनी थी। निकट से देखने पर ही मालूम हुआ कि ....

2) बड़ा होशियार बच्चा था। कितनी छोटी उम्र में ही धनुर्विद्या सीख ली। कोई भी देखनेवाला कहता ....

3) राज्य में बड़ी अराजकता थी और गरीबों की सुननेवाला कोई न था। .... वाली कहावत उस पर चरितार्थ होती है।

4) तुम इस गति से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। .... इस तरह कभी काम पूरा नहीं कर सकते।

5) साहब, खरीदिए, मत, ले लीजिए। .... आपको सस्ते में घड़ी ही नहीं मिल रही है, साथ में पाँच साल की गारंटी भी है।

मुहावरे और कहावतें : अर्थ और रचना

आप यह जानना चाहेंगे, कि हम शब्दावली की इकाई में मुहावरों और कहावतों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ कारण हैं। हमने शब्दों के बारे में यह बताया कि भाषा-भाषी समुदाय इनकी सृष्टि करता है। व्यक्ति अपनी तरफ से नये शब्द नहीं बना सकता। यह बात मुहावरों और कहावतों पर भी लागू होती है। शब्दों के बारे में हमने चर्चा की कि इनका अर्थ यादृच्छिक होता है। इसी तरह मुहावरों में भी अर्थ पूर्व निश्चित होता है। "लाल-पीला होना" का अर्थ "क्रोध करना"। हम चाहें तो भी दूसरे अर्थों में (ईर्ष्या करना, शर्मिंदा होना आदि) इसका प्रयोग नहीं कर सकते। "एक अनार सौ बीमार" का अर्थ है एक वस्तु के लिए कई लोगों का आकांक्षी होना। हम इसका प्रयोग "इलाज के लिए उपयुक्त वस्तु" के अर्थ में करना चाहें, तो संभव नहीं है।

शब्दों की रचना सुनिश्चित होती है। जिस तरह हम शब्दों की रचना में परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे ही मुहावरों और कहावतों की रचना में भी मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकते। "लाल-पीला होना" का रूप "पीला-लाल होना" नहीं हो सकता। "काम बिगड़ना" के पर्याय का उपयोग करते हुए "कार्य बिगड़ना" नहीं कर सकते। कहावतों में शब्द क्रम नहीं बदला जा सकता, विस्तार नहीं किया जा सकता। "कोयले की दलाली में हाथ काला" को "कोयले की दलाली में काला हाथ" नहीं कह सकते या "कोयले की दलाली में हाथ काला हो जाता है" नहीं कह सकते।

अभ्यास – 9

क) निम्नलिखित मुहावरों को सही रूप में लिखिए। आवश्यकता पड़े तो शब्दकोश देखिए। उनका अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

आड़े हाथ से लेना ....

ईद का चंदा होना ....

मान दो नौ होना ....

बात का पहाड़ बनाना ....

गुस्सा गटक जाना ....

छाती पर अजगर बलना ....

बिस्तर पकड़ लेना (बीमार होना) ....

डींग लगाना ....

RIL-002

ख) निम्नलिखित कहावतों को सही शब्दावली तथा क्रम में लिखिए। जहाँ आवश्यकता हो, शब्दकोश देखिए।

अकेला मकई का दाना भाड़ को तोड़ नहीं सकता। ....

खोदा पर्वत निकला चूहा। ....

होनहार बिरवा के तीन चिकने पात होते हैं। ....

जितनी बड़ी दुकान उतने बेकार पकवान। ....

अंधे को तो बस दो आँखें ही चाहिए। ....

19.9 सारांश

इस इकाई में हमने भाषा की शब्दावली की रचना और उसके अर्थ पक्ष के बारे में अध्ययन किया।

भाषा की शब्दावली कैसे बनती है? कुछ शब्द भाषा के अपने होते हैं, कुछ शब्द अन्य स्रोतों से आते हैं, कुछ शब्द भाषा में आवश्यकतानुसार बना लिये जाते हैं। इस इकाई में हमने हिंदी की शब्दावली के इन तीनों पहलुओं की चर्चा की। स्रोतगत विश्लेषण में हमने हिंदी शब्दावली के स्रोतों की चर्चा की और बाद में हिंदी में शब्द बनाने की चर्चा की और धातु और प्रत्ययों का परिचय प्राप्त किया। इसी संदर्भ में यह भी देखा कि शब्द की अपनी रचना कैसे होती है। शब्द रचना के संदर्भ में ही हमने तीन प्रमुख समासों की रचना का विश्लेषण किया ये हैं: तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व।

शब्द के अर्थ पक्ष के संदर्भ में आपने शब्दों के सामाजिक स्तर भेद का परिचय प्राप्त किया और शब्द और अर्थ के संबंधों में पर्याय, विलोम आदि संकल्पनाओं का अध्ययन किया। अंत में भाषा के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अर्थों के विश्लेषण के साथ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना सीखा।

19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1 **अच्छी हिन्दी**— रामचंद्र वर्मा, इलाहाबाद

2 **आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना**— वासुदेवनंदन प्रसाद, भारती भवन, पटना

3 **प्रयोग और प्रयोग**— वी.रा. जगन्नाथन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली

4 **हिंदी भाषा का इतिहास**— धीरेन्द्र वर्मा, किताब महल, इलाहाबाद

19.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

1 ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है।

2 समाज में विभिन्न वर्गों, पेशों, व्यवसायों के लोगों की अपनी अलग-अलग भाषा होती है। जैसे व्यापारियों
अनौपचारिक
भाषा के कई रूप

बोध प्रश्न– 2

1. तत्पुरुष	2. तत्पुरुष	3. द्वंद्व	4. तत्पुरुष	5. तत्पुरुष
6. तत्पुरुष	7. तत्पुरुष	8. बहुव्रीहि	9. तत्पुरुष	10. द्वंद्व

अभ्यास– 2

अग्नि, अष्ट, वार्ता, स्वर्ण, जगत, क्षेत्र, लोक, जिह्वा, वृद्ध, दुग्ध

अभ्यास– 6

अधिक, अहंकार, विपरीत, विश्व, विद्या, सुखद, सुरीला, अनुदार, अनुपयोगी, नासिर, नामक, बेहतर में उपसर्ग नहीं।

अभ्यास– 8

1. ग, 2. ङ, 3. ख, 4. घ, 5. क

इकाई 20 संवाद शैली

इकाई की रूपरेखा

20.0 उद्देश्य
20.1 प्रस्तावना
20.2 वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएँ
  20.2.1 वाक्य
  20.2.2 वाक्य में पदक्रम
  20.2.3 अनुतान
  20.2.4 सम्प्रेषण का उद्देश्य
  20.2.5 वाक्य में रूपक का प्रयोग
20.3 वार्तालाप (मूल पाठ)
20.4 वार्तालाप पर चर्चा
20.5 सारांश
20.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
20.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

20.0 उद्देश्य

आधार पाठ्यक्रम की भाषा से संबंधित पिछली इकाइयों में अब तक आपने हिंदी भाषा की लिपि, ध्वनि एवं शब्द, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त किया है। इस इकाई का उद्देश्य आपको हिंदी भाषा में वार्तालाप या संवाद की प्रकृति से परिचित करवाना तथा संवाद लिखना सिखाना है। इस इकाई को पढ़ने एवं समझने के बाद आप:

- लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा के अंतर को समझ सकेंगे,
- हिंदी भाषा में वाक्य की विशेषताएँ रेखांकित कर सकेंगे,
- हिंदी भाषा में वार्तालाप या संवाद लिख सकेंगे,
- वार्तालाप या संवाद की विभिन्न विशेषताएँ बता सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई हिंदी भाषा से संबंधित आधार-पाठ्यक्रम के चौथे खंड की दूसरी इकाई है। इससे पूर्व के तीन खंडों की विभिन्न इकाइयों में अब तक आप ने हिंदी भाषा की व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त की है। हमें उम्मीद है कि अब तक आप हिंदी भाषा की लिपि, ध्वनि, शब्द, मुहावरे आदि की प्रमुख विशेषताओं को पहचान चुके होंगे। इस इकाई में हम आप को मुख्य रूप से संवाद की विशेषताओं को समझा कर संवाद लिखना सिखाएंगे।

इतना तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी भाषा का इस्तेमाल सामान्यतः दो रूपों में होता है— लिखित एवं मौखिक। भाषा का जन्म इसके मौखिक रूप में ही हुआ है। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद की घटना है। यहाँ हमारा संबंध भाषा के मौखिक रूप से है। अर्थात् यहाँ हम बातचीत में प्रयुक्त भाषा की चर्चा करेंगे। आपस में की जाने वाली बातचीत को हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं। वार्तालाप या संवाद उस भाषा से बहुत भिन्न होता है, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। लिखित भाषा एक व्यवस्थित तथा व्याकरणिक भाषा होती है। उसका हर एक के लिए एक निश्चित अर्थ होता है, जो उस भाषा में निहित रहता है। किंतु वार्तालाप में ऐसा नहीं होता। वार्तालाप या संवाद की भाषा व्याकरण के नियमों से बँध कर नहीं चलती। वार्तालाप की भाषा बहुत सहज होती है। आप इस इकाई का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि वार्तालाप में किस प्रकार टूटे हुए वाक्य आते हैं, अंग्रेजी शब्दों का खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया जाता है (जिसे कोडमिक्सिंग कहा जाता है), भाषा में प्रांतीय भाषा के शब्द जुड़ जाते हैं तथा कैसे विभिन्न शब्दों पर बल दे कर अपनी बात कही जाती है। किसी भी भाषा में वार्तालाप करते हुए जब किसी दूसरी भाषा के शब्दों या वाक्यों का उस भाषा के वार्तालाप में इस्तेमाल होता है तो उसे कोडमिक्सिंग कहा जाता है।

20.2 वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएँ

यह तो आप जान ही गये होंगे कि वार्तालाप या संवाद आपस में की जाने वाली बातचीत को कहते हैं और यह बातचीत वाक्यों में होती है। इसलिए सब से पहले भाषा में वाक्य क्या होता है तथा वार्तालाप में वाक्य का इस्तेमाल कैसे होता है— इसकी पड़ताल करें।

20.2.1 वाक्य

भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होता है। अर्थात् एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए

"राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी।"

इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके एक क्रिया-कलाप की सूचना है।

वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों के अपने अर्थ वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है। यों किन्हीं भी आठ-दस शब्दों को एक जगह रख देने से वाक्य नहीं बन जाता। जैसे .... राम, खाना, पैसा, शाम, उधार, लेना, माँगना। इन आठ-दस शब्दों से कोई भी सुनिश्चित अर्थ ध्वनित नहीं होता। इस कारण यह आवश्यक है कि वाक्य में आने वाले शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ें जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। वास्तव में शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे वाक्यांश कहते हैं। शब्द वाक्यांश के रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी कर्त्ता का होना अनिवार्य है और उसके क्रिया-व्यापार का उल्लेख आवश्यक है। यही वाक्यांश हैं जिसे क्रमश: हम कर्त्ता और क्रिया वाक्यांश कहते हैं। एक वाक्य में कम से कम दो वाक्यांश ज़रूरी हैं और क्रिया व्यापार के संदर्भ में अन्य बहुत से अर्थों को प्रकट करने के लिए हम और वाक्यांश जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए आरेख में आप एक वाक्य के गठन को देख सकते हैं:

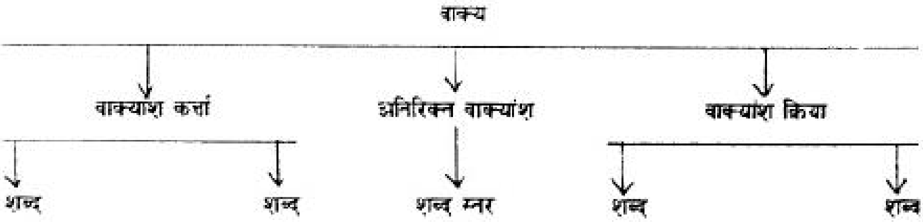

हमने ऊपर चर्चा की कि एक वाक्य में दो से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं। वाक्यांशों की संख्या अलग-अलग वाक्य प्रकारों के लिए अलग-अलग होती है। कुछ वाक्यों में दो वाक्यांश ज़रूरी हैं और कुछ वाक्यों में दो से अधिक। हम आगे हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य-प्रकारों का वर्णन करेंगे, जिनमें अनिवार्य वाक्यांशों का उल्लेख वाक्यांश के नीचे दिखाया गया है।

1	अकर्मक वाक्य	**लड़का** कर्त्ता		**सोया** क्रिया	
2	सकर्मक वाक्य	**वह** कर्त्ता	**खाना** कर्म	**खा रहा है** क्रिया	
3	गंतव्य सूचक वाक्य	**वह** कर्त्ता	**कालिज** गंतव्य	**गयी** क्रिया	
4	द्विकर्मक वाक्य	**मैंने** कर्त्ता	**उसको** प्राप्तकर्त्ता	**पैसे** कर्म	**दिये** क्रिया
5	पूरक वाक्य	**मुझे** कर्त्ता	**बुखार** पूरक	**है** क्रिया	
6	कर्मपूरक वाक्य	**मैंने** कर्त्ता	**राधा को** कर्म	**डाक्टर** कर्मपूरक	**बनाया** क्रिया

ये प्रमुख वाक्य प्रकार हैं। ऐसे कुछ अन्य वाक्य प्रकार भी हैं, जिन्हें आप व्याकरण ग्रंथों में देख सकते हैं।

ऊपर दिए गए वाक्यों में उल्लिखित वाक्यांश इन वाक्यों के लिए अनिवार्य घटक हैं। आमतौर पर अन्य सूचनाओं के लिए कई ऐच्छिक वाक्यांशों का भी प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ प्रमुख ऐच्छिक वाक्यांशों का उल्लेख किया गया है:

ऐच्छिक वाक्यांश

स्थान वाचक — कमरे में, दीवार पर, आदि

- समय वाचक — शाम को, ठीक सात बजे
- करण वाचक — चाकू से
- प्रयोजन वाचक — राम के लिए, आदि।

इसी प्रकार ऐच्छिक वाक्यांशों के अन्य कई प्रकार हैं जो सामान्य वाक्य संरचना में अतिरिक्त अर्थ के लिए जोड़े जाते हैं। एक वाक्य में दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं और पूर्ण अर्थ देते हैं।

वाक्य क्रम

हर वाक्य का एक सहज क्रम होता है। ऊपर छह वाक्य प्रकारों की हमने चर्चा की है। उनका सामान्य क्रम यही है। जहाँ तक ऐच्छिक वाक्यांशों का प्रश्न है— हिंदी में इस संदर्भ में कुछ स्वतंत्रता है। क्रिया से पूर्व इन वाक्यांशों को हम बदले हुए क्रम में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए

1 कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी।

2 मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी।

3 मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी।

इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य रूप में अनिवार्य घटकों का एक क्रम होता है और ऐच्छिक घटक इनके साथ अधिक स्वतंत्र क्रम में आते हैं।

एक वाक्यांश में एक या अधिक शब्द होते हैं। कुछ शब्द निश्चित वाक्यांश प्रकार के साथ ही आ सकते हैं। जैसे **ने कर्ता के साथ (कर्ता ने)** ही आएगा। और **क्रिया** में सहायक क्रिया "है ?" आदि आएँगे। एक वाक्यांश के भीतर भी शब्दों का विस्तार संभव है। **लड़के को** कर्म वाक्यांश है, अर्थात् इस में ये दोनों शब्द अनिवार्य हैं। इसके साथ कई अतिरिक्त शब्द जोड़े जा सकते हैं, जिससे वाक्यांश का विस्तार हो। इसी वाक्यांश का विस्तार होगा— **मेरे छोटे लड़के को,** आदि।

वाक्यांश का एक और प्रकार्य है। वाक्यांश कुछ और व्याकरणिक सूचनाएँ देते हैं, उदाहरण के लिए— क्रिया वाक्यांश में कर्ता के लिंग, वचन आदि की सूचना होती है और क्रिया व्यापार के संदर्भ में उसके बल, अर्थ (mood) आदि की सूचना भी होती है।

बोध प्रश्न-1

नीचे दिये गये प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

1 लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है ?

....

....

....

....

....

....

2 लिखित और मौखिक में से भाषा का कौन-सा रूप प्राचीन है ?

....

....

3 वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है ?

....

....

....

अभ्यास - 1

नीचे कुछ वाक्य दिये गये हैं। इनमें ऐच्छिक वाक्यांशों को रेखांकित करें और सामने दी गयी खाली जगह में इन के प्रकार लिखें कि ये कौन-से ऐच्छिक वाक्यांश के प्रकार हैं।

1 दीवार पर एक तस्वीर टँगी हुई है। ( )

2 शाम को हम सब बाज़ार जाते हैं। ( )

3 गाड़ी ठीक आठ बजे छूटती है। ( )

4 उसने चाकू से डिब्बा खोला। ( )

5 यह पेन मैंने राम के लिए लिया है। ( )

अभ्यास-2

नीचे दिए गए वाक्यों में अनिवार्य वाक्यांशों को रेखांकित करते हुए बताएँ कि ये कौन से वाक्य प्रकार हैं।

उदाहरण:	**मैंने**	**राम को**	**पैसे**	**दिए**	(द्विकर्मक वाक्य)
	कर्ता	प्राप्तकर्ता	कर्म	क्रिया	

1. मैदान में गाय घास चर रही है। ( )
2. बच्चे पैदल स्कूल गये। ( )
3. उसने अपने बेटे को टिकट के लिए पाँच रुपये दिये। ( )
4. उसे चार दिन से मलेरिया है। ( )
5. बच्चा दूध पीकर सोया। ( )

20.2.2 वाक्य में पदक्रम

ऊपर की चर्चा में हमने वाक्य में सामान्य पदक्रम का उल्लेख किया है। बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में परिवर्तन भी किया जाता है।

उदाहरण: सामान्य पदक्रम : आप बाकी पैसे लीजिए
परिवर्तित पदक्रम : लीजिए बाकी पैसे आप

इस परिवर्तन का क्या कारण है ? हम परिवर्तित पदक्रम में क्रिया को आगे क्यों ले आये हैं ? इस का कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएँ देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आते हैं। अर्थात् यहाँ हम क्रिया को प्रमुखता देते हैं। इस प्रक्रिया को "अग्रप्रस्तुति" कहा जाता है। उदाहरण के लिए:

"यदि आप मकान तलाश कर रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद आप को मकान मिला है। आप घर आ कर कहते हैं . . . . "**मिल गया मकान।**"

यहाँ मिलने की बात पर बल है। मकान का मिलना नयी सूचना है जबकि मकान (शब्द) पहले से परिचित सूचना है। इस तरह नयी सूचना को आगे प्रस्तुत करना "अग्रप्रस्तुति" है।

सामान्य बोलचाल में व्यक्ति सामान्य वाक्य क्रम में अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता। कभी-कभी उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द से काम चला लिया जाता है।

उदाहरण के लिए:

क) आप ने उन्हें कितने रुपये दिये थे ?

ख) चार

यहाँ सिर्फ उस एक शब्द का उच्चारण है जो वास्तव में अपेक्षित नयी सूचना है। इसी प्रकार व्यक्ति कभी-कभी अपनी ओर से वाक्य को अधूरा छोड़ देता है या कुछ बातें श्रोता के समझने हेतु छोड़ देता है। जैसे—

"तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना नहीं तो . . . .

"हम जा तो सकते थे लेकिन . . . .

कभी-कभी श्रोता वक्ता को वाक्य के आधे ही में रोक देता है और वह अपनी ओर से उसके कथन को पूरा कर देता है। इस के दो कारण हो सकते हैं। वह या तो वक्ता के कथन को समझ चुका है और वक्ता के अनुसार ही वाक्य को पूरा करता है, या कभी श्रोता वक्ता को वाक्य पूरा करने का अवसर दिए बिना उससे भिन्न कथन को अपनी ओर से जोड़ देता है जिससे वह अपने मतभेद को सामने ला सके।

उदाहरण के लिए:

क) "यदि वे लोग दस मिनट के भीतर न आए . . . .

ख) तो हम लोग चल देंगे यही कहना चाह रहे थे ना।"

20.2.3 अनुतान

आपने आधार पाठ्यक्रम की इकाई 2 में अनुतान के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अतः आप जानते हैं कि अनुतान से तात्पर्य "बोलने के ढंग" से है। एक ही वाक्य को विभिन्न अनुतानों से बोला जाता है तो उन का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए:

वह चला गया। (सामान्य सूचक)

वह चला गया ? (प्रश्न)

वह चला गया! (विस्मय)

इस एक ही वाक्य में तीन चिह्न (खड़ी पाई (पूर्ण विराम), प्रश्न चिह्न तथा विस्मयादिबोधक चिह्न) तीन अनुतानों का बोध

कराने हैं। विस्मयादि बोधक चिह्न में न केवल विस्मय बल्कि आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि अर्थ भी प्रकट हो सकते हैं।

अनुतान का भाषा में महत्व

अनुतान से हम किस प्रकार सामान्य बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को प्रकट करते हैं। वास्तव में हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं। यानि दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज़ होते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं। इसी प्रकार एक वक्तव्य में व्यक्ति फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता प्रकट करना या अपना अधिकार जताना आदि कई अर्थ पक्षों को ले कर चलता है। ये सारे अर्थ अनुतान से प्रकट होते हैं। लेकिन एक ही वाक्य से इतने सारे मनोभाव कैसे प्रकट हो सकते हैं। सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास सिर्फ एक अनुतान है और वह इन सारे भावों को एक साथ कैसे लेकर चलता है?

मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के साथ-साथ आवाज़ ऊँची करना, शब्दों पर बल देना (जिसे व्याकरण में बलाघात कहते हैं) और चेहरे के भावों तथा अन्य आँगिक चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से से बात करते हैं तो आवाज़ तेज़ करते हैं और जब दीनता से बात करते हैं या कुछ माँगते हैं तो आवाज़ धीमी करते हैं। यदि गाली देते हैं तो गाली के शब्द पर ज़ोर होता है और ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। लेकिन जब किसी मित्र को परिहास में गाली देते हैं तो उच्चारण लम्बा करते हैं और अनुतान थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। इन समस्त सहयोगी गुणों, कार्य-कलापों से हम अपने बहुत से मनोभावों को प्रकट करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है और इसी के अनुरूप वह वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। वह भी इन मनोभावों पर अक्सर टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिए:

श्रोता: नज़र क्यों दिखा रहे हो? आवाज़ ऊँची करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे नहीं डरता।"

इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है, लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसे कथन वार्तालाप के वास्तविक संदर्भ को पहचानने में पाठक की सहायता भी करते हैं।

20.2.4 सम्प्रेषण का उद्देश्य

सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिये हुए उद्देश्य को भी हम पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं।

"जब माँ बच्चे से कहती है कि सूरज ढल गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बैठना चाहिए।"

इस आशय को समझने वाले व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं या प्रति-वक्तव्य करते हैं। संदर्भ को न समझने वाला व्यक्ति इस वार्तालाप के अर्थ को नहीं समझेगा।

इसी प्रकार किसी वक्तव्य का प्रतिवक्तव्य भी छिपा हुआ अर्थ लिए हुए होता है। आगे एक प्रश्न और उसके संभावित उत्तर में छिपे हुए अर्थ को पहचानिए।

क) अरे सारी मिठाई कहाँ चली गयी?

ख) अभी गोपाल कमरे में गया था। (अर्थात् उसने सारी मिठाई खा ली होगी)

ग) हाँ, मैंने ही खा ली है। (अर्थात् मुझ पर बेकार संदेह किया जा रहा है)

20.2.5 वाक्य से ऊपर का स्तर

व्याकरण में आमतौर पर सिर्फ वाक्य की संरचना तक का ही विश्लेषण किया जाता है। लेकिन भाषा वास्तव में अकेले वाक्यों तक सीमित नहीं है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, जिसे अक्सर हम इसलिए, लेकिन, हालाँकि आदि संयोजकों द्वारा जोड़ते हैं। यदि ये संयोजक सही न हों तो कुल मिला कर सही तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए:

"पानी बरस रहा था, चूँकि मैं बाहर नहीं जा सकता था।"

इस कथन में संयोजक "चूँकि" से दो बातों को जोड़ा गया है। लेकिन कुल मिलाकर कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि संयोजक का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया। इस वाक्य का सही रूप हो सकता है-

"चूँकि पानी बरस रहा था, मैं बाहर नहीं जा सकता था।"

इस प्रकार वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पाठ को "प्रोक्ति" कहा जाता है, जिसका विश्लेषण हम पूरे पाठ के संदर्भ में कर सकते हैं। सामान्य रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे के कथन के संबंध को हम प्रोक्ति के संदर्भ में देख सकते हैं।

प्रोक्ति शब्द आप को कठिन लग सकता है लेकिन समझने में यह इतना कठिन नहीं है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो तो उस पूरे निबंध का पाठ या वस्तु प्रोक्ति है। इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग आदि के इर्द-गिर्द ही होंगी। इसी तरह से एक कविता या कहानी या उपन्यास कुल मिलाकर एक प्रोक्ति (discourse) है। ऐसे पाठ की संरचना के विश्लेषण में हम वाक्यों में क्रमबद्धता, संयोजन आदि बातों को देख सकते हैं। प्रोक्ति को इन कुछ विशेषताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है।

बोध प्रश्न-2

नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

1 बोलचाल की भाषा में वाक्य के सामान्य पदक्रम में क्या परिवर्तन होता है? इस परिवर्तन का कारण क्या है?

....

....

....

2 अनुतान से आप क्या समझते हैं? अनुतान बदलने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है?

....

....

....

3 वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम भाषा में अनुतान के अलावा और किन-किन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं?

....

....

....

4 प्रोक्ति किसे कहते हैं?

....

....

....

विराम चिह्न

किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिह्नों का अत्यधिक महत्व है। बिना विराम चिह्नों के भाषा को समझना कठिन होता है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिह्नों की चर्चा करेंगे।

क) **अल्पविराम (Comma)** : अल्पविराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए विराम। अल्पविराम को कौमा (,) लगा कर बनाया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है:

1) जब एक ही शब्द भेद के तीन या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो। जैसे— "राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गये।"

2) जब अनेक शब्दयुग्मों का वाक्य में प्रयोग हो तो अंतिम को छोड़ कर के पूर्व तक के शब्दयुग्मों के बाद जैसे— "हानि-लाभ, सुख-दुख, हार-जीत ये सभी जीवन के साथी हैं।"

3) इसी प्रकार संबोधन के बाद जैसे— "राम, जरा इधर आना।"

4) किसी भी उक्ति के बाद 'कि' के स्थान पर जैसे— "गुरुजी ने कहा, खूब मेहनत करो।"

5) यदि वाक्य के बीच में पदांश या वाक्यखण्ड आ जाए तो उसके दोनों ओर पर अल्पविराम का प्रयोग होता है जैसे— "चिंता, चाहे जिस प्रकार की हो, मनुष्य को भस्म कर देती है।"

इसके अतिरिक्त भी जब उद्देश्य बहुत लम्बा हो, दो वाक्यखंडों के बीच "और" का लोप होने पर आदि स्थितियों में अल्पविराम का प्रयोग होता है।

ख) **अर्धविराम (Semi Colon)** : अल्पविराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो, वहाँ अर्द्धविराम (;) का प्रयोग होता है। जैसे :

(;) प्रयोग होता है। जैसे-

'पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊँचा हो; छात्र अध्ययन में किस प्रकार तल्लीनतापूर्वक प्रवृत्त हों,

उनमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो तथा वे अध्यापक के प्रति भक्तिभाव किस प्रकार प्रकट करें।"

ग) **उपविराम (Colon)** : अर्धविराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो, और साथ ही वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित न हो वहाँ उपविराम (:) का प्रयोग होता है। पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे— प्रसाद: विचार और विश्लेषण (पुस्तक शीर्षक) भारत आरण्यक का देश: अरण्यहीन (निबंध शीर्षक)।

घ) **पूर्णविराम (Full Stop)** : जहाँ वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए, वहाँ पूर्णविराम (।) का प्रयोग होता है। जैसे, राम स्कूल गया। पूर्णविराम के लिए आजकल (.) का प्रयोग भी किया जाने लगा है।

ङ) **प्रश्नवाचक (Interrogation)** : प्रश्नवाचक (?) प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में आता है। जैसे— क्या राम स्कूल गया?

च) **विस्मयादिबोधक (Exclamation)** : आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक (!) का प्रयोग होता है। साथ ही विस्मयादि सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह! ओह! अरे!

छ) **संयोजक चिह्न (Hyphen)** : दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच (ऊँच-नीच), सहचर शब्दों के बीच (खाना-पीना), प्रतिबिम्बित शब्द और सार्थक शब्द के बीच (अनाप-सनाप), द्वन्द्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच (राम-कृष्ण), जब संज्ञा की पुनरुक्ति हो (गाँव-गाँव) आदि स्थितियों में संयोजक चिह्न (-) का प्रयोग होता है।

अभ्यास-3

यहाँ हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, जिसमें से सभी विराम चिह्न हटा लिये गये हैं। आप जहाँ जो विराम चिह्न लगना हो, लगा कर इन वाक्यों को पूरा करें

क) रमेशजी क्या हालचाल हैं

ख) जैसी बारिश इस साल हुई पहले कभी नहीं हुई थी

ग) यहाँ कभी कभी बर्फ भी पड़ जाती है

घ) वाह कितना खूबसूरत फूल है

ङ) सुबह हुई आकाश में सूरज की सुनहली किरणें अठखेलियाँ करने लगीं फूलों पर भंवरे मंडराने लगे सारा संसार जीवन की उमंग में थिरकने लगा

च) भारत एक साम्प्रदायिक देश

छ) उर्वशी विचार और विश्लेषण

ज) वह तो खाना पीना सोना जागना भी भूल गया

20.3 वार्तालाप (मूल पाठ)

अब हम "यात्रा की तैयारी" विषय पर एक वार्तालाप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे पढ़ने पर आप देखेंगे कि बातचीत में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है और भाषा के लिखित रूप में संवाद की भाषा कैसे भिन्न होती है।

वार्तालाप

(वर्मा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। नाश्ता चल रहा है)

श्री वर्मा : सुनो, अगले हफ्ते मेरी पाँच दिन की छुट्टी है। इस बार क्यों न कहीं चला जाए।

श्रीमती वर्मा : वाह! यह तो अच्छा सुझाव दिया आपने। बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाये। मनीष भी कई बार कह चुका है। कुछ दिन की और छुट्टी ले लीजिए। पुरी हो आएंगे। मिसेज (मिश्रा) पिछली बार वहाँ गई थी तो वहाँ की कई दिनों तक तारीफ ही करती रहीं।

मनीष : क्या कहा, पुरी? वह भी कोई जगह है। पापा कश्मीर चलिए न! हर बार फ़िल्म में कश्मीर देखता हूँ तो मन करता है कि एक बार ज़रूर वहाँ जाना चाहिए।

प्रशांत : पापा, जयपुर चलिए न! सुना है बड़ी ही सुंदर जगह है। मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ की हर चीज़ गुलाबी है।

मनीष : क्या जगह चुनी है गर्मियों में जयपुर? मरना है क्या? इन दिनों लोग पहाड़ पर जाते हैं। जब तक झरने, पहाड़, जंगल न हों घूमने का मज़ा ही क्या? कश्मीर का क्या मुकाबला वह तो स्वर्ग है, स्वर्ग।

प्रतिभा : नहीं पापा! दिल्ली चलिए। मैं पिछली बार स्कूल की ट्रिप में जा नहीं सकी थी। "अप्पू घर" की तारीफ सुन-सुनकर मैं तो बोर हो गयी।

श्रीमती वर्मा : ओ हो! इस में इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? मनीष तुम जा कर पर्यटन कार्यालय से पता कर आओ।

मनीष : हाँ माँ। वहाँ हर तरह की जानकारी मिल जाती है। मैं अभी हो आता हूँ।

(मनीष टूरिस्ट ब्यूरो में पर्यटन अधिकारी से मिलता है)

पर्यटन अधिकारी : कहिए।

मनीष : सर! हम चार-पाँच दिनों का शार्ट टूर करना चाहते हैं। आप कोई अच्छा प्लेस, सजेस्ट करें।

प. अ. : देखिए, यों तो शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ही लोग प्रेफर करते हैं। वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं?

मनीष : आई एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर।

प. अ. : कश्मीर के लिए जम्मू होते हुए आप को जाना होगा। आप वहाँ "वैष्णो देवी" का टेम्पल भी देख सकते हैं। बट यू शुड हैव एटलीस्ट टेन डेज़।

मनीष : ठीक है और कोई मैटर?

प. अ. : आप जयपुर, चंडीगढ़, अजमेर आदि का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, हाँ, एक काम करो— ये सारे ब्रोश्योर ले जाओ। हैव ए ट्रॉक विद योर फैमिली।

मनीष : यस, इट्ज ए गुड आईडिया। आप ये सब दे दीजिए

(मनीष संबोधित सामग्री लेकर घर आता है)

प्रशांत : भैया आ गये। लाओ भैया, मुझे राजस्थान का नक्शा दो। ये रही पिंक सिटी जयपुर।

प्रतिभा : रहने दे यह, सब तेरे दोस्त रवि की लगाई हुई आग है। वो दिन-रात पिंक सिटी का गाना जो गाता रहता है। पापा दिल्ली ही चलिए मुझे शॉपिंग भी करनी है वहाँ।

मनीष : आप दोनों अपनी चोंच थोड़ी देर बंद ही रखें तो बेहतर होगा चलो पापा लेट अस डिसाइड इट नाऊ।

श्रीमती वर्मा : सुनिए, मनीष का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। मिसेज़ तलवार कह रही थी अगले हफ्ते ही आएगा।

श्री वर्मा : हाँ भई, यह बात तो हम लोग भूल ही गये। अगर मनीष का रिजल्ट हफ्ते भर में निकलने वाला है तो ऐसे में इसका मन भी नहीं लगेगा घूमने में। एडमिशन वैसे भी लेट हो गया है, इस बार।

श्रीमती वर्मा : वही तो हम कहते थे (हमने कहा था) आप को कुछ भी तो याद नहीं रहता। एडमिशन में बाद में परेशानी होगी। और तो और जबलपुर वाले मामाजी भी तो अगले हफ्ते ही आने को कहते थे।

प्रतिभा : कहीं जाने की बात हो तो कोई न कोई रिश्तेदार जरूर आ टपकता है।

प्रशांत : पापा! कोई बहाना नहीं चलेगा। लेट अस गो टू डल्हौज़ी। मुझे अच्छा-सा बैट भी तो खरीदना है।

मनीष : व्हाट ए प्लेस। तब आगरा ही क्या बुरा है। घूमने के लिए दिल्ली जाने की बात कभी किसी ने सुनी है? सो बोर।

श्रीमती वर्मा : वैसे हम मनीष जब छोटा था तभी गये थे। पर आप यदि आफिस के काम में उलझ गये तो पिछली बार की तरह मुझे रसोई की सड़ी गर्मी ही झेलनी पड़ेगी। ऐसे में हमें कहीं नहीं जाना।

श्री वर्मा : इस बार हम लोग किसी होटल में ठहरेंगे। कम्पलीट होलिडे। नो रिश्तेदार नो आफिस। अब तो ठीक है।

मनीष : पापा, चलिए न। हम लोग ताज के टिकट बुक कर आएं। टी.सी.आई. में सब हो जाता है।

श्री वर्मा : हाँ यह भी ठीक है। चलो टी.सी.आई. से ही "अशोक यात्री निवास" की बुकिंग भी हो जाएगी। क्यों श्रीमती जी! अब तो खुश हैं ना?

प्रशांत : अवर पापा इज ग्रेट।

श्री वर्मा : मनीष। मेरे दिल्ली वाले आफिस का नम्बर नोट कर लेना।

मनीष : जी पापा।

20.4 वार्तालाप पर चर्चा

अभी आपने ऊपर लिखित वार्तालाप पढ़ा। अब हम इस वार्तालाप का विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे कि इस वार्तालाप में कहीं पर अंग्रेज़ी के शब्दों या वाक्यों का बीच-बीच में खुला प्रयोग किया गया है (कोडमिक्सिंग), कहीं पर शब्दों का उच्चारण बदला हुआ है, कहीं बातों में अनुतान एवं बलाघात का प्रयोग किया गया है। इन सारी बातों को हम अलग-अलग शीर्षकों में रख कर देखने का प्रयास करेंगे।

अनुतान : हम अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए वार्तालाप में अनुतान का प्रयोग करते हैं। इस वार्तालाप के निम्नलिखित कथनों को देखें :

1 "वाह! यह तो अच्छी खबर दी आपने।" (आश्चर्य)

2 "क्या कहा, पुरी ? यह भी कोई जगह है।" (असहमति)

3 "पापा, जयपुर चलिए न।" (अनुरोध)

4 "क्या जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर। मरना है क्या ?" (असहमति)

5 ओ हो! इस में इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है ? (खीज)

अब आप देखें कि कैसे इन वाक्यों में लहजे या अनुतान के द्वारा विभिन्न मनोभावों को प्रकट किया गया है। पहले वाक्य में आश्चर्य के साथ-साथ प्रसन्नता भी व्यक्त हो रही है। इसे अगर ऐसे कहा जाता है कि "यह अच्छी खबर दी आपने" तो लहजा बदलने के साथ ही इस वाक्य का आशय भी बदल जाता है। कभी-कभी अनुतान बदलने के साथ वाक्य के पदक्रम में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात् कुछ शब्द वाक्य से छूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। अन्य वाक्यों को भी देखें कि अनुतान द्वारा उनमें किस प्रकार आश्चर्य, असहमति, अनुरोध एवं खीज जैसे मनोभावों को प्रकट किया गया है। अतः बोलने के ढंग में उतार-चढ़ाव से, शब्दों को ऊँचा या धीमा बोल कर हम वार्तालाप में अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं।

बलाघात : वार्तालाप में बलाघात का भी बहुत महत्व है। बातचीत करते हुए हम शब्द या वाक्य में हर जगह बल नहीं देते। कुछ विशेष शब्दों पर ही बल देते हैं। इस का कारण क्या है ? हम जिन शब्दों पर बल देते हैं, उन के द्वारा हम नयी सूचना दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए इस वार्तालाप के ये संवाद देखिए।

प्रशांत : पापा, **जयपुर** चलिए ना। सुना है बड़ी ही सुंदर जगह है। मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ की हर चीज़ गुलाबी है।

मनीष : कैसी जगह चुनी है, **गर्मियों** में जयपुर ? मरना है क्या ? इन दिनों लोग **पहाड़** पर जाते हैं।

इन संवादों को बोलते हुए जयपुर, गर्मियों तथा पहाड़, इन शब्दों पर बल आता है। क्योंकि ये तीनों शब्द नयी सूचना देते हैं।

इस प्रकार वार्तालाप में नयी सूचना देने के लिए या कभी-कभी किसी विशेष बात को महत्त्व देने से भी शब्दों और वाक्यों पर बल दिया जाता है।

अभ्यास — 4

निम्नलिखित वाक्यों में अनुतान से कौन से मनोभाव प्रकट हो रहे हैं ?

1 छोड़ो न, वह अपने आप चला जाएगा। (   )

2 वाह! क्या बात कही आपने। (   )

3 मम्मी, बाज़ार चलो न। (   )

4 तुम सारी मिठाई खा गये! (   )

5 तुम सारी मिठाई खा गये। (   )

6 तुम सारी मिठाई खा गये ? (   )

अभ्यास — 5

नीचे कुछ मनोभाव दिये गये हैं। इन मनोभावों को प्रकट करने वाले वाक्य बनाइये। एक मनोभाव के लिए एक वाक्य बनाइये। उत्तर लिखने से पूर्व अभ्यास — 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इससे आप को उत्तर लिखने में सहायता मिलेगी।

1 (आश्चर्य) ....

2 (आश्चर्य एवं प्रसन्नता) ....

3 (क्रोध) ....

4 (सामान्य सूचना) ....

5 (प्रश्न) ....

कोडमिक्सिग: आपने मूल पाठ के रूप में दिए गए वार्तालाप को पढ़ते हुए देखा होगा कि बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जब भाषा में बातचीत करते हुए बीच-बीच में दूसरी भाषा के शब्दों/ वाक्यों का प्रयोग हो तो इसे "कोडमिक्सिग" कहा जाता है। बोलने वाला या वक्ता अपनी इस प्रवृत्ति के प्रति जागरूक नहीं होता। ऐसा वह जानबूझकर नहीं कर रहा होता। तो इस कोडमिक्सिग का कारण क्या है? और क्या एक वक्ता हर किसी से बात करते हुए कोडमिक्सिग करता है? इस का पहला और प्रमुख कारण तो संप्रेषण अर्थात् अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना ही है। इसके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता या यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोडमिक्सिग के और क्या कारण हैं। क्योंकि एक ही वक्ता विभिन्न लोगों से बातचीत करते हुए हमेशा कोडमिक्सिग नहीं करता। फिर भी कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति होती भी है।

हमारा संबंध यहाँ मूल पाठ में हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों के किए गए प्रयोग से है। पढ़ा लिखा प्रत्येक हिंदी भाषी अपने वार्तालाप में अंग्रेजी के शब्दों, वाक्यों का कमोबेश प्रयोग करता है। इस के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

1 हिंदी भाषा में अनेक अंग्रेजी शब्दों का हूबहू प्रचलन और स्वीकार। जैसे रेल, स्टेशन, पैन, गिलास, गुड मार्निंग, गुड इवनिंग, हैलो, टी.वी. आदि।

2 अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संपर्क भाषा के रूप में उपलब्ध होना। आप देखेंगे कि भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएँ उत्तर भारत की भाषाओं से कितनी भिन्न हैं। अत: दक्षिण भारतीय के साथ बात करने के लिए या तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए या उसे आप की। यह हर स्थिति में संभव नहीं होता। किन्तु अंग्रेज़ी भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं।

3 अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा।

फिर भी कोडमिक्सिग वार्तालाप में होना चाहिए या नहीं इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारी राय है कि यदि किसी एक भाषा में संवाद या वार्तालाप बोलना या लिखना सीखना हो तो निश्चित रूप से जहाँ तक हो सके कोडमिक्सिग नहीं करनी चाहिए। दिए गए पाठ के इन वाक्यों को देखें।

- मैं पिछली बार **स्कूल की ट्रिप** में जा नहीं सकी थी।
- **सर!** हम चार पाँच दिनों का **शार्ट टूर** करना चाहते हैं।
- आप कोई अच्छा **प्लेस सजेस्ट** करें।
- **आइ एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर।**
- आप यहाँ वैष्णों देवी का **टेम्पेल** भी देख सकते हैं।
- **बट यू शुड हैव एटलीस्ट टेन डेज़।**
- ये सारे **प्रोस्योर** ले जाओ।
- **हैव ए टाक विद योर फैमिली।**
- **यस इटज़ ए गुड आइडिया।**
- ये रही **पिंक सिटी** जयपुर।
- मुझे **शापिंग** भी करनी है यहाँ।
- चलो पापा **लेट अस डिसाइड इट नाउ।**
- मनीष का **रिज़ल्ट** तो अभी तक नहीं आया।

इन वाक्यों में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का और पूरे वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। आप इन वाक्यों में प्रयुक्त उन अंग्रेज़ी शब्दों को छाँट कर अलग कर सकते हैं, जिन की जगह हिंदी के शब्द बड़ी आसानी से प्रयुक्त हो सकते थे। हम ऐसे शब्दों को नहीं चुनेंगे जो हैं तो अंग्रेजी भाषा के ही किन्तु जो अब बोलचाल हिंदी भाषा में पूरी तरह खप गये हैं।

अभ्यास-6
मान लीजिए क, ख, ग आप के मित्र हैं जिन के साथ आप दशहरे का मेला देखने जा रहे हैं। इस विषय पर आप मित्रों के बीच जो संवाद होता है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन बीच-बीच में कुछ संवाद छोड़ दिए गये हैं। जिन्हें आपको लिखना है।

क) चलो भाई' चलना नहीं है क्या?
ख) ....

क) दशहरे का मेला देखने। और किधर।
ग) ....

क) अच्छा। तो तुम यहीं पर हो।

ग) ....

ख) हाँ यह तो मुझ से किताब लेने आया था।
क) किताब-विताब छोड़ो और तुम भी साथ चलो।

ग) ....

ख) अरे चलो यार-सब रहेंगे तो मजा आएगा।

ग) लेकिन ....

क) तुम इसी बात से चिंतित हो ना कि घर पर सूचना कैसे दें।

ख) ऐसा करते हैं .... तुम्हारे घर से होकर चलते हैं .... वहाँ बताते हुए चलेंगे।

ग) ....

क) अब क्यों नहीं चल सकोगे।

ग) ....

ख) पैसे-वैसे छोड़ो। मेरे पास है।

क) ....

ख) पचासेक रुपये

क) ठीक है। आओ चलें।

प्रांतीय विशेषताएँ

आप यह तो जानते ही हैं कि हिंदी भाषा सभी प्रांतों में नहीं बोली जाती। हर प्रांत की अपनी अलग भाषा या बोली है। हिंदी भाषा के भी कई रूप हैं समस्त उत्तर प्रदेश की भाषा होते हुए भी बनारस और लखनऊ की बोलचाल की हिंदी में आप बहुत अंतर पाएँगे। यह अंतर दो प्रकार का होगा। एक तो लहजे का और दूसरा प्रांतीय शब्दों का। बनारस का व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो बनारस प्रांत के शब्द एवं लहजे का प्रयोग करेगा दूसरी ओर जब एक दक्षिण प्रांत का रहने वाला व्यक्ति हिंदी में बोलेगा तो उसकी हिंदी में लिंग, वचन की गड़बड़ी झलकेगी। हिंदी में वार्तालाप करते समय मानक हिंदी के उच्चारण को अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मूल पाठ को आप ने पढ़ा है। आप ने देखा होगा कि इसमें श्रीमती वर्मा की भाषा पर प्रांतीय प्रभाव झलकता है। इसलिए वह मनीष को मनीस, मिश्रा को मिसा और खबर को खबर बोलती हैं।

हिंदी शैली/ उर्दू शैली

हिंदी लिखते या बोलते समय कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अरबी-फारसी, तुर्की के शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। सुविधा के लिए इसे हिंदी शैली (संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग) और उर्दू शैली (अरबी-फारसी, तुर्की के शब्दों के शब्दों का अधिक प्रयोग) भी कह दिया जाता है। जहाँ तक हिंदी भाषा में बातचीत करने का सवाल है ये दोनों शैलियाँ सही हैं। वैसे आमतौर पर बातचीत में इन दोनों का मिला-जुला रूप ही देखने को मिलता है। इसलिए उर्दू के ऐसे शब्दों से परहेज नहीं करना चाहिए जो सामान्य रूप से स्वीकृत एवं प्रचलित हों। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित शब्दों को देखें जिन में दोनों रूप सही एवं सर्वमान्य हैं।

उर्दू	हिंदी	उर्दू	हिंदी
जरूरत	आवश्यकता	मजबूरी	विवशता
दाखिला	प्रवेश	ख्वाब	स्वप्न
कोशिश	प्रयास	जिन्दगी	जीवन
लफ्ज	शब्द	गुफ्तगू	बातचीत
एहसास	महसूस	सही	ठीक
दिमाग	मस्तिष्क		

जो मूल पाठ आपने पढ़ा है उसकी शैली देखिए-कौन-सी शैली है। आप पाएंगे कि स्पष्ट रूप से यह न तो उर्दू शैली है और न हिंदी शैली। इसमें दोनों का मिला-जुला रूप है।

अभ्यास-7

नीचे कुछ उर्दू शैली में संवाद दिए जा रहे हैं। आप को इन संवादों को हिंदी शैली में बदल कर लिखना है।

संवाद उर्दू शैली	संवाद हिंदी शैली

क) आप के मिजाज कैसे हैं?

ख) आपकी इनायत है।

क) अर्सा हो गया आप से मुलाकात नहीं हुई!

ख) दरअसल मैं शहर में नहीं था।

क) आप कहाँ तशरीफ ले गये थे।

ख) मैं तिजारत (व्यापार) के सिलसिले में कलकत्ता गया था।

क) कुछ नफा हुआ।

20.5 सारांश

सम्पूर्ण इकाई पढ़ने के बाद आप समझ गये होंगे कि वार्तालाप या संवाद भाषा का वह मौखिक रूप है जो लिखित भाषा से भिन्न होता है। लिखित भाषा व्याकरण का अनुकरण करती हुई चलती है किन्तु मौखिक भाषा में व्याकरण लचीला होता है। वार्तालाप या संवाद करते हुए कोडमिक्सिंग करना, भाषा में प्रांतीय शब्दों का आ जाना, टूटे हुए वाक्य बोलना, किसी के मुँह की बात छीन लेना आदि मौखिक भाषा की विशेषताएँ हैं।
वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं रहते अर्थात् हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही सम्प्रेषित नहीं करते अपितु कई भाषेतर तत्व हमारे सम्प्रेषण का भाग बनते हैं जैसे आंगिक क्रियाएँ, संदर्भ प्रसंग, प्रतीक आदि।

आशा है आप हिंदी में संवाद लिखने का सफल प्रयास कर पाएंगे।

20.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

तिवारी भोलानाथ, **अच्छी हिंदी: कैसे बोले कैसे लिखें**, दिल्ली: लिपि प्रकाशन, 1988
जगन्नाथन, वी.रा., **प्रयोग और प्रयोग**, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981

20.7 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

1 लिखित भाषा एक व्यवस्थित एवं व्याकरणिक भाषा होती है। उसका हर एक के लिए एक निश्चित अर्थ होता है, जो उस भाषा में निहित रहता है। किंतु मौखिक भाषा व्याकरण की दृष्टि से लचीली भाषा होती है। इसमें टूटे हुए वाक्यों का इस्तेमाल होता है, कोडमिक्सिंग होती है, प्रांतीय भाषाओं के शब्द आते हैं तथा अपनी बात करने के लिए भाषेतर तत्वों का इस्तेमाल भी किया जाता है।

2 मौखिक रूप

3 वाक्य सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को कहा जाता है, जिससे स्पष्ट रूप से कोई आशय प्रकट हो और वाक्यांश बिना क्रिया के दो या दो से अधिक पदों के समूह को कहा जाता है।

बोध प्रश्न-2

1 बोलचाल की भाषा में वाक्य के सामान्य पदक्रम में प्रायः क्रिया का परिवर्तन होता है। वाक्य के पदक्रम में क्रिया आगे आ जाती है। इस परिवर्तन का कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देना होता है।

2 "बोलने के ढंग" या "लहजे" को अनुतान कहते हैं। अनुतान बदलने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि इसके अर्थ एवं आशय में परिवर्तन हो जाता है।

3 वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के अलावा आवाज ऊँची करना शब्दों पर बल देना, चेहरे के भावों तथा अन्य आंगिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं।

4 वाक्य के स्तर से ऊपर के पाठ को प्रोक्ति कहा जाता है।

अभ्यास-3

क) रमेश जी, क्या हालचाल हैं ?

ख) जैसी बारिश इस साल हुई, पहले कभी नहीं हुई थी।

ग) यहाँ कभी-कभी बर्फ भी पड़ जाती है।

घ) वाह! कितना खूबसूरत फूल है।

ङ) सुबह हुई; आकाश में सूरज की सुनहली किरणें अठखेलियाँ करने लगीं;
फूलों पर भंवरे मंडराने लगे; सारा संसार जीवन की उमंग से थिरकने लगा।

च) भारत: एक सांस्कृतिक देश

छ) उर्वशी: विचार और विश्लेषण

वह तो खाना-पीना, सोना-जागना भी भूल गया।

अभ्यास-4 संवाद शैली

1 खीज एवं आग्रह

2 आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता

3 आग्रह

4 विस्मय

5. सूचना

6 प्रश्न

इकाई 21 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य
21.1 प्रस्तावना
21.2 पत्र लेखन के प्रकार
21.2.1 अनौपचारिक पत्र
21.2.2 औपचारिक पत्र
21.3 सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया
21.3.1 टिप्पण
21.3.2 प्रारूपण
21.4 सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार
21.4.1 सरकारी पत्र
21.4.2 अर्ध-सरकारी पत्र
21.4.3 कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश
21.4.4 परिपत्र
21.4.5 अधिसूचना और संकल्प
21.4.6 पृष्ठांकन
21.5 सारांश
21.6 शब्दावली
21.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
21.8 अभ्यासों के उत्तर

21.0 उद्देश्य

सरकारी पत्राचार से संबंधित इस इकाई में हमने विविध प्रकार के पत्र-लेखन के संदर्भ में सरकारी पत्राचार की चर्चा की है। व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में होता है। विभिन्न स्थितियों और विषयों के अनुकूल हमारी भाषा और प्रस्तुति का स्वरूप बदलता है। इसी दृष्टि से विविध स्थितियों में पत्र लेखन सिखाना इस इकाई में हमारा उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- लिखित भाषा के अनौपचारिक तथा औपचारिक रूप में अंतर कर सकेंगे,
- अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्र लिख सकेंगे,
- सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया की चर्चा कर सकेंगे,
- टिप्पण और प्रारूपण का महत्व बता सकेंगे,
- कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रों में अंतर पहचान सकेंगे,
- प्राप्त पत्र पर टिप्पणी लिख सकेंगे, और
- पत्र का प्रारूप तैयार कर सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

चौथे खंड की पिछली इकाइयों में हम हिंदी भाषा की शब्द रचना और मुहावरों तथा वार्तालाप की विभिन्न शैलियों की चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में आप पत्राचार के बारे में पढ़ेंगे।

पत्र हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। हम सभी पत्र लिखते हैं और हमारे पास पत्र आते हैं। आप अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं, यदि आपके आस-पास के इलाके में किसी सार्वजनिक सुविधा की ज़रूरत है तो इसके लिए आप संबद्ध अधिकारी को पत्र लिखते हैं। यदि विद्यालय या कार्यालय से छुट्टी लेनी है तो आप पत्र लिखते हैं। इसी तरह यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र लिखते हैं, कोई जानकारी पाना या देना चाहते हैं तो पत्र लिखकर पूछते या देते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से करते हैं। इस तरह हमारे जीवन के बहुत से कामकाज पत्रों के माध्यम से चलते हैं। पत्र से हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी विस्तृत सूचनाएँ भेज सकते हैं जिन्हें भौतिक रूप से भेजना संभव नहीं है,अनेक ऐसी सूचनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से दे सकते हैं। जिन्हें यदि मौखिक रूप से दिया जायेगा तो हो सकता है कि सुनने वाला याद ही न रख पाए। इसके अलावा पत्र में दी गई सूचना एक

लिखित दस्तावेज़ होती है आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर से देखा जा सकता है तथा उसका हवाला दिया जा सकता है। इस तरह के हवाले या संपर्क की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में तो कभी-कभार ही पड़ती है किंतु शासकीय मामलों में इसका बड़ा महत्व होता है। सरकारी कामकाज के संचालन में पिछले पत्र सूचना, संदर्भ, उदाहरण या प्रमाण के रूप में काम आते हैं। व्यक्तिगत या सामान्य पत्र भी कभी-कभी सार्वजनिक महत्व के होते हैं। समाज में विशेष व्यक्तियों जैसे साहित्यकारों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि द्वारा अपने संबंधियों या मित्रों या सहयोगियों को लिखे गये पत्रों से उनके जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है उनसे उनके सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। साथ ही उस समय और समाज में मानवीय संबंधों की जानकारी भी मिलती है। इस तरह के पत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है उदाहरण के लिए पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के संग्रह "पिता के पत्र पुत्री के नाम" को ही लें। इसका एक अंश आपने पहले खंड की इकाई तीन के रूप में पढ़ा भी है। इन पत्रों का महत्व इस बात में है कि बच्चे को विज्ञान, इतिहास और भूगोल की प्रारंभिक जानकारी एक कहानी के रूप में सरल और स्पष्ट भाषा में दी गई है। इस तरह ये दूर-शिक्षा का एक सहज और सुंदर नमूना है। इसी तरह यदि हम हजारीप्रसाद द्विवेदी के पत्र या निराला के पत्र या मुक्तिबोध के पत्र या ऐसे ही अन्य साहित्यकारों के छपे हुए पत्र पढ़ते हैं तो उनके रचनाकर्म को समझने में मदद मिलती है।

इस इकाई में हमारा उद्देश्य आपको पत्र लिखना सिखाना है। आप कह सकते हैं कि भला ये कोई बड़ी बात है। इसमें क्या है, हमें अपने मित्र से जो कुछ कहना है उसे हम आराम से लिख देते हैं। बचपन में हमें स्कूल में ही पत्र लिखना सिखा दिया गया था। अब स्नातक स्तर पर आ कर इसे फिर से सीखने की क्या जरूरत है?

यह सही है कि बचपन में आपको सामान्य पत्र लिखना या स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना सिखाया गया था। किंतु हम देख चुके हैं कि पत्र की जरूरत जीवन के विविध क्षेत्रों में पड़ती है। यदि आप सही ढंग से पत्र नहीं लिख पाते तो हो सकता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हों, उसे पत्र पाने वाला ठीक तरह से न समझ पाए और आपके काम में कोई अनावश्यक रुकावट आ जाए। इसलिए सही ढंग से पत्र लिखना आना जरूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कामकाज या व्यवसाय या व्यापार में पत्राचार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप किसी रोजगार में हैं तो अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिए आपको सही ढंग से पत्र लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आप रोजगार में नहीं भी हैं तो भी यदि आपको किसी कार्यालय या संस्था से कोई पत्र मिलता है और आप से कोई सूचना माँगी जाती है तो जब तक आप सही ढंग से पत्र का उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक हो सकता है कि आपकी सूचना सही स्थान पर या सही ढंग से न पहुँचे।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्रों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए सरकारी पत्राचार के बारे में पढ़ेंगे। सरकारी पत्राचार में टिप्पण और प्रारुपण की विशेष भूमिका होती है अत: साथ-साथ ही इनकी चर्चा भी करेंगे।

21.2 पत्र-लेखन के प्रकार

पत्र लेखन दो तरह का होता है: औपचारिक और अनौपचारिक। हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से या अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा तौर-तरीका वह नहीं होता जो अपने घर में या अपने दोस्तों से बातचीत करते समय होता है। पिछली इकाई में आपने संवाद शैली के बारे में पढ़ा है और आप जानते हैं कि अपने मित्र या माता-पिता या भाई-बहन से बात करते समय हम काफी अनौपचारिक या बेतकल्लुफ व्यवहार करते हैं। किन्तु कार्यालय या विद्यालय या अन्य सार्वजनिक स्थितियों में हम औपचारिक ढंग से बातचीत करते हैं जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के दो रूप हैं उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी दो रूप होते हैं। विशेष रूप से पत्र-व्यवहार में ये रूप काफी स्पष्ट होते हैं। अतएव पत्र भी दो प्रकार के होते हैं।

i) अनौपचारिक पत्र
ii) औपचारिक पत्र

21.2.1 अनौपचारिक पत्र

अनौपचारिक पत्र वस्तुत: व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की बातचीत का सा निजीपन होता है। आप जिस व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं उससे आपके संबंध औपचारिक नहीं होते। अत: पत्र की भाषा-शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। माता-पिता और बच्चों के बीच या पति-पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। यह विविधता वस्तुत: उतनी ही व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव-जीवन की स्थितियाँ। इसलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं (सुख-दुख, स्नेह आदि) की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, उपदेश और तर्क भी हो सकता है और शिकायत भी हो सकती है। यहां इन सभी स्थितियों तथा लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं किसी तीसरे के लिए नहीं होते।

यद्यपि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता। तथापि पत्र के ऊपरी ढाँचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है जिसका आम तौर पर पालन किया जाता है। यह पद्धति निम्नलिखित है-

1) अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता, और तारीख सबसे ऊपर दायीं ओर लिखी जाती है।

2) उसके बाद बायीं ओर पत्र पाने वाले का संबोधन होता है। यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है। यानी माता-पिता या अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर "आदरणीय", "माननीय" विशेषण का प्रयोग होता है, बराबर वालों या छोटों के लिए अक्सर "प्रिय" विशेषण का प्रयोग होता है।

3) फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभाशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अभिवादन पत्र पाने वाले की आयु, लिखने वाले से उसके संबंध आदि के अनुसार होता है।

4) पत्र का आरंभ कुशलता के समाचार या पत्र पाने के संदर्भ पत्र पाने की सूचना या ऐसी ही किसी अन्य बात से होता है। फिर पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों के मुख्य विषय के आकार संबंधी कोई बंदिश नहीं होती। यह पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है और कुछ पृष्ठों का भी हो सकता है।

5) पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर से पहले **स्वनिर्देश** लिखना है। यह स्वनिर्देश "आपका/ आपकी" या "तुम्हारा/ तुम्हारी" लिखा जाता है।

6) **यदि कोई बात पत्र लिखते समय छूट जाती है या लिखने वाले को बाद में कुछ ध्यान आता है तो पुनश्च (यानी बाद में जोड़ा गया अंश) लिख कर उस बात को जोड़ देता है।**

अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र का नमूना

1) फ्लैट नंबर 302,
आशादीप बिल्डिंग,
12 हेली रोड,
दिल्ली- 110001

2) 20.10.88

3) प्रिय अणिमा,

4) बहुत-सा स्नेह

5) आज ही तुम्हारा पत्र मिला
(पत्र का मूल भाग)

6) तुम्हारी दीदी

अंजु

7) **पुनश्च**: हो सकता है फरवरी में हमारा राउरकेला आने का कार्यक्रम बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा।

अभ्यास-1

1) नीचे पत्र का एक और नमूना दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। उसमें जहाँ भी गलती दिखाई दे सुधारिए।

विमलकांत
35, मौर्य एन्क्लेव
दिल्ली-110053

6 मई 1987

आदरणीय चाचा जी,
नमस्कार

बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला ....

....

सधन्यवाद

भवदीय
विमलकांत

21.2.1 औपचारिक पत्र

औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते या फिर जिनके बीच संबंध काफी औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र-व्यवहार शामिल होता है जैसे,

(1) व्यावसायिक पत्र,

(2) विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र,

(3) आवेदन पत्र,

(4) सामान की खरीद के पत्र,

(5) सरकारी पत्र।

औपचारिक पत्रों की भाषा-शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी के औपचारिक पत्रों पर सामान्य रूप से लागू होती हैं।

औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाने चाहिए क्योंकि पत्र, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में तथा स्पष्ट भाषा में कहना जरूरी होता है। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होता है, उनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता, इसीलिए ऐसे पत्र का आकार एक या अधिक से अधिक दो टंकित पृष्ठों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पत्र में कही गयी बात में यथातथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है ताकि पढ़ने वाला उसे सहजता से समझ सके। पत्र में यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया है तो उसकी तारीख, संख्या, विषय आदि सही होने चाहिए। छोटी-सी गलती होने पर समय, श्रम तथा धन की हानि हो सकती है। यदि ऐसी गलती व्यावसायिक पत्र में होती है तो इसका असर उस कंपनी या फर्म की साख पर पड़ सकता है और यदि आवेदन पत्र या किसी अनुरोध पत्र में होती है तो पत्र लिखने वाले को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासनिक मामलों में तो इस तरह की गलती से गंभीर कानूनी समस्या भी पैदा हो सकती है।

औपचारिक पत्र में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती। इसकी भाषा में ऐसा अटपटापन या रूखापन भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अस्पष्ट या बुरी लगे। सहज विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए।

हम कह चुके हैं कि औपचारिक पत्रों का रूपाकार सुनिश्चित होता है। उसमें व्यक्तिगत पत्रों की सी विविधता नहीं होती और उसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। हम यह भी चर्चा कर चुके हैं कि औपचारिक पत्र व्यवहार कई तरह के होते हैं और हर तरह के पत्र व्यवहार की अपनी पद्धति होती है। आगे हम विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्रों की नमूनों सहित चर्चा करेंगे।

आवेदन पत्र

आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं जैसे, नौकरी के लिए, छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, किसी विशेष अनुमति या सुविधा को पाने के लिए।

1) आवेदन पत्र की शुरुआत बायीं ओर ऊपर से की जाती है। सबसे पहले "सेवा में" लिखा जाता है।
2) फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पदनाम और उससे अगली पंक्ति में पता लिखा जाता है जिसके नाम पत्र भेजा जा रहा है।
3) संबोधन के रूप में "महोदय" शब्द का प्रयोग होता है।
4) यदि आवेदन पत्र नौकरी के लिए है तो नौकरी के विज्ञापन का संदर्भ दिया जाता है जिसमें विज्ञापन की तारीख और संख्या आदि का उल्लेख होता है। फिर मुख्य विषय की शुरुआत निवेदन के रूप में की जाती है अतः वाक्य अक्सर "निवेदन है" शब्दों से शुरू किया जाता है।
5) फिर पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में "धन्यवाद सहित" या "सधन्यवाद" शब्द का प्रयोग किया जाता है।
6) अंत में स्वनिर्देश के रूप में बायीं ओर "भवदीय", "प्रार्थी", "विनीत" शब्द का प्रयोग होता है।
7) फिर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा अपना पता लिखता है।
8) यहाँ पर बायीं ओर तारीख लिखी जाती है।

विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र का नमूना

1) सेवा में
2) प्रधानाचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
भोपाल

3) महोदय,

4) निवेदन है कि मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र, दिल्ली द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे दि. 21.1.89 से 23.1.89 तक आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

5) सधन्यवाद,

6) भवदीया
7) निरुपमा महेश्वरी
प्राध्यापिका
संगीत एवं कला विभाग
राजकीय महाविद्यालय
भोपाल-462001

8) 20.12.88

नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना

1) सेवा में
2) प्रबंध निदेशक,
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
दिल्ली-110001

3) महोदय,

4) निवेदन है कि दिनांक 10.10.88 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन सं 3/5/88 के संदर्भ में मैं हिंदी सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है:

नाम ....
पता ....
शैक्षिक योग्यता ....
अनुभव संबंधी सूचना ....
अन्य सूचना ....

यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इसके योग्य सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूँगा।

5) सधन्यवाद

6) भवदीय
7) राम प्रकाश शर्मा
बी 2/86 अशोक नगर
औरंगाबाद-431001

8) 15.10.88

किसी संस्था से या समाचार पत्र के संपादक से यदि कोई असुविधा या शिकायत करनी है तो शिकायत के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे जाते हैं संबोधन में महोदय के अलावा "मान्यवर" या "श्रीमान" आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। इनमें लिखने वाला चाहे तो अपना पता ऊपर दायीं ओर उस ढंग से भी लिख सकता है जैसे अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है।

व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र

अनौपचारिक पत्रों में व्यापारिक या व्यावसायिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है। ये पत्र विभिन्न

व्यापारियों या व्यावसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें इस प्रकार हैं:

1) ये पत्र अक्सर संस्था के "लेटर हेड" पर लिखे जाते हैं जिस पर संस्था या फर्म का नाम, पता, फोन नं., तार का पता आदि छपा होता है। यदि लेटर हेड उपलब्ध न हो तो ये विवरण टाइप कर दिये जाते हैं। इससे पत्र पाने वाले को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है।

2) अक्सर किसी विषय में व्यावसायिक पत्र-व्यवहार काफी समय तक चलने की संभावना होती है। इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्रों में उसका संदर्भ दिया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक भी कहा जाता है। यह पत्र के शुरू में बायीं ओर ही लिखी जाती है।

3) इसके नीचे उस व्यक्ति या संस्था आदि का नाम और पता लिखा जाता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है।

4) दायीं ओर तारीख लिखी जाती है।

5) संबोधन के लिए "प्रिय महोदय" शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तब भी "महोदयगण" संबोधन का प्रयोग नहीं होता भले ही अंग्रेजी में इसके लिए Sirs शब्द का प्रयोग होता हो।

6) इसके बाद मूल कथ्य दिया जाता है। यदि एक से अधिक प्रमुख बातें लिखनी हों तो उनका उल्लेख स्पष्ट ढंग से और अलग-अलग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार का ध्यान सदैव रखा जाना चाहिए।

7) इसके बाद स्वनिर्देश में "भवदीय" लिखा जाता है।

8) अंत में हस्ताक्षर किये जाते हैं। व्यापारिक पत्र में हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं उसके बारे में यह माना जाता है कि वह संस्था की ओर से उस पत्र के संबंध में जिम्मेदार है। उसे वह सब कहने और करने का अधिकार है जो पत्र के माध्यम से उसने कहा या लिखा है। इसलिए व्यावसायिक पत्रों पर अक्सर संस्था या फर्म के स्वामी, व्यवस्थापक, साझीदार या प्रबंधक के हस्ताक्षर होते हैं। किसी कम महत्व के पत्र पर संस्था की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकता है जिसे इस तरह हस्ताक्षर का अधिकार प्राप्त हो।

9) यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागजात भेजे जा रहे हों (अर्थात् किसी अन्य पत्र या करार आदि के प्रति, कोई नियमावली या सूची आदि भेजी जा रही हो) तो उसका उल्लेख बायीं ओर नीचे किया जाता है।

व्यावसायिक पत्र का नमूना

1) गीतांजलि प्रकाशन
(प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता)

1188, बाग फरज़ान
आगरा

2) पत्र सं. वि/2018/88 ता. 25.6.84

3) प्रकाशन प्रबंधक
हिंदी ग्रंथ अकादमी
25, बंगलो रोड
दिल्ली-110007

4) प्रिय महोदय,

5) आपकी माँग के अनुसार हम अपने प्रकाशनों की सूची भेज रहे हैं। ये सभी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे नये प्रकाशनों का सेट आगामी फरवरी तक छप कर तैयार हो जाएगा।

पुस्तकों की दस-दस प्रतियाँ खरीदने पर हम 25% व्यापारिक छूट देते हैं। इसके अलावा बिल का भुगतान एक माह के भीतर करने पर हम 1/2 प्रतिशत नकद छूट की सुविधा भी देते हैं।

आदेश के साथ बीस प्रतिशत राशि पेशगी भेजना आवश्यक है। पैकिंग नि:शुल्क है।

कृपया अपना आदेश भेज कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें

6) भवदीय

7) सदानंद मिश्र
कृते गीतांजलि प्रकाशन

8) संलग्न:
पुस्तक सूची

HIL-002

अभ्यास - 2

i) आपने 20 जून 88 को अपने छोटे भाई को 200 रु. मनीआर्डर द्वारा भेजे। यह राशि 15 जुलाई 88 को आपके छोटे भाई के पास पहुँची। रुपये समय से न पहुँचने के कारण वह अपने स्कूल की फीस समय से नहीं दे सका। इस मामले की शिकायत पोस्ट मास्टर से करते हुए एक पत्र लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ii) आप गर्मियों में एक सप्ताह के लिए मसूरी जाना चाहते हैं। गर्मियों में बहुत से लोग मसूरी घूमने जाते हैं अतः आप चाहते हैं कि आपके ठहरने का प्रबंध पहले से ही हो जाए। इसलिए आप पर्यटक आवास केंद्र में कमरा बुक कराना चाहते हैं। नीचे इस संबंध में पत्र लिखना शुरू किया गया है उसे पूरा कीजिए—

सेवा में
प्रबंधक,
उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम,
मसूरी,
(उत्तर प्रदेश)

....

....

....

....

....

भवदीय

सरकारी पत्राचार

औपचारिक पत्र-व्यवहार का एक अन्य रूप है सरकारी या शासकीय पत्राचार। यह पत्राचार या पत्र-व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। हम जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन व्यवस्था का कार्य विभिन्न मंत्रालयों को बाँट दिया जाता है। काम का यह बँटवारा प्रधान मंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का कार्यभार एक या एक से अधिक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के कार्य के विस्तार को देखते हुए उसे विभिन्न विभागों, स्कंधों, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में बाँट दिया जाता है। इनके कार्य को देखने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं जो क्रमशः संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या शाखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में कार्य को निपटाने के लिए अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक तथा टंकक, लिपिक वर्गीय सचिवालयी कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित व्यक्तियों, कार्यालयों और संस्थाओं के पत्र आते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्राप्त होने वाले पत्रों को दर्ज करने, तथा उन पर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है।

जब हमें कोई व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है तो हम स्वयं उसका उत्तर दे देते हैं। यदि वह पत्र परिवार के अन्य लोगों से भी संबंधित होता है तो सब लोग उस विषय में अपनी-अपनी राय दे देते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पत्र आया होता है वह उत्तर लिख देता है। किन्तु जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहाँ के किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संबंधित न होकर उसकी पदीय हैसियत से संबंधित होता है। यानी निदेशक को संबोधित पत्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो उस समय निदेशक के पद पर है। मान लीजिए, यदि श्री वर्मा निदेशक के पद पर हैं तो वह पत्र उनके लिए है किंतु यदि दो दिन बाद श्री वर्मा का तबादला

हो जाता है और उनके स्थान पर श्री राजन आ जाते हैं तो वह पत्र श्री राजन के लिए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि पत्र के संबंध में हर कार्रवाई लिखित रूप में हो। इसके अलावा कार्यालय में किसी भी पत्र के विषय में कोई भी निर्णय किसी न किसी नियम/कानून के आधार पर लिया जाता है। अत: जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निपटाया गया हो उनका उल्लेख भी जरूरी होता है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सही निर्णय लिया गया है। इस दृष्टि से कार्यालय में पत्राचार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है।

21.3 सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया

कार्यालय में प्राप्त पत्र को कार्यालयी भाषा में "आवती" कहा जाता है। जैसे ही कोई पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुँचता है उसे आवती रजिस्टर में दर्ज करके संबद्ध अनुभाग के डायरी कर्ता के पास भेज दिया जाता है। डायरी लिपिक हर आवती को डायरी करके (डायरी में दर्ज करके) अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उस पर संबद्ध सहायक का नाम अंकित करके उसे सौंप देता है। महत्वपूर्ण पत्र जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उससे भी ऊपर के अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं, जहां संबंधित सहायक उन पर कार्रवाई करते हैं। शाखा अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी यदि किसी आवती पर अनुभाग की सहायता के बगैर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस आवती को अपने पास रख लेते हैं अन्यथा आवतियों पर हस्ताक्षर करके और आवश्यक निदेश देकर वापस अनुभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं।

21.3.1 टिप्पण

कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो उसके अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है। यह कार्रवाई टिप्पण कार्य कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निदेश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएँ आदि टिप्पणी कहलाती हैं। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। आवती मिलने के बाद संबंधित सहायक उसे संगत मिसिल (फाइल) पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद न हो (यानी पत्र पहली बार कार्यालय में आया हो) तो नई फाइल खोली जाती है।

आवती के विषय में पहली टिप्पणी संबंधित सहायक की होती है। वह पत्र का सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही हैं या नहीं। यदि कोई बात गलत है तो वह क्या है? उस मामले में यदि पहले कोई पत्र-व्यवहार हो चुका हो तो उसका सार भी वह टिप्पणी में देता है। इसके बाद वह कानूनों, नियमों नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करता है जिनके अनुसार आवती पर निर्णय लेना उचित होगा। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है और यदि हो सके तो निर्णय की दिशा का भी संकेत होता है। अंत में सहायक बायीं ओर हस्ताक्षर करता है और फाइल अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद भी लिया जा सकता है, किन्तु टिप्पणी एक स्थायी रिकार्ड होती है जिसे जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देख कर यह बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया और किन परिस्थितियों में तथा किन नियमों और विचारों के अंतर्गत लिया गया।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत है? सीधे ही उत्तर लिख कर अधिकारी से अनुमोदन क्यों नहीं प्राप्त कर लिया जाता? अभी ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि टिप्पणी में सहायक किस किस बात का उल्लेख करता है। इससे हमें पता लगता है कि टिप्पणी के तीन उद्देश्य होते हैं—

i) प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके **पूर्ववृत्त** के बारे में जानकारी संबंधित अधिकारी को देना।

ii) प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो अथवा विकल्प संभव हों उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देना।

iii) यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभीष्ट होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना जिससे कि संबद्ध अधिकारी सारी बात को, उसमें निहित समस्याओं को, पूरी तरह समझ सके।

इस तरह टिप्पणी में संबद्ध विषय की पिछली जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाव भी। इस समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है।

टिप्पणी लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें

हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी विषय पर लिए जाने वाले निर्णय में टिप्पणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए:

1) **स्वत: पूर्णता:** टिप्पणी लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र में जो स्थिति सामने रखी गई है या जो प्रश्न उठाया गया है उसका समाधान आवश्यक है। अत: उसे अपनी टिप्पणी में समाधान अवश्य सुझाना चाहिए अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं होगा। यह समाधान अपने आप में पूरा होना चाहिए।

2) **संक्षिप्तता:** टिप्पणी में बात को संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि अधिकारी के पास बहुत विस्तृत टिप्पणी पढ़ने का समय नहीं होता। इसीलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए तार्किक ढंग से बात कहनी चाहिए।

3) **तार्किक विचार क्रम:** पूरी टिप्पणी में विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए यानी पिछला संदर्भ, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्रवाई का सुझाव।

4) **स्पष्टता:** टिप्पणी की भाषा स्पष्ट, सरल और संयत होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। न ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए।

5) **तटस्थता:** टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए।

6) किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए इससे लगेगा कि टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ निहित है। निष्पक्ष भाव से सभी तथ्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देने चाहिए।

7) टिप्पणी में प्रथम पुरुष यानी "मैं" या "मैंने" का प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि टिप्पणी वैयक्तिक न होकर वस्तुनिष्ठ होती है।

टिप्पणी लेखन

ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि सहायक को जब कोई आवती प्राप्त होती है तो वह उसे फाइल करके अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। इस तरह आप जानते हैं कि टिप्पणी फाइल पर लिखी जाती है। आइए अब फाइल पद्धति को समझ लें जिससे टिप्पणी लेखन के बारे में अच्छी तरह जानने में सुविधा रहेगी। फाइल के दो भाग होते हैं— टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग

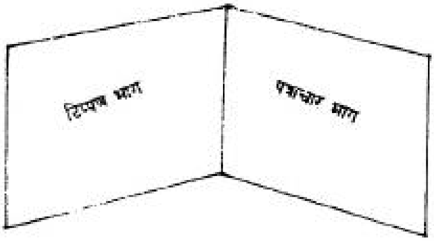

पत्राचार भाग में आवतियाँ तथा उनसे संबंधित पत्र-व्यवहार की कार्यालय प्रतियाँ रखी जाती हैं। टिप्पणी भाग में विचाराधीन कागज पत्रों के संबंध में लिखी गई टिप्पणियाँ होती हैं।

टिप्पणी लिखने के लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल होता है जिसे नोट शीट कहते हैं। नोट शीट में बायीं ओर हाशिया होता है।

1) सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम तथा अनुभाग का नाम लिखा जाता है जिसमें टिप्पणी लिखी जा रही है।

2) फिर पावती का क्रमांक, तारीख आदि का उल्लेख किया जाता है।

3) फिर विषय को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विषय प्रस्तुत करने के पाँच चरण होते हैं:

i) आवती का विषय ii) कारण iii) नियम
iv) कार्यालय में कार्य की स्थिति v) सुझाव

पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सब पैराग्राफों पर संख्या डाली जाती है। टिप्पणी में दिए गए संदर्भों, निर्देशों का क्रम वही होता है जो आवतियों का हो।

4) टिप्पणी के अंत में सहायक बायीं ओर तारीख सहित हस्ताक्षर करता है और अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी के दायीं ओर हस्ताक्षर करते हैं, तथा अराजपत्रित अधिकारी बायीं ओर

5) फाइल जिस अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पदनाम लिख कर रेखांकित कर दिया जाता है। इसे मार्क करना कहा जाता है।

टिप्पणी का नमूना

1) हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

2) क्रमांक सं. .... (आवर्ती) पृष्ठ .... पत्राचार

3) आयकर विभाग, बड़ौदा से श्री राम लाल वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

2) जुलाई 88 से प्रारंभ सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सितंबर 88 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए भी विभिन्न विभागों से नाम आ गए हैं जिनकी संख्या तीस से अधिक है।

3) संस्थान की व्यवस्था के अनुसार एक सत्र में केवल 30 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

4) ऐसी स्थिति में श्री वर्मा और कु. गुरमीत कौर को नवम्बर-दिसम्बर 88 के सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

4) सचिन मझगांवकर
हिंदी सहायक

21 जून 88

5) **अनुभाग अधिकारी**

इस तरह तैयार की गई टिप्पणी जब अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है तो अनुभाग अधिकारी उसे सावधानीपूर्वक पढ़ता है। यदि अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो दे कर उसे शाखा अधिकारी के पास भेज देता है। जिन मामलों को निपटाने में अनुभाग अधिकारी स्वयं सक्षम होता है उन्हें आगे न भेजकर स्वयं ही उन पर अपना निर्णय दे देता है। शाखा अधिकारी स्तर पर भी यही प्रक्रिया होती है और आवती के विषय के महत्व के अनुसार फाइल उप सचिव-संयुक्त सचिव-सचिव-उपमंत्री-राज्यमंत्री-मंत्री स्तर तक जाती है। इस तरह कार्यालय में प्राप्त डाक (किसी भी पत्र) पर की जाने वाली कार्रवाई में एक निश्चित सरणि होती है जो डायरीकार-सहायक-अनुभाग अधिकारी-उपसचिव-संयुक्त सचिव-सचिव-मंत्री स्तर तक चलती है। किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि सभी मामले निपटान के लिए मंत्री स्तर तक जाते हैं। विषय के महत्व के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

टिप्पणियों के प्रकार

क) ऊपर हमने देखा कि जब कोई टिप्पणी संबद्ध अधिकारी के पास पहुँचती है तो वह उस पर कई ढंग से कार्रवाई कर सकता है यानी—

i) यदि वह सहमत हो जाता है तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और अगली कार्रवाई के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है।

ii) यदि सुझाव से सहमत नहीं होता तो अपने तर्क देते हुए फाइल ऊपर के अधिकारी के पास भेजता है।

iii) यदि टिप्पणी में कोई बात अस्पष्ट हो तो "चर्चा करें" लिख कर फाइल टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति के पास वापस भेज देता है।

इस तरह की टिप्पणियाँ नेमी टिप्पणियाँ कहलाती हैं। ये गौण या कम महत्व के मामलों पर सामान्य विचार-विमर्श के लिए लिखी जाती हैं और रोजमर्रा के प्रशासनिक पत्र-व्यवहार के काम आती हैं।

उदाहरण:

- आदेश के लिए प्रस्तुत
- आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं
- देख लिया, धन्यवाद
- चर्चा करें
- इस मामले का तारीखवार सार नीचे प्रस्तुत है।

ख) **आदेशात्मक टिप्पणी**: अधिकारी तब लिखता है जब वह किसी मामले में कोई आदेश देता है या कोई अन्य जानकारी माँगता है।

उदाहरण:

- जाँच की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए
- सभी संबद्ध कर्मचारी नोट कर लें
- वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले लिया जाए
- इसे कार्रवाई के लिए वेतन लेखा कार्यालय को भेजा जाए

ग) **अधिकारी स्तर पर टिप्पणी**: दो स्थितियों में होती है (i) कभी वह सहायक स्तर की टिप्पणी के समान

पूर्व टिप्पणी पर आधारित होती है और (ii) कभी स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में । पहली यानी पूर्व टिप्पणी पर आधारित टिप्पणी की चर्चा हम कर चुके हैं जहाँ हमने बताया कि सक्षम अधिकारी किसी मामले पर निर्णय लेता है।

अधिकारी स्तर की दूसरी टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी होती है। यह किसी आवती पर आधारित न हो कर प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होती है। यहाँ अधिकारी प्रशासनिक मामले को ध्यान में रख कर आगे के सुझाव देता है और फाइल आगे उच्चतर अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए कार्यालय में काम की मात्रा बढ़ जाने के कारण नए पदों के सृजन की मांग के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करना। यह टिप्पणी स्वत:पूर्ण (Self-explanatory) होती है।

घ) **अंतर्विभागीय टिप्पणी** का इस्तेमाल दो विभागों के बीच होता है।

ङ) **टिप्पणी का क्रमिक सार**

जब फाइल सचिव अथवा मंत्री के पास भेजी जाती है तो नीचे से चली आ रही सभी टिप्पणियों का सार लगभग एक पन्ने में तैयार किया जाता है क्योंकि पूरे पत्र-व्यवहार और टिप्पणियों को पढ़ने का समय अक्सर उनके पास नहीं होता।

इस तरह तैयार किया गया सार टिप्पणियों का क्रमिक सार कहलाता है। नेमी ढंग के मामलों में अनुभाग अधिकारी स्तर पर ही निपटान हो जाता है।

ज्यादातर आवतियों का निपटान शाखा अधिकारी के स्तर पर होता है। यदि अनुभाग की टिप्पणी से वह सहमत हो तो अपने हस्ताक्षर दायीं ओर कर देता है। यदि अपनी ओर से कोई निर्णय देना हो या टिप्पणी में दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनना हो तो वह अपनी टिप्पणी लिख देता है और पत्र का उत्तर देने का आदेश दे देता है। तब फाइल उसी सरणि से गुजरती हुई संबद्ध सहायक के पास वापस आ जाती है।

पीछे हमने टिप्पणी लेखन का नमूना देखा। उस पर आगे चलने वाली टिप्पणियों की प्रकिया का उदाहरण देखिए।

विभिन्न स्तरों पर टिप्पणी लेखन का नमूना

1) **हिंदी प्रशिक्षण संस्थान**
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

2) क्रमांक सं. .... आवती पृष्ठ .... पत्राचार

आयकर विभाग, बड़ौदा से श्री राम लाल वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

जुलाई 88 से आरंभ सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सितंबर 88 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए भी नाम आ गए हैं जिनकी संख्या तीस से अधिक है।

संस्थान की व्यवस्था के अनुसार एक सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

ऐसी स्थिति में श्री वर्मा और कु. गुरमीत कौर को नवम्बर-दिसम्बर 88 के सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

सचिन मडगांवकर
हिंदी सहायक
21 जून, 88

अनुभाग अधिकारी

आदेशार्थ प्रस्तुत

सहायक निदेशक प्रशिक्षण — सुरेंद्र वर्मा
अनुभाग अधिकारी
21 जून, 88

ठीक है नवम्बर-दिसम्बर 88 के सत्र में बुला लिया जाए।

अनुभाग अधिकारी — आनंद देशमुख
22.6.88

आवश्यक पत्र का मसौदा तैयार करें

हिंदी सहायक — सुरेंद्र वर्मा
22.6.88

अभ्यास- 3

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय में अनुसंधान सहायक के पद पर कार्य कर रहे श्री शिरीष मेहता ने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए निजी तौर पर अंग्रेजी में एम. ए. की परीक्षा देने की अनुमति माँगी है। इस विषय पर टिप्पणी तैयार कीजिए।

21.3.2 प्रारूपण (मसौदा लेखन)

अब तक हम कार्यालय में आवती की मात्रा और उस पर लिए गए निर्णय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि जो पत्र कार्यालय में आया है उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है। उत्तर में भेजे जाने के लिए पत्र का कच्चा या अन्तिम रूप तैयार किया जाता है। इसे पत्र का "मसौदा" या "प्रारूप" कहते हैं। इस तरह जब किसी आवती पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पणी में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का "प्रारूप" या "मसौदा" तैयार किया जाता है। सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उसमें जो परिवर्तन जरूरी समझता है वह करके संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यदि आवश्यक समझता है कि उस मसौदे में कुछ परिवर्तन-संशोधन की जरूरत है तो वह या तो परिवर्तन स्वयं कर देता है या उसका सुझाव दे देता है और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी दे देता है। फिर पत्र की स्वच्छ प्रति अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी से हस्ताक्षर करा के भेज दी जाती है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण परस्पर संबद्ध होते हैं। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई पत्र अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी होना है तो अवर सचिव उस पत्र के मसौदे को उप सचिव और फिर संयुक्त सचिव के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। रोजमर्रा के मामलों (जैसे पावतियाँ भेजना या किसी सामग्री के ऊपर आवरण पत्र (covering letter) भेजना आदि) के मसौदों पर मंजूरी अनुभाग अधिकारी के स्तर पर दी जाती है। विशेष मामले विषय के महत्व के अनुसार सक्षम अधिकारी तक भेजे जाते हैं।

प्रारूपण में ध्यान रखने योग्य बातें

1) प्रारूप में दी गई पत्र सं., तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए।

2) कोई जरूरी सूचना संदर्भ आदि छूटे नहीं, ताकि उत्तर अधूरा न रहे।

3) सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। वाक्य-विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। न तो अप्रचलित या ठेठ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए और न ही नितांत साहित्यिक और जटिल भाषा का।

4) अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए।

5) प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप होता है, जो व्यावहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होता।

प्रारूप तैयार करना

कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र बाहर से आये पत्रों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं। कुछ कार्यालय के भीतर के विभिन्न विभागों में कामकाज चलाने के लिए लिखे जाते हैं।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों का प्रारूप अलग-अलग होता है। उसी के अनुसार उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। यहाँ हम प्रारूप तैयार करने की सामान्य पद्धति पर विचार करेंगे। उसके बाद सरकारी पत्राचार के विविध रूपों की चर्चा करेंगे।

1) **शीर्षक**: सबसे ऊपर पत्र का शीर्षक होता है इसमें पाँच बातों का उल्लेख होता है—
   i) पहली पंक्ति में पत्र संख्या
   ii) अगली पंक्ति में "भारत सरकार" लिखा जाता है, उससे अगली पंक्ति में कार्यालय, मंत्रालय का नाम और विभाग का नाम।
   iii) अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का नाम और फिर अगली पंक्ति में पदनाम तथा भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है।
   iv) अगली पंक्ति में "सेवा में" लिख कर उस अधिकारी/व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखा जाता है जिसको पत्र प्रेषित हो रहा है। उसके बाद में भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है।
   v) स्थान और तारीख दोनों एक साथ दायीं ओर पत्र के ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं।
2) **विषय**: पत्र का वास्तविक अंश लिखने से पहले उसके विषय का संक्षिप्त संकेत ऊपर ही दे दिया जाता है। इससे पढ़ने वाले के समय की बचत होती है।
3) **संबोधन**: सरकारी पत्रों में संबोधन के रूप में महोदय महोदया, "माननीय महोदय", "श्रीमान" आदि का ही इस्तेमाल होता है।
4) **पत्र का मुख्य भाग**: पत्र के माध्यम से जो कुछ कहा जाना है वह इसी भाग में आता है। यदि प्राप्त करने वाले के साथ कोई पत्र-व्यवहार पहले से चल रहा है तो उसका संदर्भ भी यहाँ दे दिया जाता है। वास्तविक घटनाओं का स्पष्टीकरण यहीं होता है तथा संपूर्ण विषय का निष्कर्ष दे दिया जाता है। ऐसा करते समय जो तथ्य या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं या जिन विवादों आदि का उल्लेख होता है उनमें संबंधित पिछले पत्रों का हवाला अवश्य दिया जाता है।
5) **स्वनिर्देश**: ऊपर हम कह चुके हैं कि सरकारी पत्राचार के कई रूप होते हैं। इन सभी पत्रों में स्वनिर्देश एक ढंग के नहीं होते। यद्यपि स्वनिर्देश के रूप में अक्सर भवदीय/भवदीया शब्द का प्रयोग होता है किंतु अर्ध-सरकारी पत्रों में "आपका"/"आपकी" स्वनिर्देश भी प्रयुक्त होता है। उसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता। उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। कभी-कभी पदनाम नहीं भी होता।
6) **संलग्न पत्र**: यदि पत्र के साथ अन्य किन्हीं कागजात या पत्रों की प्रतियाँ भेजी जा रही हों तो उनका उल्लेख हस्ताक्षर के सामने बायीं ओर होता है।
7) **पृष्ठांकन**: यदि पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को भेजना अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख भी बायीं ओर नीचे से शुरू होकर प्रायः पूरी पंक्ति में किया जाता है।

21.4 सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार

यदि हम सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले पत्राचार प्रकारों का विश्लेषण करें तो हमें सरकारी पत्र-व्यवहार में निम्नलिखित पत्राचार के प्रकार दिखाई देते हैं।

1 सरकारी पत्र	2 अर्धसरकारी पत्र
3 कार्यालय ज्ञापन	4 कार्यालय आदेश
5 आदेश	6 पृष्ठांकन
7 अधिसूचना	8 संकल्प
9 प्रेस विज्ञप्ति	10 प्रेस नोट
11 अंतर्विभागीय टिप्पणी	12 तार
13 टेलेक्स संदेश	14 तुरत पत्र
15 सेविंग्राम	16 परिपत्र

सरकारी प्रशासन में अलग-अलग प्रयोजनों के लिए पत्राचार के अलग-अलग प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार को विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या दूसरी संस्थाओं के प्रधानों और गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार के लिए **सरकारी पत्र** की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी काम को निपटाने में अधिक देर हो रही हो तो अधिकारियों का, व्यक्तिगत रूप से, ध्यान दिलाना जरूरी हो तो **अर्धसरकारी पत्र** का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा मंत्रालयों और विभागों के आपसी प्रशासनिक पत्राचार के लिए **कार्यालय ज्ञापन** की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सरकारी विभागों के आंतरिक प्रशासन के लिए **कार्यालय आदेश** का प्रयोग होता है। **अधिसूचना और संकल्प** को

भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा आदि का प्रकाशन अधिसूचना के रूप में होता है। नीति संबंधी सरकारी निर्णयों जांच समितियों या आयोगों की नियुक्ति आदि की सार्वजनिक घोषणा संकल्प द्वारा की जाती है। **परिपत्र** का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मंत्रालय या विभागीय कार्यालय कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं। इसका प्रयोग उक्त कार्यालय या मंत्रालय तक ही सीमित होता है। **पृष्ठांकन** का प्रयोग तब होता है जब पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ या आवश्यक कार्रवाई आदि के लिए अधिक व्यक्तियों को भेजने की जरूरत हो। **प्रेस विज्ञप्ति** द्वारा किसी सूचना के व्यापक प्रचार के लिए उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है।

यहाँ हम कार्यालयों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले कुछ पत्रों की चर्चा करेंगे।

21.4.1 सरकारी पत्र

सरकारी पत्र औपचारिक होता है तथा अर्धसरकारी पत्र अपेक्षाकृत अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों के स्वरूप में भी अंतर होता है।

सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र

सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है इसका इस्तेमाल निम्नलिखित के साथ होता है:

क) विदेशी सरकारों के साथ
ख) राज्य सरकारों के साथ
ग) संबद्ध सरकारों के साथ
घ) संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ
ङ) सार्वजनिक उपक्रमों के साथ
च) जन संगठनों और सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ
छ) गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ

विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के आपसी या आंतरिक पत्र-व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि का प्रयोग किया जाता है।

सरकारी पत्र के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पत्र भारत सरकार के आदेशों और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए पत्र में यह लिख दिया जाता है कि पत्र सरकार के निर्देश से लिखा गया है। पत्र के प्रारूप में प्राय: "मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है" इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है।

सरकारी पत्र लेखन

1) सामान्य रूप से **इसे लेटर हैड पर लिखा जाता है। पैड के ऊपर भारत सरकार और विभाग का नाम और स्थान** छपा होता है। इस पर पत्र संख्या और तारीख लिखी जाती है। यदि पैड न हो तो पत्र में, भारत सरकार **विभाग का नाम, सादे कागज पर टाइप किए जाते हैं।**

2) फिर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम या पदनाम लिखा जाता है। इसके नीचे विभाग/मंत्रालय का नाम तथा स्थान लिखा जाता है।

3) फिर तारीख दायीं ओर लिखी जाती है।

4) तीसरे चरण में संक्षेप में पत्र के विषय का उल्लेख होता है।

5) सरकारी पत्र के चौथे चरण में संबोधन के रूप में "महोदय" का प्रयोग किया जाता है लेकिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को "प्रिय महोदय" लिखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पत्र में "नमस्ते", "प्रणाम" आदि अभिवादन का प्रयोग भी नहीं किया जाता।

6) फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। इसमें पत्र लिखने का प्रयोजन लिखा जाता है यानी प्रेषक पत्र द्वारा क्या काम कराना चाहता है, पत्र भेजने वाले की इस अपेक्षा का क्या कारण है? यदि पत्र में एक से अधिक मुद्दे हों तो उन्हें अलग-अलग पैराग्राफों में लिखना चाहिए।

7) सरकारी पत्र के छठे चरण में "स्वनिर्देश" के रूप में "भवदीय" लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, इसके नीचे कोष्ठक में अधिकारी का नाम पदनाम और टेलीफोन नम्बर लिखा जाता है।

8) अंत में नीचे पत्र की बायीं ओर पृष्ठांकन लिखा जाता है। पहले पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। इसके बाद इसमें जिन-जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति भेजी जाती है उनका नाम तथा उस पर कार्रवाई की दिशा का संकेत होता है। पृष्ठांकन के नीचे जिस विभाग से पत्र प्रेषित किया जाए उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

सरकारी पत्र का नमूना

1) सं. ....

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

2) सेवा में

सचिव, (सभी राज्य सरकारें)

3) नई दिल्ली,

ता. 5.5.85

4) विषय: मौत की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव

5) महोदय,

6) मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार को समय-समय पर देश में मौत की सजा समाप्त करने के लिए सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और इनका पता लगाने का काम राज्य सरकारों का है। इस विषय में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधान सभा की है इसलिए राज्य सरकारें मौत की सजा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने में सक्षम है। भारत सरकार चाहती है कि मौत की सजा को समाप्त करने के संबंध में ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो सके।

इस विषय में अंतिम निर्णय करने से पहले सरकार इन सुझावों की अच्छी तरह जाँच करना चाहती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श करके अपने सुझाव और सिफारिशें शीघ्र इस मंत्रालय को भेजें।

राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने राज्य से संबंधित पिछले तीन सालों के निम्नलिखित आँकड़े भी भिजवाएँ।

क) राज्य में हत्या के कितने मामले दर्ज किए गए।

ख) राज्य में कितने लोगों को मृत्युदंड दिया गया।

ग) राज्य में कितने लोगों की मौत की सजा, माफी की अर्जी के कारण, रद्द की गई

7) भवदीय

ह. क ख ग

8) प्रति: सभी राज्य सरकारें।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अभ्यास-4

खाली स्थान में सही शब्द भरिए—

i) सरकारी पत्र .... होता है। (अनौपचारिक/औपचारिक)

ii) सामान्य सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में .... लिखा जाता है (महोदय/प्रिय महोदय)

iii) सरकारी पत्र में .... पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। (अन्य पुरुष/उत्तम पुरुष)

iv) सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए .... का प्रयोग होता है। (आपका/भवदीय)

v) सरकारी पत्र में पाने वाले का नाम, पदनाम पत्र के .... लिखा जाता है। (ऊपर/नीचे)

21.4.2 अर्ध-सरकारी पत्र

अर्ध-सरकारी पत्र का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है

सरकारी पत्र के बारे में जानने के बाद आइए, अब हम अर्ध-सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपने देखा कि सरकारी पत्र औपचारिक होता है लेकिन अर्ध-सरकारी पत्र में औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता इसलिए इन दोनों पत्रों का उद्देश्य और बाहरी रूप बदल जाता है।

क) किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकारी सरकारी कार्य पद्धति की औपचारिकता से बचकर आपसी सलाह-मशविरे के लिए अर्ध-सरकारी पत्र का इस्तेमाल करते हैं।

ख) अर्ध-सरकारी पत्र द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से उसकी ओर दिला सकता है।

ग) यदि किसी सरकारी काम को निपटाने में देर हो रही हो और कई अनुस्मारक भेजने पर भी उत्तर न मिले तो उस कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिए अर्ध-सरकारी पत्र लिखा जा सकता है। यह अर्ध-सरकारी पत्र स्मरण-पत्र के समान होता है।

घ) अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग आमतौर पर अपने बराबर के अधिकारी के साथ किया जाता है।

ङ) अर्ध-सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष यानी "मैं" और "हम" का प्रयोग किया जाता है।

च) अर्ध-सरकारी पत्र सरकारी पत्र की तुलना में अनौपचारिक होता है। इसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मैत्री भाव से लिखता है। इसलिए इसके "संबोधन" और "स्वनिर्देश" में अंतर होता है।

अर्ध सरकारी पत्र लेखन

1) सबसे ऊपर पृष्ठ की दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम, स्थान और तारीख लिखे जाते हैं।

2) पृष्ठ की बायीं ओर अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन संख्या लिखी जाती है।

3) संबोधन के रूप में "प्रिय श्री क ख ग" या "प्रिय क ख ग जी" का प्रयोग होता है।

4) इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र का मुख्य विषय होता है।

5) इसके बाद "सधन्यवाद", "साभार", "सादर" आदि का उल्लेख होता है।

6) "स्वनिर्देश" के रूप में पत्र के नीचे "भवदीय" के स्थान पर "आपका" का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

7) अंत में पृष्ठ की बायीं ओर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है।

अभ्यास-5

आप सरकारी पत्र का नमूना देख चुके हैं। नीचे अर्ध सरकारी पत्र का नमूना दिया जा रहा है। इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में क्या अंतर है। अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का इस्तेमाल कीजिए।

अर्ध सरकारी पत्र का नमूना

1) अ. स. प. सं ....
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास
मंत्रालय

नई दिल्ली, ता ....

2) विद्यासागर
उपसचिव
टेली. सं. 375285

3) प्रिय श्री गोविंदराम,

4) आपको मालूम ही होगा कि देश में नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करने की योजना बनाई है। इस विषय में प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा की एक प्रति इस पत्र के साथ आपको भेजी जा रही है।

इस प्रस्ताव के संबंध में यदि आप अपने विचार हमें शीघ्र भेज सकें तो मैं आपका बहुत अधिक आभारी रहूँगा। यहाँ मैं यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि हम शीघ्र ही इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से संबंधित विभागों के पास उनके विचार जानने के लिए भी परिचालित करना चाहते हैं।

5) साभार,

6) आ. का
ह. विद्यासागर

7) श्री गोविंदराम
निदेशक
शिक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली-1

i) नीचे दिए वाक्यों में सही शब्दों से खाली स्थान भरिए।

क) अर्ध सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के रूप में .... लिखा जाता है। (महोदय, आपका)

ख) अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम .... लिखा जाता है। (ऊपर, नीचे)

ग) .... पत्र औपचारिक होता है। (सरकारी, अर्ध सरकारी)

घ) .... में धन्यवाद आभार प्रकट करना आवश्यक नहीं। (अर्ध सरकारी, सरकारी)

ii) नीचे दिए प्रश्नों के "हाँ" या "नहीं" में उत्तर दीजिए।

क) क्या मित्रों और संबंधियों को सरकारी पत्र लिखे जा सकते हैं ?

....

ख) क्या पत्र पाने वाले को "प्रेषक" कहते हैं ?

....

ग) क्या सरकारी पत्र में पृष्ठांकन लिखा जाता है ?

....

21.4.3 कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश

इस पाठ के पहले भाग में हमने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र का रूप निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र से काफी मिलता-जुलता होता है किंतु कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का रूप इनसे बिल्कुल अलग होता है।

कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का बाहरी रूप

कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की चर्चा हम साथ-साथ कर रहे हैं क्योंकि इनके बाहरी रूप में काफी समानता है। किंतु इनके प्रयोग के क्षेत्र बिल्कुल अलग-अलग हैं। मोटे तौर पर कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभागों के बीच आपसी पत्राचार के लिए होता है जबकि कार्यालय आदेश का प्रयोग कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन संबंधी पत्राचार के लिए किया जाता है। आइए, इन दोनों पत्रों के प्रयोग के क्षेत्र के संबंध में विचार करने से पहले इनकी बाहरी रूपरेखा के विभिन्न चरणों के बारे में विचार करें। इसका विवरण इस प्रकार है:

1) कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर पत्र सं.— भारत सरकार, मंत्रालय और विभाग का नाम तथा स्थान का नाम और तारीख लिखे जाते हैं।

2) दूसरे चरण में यथास्थिति पृष्ठ के बीच में "कार्यालय ज्ञापन" या "कार्यालय आदेश" लिखा जाता है।

3) फिर "कार्यालय ज्ञापन" के विषय का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है जबकि "कार्यालय आदेश" में इसकी आवश्यकता नहीं होती

4) चौथे चरण में कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की मुख्य विषय वस्तु होती है। इन दोनों ही में पहले पैराग्राफ पर क्रम संख्या नहीं लिखी जाती। बाद के पैराग्राफों पर 2 से आरंभ करके क्रम सं. लिखी जाती है।

5) उसके बाद नीचे दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इसके नीचे अधिकारी का पदनाम और भारत सरकार लिखा जाता है।

6) छठे चरण में नीचे बायीं ओर "कार्यालय ज्ञापन" में "सेवा में" और "कार्यालय आदेश" में "प्रति प्रेषित" लिख कर पाने वाले अधिकारी, अनुभाग, विभाग का नाम आदि लिखा जाता है। कभी-कभी प्रति प्रेषित के स्थान पर "सेवा में" भी लिख देते हैं।

7) कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में अन्य पुरुष यानी "वह", "वे" का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही पत्राचार-प्रकारों की भाषा व्यक्ति निरपेक्ष होती है और प्राय: इनकी वाक्य-रचना कर्म वाच्य में होती है तथा कर्त्ता का लोप हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिये:

क) राजपत्रित अर्जित छुट्टी जोड़ने की अनुमति दी जाती है

ख) अर्जित छुट्टी से लौटने के बाद श्री राम नारायण सहायक को प्रशासन अनुभाग में तैनात किया जाता है।

ग) श्री मोहन लाल को स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

घ) यह कार्यालय ज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ङ) मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया जाए।

च) टिप्पणी लिखने और पत्र लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

कार्यालय ज्ञापन के प्रयोग का क्षेत्र

आइए, देखें कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किन-किन स्थितियों में किया जाता है।

1) कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के आपसी पत्राचार के लिए किया जाता है।

2) विभाग कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग अपने कर्मचारियों से सूचना माँगने के लिए या उन्हें सूचना भेजने के लिए करता है।

3) कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी किया जा सकता है।

कार्यालय ज्ञापन का नमूना

1) सं. 200131/2/77 - रा.भा. (ग.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

2) लोकनायक भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 25 जुलाई, 1978

2. कार्यालय ज्ञापन

3) विषय : भारत सरकार के कार्यालयों में मानदेय के आधार पर अनुवाद कार्य

4) i) इस विभाग के 12 फरवरी 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 -1542/13/75 रा. भा. (ग) द्वारा यह निदेश दिया गया था कि जिन कार्यालयों में हिंदी अधिकारी या अनुवादक नहीं हैं वहाँ अनुवाद का काम कार्यालय के ही किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय के आधार पर करा लिया जाए। इस काम के लिए 1000 शब्दों के लिए 15.00 रु. मानदेय निर्धारित किया गया था

ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने इस मामले पर फिर से विचार करके यह निर्णय किया है। अनुवाद के लिए निर्धारित प्रति हजार शब्दों पर 15.00 रु. के स्थान पर 25.00 रु. की दर से मानदेय दिया जाए। मानदेय के संबंध में इस विभाग के 12, फरवरी, 1979 के कार्यालय ज्ञापन की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

iii) ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

iv) यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 30 जून 1978 की अंतर्विभागीय टिप्पणी सं. 25 -12 (भत्ता) 1978 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

5) ह. रा. रामचंद्रन
उपसचिव, भारत सरकार

6) प्रति प्रेषित
1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2) भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
3) संघ लोक सेवा आयोग
4) गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
5) राजभाषा विभाग के सभी डेस्क/अनुभाग
6) राजभाषा विभाग (ग) डेस्क (150 अतिरिक्त प्रतियाँ)

कार्यालय आदेश के प्रयोग का क्षेत्र

कार्यालय आदेश का प्रयोग सामान्य रूप से आंतरिक प्रशासन संबंधी हिदायतें जारी करने के लिए किया जाता है। इसमें निम्नलिखित विषय आते हैं :

क) कर्मचारियों की नियमित छुट्टी की मंजूरी,

ख) अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनुभागों में काम का बंटवारा,

ग) कर्मचारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण।

कार्यालय आदेश का नमूना

1) सं. 2 -8187 प्रशा.-2
भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय   नई दिल्ली-14.1.87

2) **कार्यालय आदेश**

3) विषय नहीं लिखा जाता

4) **इस कार्यालय के सर्व श्री राजेश शर्मा, दिनेश गुप्ता और विमल मेहता, सहायक सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान,** रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में तीन महीने का प्रशिक्षण पूरा करके लौट आए हैं। उन्हें क्रमशः तकनीकी एकक, प्रशासन अनुभाग और लेखा अनुभाग में तैनात किया जाता है।

5) ह. हरि मोहन
उप निदेशक (प्रशासन)

6) प्रति प्रेषित

1 श्री राजेश शर्मा, सहायक
2 श्री दिनेश गुप्ता, सहायक
3 श्री विमल मेहता, सहायक
4 संबंधित अनुभाग/एकक
5 रोकड़ अनुभाग

अभ्यास-7

श्री विवेक सक्सेना राजभाषा विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्य करते हैं। उन्होंने दीवाली के अवसर पर 500 रु. त्योहार पेशगी के लिए आवेदन किया है। उन्हें यह पेशगी की राशि मंजूर कर दी गई है। नीचे इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसमें कुछ स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति कीजिए।

सं. 1-16-78-स्था.
....
....
                                        लोकनायक भवन
                                        खान मार्केट
                                        ....

....

श्री विवेक सक्सेना को उनके दि. .... के आवेदन पत्र के बारे में सूचित किया जाता है कि त्योहार पेशगी के रूप में उन्हें 500/- रु. की राशि मंजूर कर दी गई है। यह राशि उन्हें 50 रु. प्रतिमास के हिसाब से 10 किस्तों में अदा करनी होगी।

                                        ....
                                        ....

प्रतिलिपि प्रेषित
1 कार्यालय आदेश रजिस्टर
2 वित्त अनुभाग
3 प्रशासन अनुभाग
4 श्री विवेक सक्सेना

अभ्यास-8

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के निदेशक ने गौर किया है कि कार्यालय के कुछ कर्मचारी समय से कार्यालय में नहीं पहुँचते या कार्यालय समय समाप्त होने से पहले चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि एक कार्यालय आदेश निकाला जाए कि सभी कर्मचारी कार्यालय समय का पालन करें। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

स आदेश का प्रारूप नीचे दिए गए स्थान पर तैयार कीजिए।

21.4.4 परिपत्र

परिपत्र के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य केवल सूचना देना होता है। अत: इसमें प्रेषक संदर्भ, संबोधन और स्वनिर्देश के रूप में कोई शब्द नहीं होता। कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में परिपत्र लिखा जाता है फिर अगली पंक्ति में मूल विषय शुरू होता है। सारा परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। जारी करने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के बायीं ओर "सेवा में" लिखते हैं तथा जिन-जिन अधिकारियों को यह भेजना होता है उनका उल्लेख कर दिया जाता है। यदि परिपत्र की सूचना पूर्णतया सामान्य हो तो सभी कर्मचारियों के लिए लिख दिया जाता है।

परिपत्र का नमूना

कार्यालय
आयकर आयुक्त
आगरा, उत्तर प्रदेश
सं. ....

ता. 20.12.85

परिपत्र

विषय : सामान्य भविष्य निधि का नामांकन भरना

सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान्य भविष्य निधि खाते के नामांकन फार्म 10.12.88 तक भर कर वित्त अनुभाग को दे दें।

(मृदुला श्रीमाली)
प्रशासन अधिकारी

सेवा में
सभी अधिकारी तथा कर्मचारी

21.4.5 अधिसूचना और संकल्प

अधिसूचना और संकल्प का रूप प्राय: एक-सा होता है। आरंभ में यह निर्देश होता है कि यह भारत के राजपत्र के किस भाग और किस खंड में छपेगा। इनमें संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता है। अधिसूचना और संकल्प प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस को भेजे जाते हैं। इनमें संयुक्त-सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं। संकल्प के पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो।

अधिसूचना का नमूना

(भारतीय राजपत्र के भाग I- खंड 2 में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक ....

केंद्रीय सरकार सं. आ. सं. ....

वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम 1939 (1939 का 30) की धारा, द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए कागजात को गोपनीय दस्तावेज घोषित किया जाता है।

सं. ....

क.ख.ग.
सचिव, भारत सरकार

संकल्प का नमूना

(भारत सरकार के राजपत्र भाग II- खंड 3 में प्रकाशन के लिए)

सं. ....

भारत सरकार
सड़क परिवहन मंत्रालय
नई दिल्ली,

दिनांक ....

संकल्प

पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार चिंतित रही है और इसके लिए प्राप्त हुए सुझावों को अमल में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा महत्वपूर्ण जनसेवी संस्थाओं के व्यक्ति भी मनोनीत किए जाएंगे।

2 समिति के अध्यक्ष श्री .... होंगे

इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....

3 समिति निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी

i) ....
ii) ....
iii) ....

4 समिति 21 अक्तूबर 88 से अपना कार्य शुरू करेगी। इसका कार्यकाल .... महीने का होगा।

(क.ख.ग.)
सचिव, भारत सरकार

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए। यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

क.ख.ग.
सचिव, भारत सरकार

21.4.6 पृष्ठांकन

पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों के लिए किया जाता है-

i) जब पत्र पाने वाले के अलावा उसकी प्रति किसी अन्य विभाग या व्यक्ति को भेजनी हो।

ii) जब सूचना, टिप्पणी या निपटान के लिए किसी मंत्रालय या संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी हो।
iii) जब कागज मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो।
iv) जब किसी कार्रवाई, बैठक आदि का कार्यवृत्त संबद्ध व्यक्तियों को भेजना हो।

इसके अलावा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें भी लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास पृष्ठांकन द्वारा भेजी जाती हैं।

पृष्ठांकन दो प्रकार का होता है:

क) मूल पत्र के नीचे लिख कर
ख) अलग से मसौदा बना कर

पहले प्रकार का पृष्ठांकन आपने सरकारी पत्र और परिपत्र के बारे में पढ़ते समय देखा। यहाँ हम इसका एक और नमूना दे रहे हैं।

पृष्ठांकन का नमूना-1

प्रतिलिपि : ....
को सूचना के लिए/ कार्रवाई के लिए/ शीघ्र अनुपालन
के लिये भेजी जाती है।

ह. ....
पदनाम ....

दूसरे प्रकार का पृष्ठांकन अलग से मसौदा बना कर किया जाता है। उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय में किसी अन्य विभाग या कार्यालय से आए पत्र की प्रति यदि संबद्ध व्यक्तियों को भेजनी है तो पृष्ठांकन एक आवरण पत्र के रूप में तैयार किया जाएगा और उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर दी जाएगी।

पृष्ठांकन का नमूना-2

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

सं. दिनांक ....

ग्रुप बीमा योजना के संबंध में वित्त मंत्रालय के परिपत्र सं. .... की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

ह. ....
पदनाम ....

संलग्न
वित्त मंत्रालय के परिपत्र सं. .... दिनांक .... की प्रति।

अभ्यास-9

औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र में क्या-क्या अंतर होता है। करीब दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

केंद्रीय जल आयोग, कार्यालय के वार्षिक बजट में रु 5000/- रु. की राशि हिंदी पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई है। यदि कार्यालय के कर्मचारियों की ज़रूरत की हिंदी पुस्तकें इस राशि में से खरीद ली जाएं तो इस राशि का पर्याप्त सदुपयोग हो सकता है। कर्मचारियों को इसकी सूचना देते हुए उनकी ज़रूरत तथा रुचि की पुस्तकों की सूची माँगी जानी है। इस संबंध में एक परिपत्र नीचे दिए गए स्थान पर तैयार कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

21.5 सारांश

इस इकाई में आपने विभिन्न प्रकार के पत्र लिखना सीखा। विषय, संदर्भ और स्थिति के अनुसार पत्र की भाषा और कथ्य के अंतर के बारे में आप जान गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न पत्रों को लिखने का अलग-अलग तरीका भी आपकी समझ में आ गया है। अनौपचारिक तथा औपचारिक स्थितियों में भाषा का रूप किस तरह भिन्न-भिन्न होता है यह भी आप जान गये हैं। सरकारी कार्यालय में पत्राचार की प्रविधि तथा सरकारी पत्र लेखन की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्रों का अंतर भी आपने जान लिया है। अब आपको व्यावहारिक हिंदी के एक विशिष्ट क्षेत्र यानी कार्यालयी हिंदी की जानकारी मिल गई है।

21.6 शब्दावली

दस्तावेज़: लिखित प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाला कोई भी कागज़।

स्वनिर्देश: अ[illegible] में उल्लेख।

लैटर हैड: पत्र लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाला वह कागज़ जिस पर संबद्ध व्यक्ति — या संस्था का नाम पता आदि विवरण छपा हो।

अनुमोदन: सक्षम अधिकारी द्वारा किसी मामले में दी गई स्वीकृति।

पूर्ववृत्त: किसी पत्र या व्यक्ति का पिछला विवरण।

आद्यक्षर: नाम के आरंभिक अक्षर उदाहरण के लिए राजकुमार के आद्यक्षर हैं रा. कु

प्रायोजित: संबद्ध विभाग द्वारा भेजा गया।

अनुस्मारक: याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र।

सरणि: तरीका, व्यवस्था।

21.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

'गहन हिंदी शिक्षण', ठाकुरदास तथा वी.रा. जगन्नाथन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली

'प्राज्ञ पाठमाला' राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

21.8 अभ्यासों के उत्तर

अभ्यास-1

35 मौर्य एन्कलेव
दिल्ली-110053

6 मई, 1987

आदरणीय चाचाजी,

नमस्कार,

बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला ....

....

आपका बेटा

विमलकांत

अभ्यास-2

सेवा में ,
पोस्ट मास्टर
मॉडल टाउन पोस्ट आफिस
दिल्ली-11009

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान डाक-तार विभाग की लापरवाही की ओर दिलाना चाहती हूं। मैंने 20 जून, 88 को मनीआर्डर द्वारा 200 रु. की राशि अपने भाई श्रीधर चक्रवर्ती, कक्षा आठ नवोदय स्कूल, देहरादून, उत्तर प्रदेश को भेजी थी। श्रीधर को अपने स्कूल की फीस 5 जुलाई 88 तक अवश्य जमा कर देनी थी। किंतु यह राशि उसको 15 जुलाई को मिली और वह अपनी फीस समय से जमा न कर सका इस कारण उसे काफी परेशानी हुई और 20 रु. जुर्माने के रूप में देने पड़े।

आप से निवेदन है कि इस मामले पर गौर करें और विलंब के कारणों की जाँच करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना से लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सधन्यवाद,

भवदीया
सुनयना चक्रवर्ती
15 बी, टैगोर पार्क
दिल्ली-110009

14 अगस्त, 1988

सेवा में,
प्रबंधक
उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम
मसूरी,
उत्तर प्रदेश
महोदय,

मैं अपने परिवार के साथ 15.5.89 से 21.5.89 तक के लिए मसूरी आना चाहता हूं। मेरे साथ मेरी पत्नी श्यामली, पुत्र बंकिम और पुत्री रचना भी आएंगे। कृपया उक्त अवधि के दौरान पर्यटन आवास केंद्र में मेरे ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था कर दें।

सधन्यवाद

भवदीय
अतुल सरधाना
15-बी, रानी झाँसी रोड,
सिहोर, मध्य प्रदेश

13.4.89

अभ्यास - 3

क्रम सं. .... (आवती) पृष्ठ सं. .... (पत्राचार)

श्री शिरीष मेहता, अनुसंधान सहायक ने अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अंग्रेजी में एम. ए. परीक्षा देने की अनुमति माँगी है। श्री मेहता इससे पहले हिंदी में एम. ए. हैं। श्री मेहता का कहना है कि इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी।

अनुभाग के अधीक्षक ने उनके आवेदन पत्र को आवश्यक कारवाई और आदेश के लिए अवर सचिव को भेजा था अवर सचिव ने श्री मेहता के आवेदन पत्र को नीचे दी हुई शर्तों पर संस्तुत कर दिया।

1) परीक्षा की तैयारी के कारण अनुभाग में श्री मेहता के काम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2) यह अनुमति लोक हित में किसी भी समय बिना कारण बताए वापस ली जा सकती है।
3) श्री मेहता को एम.ए. अंग्रेजी की परीक्षा के संबंध में अनुमति के बारे में मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है

ग. पा. श.
(सहायक के आद्याक्षर)
ता.

अनु. अधि.

संशोधित मसौदा हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है।

स. मि. अ.
(अनु. अधि. के आद्याक्षर)
ता.

श्री मेहता को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि उन्हें अप्रैल से पहले किसी भी हालत में छुट्टी नहीं दी जा सकेगी क्योंकि मार्च में वित्त वर्ष के समाप्त होने के कारण विभाग में कार्य अधिक होता है।

अवर सचिव

हस्ता. क.ख.ग.
अवर सचिव
ता. ....

अभ्यास-4

i) औपचारिक ii) महोदय iii) उत्तम पुरुष iv) भवदीय v) ऊपर

अभ्यास-5

क) सरकारी पत्र औपचारिक होता है और अर्धसरकारी पत्र अनौपचारिक।

ख) दोनों के बाहरी रूप में भी अंतर होता है।

i) सरकारी पत्र में सबसे ऊपर पृष्ठ के बीच में फा. सं. आदि लिखते हैं जबकि अर्धसरकारी पत्र में अर्धसरकारी पत्र संख्या आदि ऊपर पृष्ठ के दाहिनी ओर लिखे जाते हैं।

ii) सरकारी पत्र में पाने वाले का नाम, पदनाम आदि विषय से पूर्व लिखा जाता है तो अर्धसरकारी पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम और पता "स्वनिर्देश" के बाद नीचे बायीं ओर लिखा जाता है।

iii) सरकारी पत्र में "संबोधन" के रूप में "महोदय" और "स्वनिर्देश" के रूप में "भवदीय" का प्रयोग होता है। लेकिन अर्धसरकारी पत्र में क्रमश: प्रिय श्री जी तथा "आपका" का प्रयोग होता है।

iv) अर्धसरकारी पत्र में सरकारी पत्र की तरह हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी हस्ताक्षर के नीचे पदनाम नहीं लिखता। प्रेषक का पदनाम पत्र के ऊपर बायीं ओर लिखा जाता है।

v) अर्धसरकारी पत्र में अधिकारी के प्रति धन्यवाद, आभार या आदर प्रदर्शित करना आवश्यक होता है जबकि सरकारी पत्र में इसकी आवश्यकता नहीं होती।

अभ्यास-6

i) क) आपका ख) ऊपर ग) सरकारी घ) सरकारी

ii) क) नहीं ख) नहीं ग) हाँ

अभ्यास-7

सं. 1-16/78-स्था.
भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

लोकनायक भवन
खान मार्केट
नई दिल्ली, 10.4.86

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यालय पेशगी श्री विवेक सक्सेना को उनके दि. 27.3.86 के आवेदन पत्र के बारे में सूचित किया जाता है कि त्यौहार पेशगी के रूप में उन्हें 500 रु. की राशि मंजूर कर दी गई है यह राशि उन्हें 50/- रु प्रतिमाह के हिसाब से 10 किस्तों में अदा करनी होगी।

(सलीम असलम)
प्रशासन अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित
1 कार्यालय आदेश रजिस्टर
2 वित्त अनुभाग
3 प्रशासन अनुभाग
4 श्री विवेक सक्सेना

अभ्यास-8

सं. 3-56/7
भारत सरकार
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

राजस्व भवन
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली
5.12.86

कार्यालय आदेश

देखने में आया है कि कार्यालय के कुछ कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचते या कार्यालय से समय से पहले चले जाते हैं। सभी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय समय का पालन करें।
ऐसा न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

हरीश प्रियंकर
निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित
कार्यालय के सभी कर्मचारी

अभ्यास-9

देखें भाग 21.2

केंद्रीय जल आयोग
वेस्ट ब्लॉक, सेक्टर-I, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली
सं. ....

ता. ....

परिपत्र

विषय: हिंदी पुस्तकों की खरीद

कार्यालय के वार्षिक बजट में से 500 रु. की राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित की गई है। इस राशि का इस्तेमाल ऐसी पुस्तकों पर किया जाएगा जो कार्यालय कर्मचारियों के लिए उपयोगी हों। अत: कार्यालय के सभी कर्मचारी अपनी जरूरत तथा रुचि की पुस्तकों की सूची 15.12.88 तक पुस्तकाध्यक्ष को दे दें, ताकि खरीद के समय उन्हें अंतिम सूची में शामिल किया जा सके।

(रंगास्वामी)
उप निदेशक

सेवा में
सभी अधिकारी तथा कर्मचारी

....

इकाई 22 समाचार लेखन और संपादकीय

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य
22.1 प्रस्तावना
22.2 समाचार क्या है ?
22.2.1 समाचार
22.2.2 समाचार में प्राप्त जानकारियाँ
22.2.3 समाचार प्राप्ति के स्रोत
22.3 समाचार लेखन और संपादन
22.3.1 समाचार लेखन का आरंभ
22.3.2 मुख्य कलेवर
22.3.3 शीर्षक देना
22.3.4 समाचार का संपादन
22.4 समाचार की भाषा
22.4.1 समाचार की भाषा कैसी हो ?
22.4.2 विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा
22.5 संपादकीय लेखन
22.6 सारांश
22.7 शब्दावली
22.8 उपयोगी पुस्तकें
22.9 बोध प्रश्नों/ अभ्यासों के उत्तर

22.0 उद्देश्य

इस इकाई में आपको समाचार और संपादकीय लेखन की विशेषताओं से परिचित कराया जा रहा है। इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- समाचार और संपादकीय का तात्पर्य बता सकेंगे;
- समाचार कैसे एकत्र किया जाता है इसका वर्णन कर सकेंगे;
- समाचार लेखन कर सकेंगे;
- समाचारों का संपादन कर सकेंगे और उनके उचित शीर्षक दे सकेंगे;
- संपादकीय लिखने की मुख्य विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- समाचार और संपादकीय में प्रयुक्त भाषा की विशेषताएँ बता सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना

यह आधार पाठ्यक्रम की 22वीं इकाई और चौथे खंड की चौथी इकाई है। यह खंड हिंदी भाषा के व्यावहारिक उपयोग से संबंधित है। इससे पहले की इकाई में आपने सरकारी पत्राचार के बारे में अध्ययन किया था। इस इकाई में हम आपको समाचार पत्रों में समाचार लेखन और संपादकीय के बारे में बताएँगे। इस इकाई के अध्ययन से आपको समाचार पत्रों में छपे विभिन्न समाचारों और संपादकीय के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिलेगी। आप सभी समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। समाचार पत्र से आपको तरह-तरह की सूचनाएँ मिलती हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकूद और जीवन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित कई तरह के समाचार हम रोज पढ़ते हैं। अमरीका, यूरोप या अफ्रीका में क्या घटित हो रहा है? हमारे अपने देश के सुदूर गाँवों में क्या घटित हो रहा है? देश के आर्थिक हालात कैसे हैं? महँगाई कितनी बढ़ी है? रोजगार के कितने अवसर हैं? देश में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? शहर में कौन-कौन-सी फिल्में चल रही हैं? इस तरह की सभी जानकारियाँ हमें अखबारों से मिलती है। आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर पैदा होती होगी कि आखिर विविध तरह के समाचार, दूर-दराज के क्षेत्रों से कैसे एकत्र किये जाते हैं? फिर जो सूचनाएँ हम तक पहुँचती हैं, उनको "समाचार" किस तरह से बनाया जाता है। आप में से कुछ इस प्रक्रिया से परिचित होंगे। लेकिन हम आपको समाचार लेखन और संपादकीय के बारे में व्यावहारिक जानकारी देंगे ताकि आप स्वयं समझ सकें कि समाचार लेखन और संपादकीय क्या है? आगे कभी आप पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में चुनें तो आपका सामान्य ज्ञान इतना अवश्य हो कि आपको अपना ज्ञान और लेखन-कौशल बढ़ाने में कठिनाई न हो।

22.2 समाचार क्या है?

हममें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्रों से समाचार जानने में दिलचस्पी न हो। रेडियो और टेलीविजन द्वारा समाचार, समाचार पत्रों की अपेक्षा जल्दी मिलते हैं लेकिन रेडियो और टेलीविजन पर समाचार का प्रसारण 10-20 मिनट की अवधि के लिए ही होता है। इन प्रसारणों से हमें मुख्य घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी तो अवश्य प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनका विस्तृत विवरण समाचार पत्रों से ही मिलता है। आमतौर पर हिंदी के समाचार पत्र 8-10 पृष्ठ के होते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या 20 तक होती है। इन समाचार पत्रों में कई क्षेत्रों के समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। प्रायः सभी अखबार खेल-कूद और वाणिज्यिक समाचारों के लिए एक-एक पृष्ठ अलग से देते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों के लिए अलग से स्तंभ होते हैं, जिनमें ऐसी मुख्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग होती है। ये स्तंभ दैनिक भी हो सकते हैं और साप्ताहिक भी। समाचार पत्रों में बीच का पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ के रूप में रखा जाता है, जिसमें सामयिक गतिविधियों पर संपादकीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली टिप्पणियाँ और विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। इसी पृष्ठ पर पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं जिनमें वे समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री (समाचार, संपादकीय और लेखों) पर अपनी राय का इज़हार करते हैं या अपनी या अपने आसपास की समस्याओं पर संबंधित पक्ष या समाज का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर सभी अखबार रविवार को विशेष परिशिष्ट निकालते हैं, जिसमें साहित्यिक रचनाएँ, बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष पठन सामग्री तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री दी जाती है। समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है, विज्ञापन। विभिन्न तरह के विज्ञापनों से भी पाठकों को विविध प्रकार की उपयोगी सूचनाएँ मिलती हैं।

समाचार पत्र समाचार को उनके महत्व के अनुसार जगह प्रदान करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समाचार को पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर के भाग में मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर प्रकाशित किया जाता है ताकि समाचार पढ़ने वालों का ध्यान उस पर तत्काल चला जाए। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को भी पहले पृष्ठ पर जगह दी जाती है। कम महत्वपूर्ण समाचारों को अंदर के पृष्ठों पर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचारों को उनके लिए निर्धारित पृष्ठों पर प्रकाशित किया जाता है। इस तरह समाचार पत्र के पूरे कलेवर में विविधता और व्यवस्था दोनों होती हैं। लगातार समाचार पढ़ने से हम अखबारों की इस आंतरिक व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं और तब हमें इच्छित समाचार ढूँढ़ने में वक्त नहीं लगता। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी की रुचि सभी तरह के समाचारों में नहीं होती। खास-खास खबरें जानने के बाद पाठक आम तौर पर अपनी रुचि और जरूरत के क्षेत्र की जानकारी विस्तार से जानना चाहता है।

समाचार पत्र का मुख्य कलेवर समाचारों से बनता है। समाचार की सैद्धांतिक चर्चा करने के बजाय हम ठोस उदाहरणों को सामने रखकर इसे समझेंगे। संपादकीय से क्या तात्पर्य है, इसकी भी चर्चा हम आगे के पृष्ठों में करेंगे।

22.2.1 समाचार

आपने थोड़े दिनों पहले समाचार पत्रों में कानपुर की तीन बहनों के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ये तीनों लड़कियाँ कुँवारी थी और इनके पिता पर्याप्त दहेज न दे पाने के कारण उनकी शादियाँ करने में असमर्थ थे। जब आपने अखबारों में इस समाचार को पढ़ा होगा तो आपको कुछ सूचनाएँ मिली। एक साथ तीन लड़कियों की आत्महत्या हमारे सामाजिक पतन की द्योतक थी। दहेज के कारण हुई यह भयावह घटना हमारे लिए एक सबक की तरह थी और इसी कारण उसका महत्व था।

वस्तुतः समाचार में देश-विदेश में घटी घटनाओं या गतिविधियों की सूचनाएँ होती हैं, जिनका सार्वजनिक महत्व होता है और जिनके द्वारा हम उस घटना या गतिविधि की आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे हम अपनी राय बनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्रियाशील भी होते हैं। नीचे हम जनसत्ता से एक समाचार दे रहे हैं, इसे पढ़िए और समझिए कि यह 'समाचार' कैसे है?

ईरान इराक युद्ध विराम पर राजी, 20 अगस्त से लड़ाई रुकेगी

संयुक्त राष्ट्र 5 अगस्त (एजेंसियां)। करीब आठ साल से भीषण लड़ाई लड़ रहे ईरान और ईराक ने फौरन दुश्मनी छोड़ देने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की तारीख 20 अगस्त तय कर दी है। उस दिन भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह आठ बजे से खाड़ी की लड़ाई रुक जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कल रात घोषणा की कि दोनों देशों से कहा गया है कि वे 20 अगस्त से लड़ाई बंद करने के निर्देश का पालन करें।

आठ साल से चल रहे खाड़ी युद्ध को खत्म करने के लिए जिनेवा में बातचीत के लिए ईरान और ईराक तैयार हो गए हैं। बातचीत 25 अगस्त को होगी। 15 सदस्यीय परिषद में दिए गए बयान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज द क्वेया ने कहा - सुरक्षा परिषद के आदेश के आधार पर मैं इस्लामी गणतंत्र ईरान और इराक गणतंत्र से अपील करता हूं कि वे 20 अगस्त से जमीन, समुद्र और हवा में हर तरह की फौजी गतिविधियां रोक दें।

ईरान के विदेशमंत्री अली अकबर विलायती और इराक के दूत किद्वानी ने क्वेया की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी जिनेवा वार्ता में मुश्किल होगी। किद्वानी ने पत्रकारों को बताया कि वैसे तो यह एक कठिन शुरुआत होगी, पर इसमें पीछे हटने का सवाल है, नहीं। इराक के विदेश मंत्री तारीक अजीज सीधी बातचीत के लिए आज बगदाद पहुंच गए हैं।

ईरान और इराक के बीच 20 सितंबर 1980 को शुरु हुई लड़ाई में अब तक दोनों तरफ से दस लाख लोग मारे जा चुके हैं। क्वेया की घोषणा के साथ ही इस सदी की यह लंबी और सबसे खूनी लड़ाई खत्म होने की उम्मीद है।

ईरान और इराक के बीच 20 सितंबर 1980 को शुरु हुई लड़ाई में अब तक दोनों तरफ से दस लाख लोग मारे जा चुके हैं। क्वेया की घोषणा के साथ ही इस सदी की यह लंबी और सबसे खूनी लड़ाई खत्म होने की उम्मीद है।
दोनों देशों के बीच 750 किलोमीटर लंबी सीमा के साथ युद्ध विराम लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र के 350 प्रेक्षकों की पहली खेप आज खाड़ी के लिए रवाना हो गई। भारतीय फौजी अफसरों के भी इस समूह में शामिल होने की उम्मीद है।

क्वेया ने सुरक्षा परिषद में बताया कि ईरान और इराक 25 अगस्त की बातचीत में और बातों के अलावा लड़ाई के दौरान कैद किए फौजियों की अदला-बदली और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा से सैनिकों की वापसी पर खास बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि ईरान और इराक ने भरोसा दिलाया है कि वे सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 598 को पूरी तरह लागू करके युद्ध विराम का पालन करेंगे। सुरक्षा परिषद ने क्वेया की घोषणा का समर्थन किया और खाड़ी की लड़ाई खत्म कराने में उनकी कोशिशों की तारीफ की। क्वेया को भेजे एक पत्र में विलायती ने कहा कि ईरान 20 अगस्त से तमाम थल, जल और वायु कार्रवाइयां रोक देने का प्रण करता है। विलायती युद्ध विराम पर बातचीत के लिए पिछले दो हफ्ते से न्यूयार्क में रुके हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इराक के राजदूत इस्मत किद्वानी ने भी कहा कि खाड़ी में जल्दी ही अमन बहाल होगा। उन्होंने कल कहा - 'आज एक नए युग की शुरुआत हुई।'

युद्ध विराम पर चल रही बातचीत में पैदा गतिरोध चार दिन पहले खत्म हुआ, जब ईरान ने युद्ध विराम से पहले इराक के साथ सीधे बातचीत की जिद छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र की प्रेक्षक टोली छह महीने तक नजर रखेगी कि दोनों देश युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर इससे सात करोड़ 40 लाख डालर का आर्थिक बोझ पड़ेगा। भारत सहित 24 देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल में अपने फौजी अफसर भेजने की हामी भरी है।

क्वेया ने युद्ध विराम की तारीख के एलान के बाद संवाददाताओं को बताया कि दोनों देशों के साथ, बातचीत के दौरान कई बार वे मायूस हो गए थे, पर उन्होंने अपनी मायूसी किसी पर जाहिर नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पूरी तरह अम्न की मियाद का एलान बहुत मुश्किल है, क्योंकि शांति बातचीत में कितना समय लगेगा, यह कोई नहीं बता सकता। दोनों देशों के मतभेद बहुत उलझे हैं, इसलिए जिनेवा में दोनों देशों की बातचीत में वे खुद मौजूद रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि प्रस्ताव 598 के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र खाड़ी युद्ध के जिम्मेदार देश का पता लगाने के लिए आयोग बनाएगा या नहीं, क्वेया ने कहा कि इस बारे में कार्रवाई जारी है।

ईरान और इराक में खाड़ी युद्ध विराम पर मिली जुली प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। तेहरान से रायटर के मुताबिक राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन ने समय-समय पर युद्ध विराम पर बातचीत की जानकारी दी, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति अली खुमैनी ने कहा कि उन्हें अभी भी इराक की नीयत पर शक है। उधर इराक ने युद्ध विराम की घोषणा जश्न मनाने के लिए देश में मंगलवार से तीन दिन की छुट्टी का एलान कर दिया।

'जनसत्ता' के 10 अगस्त, 1988 के अंक में मुखपृष्ठ पर यह समाचार प्रकाशित हुआ था। यह उस दिन मुखपृष्ठ पर छपी एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय खबर थी, जिसे विशेष महत्व देकर विस्तार से छापा गया था। अगर आपकी दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों में है, तो आप इस समाचार के महत्व को समझ गए होंगे। ईरान और इराक दो प्रमुख खाड़ी देश हैं, जो तेल का उत्पादन और निर्यात करते हैं। इन दोनों देशों में पिछले आठ साल से युद्ध चल रहा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लाखों घर उजड़ गए। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और रोजाना युद्ध पर करोड़ों रुपए खर्च होते रहे। यह बहुत लंबा और विनाशकारी युद्ध था और दुनिया का हर शांतिप्रिय राष्ट्र और नागरिक चाहता था कि युद्ध बंद होना चाहिए। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पेरेज द क्वेया के प्रयासों से इन दोनों देशों में युद्धविराम हुआ। युद्धविराम की यह सूचना ही समाचार का रूप धारण कर हम तक पहुँची। पूरे समाचार को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि समाचार में सिर्फ युद्धविराम की ही सूचना नहीं है बल्कि इस मुख्य खबर से जुड़ी अन्य कई सूचनाएँ भी हैं। जैसे, युद्ध विराम 20 अगस्त से लागू होगा। युद्ध आठ साल से चल रहा था। ईरान के विदेश मंत्री और इराक के दूत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की घोषणा का स्वागत किया। युद्धविराम के बाद दोनों देशों के बीच जिनेवा में वार्ता होगी। इस युद्ध में अब तक दस लाख लोग मारे गए। दोनों देशों के बीच 750 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, आदि। ये सूचनाएँ हमें समाचार की पूरी तस्वीर पेश करती हैं। मान लीजिए समाचार का रूप सिर्फ इतना होता कि ईरान और इराक के बीच 20 अगस्त से युद्धविराम होगा और शेष जानकारियाँ नहीं होतीं तो यह समाचार अधूरा होता। हो सकता है दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इतनी ही सूचना दी गई हो, लेकिन समाचार पत्र में दिये गये समाचार से हमें घटना की पर्याप्त जानकारी मिलती है।

22.2.2 समाचार से प्राप्त जानकारियां

प्रश्न उठता है कि पर्याप्त जानकारी से क्या तात्पर्य है और इसे जांचने का तरीका क्या है ? कोई भी सूचना पूरा समाचार तब बनती है जब उसमें निम्नलिखित पांच बातें अवश्य हों।

1 **कौन**-सी घटना या गतिविधि हुई ?
2 घटना में **क्या** हुआ ?
3 घटना **कहाँ** हुई ?
4 घटना **कब** हुई ?
5 घटना **क्यों** हुई ?

अब ऊपर के समाचार को ही उपर्युक्त बातों के आधार पर जांच कर देखें।

1 कौन-सी घटना या गतिविधि हुई ?
इसका उत्तर है: ईरान-इराक के बीच युद्धविराम की घोषणा हुई।

2 घटना में क्या हुआ ?
उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रयासों से ईरान और इराक युद्धविराम पर सहमत हुए।

3 घटना कब हुई ?
उत्तर: घोषणा 9 अगस्त से एक दिन पूर्व यानी 8 अगस्त को हुई।

4 घटना कहाँ हुई ?
उत्तर: घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में हुई।

5 घटना क्यों हुई ?
इसका उत्तर समाचार में विस्तार से दिया गया है। आठ साल से चल रहा युद्ध और महासचिव का प्रयास इस युद्ध-विराम की घोषणा का कारण है।

इस प्रकार उपर्युक्त समाचार हमारी मुख्य जिज्ञासाओं का उत्तर देता है। इनमें से दो प्रश्नों के उत्तर हमें समाचार के आरंभ में दो जानकारियों से मिले हैं। ये हैं "संयुक्त राष्ट्र, 9 अगस्त" प्रत्येक समाचार के आरंभ में उस स्थान का अवश्य उल्लेख होता है जहाँ घटना घटित होती है या उस घटना की सूचना को सर्वप्रथम एकत्र किया जाता है। युद्धविराम की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में की गयी होगी, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह उस तारीख का भी उल्लेख होता है जब वह घटना समाचार का विषय बनी। अगर घटना के कुछ दिनों बाद समाचार बना है तो उसका भी उल्लेख समाचार में कर दिया जाता है अन्यथा घटना की तारीख और समाचार जारी होने की तारीख एक ही होती है।

अब प्रश्न यह है कि समाचार पत्रों को सूचनाएँ प्राप्त कैसे होती हैं और जो भी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं क्या वे उन्हें उसी रूप में प्रकाशित कर देते हैं या उसमें फेरबदल करते हैं ? अगर फेरबदल करते हैं तो उसका आधार क्या है ?

22.2.3 समाचार प्राप्ति के स्रोत

प्रत्येक समाचार पत्र के पास समाचार प्राप्त करने के तीन स्रोत होते हैं।

1 समाचार एजेंसियाँ
2 पत्र के संवाददाता
3 सरकारी विज्ञप्तियाँ

समाचार एजेंसियाँ: आपने ईरान-इराक के उपर्युक्त समाचार के आरंभ में कोष्ठक में "एजेंसियाँ" लिखा देखा होगा। समाचार पत्र समाचार के आरंभ में उसके प्राप्त करने के स्रोत का हवाला अवश्य देता है। दुनिया में कई समाचार एजेंसियाँ हैं, जिनका काम ही है दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समाचार एकत्र करना और उन्हें समाचार पत्रों तक पहुँचाना। ईरान-इराक वाले समाचार में ही अंदर लिखा है "तेहरान से रायटर के मुताबिक ...." यहाँ "रायटर" के हवाले से जो बात कही गयी है वह बात "रायटर" (ब्रिटेन की समाचार एजेंसी) नामक समाचार एजेंसी से प्राप्त हुई थी। 'रायटर' को यह सूचना अपने तेहरान स्थित संवाददाता से प्राप्त हुई जिसे "रायटर" ने विश्व भर में प्रसारित किया और जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुँची।

समाचार एजेंसियों या संवाद समितियों के अपने संवाददाता और कार्यालय होते हैं जो समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचारों को फिर वे टेलीप्रिंटर (दूरमुद्रक), टेलीग्राम (तार) या टेलीफोन द्वारा मुख्य कार्यालय तक भेजते हैं। वहाँ इन समाचारों का संपादन होता है और उसके बाद इन समाचारों को टेलीप्रिंटर (दूरमुद्रक) द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है। टेलीप्रिंटर वह यंत्र है जिसके द्वारा समाचार टंकित रूप में प्रेषित किये जाते हैं और प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र भी समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार को ठीक उसी रूप में प्रकाशित नहीं करते बल्कि उन्हें संपादित करके प्रकाशित करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एजेंसियों द्वारा प्राप्त सभी समाचारों को प्रकाशित करें। समाचार के लिए सूचनाओं का चयन और समाचार का संपादन उसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से होता है।

'यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया' और 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया' भारत की दो मुख्य समाचार एजेंसियाँ हैं जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में संवाद समितियाँ चलाती हैं। 'यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया', 'यूनी वार्ता' के नाम से तथा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, 'भाषा' के नाम से हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद समितियाँ चलाती हैं।

समाचार पत्र के संवाददाता: समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है, उनके अपने संवाददाता जो विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर सूचनाएँ एकत्र करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में "जनसत्ता (या जो भी पत्र का नाम हो) संवाददाता" या "निज संवाददाता" आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर समाचार बनाते हैं। जैसे दुर्घटनाओं के लिए अस्पताल, अपराधों के लिए पुलिस आदि से संपर्क करके वे समाचार एकत्र करते हैं।

सरकारी विज्ञप्तियाँ: समाचारों का तीसरा मुख्य स्रोत सरकारी विज्ञप्तियाँ हैं जो सरकार या संस्थाएँ प्रकाशन के लिए समय-समय पर जारी करती हैं। समाचार पत्र इन विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देकर उनके महत्व के अनुसार प्रकाशित करते हैं।

अब तक हमने जो अध्ययन किया है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि समाचार क्या है, उससे हमें क्या सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, समाचार कैसे एकत्र किये जाते हैं और हम तक कैसे पहुंचते हैं। समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार एजेंसियों या विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं और समाचारों को कैसे संपादित किया जाता है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे।

बोध प्रश्न

आपने उपर्युक्त अंश का अध्ययन ध्यानपूर्वक किया होगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

1 समाचार प्राप्त करने के तीन मुख्य स्रोतों के नाम बताइए।

क) ....

ख) ....

ग) ....

2 समाचार में कौन-कौन-सी पाँच बातें होनी आवश्यक हैं?

क) ....

ख) ....

ग) ....

घ) ....

ङ) ....

3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक पंक्ति में लिखिए।

क) "हमारे संवाददाता द्वारा", यह कथन समाचार के किस पक्ष को व्यक्त करता है?

....

ख) समाचार के आरंभ में कोष्टक में लिखी 'भाषा' क्या व्यक्त करती है?

....

ग) समाचार के आरंभ में लिखा "नयी दिल्ली" क्या व्यक्त करता है।

....

घ) "मनिहारी घाट के पास गंगा में डूबे स्टीमर से 23 शवों को बाहर निकाला जा चुका है।" इस पंक्ति से समाचार का कौन-सा पक्ष व्यक्त हुआ है।

....

4 समाचार एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं? तीन पंक्तियों में अपना उत्तर लिखिए।

....

....

....

अभ्यास - 1

1 नीचे हम 10 अगस्त, 1988 को "जनसत्ता" में ही प्रकाशित छोटा-सा समाचार दे रहे हैं। आप इस समाचार को इकाई में दिये गये पाँच आधारों पर जाँच कर बताइए कि क्या यह पूरा समाचार है।

सबसे पुराने पुलिस कांस्टेबल का सम्मान

मद्रास, अगस्त (जनसत्ता)। सबसे ज्यादा उम्र के रिटायर पुलिस कांस्टेबल टी.आर. श्रीनिवासन नायडू का आज विभाग की ओर से सम्मान किया गया। 107 साल के हैं।

....

....

....

....

....

22.3 समाचार लेखन और संपादन

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार लेखन का मुख्य काम है। अगर सूचनाएँ समाचार रूप में ही प्राप्त होती हैं तो उन्हें समाचार पत्र की नीति तथा पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार संपादित करना होता है।

किसी भी सूचना को समाचार का रूप तब प्राप्त होता है जब उसका सार्वजनिक महत्व होता है अर्थात् लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कोई समाचार केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होता। समाचार पत्र सूचना रूपी तथ्यों को ठीक उसी रूप में ही प्रस्तुत नहीं करते बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार किंचित् व्याख्या और पहले से उपलब्ध तथ्यों को जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। यह अवश्य है कि समाचार पत्रों को तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने या झूठी और कपोल-कल्पित बातों को "समाचार" बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। समाचार बनाने के लिए वे सभी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करें यह भी आवश्यक नहीं है। समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके समाचार से सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। वह लोगों में घृणा न फैलाए। हाँ, उसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लिखने का अधिकार है। उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संचालित होना चाहिए। उसके किसी समाचार या रिपोर्ट से धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिवादी और भाषायी द्वेष बढ़ता है तो उसका यह कार्य अनुचित कहा जाएगा।

मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा हो जाता है। उस दंगे में एक विशेष संप्रदाय के पाँच लोग मारे जाते हैं। अगर समाचार पत्र में यह सूचना इस रूप में प्रकाशित हो कि "क" संप्रदाय की उग्र भीड़ ने "ख" संप्रदाय के पाँच लोगों को मार डाला तो यह "समाचार" सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाला माना जाएगा। हो सकता है इस समाचार को पढ़कर "ख" संप्रदाय के लोग किसी अन्य स्थान पर "क" संप्रदाय के लोगों पर हमला करें। इस तरह यह आग दूर-दूर तक फैल सकती है। इसलिए प्रश्न तथ्य का ही नहीं है, तथ्य को प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का भी है। विचारधारा के स्तर पर समाचार पत्र या संवाददाता की कोई दृष्टि हो सकती है लेकिन अपने व्यापक अर्थों में वह राष्ट्र और समाज के हित में हो।

इन आधारभूत बातों का समाचार लेखन से पहले अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।

अब हम विचार करेंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है।

22.3.1 समाचार लेखन का आरंभ

किसी भी समाचार के मुख्य तीन हिस्से होते हैं:

1 शीर्षक

2 इंट्रो या आमुख

3 मुख्य कलेवर

समाचार का शीर्षक तो प्रायः समाचार बन जाने के बाद ही दिया जाता है इसलिए हम भी उसकी चर्चा बाद में ही करेंगे। शीर्षक के बाद स्थान, समय और सूचना के स्रोत का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद समाचार आरंभ होता है। इस समाचार के दो हिस्से होते हैं एक इंट्रो या लीड या आमुख और दूसरा, समाचार का मुख्य कलेवर।

इंट्रो या आमुख: प्रत्येक समाचार के आरंभ में तीन-चार पंक्तियों में उस समाचार का सार दे दिया जाता है। जिसमें उस समाचार की मुख्य वस्तु का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए "युद्धविराम" वाले समाचार का प्रथम पैरा देखिए:

> **करीब आठ साल से भीषण लड़ाई लड़ रहे ईरान और इराक ने फौरन दुश्मनी छोड़ देने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम की तारीख 20 अगस्त तय कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कल रात घोषणा की कि दोनों देशों से कहा गया है कि वे 20 अगस्त से लड़ाई बंद करने के निर्देश का पालन करें।**

उपर्युक्त पैरा में उन पाँचों बातों को समेट लिया गया है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं अर्थात् कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों का जवाब इसमें मिल जाता है। समाचार के इस अंश को इंट्रो या लीड कहा जाता है। शेष समाचार इसी आमुख (इंट्रो) का विस्तार होता है। समाचार लेखन में इंट्रो का महत्व अत्यधिक है। क्योंकि समाचार की ये लीड पंक्तियाँ पाठक को संक्षेप में पूरी सूचना दे देती हैं। हो सकता है कुछ पाठकों को समाचार पूरा पढ़ने का अवसर न हो। वह इन आरंभिक पंक्तियों को पढ़कर ही समाचार का सार तत्व जान सकता है। अगर उसकी उत्सुकता बढ़ती है तो वह शेष समाचार भी पढ़ लेता है।

आमुख लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें "घटना" या "गतिविधि" के पाँचों पक्षों का उत्तर मिल जाये। अब हम कुछ दिये गये तथ्यों के आधार पर इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे।

तथ्य :
- i) दिल्ली में हैजा फैला हुआ है।
- ii) नौ लोग हैजे से और मारे गये हैं।
- iii) ये लोग 29 जुलाई को मरे।
- iv) अस्पतालों में हैजे के कुल 1027 मामले दर्ज हुए।
- v) इनमें से 38 को हैजा था।

अब इन्हें पाँच आधारों (कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे) पर जाँचिए।

कौन सी घटना— हैजा फैला हुआ है।

क्या हुआ— हैजे से नौ लोग और मारे गये और 1027 मामले दर्ज हुए।

कब हुआ— 29 जुलाई को मरे।

कहाँ हुआ— दिल्ली में।

कैसे हुआ— हैजे के प्रकोप से।

दिये गये तथ्यों के आधार पर ऊपर की पाँचों बातों को शामिल करके हम आमुख लिख सकते हैं।
नयी दिल्ली, 29 जुलाई (एजेंसी का नाम) आज हैजे से नौ और लोगों की जान गयी। कुल 1027 मामले दर्ज किये गये।

इसके बाद हमारे पास जो अन्य तथ्य उपलब्ध हों उनको समेटते हुए हम पूरा समाचार बना सकते हैं।

समाचार की निरंतरता: बहुत से समाचारों में एक तरह की निरंतरता होती है। समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए 30 जुलाई, 1988 के "जनसत्ता" में एक समाचार प्रकाशित हुआ "गुजरात में पुलिस हड़ताल खत्म"। इस समाचार के आरंभ में लिखा था "गुजरात पुलिस की छह दिन पुरानी हड़ताल आज खत्म हो गई।" ध्यान दीजिए इस समाचार में निरंतरता का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना समाचार न तो पूरा होता है न इसका महत्व स्थापित होता है। यह निरंतरता "छह दिन पुरानी" में मौजूद है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि "गुजरात पुलिस की हड़ताल आज खत्म हो गई" और "छह दिन" का उल्लेख नहीं होता और हड़ताल से संबंधित हमने किसी अन्य समाचार को पहले न पढ़ा हो तो हम समझ ही न पाएंगे कि गुजरात पुलिस कब हड़ताल पर गई। "हैजा" के जिस समाचार का उल्लेख ऊपर किया गया है, उस समाचार की पहली पंक्ति थी "हैजा फिलहाल काबू में आता नहीं दिखता"। इस पंक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि हैजे का प्रकोप दिल्ली में कई दिनों से व्याप्त है और 9 लोगों का मरना उसी की एक कड़ी है। अगर हम इन दोनों समाचारों के लिए उससे पिछले दिनों के अखबार देखें तो समाचारों की निरंतरता स्वत: ही स्पष्ट हो जाएगी।

अत: समाचार के आरंभ में इस निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है अन्यथा हम न तो समाचार को स्पष्ट कर पायेंगे और न ही उसका महत्व स्थापित कर सकेंगे।

22.3.2 मुख्य कलेवर

समाचार का मुख्य कलेवर वह हिस्सा होता है जो आमुख के बाद विस्तार से लिखा जाता है। इसमें वे सारी सूचनाएँ दी जाती हैं, जो समाचार पत्र अपने पाठकों तक पहुँचाना चाहता है। लेकिन संवाददाता द्वारा एकत्र की गई सूचनाएँ या संवाद समितियों द्वारा प्राप्त समाचार में आवश्यकता से अधिक सूचनाएँ हो सकती हैं। यह भी संभव है कि उनमें आपस में तारतम्य न हो। उनमें से कई सूचनाएँ गैर जरूरी हों, कई सूचनाएँ अधूरी हों, उन्हें समाचार का रूप देने के लिए उस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। इसलिए समाचार लेखन से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए :

1) समाचार लेखन आरंभ करने से पहले आप अपने तथ्यों की अच्छी तरह से जाँच कर लीजिए। अगर आपने स्वयं तथ्य इकट्ठे किये हैं तो उनकी सत्यता जरूर जाँच लें। अगर आपने किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार प्राप्त किया है तो उसका हवाला दीजिए।

2) समाचार लिखने से पहले उन सूचनाओं और तथ्यों को अलग कर दीजिए या काट दीजिए जो महत्वहीन हों।

3) बचे हुए तथ्यों में तारतम्य बैठाइए और उन्हें एक निश्चित क्रम दीजिए ताकि समाचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके।

4) इस पूरे समाचार के केंद्रीय मुद्दे या सबसे महत्वपूर्ण बात को चुनिये और उन्हें इंट्रो के रूप में लिखिए और इसी से शीर्षक बनाइए।

5) समाचार को निष्पक्ष होकर लिखिए। तथ्यों को तोड़िए-मरोड़िए मत। परंतु, समाचार पत्र की दृष्टि (या अपने दृष्टिकोण) के अनुसार उसको स्पष्ट कीजिए क्योंकि आपके समाचार पत्र की (या आपकी) अपनी अलग पहचान है जिसे आपको बरकरार रखना है।

6) समाचार को सरल और सबकी समझ में आ सकने वाली भाषा में लिखिए। क्योंकि लोग समाचार एकाग्र होकर पढ़ें, यह जरूरी नहीं है।

अब हम एक उदाहरण द्वारा स्वयं समाचार बनाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित सूचनाएँ हमें "एजेंसियों" द्वारा प्राप्त हुई हैं, उन्हें समाचार का रूप देना है:

11 अगस्त को चंडीगढ से समाचार एजेंसियों ने निम्नलिखित समाचार भेजे:

i) अमृतसर जिले के करीमपुरा गाँव में आज सुबह दो आतंकवादियों ने गाँव के सरपंच मनजीत सिंह के घर में घुसकर गोलियाँ चलाईं। आतंकवादियों के हमले का जवाब सरपंच के बेटे गुरदीप सिंह ने दिया। उसकी गोली से दोनों आतंकवादी धराशायी हो गये। सरपंच के परिवार का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ। इन आतंकवादियों की कारंवाइयों से पूरा क्षेत्र परेशान था।

ii) अमृतसर जिले के दयाल गाँव के एक परिवार पर कल रात आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में परिवार के तीन लोग मारे गये। नाम जीवनलाल, पत्नी राधा देवी और पुत्र रमेश। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ली है। यह सूचना उन्होंने टेलीफोन पर दी। कोई आतंकवादी पकड़ा न जा सका।

iii) गुरदासपुर जिले के मोनेवाली गाँव में कल रात निरंजन सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी।

iv) पंजाब के अलग-अलग जगह में पाँच और लोगों के मारे जाने की खबर एजेंसियों ने दी लेकिन साथ में उनका विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

अब हम उक्त सूचनाओं से अखबार के लिए समाचार बनाएंगे। ये समाचार हमें 11 अगस्त को प्राप्त हुए इससे 24 घंटे पहले की घटनाओं का समाचार एक दिन पहले के समाचार पत्र में छप गया था। 11 अगस्त को उपर्युक्त सूचनाएँ प्राप्त हुई। इन कारंवाइयों का संबंध आतंकवाद से है। हमें समाचार चंडीगढ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे:

चंडीगढ़, 11 अगस्त (एजेंसी का नाम)।

इसके बाद हम आमुख लिखेंगे। उपर्युक्त सूचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवादी कारंवाइयों में लोगों की हत्याएँ। कुल 11 लोगों की हत्याएँ की गई हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या।

तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इन कारंवाइयों में दो आतंकवादी भी मारे गये

अगर हम इन तीनों बातों को समेटते हुए "इंट्रो" लिख सकें तो हमारे समाचार का इंट्रो महत्वपूर्ण होगा।

इंट्रो: पंजाब में पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह व्यक्ति मारे गये। मरने वालों में एक परिवार के तीन सदस्य और दो आतंकवादी शामिल हैं।

अब इसके आगे उपलब्ध सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। हमारे पास तीन घटनाओं का विवरण है। दो का संबंध अमृतसर जिले से और एक का गुरदासपुर जिले से है। परिवार के तीन सदस्यों की हत्या और आतंकवादियों का मारा जाना इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं का हम उल्लेख "मुख्य कलेवर" के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर समाचार के लिए और जगह हो तो हम तीसरी घटना का भी उल्लेख कर सकते हैं। कुछ सूचनाओं का उल्लेख हम छोड़ सकते हैं। जैसे एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या वाले मामले में किसी आतंकवादी का न पकड़ा जाना क्योंकि उल्लेख न किये जाने से पाठकों को स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि आतंकवादी पकड़े नहीं गये। अब सभी सूचनाओं को क्रम देते हुए सरल भाषा में प्रस्तुत करें। यह समाचार 12 अगस्त के समाचार पत्र में प्रकाशित होगा।

समाचार:

चंडीगढ़ 11 अगस्त (एजेंसी) पंजाब में पिछले चौबीस घंटों में 11 व्यक्ति मारे गये। मृतकों में एक परिवार के तीन सदस्य और दो आतंकवादी शामिल हैं।

अमृतसर ज़िले के करीमपुरा गांव में आज सुबह दो आतंकवादी गांव के सरपंच मनजीत सिंह के घर में घुस गये और उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। इसका जवाब सरपंच के बेटे गुरदीप सिंह ने वापस गोलियाँ चलाकर दिया। दोनों आतंकवादी वहीं मारे गये।

इसी जिले के दयाल गाँव में कुछ आतंकवादियों ने कल रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी। इन हत्याओं की ज़िम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने अपने ऊपर ली है।

गुरदासपुर जिले के मोमेवाली गाँव में निरंजन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी।

22.3.3. शीर्षक देना

समाचार का शीर्षक देना समाचार लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर समाचार का "आमुख" आपने सफलतापूर्वक लिख लिया है तो शीर्षक देना मुश्किल नहीं होता। समाचार का शीर्षक बनाते वक्त निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें।

i) शीर्षक समाचार के केंद्रीय भाव को व्यक्त करे या मुख्य मुद्दे को सामने रखे।

ii) शीर्षक ऐसा हो जो शेष समाचार पढ़ने को उत्सुक करे।

iii) शीर्षक में कही गयी बात समाचार द्वारा पुष्ट हो।

iv) शीर्षक छोटा परन्तु स्पष्ट अर्थ देने वाला हो।

ऊपर हमने जिस समाचार को तैयार किया है अब हम उसका शीर्षक आसानी से दे सकते हैं:

पंजाब में ग्यारह मारे गये

या

पंजाब में ग्यारह की हत्या

आप कोई अन्य शीर्षक भी सोच सकते हैं।

22.3.4 समाचार का संपादन

समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार के संपादन की प्रक्रिया लगभग एक-सी है। समाचार प्रकाशन से पूर्व संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन और संपादन का कार्य एक साथ ही होता है और कई बार अलग-अलग। एक उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए एक ही समाचार संपादकीय विभाग को किसी एजेंसी और अपने संवाददाता दोनों से प्राप्त हुए। समाचार दंगे के बारे में है। घटना का उल्लेख एक में निम्नलिखित ढंग से किया गया।

> आज सुबह "न" शहर में फिर दंगा भड़क उठा। "क" संप्रदाय की उग्र भीड़ ने जबर्दस्ती दुकानें बंद करायीं। जिन्होंने दुकानें बंद नहीं कीं उनकी दुकानों को लूट लिया गया या आग लगा दी गयी। कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा। सात लोग मारे गये। मरने वालों में दो का नाम "ए" और "बी" है। शहर में आतंक फैल गया है और "क" संप्रदाय के सैंकड़ों लोग उत्तेजक नारे लगाते हुए शहर में घूम रहे हैं। पुलिस ने दंगा भड़काने वालों के विरुद्ध अभी तक कोई कारवाई नहीं की है यद्यपि पुलिस के अधीक्षक ने संवाददाता को बताया कि अब तक सौ से अधिक लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा भी किया है। लेकिन शहर की हालत देखकर पुलिस का दावा सच नहीं लगता।

अब यही घटना दूसरे ने निम्न रूप में भेजी:

> आज सुबह "न" शहर में फिर दंगा भड़क उठा। दंगे के दौरान हुई हिंसा में सात लोग मारे गये। मरने वालों में दो स्कूल जा रहे बच्चे भी थे। असामाजिक तत्वों ने शहर में फैली एक अफवाह का फायदा उठाकर बाजार बंद कराने की कोशिश की। पुलिस ने दंगाइयों को भगाने की कोशिश की। इसके लिए लाठी चार्ज भी किया गया। भागती भीड़ ने कुछ दुकानों में आग लगा दी। जिसे दोनों संप्रदायों के लोगों ने तत्काल सक्रियता दिखाकर बुझा दिया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त लगा रही है। अब तक पुलिस ने दोनों संप्रदायों के लगभग सौ असामाजिक तत्वों को पकड़ने का दावा किया है। दोपहर के बाद से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। "च" नामक पार्टी ने जनता से शांति की अपील सबसे पहले की है। कुछ और पार्टियों ने भी ऐसी ही अपीलें जारी की हैं।

अब आप दोनों समाचारों की तुलना कीजिए। आप पायेंगे कि दोनों समाचारों में कुछ तथ्य एक से हैं। पहले समाचार में कुछ तथ्य छोड़ दिये गये हैं। इसी तरह दूसरे समाचार में भी कुछ तथ्य नहीं दिये हैं लेकिन उसने कुछ और सूचनाएँ भी दी हैं। पहले समाचार वाले का एक विशेष संप्रदाय के प्रति दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं है। उसकी छाया पूरे समाचार पत्र में दिखाई देती है जबकि दूसरे समाचार में एक पार्टी को विशेष महत्व दिया गया है। यद्यपि उसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है।

अब आप को उक्त दोनों समाचारों को संपादित करके समाचार बनाना होगा। अगर आपका दृष्टिकोण सांप्रदायिक नहीं है और न ही आप किसी विशेष पार्टी के प्रति अधिक आग्रहशील हैं तो आप एक निष्पक्ष और सामाजिक हित से प्रेरित तथ्यपरक समाचार बना सकते हैं।

संपादित समाचार:

अप्रैल "न"। (एजेंसी एवं निज संवाददाता)। आज सुबह फिर भड़क उठे दंगे में सात लोग मारे गये। दंगे का कारण शहर में फैली अफवाह थी। **दंगाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में बतायी जाती है।**

आज सुबह शहर में फैली एक अफवाह के कारण अचानक दंगे भड़क उठे। दंगे में सात लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें दो बच्चे भी थे जो स्कूल जा रहे थे। दंगाइयों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की। पुलिस ने उत्तेजित दंगाइयों पर लाठी चार्ज किया, जिससे दंगाई भाग खड़े हुए। जाते हुए दंगाइयों ने कुछ दुकानों को आग लगा दी जिसे वहाँ उपस्थित दोनों संप्रदायों के लोगों ने तत्काल बुझा दिया।

शहर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अनिश्चित काल का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियाँ उन क्षेत्रों में तैनात कर दी गयी हैं। असामाजिक तत्वों की धड़पकड़ जारी है। अब तक सौ लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है।

दंगाग्रस्त क्षेत्रों से दोपहर के बाद से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता को शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की है।

इस संपादित समाचार में तथ्यों की पूरी रक्षा की गयी है। किसी संप्रदाय को लांछित नहीं किया गया है और न ही किसी के प्रति द्वेष व्यक्त हुआ है। दो बच्चों के मरने की खबर से दंगे के अमानुषिक पहलू को उजागर किया गया है, वहीं दोनों संप्रदाय के लोगों द्वारा आग बुझाने की सम्मिलित कोशिश का समाचार देकर लोगों के मानवीय सद्भाव को रेखांकित किया गया है। समाचार का संपादन करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

i) समाचार के संपादन में तथ्यों की रक्षा की जानी चाहिए।

ii) समाचार को संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए।

iii) समाचार में निहित मानवीय पहलुओं को अवश्य उजागर करना चाहिए।

iv) गैर जरूरी, दुराग्रही और समाज-विरोधी बातों को निकाल देना चाहिए।

v) भाषा को संतुलित, दिलचस्प और हृदयग्राही बनाना चाहिए।

समाचार का उचित शीर्षक देना भी संपादन करनेवाले का कार्य होता है। आप उपर्युक्त समाचार का शीर्षक स्वयं सोचिए।

संपादकीय दृष्टिकोण: समाचार के संपादन में "पत्र" की नीति और दृष्टिकोण का बड़ा हाथ होता है। एक ही समाचार अलग-अलग पत्रों में अपनी नीति, दृष्टिकोण और आवश्यकता के कारण अलग-अलग रूप धारण करके सामने आते हैं। भिन्नता का एक कारण तो संपादन की स्वतंत्र प्रक्रिया ही है। हम नीचे दो अलग-अलग पत्रों में छपे एक ही समाचार के दो नमूने दे रहे हैं।

मामला राज्यपाल के हाथ में-एन टी आर

हैदराबाद, २६ नवंबर (एजेंसियां)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामराव ने आज साफ किया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित फाइल राज्यपाल कुमुदबेन जोशी के पास है। इससे पहले राज्यपाल ने खंडन किया था कि मुख्यमंत्री का यह कहना गलत है कि फाइल राज्यपाल के पास है। श्री रामराव ने राजभवन के इस संबंध में जारी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कल केवल यह कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अब राज्यपाल के हाथ में है न कि फाइल उनके पास है।

मुख्यमंत्री नेल्लोर और कुरनूल के दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीमती जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश आर एन अग्रवाल को राज्य का लोकायुक्त बनाने के बारे में अपनी अंतिम राय देनी है, इसीलिए मामला अब उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल श्रीमती जोशी ने और सफाई माँगते हुए फाइल २२ नवंबर को ही लौटा दी थी। इस समय फाइल सरकार के पास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विवाद को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी दोहराया कि लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अब भी राज्यपाल के हाथ में है।

फाइल अभी मुख्यमंत्री के पास ही है

हैदराबाद, २६ नवंबर (यून्यू)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव ने आज यहां बताया कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति से संबंधित फाइल राज्यपाल श्रीमती कुमुदबेन जोशी के पास विचाराधीन है।

श्री रामराव राजभवन से जारी एक बयान का खण्डन कर रहे थे। राजभवन के प्रवक्ता ने कहा था कि उक्त फाइल राजभवन से मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी गई है जबकि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों को एक अनौपचारिक बातचीत में यही बताया था कि फाइल राज्यपाल के पास विचाराधीन है।

श्री रामराव ने आज निल्लोर और कुरनूल से लौट कर बताया कि मैंने कल पत्रकारों से कहा था कि अब 'गेंद' श्रीमती कुमुदबेन जोशी के पाले में है। वैसे फाइल की जान उन्हीं को थी। और सच यही है कि 'गेंद' अब भी उन्हीं के पास है क्योंकि उन्होंने अभी लोक आयुक्त के पद पर न्यायमूर्ति आर.एन. अग्रवाल की नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति नहीं दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त फाइल २२ नवम्बर को राजभवन से लौटाई गई थी। राज्यपाल चंद मुद्दों का स्पष्टीकरण चाहती थीं। फाइल अभी सरकार के पास है।

यह पूछे जाने पर कि फाइल राजभवन कब भिजवाएंगे? श्री रामराव ने कहा यह इतना आसान नहीं है। वह जब भी तैयार हो जाएगी, उसे तुरन्त राजभवन भिजवा दिया जाएगा। हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। इस मामले में महाअधिवक्ता से भी सलाह ली जा रही है।

अगर आप दोनों समाचारों को ध्यान से पढ़ें तो आप समझ जायेंगे कि एक ही स्रोत से प्राप्त दोनों समाचारों की प्रस्तुति अलग-अलग ढंग से की गयी है। पहले वाले समाचार में सहानुभूति मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त हो रही है जबकि दूसरे समाचार में मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति नहीं है बल्कि कुछ सीमा तक उन्हें दोषी बताया गया है। तथ्य दोनों समाचारों में एक ही है। जाहिर है, समाचार के ये दोनों रूप पत्र की दृष्टि और नीति के कारण इस रूप में हमारे सामने आये हैं। संपादन में पत्र की यह दृष्टि और नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका संबंध समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है।

बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

5 समाचार का संपादन करने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ऐसी कोई तीन बातें लिखिए।

....

....

....

6 आमुख और शीर्षक में क्या अंतर है? तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

7 समाचार बनाते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इनमें से कुछ बातें उचित हैं, कुछ अनुचित। बताइए कि कौन-सी बातें उचित हैं और कौन-सी अनुचित।

क) तथ्यों की रक्षा की जानी चाहिए। (उचित/ अनुचित)

ख) तथ्यों का उसी रूप में रखना चाहिए। जैसी वे हैं चाहे समाज पर इसका असर कुछ भी हो। (उचित/ अनुचित)

ग) केंद्रीय मुद्दे का समाचार के अंत में देना चाहिए। (उचित/ अनुचित)

घ) भाषा सरल और समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए। (उचित/ अनुचित)

ङ) केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। (उचित/ अनुचित)

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलाइए।

2 निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर एक काल्पनिक समाचार दस पंक्तियों में लिखिए। उसका उचित शीर्षक भी दीजिए।

दिल्ली में यमुना के किनारे बसे दो गाँवों में बाढ़ आ गयी। वहाँ पर रहने वाले लोगों को नगर निगम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। कैंपों में रहने वाले लोगों की परेशानियों का उल्लेख भी कीजिए और जान-माल के नुकसान का जायजा भी लीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

3 निम्नलिखित समाचार के आधार पर इसका आमुख एवं शीर्षक लिखिए।

आमुख: निकोसिया, 21 अगस्त (रायटर) ....

....

शीर्षक: ....

> सरकारी इराकी समाचार एजेंसी ने बताया कि युद्धविराम लागू होने के तीन घंटे के बाद ही एक ईरानी ने मध्य मोर्चे पर एक इराकी सैनिक की गोली मार कर हत्या कर दी। पर बगदाद में संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैनात अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
>
> इराक का कहना है कि ईरान खाड़ी में गुजर रहे उसके एक जहाज को परेशान कर युद्धविराम का उल्लंघन किया। यह जहाज इराक ने ईरान के इरादों की टोह लेने के लिए भेजा था।
>
> ईरान ने कहा है कि स्थाई शांति कायम होने तक युद्ध सामग्रियां लेकर इराक जाने वाले जहाजों की उसकी नौसेना जाँच करेगी।
>
> बगदाद ने युद्ध विराम को कारगर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ३५ सदस्यीय सैनिक पर्यवेक्षक दल के पास तेहरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
>
> इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज ने युगोस्लाविया के जेनरल स्लास्को जोविक से कहा कि अगर ईरान ने उनके जहाजों के आने जाने में दखल दी तो वे चुप नहीं बैठेंगे और जम कर प्रतिरोध करेंगे।

दिनांक 13, 14 एवं 15 दिसंबर को चुनाव प्रणाली में सुधारों को लेकर विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए। हम आपको 13 एवं 14 दिसंबर को प्रकाशित समाचारों के आमुख दे रहे हैं एवं 14 को ही समाचार पत्रों में प्राप्त सूचनाएँ भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके आधार पर आप 15 दिसंबर को प्रकाशित होने वाला समाचार बनाइए। समाचारों में शीर्षक एवं आमुख भी लिखिए और समाचार की निरंतरता को व्यक्त करने वाले अंश को रेखांकित कीजिए।

13 दिसंबर : सरकार चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिए एक-दो दिन में संसद में विधेयक पेश करने वाली है। इस विधेयक में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 करने का प्रस्ताव है। चुनावों में इलेक्ट्रानिक मशीनों के उपयोग सहित कई अन्य सुधारों का प्रस्ताव भी किया गया है।

14 दिसंबर : आज लोकसभा में कानून मंत्री बी. शंकरानंद ने चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधारों के संबंध में दो विधेयक पेश किये। पहला विधेयक, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में है। यह विधेयक संविधान में 62वें संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा विधेयक जन-प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1951 की एक धारा में परिवर्तन करने के संबंध में है। इसमें चुनावों में इलैक्ट्रानिक मशीनों के उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसी विधेयक में उम्मीदवारों की अयोग्यता को और अधिक स्पष्ट किया गया है। अब सती-प्रथा का समर्थन करने वाले, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले, दहेज अपराधी, रिश्वत और जमाखोरी के अपराधियों को भी शामिल किया गया है।

14 दिसंबर: सूचनाएँ

i) विधेयकों पर लोक सभा में सात घंटे की बहस।

ii) सभी पक्षों द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने का स्वागत।

iii) बहस में 2 मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो दर्जन से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया।

iv) जन प्रतिनिधित्व कानून की 16 धाराओं में 95 संशोधन दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गये।

v) बहस अधूरी रही।

समाचार: शीर्षक: ....

....

आमुख: ....

....

....

....

मुख्य कलेवर: ....

....

....

....

....

....

22.4 समाचार की भाषा

अब तक आपने इस इकाई में समाचार लेखन की पद्धति के बारे में पढ़ा है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये तभी सार्थक हैं जब हमारी भाषा उनके अनुकूल हों। हमने आपको बताया था कि समाचार की भाषा सरल और आसानी से समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है ? अब हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अलग-अलग विषयों से संबंधित समाचारों की भाषा किस तरह की होती है ? क्या समाचारों के कुछ पारिभाषिक शब्द भी होते हैं ? अगर हाँ, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ भी जानेंगे।

22.4.1 समाचार की भाषा कैसी हो ?

समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह याद रहना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा-ज्ञान मामूली-सा हो सकता है। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वे आपकी बात समझ नहीं पायेंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो यह भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है, उसे दफ्तर जाने की जल्दी हो। गृहिणी को घर का काम करना हो। बस या रेल में बैठकर शोर-शराबे के बीच अखबार पढ़ा जा रहा हो। ऐसी सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है ताकि पाठक समाचार में कही गयी बात को पढ़ते ही समझ जाये। इसके लिए समाचार की भाषा में निम्नलिखित विशेषताएँ लाना आवश्यक है:

i) उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हों।
ii) छोटे-छोटे पैरा बनाइए।
iii) छोटे और सरल वाक्य बनाइए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचिए।
iv) बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए।
v) उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आम जनता में प्रचलित हों। कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचिए।
vi) कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचिए लेकिन समाचारों में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों।
vii) ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श करे।
viii) अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हों तो उसे ऐसी भाषा में बाँधिए जिससे सारा घटनाचक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाये और लोगों के हृदय को छुए।
ix) भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए अपमानजनक न हो।
x) भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद की भाषा को हिंदी के रूप में ढालिए।

ये कुछ बातें हैं, अगर इनको ध्यान में रखा जाये तो समाचार की भाषा सभी के लिए ग्राहय बन सकती है। अब हम समाचारों के कुछ नमूनों द्वारा भाषा की विशेषताओं को पहचानेंगे। नीचे हम एक समाचार की भाषा के दो नमूने पेश कर रहे हैं। आप भाषा के अंतर को स्वयं पहचान सकते हैं।

83 वर्षीय हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री गंगाशरण सिंह जो अपने पीछे वृद्ध पत्नी और विवाहित पुत्री का शोक संतप्त परिवार छोड़ गये हैं का आज अपराहन यहाँ राममनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव देह को कल प्रात: 9 बजे के लगभग एक विशेष विमान द्वारा पटना ले जाये जाने से पहले रात्रि-पर्यंत बिहार भवन में आम जनता के दर्शनार्थ रखा गया है।

अब उक्त समाचार का एक और नमूना देखिए:

हिंदी के मूर्धन्य विद्वान् और राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री गंगाशरण सिंह का आज अपराहन बाद राममनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उनके शोक संतप्त परिवार में वृद्ध पत्नी और विवाहिता पुत्री का परिवार है।

उनका शव आम जनता के दर्शन के लिए रात भर बिहार भवन में रखा गया है। सुबह लगभग 9 बजे एक विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा।

यह दूसरा नमूना पहले की तुलना में सरल है और इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। यद्यपि इसमें भी कुछ कठिन शब्दों जैसे मूर्धन्य, अपराहन, निधन, पार्थिव को बदला जा सकता था तथा कुछ वाक्य सरल बनाये जा सकते थे(1) समाचार का यह रूप 20 अगस्त 1988 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था।

समाचार लिखते हुए यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ पारिभाषिक या कठिन शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग नीचे दे रहे हैं:

अपने हाथ में लेना	(न कि, अधिग्रहण करना)
पूंजी लगाना	(न कि, पूंजी निवेश करना)
घाटा उठाना	(न कि, हानि सहन करना)
मुनाफा कमाना	(न कि, लाभ अर्जित करना
अफसोस है	(न कि, दुख का विषय है)
साफ बातें कहना	(न कि, स्पष्टोक्ति करना)
अमल में लाना	(न कि, क्रियान्वित करना)

लेकिन कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जो पारिभाषिक होते हैं। आमतौर पर आम पाठक भी अधिक इस्तेमाल किये जाने के कारण उनसे परिचित हो जाते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं जैसे:

आधुनिकीकरण, उपभोक्ता, ट्रेड यूनियन, उत्पादकता, औद्योगिक क्षेत्र, निर्गुट आंदोलन, आयात, निर्यात, साम्राज्यवाद, उपनिवेश, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि।

समाचार लिखते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।

22.4.2 विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा:

समाचार पत्रों में सार्वजनिक दिलचस्पी और महत्व की प्रायःसभी तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका समाचार पत्रों में विशेष स्थान होता है जैसे राजनीतिक घटनाएँ, अपराध, खेल समाचार, अर्थ और वाणिज्य संबंधी खबरें, मौसम का हाल, सांस्कृतिक समाचार, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समाचारों में लोग दिलचस्पी लेते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के समाचारों में अलग-अलग तरह की भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे आम दिलचस्पी की खबरों की भाषा की शब्दावली बोलचाल की भाषा के नजदीक होती है, उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन खेलकूद, वाणिज्य या कला और संस्कृति के क्षेत्र के समाचारों के लेखन के लिए उन विशिष्ट क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपको वाणिज्य संबंधी खबरों का लेखन करना है तो आपको उसकी विशिष्ट पदावली से भी परिचित होना होगा "चांदी उछली", "सोना टूटा", "दलहन मजबूत", "तेल मूंगफली लुढ़का"। आप इन पदों का सही प्रयोग तभी कर सकेंगे जब आप स्वयं इनका सही अर्थ जानेंगे। इसी तरह अगर क्रिकेट के खेल का समाचार लिखना है तो आपको रन, विकेट, मेडन, पारी, धीमा विकेट, कैच, एल बी डब्ल्यू, फील्डिंग, मिली प्वाइंट बैक फुट, स्टंप, स्लिप, गली आदि शब्दों का अर्थ समझना होगा। अगर आप खेलों के तकनीकी पक्ष को नहीं समझते तो आप उसका समाचार नहीं लिख सकेंगे। यही कारण है कि प्रायः सभी समाचार पत्र विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष संवाददाता नियुक्त करते हैं जो उन क्षेत्रों के तकनीकी पक्ष और शब्दावली दोनों में पारंगत होते हैं।

इन विशिष्ट क्षेत्रों के समाचार की भाषा भी सरल और संप्रेष्य हो। यह ध्यान रखें कि आपका समाचार विशेषज्ञ और विद्वान ही नहीं पढ़ेंगे इसलिए ऐसे पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करें जो समाचार पत्रों में आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं और जिनसे आम पाठक भी परिचित हैं।

हम नीचे कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ दे रहे हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर आर्थिक और वाणिज्यिक समाचारों में होता है।

खपत: बाजार में जो माल बिकता है उसे खपत कहते हैं।

आमद या आवक: उत्पादन केंद्रों से मंडियों में बिक्री के लिए जो माल आता है उसे आमद या आवक कहते हैं।

मज़बूती: जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसे "मज़बूती" या "दृढ़ता" लिखा जाता है।

नरमी: जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में गिरावट जारी हो तो उसे "नरमी" या 'मुलायमी' कहते हैं।

उछाल: जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में अचानक वृद्धि हो तो उसे भावों में "उछाल" या "उछली" कहते हैं।

लुढ़कना: जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में अचानक गिरावट हो तो उसे "लुढ़कना" या "टूटना" कहते हैं।

मंदी: जब बाजार में भाव असाधारण ढंग से गिरते हैं तब "मंदी" शब्द का प्रयोग होता है।

खामोशी: जब बाजार में कोई हलचल नहीं हो तब "खामोशी" या "शांत" शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भी कई तरह के शब्द हो सकते हैं जिनकी जानकारी से आपका समाचारों को लिखने और समझने में मदद मिलेगी। आप स्वयं समाचारों को ध्यान से पढ़िए और उनके शब्दों पर गौर कीजिए। आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों में कुछ खास तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें आप समझने का प्रयास कीजिए।

22.5 संपादकीय लेखन

हिंदी में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। दिल्ली से ही "नवभारत टाइम्स", "जनसत्ता", "हिंदुस्तान", "पंजाब केसरी", आदि राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त अलग-अलग राज्यों से निकलने वाले समाचार पत्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इतने समाचार पत्रों के बीच में से हम जब कोई एक समाचार पत्र अपने पढ़ने के लिए चुनते हैं तो उसकी कसौटी क्या होती है? केवल उपलब्धता उसका कारण नहीं होता। न ही हम इसे अखबार देने वाले (हॉकर) पर छोड़ते हैं? हम स्वयं उसे बताते हैं कि अमुक अखबार हमारे यहाँ दिया जाए। ऐसा तय करते हुए कई बातों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक कारण अखबार का दृष्टिकोण भी होता है। हम प्रायः उसी अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता हो या कम से कम जो हमारे विचारों का नितांत विरोधी न हो। हम उस अखबार को भी पसंद कर सकते हैं जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारों को प्रस्तुत किया जाता हो। इतना तय है कि हम समाचार पत्र के दृष्टिकोण को अवश्य ध्यान में रखते हैं।

समाचार पत्र का दृष्टिकोण मुखर होकर संपादकीय टिप्पणियों में आता है। सामयिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्रायः रोज संपादकीय विभाग की ओर से टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि अमुक घटना पर इस समाचार पत्र की यह राय है। संपादकीय की यह राय जनमत बनाने में कारगर भूमिका निभाती है। आमतौर पर संपादकीय दृष्टिकोण उनके पाठकों के दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। हम इस बात को इस रूप में कह सकते हैं: समाचार पत्र का दृष्टिकोण उसके पाठकों को निर्धारित करता है और पाठकों का दृष्टिकोण (जो पाठकों के पत्रों से या समय-समय पर किये जाने वाले सर्वेक्षण से मालूम किया जाता है।) पत्र के दृष्टिकोण से निर्धारित होता है अर्थात् दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए समाचार पत्रों की टिप्पणियाँ किसी-न-किसी रूप में जनता के ही एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर किसी मामले पर प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्रों की संपादकीय राय एक-सी हो तो हम कह सकते हैं कि जनमत भी यही है। इसलिए संपादकीय टिप्पणियों का बड़ा महत्व है।

संपादकीय लिखते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

i) समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है।

ii) यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही हो। ऐसे विषय पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है, जो समाचार न बना हो। जैसे दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम या पुस्तक पढ़ने की घटती अभिरुचि आदि। संपादकीय का उद्देश्य अपने पाठकों को उक्त विषय पर जागरूक बनाना है।

iii) संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त हो।

iv) विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नजर नहीं आना चाहिए।

v) संपादकीय में आपकी बात ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए।

vi) संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबे संपादकीय पढ़ना प्रायः लोग पसंद नहीं करते।

vii) संपादकीय की भाषा भी सरल और सभी की समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उसमें विचारों को उत्तेजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

अब हम एक ही विषय पर लिखे दो समाचार पत्रों के संपादकीय दे रहे हैं। आप इनमें व्यक्त दृष्टिकोण की भिन्नता और भाषा की विशेषता को स्वयं पहचान सकते हैं। ये दोनों संपादकीय पाकिस्तान के हालात पर हैं। नवंबर 1988 में हुए चुनावों के तत्काल बाद की स्थिति पर इनमें टिप्पणियाँ की गयी हैं।

बेनज़ीर का विकल्प नहीं

पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति इसहाक ख़ान का यह कहना बेशक संविधान सम्मत है कि उनके पास देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक महीने का समय है। लेकिन चुनाव के बाद इतनी देरी तो अनिश्चित लोकतंत्रों में ही लगती है। उनके पास विकल्प शायद ज्यादा नहीं है, और कई कारणों से उन्हें बेनज़ीर भुट्टो को सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ेगा। ९२ सीटें लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। उसे किनारे कर ५५ सीट लेकर दूसरी जगह पर बैठी इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद को यह मौका देना उस निरपेक्ष शैली के भी ख़िलाफ़ होगा जिसके सहारे इसहाक ख़ान ने पाकिस्तान का तीसरा पार्टी-आधारित चुनाव कराया है।

निश्चित ही बेनज़ीर भुट्टो को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों और कुछ निर्दलियों का सहारा लेना होगा। पर ऐसी संयुक्त सरकार बनाने और चलाने के लिए इस्लामी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ दो बड़े तर्क हैं। एक तो उसकी ताकत पीपल्स पार्टी से आधी है। दूसरे वह पहले से ही कई गुटों का गठबन्धन है। क्या ऐसे गुट मिलकर पाकिस्तान के पुनर्जात लोकतंत्र को एक स्थिर और कामकाजी सरकार दे पाएंगे? इसके विपरीत बेनज़ीर का दल अकेले ही पूर्ण बहुमत से सिर्फ ग्यारह सीट कम हैं, जिसकी पूर्ति बारह सीटों वाले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के साथ मिल कर हो सकती है। दो दलों की संयुक्त सरकार निश्चित ही कई गुटों की मिलीजुली सरकार से लाख बेहतर होगी। बेनज़ीर के पक्ष में यह तर्क भी है कि उनकी पार्टी के नुमाइंदे देश के चारों प्रांतों से जीत कर आए हैं, जबकि नवाज़ शरीफ़ न केवल अपने इत्तेहाद को अपने ही घर पंजाब में पी.पी.पी. की ५२ सीटों के मुकाबले सिर्फ ४४ सीटें दिलवा पाया बल्कि देश के दूसरे सबसे बड़े प्रान्त सिन्ध में उनके दल का पूरा सफाया हो गया है। फिर वे कैसे सारे देश के प्रधान मंत्री कहला पाएंगे?

अगर कराची से जीते बारह मुहाजिरों के साथ मिल कर बेनज़ीर सरकार बनाती हैं, तो उनके विरुद्ध यह तर्क हो सकता है कि वह तो लगभग अखिल सिन्ध सरकार होगी। पर बेनज़ीर के हक में शायद यही सबसे बड़ा तर्क भी हो सकता है। १९७० के आम चुनावों के बाद अखिल बंगाली सरकार बनने के डर से ही शेख मुजीब की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत के बावजूद सरकार नहीं बनाने दी गई थी। उसका परिणाम दो साल में ही देश टूटने के रूप में सामने आ गया था। सिन्ध में भी पंजाबी-बहुल केन्द्र के ख़िलाफ़ गुस्सा कम नहीं है। अगर पी.पी.पी.-मुहाजिर मूवमेंट के संभावित गठबंधन को उसकी अन्य योग्यताओं के बावजूद सरकार नहीं बनाने दी गई, तो समय की राख के नीचे दबा सिन्धी असंतोष कोई भी रूप अख्तियार कर सकता है और इस बार मुहाजिर भी साथ हो सकते हैं। फिर चार प्रांतों वाले पाकिस्तान में पंजाब और सिन्ध इतने बड़े हैं कि वहाँ कभी पंजाबी आधिपत्य वाली तो कभी सिन्धी आधिपत्य वाली सरकारें बनती ही रहेंगी। फिर घबराना कैसा?

जनसत्ता

चौराहे पर

पाकिस्तान १९७० की स्थिति में लौट गया है। यदि पीपुल्स पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो को राष्ट्रपति इसहाक ख़ान ने सरकार बनाने का मौका नहीं दिया तो सिंध में निश्चित ही "पंजाबी प्रभुत्व" की बातें होंगी। ऐसे में पूर्व पाकिस्तान की घटनाओं की पुनरावृत्ति असंभव नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से बेनज़ीर भुट्टो और उनकी पीपुल्स पार्टी के हक मारने के अवसर बढ़ गए हैं। चुनाव में पीपुल्स पार्टी सिंध की एक क्षेत्रीय पार्टी के नाते उभरी है। सिंध में उसे दो-तिहाई बहुमत मिला। मगर पाकिस्तान की राजनीति के निर्धारक और सबसे बड़े प्रांत पंजाब में पी.पी.पी. को सिर्फ ९४ सीटें मिली हैं। इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद को २०७ सीटें मिली हैं। दूसरे दलों को छह और निर्दलियों को ३८ सीटें मिली हैं। नेशनल एसेंबली के चुनाव में पीपुल्स पार्टी को जम्हूरी इत्तेहाद से ज्यादा सीटें मिली थीं। दोनों चुनावों में पीपुल्स पार्टी को विरोधियों की फूट का लाभ हुआ है। पंजाब में हर दल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सभी प्रमुख दलों और नेताओं का कार्यक्षेत्र भी पंजाब है। पंजाब में ज़ियाशाही समर्थक घेरे हुए थे और उनके विरोध में प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स पार्टी है। इसके विपरीत सिन्ध में या तो भुट्टो की पार्टी रही है या पीर पगारो और मोहम्मद ख़ान जुनेजो की मुस्लिम लीग मैदान में रही है। मुहाजिरों का कौमी संगठन वहां हाल में बना है।

सिन्ध के मतदाताओं ने उन नेताओं और दलों का सफाया किया है जो ज़ियाशाही समर्थक रहे हैं। अन्य शब्दों में जो पंजाबी प्रभुत्व में मददगार रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों पंजाब के नेता और इस्लामाबाद का पंजाबी बहुल सेना-नौकरशाह-मुल्ला गठजोड़ बेनज़ीर भुट्टो को प्रधानमंत्री बनने देगा? सभी एकजुट हो जाते हैं सबसे बड़े दल और कट्टरपंथी दलों व ज़ियाशाही समर्थक निर्दलियों की मदद से पंजाब, बलूचिस्तान व उत्तर-पूर्वी प्रांत में जम्हूरी इत्तेहाद की सरकार बन सकती है। इसका मतलब भुट्टो विरोधियों का एकजुट होना है। यह ध्रुवीकरण राजनैतिक टकराव और क्षेत्रवाद को बढ़ा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। इतना तय है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में पीपुल्स पार्टी के सबसे बड़े दल के नाते आगे आने से इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में ग्यारह साल से जुड़े लोग सतर्क हो गए हैं। इनका काम विधानसभा चुनाव नतीजों से आसान हो गया है। बहुत संभव है कि राष्ट्रपति इसहाक ख़ान सरकार के गठन को टालते हुए भुट्टो विरोधियों को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने का मौका दें।

राष्ट्रपति इसहाक ख़ान ने बातचीत के लिए बेनज़ीर भुट्टो और जम्हूरी इत्तेहाद के नेता नवाज़ शरीफ़ को न्यौता है। बेनज़ीर अभी तक किसी दल के समर्थन की घोषणा नहीं करा पाई हैं। जमायत-ए-उलेमा-इसलाम और मुहाजिर कौमी संगठन से संपर्क साधा था। जमायत ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन पर बेनज़ीर विचार भी नहीं कर सकतीं। जमायत ने महिला प्रधानमंत्री को इस्लाम विरोधी बताया है। जमायत की तरह सोचने वाले दल पाकिस्तान में बहुसंख्या में हैं। बेनज़ीर यदि वामपंथी सांसदों का समर्थन लें तो भी नुकसान होगा। बहुमत भी नहीं बनेगा और विरोधी ज्यादा एकजुट होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पाकिस्तान का राजनैतिक गड़बड़झाला उलझा है।

ऊपर के दोनों संपादकीय पाकिस्तान के चुनावों के बाद की स्थिति पर लिखे गये हैं। वहाँ की राजनीतिक अनिश्चितता पर लिखी गयी इन टिप्पणियों में एक में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल होने की आशा दिखायी देती है जबकि दूसरे में स्थिति में किसी परिवर्तन की संभावना व्यक्त नहीं हुई है। विश्लेषण का यह पहलू दोनों संपादकीय दृष्टिकोणों के अंतर के कारण है। संपादकीय का अंतिम वाक्य संपादक की दृष्टि का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है।

उक्त दोनों "संपादकीय" भाषा की दृष्टि से अच्छे कहे जा सकते हैं। संपादकीय न लंबे हैं, न इनकी भाषा कठिन है। इनमें कही गयी बातें भी सभी की समझ में आ सकती हैं। अगर पाठक अख़बारों में नियमित रूप से पाकिस्तान संबंधी समाचारों को पढ़ता रहा है तो वह इनमें व्यक्त विचारों को समझ सकता है।

8 समाचार की भाषा की कुछ विशेषताएँ नीचे दी गयी हैं। इनमें से सही और गलत विशेषताओं को पहचानिए।

क) पूरा समाचार एक पैरा में लिखा जाता है। (सही/ गलत)

ख) छोटे और सरल वाक्य होते हैं। (सही/ गलत)

ग) हिंदी की प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। (सही/ गलत)

घ) पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। (सही/ गलत)

ङ) भाषा हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। (सही/ गलत)

9 वाणिज्य, खेलकूद, कला, संस्कृति आदि विषयों पर समाचार लेखन के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कोई दो बातें लिखिए।

....

....

10 "संपादकीय" लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी तीन बातें लिखिए जो निम्नलिखित पक्षों से संबंधित हों।

वैचारिक दृष्टिकोण

....

....

विषय चयन

....

....

भाषा

....

....

अभ्यास

5 i) निम्नलिखित "समाचार" को सरल भाषा में बदलिए।

आज हुई ग्यारह लोगों की मृत्यु सहित राजधानी में अब तक हैजे से 214 लोगों की मृत्यु और हैजे के 38 नये रोगी होने की पुष्टि हुई है।

प्रशासन द्वारा स्वच्छता, उपचार और स्वच्छ पेय जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के दावों के बाद भी हैजे से प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होने वालों की संख्या दहाई से निम्न नहीं हो पा रही है।

....

....

....

....

....

....

ii) भारत सरकार ने उन कुछ वस्त्र मिलों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है जो पिछले चार-पाँच वर्षों से बंद पड़ी थीं। मिल मालिकों का कहना था कि हानि सहन करके वे मिलें शुरू नहीं कर सकते। पर्याप्त पूँजी निवेश के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय वस्त्रों का उत्पादन मूल्य ज्यादा था। अगर सरकार पर्याप्त अनुदान देना स्वीकार करे तब ही हमारे लिए मिलों को पुनः आरंभ करना संभव है। श्रमिक संगठन मिल मालिकों के मत से सहमत न होते हुए कहते हैं कि तालाबंदी का सहारा लेकर पूँजीपति मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं ताकि वे मजदूरों की मनमानी छंटनी कर सकें।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

6 अपने क्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व का समाचार दस पंक्तियों में बनाइए। (किसी काव्य-गोष्ठी अथवा स्थानीय उत्सव को विषय बना सकते हैं)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

7 नीचे दो भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचार दिए गए हैं, इन्हें संपादित कर नया समाचार बनाइए। समाचार का उचित शीर्षक भी दीजिए।

i) चुनाव प्रणाली में सुधार के संबंध में पेश विधेयकों पर आज लोकसभा में बहस आरंभ हुई। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव का सभी पक्षों ने समर्थन किया। अधिकांश सदस्यों ने विधेयकों का समर्थन किया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने सुधारों को अपर्याप्त बताया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है।

ii) चुनाव प्रणाली में सुधार के संबंध में पेश विधेयकों को अपर्याप्त और सत्ता पक्ष को फायदा पहुँचाने वाला बताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सरकार की कड़ी आलोचना की। विपक्षी सदस्यों ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किए जाने का समर्थन किया। कई विपक्षी सदस्यों ने चुनाव प्रणाली में सुधार संबंधी कई नये संशोधन प्रस्तुत किये। सत्ता पक्ष के सदस्यों सहित लगभग दर्जन सदस्यों ने बहस में भाग लिया।

संपादित समाचार

शीर्षक ....

आमुख ....

....

....

मुख्य कलेवर ....

....

....

....

....

....

....

5 दहेज प्रथा की समस्या पर लगभग 100 शब्दों में एक संपादकीय लिखिए, जिसमें दहेज के कारण आग में जला दी गयी वधू की हत्या की खबर को आधार बनाया गया हो।

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

22.6 सारांश

- देश-विदेश से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के स्रोत हैं अखबार। समाचार से हमें तरह-तरह की जानकारियां मिलती हैं जिनका हमारे राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर होता है। समाचार पत्र इन विविध समाचारों को कैसे एकत्र करते हैं और कोई सूचना समाचार कैसे बनती है, इकाई पढ़ने के बाद अब आप इन दोनों पक्षों की व्याख्या कर सकते हैं।
- समाचार लिखने के लिए उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित करना होता है। गैर जरूरी सूचनाओं को हटाना होता है। उनका आमुख और शीर्षक लिखना होता है। "आमुख" के बाद समाचार का "मुख्य कलेवर" लिखना होता है। इसी तरह समाचार को संपादित करना होता है। अब आप समाचार लेखन के इन विभिन्न चरणों का वर्णन कर सकते हैं और दिये गये तथ्यों के आधार पर स्वयं समाचार लिख सकते हैं।
- सामाचार लेखन की भाषा सरल एवं बोलचाल की होनी चाहिए। छोटे वाक्यों एवं छोटे-छोटे पैरा में समाचार लिखा जाना चाहिए। अब आप समाचार की भाषा की विशेषताएँ बता सकते हैं एवं समाचार के लिए आदर्श भाषा में समाचार लिख सकते हैं।
- संपादकीय समाचार पत्र के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं इससे पाठकों को विभिन्न घटनाओ पर राय बनाने में सहायता मिलती है। आप अब एक अच्छे संपादकीय की विशेषताएं बता सकते हैं और सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जिस पर आपने अध्ययन और चिंतन-मनन किया हो, आप स्वयं संपादकीय टिप्पणी लिख सकते हैं।

22.7 शब्दावली

वाणिज्यिक: वाणिज्य से संबंधित। वाणिज्य, व्यापार। बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार जिसमें, बैंकों, कंपनियों, शेयर बाजार सभी शामिल होते हैं

सामयिक: वर्तमान समय के अनुकूल।

विज्ञापन: किसी वस्तु को बेचने के लिए दी जाने वाली सूचना जिसमें वस्तु की विशेषताओं का भी उल्लेख हो।

अंतर्राष्ट्रीय: दो या अधिक राष्ट्रों के बीच का।

खाड़ी देश: खाड़ी समुद्र का वह भाग है जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो। लेकिन खाड़ी देश ईरान, इराक आदि क्षेत्रों के देशों को कहते हैं जो फारस की खाड़ी के नजदीक हैं।

संवाददाता: सूचनाएँ एकत्र करने वाला समाचार-पत्र का प्रतिनिधि।

सार्वजनिक: सबसे संबंध रखने वाला।

मूर्धन्य: मूर्धा (सिर) से उत्पन्न अर्थात श्रेष्ठ।

अपराह्न : दोपहर के बाद का समय।

पार्थिव : मिट्टी से बना हुआ पार्थिव शरीर : भौतिक शरीर, क्योंकि शरीर

...राष्ट्रीय समाचार पत्र: वे समाचार पत्र जो पूरे राष्ट्र में वितरित होते हों, जिनमें राष्ट्रीय समाचारों को प्रमुखता प्राप्त हो तथा जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण और हितों को प्राथमिकता देते हों।

22.8 उपयोगी पुस्तकें

शुक्ल विष्णुदत्त: **पत्रकार कला**, सहयोगी प्रकाशन, कानपुर

दलाल, डा० यासीन एवं जैन, डा० रमेश कुमार: **संवाददाता और समाचार लेखन**, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर-2

22.9 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1 क) समाचार एजेंसी ख) संवाददाता ग) सरकारी विज्ञप्तियां

2 क) कौन-सी घटना हुई ?
 ख) क्या हुआ ?
 ग) कब हुई ?
 घ) कहाँ हुई ?
 ङ) क्यों हुई ?

3 क) समाचार का स्रोत
 ख) समाचार एजेंसी का नाम
 ग) समाचार जारी होने का स्थान या घटना स्थल
 घ) घटना की जानकारी (कौन, क्या, कहां, क्यों का जवाब)

4 समाचार एजेंसियों के संवाददाता घटना स्थल से समाचार एकत्र कर अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेजते हैं। वहाँ से वह मुख्य कार्यालय को जाता है और वहाँ से संपादित होकर टेलीप्रिंटर द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों तक पहुँचाया जाता है।

5 क) तथ्यों की रक्षा की जानी चाहिए।
 ख) संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए।
 ग) मानवीय पहलुओं को उजागर करना चाहिए।
 घ) भाषा को संतुलित, दिलचस्प और हृदयग्राही बनाना चाहिए।

6 समाचार के आरंभ में पूरे समाचार के सार या केंद्रीय मुद्दे को व्यक्त करने वाली बात लिखी जाती है इसे ही "इंट्रो" या "आमुख" कहते हैं। जबकि समाचार के ऊपर दिया गया कथन शीर्षक कहलाता है। इसमें भी समाचार का केंद्रीय या मुख्य मुद्दा व्यक्त होता है।

7 क) उचित ख) अनुचित ग) अनुचित घ) उचित
 ङ) अनुचित

8 क) गलत ख) सही ग) सही घ) गलत ङ) सही

9 i) विशिष्ट क्षेत्र के तकनीकी पक्ष की पर्याप्त जानकारी और उनका प्रयोग।
 ii) उस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्दावली की जानकारी और उनका उचित प्रयोग।

10 **वैचारिक दृष्टिकोण**: संपादकीय टिप्पणियों में पत्र का दृष्टिकोण अवश्य व्यक्त होना चाहिए।
 विषय चयन: सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर ही संपादकीय लिखा जाना चाहिए।
 भाषा: सरल और संप्रेष्य हो।

अभ्यास

1 कौन सी घटना: पुलिस कांस्टेबल टी-आर श्रीनिवासन नायडू का सम्मान
 क्या हुआ: पुलिस विभाग की ओर से सम्मान हुआ
 कब हुआ: 9 अगस्त को
 कहाँ हुआ: मद्रास में,
 क्यों हुआ: क्योंकि श्रीनिवासन नायडू की उम्र 107 वर्ष की थी।

 उक्त समाचार में इन पाँचों बातों का उत्तर मिलता है इसलिए यह समाचार है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण है "क्यों" ? यह क्यों महत्वपूर्ण, दिलचस्प और असाधारण होना चाहिए।

2 शीर्षक: **यमुना किनारे बसे दो गाँवों में बाढ़**
 नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)। दिल्ली में यमुना के किनारे बसे दो गाँवों रहीमपुर और मयाना में

आज तड़के बाढ़ का पानी घुस आया। इन दोनों गाँवों के लोगों को कल दिन में ही तिमारपुर के कैंपों में ले जाया जा चुका था।

दिल्ली में पिछले तीन दिन से यमुना का पानी खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। इसके कल रात एक ईंच और बढ़ जाने से इन दोनों गांवों में पानी घुस आया। इन दोनों गाँवों की कुल आबादी लगभग 500 है। यद्यपि किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है लेकिन लोगों को जल्दबाजी में अपनी चीजें घरों और झोपड़ियों में ही छोड़ के आना पड़ा है।

कैंप में भी बदहाली छायी हुई है। लोगों को हैजे के टीके लगाए गए हैं। दूध और पीने के पानी की सप्लाई अभी ठीक नहीं हुई है. इससे छोटे बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है।

3) **शीर्षक : ईरान पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप**

आमुख : निकोसिया। 21 अगस्त (रायटर) इराक ने ईरान पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

4) **शीर्षक : चुनाव सुधारों के विधेयकों पर लोकसभा में बहस**

आमुख : नई दिल्ली 14 दिसम्बर चुनाव सुधार संबंधी विधेयकों पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान सदस्यों ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। चुनाव सुधार के संबंध में दो विधेयक कानून मंत्री बी. शंकरानंद ने कल लोकसभा में पेश किए थे। आज हुई सात घंटे की बहस के दौरान सदस्यों ने कई संशोधन भी प्रस्तुत किए।

मुख्य कलेवर : आज लोकसभा में चुनाव सुधारों के संबंध में पेश किए गए विधेयकों पर बहस आरंभ हुई। बहस में भाग लेने वाले सभी सांसदों ने मताधिकार की आयु घटाए जाने का स्वागत किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जन प्रतिनिधित्व कानून की 16 धाराओं में 95 संशोधन पेश किए। विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों को अधूरा बताया।

कल लोकसभा में कानून मंत्री बी. शंकरानंद ने चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधारों के संबंध में दो विधेयक पेश किए थे। पहला विधेयक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में है। यह विधेयक संविधान में 62वें संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा विधेयक जन प्रतिनिधित्व संशोधन के संबंध में है।

आज हुई बहस में 2 मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो दर्जन से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। बहस कल सात घंटे चली। बहस जारी रही।

i) राजधानी में आज हैजे से 11 लोग और मर गए। इस तरह अब तक हैजे से २१४ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले चौबीस घंटे में हैजे के 38 नए रोगी होने की पुष्टि हुई है।

प्रशासन द्वारा सफाई, इलाज और पीने का साफ पानी मुहैय्या कराए जाने का दावा किया गया है। इसके बावजूद रोज मरने वालों की संख्या दहाई से कम नहीं हो रही है।

ii) भारत सरकार ने कुछ कपड़ा मिलों को हाथ में लेने का फैसला लिया है। ये मिलें पिछले चार-पाँच वर्षों से बंद पड़ी थीं। मिल मालिकों का कहना था कि घाटा उठाकर वे मिलें शुरू नहीं कर सकते। काफी पूँजी लगाने के बावजूद भी विश्व बाजार में भारतीय माल की उत्पादन कीमत ज्यादा थी। अगर सरकार पूरा अनुदान दे तभी मिलें चालू की जा सकती हैं। मजदूर संगठनों की राय इससे अलग है। उनका आरोप है कि तालाबंदी के द्वारा मिल मालिक मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। उनका इरादा मजदूरों की मनमानी छंटनी करना है।

6, 7 एवं 8 इन अभ्यासों का उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए।

इकाई 23 अनुवाद

इकाई की रूपरेखा

23.0 उद्देश्य
23.1 प्रस्तावना
23.2 'अनुवाद' शब्द का अर्थ और व्याख्या
23.3 अनुवाद की प्रक्रिया (1): अर्थग्रहण
23.3.1 शब्दबोध
23.3.2 वाक्यबोध
23.3.3 रचनाबोध
23.4 अनुवाद की प्रक्रिया (2): संप्रेषण
23.4.1 शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत
23.4.2 श्लिष्ट शब्द
23.4.3 वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत
23.4.4 रचना की समानार्थकता का सिद्धान्त
23.5 अनुवाद करने का व्यावहारिक ज्ञान
23.5.1 भाषा की प्रकृति की समझ
23.5.2 शब्दों का सही प्रयोग
23.5.3 वाक्य-रचना
23.5.4 विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद
23.6 सारांश
23.7 उपयोगी पुस्तकें
23.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

23.0 उद्देश्य

आप आधार पाठ्यक्रम के चौथे खंड की 23 वीं इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की इकाई में आपने "समाचार लेखन और संपादकीय" का अध्ययन कर लिया है। यह इकाई "अनुवाद" से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- बता सकेंगे कि अनुवाद क्या है,
- अनुवाद की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे
- यह भी बता सकेंगे कि अनुवाद करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
- विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद की समस्याएँ बता सकेंगे, और
- आप स्वयं इस प्रकार के अनुवाद कर सकेंगे।

23.1 प्रस्तावना

आप जिस इकाई को पढ़ने जा रहे हैं, उसका संबंध अनुवाद से है। आधार पाठ्यक्रम के इस खंड में हम हिंदी भाषा के लेखन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपने इसके पूर्व की इकाई में समाचार लेखन और सम्पादकीय के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम आपको अनुवाद का व्यावहारिक ज्ञान कराने जा रहे हैं। अनुवाद का संबंध भी लेखन से है, लेकिन यह लेखन दूसरे लेखनों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस इकाई में सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि "अनुवाद" क्या है? उसके बाद हम अनुवाद की भिन्न प्रक्रियाओं से गुज़रेंगे और अनुवाद के क्रम में आने वाली दिक्कतों और कुछ भूलों की चर्चा करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य अनुवाद संबंधी सैद्धांतिक परिचय देना ही नहीं है। इस इकाई का उद्देश्य आपको अनुवाद सिखाना भी है।

इस क्रम में हम अनुवाद करने में आने वाली कठिनाइयों और सामान्य भूलों की चर्चा करेंगे। एक उदाहरण देकर आपका मार्ग दर्शन किया जाएगा, पुन: आपको अभ्यास दिया जाएगा। अभ्यास करते समय आप अपने को अकेला न समझें, हम आपके साथ हैं। विभिन्न संकेतों के माध्यम से हम आपको रास्ता दिखाते चलेंगे। इसके बाद आप खुद ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर अनुवाद में कुशल हो सकेंगे। हम आपको एक रास्ता दिखाएँगे, आप अनुवाद में कितना प्रवीण हो सकते हैं, यह आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर है।

अंत में, बोध प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँगे। आप अपने उत्तरों का इकाई के अंत में दिये गये नमूने के उत्तरों से मिलाएँ और खुद जाँच करें कि आपने कितना सीखा। आइए, पढ़ें कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अनुवाद किसे कहते हैं ?

23.2 'अनुवाद' शब्द का अर्थ और व्याख्या

अनुवाद की भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले यह आवश्यक है कि आप 'अनुवाद' शब्द का अर्थ जान लें ताकि आपके सामने यह स्पष्ट हो जाए कि अनुवाद में क्या करना होता है। संस्कृत कोशों में दिए गए अर्थ के अनुसार, अनुवाद को 'पुनरावृत्ति' कहते हैं। 'पुनरावृत्ति' का अर्थ होता है, फिर से कहना। लेकिन यह पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। आज अनुवाद का यही अर्थ प्रचलित है कि वह एक भिन्न भाषा की मूल रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद को 'ट्राँसलेशन' कहते हैं। अनुवाद या ट्राँसलेशन की सहज-सीधी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है : 'एक भाषा में प्रकट किए गए भावों-विचारों को ज्यों-का-त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को 'अनुवाद' कहते हैं।'

इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट होकर आपके सामने आती है कि इसमें कहे हुए को फिर से कहने या दुहराने पर विशेष बल दिया जाता है। सूत्र रूप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं- 'कहे हुए को फिर से कहना'। इसमें 'कहे हुए' और 'फिर से कहना' का समान महत्व है। इसके अंतर्गत 'कहे हुए' को ही पुनः 'कहा जाए', यह आवश्यक है। मतलब यह कि मूल लेखक ने जो कहा है, वही अनुवादक को दूसरी भाषा में कहना होता है। इसलिए 'कहे हुए' को समझना उसकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मूल भाषा में कही बात को अनुवादक समझेगा ही नहीं तो अपनी भाषा में वही बात कैसे कहेगा? 'कहे हुए' में दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं (1) उसका विषय और (2) भाषा। 'कथ्य' को अच्छी तरह समझने के लिए किसी भी अनुवादक को विषय और भाषा दोनों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिखी हुई 'दर्शनशास्त्र' की किसी कृति का अनुवाद कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आपको दर्शनशास्त्र की उस शाखा की बुनियादी बातों का ज्ञान हो और अंग्रेजी भाषा में गहरी पैठ हो ताकि जो कुछ कहा गया है वह आप भी समझ सकें और जिस अंदाज में कहा गया है उसे भी समझें। जब आप कही हुई बात और कहने के ढंग को समझ लेंगे तभी उस बात को उसी प्रभाव के साथ अपनी भाषा में कह सकेंगे। इससे एक बात तो आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि मूल रचना के भाव, विचार या संदेश को ज्यों-का-त्यों बिना घटाए-बढ़ाए, वैसा ही प्रभाव डालते हुए दूसरी भाषा में कहना अनुवादक का कर्तव्य होता है। यह अनुवाद का पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है - शेष सारे सिद्धांत इसी से जुड़े हैं।

बोध प्रश्न- 1

i) "अनुवाद" से आप क्या समझते हैं ? (आपका उत्तर दो पंक्तियों में अधिक का नहीं होना चाहिए)।

....

....

ii) निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है और कौन-सा गलत ? (सही कथन के सामने (✓) का चिह्न लगाएँ और गलत कथन के सामने (×) का चिह्न लगाएँ।)।

क) जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे 'लक्ष्य भाषा' कहते हैं। ☐

ख) जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे 'स्रोत भाषा' कहते हैं। ☐

ग) अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं की जानकारी आवश्यक नहीं है। ☐

घ) अनुवाद के लिए विषय और मूल भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। ☐

iii) (नीचे दिए गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें)
"कहे हुए को फिर से कहना" .... का अनिवार्य अंग है।
(समाचार लेखन, अनुवाद, कविता, कहानी)

23.3 अनुवाद की प्रक्रिया (1) : अर्थग्रहण

अभी आपने अनुवाद का साधारण और सामान्य परिचय प्राप्त किया। इस क्रम में आपने पढ़ा कि अनुवादक के लिए मूल भाषा में निहित विचारों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अभाव में अनुवाद किया ही नहीं जा सकता। अनुवाद की प्रक्रिया जानने से पहले आप यह जान लें कि जिस भाषा से अनुवाद किया

जाता है उसे "स्रोत भाषा" (हमारे इस पाठ के संदर्भ में अंग्रेज़ी) और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे "लक्ष्यभाषा" (इस पाठ के संदर्भ में हिंदी) कहा जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं: पहले चरण को हम "अर्थग्रहण" या "मूल रचना का अर्थ समझना" कह सकते हैं और दूसरे चरण को "संप्रेषण" या दूसरे तक पहुँचाने के लिए "अपनी भाषा में वही बात कहना"। संक्षेप में, "समझना" और "कहना" दो चरण हैं। "समझने" की प्रक्रिया ऐसी है जिससे हर सजग पाठक भी गुज़रता है। जो भी पाठक किसी रचना को पढ़ता है वह उसे समझने की भी कोशिश करता है। समझने की इस कोशिश के कई स्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए "उपन्यास" या "कहानी" पढ़ते समय अगर बीच में दो-एक शब्दों को आप नहीं भी समझ पाते तो उससे आपके "आनंद" में विशेष बाधा नहीं पड़ती क्योंकि "कथा" का प्रवाह भंग नहीं होता। जहाँ केवल "कथा" प्रमुख लक्ष्य है वहाँ एकाध शब्द का महत्व नहीं रह जाता। कथा-रस में शब्द को गहराई से न समझने से भी बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन "अनुवादक" के रूप में आप किसी भी शब्द को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया अनुवादक को कुछ भी जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं है।

23.3.1 शब्दबोध

अर्थग्रहण के लिए आपको चाहिए कि पहले आप उस सामग्री को— चाहे वह साहित्यिक रचना हो या कुछ और— जिसका अनुवाद होना है, अच्छी तरह पढ़ें: एक बार और फिर दूसरी बार। पढ़ते-पढ़ते आपको उस रचना में कुछ ऐसे शब्द ज़रूर मिलेंगे जिनका शायद आप मतलब न जानते हों या, कम-से-कम, पक्के तौर पर न जानते हों। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उसका अर्थ जानने के लिए आप किसी अच्छे शब्दकोश की सहायता लें ताकि क्रमशः सारी रचना का भाव आपके सामने स्पष्ट हो जाये। जब तक आप हरेक शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे, पूरी रचना को नहीं समझ पाएँगे— कम-से-कम अनुवादक के रूप में वह समझ अधूरी ही रहेगी।

शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता, कई हो सकते हैं और पूरे प्रसंग के संदर्भ में ही आपको उसे समझना होगा। हम आपको एक-दो उदाहरण देकर समझायें: अंग्रेज़ी का 'may' बहुत सरल शब्द है। दो वाक्य आपके सामने हैं— एक आपके दोस्त का 'I may go to Lucknow tonight' और दूसरा एक अफसर का जो मातहत को डांट पिलाने के बाद कहता है: 'You may go now'। इन दोनों वाक्यों में 'may' के प्रयोग को अच्छी तरह न समझा जाये तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। पहले वाक्य में 'may' "शायद" या "हो सकता है" का भाव देता है जिसमें अनिश्चितता है— "शायद मैं आज रात लखनऊ चला जाऊँ" जिसमें "न जाने" या "न जा पाने" की भी गुंजाइश है। लेकिन अफसर 'You may go now' में "अब दफा हो जाओ" या "अब निकलो यहाँ से" का भाव निहित है। उससे उसका रोष प्रकट होता है।

एक और उदाहरण लीजिए: 'My father is under the treatment of Dr. Sharma'; 'His treatment of the subject is one-sided'; 'Their treatment of their guests is commendable'

ज़ाहिर है तीनों वाक्यों में 'treatment' शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं और जब तक आप प्रसंग से यह नहीं समझ लेंगे कि इनके अलग-अलग अर्थ क्या हैं तब तक पूरा वाक्य आपकी समझ में नहीं आयेगा।

23.3.2 वाक्यबोध

शब्दों को प्रसंगानुसार कोश की सहायता से या बिना कोश के अच्छी तरह समझ लेने के बाद आप "वाक्य" को भी समझने की कोशिश करें। वाक्यों से ही भाषा बनती है। अर्थ या तो एक वाक्य में या एक से अधिक वाक्यों में स्पष्ट होता है। जिस वाक्य में पूरा अर्थ हो उस वाक्य को, या दो-तीन-चार वाक्यों में अगर पूरा अर्थ आता हो तो उन सबको मिलाकर, अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर शब्दों को अलग-अलग समझने का मतलब भी यही होता है कि अंततः आप वाक्य (या वाक्यों) का अर्थ सम्यक रूप से समझें। जब तक आप वाक्य में शब्दों की सार्थकता नहीं समझ लेते और पूरा वाक्य अपनी सारी सार्थकता में आपकी समझ में नहीं आ पाता तब तक शब्दों के अलग-अलग अर्थ कोश में देख लेने से कुछ हल नहीं होता। वाक्य में उन शब्दार्थों की सार्थकता समझनी भी ज़रूरी है। वाक्य में शब्दों का क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। शब्दों के क्रम पर पूरे वाक्य के अर्थ का दारोमदार होता है। कभी-कभी पूरे वाक्य को कई बार पढ़ने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। अगर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो अलग-अलग शब्दों के अर्थ जान लेने का भी आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा।

ध्यान रखिए, जब तक आप वाक्य का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ लेते अनुवाद असंभव है। अनुवाद शब्द की जगह शब्द रख देने मात्र से नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो सब का अनुवाद एक जैसा होता और कोई भी व्यक्ति "अनुवादक" बन बैठता।

23.3.3 रचनाबोध

अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना ज़रूरी होता है। शब्दों के अलग-अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं है, वाक्यों में ढलकर ही वे सार्थक होते हैं। वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। पर अंततः आपको "रचना" का अनुवाद करना होता है, शब्दों या वाक्यों का नहीं। अतः अनुवादक को अनुवादित की जा रही रचना का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में मूल लेखक जो कुछ कहना चाहता

अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना जरूरी होता है। शब्दों के अलग-अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं है, वाक्यों में ढलकर ही ये सार्थक होते हैं। वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। पर अंततः आपको 'रचना' का अनुवाद करना होता है, शब्दों या वाक्यों का नहीं। अतः अनुवादक को अनुवादित की जा रही रचना का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में मूल लेखक जो कुछ कहना चाहता है

है अनुवादक उससे भिन्न उसका दूसरा ही अर्थ निकाल लेगा। अनुवादक को पूरी रचना का अर्थ ठीक से मालूम होना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है, जब वह उस विषय का जानकार हो।

इस प्रकार अनुवाद की पहली प्रक्रिया-अर्थग्रहण पर विचार करते समय आपके सामने तीन मूलभूत बातें आयीं— (1) शब्द का सही ज्ञान (2) शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वाक्य का सही अर्थ निकले, और (3) रचना या विषय की सही जानकारी। जब ये तीनों तत्व आपस में मिलते हैं, तो अनुवादक सही ढंग से मूलभाषा में निहित विचार को समझ पाता है, सटीक अर्थग्रहण कर पाता है।

बोध प्रश्न-2

i) निम्नलिखित में से कौन-सा पक्ष "अर्थग्रहण" के लिए आवश्यक नहीं है ?
(गलत विकल्प के सामने (×) का चिह्न लगाएँ।)

क) शब्दबोध ☐
ख) तर्कबोध ☐
ग) रचनाबोध ☐
घ) वाक्यबोध ☐

ii) अनुवाद कार्य शुरू करने से पहले अनुवादक से क्या अपेक्षा होती है ?
(दो पंक्तियों में उत्तर दें)

....

....

23.4 अनुवाद की प्रक्रिया (2) : संप्रेषण

जैसा हमने आपको पहले बताया है, अनुवाद की प्रक्रिया का दूसरा चरण "संप्रेषण" का, अर्थात् अंग्रेजी में कही हुई बात को हिंदी में दुहराने का, होगा।

एक सजग पाठक भी जब कुछ पढ़ता है तो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है और अनुवादक भी मूल पाठ को कई बार पढ़कर उसकी हर बारीकी को भली-भाँति समझने का प्रयत्न करता है। पाठक उतने में ही निश्चिंत हो जाता है, किंतु अनुवादक उसी बात को अपनी भाषा में दुहराता है। उसे समझी हुई बात को अपनी भाषा में कहना होता है और यहीं पता चल जाता है कि उसने मूल भाषा में कही गयी बात को किस सीमा तक और कितनी अच्छी तरह समझा या नहीं समझा है। वास्तव में इस दूसरे चरण— संप्रेषण में यह पता चल जाता है कि वह पहले चरण में कितना सफल रहा या नहीं रहा। यहाँ अगर वह कुशलता का परिचय देता है तो अपने पाठकों के मन पर वही और वैसा ही प्रभाव जमाने में सफल हो सकता है जैसा कि मूल लेखक की कृति ने उसके पाठकों के मन में जगाया होगा। अतः वह हर प्रकार से "समतुल्यता" का प्रयास करता है। "समतुल्यता" का अर्थ है— मूल भाषा में प्रयुक्त शब्द के वजन और समान अर्थ रखने वाले शब्द को "लक्ष्य" भाषा में खोजना।

23.4.1 "शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत"

"समतुल्यता" सबसे पहले शब्द के स्तर पर सिद्ध करनी होती है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी वाक्य के हरेक शब्द को समझकर शब्दकोश की सहायता से उसके लिए "प्रतिशब्द"— यानी वही अर्थ देने वाला हिन्दी शब्द खोजना होता है। इसमें दो कठिनाइयाँ विशेष रूप से आती हैं— एक तो यह कि अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको अक्सर एक शब्द के कई प्रतिशब्द मिलेंगे। इनमें से एक सही प्रतिशब्द चुन लेना ही आपकी समझदारी का परिचय देगा। यों तो एक शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं परंतु एक प्रसंग में उसका जो विशिष्ट अर्थ होगा वही अर्थ देने वाला शब्द आप चुनें— इसमें पूरे प्रसंग की और शब्द की गहरी समझ अपेक्षित होती है। यह भाषा के अध्ययन और अभ्यास से ही आती है। आपको हमने पहले एक उदाहरण दिया था— 'treatment' शब्द का। पहले वाक्य में उसका प्रतिशब्द "इलाज" होगा, दूसरे में "प्रतिपादन" और तीसरे में "व्यवहार या सलूक"। कहाँ कौन-सा शब्द सटीक बैठता है— यह समझने में ही अनुवादक का कौशल है।

शब्दों के अनुवाद में एक कठिनाई और भी आती है। इसका कारण यह है कि एक भाषा में प्रयुक्त शब्दों के सटीक पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलते। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम समान अर्थ देने वाले शब्दों में से प्रसंगानुसार सबसे अधिक सटीक और सही शब्द चुनें वरना वाक्य पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर सकेगा। उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी के तीन शब्द हैं— Church, Cathedral, Chapel — इसके लिए हिन्दी में गिरजाघर, महामंदिर, प्रार्थनालय शब्द उपलब्ध हैं। महामंदिर और प्रार्थनालय कहने से Cathedral और Chapel का बोध नहीं हो सकता। ("कैथीड्रल" बड़े गिरजाघर को कहते हैं जिसके मुखिया बिशप होते हैं। बिशप के अधीन अन्य कई गिरजाघर भी आते हैं। "चेपल" एक छोटा-सा प्रार्थना गृह होता है, जो गिरजाघर या कैथीड्रल के अंदर स्थित होता है। स्कूल, अस्पताल आदि में भी "चेपल" हो सकता है,

जहाँ लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर सकें) इसका रास्ता यही है कि सही शब्द (सभी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द) न मिलने की स्थिति में उस शब्द से निकट अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों का "अथवा" लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे Cathedral या महामंदिर, Chapel अथवा प्रार्थनालय।

लक्ष्य भाषा में कई शब्द रहने के बावजूद अनुवादक को सतर्कता के साथ उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग-अलग प्रसंगों में उनका अलग-अलग अर्थ होता है। मान लीजिए, एक वाक्य है: "The killings of **innocent** people in Punjab must be **condemned.**"

शब्दकोश में 'innocent' के "निर्दोष", "निष्पाप", "निरपराध", "बेगुनाह", "निष्कपट", "अबोध", "निरीह", "सीधा", "अहानिकर" आदि समानार्थक शब्द दिये गये हैं और 'condemned' के "निंदा करना", "गर्हणा करना", "दोषी या अपराधी ठहराना", "अपराधित करना", "दंडाज्ञा देना, दंड देना", "ज़ब्त कर लेना", "निकम्मा ठहराना" "निराकरण करना", "रोग असाध्य बताना" आदि। अब उपर्युक्त वाक्य में दोनों शब्दों के कौन-से अर्थ सबसे अधिक सटीक बैठते हैं, यह आप अपनी समझ के अनुसार निर्णय करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा अनुवादक बुरे शब्दकोश का भी सदुपयोग कर लेता है और बुरा अनुवादक अच्छे शब्दकोश का भी दुरुपयोग कर सकता है। अगर आपने इसका अनुवाद यों कर दिया: "सीधे लोगों की हत्याओं को ज़ब्त कर लेना चाहिए" या "निष्कपट लोगों की हत्याओं का निराकरण होना चाहिए" तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा— अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इस वाक्य में आपको 'innocent' के लिए "निरपराध या बेगुनाह या मासूम" शब्द का प्रयोग करना होगा और 'condemned' के लिए "निंदा या गर्हणा करना" का; तभी वाक्य अपना यह अभीष्ट अर्थ देगा: "पंजाब में निरपराध लोगों की हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए" 'innocent' के लिए "सीधे-सादे लोग" कहने से भी यहाँ अपेक्षित अर्थ नहीं आयेगा और 'condemn' के लिए "बुरा-भला" कहने से भी अर्थ क्षीण होगा। यहाँ सवाल "सीधे-सादे लोगों" का नहीं, वे "चालाक" या "बेईमान" भी हो सकते हैं किंतु उन्होंने कोई "अपराध" नहीं किया, और "गर्हणा या निंदा करना" जैसे सशक्त शब्दों की "अर्थ-तीव्रता" "बुरा-भला कहने" जैसे हल्के शब्दों में नहीं आती।

अतः ध्यान रखिए कि उपलब्ध हिन्दी समानार्थकों में से जो सबसे अधिक उपर्युक्त, सटीक और बराबर की अर्थ-क्षमता वाला शब्द हो वही आपको अनुवाद करते समय चुनना चाहिए।

23.4.2 श्लिष्ट शब्द

कहीं-कहीं लेखक एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में करता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक का कार्य कठिन हो जाता है। उसे ऐसा हिन्दी समानार्थक खोजे नहीं मिलेगा जिसके उस प्रसंग में एक साथ वे ही दोनों अर्थ हो सकें। एक उदाहरण लें। 'If the drinks too much he will pay for it later.' यहाँ 'pay' शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों अभीष्ट हैं— "चुकाना या अदा करना" और "कष्ट सहना या यातना भोगना"। ये दोनों अर्थ अगर किसी हद तक हिन्दी के किसी शब्द में आते हैं तो वह "भुगतना" है "बहुत पियेगा तो बाद में भुगतेगा"। पर सदा यह संभव नहीं होता कि ऐसे पर्याय दूसरी भाषा में मिल जायें। तब अनुवादक को एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके और कहीं व्याख्या के द्वारा भी वक्ता का भाव स्पष्ट करना पड़ सकता है।

इस "शब्द-समानार्थकता" सिद्धांत को हम "शब्द-प्रतिशब्द" का सिद्धांत भी कह सकते हैं।

23.4.3 वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत

अनुवादक ने अंग्रेजी की किसी रचना को, और उसमें प्रयुक्त शब्दों को, कितनी अच्छी तरह समझा है और शब्दों के जो हिन्दी समानार्थक उसने चुने हैं वे कितने सही और सटीक हैं, इसकी कसौटी उस अनुवाद के वाक्य होते हैं। अनुवादक की असली क्षमता इसी में निहित होती है कि वह कितने सही और सार्थक वाक्य बना पाता है। इतना ही काफी नहीं कि वह जो वाक्य बनाये वह व्याकरण की दृष्टि से सही हो और उसमें मूल अंग्रेजी शब्दों के सही समानार्थक चुने गये हों बल्कि यह भी जरूरी है कि वाक्य वही प्रभाव डाले जो मूल अंग्रेजी के वाक्य का पड़ता है। पूरे वाक्य के अर्थ के संप्रेषण के लिए अनुवादक को कभी चुने हुए शब्द बदलने पड़ सकते हैं, कभी उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, कभी वाक्य की रचना बदलनी पड़ सकती है तो कभी एक वाक्य को दो या तीन वाक्यों में तोड़ना और कभी दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में ढालना पड़ सकता है। यह सही है कि अनुवाद में वाक्य का महत्व बहुत होता है किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक की निष्ठा उसमें निहित अर्थ या मंतव्य के प्रति होती है और उसे यह देखना होता है कि हिन्दी में कैसे वह बिना विकृति के उस मंतव्य को व्यक्त कर सकता है।

यह याद रखिए कि किन्हीं दो भाषाओं की वाक्य-रचना एक जैसी नहीं होती, उनमें शब्दों का क्रम एक जैसा नहीं होता। अगर आप अंग्रेजी वाक्य में प्रयुक्त शब्द-क्रम का अनुसरण करेंगे तो अक्सर गलत वाक्य बनायेंगे और अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। आपको चाहिए कि हमेशा वाक्य का— या अगर कई वाक्यों में अर्थ पूरा होता हो तो वाक्यों का पूरा अर्थ समझकर उसे अपने ढंग से हिन्दी में कहने की कोशिश करें। अच्छा यह होता है कि आप छोटे-छोटे वाक्य बनायें लेकिन उनमें कसाव बना रहे। बड़े वाक्यों में

अर्थ बिखर भी सकता है, उसके प्रभाव में कमी भी आ सकती है और गलतियाँ भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके वाक्यों में हिन्दी की प्रकृति की भी रक्षा हो और अर्थ भी पूरी तरह से समाया रहे। इस तरह लक्ष्य भाषा यानी आपके संदर्भ में हिंदी— की सहजता बनी रहेगी। "सहजता का यह सिद्धांत" अनुवादक के लिए प्रकाश-स्तंभ होता है।

कुछ उदाहरणों से हम यह बात स्पष्ट करेंगे:

अंग्रेज़ी का तीन शब्दों का एक सीधा-सादा वाक्य है 'God is love'. इसका अनुवाद "ईश्वर प्रेम है" करें तो दो बातें ध्यान देने की हैं— "है" का जो स्थान मूल वाक्य में है, अनुवाद में नहीं; दूसरे, "ईश्वर प्रेम है" वाक्य अपने आप में अधूरा और अटपटा लगता है। इसमें हिन्दी की सहज प्रकृति खंडित हो गई-सी लगती है। आप जब तक कुछ न कुछ नहीं जोड़ेंगे तब तक वाक्य ऐसा ही अटपटा रहेगा। "ईश्वर प्रेम-रूप है", "प्रेम ही ईश्वर का पर्याय है" इसके विकल्प हो सकते हैं। आप देखेंगे कि इन वाक्यों में कुछ न कुछ जोड़ा गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लीजिए: 'The existence of quorum is a must for a formal meeting'. इस वाक्य का "औपचारिक बैठक के लिए कोरम का अस्तित्व आवश्यक होता है" अनुवाद करें तो दो बातें देखी जा सकती हैं: "कोरम का अस्तित्व" में अटपटापन है। यह प्रयोग हिन्दी भाषा की प्रकृति से मेल नहीं खाता। दूसरे 'is' के हिन्दी में दोनों अनुवाद होते हैं— "है" और "होता है"। "के लिए" का प्रयोग भी कुछ अच्छा नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कहाँ कौन-सा अनुवाद ठीक होगा। इसका ठीक अनुवाद यों होगा: "औपचारिक बैठक में कोरम आवश्यक होता है।" अपनी भाषा की प्रकृति की रक्षा का अनुवादक को सदा ध्यान रखना होता है। आपने अंग्रेज़ी के वाक्य 'It was a pleasant surprise to me' का यह अनुवाद अकसर देखा-पढ़ा होगा: "इससे मुझे सुखद आश्चर्य हुआ", पर यह मक्खी पर मक्खी मारने की बात है और अपनी भाषा पर सहज अभिव्यक्ति के अधिकार का अभाव दर्शाता है। इसका मुहावरेदार अनुवाद यों होना चाहिए: "इससे मुझे आश्चर्य भी हुआ और सुख भी"। इसमें बात जितने अच्छे ढंग से आई है, "सुखद आश्चर्य" में नहीं। अनुवाद में वाक्य-रचना के बदल जाने का उदाहरण देखिए:
'I shall go with you to the meeting if you come on time'.

जैसे वाक्यों का अनुवाद बहुत लोग इस प्रकार करते हैं: "मैं आपके साथ बैठक में जाऊँगा अगर आप वक्त पर आ गये" परन्तु यह वाक्य-रचना हिन्दी की प्रकृति से मेल नहीं खाती। यह अनुवाद यों होना चाहिए: "आप वक्त पर आ गये तो मैं आपके साथ बैठक में चलूँगा।" वाक्य में शब्दों का क्रम बदल गया है और "जाऊँगा" के बजाय "चलूँगा" क्रिया का प्रयोग जान-बूझकर किया गया है क्योंकि "साथ जाऊँगा" में लगता है आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं; जिसके साथ आपको जाना है, उसी से बात करने में "साथ चलूँगा" प्रयोग ही सही और सम्मत है।

कभी-कभी लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान न रखकर मूल भाषा अर्थात् स्रोत भाषा की प्रकृति का अनुसरण करने से और वाक्य में शब्दों को सही जगह न रखने से बड़े-बड़े अनर्थ हो सकते हैं। एक बार आकाशवाणी (ऑल इण्डिया रेडियो) में बड़ी दिलचस्प घटना घटी थी। बात सन् 1950–51 की है। पं. जवाहरलाल नेहरू तब प्रधान मंत्री थे। देश के विभाजन के तुरंत बाद सरकार अनेक समस्याओं से घिरी थी। एक समस्या उन स्त्रियों की थी जिन्हें छीनो और ज़ोर-ज़बर्दस्ती करके भगा ले जाया गया था। एक शाम संसद में उन्हीं की समस्या के संदर्भ में प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के सिलसिले में कोई सदस्य अपना बयान दे रहे थे। अंग्रेज़ी वाक्य कुछ इस प्रकार था: "Referring to Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru's statement re: Kidnapped Women, shri . . . . . Said . . . . ., ". . . . ."

इसका अनुवाद समाचारों में यों प्रसारित हुआ— "प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भगाई गई औरतों के बारे में दिये गये वक्तव्य का हवाला देते हुए श्री . . . . . . ने कहा . . . ." देखिए इस वाक्य में कैसा अनर्थ हुआ है। इसी वाक्य में अगर थोड़ा हेरफेर कर दें— "भगाई गई औरतों के बारे में प्रधान मंत्री श्री . . . . . तो वाक्य ठीक और सार्थक हो जाता है। अतः वाक्यों में शब्दों के सही "स्थापन" का बड़ा महत्व होता है और उससे वाक्य में कसाव और अभिव्यक्तिक्षमता आती है— उसके अभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वाक्य रचना ठीक हो तो भाषा आसान लगती है और वाक्य-रचना पेचीदा हो तो भाषा जटिल और दुरूह बन जाती है। मूल-रचना की भाषा शैली का अनुसरण करते हुए भी अनुवादक अपनी भाषा को सरल और सुबोध बना सकता है।

23.4.4 रचना की समानार्थकता का सिद्धांत

आप यह पढ़ चुके हैं कि शब्द, शब्दों का क्रम, वाक्य और वाक्यों की योजना सब रचना के अनिवार्य अंग हैं। वास्तव में "शब्द के लिए "प्रतिशब्द" की तलाश और "वाक्य" के लिए "प्रतिवाक्य" बनाने की सारी कोशिशें "रचना" के स्थान "प्रतिरचना" के निर्माण के लिए होती हैं। कहाँ घटाया-बढ़ाया जाये, कहाँ कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ लगाया जाये; कहाँ शब्दों के क्रम को बदला जाये, कहाँ एक वाक्य को तोड़कर एक से अधिक वाक्य बनाये जायें और कहाँ एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में गठित कर दिया जाये— ये सब युक्तियाँ अनायास नहीं आ जातीं। इनके लिए कठोर और अनवरत अभ्यास की जरूरत होती है।

अनुवाद कैसा बन पड़ा है— यह देखने के लिए आपको चाहिए कि अंग्रेज़ी की मूल रचना या अवतरण एक ओर रखकर एक हिंदी पाठक के रूप में उसे स्वतंत्र रचना या अवतरण मानकर पढ़ें। अगर उसमें प्रवाह बनी

सकता तो यह मान लीजिए कि आप लक्ष्य भाषा की सहजता की रक्षा कर पाये हैं। अनुवाद एक कला है और उसकी सफलता इसमें निहित है कि वह अनुवाद होकर भी अनुवाद न लगे और पाठक को यह पता न लगे कि वह रचना मूलतः हिन्दी में लिखी गई है या किसी और भाषा में। दूसरे शब्दों में, अनुवाद अगर अपने पाँवों पर खड़ा हो सके तो उसे सफल मानना चाहिए। शब्दार्थ में अधिक से अधिक "निकटता" और लक्ष्य भाषा की रचना में उसकी "सहजता" तथा समग्ररूप में "समतुल्यता" के प्रयास के नाते हम कह सकते हैं कि अनुवाद "निकटतम सहज समतुल्यता" की साधना होती है।

बोध प्रश्न-3

i) "शब्द की समतुल्यता के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं?
(पाँच पंक्तियों में उत्तर दें)।

....

....

....

....

ii) (नीचे दिए गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें)।
शब्दों का प्रयोग करते समय .... का ध्यान रखना चाहिए। (क्लिष्टता, सहजता, प्रसंग, उच्चारण)

iii) नीचे अंग्रेजी भाषा की एक पंक्ति अनुवाद के लिए दी जा रही है, उसे पहले समझाया जा चुका है। आप बिना पीछे देखे हुए सही अनुवाद का चुनाव करें और उत्तर कोष्ठक में लिखें।
The Killing of innocent people in Punjab must be condemned.

क) पंजाब में निष्कपट लोगों की हत्याओं का निराकरण होना चाहिए।

ख) पंजाब में सीधे लोगों की हत्याओं को जब्त कर लेना चाहिए।

ग) पंजाब में निरपराध लोगों की हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए।

घ) पंजाब में निष्पाप लोगों की हत्याओं का निराकरण करना चाहिए। ☐

iv) नीचे अंग्रेजी का एक वाक्य दिया जा रहा है। उसके कई अनुवाद भी दिये जा रहे हैं। आप सबसे सटीक अनुवाद का चुनाव करें।
I shall go with you to the meeting if you come on time.

क) मैं आपके साथ बैठक में जाऊँगा अगर आप वक्त पर आ गये।

ख) आप वक्त पर आ गये तो मैं आपके साथ बैठक में चलूँगा।

ग) अगर आप वक्त पर आये होते तो मैं बैठक में आपके साथ चलता।

घ) अगर आप वक्त पर नहीं आये तो मैं बैठक में नहीं जाऊँगा। ☐

23.5 अनुवाद करने का व्यावहारिक ज्ञान

अब तक आपने अनुवाद के सैद्धांतिक मुद्दों और विभिन्न समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। सिद्धांत किसी कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक है, पर सैद्धांतिक ज्ञान अधूरा होता है: उसकी सार्थकता तभी है, जब इसे व्यवहार में लाया जाए। आप यहाँ अनुवाद करना सीख रहे हैं। जब तक आप खुद अनुवाद की समस्याओं से नहीं जूझेंगे, तब तक आप अनुवाद करना नहीं सीख सकेंगे। अनुवाद सिखाने की जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है, वह इस प्रकार है— पहले एक अंग्रेजी का उदाहरण दिया जाएगा और उसके गलत और सही दोनों प्रकार के अनुवाद आपके सामने रखे जाएँगे। गलती कहाँ है, यह आपको बता दिया जाएगा। पुनः आपको एक अभ्यास दिया जाएगा। आप अनुवाद करें और इकाई के अंत में अभ्यासों के दिए गये उत्तर से मिलाएँ। इस प्रकार आप अनुवाद करने का तरीका जान जाएँगे। आपको अनुवाद करना सिखाने से पहले हम यह मानकर चल रहे हैं, कि आप अंग्रेजी पढ़कर ठीक से समझ सकते हैं और हिन्दी भाषा का आपको अच्छा ज्ञान है। अगर ऐसा नहीं है तो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद नहीं किया जा सकता।

23.5.1 भाषा की प्रकृति की समझ

अनुवाद करते समय अनूदित भाषा की प्रकृति की रक्षा अनुवादक का प्रथम दायित्व होता है। अंग्रेजी भाषा के दो वाक्य आपके सामने रखे जा रहे हैं:

i) I wonder if this is true.

ii) I have two sons.

इनका अनुवाद यदि हिन्दी भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर न किया जाए तो हिन्दी में वाक्य इस प्रकार बनेगा—

i) मुझे आश्चर्य होगा अगर यह सच है।
ii) मेरे पास दो पुत्र हैं।

'if' लगाकर अंग्रेज़ी में जो वाक्य बनते हैं, उन्हें हिन्दी में परिवर्तित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें अनुवाद करते समय "लक्ष्य भाषा" की प्रकृति (यहाँ हिन्दी) का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। जैसे, ऊपर दिए गये पहले अंग्रेज़ी वाक्य का सही अनुवाद इस प्रकार होगा—

मुझे इसकी सच्चाई में संदेह है।

अंग्रेज़ी के दूसरे उदाहरण में 'have' लगाकर वाक्य बनाया गया है। इस 'have' का अनुवाद हिन्दी में अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे— I have a pen .... मेरे पास एक कलम है; I have to go .... मुझे जाना है; I have left my old job . . . .. मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है; I have accepted this theory .....मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। आरंभ में 'have' का जो उदाहरण दिया— I have two sons; उसका अनुवाद होगा— "मेरे दो पुत्र हैं" न कि "मेरे पास दो पुत्र हैं"। कारण स्पष्ट है, हिन्दी में हम "मेरे पास दो पुत्र हैं" का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। 'have' का प्रयोग जब किसी वस्तु के साथ होता है, तभी इसके लिए "पास" शब्द का प्रयोग हिन्दी में करते हैं, जैसे I have two thousand rupees; I have two tables and one chair; 'have' का प्रयोग जब क्रिया के साथ होता है (जैसे खाना, पीना, करना, सोना, चलना आदि) तो "पास" का प्रयोग नहीं होता। वाक्य के स्वरूप के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है। इसका प्रयोग समझ-बूझकर किया जाना चाहिए।

अभ्यास-1

अब आपके सामने इसी प्रकार के कुछ अंग्रेज़ी के वाक्य रखे जा रहे हैं। आप इनका अनुवाद हिंदी में करें।

क) I doubt if he will come.

मुझे .... संदेह है।

ख) We wonder if he accepts this.

हमें ....

ग) I doubt if Ram will be going.

....

घ) I am not sure if you can do this work.

....

ङ) I do not think if this is a good book.

....

अभ्यास-2

आइए, अब 'have' लगे कुछ वाक्यों का अनुवाद करें।

क) I have three daughters.

....

ख) I have lost my pen.

....

ग) I have no idea.

....

घ) I have passed B.A. examination.

....

ड) I have a headache.

....

च) I have fever.

....

छ) I have a pain.

....

ज) I have a pain in my neck.

....

Prepositions या कारक चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग

Prepositions, कारक चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग करते समय भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है। Prepositions या कारक चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग अंग्रेजी और हिन्दी में भिन्न-भिन्न तरीके से होता है। वस्तुत: वाक्य में उनका स्थान भी दोनों भाषाओं में अलग-अलग है। जैसे अंग्रेजी में कहेंगे 'Pen of Ram' यहाँ 'of' कर्ता के पहले आया है; जबकि हिन्दी में स्थिति उल्टी होती है। यहाँ कारक चिह्न या संबंध जोड़ने वाले चिह्न कर्ता के बाद आते हैं, जैसे, "राम की कलम" इसलिए अंग्रेजी में इसे 'Preposition' अर्थात् "पहले रखा हुआ" और हिंदी में "परसर्ग" "बाद का हिस्सा" कहते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय कारक चिह्नों या परसर्गों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए।

अनुवाद करते समय Prepositions या परसर्गों के प्रयोग में दूसरी सावधानी यह बरतनी चाहिए कि अंग्रेजी के संबंध-चिह्न हिंदी में ज्यों के त्यों अनूदित होकर नहीं आते। मसलन, on, का अनुवाद हिंदी में भिन्न-भिन्न अर्थों में होता है। इसका अनुवाद "पर" भी होता है, "को" के लिए भी 'on' का प्रयोग होता है, जैसे

i) The book was on table.
ii) I will visit him on Monday.

इनका अनुवाद इस प्रकार होगा:

i) किताब टेबुल पर थी।
ii) मैं उसके यहाँ सोमवार को आऊँगा।

इसी प्रकार 'in' का प्रयोग भी भिन्न अर्थों में होता है। कहीं 'in' के लिए "में" और कहीं "से" और कहीं "पर" का प्रयोग होता है, जैसे

i) We arrived in a town.
ii) I reached office in time.
iii) I met him in his house.

अनुवाद:

i) हम लोग एक शहर में पहुँचे।
ii) मैं समय से कार्यालय पहुँचा।
iii) मैं उससे उसके घर पर मिला।

'Since' और 'For' के अनुवाद में भी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि दोनों के लिए हिन्दी में "से" का प्रयोग होता है। 'for' के लिए "तक" का प्रयोग भी होता है। पर अंग्रेजी में इनका प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थितियों में होता है। Since का प्रयोग निश्चित समय के लिए जैसे Since Monday, Since six pm. आदि। 'For' का प्रयोग "लंबे समय" के लिए होता है, जैसे For six days, six months, six years.

उदाहरण:

i) He has been here since Monday.
ii) He travelled in the desert for six months.
iii) He has been travelling in the deseret for six months.

अनुवाद:

i) वह सोमवार से यहाँ है।
ii) वह छह महीने तक मरुभूमि में घूमता रहा।
iii) वह छह महीने से मरुभूमि में घूम रहा है।

'To' का अनुवाद भी भिन्न-भिन्न तरीके से होता है—

i) I advised him to wait.
ii) I invited my friend to play football.

अनुवाद :

i) मैंने उसे इंतजार करने का परामर्श दिया।
ii) मैंने फुटबाल खेलने के लिए अपने मित्र को बुलाया।

कभी-कभी 'to' हिन्दी में अनुवाद करते समय लुप्त हो जाता है— 'I have to go' —"मुझे जाना है"।

वस्तुत: अंग्रेजी पूर्वसर्ग (Preposition) का हिन्दी अनुवाद करते समय हिन्दी भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य-रचना का इन 'prepositions' पर काफी प्रभाव पड़ता है।

आइए, इन निर्देशों के आधार पर आप कुछ अभ्यास कार्य करें:

अभ्यास-3

क) The train come in time.

....

ख) I met him in Delhi.

....

ग) My pen is on the table.

....

घ) He will come on friday.

....

ङ) He is teaching in a school for one year.

....

च) He is working here since Tuesday.

....

छ) I have to buy a pen.

....

ज) I invited him to play cricket.

....

23.5.2 शब्दों का सही प्रयोग

अनुवाद करते समय शब्दों के सही और प्रसंग के अनुसार प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोशों में मिलते हैं। यह आपके भाषा-ज्ञान, विवेक और समझ पर निर्भर है कि आप शब्द के किस अर्थ को चुनते हैं। अगर प्रसंग आपकी समझ में आ गया है, तो आप शब्द का सही अर्थ चुनेंगे। एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो सकती है। एक शब्द है 'Operation'। इसका प्रयोग दो वाक्यों में किया जा रहा है, देखिए, संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है—

i) The **operation** done by Doctor is successful.
ii) The Police **operation** in that area was a failure

अनुवाद :

i) डॉक्टर को **शल्य-क्रिया** में सफलता मिली।
ii) उस इलाके में पुलिस **कार्यवाई** असफल रही।

। दोनों उदाहरणों 'Operation' का अनुवाद अलग-अलग किया गया है। इसका कारण यह है कि र्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल गये। डॉक्टर के संदर्भ में यदि **"कार्यवाई"** और पुलिस के संदर्भ में ल्य-क्रिया" का प्रयोग किया जाए, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अत: शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार लगाना चाहिए।

अब आप इसी प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करें। आपकी सहायता के लिए "शब्दों" के विभिन्न अर्थ दिए जा रहे हैं।

अभ्यास-4

क) **Treatment**[1] of patient by doctor was not satisfactory.

....

ख) **Treatment**[1] of subject by scholar was not satisfactory.

....

ग) **Interest**[2] rate of bank is very **high**[3].

....

घ) He has no **Interest**[2] in sports.

....

ङ) His main **aim**[4] is to become an I.A.S. officer.

....

च) His **aim**[4] was not **accurate**[5]; so he could not win the gold medal in shooting.

....

कठिन शब्दों के अर्थ:

1 **Treatment** — व्यवहार, बरताव, सलूक, प्रतिपादन, विवेचन, चिकित्सा, उपचार, इलाज।
2 **Interest** — अधिकार, लाभ, स्वार्थ, रुचि, सूद।
3 **High** — ऊँचा, ज्यादा।
4 **Aim** — निशाना, लक्ष्य, उद्देश्य।
5 **Accurate** — सही, अचूक।

23.5.3 वाक्य-रचना

वाक्य-रचना का अनुवाद में विशेष महत्व है। आप सही शब्द चुन लें, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण ठीक ढंग से कर लें, पर यदि वाक्य-रचना सरल नहीं है, तो अनुवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि "स्रोत भाषा" की बात "लक्ष्य भाषा" में ज्यों का त्यों कहना अनुवाद का लक्ष्य है। अगर अनुवाद की वाक्य-रचना सरल और समझ में न आ सकने वाली होगी, तो "स्रोत भाषा" की बात "लक्ष्य भाषा" में स्पष्ट नहीं हो सकती।

वाक्य की जटिलता का सबसे बड़ा कारण "लंबे वाक्यों का निर्माण" होता है। अतः अनुवाद करते समय छोटे-छोटे और सरल वाक्य बनाने चाहिए। अगर स्रोत भाषा (अंग्रेज़ी) का वाक्य लंबा है, तो आप उसे विभिन्न इकाइयों में बाँटें। आप ऐसे छोटे-छोटे वाक्य बनाएँ कि "स्रोत भाषा" में कही गयी बात ज्यों-की-त्यों "लक्ष्य भाषा" में आ जाए। आइए, एक उदाहरण से इसे समझें:

"The company required large amounts of money to wage wars both in India and on the high seas and to maintain naval forces and armies and forts and trading posts in India."

अनुवाद:

"कंपनी को, भारत और बीच समुद्र में युद्ध करने के लिए और अपनी जल और स्थल सेना तथा भारत में अपने किलों तथा व्यापारिक चौकियों की रक्षा करने के लिए, काफी बड़ी रकम की आवश्यकता थी।"

अब इसी अनुवाद को छोटे-छोटे वाक्यों में तोड़कर देखें:

"कंपनी को भारतीय भूमि पर स्थित अपने किलों और व्यापारिक चौकियों की रक्षा करनी थी। अपनी जल और स्थल सेना का रख-रखाव करना था। भारत के भीतर और बीच समुद्र में अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ करनी थीं। इसके लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी।

आप दोनों अनुवादों को पढ़ें। आपको यह महसूस होगा कि छोटे-छोटे वाक्यों के सहारे किया गया अनुवाद सरल, समझ में आनेवाला और हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल है। अनुवाद करते समय यदि आप वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है; बशर्ते कि वह "स्रोत भाषा" में कही गयी बात के अर्थ को बदल न दे। मसलन, छोटे-छोटे वाक्य बनाने के क्रम में बहुत बार "इसके", "अपने" "इसके लिए" आदि सर्वनाम जोड़ने पड़ सकते हैं। ऐसे प्रयोग अनुवाद के लिए दोष नहीं माने जाते।

आपका एक अभ्यास दिया जा रहा है। आप इसे छोटे-छोटे वाक्यों में तोड़कर अनुवाद करें। अपने अनुवाद को इकाई के अंत में दिए गये नमूने के उत्तरों से मिलाएं।

अभ्यास-5

क) Both the objectives--the monopoly[1] of trade and control over financial resources--**were rapidly[2] fulfilled, and beyond the imagination[3]** of the Directors of the East India Company when Bengal and South India rapidly came under the company's political control during the 1750's and 1760's.

ख) The East India company now **acquired direct control[4]** over the **State revenues[5]** of the conquered **areas** and was in a position to **grab[6]** the **accumulated wealth[7]** of the local rulers, nobles, Zamindars.

कठिन शब्दों के अर्थ:

1 Monopoly — एकाधिकार
2 Rapidly — यथाशीघ्र
3 **Beyoand the imagination** --- कल्पना से परे
4 Acquired direct control - सीधा अधिकार प्राप्त हो गया था
5 State revenues — राजस्व
6 Grab — छीनना
7 Accumulated wealth — एकत्र धन

23.5.4 विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद

अब तक आपने अनुवाद की आम समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। ये अनुवाद के आधारभूत और आवश्यक तत्व हैं। अब आपका परिचय विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद से कराया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों का तात्पर्य विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, सरकारी कार्यालयों में हो रहे अनुवाद से है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक अनुवाद और स्वतंत्र अनुवाद (अखबार के लिए अनुवाद) का भी हम परिचय प्राप्त करेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद का प्रशिक्षण इस इकाई का उद्देश्य नहीं है। पर इसकी चर्चा यहां इस कारण से की जा रही है ताकि आप लोग इस प्रकार के अनुवाद की सामान्य दिक्कतों से परिचित हो सकें।

विज्ञान और समाज विज्ञान

इस प्रकार के अनुवादों में "पारिभाषिक शब्दों" को लेकर समस्या पैदा होती है। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान, समाजशास्त्र आदि) के होते हैं तथा विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र में जिनकी अर्थसीमा निश्चित रहती है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वह यह कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं— ग्राम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट, वाट, कैलरी, लिटर, सल्फर, फॉरेनहाइट, विटामिन, ग्लूकोज आदि। हिंदी में भी काफी पारिभाषिक शब्द बन चुके हैं, जैसे भौतिकी, वाष्पीकरण, तापमापी, परावर्तक, अतिचालकता आदि। विज्ञान के विषयों में हिंदी के पारिभाषिक शब्दों को बढ़ावा देना चाहिए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। विज्ञान संबंधी अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

इसी प्रकार समाजविज्ञान के क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। विज्ञान की अपेक्षा इसमें हिन्दी के पारिभाषिक शब्द अधिक प्रचलित हैं। जैसे— Totalitarian Political system के लिए **सर्वाधिकारवादी राज्य-व्यवस्था**। कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण कर लिया जाता है, जैसे **बितानी**, **आंग्ल**, **त्रासदी**, **तकनीक**, **अकादमी** आदि। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों के मामले में मोटे तौर पर निम्न रास्ता अपनाया जाना चाहिए—

i) अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग
ii) हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और प्रचलन
iii) अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का हिंदीकरण

विज्ञान और समाजविज्ञान से संबंधित अनुवाद, अनुवाद के आधारभूत नियमों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको उस विषय और उससे संबद्ध पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हो।

साहित्यिक अनुवाद

किसी भाषा के साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक कला है। कला इसलिए कि यह अनुवाद अनुवादक से कल्पनाशक्ति और सर्जनात्मक क्षमता की अपेक्षा रखता है। इसमें भावानुवाद पर बल दिया जाता है। अनुवादक मूल लेखक के भावों, विचारों और भाषा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि मूल रचना का पूरा प्रभाव अनुवाद में बना रहता है और अनुवाद कृत्रिम भी नहीं होता है। इसके लिए दोनों भाषाओं की अच्छी पकड़ अनुवादक को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल रचना की प्रकृति और प्रस्तुति की भी अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल साहित्यिक कृति में प्रयुक्त मुहावरों, कहावतों

आदि को अपनी भाषा में ढालता है या उसके स्थान पर लक्ष्य भाषा के मुहावरों, कहावतों का इस प्रकार उपयोग करता है कि वह अनूदित भाषा में सटीक बैठ जाए। एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है—

Once upon a time in the jungles of Himachal there was a notorious dacoit. Once the dacoit went to a distant big village where he was not know and visited the house of a rich trader. The trader was celebrating the marriage of his only son with **all pomp and show.** He has invited a large number of persons. A number of well known cooks had been **engaged** and the kitchen was set up behind the cowshed.

अनुवाद :
एक समय की बात है हिमाचल के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहा करता था। एक बार वह डाकू दूर के एक बड़े गाँव में गया। वहाँ वह एक अमीर व्यापारी के घर पहुँचा। वह व्यापारी खूब **धूमधाम** से अपने इकलौते पुत्र की शादी कर रहा था। उसने काफी लोगों को आमंत्रित किया था। जाने-माने **खाना बनानेवालों को बुलाया गया** था और गोशाला के पीछे रसोईघर **बैठाया गया था**।

इस अनुवाद को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि "स्रोत भाषा" (अंग्रेज़ी) का "लक्ष्य भाषा" (हिंदी) में भावानुवाद किया गया है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है **Pomp and show** ; हिंदी में इसके लिए शब्द चुना गया **धूमधाम**।

इसी प्रकार 'Cooks had been engaged' का अनुवाद किया गया "खाना बनाने वालों को बुलाया गया"। अगर आप 'Engage' का अर्थ शब्दकोश में ढूँढेंगे तो इसके अनेक अर्थ मिलेंगे, जैसे— प्रतिज्ञा करना, वचन देना, सगाई, रखना, काम में लगाना आदि। इन अर्थों में "काम में लगाना" का उपयोग किया जा सकता था, जैसे "जाने माने खाना बनाने वालों को काम में लगाया गया था।" पर यह अनुवाद बहुत अच्छा नहीं बन पड़ा है। अतः इसका भावानुवाद किया गया— "जाने माने खाना बनाने वालों को बुलाया गया था।"

मूल भाषा या स्रोत भाषा में जो बात लेखक कहना चाहता है अनुवादक लक्ष्य भाषा में भी वही बात कहता है। इसमें वह लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान रखता है। वस्तुतः भावानुवाद साहित्यक अनुवाद का प्राण है। इसके अभाव में इस प्रकार का अनुवाद निर्जीव हो जाता है।

अभ्यास-6
There was a foolish man who was once going to his father-in-law's place. He had learn to say 'Yes' and 'No' and was told that he should not utter any other word.

The mother-in-law on seeing him said, "Are you all right?"
The fool said, 'Yes'.
She then asked, "Is my daughter well?"
The fool said, 'No'.
"Is she suffering from fever?" The mother-in-law asked.
"Yes" said the fool.
"Is she not well now?" asked the mother-in-law.
"No" said the fool.
"Is she dead" she asked.
"Yes" said the fool.

The mother-in-law started weeping loudly.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

स्वतंत्र अनुवाद

इस प्रकार का अनुवाद करना सबसे सरल होता है। अनुवादक मूल भाषा में कही बात को अपने ढंग से कहने की पूरी छूट इसमें ले सकता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ढंग से कहने के क्रम में कोई दूसरी ही बात कह दी जाए या मूल भाषा में जो कहा जा रहा है, उसका उल्टा कह दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू के व्याख्यान का हवाला देते हुए कथन के अनुवाद का नमूना आपने पढ़ा है, जिसमें अर्थ का अनर्थ हो गया है। "Referring to Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru's statement regarding Kidnapped women, Shri ... said ... का अनुवाद समाचारों में इस प्रकार आया 'प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भगाई गयी औरतों के बारे में दिए गये वक्तव्यों का हवाला देते हुए श्री ····· ने कहा ······ ।" ऐसी गलती क्षम्य नहीं है।

स्वतंत्र अनुवाद का यह मतलब नहीं है कि इसमें अनुवाद मूल से अलग होता है। इसका इतना ही तात्पर्य है कि अनुवादक मूल भाषा में कही गयी बात का शब्दशः अनुसरण न करते हुए, अपने मुहावरों और शब्दों का प्रयोग करता है।

उदाहरण:

General Zia-Ul-Haq has **ruled out** formation of a civilian Government in Pakistan in the near future.

जनरल जिया उल हक ने निकट भविष्य में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के गठन की संभावना से इंकार किया है।

इस अनुवाद पर गौर करने से पता चलता है कि अनुवादक ने काफी "स्वतंत्र" रूप में अनुवाद किया है। **'Ruled out'** के लिए **इंकार** किया का प्रयोग किया गया है। **Civilian Government** के लिए **लोकतांत्रिक सरकार** का प्रयोग किया। अनुवाद करते समय "संभावना" शब्द अलग से जोड़ा गया है, जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लीजिए अब आप कोशिश कीजिए।

अभ्यास-7

India has **urged**[1] the **United States**[2] to "reconsider its decision"[3] and grant **Palestine** liberation organization (PLO)[4] Chief Yasser Arafat a visa to enable him to attend the **UN General Assembly Debate**[6] on Palestine.

....

....

....

....

....

....

कठिन शब्दों के अर्थ:

1 अनुरोध 2 संयुक्त राज्य अमेरिका 3 फिर से विचार करना 4 फिलस्तीन मुक्ति संगठन
5 संयुक्त राष्ट्र की आमसभा 6 बहस

23.6 सारांश

हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपने इस इकाई को ध्यान से पढ़ा होगा। आपको अनुवाद के विविध पक्षों की जानकारी हो गयी होगी।

- अब आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक भाषा की बात दूसरी भाषा में कही जाती है, लेकिन इसमें केवल भाषा का बदलाव होता है, विचार और भाव ज्यों के त्यों रखे जाते हैं।
- अनुवाद करते समय अनुवादक दो प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये हैं – अर्थग्रहण और संप्रेषण। "अर्थग्रहण" में वह स्रोतभाषा में कही गयी बात को समझने की कोशिश करता है। "अर्थग्रहण" करते समय वह शब्दगत, वाक्यगत और रचनागत विशेषताओं का ध्यान रखता है। आप अब "अर्थग्रहण" करते समय मुख्य समस्याओं को पहचान सकते हैं और उन्हें व्यवहार में लाते समय ध्यान में रख सकते हैं। 'संप्रेषण' अनुवाद की दूसरी और अंतिम प्रक्रिया है। इसमें भी अनुवादक को लक्ष्य भाषा की शब्दावली और वाक्य रचना इन का ध्यान रखना पड़ता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप "संप्रेषण"

- सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अनुवाद करने के लिए एक सहारा आपको दिया है। **इसके माध्यम से** आप अपनी लगन द्वारा अनुवाद का काम अच्छी तरह निपटा सकते हैं। **अनुवाद का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त** करने के अलावा आपने अनुवाद "करना" भी सीखा। **अब आपको एक "दृष्टि" मिल गयी है, इसके** सहारे आप अनुवाद कर सकते हैं।

23.7 उपयोगी पुस्तकें

1 **अनुवाद विज्ञान,** डॉ. भोलानाथ तिवारी, शब्दकार **प्रकाशन, दिल्ली।**

2 **अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएं,** डॉ. भोलानाथ तिवारी एवं ओम् प्रकाश, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली।

3 **हिन्दी में व्यावहारिक अनुवाद**, आलोक कुमार रस्तोगी, जीवन ज्योति प्रकाशन, दिल्ली।

23.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

i) एक भाषा की बात दूसरी भाषा में उसी प्रकार उपस्थित करना अनुवाद है।

ii) क) (×) ख) (✓), ग) (×) घ) (✓)

iii) अनुवाद

बोध प्रश्न-2

i) (ख)

ii) अनुवाद कार्य के लिए अनुवादक से यह अपेक्षा होती है कि वह मूल भाषा या स्रोत भाषा में निहित विचार को ठीक से ग्रहण करे।

बोध प्रश्न-3

i) एक शब्द के स्थान पर उसी अर्थ का या उससे निकट अर्थ का दूसरा शब्द रखना "शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत" कहलाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक स्रोत भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में उसी अर्थ को बतानेवाला दूसरा शब्द रखते हैं।

ii) प्रसंग

iii) देखें 23.4.1

iv) देखें 23.4.3

अभ्यासों के उत्तर

अभ्यास-1

क) मुझे उसके आने में संदेह है।
ख) हमें संदेह है कि वह इसे स्वीकार करेगा।
ग) मुझे राम के जाने में संदेह है।
घ) मुझे संदेह है कि तुम यह कार्य कर सकते हो।
ङ) यह पुस्तक अच्छी है, इसमें मुझे संदेह है।

अभ्यास-2

क) मेरी तीन पुत्रियाँ हैं।
ख) मैंने अपनी कलम खो दी।
ग) मुझे कुछ नहीं मालूम।
घ) मैं बी.ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।
ङ) मेरे सिर में दर्द है।
च) मुझे बुखार है।
छ) मुझे दर्द है।
ज) मेरे गले में दर्द है।

अभ्यास-3

क) ट्रेन समय से आयी।
ख) मैं दिल्ली में उससे मिला।
ग) मेरी कलम टेबल पर है।

घ) वह शुक्रवार को आएगा।
ङ) वह एक साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है।
च) वह मंगलवार से यहाँ काम कर रहा है।
छ) मुझे एक कलम खरीदनी है।
ज) मैंने क्रिकेट खेलने के लिए उसे आमंत्रित किया।

अभ्यास-4

क) डॉक्टर ने संतोषजनक ढंग से रोगी का इलाज नहीं किया।
ख) विद्वान ने संतोषजनक ढंग से विषय का प्रतिपादन नहीं किया।
ग) बैंक की सूद-दर बहुत ज्यादा है।
घ) खेलकूद में उसकी रुचि नहीं है।
ङ) आइ.ए.एस. अधिकारी बनना उसका मुख्य लक्ष्य है।
च) उसका निशाना सही नहीं था; अतः वह निशानेबाजी में स्वर्णपदक नहीं प्राप्त कर सका।

अभ्यास-5

क) व्यापारिक एकाधिकार और वित्तीय साधनों पर अधिकार— दोनों उद्देश्यों की यथाशीघ्र पूर्ति हुयी। यहाँ तक कि 1750–69 के बीच बंगाल और दक्षिण भारत पराजित होकर कंपनी के राजनीतिक अधिकार में आ गये। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी।

ख) अब कंपनी को इन अधिकृत क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने का सीधा अधिकार प्राप्त हो गया था। वह स्थानीय शासकों, सामंतों और जमींदारों के पास एकत्रित धन को छीनने-खसोटने में सक्षम हो गयी।

अभ्यास-6

एक बार एक मूर्ख अपनी ससुराल जा रहा था। उसे सिखाया गया था कि वह सभी प्रश्नों का जवाब "हाँ" और "नहीं" में दे। इसके अलावा वह एक शब्द भी न बोले।

सास ने उसे देखते ही पूछा "तुम ठीक हो?"
मूर्ख ने जवाब दिया, "हाँ"।
उसने फिर पूछा "मेरी पुत्री ठीक है?"
मूर्ख ने जवाब दिया, "नहीं।"
"क्या वह बीमार है?" सास ने पूछा।
"हाँ", मूर्ख ने जवाब दिया।
"क्या अब भी वह ठीक नहीं है?" सास ने पूछा।
"नहीं", मूर्ख ने कहा।
"क्या वह मर गयी" उसने पूछा।
"हाँ" मूर्ख ने कहा।

इस पर उसकी सास जोर-जोर से रोने लगी।

अभ्यास-7

भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह फिलीस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को वीसा न देने के अपने निर्णय पर फिर से विचार करे और उन्हें वीसा दे; ताकि संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में फिलीस्तीन पर होने वाली बहस में वे हिस्सा ले सकें।

इकाई 24 संक्षेपण, भाव-पल्लवन और निबंध-लेखन

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य
24.1 प्रस्तावना
24.2 संक्षेपण
  24.2.1 संक्षेपण का महत्व
  24.2.2 संक्षेपण के गुण
  24.2.3 संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि
24.3 भाव-पल्लवन
  24.3.1 भाव-पल्लवन का महत्व
  24.3.2 भाव-पल्लवन की प्रक्रिया या विधि
24.4 निबंध-लेखन
  24.4.1 निबंध का स्वरूप और प्रकार
  24.4.2 निबंध-लेखन की प्रक्रिया
24.5 सारांश
24.6 शब्दावली
24.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
24.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

24.0 उद्देश्य

यह आधार पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई है। इस इकाई में हम संक्षेपण, भाव-पल्लवन और निबंध-लेखन की चर्चा करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- संक्षेपण एवं भाव-पल्लवन का महत्व बता सकेंगे;
- संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि समझ सकेंगे;
- किसी अनुच्छेद (पैराग्राफ) या दिये गये अंश का संक्षेपण कर सकेंगे;
- भाव-पल्लवन की प्रक्रिया समझ सकेंगे;
- किसी वाक्य या सूक्ति का भाव-पल्लवन कर सकेंगे;
- निबंध-लिखना सीख सकेंगे ; तथा
- किसी दिये गये विषय पर निबंध लिख सकेंगे।

24.1 प्रस्तावना

हिंदी के आधार-पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब तक आप हिंदी भाषा से संबद्ध विभिन्न विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। पाठ्यक्रम के इस अंतिम खंड में आपने हिंदी-भाषा में लेखन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की है और उन पक्षों पर लिखना सीख गये हैं। इसी क्रम में, इस इकाई में आप संक्षेपण, भाव-पल्लवन और निबंध-लेखन के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इन्हें लिखना सीखेंगे।

24.2 संक्षेपण

"संक्षेपण" का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ी के 'Precis Writing' के अर्थ में किया जा रहा है। संक्षेप के लिए संक्षेपीकरण, सार, सार-संक्षेप, भाव-संक्षेप आदि शब्दों का प्रयोग भी कर दिया जाता है। किसी लंबे गद्यांश, अवतरण या विवरण को सार रूप अथवा संक्षेप में प्रस्तुत करना "संक्षेपण" कहलाता है। संक्षेपण में किसी दिये गये अंश को इस प्रकार छोटा किया जाता है कि उसके सभी प्रमुख तथ्य, भाव या विचार मूल अंश के लगभग एक तिहाई शब्दों में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में संक्षेपण मूल अंश के लगभग एक-तिहाई आकार का होता है इसमें मूल अंश की प्रमुख बातें भी सार रूप में आ जाती है।

24.2.1 संक्षेपण का महत्व

भाषा के व्यवहार में संक्षेपण का बहुत महत्व है। आज के व्यस्त जीवन में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। समयाभाव के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने काम को कम-से-कम समय में कर लेना चाहता है। सच कहें तो किसी भी कुशल वक्ता, संपादक, संवाददाता, लेखक, वकील, सरकारी अधिकारी आदि का काम इसके बिना नहीं चलता। व्यावहारिक दृष्टि से सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप अपने जीवन को देखें तो पायेंगे कि आपका काम भी इसके बिना नहीं चलता। उदाहरण के लिए आप कोई नाटक देखकर लौटे हैं और आपका मित्र उसकी कहानी आपसे जानने को उत्सुक है। आप संक्षेपीकरण करते हुए तीन घंटे की कथा पन्द्रह-बीस मिनटों में कह देते हैं। संक्षेपण से श्रम और समय की बचत होती है तथा आवश्यक बातों को कम-से-कम शब्दों में प्रकट कर दिया जाता है।

24.2.2 संक्षेपण के गुण

हम देख चुके हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संक्षेपण की उपयोगिता है। कई बार हम अपने भावों या विचारों को संक्षेप में प्रकट करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम सार-रूप में अपनी बात रख दें। तब हमें अपने भावों या विचारों के अनावश्यक अंश को निकाल देना पड़ता है और मुख्य बात पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करनी पड़ती है। उस मुख्य बात को हम क्रमबद्ध रूप में रखते हैं और यह बात भी हमारे मन में रहती है कि मुख्य बात या मूल कथ्य पूरी तरह व्यक्त हो जाए— उसमें से कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। हम अपनी बात को सरल और शुद्ध भाषा में स्पष्टता के साथ रख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता तथा भाषा की सरलता और स्पष्टता संक्षेपण के मुख्य गुण हैं।

24.2.3 संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि

संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि को उदाहरणों के द्वारा समझना आपके लिए आसान होगा। आइए, इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करें। अपनी बात हम एक वाक्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने यह वाक्य है: "रमा खाने-पीने के व्यंजन बनाने में प्रतिदिन पाँच घण्टे का समय व्यतीत करती है।" यदि आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो पायेंगे कि इसमें कुछ फालतू या अनावश्यक शब्द हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से हटाया जा सकता है। "व्यंजन" खाने-पीने के ही लिए होते हैं, अतः इस वाक्य में प्रयुक्त "खाने-पीने" को हटाया जा सकता है, क्योंकि इन शब्दों का फालतू या अनावश्यक प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार "घण्टे" शब्द के आ जाने से "समय" शब्द भी अनावश्यक है। कारण यह है कि जो बात "घण्टे" से व्यक्त हो रही है वही "समय" से भी हो रही है— और जब किसी एक ही बात को दुबारा कहा जाता है तो उसे 'पुनरुक्ति' या पुनरावृत्ति कहते हैं। संक्षेपण करते समय अनावश्यक और पुनरावृत्त शब्दों या भावों को हटा दिया जाता है। पुनरुक्ति में प्रयुक्त दो शब्दों में से केवल एक को रखना ही काफ़ी होता है। अब आप संक्षेपण के द्वारा उपरिलिखित वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं— "रमा व्यंजन बनाने में प्रतिदिन पाँच घण्टे व्यतीत करती है।" आप देख सकते हैं कि संक्षेपण से वाक्य सुगठित और सुन्दर हो गया है।

आइए, अब कुछ और लंबे वाक्यों को देखें और उनका संक्षेपण करें।
मान लीजिए आपके सामने यह वाक्य है:

> "मैंने तुम्हें खोजने के लिए बीहड़ वन, घने जंगल, पर्वत, कन्दराएँ, गिरि-अंचल, नगर, ग्राम, देश, परदेश सभी की खाक छानी, सभी जगह तुम्हें खोजा, पर निराशा ही हाथ लगी।"

इस वाक्य में जो बात "सभी-जगह" के द्वारा कही गयी है, उसी का वर्णन "बीहड़ वन, घने जंगल, पर्वत, कन्दराएं, गिरि-अंचल, नगर, ग्राम, देश, परदेश" के द्वारा किया गया है। लेखन में भावों को प्रभावपूर्ण बनाने में इस शैली का अपना महत्व है, पर संक्षेपण करते समय इस प्रकार के वर्णनात्मक विवरणों या ब्यौरों को छोड़ा जा सकता है। संक्षेपण के इस नियम को ध्यान में रखकर आप उपरिलिखित वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं: "मैंने तुम्हें सब जगह खोजा, पर निराशा ही हाथ लगी।" वास्तव में यह उक्त वाक्य का संक्षेपण है।

संक्षेपण करते समय कई बार वाक्यों का रूप बदलना पड़ता है— व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य-गठन में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। लंबे-लंबे मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल लेना संक्षेपण की दृष्टि से उपयोगी है। उदाहरण के लिए आप इस वाक्य को देखिए: "अणु में वह शक्ति है, जिससे मानवता का कल्याण और सर्वनाश दोनों संभव है।" यदि आप इसे साधारण वाक्य में बदल दें तो इसकी शब्द-संख्या कम हो जाएगी और इसका यह रूप हो जाएगा: "आणविक शक्ति से मानवता का कल्याण और सर्वनाश संभव है।"

कुछ वाक्य उपवाक्यों या वाक्य-खंडों के योग से बने होते हैं। संक्षेपण करते समय इन उपवाक्यों या वाक्य-खंडों को छोड़ कर वाक्यों को संक्षिप्त करना पड़ता है। जैसे यह वाक्य देखिए: "यह वही महाविद्यालय है जिसका शताब्दी-समारोह गत वर्ष मनाया गया था।" इसे आप यह रूप दे सकते हैं— "गत वर्ष इसी महाविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया गया था।"

संक्षेपण करते समय केवल मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को ही नहीं, कभी-कभी छोटे-छोटे साधारण वाक्यों को भी बदलना पड़ता है। कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना लेने से उनकी शब्द-संख्या कम

हो जाता है। मान लीजिए आपके सामने यह अंश है: "चन्द एक कुशल कवि थे। वे एक महान् योद्धा तथा तपस्वी साधक भी थे। चन्द ने पृथ्वीराज रासो की रचना की।" इस अंश को आप इस रूप में लिख सकते हैं: "पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द एक कुशल कवि, महान् योद्धा तथा तपस्वी साधक थे।"

संक्षेपण के विषय में एक अन्य जानने योग्य बात यह है कि यह हमेशा परोक्ष कथन में होता है अर्थात् संक्षेपण करते समय अन्य पुरुष का प्रयोग होता है— उत्तम या मध्यम पुरुष का नहीं। इसके अतिरिक्त संवादात्मक कथनों का संक्षेपण करते समय उन्हें परोक्ष कथनों में बदलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप निम्नलिखित अंश को देखिए:

> स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन प्रार्थना करते हुए जगदम्बा से कहा, "हे जगन्माता! मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न किसी शास्त्र का ज्ञान। मैं तो तेरी संतानों में परम मूर्ख ही हूँ। अब यही प्रार्थना है कि तू कृपा करके सभी धर्मों तथा सभी शास्त्रों का सारतत्त्व मुझे समझा दे।"

आप देखते हैं कि यह अंश उत्तम पुरुष में है। इस अंश में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विनम्रता और निरभिमानता (अहंकारहीनता) की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इस अंश का संक्षेपण आप इन शब्दों में कर सकते हैं:

स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विनम्र और अहंकार रहित शब्दों में जगदम्बा से प्रार्थना की कि वह उन्हें सब धर्मों और सब शास्त्रों का सार समझा दे।

इस उदाहरण में आप देखते हैं कि मूल अंश के शब्दों का कम-से-कम प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में संक्षेपण करने का प्रयास किया गया है। संक्षेपणकर्ता को चाहिए कि वह अपने शब्दों में संक्षेपण करे और मूल अंश से केवल उन्हीं शब्दों को ले जिन्हें छोड़ना उसके लिए संभव न हो।

अब तक आपने वाक्यों के संक्षेपण की प्रक्रिया या विधि सीखी है। इस विधि का प्रयोग कर आप किसी अनुच्छेद या पैराग्राफ़ का संक्षेपण भी कर सकते हैं, पर अनुच्छेद के संक्षेपण में कुछ और बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। फिलहाल आप निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए—

> मेहता ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा— "देवियों! मैं यह बिलकुल नहीं मानता कि स्त्री और पुरुष में कोई विभिन्नता है। इनमें जो समान शक्तियाँ, समान प्रवृत्तियाँ हैं उनका वर्णन करने के लिए मेरा एक मुख काफी नहीं है। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अँधेरे से। मैं कहता हूँ सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ।"

यह अनुच्छेद मेहता (प्रेमचन्द के उपन्यास "गोदान" का एक पात्र) के भाषण का एक अंश है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब कोई वक्ता व्याख्यान देता है तो श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए वह सामान्य बोलचाल से भिन्न शब्दावली का प्रयोग करता है। अपने भाषण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कभी वह अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है तो कभी लफ्फाजी अथवा वाग्जाल का सहारा लेता है। ऐसे अंशों का संक्षेपण करने के लिए उन्हें दो-तीन बार पढ़ लेना चाहिए। यों भी संक्षेपण का यह नियम है कि जिस अंश का संक्षेपण करना हो, उसे दो-तीन बार पढ़ लिया जाए ताकि उसके मुख्य विचार या भाव समझ में आ जाएँ। पढ़ने के बाद मूल बात (कथ्य) को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। संक्षेपण करते समय दृष्टि मूल कथ्य पर टिकी रहनी चाहिए। आलंकारिक प्रयोगों, उदाहरणों तथा कम महत्व के विचारों को छोड़ देना चाहिए तथा सरल भाषा में संक्षेपण करना चाहिए। संक्षेपण करने के लिए मुख्य बातों को क्रम से लिख लेना या एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना लेना भी उपयोगी रहता है। मुहावरों, कहावतों या कुछ शब्द-समूहों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले किसी एक शब्द का प्रयोग भी संक्षेपण में उपयोगी हो सकता है।

अब आप मेहता के भाषण के उक्त अंश को देखिए। आप देखेंगे कि उक्त अंश की भाषा अलंकृत है। "मेरा एक मुख काफी नहीं है" "स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अँधेरे से" आदि कथनों की भाषा आलंकारिक है। वक्ता ने वाग्जाल अथवा लफ्फाजी का भी सहारा लिया है और अपनी बात को बढ़ा-चढ़ाकर लाग-लपेट के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, भाषण के पहले वाक्य को देखा जा सकता है। संक्षेपण करते समय अलंकृत भाषा और वाग्जाल (लफ्फाजी) से बचना होता है। इस अंश का संक्षेपण करने के पूर्व इसके मुख्य बिंदुओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है—

> मेहता का भाषण .... स्त्री पुरुष की शक्तियों, प्रवृत्तियों में समानता ...... त्याग के कारण नारी श्रेष्ठ।

इस रूपरेखा के आधार पर विवेच्य अंश का संक्षेपण आप इस प्रकार कर सकते हैं:

> अपने भाषण में मेहता ने शक्तियों-प्रवृत्तियों की दृष्टि से तो स्त्री-पुरुषों को समान बताया, किन्तु त्याग के कारण उसे पुरुष से श्रेष्ठ बताया।

इस प्रकार आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संक्षेपण में आलंकारिक शब्दावली और वाग्जाल के स्थान पर तथ्यात्मक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।

बोध प्रश्न — 1

"संक्षेपण" का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक वाक्य में लिखिए।

....

....

2 संक्षेपण का आशय तीन पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

3 संक्षेपण के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए।

....

....

अभ्यास –

1 निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अनावश्यक शब्दों को रेखांकित कीजिए:

श्यामू पहनने-ओढ़ने के कपड़े इधर से उधर और उधर से इधर रखने में प्रतिदिन तीन-चार घंटे का समय नष्ट करता है।

2 निम्नलिखित वाक्य का संक्षेपण कीजिए:

"महारानी को गहरी ठेस लगी, उसका दर्प चूर-चूर हो गया, हृदय टूट गया, स्वप्न भंग हो गया, आशाओं पर तुषारापात हो गया, सारे अरमान झुलस गये, वह व्यथा से तिलमिला उठी, अपमान से जल उठी, तिरस्कार से क्षुब्ध हो गयी।"

3 संक्षेपण की दृष्टि से निम्नलिखित गद्यांश की रूपरेखा बनाइए:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अत्यंत प्राचीन काल से मनुष्य और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध चला आ रहा है। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। मनुष्य के बिना समाज नहीं है और समाज के बिना मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। विचारणीय यह है कि मनुष्य बड़ा है या समाज? मनुष्य के लिए समाज बना है या समाज की रक्षा के लिए मनुष्य को सर्वस्व त्याग देना चाहिए? किसी समय समाज को अधिक महत्व दिया गया तो कभी इस विचार ने जोर पकड़ा कि समाज की रचना अन्ततः मनुष्य के लिए ही तो हुई है।

4 निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण लगभग एक-तिहाई शब्दों में कीजिए:

कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए शब्दों को यथा-स्थान रखने की बहुत आवश्यकता है। किसी मनोविकार या दृश्य के वर्णन में ढूँढ-ढूँढकर ऐसे शब्द रखने चाहिए जो सुनने वालों की आँखों के सामने वर्णित विषय का एक चित्र-सा खींच दे। मनोभाव चाहे कैसा ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे तदनुकूल शब्दों में प्रकट नहीं किया जाएगा तो उसका प्रभाव जाता रहेगा। इसलिए कवि को चाहिए कि वह शब्दों को विषयानुकूल चुनकर इस क्रम से रखे जिससे उसके मन का भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए।

24.3 भाव-पल्लवन

आप "संक्षेपण" के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि "संक्षेपण" में किसी विस्तृत अंश को संक्षिप्त अथवा छोटा किया जाता है।"भाव-पल्लवन" संक्षेपण का ठीक उलटा है। "पल्लवन" का शाब्दिक अर्थ है "विस्तार करना"। अतः "भाव-पल्लवन" का अर्थ है किसी सूत्र-वाक्य, उक्ति, सूक्ति, कहावत, काव्य-पंक्ति आदि में छिपे भावों को विस्तारपूर्वक उजागर करना। इस शब्द के लिए अंग्रेजी में "एम्पलिफिकेशन" (Amplificaion), "एक्सपेंशन" (Expansion) आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

24.3.1 भाव-पल्लवन का महत्व

बोलने-लिखने में भाव-पल्लवन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य से सामान्य वाक्यों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपने कहा— "वह रोया"। केवल इतना कहने से आपकी बात स्पष्ट नहीं होती। श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है कि वह क्यों रोया? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको उपरिलिखित वाक्य का विस्तार अथवा पल्लवन करना पड़ता है और आप कहते हैं — "वह खिलौने के लिए रोया।" इस प्रकार आप देखते हैं कि सामान्य से सामान्य वाक्य में भी वस्तु अथवा भाव के विस्तार की अपेक्षा रहती है। कभी-कभी आप कथ्य को अलंकृत अथवा सुंदर रूप में पेश करने के लिए वाक्यों में पल्लवन की जरूरत महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि "वह भागा" तो इससे आपको संतोष नहीं होगा। इस वाक्य का पल्लवन करते हुए आप रोचक और सुंदर रूप में इस प्रकार कहना चाहेंगे— "वह हिरन की तरह भागा"। इस प्रकार पल्लवन के मूल में वस्तु अथवा भाव के विस्तार अथवा अलंकार की प्रवृत्ति काम करती है।

RIL-002

हम यह भी देखते हैं कि कम शब्दों या एक वाक्य में कहे या लिखे गये भावों और विचारों को हर आदमी आसानी से नहीं समझ पाता। हमारे सामने कभी-कभी कुछ ऐसे सुगठित वाक्य भी आ जाते हैं कि यदि उनका विस्तार न किया जाए तो वे हमारी समझ से बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में विचार या भाव के तार-तार को अलग कर समझाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी हजारों सूक्तियाँ हो सकती हैं कि जिन का अर्थ विस्तार किये बिना उनका पूरा भाव हमारे पल्ले न पड़े। आवश्यक तो कक्षाओं में अर्थ-विस्तार के द्वारा विषय को स्पष्ट करते ही हैं, माँ-बाप को भी अपने बच्चों के प्रश्नों या जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए प्रायः इसका सहारा लेना पड़ता है। और हम सब भी इसका अपवाद नहीं हैं। जीवन में कभी-न-कभी ऐसी स्थिति अवश्य आ जाती है जब किसी के वाक्य को सुनकर हम कह उठते हैं— "मैं आपका मतलब समझा नहीं, ज़रा खोल कर बताओ।" इस कथन से पल्लवन की उपयोगिता प्रकट होती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भाव-पल्लवन में व्याख्या-विवेचन की जरूरत होती है।

24.3.2 भाव-पल्लवन की प्रक्रिया या विधि

भाव-पल्लवन की प्रकिया या विधि को उदाहरणों के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर कुछ वाक्यों के उदाहरण आप देख चुके हैं। उन उदाहरणों में आपने देखा था कि वस्तु या भाव के विस्तार तथा अलंकरण के द्वारा उन वाक्यों का कुछ पल्लवन हो गया था। अब कुछ और उदाहरण देखिए।

मान लीजिए कि आपको "देशप्रेम" शीर्षक का पल्लवन करना है। आप इसके विषय में सोचिए और इस विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना लीजिए। आप सोचिए कि किन-किन बिंदुओं का विस्तार किया जा सकता है। सोचने पर आप यह संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना सकते हैं।

> देश-प्रेम का अर्थ— देश से प्रेम, देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होना, आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए मर मिटना ...... कुछ देश-प्रेमियों के उदाहरण ...... देश-प्रेम के संबंध में कवियों की उक्तियाँ।

पल्लवन के लिए बहुत बड़ी रूपरेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निबंध नहीं है। यों जिस विषय का पल्लवन किया जाता है, उस पर निबंध भी लिखा जा सकता है। पल्लवन निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त होता है। यह प्रायः एक-दो अनुच्छेद का होता है। इसलिए इसमें चिन्तन के दो-तीन बिंदु लेकर उनका क्रमिक विकास किया जाता है। जैसे 'देश-प्रेम' का पल्लवन करते समय उसके अर्थ के विषय में जो विभिन्न विचार आपके मन में उठें, उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिख लीजिए, फिर कुछ देश-प्रेमियों के उदाहरण दीजिए और अंत में देश-प्रेम के महत्व को स्पष्ट करते हुए किसी कवि की उक्ति से इसे समाप्त कीजिए। पल्लवन कवि की उक्ति से समाप्त किया जाए, यह आवश्यक नहीं है, पर पल्लवन करते समय यदि आप किसी कवि की उक्ति या किसी महान् लेखक के उद्धरण का उपयोग कर सकें तो यह सोने पर सुहागे वाली बात होगी। ऊपर बताये गये नियमों का प्रयोग करते हुए आप 'देश-प्रेम' का पल्लवन (अपनी बनायी रूपरेखा के आधार पर) कुछ इस प्रकार कर सकते हैं—

> देश-प्रेम का सामान्य अर्थ है देश से प्रेम करना। देश से प्रेम करना प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कर्त्तव्य है। देश की उन्नति के लिए हर संभव प्रयत्न करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और देश को शत्रुओं के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयत्न करना— देश-प्रेम के ही विभिन्न रूप हैं। सच्चा देश-प्रेमी जन्मभूमि से जननी के समान प्रेम करता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान् है—'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए मर-मिटना देश-प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसे वीरों को युग-युगों तक याद किया जाता है। चन्द्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू जैसे देश-प्रेमी कभी मर नहीं सकते। जिनके हृदय में देश-प्रेम का भाव है, वे धन्य हैं और जो इस भाव से रहित हैं, वे हृदयहीन हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—
>
> जो भरा नहीं है, भावों से बहती जिसमें रस-धार नहीं।
> वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं॥

इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पल्लवन करते समय पल्लवन के लिए दिये गये शब्द, वाक्य, सूक्ति, कहावत आदि के भीतर निहित मूल भाव को समझना आवश्यक है। मूल भाव या विचार को समझ लेने के बाद उसके विभिन्न बिंदुओं को क्रम से लिखते चले जाते हैं। आवश्यक होने पर कथन की पुष्टि उदाहरणों, काव्यांशों अथवा उद्धरणों से करते चलते हैं।

पल्लवन छोटे-छोटे वाक्यों और सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इसमें न तो आलंकारिक वाक्यों या अनावश्यक विस्तार की गुंजाइश होती है और न टीका-टिप्पणी या आलोचना की ही। पल्लवन उत्तम या मध्यम पुरुष में न होकर अन्य पुरुष में ही होता है अर्थात् इसमें न तो "मैं", "तुम" शैली का प्रयोग होता है और न संवाद-शैली का ही।

उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ आपने 'देश-प्रेम' का पल्लवन किया है, उसी प्रकार किसी सूक्ति, काव्य-पंक्ति, लोकोक्ति आदि का पल्लवन भी आप कर सकते हैं।

बोध प्रश्न – 2

1 पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक वाक्य में लिखिए।

....

2 भाव-पल्लवन के मूल में काम करने वाली प्रवृत्तियों के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिये जा रहे हैं। इनमें से सही कथनों के सामने (✓) का चिह्न लगाइए।

i) भाव-पल्लवन के मूल में संक्षेप की प्रवृत्ति काम करती है। ☐

ii) भाव-पल्लवन के मूल में वस्तु अथवा भाव के विस्तार की प्रवृत्ति काम करती है। ☐

iii) भाव-पल्लवन के मूल में रोष की प्रवृत्ति रहती है। ☐

iv) भाव-पल्लवन के मूल में अलंकरण की प्रवृत्ति रहती है। ☐

3 दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्द-प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

i) भाव-पल्लवन संक्षेपण का .... है। (समानार्थी/विपरीतार्थी)

ii) भाव-पल्लवन में किसी सूत्र-वाक्य, उक्ति, सूक्ति, कहावत या काव्य-पंक्ति में छिपे अर्थ को .... उजागर करते हैं। (विस्तारपूर्वक/संक्षेप में)

अभ्यास – 2

1 "पुस्तकालय" विषय के पल्लवन के लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कीजिए।

....

....

....

....

....

2 निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर "का बरखा जब कृषि सुखानी" का भाव-पल्लवन कीजिए:
प्रत्येक कार्य के करने का कोई-न-कोई उद्देश्य ... उद्देश्य-प्राप्ति के लिए कार्य का समय पर किया जाना आवश्यक .... समय पर चूक जाने पर पछताना पड़ता है .... अपने कथन की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण .... सफलता के लिए समय की पहचान और क्रिया आवश्यक।

3 वस्तु अथवा भाव का विस्तार करते हुए, 20–30 शब्दों में अपूर्ण वाक्यों का पल्लवन कीजिए:

i) वह वसंत ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कण-कण ....

....

....

....

ii) आत्म-निर्भरता एक ऐसा गुण है कि इसके द्वारा

....

....

....

iii) विपत्ति मित्रों की कसौटी है। विपत्ति के क्षणों में ही सच्चे मित्रों की

....

....

....

4 भक्त ने भगवान को सब जगह ढूंढा और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वह दीन-दुखियों की सेवा में है— इस वाक्य में प्रयुक्त "सब जगह" का तीन पंक्तियों में पल्लवन कीजिए।

....

....

....

5 "थोथा चना बाजे घना" का भाव-पल्लवन कीजिए।

....

....

....

....

....

24.4 निबंध-लेखन

इस पाठ्यक्रम के प्रथम खंड की पाँचवीं इकाई में आप निबंध-रचना के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप संक्षेपण और पल्लवन का भी अभ्यास कर चुके हैं। अब आप निबंध-लेखन की प्रक्रिया समझेंगे और निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे।

24.4.1 निबंध का स्वरूप और प्रकार

निबंध किसी एक विषय पर लिखी गयी लघु आकार की रचना होती है। इसमें क्रमबद्धता रहती है तथा विषय से सम्बद्ध विभिन्न बिंदुओं का विस्तार किया जाता है। विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में चिंतन के जो भी बिंदु हो सकते हैं उन पर सधी हुई भाषा में निबंध-लेखक विचार करता है। निबंध-लेखन की शैली निजी होती है तथा इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किसी-न-किसी रूप में आ ही जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निबंध में निजता की छाप होती है।

मुख्य रूप से निबंध के दो प्रकार स्वीकार किये गये हैं: (1) विषय-प्रधान अथवा विचारात्मक निबंध तथा (2) विषयी प्रधान अथवा भावात्मक या ललित निबंध। विषय-प्रधान निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है और विषयी या भावप्रधान निबंधों में भावों की। यहाँ 'प्रधान' शब्द ध्यान देने योग्य है। कोई भी निबंधकार न तो केवल विचारों के आधार पर निबंध की रचना करता है और न केवल भावों के आधार पर ही। वह विचारों और भावों को एक साथ लेकर चलता है, पर कभी उसके लेखन में विचारों की प्रधानता हो जाती है और कभी भावों की। जब निबंध में चिन्तन या विचारों की प्रधानता रहती है तो उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में क्रमबद्ध चिन्तन के द्वारा निबंधकार पाठकों तक अपनी बात पहुँचाता है। भावात्मक या ललित निबंधों में हृदय के आवेग या भावों की प्रधानता होती है। लेखक भावावेग में बह जाता है और पाठक के साथ निजता स्थापित कर लेता है। इस प्रकार के लेखन में कई बार विचारों की क्रमबद्धता की भी चिन्ता नहीं की जाती। निबंधकार अपने पूर्वज्ञान का उपयोग करते हुए बीच-बीच में अन्य जानकारियाँ भी देता चलता है और प्राचीन साहित्य के उद्धरण भी। वह भावना के प्रवाह में बह जाता है और उसे जो बात कौंधती जाती है, उसका समावेश वह अपने निबंध में करता जाता है। इस प्रकार के निबंध सभी व्यक्ति नहीं लिख पाते— कोई कवि-हृदय ही इस प्रकार के निबंधों में सफलता प्राप्त करता है।

जहाँ तक सामान्य कोटि के विचारात्मक निबंधों का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति थोड़े-से प्रयत्न और अभ्यास से इस कोटि के निबंधों की रचना कर सकता है। इस प्रकार के निबंधों में सोच-समझ की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंधों में क्रमबद्धता का ध्यान रख कर केन्द्र-बिंदु का विस्तार किया जाता है। ऐसे निबंधों के लेखन में विषय से सम्बद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी उपयोगी सिद्ध होता है।

यहाँ हम अपनी दृष्टि विचारात्मक निबंधों तक सीमित रखेंगे और इस प्रकार के निबंधों की लेखन-प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर उनके लिखने का अभ्यास करेंगे।

24.4.2 निबंध-लेखन की प्रक्रिया

आप समझ चुके हैं कि निबंध पर निबंध-लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है और हर निबंध-लेखक अपने ढंग से निबंध लिख सकता है, अत:इसके लेखन की विधि को नियमों की चार दीवारी में पूरी तरह नहीं बाँधा जा सकता। फिर भी, आपकी सुविधा के लिए इसकी प्रक्रिया को संक्षेप में समझाया जा रहा है।

निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विषय अनन्त हो सकते हैं और इनमें से कोई भी विषय चुनने के लिए निबंध-लेखक स्वतंत्र है। निबंध लिखने के लिए आत्म-विश्वास का होना जरूरी है— आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप स्वयं निबंध लिख सकते हैं। आपको अपनी योग्यता और विचार-शक्ति पर भरोसा होना चाहिए— तभी आप अच्छा निबंध लिख सकेंगे। आप जीवन में जो कुछ देखते हैं या आपके जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं, उनमें से किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं।

निबंध लिखने के पूर्व यदि उसकी एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना ली जाए तो उससे निबंध-लेखन में सुविधा रहती है। किसी भी निबंध के तीन भाग होते हैं— (1) भूमिका (2) मध्य भाग अर्थात् केन्द्र का विस्तार और

(3) उपसंहार। रूपरेखा बनाते समय निबंध के मुख्य भाग अर्थात् केन्द्र के विस्तार के अनेक बिंदु हो सकते हैं। विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में जितने भी चिन्तन-बिंदु हो सकते हों, रूपरेखा बनाते समय उन्हें अलग-अलग लिख लेना चाहिए और लेखन के समय प्रत्येक बिंदु का विस्तार करना चाहिए।

आइए, अब एक उदाहरण के द्वारा निबंध-लेखन की प्रक्रिया को समझें। संभवत: आप प्रतिदिन दूरदर्शन देखते होंगे। यदि आप प्रतिदिन दूरदर्शन न भी देखते हों, तो भी कभी-न-कभी आपने दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम अवश्य देखे होंगे। मान लीजिए आपको 'भारत में दूरदर्शन का महत्व' विषय पर निबंध लिखना है। सबसे पहले आप इसकी रूपरेखा बना लीजिए। भूमिका और उपसंहार के बीच में निबंध का मुख्य भाग है, जिसके विभिन्न पहलुओं को आप रूपरेखा में रखेंगे। चिन्तन या विचार करने पर आपके मस्तिष्क में तुरंत यह बात कौंधती है कि इसमें दूरदर्शन के लाभों की चर्चा होनी चाहिए। दूरदर्शन का पहला महत्व मनोरंजन की दृष्टि से है, फिर ज्ञानवर्द्धन की दृष्टि से। शिक्षा के प्रचार-प्रसार, सरकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार, व्यापार-वृद्धि में सहायता आदि की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इन सब बिंदुओं का उल्लेख निश्चय ही आप अपनी रूपरेखा में करना चाहेंगे। इन विचार-बिंदुओं के कुछ उपबिंदु भी हो सकते हैं। मसलन ज्ञानवर्द्धन की दृष्टि से दूरदर्शन के लाभों की चर्चा करते समय आप प्रमुख घटनाओं, महापुरुषों, पशु-पक्षियों, वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रश्नमंचों आदि की चर्चा करना चाहेंगे। लाभों के साथ आप इसकी हानियों पर भी इस बिंदु में विचार करना चाहेंगे। लीजिए 'भारत में दूरदर्शन का महत्व' की रूपरेखा तैयार हो गयी। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं:

भारत में दूरदर्शन का महत्व
रूपरेखा

1 भूमिका

2 दूरदर्शन का महत्व
   i) मनोरंजन की दृष्टि से
   ii) ज्ञानवर्द्धन की दृष्टि से—प्रमुख घटनाओं की जानकारी, पशु-पक्षी जगत, अंतरिक्ष, सागर आदि के अज्ञात रहस्यों की जानकारी, विज्ञान-विषयक जानकारी, प्रश्नावली, प्रश्न-मंच आदि के द्वारा ज्ञानवर्द्धन।
   iii) शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से
   iv) शासकीय नीतियों के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से
   v) व्यापारिक दृष्टि से

3 दूरदर्शन की सीमाएँ
4 उपसंहार

इस रूपरेखा से स्पष्ट है कि निबंध का मुख्य भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें केन्द्र-बिंदु का अनेक दृष्टियों से विस्तार किया जाता है। पल्लवन का उपयोग करते हुए आप इन चिन्तन-बिन्दुओं का सहज ही विस्तार कर सकते हैं।

सबसे पहले आपको विषय की भूमिका लिखनी है। भूमिका-लेखन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। कुछ निबंधकार भूमिका का प्रारंभ काव्यात्मक पंक्तियों से करते हैं तो कुछ प्रारंभ में विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में, निबंध का प्रारंभ आकर्षक ढंग से होना चाहिए, क्योंकि आकर्षक प्रारंभ पाठक को निबंध पढ़ने के लिए विवश करेगा।

आप "भारत में दूरदर्शन का महत्व" की भूमिका लिखते समय वर्तमान काल में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे दूरदर्शन से जोड़ सकते हैं। इस विषय की भूमिका यों तो हर लेखक अपने ढंग से लिख सकता है, पर इसका एक रूप यह हो सकता है:

> आज विज्ञान का युग है। चारों ओर वैज्ञानिक आविष्कारों की दुंदुभी बज रही है। विज्ञान ने जहाँ समय और दूरी पर विजय पायी है, वहाँ मनुष्य के जीवन को सुख-सुविधा-सम्पन्न भी बनाया है। जन-जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, जहाँ विज्ञान ने प्रवेश न किया हो। आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य के पास मनोरंजन के लिए भी समय नहीं है। उसे ऐसे साधन की आवश्यकता थी जो घर बैठे उसका मनोरंजन कर सके। दूरदर्शन के आविष्कार से विज्ञान ने मनुष्य की इसी आवश्यकता की पूर्ति की है।

इस प्रकार 'भूमिका' सीधे-सीधे मुख्य विषय से जुड़ती है। ऐसी भूमिका का कोई अर्थ नहीं जो अनावश्यक बातों में उलझ कर रह जाए और मुख्य विषय से बहुत दूर तक न जुड़े।

भूमिका के बाद निबंध के मुख्य भाग का लेखन करना होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, निबंध के इस भाग में केन्द्र का विस्तार करना होता है। केन्द्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न चिन्तन-बिंदुओं पर, उनके महत्व के अनुसार एक या दो अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि इन अनुच्छेदों में व्यक्त विचार तर्कसम्मत और स्वाभाविक हों तथा उनका क्रमबद्ध विकास हुआ हो। चूँकि यह निबंध का मुख्य भाग है, अत: वहाँ विषय के विभिन्न पहलुओं के पल्लवन की आवश्यकता होती है। महत्व के अनुसार जो बात पहले आनी चाहिए, उसे पहले लिखना चाहिए। निबंध के इस भाग में विषय के पक्ष में पड़ने वाले तर्क पहले लिख देने चाहिए। विषय के विपक्षी तर्कों की चर्चा भी अन्त में तर्कसम्मत ढंग से कर देनी चाहिए।

अब आप जो निबंध लिख रहे थे, उसके मध्य भाग के एक-दो बिंदुओं पर विचार कर लीजिए। मान लीजिए आप "मनोरंजन" की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व को रेखांकित करना चाहते हैं। आप लिख सकते हैं:

> दूरदर्शन मनोरंजन का सस्ता, और सशक्त साधन है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में मनोरंजन का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रतिदिन कुछ कार्यक्रम ऐसे अवश्य होते हैं जो जनता के मन को मोह लेते हैं और जिनका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रति सप्ताह हिन्दी फीचर फिल्म, प्रादेशिक फिल्म, चित्रहार चित्रमाला, नाटक, प्रहसन आदि के जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जाते हैं उनके द्वारा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है। मनोरंजन की दृष्टि से प्रदर्शित अनेक कार्यक्रम केवल मनोरंजक ही नहीं, शिक्षाप्रद भी होते हैं। मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्द्धन, सूचना और शिक्षा दूरदर्शन की विशेषताएँ हैं। इन दिनों धारावाहिक रूप से प्रदर्शित "महाभारत" और "रामायण" का उपर्युक्त दृष्टि से विशेष महत्व है।

आपने देखा कि किस प्रकार भूमिका से चिन्तन के अगले बिंदु को जोड़कर निबंध का विकास किया गया है। इसी प्रकार, चिन्तन-बिन्दुओं को जोड़ कर, उन्हें सिलसिलेवार लिखकर आप निबंध के मध्य या मुख्य भाग को पूरा कर सकते हैं। ऊपर हमने मनोरंजन की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला है और अनुच्छेद के अंत में ज्ञानवर्द्धन और शिक्षा की चर्चा भी कर दी है। अब आप शेष विचार-बिंदुओं का इस प्रकार पल्लवन कीजिए कि न तो क्रम भंग हो और न चिन्तन के प्रवाह में कोई बाधा ही पड़े।

निबंध का अंत आकर्षक ढंग से होना चाहिए। उपसंहार का अनुच्छेद मुख्य विषय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे इस प्रकार लिखना चाहिए कि उसके बाद कुछ और लिखने की आवश्यकता न रह जाए। प्रत्येक निबंधकार की अपनी शैली होती है, अतः निबंध की समाप्ति का ढंग भी निजी होता है। कुछ निबंध-लेखक किसी उद्धरण से निबंध की समाप्ति करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो कुछ किसी सुझाव-वाक्य से। कुछ अन्य चेतावनी-वाक्य या महत्व से। कभी-कभी निबंध का अंत कुछ प्रश्न-वाक्यों और उनके संक्षिप्त उत्तर से भी कर दिया जाता है। आप इनमें से किसी भी प्रकार निबंध का उपसंहार क्यों न करें, वह ऐसा अवश्य हो कि उससे उसके सौन्दर्य को बढ़ावा मिले। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने विषय अर्थात् "दूरदर्शन का महत्व" का उपसंहार इस प्रकार कर सकते हैं:

> दूरदर्शन निश्चय ही मनोरंजन और शिक्षा का सशक्त माध्यम है। किसी सिद्धांत अथवा विचार-धारा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर मूल प्रश्न यह है कि भारत जैसे निर्धन और विकासशील देश में वास्तव में इसकी कितनी उपयोगिता है? क्या इस देश के निर्धन ग्रामीण इसे खरीदने की स्थिति में हैं? यदि नहीं, तो इसका लाभ उन्हें कैसे मिलेगा? जब तक इन प्रश्नों का तर्कसंगत, व्यावहारिक समाधान नहीं ढूँढ लिया जाता, तब तक इस देश में दूरदर्शन का लाभ एक सीमित वर्ग को ही मिल सकेगा और यहीं इसके महत्व पर एक प्रश्न-चिह्न लग जाएगा।

आप देख चुके हैं कि निबंध-लेखन में अपने विचारों का क्रमिक विकास करते हुए उपसंहार तक पहुँचा जाता है और इसी के साथ निबंध समाप्त हो जाता है। निबंध की समाप्ति के बाद उसे एक बार फिर पढ़ लेना उपयोगी रहता है। इससे उसमें रह जाने वाली भूलों को सुधारा जा सकता है।

बोध प्रश्न 3

1 दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

i) निबंध किसी एक विषय पर लिखी गयी .... आकार की रचना होती है। (लघु/बृहद्)

ii) निबंध में विषय से सम्बद्ध विभिन्न बिंदुओं का .... किया जाता है। (संकोच/विस्तार)

iii) निबंध में लेखक .... भाषा में विचार व्यक्त करता है। (बँधी/सधी)

iv) निबंध-लेखक की शैली .... होती है। (निजी/परायी)

2 निबंध के मुख्य दो प्रकार कौन-कौन से हैं?

....

....

अभ्यास 3

1 "साहित्य और समाज" शीर्षक निबंध की रूपरेखा बनाइए।

....

....

....

....

....

....

'राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व' शीर्षक निबंध की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तैयार कीजिए:
राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक .... राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक .... राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक .... राष्ट्रीय उन्नति का मूलाधार।

'विद्यार्थी और अनुशासनहीनता' शीर्षक निबंध के अनेक चिन्तन-बिंदु हो सकते हैं। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के अनेक कारणों में से एक है— अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए राजनेताओं द्वारा छात्र-वर्ग का दुरुपयोग। आप इस चिन्तन-बिंदु का पल्लवन कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

मान लीजिए आपने 'दहेज-प्रथा' विषय पर एक निबंध लगभग लिख लिया है। भूमिका-लेखन के अतिरिक्त इसके केन्द्रबिंदु का विस्तार करते हुए आप इस समस्या के सामाजिक-आर्थिक कारणों की चर्चा भी कर चुके हैं। केवल "उपसंहार" लिखने का कार्य शेष है। आप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में इस विषय का 'उपसंहार' कीजिए—

जन-जागरण .... युवक-युवतियों के मनोभावों में परिवर्तन .... संस्कृति-सभ्यता और देश के गौरव से जुड़ा प्रश्न।

निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों का निबंध लिखिए:

i) साहित्य की उपयोगिता
ii) शिक्षा का माध्यम: मातृभाषा
iii) साम्प्रदायिकता: एक अभिशाप
iv) नौकरी-पेशा नारी की समस्याएँ
v) विद्यार्थी और राजनीति

24.5 सारांश

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में "संक्षेपण" का महत्व है। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता, भाषा की स्पष्टता और सरलता संक्षेपण के मुख्य गुण हैं। संक्षेपण मूल अंश के लगभग एक तिहाई आकार का होता है। आप समझ चुके हैं कि संक्षेपण करते समय अनावश्यक और पुनरावृत्त शब्दों या भावों को हटा दिया जाता है और इसमें मूल कथ्य की रक्षा की जाती है। आलंकारिक प्रयोगों, उदाहरणों, विवरणों आदि के मोह से इसमें मुक्त होना पड़ता है तथा वाक्य-परिवर्तन की आवश्यकता भी रहती है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप संक्षेपण कर सकते हैं।

'भाव-पल्लवन' संक्षेपण का उलटा है। इसके मूल में वस्तु अथवा भाव के विस्तार तथा अलंकरण की प्रवृत्ति काम करती है। पल्लवन करने के लिए दिये गये विषय की एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना लेना उपयोगी रहता है। इसमें चिन्तन के दो-तीन बिन्दुओं का विकास किया जाता है। अपने कथनों की पुष्टि उदाहरणों, उद्धरणों एवं काव्यात्मक पंक्तियों से की जाती है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर आप किसी कथन, सूक्ति, काव्य-पंक्ति, लोकोक्ति आदि का पल्लवन कर सकते हैं।

'निबंध' किसी एक विषय पर लिखी गयी लघु आकार की रचना है। इसमें विषय से सम्बद्ध विभिन्न बिन्दुओं का क्रमबद्धता से विस्तार किया जाता है। निबंध लिखने से पूर्व दिये गये विषय की एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा बना लेना उपयोगी रहता है। निबंध के तीन भाग होते हैं— (1) भूमिका (2) मुख्य भाग और (3) उपसंहार। मुख्य भाग में चिंतन के अनेक बिंदुओं का विकास किया जाता है। निबंध-लेखन में यों तो संक्षेपण भी एक-सीमा तक उपयोगी है, पर भाव-पल्लवन की इसमें विशेष भूमिका है। वस्तुत: विभिन्न चिंतन-बिंदुओं का क्रमिक भाव-पल्लवन कर आप दिये गये विषय पर निबंध लिख सकते हैं।

24.6 शब्दावली

पुनरुक्ति: एक बार कही हुई बात को फिर कहना, एक ही विचार को अलग-अलग ढंग से बार-बार प्रकट करना, एक काव्य-दोष।

पुनरावृत्ति: किए हुए काम को फिर करना, कही हुई बात को फिर कहना।

पुनरावृत्त: फिर से कहा हुआ।

परोक्ष कथन: किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में न कह कर अन्य पुरुष की शैली में कहना। जैसे राम ने कहा, "मैं आता हूँ।" इस वाक्य को हिन्दी में परोक्ष कथन के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: राम ने कहा कि मैं आता हूँ।

अलंकार: वर्णन करने की वह रीति जिससे चमत्कार और रोचकता आ जाए; जैसे अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि।

आलंकारिक: अलंकारों से युक्त।

अलंकृत: अलंकारों से युक्त, सुन्दर।

अलंकरण: किसी चीज को अलंकारों से सजाना, सजावट।

वाग्जाल: बातों का आडंबर या व्यर्थ ही भाषा को अलंकृत करना या बातों तथा शब्दों की भरमार, लफ्फाजी।

24.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1 **आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना**: डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, भारती भवन, पब्लिकेशन्स रोड, पटना-1.

2 **संक्षेपीकरण**: गणेशप्रसाद गुप्त, गुप्ता प्रकाशन, रैगरपुरा, करौल बाग, नयी दिल्ली-5.

24.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न – 1

1 "संक्षेपण" का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त अथवा छोटा करना।

2 संक्षेपण में किसी दिये गये अंश को इस प्रकार छोटा किया जाता है कि उसके सभी प्रमुख तथ्य, भाव या विचार मूल अंश के लगभग एक तिहाई शब्दों में आ जाते हैं।

3 i) श्रम और समय की बचत होती है तथा
ii) आवश्यक बातों को कम-से-कम शब्दों में प्रकट कर दिया जाता है।

बोध प्रश्न – 2

1 पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है 'विस्तार करना'।

2 ii) (✓) iv) (✓)

3 i) विपरीतार्थी ii) विस्तारपूर्वक

बोध प्रश्न – 3

1 i) लघु ii) विस्तार
iii) सभी iv) निजी

2 i) विषय-प्रधान अथवा विचारात्मक निबंध
ii) विषयी प्रधान अथवा भावात्मक या ललित निबंध

अभ्यास – 1

1 **पहनने-ओढ़ने के, और उधर से इधर, का समय**

2 अपमानजनक व्यवहार से महारानी हतोत्साह, निराश और दुःखी हो गयी।

3 मनुष्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध; मनुष्य और समाज में कौन अधिक महत्वपूर्ण; कभी समाज और कभी मनुष्य के महत्व का स्वीकार।

4 कविता को प्रभावोत्पादक बनाने में विषयानुकूल शब्द-चयन का अत्यधिक महत्व है। कवि वर्ण्य-विषय का ऐसे शब्दों में वर्णन करे कि उसका शब्द-चित्र पाठकों के सामने उपस्थित हो जाए।

पुस्तकालय का अर्थ------पुस्तकालयों के प्रकार : व्यक्तिगत और सार्वजनिक------पुस्तकालय के लाभ।
(निर्देश: अभ्यास-2 तथा 3 के अभ्यास-प्रश्नों के उत्तर आप अपनी भाषा में लिखेंगे। इन उत्तरों का नीचे दिये गये नमूने के उत्तरों से ज्यों-का-त्यों मिलना आवश्यक नहीं है।

2 संसार में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसका कोई-न-कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति भी निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते। कार्य प्रयोजन-सिद्धि या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर इसके लिए यह आवश्यक है कि वह समय पर किया जाए। यदि कोई कार्य समय पर नहीं किया जाता तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, फलत: पछताना पड़ता है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास की यह उक्ति बहुत सटीक है: 'का बरखा जब कृषि सुखानी'। सचमुच खेती सूख जाने के बाद वर्षा का होना, न होना बराबर है— उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार दीपक के बुझ जाने पर तेल का डालना, चोर के चोरी करके चले जाने के बाद मकान-मालिक का जागना या मरीज़ के मर जाने के बाद डॉक्टर का आना कोई अर्थ नहीं रखता। वक्त को पहचान कर ठीक वक्त पर काम करने से ही उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। समय बीत जाने पर किसी काम को करना उसी प्रकार निरर्थक है जैसे कि खेती के सूख जाने पर वर्षा का होना।

3 i) यह वसंत ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कण-कण नया रूप धारण कर लेता है। वृक्ष, पौधे, पल्लव, लताएँ, पुष्प आदि वासंती पवन के स्पर्श से जैसे नव-जीवन ही प्राप्त कर लेते हैं।
ii) आत्म-निर्भरता एक ऐसा गुण है कि इसके द्वारा मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यह मानव-जीवन के विकास का मंत्र है। यह प्रवृत्ति मानव को पराधीनता से मुक्त कर अपने ऊपर आश्रित रहना सिखाती है।
iii) विपत्ति मित्रों की कसौटी है। विपत्ति के क्षणों में ही सच्चे मित्रों की पहचान होती है। ऐसे क्षणों में नकली और स्वार्थी मित्र तो व्यक्ति का साथ छोड़ जाते हैं पर सच्चे मित्र मित्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने से भी नहीं चूकते।

4 मैं तुम्हारी खोज में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, नदियों, तीर्थों धामों, मजारों, वनों, पर्वतों में भटका, मठों की खाक छानी, तुम्हें सब जगह ढूँढा, पर निराशा ही हाथ लगी। जब तुम्हें सब जगह ढूँढते-ढूँढते मैं हार गया तो यह बात समझ में आयी कि तुम दीन-दुखियों की सेवा में हो।

5 'थोथा चना बाजे घना' शीर्षक लोकोक्ति में जीवन के एक कटु सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। जिनमें बड़बोलापन होता है, जो बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं, जीवन में वे प्राय: कुछ करते नहीं। ऐसे अगंभीर व्यक्ति प्राय: अकर्मण्य और अकर्मठ होते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कम बोलते हैं और गंभीर बने रहते हैं, कर्मठ होते हैं। चने के माध्यम से इस लोकोक्ति में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जैसे थोथा चना बहुत बजता है, वैसे ही खोखला आदमी भी बहुत बोलता है। 'थोथा चना बाजे घना' के भाव की अभिव्यक्ति अन्य कई लोकोक्तियों में भी की गयी है। जैसे—'जो गरजते हैं वे बरसते नहीं' या 'अधजल गगरी छलकत जाय'। इसलिए 'थोथा चना बाजे घना' से आदमी को यह शिक्षा भी मिलती है कि वह बहुत न बोले अन्यथा लोग उसे निकम्मा समझेंगे।

अभ्यास-3

1 1 भूमिका

2 समाज और साहित्य का पारस्परिक संबंध
   i) साहित्यकार पर अपने युग और समाज का प्रभाव
   ii) साहित्य समाज का दर्पण— युग-यथार्थ की अभिव्यक्ति
   iii) सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका— कुछ उदाहरणों के साथ
   iv) सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका— तीव्र या मंद
   v) चरित्र-निर्माण और राष्ट्रीय एकता के संवर्द्धन की दृष्टि से साहित्य का महत्त्व
   vi) सामाजिक दृष्टि से साहित्यकार का दायित्व

3 उपसंहार

2 किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा न हो। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक होती है, किसी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यह राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होती है— इसके द्वारा राष्ट्रीयता, भावात्मक एकता और पारस्परिक स्नेह-सद्भाव का सहज विकास संभव होता है। जो देश राष्ट्रभाषा में अपने कार्य करते हैं, उनकी निर्बाध उन्नति में कोई संदेह नहीं रह जाता। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय उन्नति का मूलाधार है।

3 विद्यार्थियों में आज जो अनुशासनहीनता दिखायी देती है, उसके लिए आधुनिकयुगीन भ्रष्ट राजनीति भी कम उत्तरदायी नहीं है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाले चुनावों को विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। छात्रसंघों के चुनावों पर

जो भारी रकम खर्च होती है, उसे ये विभिन्न दल वहन करते हैं और छात्र नेताओं को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का माध्यम बना लेते हैं। ये छात्र-नेता राजनेताओं को अपना आदर्श मान बैठते हैं और उन्हीं के समान छल-छद्मपूर्ण आचरण करने लगते हैं। राजनेताओं के संकेत पर विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में नारेबाज़ी, हड़ताल, तोड़फोड़ आदि हो जाना आम बातें हैं। इन छात्र नेताओं का प्रभाव अन्य छात्रों पर भी पड़ता है और इनकी देखा-देखी वे भी अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता को ही कार्य-सिद्धि का एक-मात्र साधन मान बैठते हैं। कहना न होगा कि राजनेताओं द्वारा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए छात्र-वर्ग के दुरुपयोग के फलस्वरूप शिक्षा के मंदिर आज अनुशासनहीनता के केंद्र बन गये हैं।

4 दहेज प्रथा के मूलोच्छेद के लिए इसके विरुद्ध जन-मत तैयार करना होगा— लोगों में यह चेतना जगानी होगी कि यह प्रथा भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। इस प्रथा से मुक्ति के लिए केवल वयोवृद्धों को समझाना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए युवक-युवतियों के मनोभावों में परिवर्तन भी आवश्यक है। जब तक युवक-युवतियों के मन में यह भाव पैदा नहीं होता कि वे बिना दहेज के विवाह करेंगे, तब तक इस कोढ़ से मुक्ति संभव नहीं। वस्तुत: दहेज-प्रथा का वर्तमान रूप भारतीय संस्कृति-सभ्यता और देश के गौरव पर एक कलंक है और किसी भी कीमत पर इससे मुक्ति आवश्यक है। देश के प्रत्येक नागरिक से आज यही अपेक्षा है कि इस कुप्रथा से मुक्ति में वह अपना महत्वपूर्ण योग दें।

5 आप इन विषयों में से किसी एक का चयन कर लीजिए। पहले उसकी रूपरेखा बनाइए और फिर प्रत्येक बिंदु का पल्लवन कीजिए।